

विषय सूची

क्रम	अध्याय	पेज
1.	भारत भूमि और उसके निवासी	1
2.	राष्ट्रीय प्रतीक	13
3.	राजनीतिक संरचना	15
4.	कृषि	34
5.	संस्कृति और पर्यटन	39
6.	मूल आर्थिक आँकड़े	49
7.	वाणिज्य	55
8.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	61
9.	रक्षा	80
10.	शिक्षा	89
11.	ऊर्जा	102
12.	पर्यावरण	109
13.	वित्त	126
14.	कॉरपोरेट मामले	154
15.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	159
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	171
17.	आवास और शहरी कार्य	184
18.	भारत और विश्व	187
19.	उद्योग	196
20.	विधि और न्याय	208
21.	श्रम, कौशल विकास और रोजगार	221
22.	जनसंचार	227
23.	आयोजना	235
24.	ग्रामीण और शहरी विकास	241
25.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास	248
26.	परिवहन	255
27.	जल संसाधन	262
28.	कल्याण	268
29.	युवा मामले और खेल	284


अध्याय

1.

भारत भूमि और उसके निवासी

भारत : एक परिचय

- भारत बहु संस्कृति वाला देश है और यह विश्व की प्राचीनतम और महानात्म सभ्यताओं में से एक है।
- आकार की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है।
- पर्वतमाला और समुद्र इसे शेष एशिया से पृथक करते हैं और एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान प्रदान करते हैं।
- यह उत्तर में विशाल हिमालय से घिरा है और दक्षिण की ओर विस्तार के साथ कर्क रेखा पर शंकु आकार धारण किए हुए पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में फैला है।
- पूरी तरह उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित इसकी मुख्य भूमि की अवस्थिति $8^{\circ}4'$ और $37^{\circ}6'$ अक्षांश उत्तर तथा $68^{\circ}7'$ और $97^{\circ}25'$ देशांतर पूर्व में है।
- उत्तर से दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार करीब 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ देशांतरीय विस्तार करीब 2,933 किलोमीटर है।
- इसकी स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि, लक्ष्मीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किमी. है।



भारत का राजनीतिक मानचित्र

भौगोलिक पृष्ठभूमि

- भारत की सीमा उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान; उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल सुदूर पूर्व में म्यामार और बांग्लादेश से लगती है।
- पाक जलडमरुमध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक करता है।
- देश को मुख्य रूप से 6 अंचलों—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर अंचल में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
- किसी देश की सीमाएँ प्राकृतिक बनावट, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों, उसके इतिहास, लोकाचार, रिवाज, परम्परा, और प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। कृत्रिम सीमाएँ परिस्थितियों, संधियों, युद्धों, आदि द्वारा बनती और बिगड़ती हैं, किन्तु प्राकृतिक सीमाएँ एक प्रकार से अधिक स्थायी होती हैं।

प्राकृतिक संरचना


- मुख्य भूमि 4 भागों—विशाल हिमालय क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में बँटी है।
- हिमालय पर्वतमाला में 3 समानांतर शृंखलाएँ हैं, जो बड़े पठारों और घटियों से विभाजित हैं, जिनमें से कश्मीर और कुलू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊँ घाटियाँ प्राकृतिक सौदर्य से भरपूर हैं।

हिमालय के प्रमुख दर्दें		जोजिला	समुद्रतल से लगभग 3850 मी. की ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह शीतकाल (दिसंबर मध्य मई) तक आवागमन के लिए बंद रहता है।
आफिल दर्दा	काराकोरम श्रेणी में K2 के उत्तर में लगभग 5000 मी. की ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा लद्दाख को चीन के झिंजीयांग (सिक्यांग) प्रदेश से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह नवंबर से मई के प्रथम सप्ताह तक बंद रहता है।		
बारालाचा दर्दा	समुद्र तल से 4843 मी. की ऊँचाई पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित एक दर्दा है। यह मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शीत ऋतु में (नवंबर से मध्य मई तक) यह बर्फ से ढके होने के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है।	येंजी ला	जोजिला दर्दे के पूरब में, समुद्र तल से 5000 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित महान हिमालय का यह दर्दा कश्मीर घाटी को कारगिल (लद्दाख) से जोड़ता है। शीत काल में यह बर्फ से ढके होने के कारण नवंबर से मध्य मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है।
	समुद्र तल से 2835 मी. की ऊँचाई पर पीरपंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्दा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह बर्फ से ढका रहता है। वर्ष पर्यन्त सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ जवाहर टनल/सुरंग (पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर) खोदी गई, जिसका उद्घाटन दिसंबर 1956 में किया गया।		5000 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित काराकोरम पर्वत का यह दर्दा लद्दाख और चीन के सिक्यांग प्रांत को जोड़ने वाला परंपरागत दर्दा है। यह शीत काल में (नवंबर-मई) तक बर्फ से ढका रहता है।
बनिहाल दर्दा	जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्दा 'मुगल रोड' पर स्थित है। उप प्रायद्वीप के विभाजन के बाद इस दर्दे को बंद कर दिया गया। जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला यह सबसे सरल और छोटा एवं पक्कीकृत मार्ग है।	खुंजेराब दर्दा (काराकोरम)	पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्दा उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर के तीर्थयात्री इस दर्दे से होकर भी जाते हैं। यह भारत के चीन से होने वाले व्यापार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
	काराकोरम पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से लगभग 6000 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा थी। शीत काल में यह बर्फ से ढका रहता है।		वर्षा काल में होने वाले भूस्खलन तथा शीतकाल में होने वाले हिमस्खलन (avalanche) इस दर्दे की परिवहन व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्याएँ हैं।
रोहतांग दर्दा	समुद्र तल से लगभग 3979 मी. की ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू, लाहूल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है।	लिपु लेख	महान हिमालय में समुद्र तल से लगभग 5611 मी. की ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है।
	समुद्र तल से 5000 मी. से अधिक ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बर्फ से ढके होने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है।		यह उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में समुद्र तल से लगभग 5212 मी. की ऊँचाई पर स्थित है। पिंडारी हिमनद के कगार पर स्थित यह दर्दा पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से जोड़ता है। खड़ी ढाल और विषम सतह के कारण इस दर्दे को पार करना काफी कठिन है।
बुर्जिल दर्दा			


शिपकी-ला	समुद्र तल से 4300 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा सतलज महाखड़ (gorge) से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्दे से भारत में प्रवेश करती है।	दिफू दर्दा	अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित यह दर्दा इस राज्य को मांडले (म्यांमार) तक का आसान और सबसे छोटा रास्ता (दिहांग की तुलना में) उपलब्ध कराता है।
	भारत के चीन से होने वाले व्यापार के लिए यह तीसरा (नाथु ला एवं लिपुलेख के बाद) दर्दा (राजमार्ग संख्या 22) है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है।		यह भारत और म्यांमार के बीच का एक परंपरागत दर्दा है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए वर्ष पर्यंत खुला रहता है।
मंगशा ध्रुव दर्दा	समुद्र तल से लगभग 5000 मी. की ऊँचाई पर पिथौरागढ़ स्थित यह दर्दा उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोड़ता है।	इमिस ला	समुद्र तल से 4500 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा लद्दाख को तिब्बत (चीन) से अपेक्षाकृत आसान संबद्धता उपलब्ध कराता है।
	मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को इस दर्दे से भी गुजरना पड़ता है। पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए भूस्खलन एक बड़ी समस्या है।		दुरुह भू-भाग और खड़ी ढाल बनाने वाला यह दर्दा शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाता है और बंद रहता है।
मुलिंग ला	गंगोत्री के उत्तर में स्थित यह एक मौसमी दर्दा है, जो उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका होता है तथा यहाँ से कोई आवागमन संभव नहीं होता।	खारदुंग ला	समुद्र तल से 6000 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित यह देश का मोटर वाहन चलने योग्य सबसे ऊँचा दर्दा है।
	समुद्र तल से 5270 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित महान हिमालय का यह दर्दा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है।		समुद्र तल से लगभग 4538 मी. ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। यह चुंबी घाटी से होकर गुजरता है।
चांग ला	इस दर्दे के बाद की सड़क अत्यधिक तीखी ढाल वाली है, जो तिब्बत के एक छोटे शहर तांग्से (Tangtse) तक जाती है।	बोमडी ला	भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश स्थित महान हिमालय का दर्दा जिसकी ऊँचाई 2600 मी. है।
	इसका नामकरण इस दर्दे में स्थित 'चांग-ला चाबा' के मंदिर के नाम पर किया गया है। बर्फ से ढके होने के कारण यह शीत ऋतु में आवागमन के लिए बंद रहता है।		यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है।
देब्पा दर्दा	समुद्र तल से 5270 मी. की ऊँचाई पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के मध्य स्थित यह एक महान हिमालय का दर्दा है।	लनक ला	प्रतिकूल मौसम और बर्फबारी के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है।
	कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाले परंपरागत पिन-परबती दर्दे की तुलना में यह एक आसान और कम दूरी का विकल्प है।		अक्साई चीन (लद्दाख) में लगभग 5000 मी. की ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा लद्दाख को ल्हासा से जोड़ता है।
दिहांग दर्दा	अरुणाचल प्रदेश राज्य में समुद्र तल से लगभग 1220 मी. की ऊँचाई पर स्थित एक दर्दा।	लिखापानी	चीन ने यहाँ एक सड़क का निर्माण किया है, जो उसके सिक्यांग (जिंजीयांग) प्रांत को तिब्बत से जोड़ती है।
	यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले (म्यांमार) से जोड़ता है।		अरुणाचल प्रदेश में 4000 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित इस दर्दा म्यांमार को जोड़ता है।
			व्यापार एवं यातायात के लिए यह वर्ष पर्यन्त कार्य करने वाला एक दर्दा है।

नाथु ला	यह भारत-चीन सीमा पर स्थित एक दर्दा है। समुद्र तल से लगभग 4310 मी. की ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा प्राचीन रेशम मार्ग (Silk Route) की एक शाखा है।
	समुद्र तल से लगभग 5359 मी. की ऊँचाई पर लद्दाख में स्थित यह एक पर्वतीय दर्दा है। खारदुंग ला के बाद मोटर वाहन चलने योग्य भारत का दूसरा सबसे ऊँचा दर्दा है।
	इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊँची चोटियां स्थित हैं। इन पर्वतमालाओं में स्थिति दर्दों से होकर यात्रा की जा सकती है, जिनमें दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में चुंबी घाटी होते हुए मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित जेलेप-ला, नाथु-ला और कल्पा (किन्नौर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला प्रमुख हैं।
थांग ला दर्दा	पर्वतमाला करीब 2,400 किलोमीटर में फैली है, जो अलग-अलग स्थानों पर 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ी है। पूर्व में भारत और म्यांमार तथा भारत और बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊँचाई की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लगभग पूरे उत्तर-पूर्व में गारो, खासी, जर्यतिया और नागा पर्वतमालाएं इस श्रृंखला को उत्तर-दक्षिण में मिजो और रखाई पर्वतमाला के साथ जोड़ती हैं।
	गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, करीब 2,400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो तीन विशेष नदी प्रणालियों—सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों से मिल कर बने हैं।
	भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथु ला भी है। भारत चीन युद्ध (1962) के पश्चात् इसे वर्ष 2006 में पहली बार खोला गया।
नीति दर्दा	समुद्र तल से लगभग 5068 मी. की ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोड़ता है। शीत काल में यह बर्फ से ढके होने के कारण नवंबर से मध्य मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है।

पंगसान दर्दा	समुद्र तल से 4000 मी. से भी अधिक ऊँचाई पर स्थित यह दर्दा अरुणाचल प्रदेश को माँडले (म्यांमार) से जोड़ता है।
शेनकोटाह दर्दा	पश्चिम घाट में अवस्थित, यह दर्दा, तमिलनाडु के मदुरै नगर को केरल के कोट्टायम नगर से जोड़ता है। इस दर्दे के पास इसी नाम का एक छोटा नगर भी है।


**भारत के प्रमुख दर्दे**

- ⦿ ये मैदान, नदियों की बाढ़ के साथ बह कर आई कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से हैं और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक हैं।
- ⦿ रेगिस्तानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है—‘वृहत रेगिस्तान’ और ‘लघु रेगिस्तान।’
- ⦿ वृहत रेगिस्तान कच्छ के रेण से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है।
- ⦿ लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर-पश्चिम तक है।
- ⦿ वृहत और लघु रेगिस्तानों के बीच बंजर भूमि क्षेत्र है, जिसमें चूना पत्थर की पहाड़ियों से चट्टानी भूमि शामिल है।
- ⦿ प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदानों से सटा है, जिसमें 460 से 1,220 मीटर तक अलग-अलग ऊँचाई वाले पहाड़ और पर्वतमालाएं शामिल हैं।
- ⦿ इनमें अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाले और अजंता पर्वतमालाएं प्रमुख हैं।



हिमालय शृंखला

- प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट स्थित हैं जिनकी ऊँचाई करीब 610 मीटर है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊँचाई सामान्यतः 915 से 1,220 मीटर तक है, जो कुछ स्थानों पर 2,440 मीटर तक जाती है।
- पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच एक बहुत तटवर्ती क्षेत्र है।




भारत का प्राकृतिक मानचित्र

भूगर्भीय संरचना

- भूगर्भीय क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं का अनुसरण करता है और इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - हिमालय और उससे जुड़ी पर्वतमालाओं का समूह
 - सिंधु-गंगा का मैदान
 - प्रायद्वीपीय ढाल

- उत्तर में हिमालय और पूर्व में नागा-लुशाई पर्वत निर्माण करने वाली हलचलों से निर्मित क्षेत्र हैं।
- इस क्षेत्र का अधिकतर भाग, जो आज विश्व के कुछ सर्वाधिक मनोरम पर्वतीय दृश्य प्रस्तुत करता है, वह करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र था।
- करीब 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई हलचलों से हुए पर्वत निर्माण की श्रृंखलाओं में, तलछट चट्टानों ने अधिक ऊँचाई ग्रहण की।
- मौसमी परिवर्तनों और भू-क्षरण से चट्टानों के टूटने के कारण मैदानों का निर्माण हुआ, जो आज हमें दिखाई देता है।




प्रायद्वीपीय भारत

- सिंधु-गंगा के मैदान विस्तृत क्षेत्र हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से पृथक करते हैं। प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र है। इसमें कभी-कभार भूकंप से हलचल पैदा होती है।
- इस क्षेत्र में 380 करोड़ वर्ष पूर्व धरती के निर्माण के समय के अत्यंत प्राचीन कायांतरित शैल पाए जाते हैं; शेष चट्टानों में गोंडवाना संरचना, दक्षिणी पठार संरचना और कम प्राचीन तलछट भूमि शामिल है।

नदी प्रणालियां

- भारत की नदी प्रणालियों को हिमालयी नदियों, दक्षिणी नदियों, तटवर्ती नदियों और अंतरदेशीय बरसाती नदियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमालयी नदियां बर्फ और हिमनदियों के पिघलने से बनती हैं और इसलिए वे वर्षा भर निरंतर बहती रहती हैं।
- मानसून के महीनों में, हिमालयी क्षेत्र में तेज वर्षा होती है, जिससे नदियों में उफान आता है और बार-बार बाढ़ आती है।
- दूसरी तरफ दक्षिणी नदियां वर्षा पर निर्भर हैं, अतः उनका आकार घटता-बढ़ता रहता है। इनमें से कई नदियां बारहमासी नहीं हैं।



- ➲ तटवर्ती नदियां, विशेषकर पश्चिमी तटवर्ती नदियों की लंबाई अधिक नहीं है और उनके जल ग्रहण क्षेत्र सीमित हैं।
- ➲ मुख्य हिमालयी नदी प्रणालियां सिंधु और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना प्रणाली का हिस्सा हैं।
- ➲ सिंधु नदी, विश्व की बड़ी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट है और यह पहले भारत और इसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है।
- ➲ भारतीय भू-भाग में बहने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सतलुज (जो तिब्बत से निकलती है), व्यास, रावी, चिनाब और झेलम शामिल हैं।
- ➲ गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है जिसके प्रमुख उप-थलों में भागीरथी और अलकनंदा के थाले शामिल हैं। ये दो नदियां देव प्रयाग में आकर गंगा बन जाती हैं।
- ➲ गंगा नदी उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है।
- ➲ भागीरथी, अतीत के मुख्य नदी मार्ग राजमहल पर्वतमाला के नीचे से निकलती है जबकि पद्मा पूर्व की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है।
- ➲ गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, धाघरा, गंडक, कोसी, महानदा और सोन शामिल हैं।
- ➲ चंबल और बेतवा इसकी महत्वपूर्ण उप-सहायक नदियां हैं, जो यमुना के गंगा में मिलने से पूर्व यमुना में समा जाती है।
- ➲ पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा या गंगा के रूप में निरंतर बहती हैं।
- ➲ ब्रह्मपुत्र तिब्बत से प्रारंभ होती है, जहां से त्सांगपो के रूप में जाना जाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने तक यह दिहांग के नाम से एक लंबा मार्ग तय कर चुकी होती है।
- ➲ पासीघाट के निकट दिहांग और लोहित नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं और यह संयुक्त नदी असम धाटी में बहती है। धुबरी से निचली धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
- ➲ भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया और मानस शामिल हैं।
- ➲ बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और वह अंततः गंगा में समाहित हो जाती है।
- ➲ मेघना की मुख्य धारा के रूप में बराक नदी मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र से शुरू होती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मक्कू, तरांग, जीरी, सोनाई, रुकणी, कटाखल, धालेश्वरी, लांगचिनी, मदुआ और जर्यतिया शामिल हैं।
- ➲ बराक बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा-ब्रह्मपुत्र के मिलने के स्थान तक जारी रहती है।
- ➲ दक्षिणी क्षेत्र में, सामान्यतः पूर्व दिशा में बहने वाली अधिकतर
- ➲ बड़ी नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
- ➲ पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल हैं।
- ➲ नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं।
- ➲ दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी धाटी है, जो भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती है।
- ➲ इसके बाद कृष्णा नदी धाटी का स्थान है और इस क्षेत्र में महानदी एक अन्य बड़ी नदी धाटी है।
- ➲ दक्षिण क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में अरब सागर की ओर बहने वाली नर्मदा का थाला और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली कावेरी नदी का थाला, दोनों लगभग समान आकार के हैं, परंतु उनका स्वरूप और विशेषताएं भिन्न हैं।
- ➲ राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं जाती हैं। वे साल्ट लेक में गिरती हैं या रेत में लुप्त हो जाती है।
- ➲ इनके अलावा कुछ रेगिस्तानी नदियां हैं, जो कुछ दूरी तक बहती हैं और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं। ये हैं—लूनी, माछु, रूपे, सरस्वती, बनास, घग्घर आदि।
- ➲ समूचे देश को 20 नदी धाटियों/नदी थाला समूहों में वर्गीकृत किया गया है जिनमें से 12 बड़े थाले और 8 संयुक्त नदी थाले हैं।
- ➲ 12 बड़े नदी थालों में—(1) सिंधु (2) गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (3) गोदावरी (4) कृष्णा (5) कावेरी (6) महानदी (7) पेन्नार (8) ब्राह्मणी-वैतरणी (9) साबरमती (10) माही (11) नर्मदा (12) ताप्ती हैं।
- ➲ इनमें से प्रत्येक थाले का बहाव क्षेत्र 20 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक का है।
- ➲ आयोजन और प्रबंधन के 8 संयुक्त नदी थाले हैं, जो शेष सभी मध्यम (2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर बहाव क्षेत्र वाली) और लघु नदी प्रणालियों को उपयुक्त ढंग से जोड़ते हैं।

8 संयुक्त नदी थाल

- सुवर्ण रेखा थाला, जो सुवर्ण रेखा और वैतरणी के बीच अन्य छोटी नदियों को जोड़ता है।
- महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां।
- पेन्नार-कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां।
- राजस्थान के रेगिस्तान में अंतरदेशीय बहाव क्षेत्र।
- लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।
- ताप्ती से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।
- ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।
- म्यामार (बर्मा) और बांग्लादेश की ओर बहने वाली छोटी नदियां।

जलवायु/ऋतुएं

- ➲ भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जा सकता है।
- ➲ भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 4 आधिकारिक ऋतुएं निर्दिष्ट की हैं:

शीत, (दिसंबर से अप्रैल के प्रारंभ तक)

- ➲ वर्ष के सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी होते हैं, जब उत्तर-पश्चिम में औसत तापमान करीब 10-15 डिग्री सेल्सियस (50-59 डिग्री फारेनहाइट) होता है; भारत के दक्षिण-पूर्व में मुख्य भू-भाग पर जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, तो औसत तापमान बढ़ता जाएगा।

ग्रीष्म ऋतु या पूर्व ऋतु

- ➲ जो (अप्रैल से जून तक उत्तर-पश्चिमी भारत में अप्रैल से जुलाई तक)
- ➲ पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में अप्रैल सबसे गर्म महीना होता है; उत्तरी क्षेत्र में सबसे गर्म महीना मई का है।

मानसून या वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर तक

- ➲ इस मौसम में आर्द्ध दक्षिण-पश्चिमी ग्रीष्म मानसून छाया रहता है, जो मई के अंत या जून के प्रारंभ में शुरू होकर धीरे-धीरे देशभर में फैलता है।
- ➲ मानसून की वर्षा उत्तर भारत में अक्टूबर के शुरू में कम होने लगती है। दक्षिण भारत में अधिक वर्षा होती है।

मानसून-परवर्ती ऋतु, (अक्टूबर से दिसंबर तक)

- ➲ उत्तर-पश्चिमी भारत में अक्टूबर और नवंबर आमतौर पर वर्षा रहित होते हैं।
- ➲ हिमालयी राज्यों के अधिक समशीतोष्ण होने के कारण, यहां दो अतिरिक्त ऋतुएं होती हैं—पतझड़ और वसंत।
- ➲ परंपरागत रूप में भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिनमें प्रत्येक की अवधि करीब 2 महीने होती है।
- ➲ ये हैं—वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पूर्व पतझड़ (शरद), उत्तर पतझड़ (हेमंत) और शीत (शिशिर)।
- ➲ यह 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटने के ज्योतिषीय वर्गीकरण पर आधारित है।
- ➲ प्राचीन हिंदू कलेंडर भी इन ऋतुओं को उनके महीनों के क्रम में रखता है।
- ➲ भारत की जलवायु दो मौसमी हवाओं से प्रभावित होती है—उत्तर-पूर्वी मानसून और दक्षिण-पश्चिमी मानसून।
- ➲ उत्तर-पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीतकालीन मानसून कहा जाता है, जिसमें हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून है, जिसमें हवाएं

हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए ज़मीन की ओर बहती हैं।

वनस्पति

- ➲ भारत वनस्पति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पादप विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है।
- ➲ अभी तक करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों में 46,000 पादप प्रजातियां पाई गई हैं। यहां उत्कृष्ट वनस्पतियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं।

भारत को 8 विशिष्ट वानस्पतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पश्चिमी हिमालय	पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है। इसके उष्ण अंचल के जंगलों में चीड़, अन्य शंकु वृक्ष और चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। उच्च शिखरों पर देवदार, नीले चीड़, सनोवर वृक्ष व श्वेत देवदार के जंगल हैं। लगभग 4,750 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पर उष्ण अंचल की ऊपरी सीमा से अल्पाइन अंचल यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है।
पूर्वी हिमालय	इस अंचल के विलक्षण वृक्षों में उच्च स्तरीय श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष, सदाबहार वृक्ष शामिल हैं।
असम क्षेत्र	पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर फैला है और दार्जिलिंग, कुर्सियांग और आसपास के क्षेत्रों को अपने में समेटे हैं। इस उष्ण अंचल में ओक, जायफल, द्विफल बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष भोजवृक्ष और छोटी बैंत के जंगल हैं।
सिंधु का मैदान	असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी और सुरमा घाटियां शामिल हैं, जहां आमतौर पर मोटे बांस के गुच्छे और लंबी घास वाले सदाबहार वन हैं। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। यह एक शुष्क एवं उष्ण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं।

गंगा का मैदान	गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता है, जहां गेहूं, गन्ना और चावल की खेती होती है। इस भू-भाग में केवल छोटे से क्षेत्र में विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं।
दक्षिणी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की समृद्धी समतल भूमि समाहित है। इस क्षेत्र में झाड़ीदार जंगलों से लेकर मिश्रित पतझड़ी जंगलों की विभिन्न प्रकार की बनस्पतियां पाई जाती हैं।
मालाबार क्षेत्र	मालाबार क्षेत्र में अत्यधिक आर्द्ध पर्वतीय प्रदेश शामिल है, जो प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर है। जंगली बनस्पतियों की दृष्टि से समृद्ध होने के अलावा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों जैसे—नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ और काजू की खेती की जाती है।
अंडमान क्षेत्र	अंडमान क्षेत्र में प्रचुर सदाबहार, मैंग्रोव, तटवर्ती और बरसाती जंगल हैं। हिमालयी क्षेत्र कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है जिसमें सिक्किम, मेघालय और नागालैंड समाहित है। दक्षिणी प्रायद्वीप स्थानिक बनस्पति की दृष्टि से समृद्ध है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे पेड़-पौधे हैं, जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं।

- ➲ देश की बनस्पति का अध्ययन भारतीय बनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (BSI) और देश भर में स्थित इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है।
- ➲ एथनो-बोटेनिकल यानी मानव-बनस्पति अध्ययन में पादपों और उनके उत्पादों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है।
- ➲ ऐसे पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन BSI द्वारा किया गया है। देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई विस्तृत नृजातीय सर्वेक्षण किए जा चुके हैं।
- ➲ विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की 800 प्रजातियों को विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा किया गया है और उनकी पहचान की गई है।
- ➲ कृषि, उद्योग और शहरी विकास के लिए वनों के हास के कारण कई भारतीय पौधों का अस्तित्व खतरे में है।
- ➲ करीब 1,336 पादप प्रजातियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है।

- में है।
- ➲ बड़े पौधों की करीब 20 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनका अस्तित्व समाप्त होने की आशंका है, क्योंकि उन्हें पिछले 6-10 दशकों से देखा नहीं गया है।
 - ➲ भारतीय बनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण ने अस्तित्व समाप्ति का खतरा झेल रहे पौधों की एक सूची 'रेड डेटा बुक' के रूप में प्रकाशित की है।

भारत के जैव संसाधन

- ➲ भारत अपनी बहु जैव-भौगोलिक अवस्थिति, विविधतापूर्ण जलवायु स्थितियों और असंख्य पारिस्थितिकी-विविधता और भू-विविधता के कारण जैविक विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है।
- ➲ भारत की विशाल जैविक विविधता में पारिस्थितिकी प्रणालियां, जनसंख्या, प्रजातियां और उनके आनुवांशिक स्वरूप शामिल हैं।
- ➲ इस विविधता का श्रेय भौतिक और जलवायु स्थितियों में व्यापक भिन्नता को जाता है।
- ➲ जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी में प्राकृतिक वास संबंधी विविधताएं पैदा होती हैं। यह उष्ण कटिबंधी, उप-उष्णकटिबंधी, समशीतोष्ण, अल्पाइन से रेगिस्तान तक फैली हुई है।

जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि	
जनगणना	भारत में 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। इसे दो चरणों में कराया गया।
जनसंख्या	भारत की जनसंख्या 1 मार्च, 2011 को 121.09 करोड़ (62.33 करोड़ पुरुष और 58.75 करोड़ महिलाएं) थी।
	विश्व की 13.579 करोड़ कर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भू-भाग में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.4 प्रतिशत है। फिर भी यह विश्व की आबादी के एक बड़े हिस्से को आश्रय प्रदान करता है और उसका पालन-पोषण करती है।
	भारत की जनसंख्या, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में करीब 23.84 करोड़ थी, 2011 में बढ़ कर 121.07 करोड़ हो गई।
	1911-21 के दशक को छोड़ कर, 1901 से प्रत्येक दशक में हुई जनगणनाओं के दौरान भारत की आबादी में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई है।

	<p>जनसंख्या संकेंद्रण के महत्वपूर्ण पैमानों में जनसंख्या घनत्व भी एक है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।</p>	
जनसंख्या घनत्व	<p>भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 17.72 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि के साथ 382 प्रति वर्ग किमी. था।</p>	
लिंग अनुपात	<p>1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। बड़े राज्यों में बिहार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, जहां जनसंख्या का घनत्व 1103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल (1,028) और केरल (860) का स्थान है।</p>	
साक्षरता	<p>लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी समाज में एक निर्दिष्ट काल के दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रचलित समानता को मापने के लिए लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। देश में लिंगानुपात महिलाओं की संख्या की दृष्टि से हमेशा प्रतिकूल रहा है।</p>	
ब्रॉडबैटरी	<p>20वीं सदी के प्रारंभ में यह 972 था और उसके बाद 1941 तक इसमें निरंतर कमी दर्ज हुई। 2001–2011 की अवधि में लिंग अनुपात में 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में 10 अंक की बढ़ातरी दर्ज हुई, परंतु बच्चों के लिंग अनुपात में गिरावट आई और यह प्रति 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होकर 919 पर आ गई।</p>	
निर्वाचनीय संघर्ष	<p>2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति को साक्षर समझा गया, जो किसी भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।</p>	<p>ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है, परंतु लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं कहा जा सकता। 1991 से पहले की जनगणनाओं में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्यतः निरक्षर समझा जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर 74.04% है, जिसमें 82.14% पुरुष और 65.46% महिलाएं हैं। 94% साक्षरता के साथ केरल पहले स्थान पर है। इसके बाद लक्ष्मीप (92.28%) का स्थान है। देश में साक्षरता की दृष्टि से बिहार अंतिम स्थान पर है, जहां साक्षरता की दर 63.82% है।</p> <p>96.1 प्रतिशत पुरुष साक्षरता और 92 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ केरल का देश में पहला स्थान है। इसके बिपरीत, पुरुषों (73.39%) और महिलाओं (53.33%), दोनों की साक्षरता दर के मामले में बिहार अंतिम पायदान पर है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत दो प्रमुख क्षेत्रों (प्लेयाक्रोटिक और इंडो-मलायन) और तीन बायोम्स अर्थात् पादप जीवन के प्रमुख रूपों (जैसे उष्ण कटिबंधी आर्द्र वन, उष्ण कटिबंधी शुष्क/पर्णपाती वन और गर्म रेगिस्तान/अर्द्ध-रेगिस्तान) का प्रतिनिधित्व करता है। ● भारतीय बन्य जीव संस्थान ने एक संशोधित वर्गीकरण प्रस्तावित किया है, जो देश को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है—हिमालय-पार, हिमालयी, भारतीय रेगिस्तान, अर्द्ध-शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर भारत, द्वीप और तटवर्ती क्षेत्र। ● जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार, भारत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी विकास की दृष्टि से विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। ● वास्तव में विश्व के कुल भू-भाग में मात्र करीब दो प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व के कुल जैव-जंतुओं की 7.5 प्रतिशत प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिसमें 92,037 प्रजातियां शामिल हैं। ● इनमें मात्र कीटों की 61,375 प्रजातियां शामिल हैं। अनुमान है कि अकेले भारत में आज जितनी प्रजातियां विद्यमान हैं, उसका करीब दो गुना ऐसी हैं, जिनकी अभी खोज की जानी है। <p style="text-align: right;">□□□</p>

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित राज्यों के नामों पर विचार कीजिए-

1. छत्तीसगढ़
2. बिहार
3. मिजोरम
4. असम

इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं-

- | | |
|-----------|-----------------|
| (a) 1 व 2 | (b) 2 व 4 |
| (c) 3 व 4 | (d) 1, 2, 3 व 4 |

2. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. महान हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है।
2. भारत में सबसे ऊँची चोटी K2 है।
3. लघु हिमालय का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है।

सही उत्तर का चयन कीजिए-

- | | |
|-----------|--------------|
| (a) 1 व 2 | (b) 2 व 3 |
| (c) 1 व 3 | (d) 1, 2 व 3 |

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सियाचिन ग्लेशियर संसार का सबसे ऊँचा ग्लेशियर होने के साथ ही संसार का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र भी है।
2. सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का नियंत्रण है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 व 2 दोनों | (d) न तो 1 न ही 2 |

4. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. खादर का मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निरंतर जमाब के कारण अत्यंत उर्वर होता है।
2. भावर का मैदान कंकड़ व बजरी के जमावों से निर्मित उच्च संध्रता बाला क्षेत्र होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 व 2 दोनों | (d) न तो 1 न ही 2 |

5. भारतीय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अर्कियन क्रम की चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं।
2. गोंडवाना क्रम की चट्टानें खनिजों का भण्डार हैं जिसमें लौह अयस्क तांबा, निकिल आदि पाया जाता है।
3. धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिटुमिनस कोयले से समृद्ध हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

- | | |
|-----------|------------|
| (a) 1 व 2 | (b) 2 व 3 |
| (c) 1 व 3 | (d) केवल 3 |

6. पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पश्चिमी घाट सघन बनस्पति वाला उच्च जैव विविधता युक्त क्षेत्र है।
2. पश्चिमी घाट का ढाल अत्यन्त तीव्र है क्योंकि यहाँ नदियाँ तीव्र वेग से गिरती हैं।
3. थालघाट दर्दा पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

- | | |
|-----------------|--------------|
| (a) केवल 1 | (b) 1 व 2 |
| (c) 2 व 3 दोनों | (d) 1, 2 व 3 |

7. बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है; अवस्थित है-

- | | |
|----------------|-------------------|
| (a) पुहुच्चेरी | (b) ग्रेट निकोबार |
| (c) असम | (d) केरल |

8. निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए-

1. रामगंगा
2. घाघरा
3. बागमती
4. रावी

इनमें से कौन सी नदी/नदियाँ गंगा की सहायक नदी/नदियाँ हैं-

- | | |
|--------------|-----------------|
| (a) 1, 2 व 3 | (b) 2, 3 व 4 |
| (c) 1, 2 व 4 | (d) 1, 2, 3 व 3 |

9. निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए-

1. सिंधु नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में है।
2. सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम पर बगलीहार परियोजना स्थित है।
3. दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं।

- | | |
|-----------|--------------|
| (a) 1 व 3 | (b) 2 व 3 |
| (c) 1 व 3 | (d) 1, 2 व 3 |

10. हाल ही में चर्चा में रही थीन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है।

- | |
|--------------|
| (a) गंगा नदी |
|--------------|

अध्याय

2.

राष्ट्रीय प्रतीक


राष्ट्रीय ध्वज

- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर गहरी केसरिया पट्टी है, मध्य में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है।
- ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट् अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज़ पर बनाया गया है। इसमें 24 तीलियाँ हैं।



राष्ट्रीय ध्वज

- भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 जो 26 जनवरी, 2002 से प्रभावी हुई, में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है।



अशोक चक्र



सत्यमेव जयते

अशोक स्तम्भ

निर्माण IAS

- ➲ चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काट कर बनाए गए इस स्तंभ पर 'धर्मचक्र' सुशोभित है।
- ➲ भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को अपनाए गए राजचिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं।
- ➲ पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं।
- ➲ फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है—'सत्य की ही विजय होती है।'
- ➲ भारत के राजचिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत नियन्त्रित होता है।

राष्ट्रगान

- ➲ रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।
- ➲ यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं।
- ➲ राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है।
- ➲ कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां (गाने का समय लगभग 20 सेकेंड) होती हैं।

जन गण मन

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता ।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविड उत्कल बंग ।
विद्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छ्वल जलधि तरंग ।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे;
गाहे तव जय गाथा ।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

राष्ट्रगीत

- ➲ बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 'बंदे मातरम्' गीत की रचना की, जिसे 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है।
- ➲ यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था।

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
सस्य श्यामलां मातरम् ।
शुभ ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्
फुलल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम् ।
सुखदां वरदा मातरम् ॥

सप्त कोटि कन्ठ कलकल निनाद कराले
द्विसप्त कोटि भुजैर्धत खरकरवाले
के बोले मा तुमी अबले
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीम् मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि ह्रदि तुमि
मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारै प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमला अमला अतुलाम्
सुजला सुफला मातरम् ॥

श्यामला सरला सुस्मिता भूषिताम्
धरणी भरणी मातरम् ॥

राष्ट्रीय गीत: बंदे मातरम्

राष्ट्रीय पंचांग (केलेंडर)

- ➲ प्रिंगेरियन केलेंडर के साथ-साथ देशभर के लिए शक संवत् पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है।
- ➲ 22 मार्च, 1957 को इन्हें सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया:
- ▢ भारत का राजपत्र,
- ▢ आकाशवाणी के समाचार प्रसारण,
- ▢ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केलेंडर
- ▢ भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित-पत्र।



अध्याय

3.

राजनीतिक संरचना

- राज्यों का संघ भारत एक धर्म निरक्षेप लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली है।
- यह गणराज्य 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत एवं 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है।
- संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक भी है।
- भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं।

भारत में 29 राज्य और सात केंद्रशासित प्रदेश

29 राज्य	<input type="checkbox"/> आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
7 केंद्र शासित प्रदेश	<input type="checkbox"/> अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

- संविधान का अनुच्छेद 74 (1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे।
- इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है।
- इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के

प्रधान की होती है परंतु, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।

- किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं विधानसभाओं में विभाजित की गई हैं तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है।
- संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रावधान है।

नागरिकता

- संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है।
- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया है। जो संविधान लागू होने के दिन (26 जनवरी, 1950 को) भारत स्थायी रूप से रहता हो; और जो भारत में पैदा हुआ हो। या जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ है। अथवा जो सामान्यतया कम से कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा हो।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 में लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने, निर्धारित करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार (अनु. 14-18)

स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22)

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु. 29-30)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

- संविधान में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुल बुनियादी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। मोटे तौर पर संविधान में छह प्रकार की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों के रूप में गरंटी दी गई है, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।
- संविधान के तीसरे भाग, अनुच्छेद 12 से 35 तक, में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत

- संविधान में निहित राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे 'देश के प्रशासन का मूल आधार हैं' और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। ये सिद्धांत संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं।
- उनमें कहा गया है—सरकार ऐसी प्रभावी सामाजिक व्यवस्था कायम करके लोगों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।

नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद संख्या		विषय-वस्तु
36.	राज्य की परिभाषा	
37.	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना	
38.	राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना	
39.	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति-सिद्धांत	
39.A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता	
40.	ग्राम पंचायतों का संगठन	
41.	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता	
42.	न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान	
43.	कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि	
43.A	उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता	
43.B	सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	
44.	नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिता	
45.	बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा	

46.	अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
47.	पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य
48.	कृषि एवं पशुपालन का संगठन
48.A	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा
49.	स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
50.	न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव
51.	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन

मौलिक कर्तव्य

- 1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है।
- ये कर्तव्य संविधान के भाग चार 'ए' के अनुच्छेद 51 (क) में दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51(क)	
१.	विदित हो कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो इस प्रकार हैं—
२.	स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
३.	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
४.	देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
५.	भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
६.	हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।

7.	प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत बन, झील, नदी और बन्ध जीव हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।
8.	वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9.	सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिसा से दूर रहें।
10.	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू ले।
11.	6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।

☞ **नोट:** यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

संघ

कार्यपालिका

- ☞ संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद (52-78) तक संघ की कार्यपालिका का संस्करण है।
- ☞ कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है।

राष्ट्रपति

- ☞ राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा करते हैं।
- ☞ इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
- ☞ राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और केंद्र के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है।
- ☞ राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए।
- ☞ राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है तथा पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।
- ☞ संविधान के अनुच्छेद-61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद

से हटाया जा सकता है। वह उप राष्ट्रपति को संबंधित स्व-हस्तालिखित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकते हैं।

- ☞ कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करते हैं। रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है।

राष्ट्रपति को प्रदत्त संवैधानिकाधिकार

- राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने।
- संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने, लोकसभा को भंग करने।
- दोनों अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने।
- बजट तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश करने।
- विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने।
- क्षमादान देने।
- दंड रोकने अथवा उसमें कमी या परिवर्तन करने या कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने।
- छूट देने या दंड को बदलने के अधिकार प्राप्त हैं।
- किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं।

भारत के राष्ट्रपति

नाम	अवधि
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950-13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	13 मई, 1962-13 मई, 1967
डॉ. जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967 -03 मई, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	03 मई, 1969-20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969-24 अगस्त, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969-24 अगस्त, 1974
डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974-11 फरवरी, 1977

बी.डी. जत्ती (1912-2002) कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977-25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977-25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982-25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरमन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987-25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992-25 जुलाई, 1997
के.आर. नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997-25 जुलाई, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002-25 जुलाई, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007-25 जुलाई, 2012
श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012-25 जुलाई, 2017
श्री रामनाथ कोविंद (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017 से अब तक

उप-राष्ट्रपति से संबंधित बिंदु

- उप राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं।
- निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उप राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का और राज्य सभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए।
- उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और उन्हें इस पद पर पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद-67 (ख) में निहित कार्यविधि द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- उप राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जब राष्ट्रपति अस्वस्थ्य या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हों या जब राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो, तब छह महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं।

भारत के उप-राष्ट्रपति	
नाम	अवधि
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	13 मई, 1952- 12 मई, 1962
डॉ. जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962-12 मई, 1967
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967-3 मई, 1969
गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969-30 अगस्त, 1974
बी.डी. जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974-30 अगस्त, 1979
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979-30 अगस्त, 1984
आर. वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984-24 जुलाई, 1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितंबर, 1987-24 जुलाई, 1992
के.आर. नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992-24 जुलाई, 1997
कृष्णाकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997-21 जुलाई, 2002
भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002-21 जुलाई, 2007
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म 1937)	11 अगस्त, 2007-10 अगस्त, 2017
श्री एम. वेंकेया नायडू (जन्म 1949)	11 अगस्त, 2017 से अब तक

मंत्रिपरिषद्

- कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं।

विधायिका

- संघ की विधायिका को 'संसद' कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति, दोनों सदन (लोकसभा तथा राज्यसभा) शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछली बैठक के छह महीने के भीतर बुलानी होती है। कुछ अवसरों पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है।

राज्यसभा

- ➲ राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
- ➲ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्यों की संख्या 238 से अधिक नहीं होगी।
- ➲ राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।

लोकसभा

- लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है इसके सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
- संविधान में लोकसभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या 552 है जिसमें 530 सदस्य राज्यों का जबकि 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं राष्ट्रपति को आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो व्यक्तियों को उस स्थिति में मनोनीत करने का अधिकार है, जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में इस समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
- लोक सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है।
- लोकसभा के लिए विभिन्न राज्यों की सदस्य संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि राज्य के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात जहाँ तक संभव हो, सभी राज्यों में समान हो।
- वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे चुने गए हैं।
- 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के तहत विभिन्न राज्यों में लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है तथा 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक इसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जाएगा।
- लोकसभा का कार्यकाल, यदि उसे भंग न किया जाये, सदन की पहली बैठक को लेकर पांच वर्ष होता है। किंतु यदि आपातस्थिति लागू हो तो यह अवधि संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है।
- ➲ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से

किया जाता है।

- ➲ राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और उसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यवार राज्यसभा में सीटों का वितरण करते हैं।

संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं

- ➲ संसद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- ➲ लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम-से-कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकती है।

संसद के कार्य और अधिकार

- ➲ अन्य संसदीय लोकतंत्रों की भाँति भारत की संसद को भी कानून बनाने, प्रशासन की देख-रेख, बजट पारित करने, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और विकास योजनाओं, राष्ट्रीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है।
- ➲ संसद कुछ परिस्थितियों में ऐसे विषयों के विधायी अधिकार भी प्राप्त कर सकती है, जो अन्यथा राज्यों के लिए सुरक्षित हैं।
- ➲ संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है।

संसद में विपक्ष के नेता

- ➲ राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है।
- ➲ 1 नवंबर, 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत उन्हें वेतन तथा कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।


संसद में सरकारी कामकाज

- ➲ संसदीय कार्यमंत्री को संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज को समन्वित करने, उसकी योजना बनाने और तत्संबंधी व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है।


सलाहकार समितियां

- ➲ भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को आवंटित कार्यों में से एक, विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसदीय सलाहकार समितियों का कार्य है।
- ➲ सलाहकार समिति की न्यूनतम सदस्यता 10 और अधिकतम सदस्यता 30 है।

भारत में राज्यसभा सीटों का विवरण



भारत में लोकसभा सीटों का विवरण



युवा संसद प्रतियोगिता

- ⌚ युवाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है।
- ⌚ युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित कराने की यह योजना सबसे पहले 1966-67 में दिल्ली के विद्यालयों में लागू की गई थी।
- ⌚ राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में केंद्रीय विद्यालयों में एक अलग योजना के रूप में इसे शुरू किया गया।
- ⌚ इसी तरह 1997-98 में दी नई योजनाओं के अंतर्गत युवा संसद प्रतियोगिता लागू की गई, एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और दूसरी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए।

विशेष उल्लेख के अंतर्गत मामले

- ⌚ संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377 और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करता है।
- ⌚ लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे दोपहर में सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय उठाते हैं।
- ⌚ राज्यसभा में सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय प्रातः 11 बजे उठाते हैं।
- ⌚ मंत्रीगण कभी-कभी सदस्यों द्वारा इंगित बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है।
- ⌚ संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री सदन अथवा सदस्य को आश्वासन देते हैं कि संबंधित मंत्री को उनकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

- ⌚ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है, जो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
- ⌚ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ⌚ इसे पद से हटाने के लिए वही कार्यविधि अपनाई जाती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है।
- ⌚ अपना पद छोड़ने के बाद वह केंद्र या राज्य सरकार में कोई और नौकरी नहीं कर सकता है।
- ⌚ केंद्र और राज्यों का लेखा-जोखा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा।

- ⌚ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र के लेखा-जोखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे।
- ⌚ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यों के लेखा-जोखा की रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजी जाएगी, जो इसे विधान सभा में प्रस्तुत कराएंगे।

प्रशासनिक ढांचा

- ⌚ भारत सरकार के कार्यों का आवंटन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 बनाए गए हैं।
- ⌚ इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का गठन किया जाता है।
- ⌚ इन मंत्रालयों/विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में भारत सरकार के कार्यों का संचालन इन नियमों में निर्दिष्ट विषयों के वितरण के अनुसार होता है।
- ⌚ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्यों का बटवारा करते हैं।
- ⌚ प्रत्येक विभाग आमतौर पर एक सचिव के अधीन होता है, जो नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन के बारे में मंत्री की मदद करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय

- ⌚ मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
- ⌚ इसका प्रशासनिक प्रमुख केबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- ⌚ केबिनेट सचिवालय का कार्य होता है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहयोग और कार्य नियम।
- ⌚ केबिनेट (मंत्रिमंडल) सचिवालय भारत सरकार (कार्याकरण) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें वह सरकार के मंत्रालय/विभागों में इन नियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से कार्य संचालन की सुविधा प्रदान करता है।
- ⌚ विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करते हुए और मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेदों को दूर करते हुए यह सचिवालय सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है और सचिवों की स्थायी/तदर्थ समितियों के जरिए आपस में सहमति बनाए रखता है।

- केबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और सभी मंत्रियों को उससे अवगत कराया जाए।
- देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना तथा ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना भी केबिनेट सचिवालय का काम है।
- सभी सचिव समय-समय पर गतिविधियों के बारे में केबिनेट सचिव को सूचित करते हैं।
- कार्यकरण नियमों के संचालन के लिए भी यह आवश्यक है कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के बारे में विशेषकर यदि कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा हो तो उसके बारे में केबिनेट सचिव को सूचित किया जाए।

सरकार के मंत्रालय/विभाग

- सरकार के कई मंत्रालय/विभाग होते हैं। इनकी संख्या समय-समय पर इस बात पर निर्भर करती है कि काम कितना है तथा किस मामले को कितना महत्व दिया जा रहा है।

मंत्रालयों/विभागों की सूची	
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	<p>कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग</p> <p>कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग</p> <p>पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग</p>
आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	<p>रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग</p> <p>उर्वरक विभाग</p> <p>औषध विभाग</p>
नागर विमानन मंत्रालय	
कोयला मंत्रालय	
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	<p>(i) वाणिज्य विभाग</p> <p>(ii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग</p>
संचार मंत्रालय	<p>(i) दूरसंचार विभाग</p> <p>(ii) डाक विभाग</p>
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	<p>(i) उपभोक्ता मामले विभाग</p> <p>(ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग</p>

रक्षा मंत्रालय	(i) रक्षा विभाग (ii) रक्षा उत्पादन विभाग (iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग (iv) पूर्व सेनानी कल्याण विभाग अ. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ब. पैरेजल और स्वच्छता मंत्रालय
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	अ. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ब. संस्कृति मंत्रालय
विदेश मंत्रालय	
वित्त मंत्रालय	(i) आर्थिक कार्य विभाग (ii) व्यव विभाग (iii) राजस्व विभाग (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
वित्तीय सेवाएं विभाग	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	(i) भारी उद्योग विभाग (ii) लोक उद्यम विभाग
गृह मंत्रालय	(i) अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग (ii) राज्य विभाग (iii) राजभाषा विभाग (iv) गृह विभाग (v) जम्मू-कश्मीर विभाग (vi) सीमा प्रबंधन विभाग (v) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय अ. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आ. खान मंत्रालय ब. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(i) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (ii) उच्चतर शिक्षा विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
श्रम और रोजगार मंत्रालय	

विधि और न्याय मंत्रालय	(i) विधि कार्य विभाग (ii) विधायी विभाग (iii) न्याय विभाग
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
पंचायती राज मंत्रालय	
संसदीय कार्य मंत्रालय	
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (iii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
योजना मंत्रालय	
विद्युत मंत्रालय	
रेल मंत्रालय	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	(i) ग्रामीण विकास विभाग (ii) भूमि संसाधन विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (iii) बायोटेक्नोलॉजी विभाग
पोत परिवहन मंत्रालय	
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (ii) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
इस्पात मंत्रालय	
वस्त्र मंत्रालय	
पर्यटन मंत्रालय	
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
शहरी विकास मंत्रालय	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	
महिला और बाल विकास मंत्रालय	

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	(i) युवा कार्यक्रम विभाग (ii) खेल विभाग
केंद्र सरकार के स्वतंत्र विभाग	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग
प्रमुख स्वतंत्र कार्यालय	नीति आयोग
	मन्त्रिमंडल सचिवालय
	राष्ट्रपति सचिवालय
	प्रधानमंत्री कार्यालय

परियोजना निगरानी समूह

- परियोजना निगरानी समूह (PMG) विभिन्न मुद्दों जिनमें बढ़ी सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) जैसी परियोजनाओं को लगाने तथा शीघ्र चालू करने हेतु त्वरित अनुमोदन शामिल हैं, के निपटारे के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है।
- परियोजना निगरानी समूह की स्थापना 2013 में केबिनेट सचिवालय के अधीन की गई थी।
- वर्तमान में परियोजना निगरानी समूह 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य कर रहा है।
- निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों के यथासमय निपटान को सुनिश्चित करने के प्रयास के तौर पर PMG अपने वेब पोर्टल ई-निवेश मॉनीटर (enivesh.gov.in) के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विकास और संचालन की निगरानी कर रहा है।
- यह प्रणाली विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के ऑनलाइन प्रस्ताव बनाने और उनके निस्तारण में हुई प्रगति का पता लगाती है।
- यह पोर्टल सभी मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रीय सेवाओं/स्वीकृति पोर्टल्स से सूचना एकत्रित कर ऑनलाइन आवेदन जमा करने से लेकर उसकी स्वीकृति जारी होने तक के डिजिटलीकृत प्रस्तावों की जांच करता है।

लोक शिकायत

- लोक शिकायत निदेशालय (DPG) की स्थापना लोक शिकायतों का संतोषजनक समाधान समय सीमा में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नहीं हो पाने के मद्देनजर इनके निराकरण हेतु वर्ष 1988 में की गई थी।
- अतः DPG अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु अंतिम पड़ाव के रूप में कार्य करता है।

- ➲ DPG के पास शिकायतें डाक द्वारा, ई-मेल अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं। ऑफलाइन द्वारा प्राप्त सभी मामलों को सिस्टम में डालने के बाद पीजीएआरएमएस (PGARMS) एप्लीकेशन का प्रयोग कर कार्रवाई की जाती है।
- ➲ प्रत्येक शिकायत को पहले डीपीजी के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों के आधार पर छाना जाता है।
- ➲ DPG के कार्यक्षेत्र से बाहर क्षेत्रों से संबंधित मामलों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में उचित निष्पादन हेतु भेज दिया जाता है तथा इसकी सूचना शिकायकर्ता को दी जाती है।
- ➲ शेष शिकायतों में मामले की गंभीरता देखी जाती है और देखा जाता है कि क्या संबंधित मंत्रालय/विभाग को शिकायत के निराकरण हेतु अवसर दिया गया है?
- ➲ गंभीर प्रकृति की शिकायतों को, जो या तो बहुत अधिक समय से लंबित है अथवा संबंधित सेवा संगठन/मंत्रालय से जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, विस्तृत जांच के लिए हाथ में लिया जाता है।
- ➲ इन मामलों का अनुसरण उनके तर्कसंगत एवं उचित निर्णय होने तक किया जाता है। अन्य मामलों को संबंधित मंत्रालय के पास समुचित कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।
- ➲ DPG द्वारा टिप्पणी मांगे जाने पर विभाग या संगठन से अपेक्षित है कि वे मामले की जांच करके 30 दिनों के भीतर उसका जवाब भेज दें।
- ➲ मामले को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत के संतोषजनक निपटारे की सहमति प्राप्त की जा सकती है।
- ➲ अपने शुरुआती दिनों से ही डीपीजी अपने कार्यों का निरंतर कम्प्यूटरीकरण कर रहा है।
- ➲ DPG हेतु एक विशिष्ट स्वचलन कार्यक्रम, लोक शिकायतें निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (PGARMS) को 1999 में ही अपना लिया गया था।
- ➲ (PGARMS) को अब सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए अपनाये गए केंद्रीकृत लोक शिकायतें निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRMS) में समाहित कर लिया गया है।
- ➲ निराकरण प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए वर्ष 2016-17 से कुछ और उपाय भी शुरू किए गए हैं। जिसमें PGARMS का प्रभाव क्षेत्र बढ़ने के लिए इसका हिंदी संस्करण शुरू करना, शिकायकर्ता से बेहतर संवाद और संपर्क के लिए e-mail/SMS जैसी सुविधाओं का समावेश करने तथा DPG के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन देना शामिल है।

लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

- ➲ केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों के असाधारण तथा अभिनव कार्यों को पहचान एवं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार ने लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रारंभ किए हैं।
- ➲ इसके अंतर्गत लोक सेवकों के उत्कृष्ट और आदर्श कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है।
- ➲ वर्ष 2007 में प्रारंभ से अब तक 3 श्रेणियों-व्यक्तिगत, सामूहिक एवं विभागीय के अंतर्गत 67 पुरस्कार दिए गए हैं।
- ➲ वर्ष 2015-16 में प्राथमिकता कार्यक्रमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन की एक नई श्रेणी शुरू की गई।

लोक सेवा दिवस

- ➲ भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोक सेवा अधिकारी नागरिक हितों के प्रति अपनी निष्ठा एवं कार्यों में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दोहराते हैं।
- ➲ ऐसा पहला आयोजन 21 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान एवं सहयोग

- ➲ विभाग लोक प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मामलों के लिए प्रमुख (नोडल) केंद्र है।
- ➲ इसके कार्यों में भारत और अन्य देशों के बीच (द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय) समझौता/समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत परियोजनाओं/द्विपक्षीय उपायों से संबंधित हिस्से के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।
- ➲ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घटक का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार की सूचनाओं, सर्वोत्तम अनुभवों और कार्मिकों को आदान-प्रदान में सक्षम बनाना है।
- ➲ अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के तहत विभाग ने प्रशासनिक अनुभवों तथा आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, चीन के साथ द्विपक्षीय और दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील के साथ (IBSA) के तहत त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ➲ इनमें लोक प्रशासन और सेवा वितरण के क्षेत्र में कार्यक्रमों/परियोजनाओं तथा गतिविधियों का दायित्व शामिल है ताकि शासन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार हो और जवाबदेही, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता की बेहतर भावना पैदा हो सके तथा लोक सेवा वितरण,

सुशासन, लोक सेवा में सुधार, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता उन्नयन के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त हो सके।

राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र के साथ सहयोग

- ➲ राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र (CAPAM) समूचे राष्ट्रमंडल में लोकप्रबंधन, लोकतंत्र एवं सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। इसका मुख्यालय कनाडा के ओटावा में है।
- ➲ भारत सरकार का कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 1997 में (CAPAM) का संस्थागत सदस्य बना।
- ➲ इस संस्था का सदस्य बनने से भारत सरकार (CAPAM) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सोपान कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों और कार्यक्रमों की जानकारी के साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं, प्रलेखों एवं अध्ययन रिपोर्टों में सुशासन को मान्यता एवं प्रोत्साहन देता है।
- ➲ अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार के द्वारा लोक सेवा क्षेत्र में सुशासन एवं सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है।

विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ➲ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रयासों के हिस्से के रूप में अन्य देशों के साथ जानकारी हासिल करने और प्रशासनिक अनुभवों का आदान-प्रदान करने की सम्भावना विशेषरूप से ई-शासन और सेवाओं के ऑनलाइन वितरण के क्षेत्र में तलाशी गई है।
- ➲ वर्ष 2016-17 में विभाग ने ई-शासन आधारित नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' विषय पर दो लघु अवधि विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए।
- ➲ ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री विजेताओं/ई शासन पुरस्कार विजेताओं सहित केंद्र और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए क्रमशः अगस्त 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IPAC), टोरंन्टो, कनाडा तथा सितम्बर 2016 में PBLQ, दी हेग, नीदरलैंड्स में आयोजित हुए थे।

यूएनडीपी (UNDP) परियोजना

- ➲ पूरे देश में सरकारी ऑनलाइन सेवा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव करने और बेहतर सेवा वितरण के लिए सरकार द्वारा 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम पर जोर दिए जाने के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों में विभाग की भूमिका में सुधारों के लिए DARPG UNDP को सहयोग प्रदान कर रहा है।

- ➲ संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ई-शासन सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है।

- ➲ भारत की रैंकिंग 96वीं है जबकि 2016 में यह रैंकिंग 107वीं थी।

ई-गवर्नेंस (शासन) पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- ➲ DARPG इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के सहयोग से 1997 से ही प्रति वर्ष ई-गवर्नेंस (शासन) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
- ➲ यह सम्मेलन राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सचिवों, केंद्रीय सरकार के आईटी प्रबंधकों, संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों, उद्योग एवं अकादमिक संस्थानों के बुद्धिजीवियों सहित सरकार के विभिन्न अधिकारियों के लिए ई-गवर्नेंस (शासन) से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा अनुभव साझा करने का मंच उपलब्ध कराता है। अब तक 20 ई-गवर्नेंस (शासन) सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं।
- ➲ DARPG ई-गवर्नेंस (शासन) प्रयासों को लागू करने में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों में ऐसे सम्मेलनों में पुरस्कार प्रदान करता है:

महत्वपूर्ण बिन्दु

- ❑ सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता।
- ❑ नागरिक केंद्रित सेवा देने में उत्कृष्ट योगदान।
- ❑ ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग।
- ❑ वर्तमान परियोजनाओं में वृद्धिप्रक नवाचार।
- ❑ ICT के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवा देने में जिला स्तर का श्रेष्ठ प्रयास
- ❑ ई-गवर्नेंस में मोबाइल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग।
- ❑ केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ICT का अभिनव उपयोग।
- ❑ राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों/संगठनों/सोसाइटी द्वारा ICT का अभिनव उपयोग।
- ❑ अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस प्रयास।
- ❑ गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा विकास के लिए ICT का उपयोग।

ई-ऑफिस परियोजना

- ➲ भूतपूर्व राष्ट्रीय ई-ऑफिस योजना 2006 NEGP 1.0 में चिह्नित 31 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक ई-ऑफिस परियोजना है।
- ➲ इसका कार्यान्वयन DAR एंड पीजी द्वारा किया जा रहा है।
- ➲ ई-ऑफिस को वर्तमान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (NEGP 2.0) में शामिल कर लिया गया है।

आधुनिकीकरण योजना

- प्रशासनिक सुधार की समग्र प्रक्रिया के रूप में दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में शाखा तथा अनुभाग स्तर पर आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा 1987-88 से ही आधुनिकीकरण योजना को लागू किया जा रहा है।

प्रलेखन और प्रसार

- विभाग का प्रलेखन और प्रसार प्रभाग मूल रूप से राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के अनुभव, एक-दूसरे के साथ अनुभव साझा करने और उसे दोहराने के उद्देश्य से इनके प्रलेखन और प्रसार के कार्य में संलग्न हैं।
- बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता: योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन तथा प्रसार को बढ़ाने के लिए 3.0 रुपये तक की वित्तीय सहायता देना है। अभी तक 82 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
- क्षेत्रीय सम्मेलन सुशासन के तौर तरीकों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के अनुभवों को साझा करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, मीडिया तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संगठनों को साथ लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
- मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्रिसम म गवर्नेंस: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 1969 से सरकार का नियतकालिक जर्नल 'मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट' (एमआईजी) प्रकाशित करता है जिसका नाम अब मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्रिसम म गवर्नेंस' कर दिया गया है।
- जर्नल में उन सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का वर्णन होता है जिनमें प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं और नेशनल ई-गवर्नेंस पुरस्कारों तथा 2015 में आई पहली ई-बुक की शुरुआत के बारे में भी इसमें बताया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

- अवधारणात्मक रूप में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की भूमिका को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।
- अपनी वृहद केंद्रीय भूमिका में यह सरकार की नीतियां तैयार करने और ऐसे निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके द्वारा निर्धारित मानक एवं स्वीकृत मानदंडों का पालन सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अन्य संबंधित विषयों के साथ अपने यहां कार्मिक भत्ता (नियुक्ति), सेवा शर्तों के नियम पद स्थापना (तैनाती)/स्थानांतरण और

प्रतिनियुक्ति करते समय किया जाता है।

- विभाग सभी संस्थानों को कार्मिक प्रबंधन के बारे में परामर्श भी देता है। अधिक तात्कालिक स्तर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का प्रत्यक्ष दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ ही केंद्रीय सचिवालय में तीन सचिवालय सेवाओं का संवर्ग (केडर) नियंत्रिक प्राधिकारी होना भी है।
- विभाग सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम भी चलाता है जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं और समूह 'क' केंद्रीय सेवाओं से उपयुक्त अधिकारियों का चयन कर उन्हें उपसचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में आवधिक नियुक्ति (टेन्योर डेपुटेशन) के आधार पर तैनात करता है।

भर्ती एजेंसियां

- विभाग जिन दो संगठनों के माध्यम से सरकार के कर्मचारियों की भर्ती को सुनिश्चित करता है वे हैं-संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)।
- डीओपीटी द्वारा की गई पहल में शामिल हैं:
 - (क) ग्रुप बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार पर विराम
 - (ख) जनवरी 2016 से कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित) की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया।
 - (ग) OMR आधारित परीक्षा की बजाय कंप्यूटर का चलन
- पारदर्शिता बढ़ाने और भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया में कम समय व्यय करने के लिए सरकार ने एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं (सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएम आदि) को पारंपरिक ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रीडर) से कंप्यूटर आधारित मोड में बदल दिया है।
- (ग) एकल पंजीकरण और परीक्षा का टू-टीयर तंत्र
 - सरकार ने ग्रुप 'बी' के गैर-राजपत्रित स्थानों हेतु प्रत्याशी सूची तैयार करने के लिए एक समान योग्यताएं परीक्षाएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा है और एसएससी द्वारा आयोजित टीयर-1 परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित/ऑनलाइन मोड परीक्षा की पहल की है।
 - नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के जरिए प्रत्याशियों का समान पंजीकरण किया जाएगा। अंतिम चुनाव भर्ती एजेंसियों द्वारा अपने स्तर पर आयोजित विशिष्ट टीयर-2 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
- (घ) नियुक्ति के लिए स्व-प्रमाणपत्र
 - जून 2016 से भर्ती एजेंसियां प्रत्याशियों द्वारा नियुक्ति के लिए अस्थायी तौर पर मान्य स्व-प्रमाणीकृत आधारित पत्र जारी कर रही हैं।

- इसके आधार पर नियुक्ति पुख्ता करने के लिए छह माह के भीतर पुलिस जांच करानी आवश्यक होती है ताकि नागरिकों में विश्वास मजबूत हो और पुलिस जांच के कारण कार्य में न्यूनतम विलंब हो।

(ड) दिव्यांग जन की भर्तियों में तेजी

- दिव्यांग जन को बराबर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मई 2015 को विशेष भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई।

- इसके जरिए केंद्र सरकार में दिव्यांग जन के लिए 15,694 भर्ती स्थानों में से 13,492 भर्तियां की जा चुकी हैं।

(च) पूर्व-सैनिकों को आरक्षण लाभ

- इससे पहले पूर्व सैनिकों असैनिक रोजगार का एक अवसर प्रदान किया जाता था।

- नए आदेशों के अनुसार किसी भी असैनिक रोजगार से जुड़ने से पहले उहमें अपनी पसंद का ओहदा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

(छ) प्रशासन में नागरिक केंद्रीयता

- नागरिकों को आसानी से सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल को सीआईसी से पंजीकृत सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग को जोड़ा गया है। सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग इसमें पंक्तिबद्ध तरीके से जोड़ा गया है।

(ज) उच्च पद नियुक्ति व्यवस्था

- यह सुनिश्चित किया गया है कि उच्च पदों पर नियुक्तियां योग्यता और निष्ठा के आधार पर हों।

- संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर विभिन्न स्रोत से प्रतिपुष्टि को भी सम्मिलित किया गया है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड्स के चुनाव के लिए बैंकस बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है।

(झ) भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां

- भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'शून्य सहिष्णुता' की नीति का पालन करती है।

- 'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' का आधारभूत लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार और उसकी एजेंसियां जन केंद्रित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में काम करें। इन लक्ष्यों की ओर दंगात्मक कदम उठाए गए हैं।

(ज) अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति की गहन पड़ताल

- अकर्मण्य, बेअसर और संदिग्ध छवि वाले अफसरों को निकालने के लिए, नियम एफआर 56 जे के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड और अन्य संबंधित प्रावधानों की गहन पड़ताल की गई है।

- सेवा रिकार्ड की विस्तृत पड़ताल के बाद जिन अफसरों के खिलाफ लगातार शिकायत और मामले प्राप्त हुए, ऐसी संदिग्ध

छवि वाले अफसरों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त करने से जुड़े निर्णय भी लिए गए।

प्रशासनिक सुधार आयोग

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का गठन 2005 में हुआ था। इसका कार्य जन प्रशासनिक के जांच आयोग के तौर पर था।

यह सरकार को विचार हेतु 15 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:

	रिपोर्ट
1.	सूचना का अधिकार: कुशल प्रशासन की कुंजी।
2.	अनलॉकिंग ह्यूमन केपिटल, एनटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस ए केस स्टडी,
3.	क्राइसिस मैनेजमेंट: फ्रॉम डेस्पेरेशन टू होप,
4.	एथिक्स इन गवर्नेंस,
5.	पब्लिक ऑर्डर: जस्टिस फॉर ईच.....पीस फॉर ऑल
6.	लोकल गवर्नेंस
7.	केपेसिटी बिल्डिंग फॉर कन्फिलक्ट रेजोल्यूशन-फ्रिक्शन टू प्यूजन
8.	कॉम्बेटिंग टेररिज्म
9.	सोशल केपिटल ए शेयर्ड डेस्टीनी,
10.	रीफर्बिंशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन - द हार्ट ऑफ गवर्नेंस,
13.	ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
14.	स्ट्रेंथेनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम
15.	राज्य एवं जिला प्रशासन।

- केंद्र सरकार ने 15 में से 14 रिपोर्टों पर विचार किया है और दूसरी ARC की सिफारिशों पर कार्रवाइयां विभिन्न चरणों में हैं।

सूचना का अधिकार

- नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार की प्रणाली को जवाबदेह बनाने भ्रष्टाचार रोकने और वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया है।
- अधिनियम का उद्देश्य सूचना से लैस नागरिक तैयार करना है जो शासन के विभिन्न अंगों पर आवश्यक सतर्कता बनाने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम होंगे।
- अधिनियम सभी नागरिकों को किसी भी प्राधिकरण, निकाय या स्वशासित संस्था या संविधान द्वारा या संविधान के अंतर्गत गठित सरकार संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश को रोकने पर सूचना पाने का अधिकार देता है।

सूचना के अधिकार में शामिल हैं-

- कार्य निरीक्षण, प्रलेख और रिकॉर्ड
- नोट लेना
- प्रलेखों या रिकॉर्ड का सार या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, लोक प्राधिकार
- लोक प्राधिकार नियंत्रक द्वारा रोकी गई सामग्री प्रमाणित नूमने लेना।
- इसमें किसी खास समय में लागू कानून के तहत लोक प्राधिकार की पहुंच वाली निजी संस्था से संबंधित सूचना शामिल है।
- सूचना के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आप ही लोक प्राधिकार को प्रकाशित करना होता है।
- जो भी सरकार के किसी कार्यालय से कोई सूचना चाहता है उसे कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को एक अनुरोध करना पड़ता है।
- अनुरोध में केवल सूचना और जिस पते पर सूचना मांगी गई है उसे दर्शाना होता है।
- अनुरोध डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है।
- यह अनुरोध हिंदी या अंग्रेजी या फिर उस क्षेत्र की राजकीय भाषा में किया जा सकता है और ई-मेल के जरिए भी भेजा जा सकता है।
- यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो वह 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के पास, जो जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है, अपील कर सकता है।
- केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग अधिनियम द्वारा सूचित उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र संस्थाएं हैं।
- इन आयोगों को चूक करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर दंड लगाने का अधिकार है।
- कानून काफी विस्तृत है और शासन के लगभग सभी स्तरों को शामिल करता है।
- यह ना केवल केंद्र/राज्य स्थानीय सरकारों के लिए लागू है बल्कि सरकारी अनुदान पानेवालों पर भी लागू होता है।

राजभाषा

- संविधान के अनुच्छेद-343(1) के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी।
- अनुच्छेद-343 (2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से वर्ष, अर्थात् 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का भी प्रावधान किया गया था।

- अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रख सकती है।
- तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3(2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के अलावा, अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी।

राजभाषा नीति की विशेषताएं

- केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावलियाँ, सहिताएं तथा प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में तैयार कराए जाएंगे। सभी प्रपत्र पत्रिकाओं ('रजिस्टरों') के शीर्ष, नामपट, सूचना पटल तथा स्टेशनरी की वस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।
- अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी हों।

अंतर्राज्यीय परिषद

- संविधान के अनुच्छेद-263 में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रावधान है।
- केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था।
- अंतर्राज्यीय परिषद् एक अनुशंसात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के लिए अधिकार दिए गए हैं।
- जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हो।

क्षेत्रीय परिषदें

- राज्य पुर्नांगन अधिनियम, 1956 के भाग-3 के अनुसार 5 क्षेत्रीय परिषदों यथा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी।
- इनके उद्देश्य हैं—राष्ट्रीय एकीकरण; तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषाई एवं पक्षपाती प्रवृत्तियों को रोकना; केंद्र और राज्यों में सहयोग तथा विचारों के आदान-प्रदान को सक्रिय बनाना तथा विकास योजनाओं के त्वरित तथा सफल कार्यान्वयन हेतु राज्यों में परस्पर सहयोग के वातावरण का निर्माण।

क्षेत्रीय परिषदों की रचना

क्षेत्रीय परिषद् सदस्य	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़।
मध्य क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

कार्यपालिका

राज्यपाल

- ⇒ राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है।
- ⇒ राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं।
- ⇒ 35 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं।
- ⇒ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह-सहायता देती है—सिवाय उन मामलों के जहां संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य अपने विवेक से भी करना होता है।
- ⇒ नागालैंड के मामले में संविधान के अनुच्छेद-371 क के अंतर्गत राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ⇒ इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के मामले में संविधान के अनुच्छेद-371 ज के अधीन कानून-व्यवस्था तथा इससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है।

विधान परिषद् एवं विधानसभा की तुलना

विधानपरिषद्	विधानसभा
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है।	<input type="checkbox"/> विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है।	<input type="checkbox"/> विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्व वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् एक स्थाई निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।	<input type="checkbox"/> विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।	<input type="checkbox"/> विधानसभा समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होती है, परंतु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती।	<input type="checkbox"/> विधान सभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 हो सकती है।
<input type="checkbox"/> राज्य मंत्रिपरिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। विधानपरिषद् में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता।	<input type="checkbox"/> राज्य की मंत्रिपरिषद् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
<input type="checkbox"/> धन विधेयक विधानपरिषद् में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।	<input type="checkbox"/> धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।

- ➲ राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के कार्रवाई के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे।
- ➲ सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

मंत्रिपरिषद्

- ➲ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
- ➲ मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

विधानमंडल

- ➲ प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक या दो सदन होते हैं।
- ➲ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दो सदन हैं, जिन्हें विधान परिषद् और विधानसभा कहते हैं।

केंद्रशासित प्रदेश

- ➲ केंद्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझें, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं।
- ➲ अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पुदुच्चेरी के प्रशासकों को उप राज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है।
- ➲ इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है। दादरा और नगर हवेली का प्रशासक दमन और दीव का भी कार्य देखता है।
- ➲ लक्ष्मीप का अलग प्रशासक है।
- ➲ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद् हैं।

स्थानीय प्रशासन

नगरपालिकाएं

- ➲ भारत में स्थानीय निकायों का लम्बा इतिहास है। सर्वप्रथम पूर्व-प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई।
- ➲ उसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर निगम मुंबई और कोलकाता (तत्कालीन बम्बई और कलकत्ता) में स्थापित किए गए।
- ➲ भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की

रक्षा की विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन संविधान में शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट रूप से संवेधानिक दायित्व नहीं दिया गया है।

- ➲ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांवों में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है।
- ➲ लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़कर, नगरपालिकाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
- ➲ स्थानीय शहरी निकायों के लिए समान ढांचा तैयार करने और निकायों को स्वायत्तशासी सरकार की प्रभावशाली लोकतात्त्विक इकाई के रूप में मजबूत बनाने के कार्य में मदद करने के उद्देश्य से संसद ने 1992 में (नगरपालिका एक्ट) नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1922 पारित किया।
- ➲ यह अधिनियम, 1993 में अमल में लाया गया।
- ➲ भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जून, 1993 से इस अधिनियम को लागू कर दिया संविधान में नगरपालिकाओं के संबंध में एक नया खंड IX-क तथा अनुसूची 12 जोड़ी गई ताकि अन्य बातों के अलावा तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जा सके।

पंचायतें

- ➲ संविधान के अनुच्छेद-40 में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि वे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।
- ➲ उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया खंड (IX) और जोड़ी गयी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न व्यवस्था भी की गई है-
 - गांव अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा,
 - ग्राम और अन्य स्तरों या स्तर पर पंचायतों का गठन,
 - ग्राम और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए और इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों का सीधा चुनाव,
 - ऐसे स्तरों पर पंचायत सदस्यों और पंचायत-अध्यक्षों के पदों के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
 - महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 आरक्षण।
- ➲ पंचायत के लिए 5 साल के कार्यकाल का निर्धारण करना और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए निर्देशों की एक शृंखला है। राज्य की अपेक्षा की जाती है वह विधि निर्माण के समय इन सिद्धांतों का पालन करेगा।
 2. नीति निदेशक तत्वों के संबंध में भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान है।
 3. इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3
 2. किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किया गया था?
 - (a) 35वाँ संविधान संशोधन
 - (b) 42वाँ संविधान संशोधन
 - (c) 63वाँ संविधान संशोधन
 - (d) 93वाँ संविधान संशोधन
 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5-11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं।
 2. नागरिकता एक संघीय विषय है जिस पर राज्य सरकारों को कार्य करने को कोई अधिकार नहीं है।
 3. यदि कोई व्यक्ति दर्शन कला, साहित्य, विश्वशान्ति या मानवविकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो और वह संविधान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करता हो तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है।
 उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) केवल 2
 - (d) 1, 2 व 3
 4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है-
 - (a) गृह मंत्रालय
 - (b) वित्त मंत्रालय
 - (c) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
 - (d) विदेश मंत्रालय
 5. साइबर अपीलीय अधिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. इसका गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत किया गया है।
 2. प्रमाणीकरण प्राधिकरणों के नियंत्रक से अथवा अधिनियम

के न्याय क्षेत्र से संबंधित अधिकारी से असंतुष्ट कोई व्यक्ति साइबर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

- यह अधिकरण एक बहुसदस्यीय अधिकरण है।
 - यदि कोई व्यक्ति इसके निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

6. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए-

- भारतीय संविधान के भाग (5) के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है।
 - नीति निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है।
 - संविधान में इनका समावेश आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।

सही कथन का चयन कीजिए—

- (a) केवल 1 और 2
 - (b) केवल 1 और 3
 - (c) केवल 2 और 3
 - (d) तीनों सही हैं।

7. निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है—

- (a) मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों को समान अधिकार दिए गए हैं परंतु उनकी परिलिंग्धियों में अंतर होता है।

- (b) चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन प्राप्त होता है।

(c) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है जिस आधार पर एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

- (d) अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता है।

- मालक आधिकारा से सबाधत निम्नालाखत अनुच्छेद पर
विचार कीजिए—

 1. अनुच्छेद 27
 2. अनुच्छेद 28
 3. अनुच्छेद 29
 4. अनुच्छेद 30

- इनमें से कौन-सा/से अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित है-
- केवल 1, 2 और 3
 - 1, 3 और 4
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 3 और 4
- 9. वित्त आयोग के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए-**
- संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है।
 - आयोग के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले निर्वाचक मंडल की संस्तुति से की जाती है।
 - वित्त आयोग भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कर सकता है।
 - संविधान आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार के दायित्वों के संबंध में मौन है।
- सही कथन का चयन कीजिए-**
- 1, 2 व 3
 - 1, 3 व 4
 - 2, 3 व 4
 - 1, 2, 3 व 4
- 10. निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए।**
- भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण का कार्य योजना आयोग का है।
 - पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है।
 - प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के समय 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था।
 - परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- 11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
- भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 213 से 231 तक उच्च न्यायालयों के विषय में प्रावधान हैं।
 - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य

- न्यायाधीश की स्वीकृति से की जाती है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय की भाँति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा पूर्ण बहुमत से पास करना आवश्यक है।**
- सही उत्तर का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 3
 - 2 और 3
- 12. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए-**
- संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए भी किया जा सकता है।
 - उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालयों से कम विस्तृत है।
- गलत कथन का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - इनमें से कोई नहीं
- 13. संविधान का कौन-सा संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करता है?**
- 45वाँ संविधान संशोधन
 - 52वाँ संविधान संशोधन
 - 73वाँ संविधान संशोधन
 - 93वाँ संविधान संशोधन
- 14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकते हैं और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं।
 - मामले को पुनर्विचार हेतु लौटाने का उपबंध 44वाँ संविधान संशोधन द्वारा पुरास्थापित किया गया।
- इनमें से सही कथन का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

Answer Key:-

- | | | | |
|---------|---------|--------|--------|
| 1. (d) | 2. (b) | 3.(d) | 4.(c) |
| 6. (c) | 7. (a) | 8.(d) | 9.(d) |
| 11. (b) | 12. (d) | 13.(d) | 10.(c) |
| 14.(c) | | | |

अध्याय

4.

कृषि

भारत में कृषि

- भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में संलग्न है और देश के सकल मूल्य संवर्धन (वर्तमान मूल्य पर) 2016-17 में इसकी हिस्सेदारी 17.4% है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं।
- भारत को 15 कृषि जलवायुविक प्रदेशों में विभक्त किया गया है जिसका आधार प्रदेश विशेष भी भौतिक दशाओं के साथ-साथ वहाँ अपनाई जा रही कृषि विधियाँ भी हैं।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत आधार पर मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (पीएमके एसवाई) के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीके वीवाई) द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए खरीफ 2016 के साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की भी शुरुआत की गई है।
- कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीन घटकों में से एक है। अन्य दो घटक हैं— पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग।
- आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़ों के लिए वर्षों से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट्स (जीडीपी) पर निर्भर रहने के बाद अब पॉलिसी मेक्स उसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) का इस्तेमाल करने के बारे में विचार करने लगे हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है...

ग्रॉस वैल्यू एडेड

- साधारण शब्दों में कहा जाए तो जीवीए से किसी इकोनॉमी में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है।
- इससे पता चलता है कि तय पीरियड में इनपुट कॉस्ट और रो मैटीरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपये के सामान और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है।
- इससे यह भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है।

मापन

- नेशनल एकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए तो माइक्रो लेवल पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है, वह जीवीए होता है।

- अगर आप प्रॉडक्शन साइड से देखेंगे तो आप इसको नैशनल अकाउंट्स को बैलेंस करने वाला आइटम पाएंगे।

जीडीपी

- जीडीपी कन्ज्यूमर के नजरिए से आर्थिक उत्पादन के बारे में बताता है।
- इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और नेट फॉरेन ट्रेड (निर्यात और आयात का फर्क) शामिल होता है।

अंतर

- GVA से प्रॉड्यूसर यानी सप्लाई साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है जबकि जीडीपी में डिमांड या कन्ज्यूमर साइड की तस्वीर दिखाता है।

- जरूरी नहीं कि दोनों ही आंकड़े एक से हों क्योंकि इन दोनों में नेट टैक्स के ट्रीटमेंट का फर्क होता है।
- पॉलिसी मेकर्स ने क्यों जीवीए को भी वेटेज देने का फैसला किया है?
- जीवीए से मिलने वाली सेक्टर वार ग्रोथ से पॉलिसीमेकर्स को ये फैसला करने में आसानी होगी कि किस सेक्टर को इंसेंटिव वाले राहत पैकेज की जरूरत है।
- जीवीए अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने का सबसे सही तरीका है क्योंकि सिर्फ ज्यादा टैक्स कलेक्शन होने से यह मान लेना सही नहीं होगा कि उत्पादन में तेज बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि ऐसा तो बेहतर कंप्लायांस या ज्यादा कवरेज की वजह से भी हो सकता है और इससे असल उत्पादन की गलत तस्वीर मिलती है।

उत्पादन

- ⌚ 2016 में मानसून की सामान्य वर्षा और सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों से वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन संभव हो सका।
- ⌚ वर्ष 2016-17 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का उत्पादन नए रिकार्ड को छूते हुए 110.15 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- ⌚ यह पिछले रिकार्ड उत्पादन 106.65 मिलियन टन से 3.50 मिलियन टन अधिक है।
- ⌚ गेहूं उत्पादन 2015-16 के 92.29 मिलियन टन उत्पादन से 6.10 मिलियन टन अधिक हुआ है।
- ⌚ मोटे अनाजों का उत्पादन भी नए रिकार्ड स्तर 44.19 मिलियन टन पर पहुंचने का अनुमान है।
- ⌚ यह 2010-11 के सर्वाधिक उत्पादन 43.40 मिलियन टन से 0.79 मिलियन टन अधिक है।
- ⌚ यह 2015-16 के 38.25 मिलियन टन उत्पादन से 5.67 मिलियन टन अधिक है।

किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति

- ⌚ भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी।
- ⌚ इस नीति के कई प्रावधानों को विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए लागू किया जा रहा है।
- ⌚ जिनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य कार्यक्रम

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- ⌚ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का अनुमोदन 50,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अवधि हेतु किया गया है।

पीएमकेएसवाई के मुख्य उद्देश्य हैं

- जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना,
- सिंचाई सुविधा वाले कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार,
- पानी का अपव्यय कम करने हेतु और खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग,
- सटीक सिंचाई और पानी बचाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि, भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत जल संरक्षण विधियों को लागू करना आदि।

- ⌚ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में पीएमकेएसवाई को एक मिशन के रूप में लागू करने का फैसला किया था।

कृषि क्रेडिट

- ⌚ विभाग, आर्थिक सहायता के बायदे वाली योजना के तहत ब्याज पर ऋण देता है।
- ⌚ इसके तहत किसानों को 7% सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज एक साल के लिए देता है। यदि इस ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाता है तो ब्याज की दर 4% सालाना कर दी जाती है।

फसल बीमा

- ⌚ प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशकों, बीमारियों और मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया है।
- ⌚ इसके अंतर्गत रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और नारियल, खजूर बीमा योजना आती हैं।
- ⌚ इनके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम लागू होने के बाद वर्ष 2013-14 की रबी फसल से बंद कर दी गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2015-16 तक कर दी गई है।
- ⌚ एक नई योजना- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में खरीफ फसल से लागू की गई है। इसके साथ-साथ पुनर्गठित प्रयोगिक एकीकृत पैकेज बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी लागू की गई हैं।

- ➲ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक समन्वित एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर परामर्श देना है।
- ➲ इनमें 07 खाद्यान्न (धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ), 05 दलहनी उपजें (चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर), 07 तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तोरिया सरसों, कुसुम, निगेरसीड और तिल), कोपरा (सूखा नारियल), कपास, कच्ची पटसन और गन्ना शामिल हैं।

एमएसपी के निर्धारक

- अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों में उत्पादन लागत (सीओपी) एमएसपी के निर्धारण के लिए बहद महत्वपूर्ण कारक है।
- मूल्य के अतिरिक्त, आयोग मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की प्रवृत्ति, अंतरफसल मूल्यों में समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और उस वस्तु के एमएसपी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव और भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित इस्तेमाल का भी ध्यान रखता है।
- अतः मूल्य नीति लागत जोड़ पर है, हालांकि लागत एमएसपी का महत्वपूर्ण निर्धारक होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

- ➲ भारत में कृषि क्षेत्र में नए रिकार्ड बन रहे हैं। वर्ष 2016-17 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 275.68 मिलियन होने का अनुमान है जो एक रिकार्ड है।
- ➲ यह 2013-2014 के पिछले रिकार्ड उत्पादन से 4% अधिक है। इस उपलब्धि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने देश में प्रौद्योगिकी के विकास, प्रदर्शन और हस्तांतरण के जरिए इसमें योगदान किया है।
- ➲ खेतों में कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए, कई कार्य किए गए हैं।
- ➲ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, सुधार, प्रदर्शन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कई अन्य पहलों की गई हैं।

मिट्टी और जल उत्पादकता

- ➲ देश के प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों, उप-प्राकृतिक भौगोलिक संबंधी क्षेत्रों, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (1992), कृषि

पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (2015) और उप-कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एलयूपी) ने एनबीएसएस भूमि जीओ पोर्टल विकसित किया है।

- ➲ इससे मिट्टी, जमीन के प्राकृतिक रूपों, वर्षा, तापमान, फसल विद्धि अवधि और सिंचाई की स्थिति पर आधारित क्षेत्र/क्षेत्र विशेष की दृष्टि से अनुकल, लाभकारी फसलों और फसल क्रम की जानकारी मिलती है।
- ➲ राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने जीआईएस प्लेटफॉर्म पर एन्ड्रॉएड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है ताकि भूमि उपयोग नियोजन और प्रबंधन के लिए गांव और खेत स्तर पर, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए वेब आधारित सहायता प्रणाली स्थापित करने में मदद मिल सके।

फसल सुधार

- ➲ मुख्य रूप से नई किस्मों/अधिक उत्पादकता वाली विभिन्न जैविक तथा अजैविक महत्व की संकर सहनशील किस्मों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।
- ➲ विकसित की गई 209 किस्मों में से 117 अधिक उत्पादन देने वाली अनाज की संकर किस्में थीं।
- ➲ अनाज की इन फसलों में 65 चावल की, 14 गेहूं की, 24 मक्का की, 5 रागी की, 3 बाजरा की और एक एक ज्वार, जौ, कंगनी, कोदो बाजरा, छोटा बाजरा तथा प्रोसो बाजरा की थी।

फसल प्रबंधन

- ➲ मक्का-गेहूं और चावल गेहूं प्रणाली में दीर्घावधि खेती के प्रयोगों से संकेत मिले हैं कि चावल और मक्का की खेती, गेहूं के खेत में करने से बोई फसल प्रभावित नहीं होती।
- ➲ गर्मियों में छिड़काव सिंचाई से संबंधित आधुनिक तकनीकों के जरिए जल के उपयोग से हरे चर्ने की उत्पादकता बढ़ने से 205-7 की तुलना में सम्प्राट किस्म में अधिक स्थिरता का संकेत मिला है।
- ➲ छिड़काव सिंचाई से पानी कम (26.3 प्रतिशत) इस्तेमाल हुआ, जल उत्पादकता अधिक (43.2%) रही और बाढ़ सिंचाई के मुकाबले प्रतिफल (28.4%) बेहतर रहा।

पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन

- ➲ सभ्यता की शुरुआत से ही, कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं।

- ➲ इन कार्यों ने न केवल भोजन की जरूरतों को पूरा किया है और पशुधन का विकास किया है। जलवायु और स्थलाकृति अनुकूल होने के कारण पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन ने भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ➲ भारत के पास पशुधन और मुर्गीपालन की विशाल संपदा है जिसकी ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका रहती है।
- ➲ 19वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में करीब 300 मिलियन गाय, 65.07 मिलियन भेड़, 135.2 मिलियन बकरियां और लगभग 10.3 मिलियन शूकर हैं।

पशुधन उत्पाद

- पशुधन उत्पाद और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हैं, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों बेहद जरूरी हैं।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुमान के अनुसार, 2015-16 के दौरान पशुधन क्षेत्र की मौजूदा उत्पाद दर 5,91,691 करोड़ रुपये रही जोकि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पाद की 28.5% है।
- सतत मूल्य के अनुसार पशुधन उत्पाद की कीमत कृषि और संबंधित क्षेत्रों का लगभग 29% होती है।
- भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है।

दुग्ध उत्पादन

- 2015-16 और 2016-17 में दुध का उत्पादन क्रमशः 15.55 करोड़ टन और 16.54 करोड़ टन हुआ।
- इस दौरान दूध के उत्पादन में सालाना 6.37% की वृद्धि हुई।
- 2016-17 में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 355 ग्राम प्रतिदिन थी।

मांस उत्पादन

- बारहवीं योजना (2012-13) के दौरान मांस उत्पादन 5.95 मिलियन टन था जोकि 2016-17 के दौरान बढ़कर 7.4 मिलियन टन तक जा पहुंचा था।

मत्स्य पालन उत्पाद


- 2016-17 वित्त वर्ष के दौरान, भारत ने 37,870.90 करोड़ रुपये मूल्य के मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.92% और कृषि जीडीपी (2015-16) का 5.23% था।
- 2017-18 की पहली छमाही में लगभग 5.80 मिलियन टन (तात्कालिक) मछली उत्पादन होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

- ➲ डेयरी और पॉल्ट्री क्षेत्रों में सफलता की तर्ज पर, पशुधन के क्षेत्र में सतत और दीर्घकालिक विकास के लिए, 2014-15 में बारहवीं योजना के अंतर्गत, 2,800 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी।
- ➲ इस मिशन की स्थापना पशुधन क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य हेतु की गई थी, जिसके अंतर्गत पशुओं के लिए उत्तम चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के प्रवाह में सुधार और पशुपालकों आदि को संगठित करना है।

पशुधन स्वास्थ्य

- ➲ संकरण कार्यक्रमों की मदद से मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ, मवेशियों में विभिन्न रोगों का खतरा बढ़ गया है।



- ➲ इनमें से कुछ रोग विदेशी पशुओं से भी फैलते हैं।
- ➲ रुग्णता और मृत्युदर को कम करने की दिशा में, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें पॉलीक्लीनिकों, पशु अस्पतालों, चिकित्सालयों और प्राथमिक उपचार केंद्रों के अलावा घुमंतु पशु चिकित्सालयों की मदद से बेहतर उपचार उपलब्ध करा रही हैं।
- ➲ राज्यों में मौजूदा जांच प्रयोगशालाओं के अलावा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग जांच प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है जो पूरी तरह काम कर रही है।
- ➲ रोगनिरोधी टीकाकरण की मदद से मवेशियों और पॉल्ट्री के रोगों को रोकने के लिए आवश्यक टीके देशभर में 27 पशु चिकित्सालय टीका उत्पादन इकाइयों में बनाए जा रहे हैं।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सा/से कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति के घटकों में सम्मिलित है/हैं-
1. उच्च गुणवत्ता के बीज व रोगमुक्त पौधेरोपण सामग्री की आपूर्ति
 2. कृषि बाजार ढाँचे का विकास
 3. संस्थानिक ऋण तक पर्याप्त एवं आसान पहुँच
 4. महिलाओं के लिए शिशु गृह
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) 1, 2 व 3
 - (d) 1, 2, 3 व 4
2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. आयोग अंतर्राष्ट्रीय कीमत अंतर-फसल कीमत तुल्यता, कृषि एवं गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।
 2. आयोग वर्तमान में 25 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 2 दोनों
 - (d) न तो 1 न ही 2
3. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है/हैं-
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| पुरस्कार | प्रदान करने वाली संस्था |
| 1. बोरलॉग पुरस्कार – | कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि. |
| 2. गोपाल रत्न – | भारत सरकार |
| 3. बोयरमा पुरस्कार –
कूट- | विश्व खाद्य संगठन |
- (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) 1 व 3
 - (d) 1, 2 व 3
4. गोकुल मिशन है-
- (a) भारत में पाए जाने वाले सभी दुधारू पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्धता के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
 - (b) देशी नस्ल के गोवंशीय पशुओं का विकास व सुधार
 - (c) A और B दोनों
 - (d) न तो A न ही B
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
 2. भारत पशुधन के क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 2 दोनों
 - (d) न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

1. (d)

2. (a)

3.(d)

4.(b)

5.(d)

अध्याय

5.

संस्कृति और पर्यटन

- संस्कृति मंत्रालय को देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और परिरक्षण तथा मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व मिला है।
- मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, दो अधीनस्थ कार्यालय और 35 स्वायत्त संगठन हैं जो पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।
- देश के विभिन्न अंचलों की लोक और पारंपरिक कलाओं से संबंधित कार्यों के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्रालय के 4 मिशन भी हैं जिनके नाम हैं:-
 - राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन।
 - राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन।
 - राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन
 - गांधी धरोहर स्थल मिशन।
- मूर्त धरोहर के अंतर्गत मंत्रालय केंद्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की देखरेख भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के माध्यम से करता है।
- मूर्त कलाओं के क्षेत्र में मंत्रालय दृश्य कलाओं, निष्पादन कलाओं और साहित्यिक कलाओं में संलग्न व्यक्तियों, समूहों और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- संस्कृति मंत्रालय बौद्ध और तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य में लगा है और इसके लिए सारनाथ, वाराणसी और लेह आदि स्थानों में स्थित विभिन्न संस्थाओं की मदद ली जाती है।
- भारतीय और एशियाई कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए मंत्रालय का सुनियोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।

ललित कला अकादमी

- ⌚ ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई। यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्थान है।
- ⌚ अकादमी के मिशन का मुख्य विषय है आधुनिक और समसाधिक भारतीय कला की समझ को बढ़ाना जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद उठा सकें।
- ⌚ इसके लिए अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले-इंडिया (त्रैवार्षिकी भारत) जैसे आयोजन करती है।
- ⌚ अकादमी अपने कार्यक्रमों और नीतिगत साझेदारियों के माध्यम से भारतीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित करती है।
- ⌚ कला के विकास के प्रति अकादमी की वचनबद्धता नई दिल्ली

स्थित इसके मुख्यालय और भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, गढ़ी (नई दिल्ली) स्थित केंद्रों तथा शिमला और पटना स्थित उप-केंद्रों में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शानदार कार्यक्रमों से प्रदर्शित होती है।

संगीत नाटक अकादमी

- ⌚ संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है जिसकी आधुनिक भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका रही है।
- ⌚ 1945 में एशियाटिक ऑफ बंगाल ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक न्यास बनाकर उसके तहत तीन अकादमियों—नृत्य, नाटक और संगीत की अकादमी, साहित्य अकादमी और कला एवं स्थापत्य की अकादमी के गठन की

बात कही गई थी।

- ⦿ 1961 में सरकार ने संगीत-नाटक अकादमी का एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठन किया और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1957 में यथा संशोधित) के अंतर्गत इसका पंजीकरण कराया।
- ⦿ अकादमी ने भारत में संगीत, नृत्य और नाट्य साधना करने वालों की मदद के लिए एकीकृत ढांचे का निर्माण कार्य किया जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण समेत देश के सभी भागों की पारंपरिक और आधुनिक कलाएं शामिल हों।
- ⦿ अकादमी के पास श्रव्य और दृश्य टेप, 16 मिमी फिल्मों, फोटोग्राफ और ट्रांसपरेंसीज का विशाल अभिलेखागार है और यह निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिए देश में सूचनाओं और सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत है।
- ⦿ मंत्रालय का अपना संदर्भ पुस्तकालय है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें हैं।
- ⦿ अकादमी की प्रकाशन इकाई प्रासारिक विषयों में छोटे ऐमाने पर साहित्य का प्रकाशन करती है।
- ⦿ अकादमी निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं और परियोजनाएं स्थापित करती है और उनकी देखरेख करती है।
- ⦿ इंफाल स्थित जबाहर लाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। यह मणिपुरी नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण देने वाली प्रमुख संस्था है।
- ⦿ 1959 में अकादमी ने दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और एशियाई रंगमंच संस्थान की स्थापना की। 1964 में दिल्ली में ही कथक केंद्र स्थापित किया गया।
- ⦿ अकादमी की राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं में केरल का कुटियटटम रंगमंच भी शामिल है जिसकी स्थापना 1991 में की गई।
- ⦿ 2001 में यूनेस्को ने कुटियटटम को मानवता की अमूर्त और मौखिक धरोहर की उत्कृष्टितम कृतियों में से एक बताया था।
- ⦿ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के छऊ नृत्य की परियोजना 1994 में प्रारंभ हुई।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

- ⦿ संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दुनिया का अग्रणी रंगमंच संस्थान है और भारत में अपनी तरह का पहला है।
- ⦿ 1975 में इसे एक स्वायत्त संस्थान बना दिया गया जिसका वित्त पोषण पूरी तरह संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है।
- ⦿ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को रंगमंच के इतिहास, नाटकों के निर्माण, दृश्य आकल्पन, परिधान आकल्पन,

प्रकाश, रूप सज्जा जैसे रंगमंच के विभिन्न पक्षों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना है।

- ⦿ विद्यालय का पाठ्यक्रम तीन साल का है और इसके लिए दो चरण वाली चयन प्रक्रिया के जरिये विद्यार्थियों का चुनाव किया जाता है।

साहित्य अकादमी

- ⦿ साहित्य अकादमी भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय अकादमी है।
- ⦿ यह इन मान्यता प्राप्त भाषाओं में कार्यक्रमों का आयोजन करती है, इन भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान करती है और इनमें पूरे साल पुस्तकों का प्रकाशन करती है।
- ⦿ पिछले छह दशकों से भी अधिक अवधि में अकादमी ने 24 भाषाओं में 7,000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है।
- ⦿ अकादमी कथा साहित्य, कविता, ड्रामा और आलोचना की मौलिक पुस्तकों के साथ-साथ उनके अनुवाद भी प्रकाशित करती है और क्लासिकल, मध्यकालीन, प्राक्-आधुनिक और समसामयिक साहित्य इसके दायरे में आता है।
- ⦿ साहित्य अकादमी के पुरस्कार भारत में अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माने जाते हैं जो अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक उत्कृष्टता वाली सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों को प्रदान किए जाते हैं।
- ⦿ अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए दिए जाने वाले अनुवाद पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपये की राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। अकादमी के दो अन्य पुरस्कार हैं— बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

- ⦿ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक अनुसंधान केंद्र है जिसके दायरे में क्लासिकल से लेकर लोक, लिखित से लेकर मौखिक और प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सभी प्रकार की कलाओं का अध्ययन और अनुभव शामिल है।
- ⦿ नई दिल्ली के बीचों-बीच स्थित यह कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त न्यास है।
- ⦿ यहां भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के स्थापत्य, नृत्यशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषा और साहित्य, कला व शिल्प समेत विभिन्न विषयों के संसाधनों का समृद्ध संकलन उपलब्ध है।
- ⦿ इसके बहुभाषिक पुस्तकालय 'कलानिधि' में करीब 2,00,000 पुस्तकें, 175 पत्रिकाएं और दुर्लभ पुस्तकों का विस्तृत संकलन

उपलब्ध हैं। इसका संदर्भ पुस्तकालय सबके लिए खुला रहता है।

- ➲ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पास भारतीय कलाओं की करीब 1,00,000 स्लाइड्स हैं जो चित्रकला, मूर्तिशिल्प, वास्तुशास्त्र सचित्र पांडुलिपियां और निष्पादन कलाओं से संबंधित हैं।

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र

- ➲ सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की दिशा में काम करने वाले अग्रणी संगठनों में से एक है।
- ➲ इसकी स्थापना 1979 में स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई। नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय के अलावा उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं।
- ➲ सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य उद्देश्य हैं: विद्यार्थियों में भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों की विविधता के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करता और इस जानकारी को शिक्षा के साथ जोड़ना।
- ➲ इसका मुख्य जोर इस बात पर रहता है कि किस तरह शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाए और किस तरह से विद्यार्थियों को विकास कार्यक्रमों में संस्कृति के महत्व के बारे में जागरूक बनाया जाए।
- ➲ सीसीआरटी नाटक, संगीत और वाचिक कला विधाओं आदि के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करता है। अध्यापकों को ऐसे कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया जाता है जिनसे शैक्षिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने में कला विधाओं का लाभ उठाया जा सके।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र

- ➲ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि किस तरह ये मिलकर एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान बनती हैं और अंततः भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विविधता के रूप में परिलक्षित होते हैं।
- ➲ ये केंद्र साहित्य और चाश्रुष कलाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करके निष्पादन कलाओं को बढ़ावा देते हैं। पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर में सात क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना 1985-86 में की गई थी।
- ➲ किसी राज्य की अपने सांस्कृतिक संपर्कों के आधार पर एक भी अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में भागीदारी इन क्षेत्रीय केंद्रों के गठन की विशेषता है।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत

- ➲ बौद्ध तिब्बती संस्थाओं का उद्देश्य देश की अमूर्त बौद्ध/तिब्बती/

हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार और संरक्षण में मदद करना है।

इस पहल के व्यापक लक्ष्य हैं

- राष्ट्र की विविधता में एकता का महिमामंडन और देश के लोगों के बीच परंपरा से विद्यमान भावनात्मक संबंधों के ताने-बाने को बनाए रखना और सुदृढ़ करना।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सालभर तक चलने वाले सुनियोजित गहन और स्तरीकृत संपर्क के जरिये राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
- किसी भी राज्य की समृद्ध धरोहर और संस्कृति तथा रीति-रिवाज और परंपराओं को प्रदर्शित करना ताकि लोग भारत की विविधता को समझ और परख सकें और उनके बीच एक जैसी पहचान को बढ़ावा मिले।
- दीर्घावधि संपर्कों की स्थापना
- ऐसे बातावरण का निर्माण करना जिसमें एक दूसरे के बेहतरीन तौर तरीकों और अनुभवों से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलें।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत

- ➲ इस योजना का उद्देश्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन और संरक्षण करना है।
- ➲ इसे 2011 में संशोधित किया गया था जिसके अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां करने वालों को अनुदान सहायता दी जाती हैं:
 1. सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन और अनुसंधान;
 2. पुरानी पांडुलिपियों, साहित्य, कला व शिल्प का परिरक्षण और संगीत, नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियों का प्रलेखन;
 3. कला और संस्कृति के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार-प्रसार; और
 4. हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में परंपरागत और लोक कलाओं में प्रशिक्षण।

बौद्ध/तिब्बती संगठनों का विकास

- केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान
- नव नालंदा महाविहार
- केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय
- केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

- ⦿ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं

- पुरातत्व अवशेषों का सर्वेक्षण और उत्खनन;
- केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रखरखाव और संरक्षण।
- स्मारकों और पुरातात्त्विक अवशेषों का रासायनिक अनुरक्षण;
- स्मारकों का वास्तुशास्त्रीय सर्वेक्षण;
- परालिपि अनुसंधान तथा मुद्रा अध्ययन जैसी विद्याओं का विकास;
- किसी स्मारक या पुरातात्त्विक स्थल पर संग्रहालय की स्थापना तथा पुनर्गठन;
- विदेशों में अभियान;
- पुरातत्व शास्त्र में प्रशिक्षण;
- तकनीकी रिपोर्टें व अनुसंधान ग्रंथों का प्रकाशन।

- ⦿ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पांच क्षेत्रीय निदेशालय, 29 सर्किल और तीन मिनी सर्किल हैं जिनके माध्यम से यह अपने अधीन स्मारकों का संरक्षण और अनुरक्षण करता है।
- ⦿ प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देशभर में 3,686 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है।
- ⦿ इनमें से 21 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। पांच स्थल-गुजरात में चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्त्विक पार्क, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन (जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था) वृहदीश्वर मंदिर परिसर, गंगाइकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर संकुल और वृहदीश्वर मंदिर संकुल के विस्तार के रूप में दरासुरम।
- ⦿ तंजावुर को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह शहर अब आमतौर पर जागृत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है।
- ⦿ मुंबई की विक्टोरिया युग की कलाकृतियों (विक्टोरियन एंड आर्ट डिको इनसेम्बल) के संग्रहालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन संबंधी कागजात विश्व विरासत केंद्र को भेज दिए गए हैं।
- ⦿ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस समय 5,000 से अधिक संरचनाओं का रखरखाव कर रहा है।
- ⦿ भारतीय पुरातत्व, सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय देहरादून

में है और देश के विभिन्न भागों में इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो स्मारकों, पुरावस्तुओं, पांडुलिपियों, चित्रकला आदि का रासायनिक संरक्षण करती हैं।

- ⦿ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उद्यान शाखा देश के विभिन्न भागों में केंद्र द्वारा संरक्षित करीब 287 स्मारकों/स्थलों में उद्यानों का रखरखाव करती है।
- ⦿ दिल्ली, आगरा, श्रीगंगपट्टनम और भुवनेश्वर की प्रमुख पौधशालाओं से विभिन्न उद्यानों के लिए पौधे भेजे जाते हैं।
- ⦿ मैसूर स्थित पुरालेख शाखा संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में अनुसंधान करती है जबकि नागपुर शाखा अरबी और फारसी भाषाओं में यही कार्य करती है।
- ⦿ विदेशों में स्मारकों के संरक्षण के कार्य के बारे में विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कंबोडिया में तो प्रोहा मंदिर, लाओ गणराज्य में वात फोउ मंदिर, म्यांमार में आनंद मंदिर और वियतनाम में माइ सन स्मारकों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया है।

देहरादून में विज्ञान शाखा की प्रयोगशाला ने निम्नलिखित वैज्ञानिक परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया हैं

- परिरक्षक परत के रूप में नयी सामग्री का मूल्यांकन और उससे पत्थर, टैरकोटा, ईंट आदि के हाँचों को मजबूत बनाना;
- चूने की पुरानी पलस्तर की गई परत के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन;
- पलस्तर वाले सीमेंट में जल्द जमने वाले सीमेंट को अलग-अलग अनुपात में मिलाकर उसके भौतिक गुणों का आकलन।

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन

- ⦿ राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन की शुरुआत 2007 में हुई।
- ⦿ इसका उद्देश्य 11वीं योजना के दौरान निर्मित धरोहर और स्थलों तथा पुरावशेषों के बारे में विभिन्न स्रोतों एवं संग्रहालयों से राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है ताकि योजनाकार और अनुसंधानकर्ता आदि इसका उपयोग सांस्कृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में कर सकें।
- ⦿ इसमें शामिल कार्य के परिमाण को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार मिशन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक प्रभाग बना दिया गया है।

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन की सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुसार दो रजिस्टर यानी पंजियाँ तैयार की जानी हैं

- निर्मित धरोहरों और स्थलों का राष्ट्रीय रजिस्टर; और
- पुरावशेषों का रजिस्टर। विभिन्न द्वैतीय स्रोतों से 2 लाख निर्मित धरोहरों और स्थलों के डेटा का प्रलेखन किया गया है।
- राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन के पास अब तक विभिन्न स्रोतों से करीब 15 लाख पुरावस्तुओं के डेटा का प्रलेखन किया है।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना 2003 में की गई थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को इसकी देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी बनाया गया था।
- इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में विद्यमान देश की ज्ञान की विरासत को सहेज कर रखना था।
- भारत की मूर्ति विरासत के स्थान निर्धारण, प्रलेखन, परिरक्षण और प्रलेखन के लिए देशभर में पांडुलिपि संसाधन केंद्र, पांडुलिपि संरक्षण केंद्र और पांडुलिपि संरक्षण साझेदार केंद्र बनाए गए हैं।

मिशन की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं

- सर्वेक्षण के माध्यम से पांडुलिपियों का प्रलेखन करना,
- निवारक और उपचारात्मक विधियों से पांडुलिपियों का संरक्षण,
- संरक्षण के तौर-तरीकों के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं का संचालन करना,
- प्राचीन लिपियों के बारे में शिक्षण के लिए हस्तलिपि विज्ञान और पुरालेखशास्त्र की कार्यशालाएं आयोजित करना,
- पांडुलिपियों का डिजिटीकरण ताकि उन्हें अभिलेखागार में इस तरह से रखा जा सके जिससे ज्ञान के इस स्रोत तक आसानी से पहुंचा जा सके,
- प्रकाशनों के जरिये पांडुलिपियों में निहित ज्ञान का प्रसार
- पांडुलिपियों के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विस्तारण कार्यक्रम।

राष्ट्रीय संग्रहालय

- राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में की गई थी और यह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय की तरह कार्य करता है।

- यह 2.6 लाख से अधिक कला वस्तुओं का खजाना है जिनमें प्रागैतिहासिक काल की सामग्री से लेकर आधुनिक कला वस्तुएं भी शामिल हैं।
- संग्रहालय की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं: कला वस्तुओं का प्रदर्शन, दीर्घाओं का आधुनिकीकरण/पुनर्संयोजन, शैक्षिक गतिविधियां और विस्तार कार्यक्रम, जनसंपर्क, प्रकाशन, फोटो प्रलेखन, ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम, स्मारक व्याख्यान, फोटो यूनिट, मॉडलिंग यूनिट, पुस्तकालय, संरक्षण प्रयोगशाला और कार्यशालाएं।

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय

- राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) की स्थापना 1954 में समसामयिक भारतीय कला के विकास और संवर्धन के लिए की गई थी।
- इसमें करीब 1,748 समकालीन भारतीय कलाकारों की प्रतिनिधि कृतियां रखी हुई हैं।
- संग्रहालय के अनमोल खजाने में चित्रकलाकृतियां, मूर्तिशिल्प, ग्रैफिक कला कृतियां और फोटोग्राफ शामिल हैं।

भारतीय संग्रहालय

- कोलकाता का भारतीय संग्रहालय (इंडियन म्यूजियम) दुनिया के आठ सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। करीब 1.10 लाख कलाकृतियों का यह खजाना प्राच्य इतिहास और भारत की धरोहर की कहानी कहता है।
- भारतीय संग्रहालय की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भारत की विरासत और संस्कृति के विकास के शानदार घटनाक्रम की गाथा कहता है।
- भारत विद्या के महान विद्वान विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और अपना सारा जीवन भारत के विकास में लगा दिया।
- डेनमार्क के बनस्पतिशास्त्री डॉ. नैथेनियल वालिच ने एशियाटिक सोसाइटी को एक पत्र लिखकर सोसाइटी परिसर में एक संग्रहालय स्थापित करने की जोरदार वकालत की।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद

- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह दुनिया में अपनी तरह का अकेला संगठन है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों का सबसे बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा है।
- यह 'जनता के सशक्तीकरण के लिए विज्ञानसंचार' के लक्ष्य के साथ देशभर में फैले अपने विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम

- से समाज में, खास तौर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देने में लगा है।
- देश में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर विज्ञान केंद्र विकसित करने संबंधी विज्ञान नगरी योजना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कार्यान्वयन एजेंसी है।
 - परिषद का 25 विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रों का नेटवर्क है और इसने 24 विज्ञान केंद्र विभिन्न राज्य सरकारों को बनाकर दिए हैं।
 - राष्ट्रीय विज्ञान संचार परिषद दो तरह की गतिविधियों का संचालन करती है: विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों, गैलरी, प्रदर्शनी, वस्तुओं और नवसृजन केंद्रों का विकास; और करके सूखने पर आधारित विज्ञान कार्यक्रमों तथा विद्यालय गतिविधियों का आयोजन।

विक्टोरिया मेमोरियल

- कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना मुख्य रूप से वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1921 में भारत-ब्रिटेन इतिहास को रेखांकित करने वाले कालखण्ड संग्रहालय के रूप में की थी।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया।
- यह 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के भारत-ब्रिटेन इतिहास का अग्रणी कालखण्ड संग्रहालय है।
- यह कोलकाता की प्रमुख कला दीर्घा, संग्रहालय, अनुसंधान पुस्तकालय और सांस्कृतिक स्थल भी है।
- यह भारत में भारत ब्रिटिश वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना है जो 'राज के ताज' के नाम से भी मशहूर है।
- दुनिया के सबसे बड़े और यात्रा और पर्यटन संबंधी वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने 2017 में इसे भारत के नंबर 1 और एशिया के नंबर 9 संग्रहालय के रूप में चिह्नित किया।
- भारत के शीर्षस्थ पर्यटन स्थल के रूप में इसके तेजी से बढ़ते कद का पता इसे लोनली प्लॉनेट का 'टॉप च्वाइस' और 'फोर्डस च्वाइस' का दर्जा मिलने से भी चलता है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला

- राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला की स्थापना 1976 में संस्कृति विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के तौर पर की गई थी।
- इसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था के रूप में मान्यता मिली हुई है।
- यह संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुरातत्व विभागों और अन्य संबद्ध सांस्कृतिक संस्थाओं को संरक्षण संबंधी मामलों में संरक्षण सेवाएं और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है।

- यह संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है, संरक्षण की विधियों और तौर-तरीकों के बारे में अनुसंधान करता है, संरक्षण के बारे में ज्ञान का प्रसार करता है और देश में संरक्षण के कार्य में लगे कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध कराता है।
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला का मुख्यालय लखनऊ में है।

कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान

- यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई और इसे विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान का दर्जा दिया गया।
- यह संग्रहालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र संग्रहालय विश्वविद्यालय है। फिलहाल यह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की पहली मैजिल में चल रहा है।

इसके मुख्य उद्देश्यों में

- कला, इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान के विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में स्नातकोत्तर (एम. ए.) और पी. एच. डी. स्तर की शिक्षा प्रदान;
- भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए कला की परख के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित करना;
- संग्रहालय शिक्षा, कला और संस्कृति पर संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, सम्मेलन और विशेष व्याख्यान आयोजित करना है।

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

- भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण दुनिया में अपनी तरह का अनोखा संगठन है। 1945 में अपनी स्थापना के बाद से यह संगठन भारतीय जनसंख्या की जैव-सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन का अपना दायित्व पूरा कर रहा है।
- बीते दशकों में भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण मजबूत होता चला गया है और इसने देश के मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए एक बेजोड़ परिप्रेक्ष्य विकसित कर लिया है।
- इसकी गतिविधियों में शामिल हैं: मानव वैज्ञानिक सामग्री के संकलन, संरक्षण, रखरखाव और प्रलेखन के साथ-साथ प्राचीन मानव कंकालों के अवशेषों का अध्ययन करना।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के प्रचलन से बाहर के रिकार्ड का संरक्षक है और रिकार्ड तैयार करने वालों तथा आम उपभोक्ताओं के लिए ऐसी सामग्री को न्यासी की तरह

सहेज कर रखता है।

- ⦿ भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दक्षिण-पूर्व एशिया में गैर-प्रचलित रिकार्ड का सबसे बड़ा भंडार भी हैं।
- ⦿ किसी राष्ट्र की अमूल्य दस्तावेजी धरोहर है और देश के अग्रणी अभिलेखीय संस्था के नाते भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अभिलेखागारों के विकास और उन्हें नयी दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ⦿ देश के सार्वजनिक रिकार्ड के लिए केंद्र सरकार के एकमात्र भंडार के नाते इसकी स्थिति बड़ी अनोखी है।
- ⦿ भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है राष्ट्र की दस्तावेजी धरोहर के परिक्षण का दायित्व सौंपा गया है।
- ⦿ यह 1993 के पब्लिक रिकार्ड्स एक्ट और 1997 के पब्लिक रिकार्ड्स रूल्स पर अमल के लिए भी यह नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है और सार्वजनिक रिकार्ड्स के प्रबंधन, प्रशासन और परिक्षण के लिए भी जिम्मेदार है।

पुस्तकालय

राष्ट्रीय पुस्तकालय

- ⦿ राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी।
- ⦿ स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल कर नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया।

राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित कार्य करती है

- सभी प्रकार की महत्वपूर्ण मुद्रित सामग्री (रोजमर्ग की गैर जरूरी सामग्री को छोड़कर) और राष्ट्रीय महत्व की पांडुलिपियों का अधिग्रहण और संरक्षण।
- देश के बारे में तमाम मुद्रित सामग्री का संग्रह करना भले ही इस तरह की सामग्री कहीं भी छपी हो;
- सामान्य और विशिष्ट (दोनों प्रकार की वर्तमान और पुरानी सामग्री के बारे में ग्रंथ सूचीकरण और प्रलेखन सुविधा।
- परामर्श केंद्र के नाते ग्रंथसूची संबंधी तमाम सूचनाओं के तमाम ग्रोतों के बारे में पूर्ण और सही-सही जानकारी हासिल करना ग्रंथसूची संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेना; और
- अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक विनियम केंद्र और देश के भीतर ऋण पर पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले केंद्र की भूमिका निभाना।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय

- ⦿ केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार को प्रारंभ में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी कोलकाता के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1891 में हुई।
- ⦿ 1969 से यह पुस्तकालय नई दिल्ली के शास्त्री भवन में कार्य कर रहा है और इसमें मुख्यतः सामाजिक विज्ञानों और मानविकी से संबंधित विषयों के 7 लाख से अधिक दस्तावेज उपलब्ध हैं।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

- ⦿ नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के जीवन और समय के बारे में एक संग्रहालय, अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग; एक पुस्तकालय (जिसे देश में सामाजिक विज्ञान पुस्तकालयों में प्रमुख माना जाता है); मौखिक इतिहास प्रभाग; पांडुलिपि प्रभाग; समसामयिक अध्ययन केंद्र; तारा मंडल; और बच्चों और युवाओं के लिए नेहरू अधिगम केंद्र शामिल हैं।
- ⦿ इसका अभिलेखागार व्यक्तियों और संस्थानों के निजी दस्तावेजों का सबसे बड़ा संग्रह है जिनमें से अधिकांश स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित हैं।
- ⦿ नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ने अब तक 1,364 जाने-माने लोगों के संस्मरणों की रिकार्डिंग की है जिनमें से 931 की ट्रांसक्रिप्ट यानी लिखित लिप्यंतरण कागज पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

- ⦿ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान दिए जाने के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में संस्कृति मंत्रालय ने 2012 में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया।
- ⦿ इसे ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं: भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण करना, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के आदर्श पुस्तकालयों की स्थापना, पुस्तकालयों का गुणवत्ता और संख्यात्मक दृष्टि से सर्वेक्षण, और क्षमता निर्माण करना।
- ⦿ भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का उद्देश्य भारत से संबंधित सूचनाओं और भारत में उत्पन्न सूचनाओं के बारे में ओपन एक्स से आधार पर डिजिटल संसाधनों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना है।

टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना

- टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना पूर्ववर्ती बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर योजना का संशोधित और सुधरा हुआ रूप है।
- गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर इसे नया नाम दिया गया।

- इसके अंतर्गत अलग आकार के नये सांस्कृतिक परिसर बनाने और टैगोर जन्म शताब्दी के सिलसिले में 1960 और 1970 के दशक में देश के विभिन्न भागों में बनाए गए टैगोर ऑडिओरियम के आधुनिकीकरण, मरम्मत और उच्चाकरण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह योजना राज्य सरकारों, राज्यों द्वारा प्रायोजित संगठनों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और सरकार द्वारा स्वीकृति अन्य संगठनों तथा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम न करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों के लिए खुली हुई है।

फेलोशिप और वजीफा योजना

1. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करने की योजना: विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को कनिष्ठ (25 से 40 वर्ष) और वरिष्ठ (40 वर्ष से अधिक) फेलोशिप प्रदान की जाती हैं।
 - ये फेलोशिप दो साल के लिए होती हैं और इनके अंतर्गत कनिष्ठा अध्येता को 10,000 रुपये और वरिष्ठ अध्येता को 20,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं।
 - इनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अध्येताओं का चयन करती है। इस तरह 400 फैलोशिप्स (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) दी जाती है।
2. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना: इस योजना के अंतर्गत 18 से 25 साल तक के उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, माइम, दृश्य कलाओं, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं और उप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत के भीतर उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चुने गए उम्मीदवारों को दो साल तक 5,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
 - इसके लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और खास तौर पर गठित विशेषज्ञ समिति उम्मीदवारों में से चयन करती है। किसी एक बैच वर्ष में 400 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

टैगोर राष्ट्रीय फैलोशिप योजना

- यह योजना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों और देश की अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थाओं में नयी जान फूंकने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी ताकि विद्वानों/अकादमिक विशेषज्ञों को पारस्परिक हित

की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए इन संगठनों से जुड़ने को प्रेरित किया जा सके।

- यह योजना भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों ही के लिए खुली है।
- विदेशियों का अनुपात साल में दिए जाने वाले फैलोशिप्स की कुल संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगा।
- टैगोर फैलो को 80,000 रुपये मासिक अध्येतावृत्ति और आकस्मिक व्यय राशि दी जाती है।
- जबकि टैगोर स्कॉलरों को 50,000 रुपये मासिक मानदेय और आकस्मिक व्यय राशि दी जाती है।

गांधी धरोहर स्थल

- 2006 में भारत सरकार ने श्री गोपाल कृष्ण गांधी की अध्यक्षता में गांधी धरोहर स्थल पैनल का गठन किया और इसमें जाने-माने गांधीवादियों को सदस्य के रूप में शामिल किया।
- इस पैनल की सिफारिश पर 2013 में गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 साल नियत किया गया।
- इसके लिए कुल 42 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया गया। मिशन की अवधि मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
- मिशन को 39 मुख्य स्थलों के साथ ही मास्टर सूची के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के परिरक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

गांधी स्मृति और दर्शन समिति

- गांधी स्मृति और दर्शन समिति की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में राजघाट स्थित गांधी दर्शन और गांधी स्मृति के विलय से हुई थी।
- यह संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता से कार्य करती है।
- भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और विभिन्न गतिविधियों में दिशा निर्देश के लिए इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।
- समिति का मूल लक्ष्य और उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार-प्रसार करना है।
- इसके दो परिसर हैं: गांधी समृति और गांधी दर्शन।

पर्यटन

- पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने वाली नोडल एजेंसी हैं।
- इस प्रक्रिया में मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य

सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से परामर्श और सहयोग करती है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

- वर्ष 2016 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 10.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष के दौरान 88.9 लाख (अनंतिम) विदेशी पर्यटक भारत पहुंचे जबकि 2015 के दौरान यह संख्या 80.3 लाख रही थी।
- 2016 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय में 15.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी और रुपयों में आमदनी 1,55,650 करोड़ रुपये (अनंतिम) रही थी।

ई-वीजा सुविधा

- विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सुविधाजनक वीजा प्रणाली एक पूर्व-शर्त है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर पहल कर रही है।
- दिसंबर 2016 तक ई-वीजा सुविधा तीन श्रेणियों के तहत उपलब्ध हो चुकी थी इनके नाम हैं: ई-ट्रूरिस्ट वीजा, ई-विजनेस वीजा और ई-मेडिकल वीजा।
- ई-वीजा सुविधा का विस्तार 161 देशों के नागरिकों के लिए कर दिया गया है।

चौबीसों घंटे और सातों दिन बहुभाषी ट्रूरिस्ट इन्फो-लाइन

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों/आगंतुकों को यात्रा और पर्यटन के बारे में सूचना उपलब्ध कराने और भारत में यात्रा करते समय सलाह देकर मदद करने के लिए पर्यटन मंत्रालय हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे बहुभाषी ट्रूरिस्ट इन्फो-लाइन सेवा उपलब्ध करती है।
- भारत में रहते पर्यटकों द्वारा की गई कॉल्स (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू) निःशुल्क होती हैं।
- यह सेवा टेलीफोन नं. 1800 111 363 या सर्किप्ट कोड 1363 पर उपलब्ध रहेगी।
- जिन अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में यह सेवा उपलब्ध है उनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अरबी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, जापानी, कोरियन, चीनी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं।

अतुल्य भारत

- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में इंक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत के नारे के साथ प्रचार अभियान चलाता है।
- इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देना हैं ताकि देश में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों का आगमन हो और घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बढ़े।
- विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालयों के जरिये महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में कई तरह की प्रोत्साहन गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

पूर्वोत्तर भारत

- पर्यटन मंत्रालय भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को अपने अनेक मीडिया प्रचार अभियानों के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है।
- 2016 में दूरदर्शन के नेटवर्क पर पूर्वोत्तर के प्रचार के लिए एक-एक महीने का टेलीविजन अभियान दो चरणों में चलाया गया।
- पर्यटन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय के दो प्रमुख योजनागत कार्यक्रम हैं।
- इनमें से 'स्वदेश दर्शन थीम' यानी किसी खास विषय पर आधारित पर्यटन सर्किटों के समन्वित विकास के लिए है जबकि 'प्रसाद' नाम का दूसरा कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थानों और धरोहर स्थलों समेत देश में पर्यटन के आधारभूत ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्रा की परम्परा को पुनर्जीवित करने और अध्यात्मिक उन्नति का अभियान है।



अध्याय

6.

मूल आर्थिक आँकड़े

- सांख्यिकी विभाग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के बिलय से वर्ष 1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अस्तित्व में आया।
- मंत्रालय के दो खंड हैं, एक का संबंध सांख्यिकी से और दूसरे का कार्यक्रम कार्यान्वयन से है।
- सांख्यिकी खंड को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के रूप में नया नाम दिया गया है, जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) शामिल हैं।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के डिवीजन हैं:
 - बीस सूनी कार्यक्रम,
 - बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी, तथा
 - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
- इन तीन खंडों के अलावा भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (NSC) और एक स्वायत्तशासी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) को संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

- ⌚ वर्ष 2005 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के गठन का फैसला किया।
- ⌚ आरंभ में एनएससी का गठन सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों को तैयार करने, उनकी निगरानी करने और उन्हें लागू करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने तथा देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय और अधिकार प्राप्त संगठन के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 2006 में किया गया।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान

- ⌚ भारतीय सांख्यिकी संस्थान का पंजीकरण एक गैर-लाभकारी अध्ययन सोसाइटी के रूप में 28 अप्रैल, 1932 को पश्चिम बंगल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत हुआ था।
- ⌚ संस्थान ने जैसे-जैसे अपनी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण और परियोजना गतिविधियों का विस्तार किया, इसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएँ मिलने लगी।
- ⌚ सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में संस्थान

द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदानों के फलस्वरूप इस संस्थान को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' के रूप में मान्यता मिली जिससे इसे डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

- ⌚ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, जो देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानक तैयार करता है।
- ⌚ इसकी गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खातों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों, लिंग संबंधी आंकड़ों सहित मानव विकास आंकड़ों का संकलन, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन और आर्थिक जनगणना तथा कार्यालय संबंधी सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
- ⌚ सीएसओ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सांख्यिकी के विकास में सहायता भी करता है और ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण भी तैयार करता है।

राष्ट्रीय लेखा

- सीएसओ का राष्ट्रीय लेखा डिवीजन (एनएडी) राष्ट्रीय लेखा की तैयारी, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकलन, राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, सांस्थानिक क्षेत्रों के लेन-देन के विवरण सहित पूँजी निर्माण और बचत शामिल है, के लिए उत्तरदायी है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति की दरें (यानी, चालू माह की तुलना में विगत वर्ष के इसी माह) सामान्य सीपीआई (मिश्रित), प्रतिशत से 5.77 प्रतिशत में, नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान 5 प्रतिशत (4.20 प्रतिशत से 5.77 प्रतिशत के बीच) के आस-पास रही; माह जुलाई 2016 को छोड़कर जब यह 6.07 थी।
- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई मिश्रित) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरों (%) में पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 के दौरान खाद्य पदार्थों की औसत मुद्रास्फीति दर 6.09 प्रतिशत थी।
- सीएफपीआई मुद्रास्फीति ने जुलाई 2016 में 8.35 प्रतिशत के शीर्ष स्तर को छुआ था और उसके बाद से इस दर में नियंत्र हास हो रहा है।

मूल्य आंकड़ा संग्रहण

ग्रामीण खुदरा मूल्य संग्रहण (आरपीसी)

- ग्रामीण खुदरा मूल्यों के संग्रहित आंकड़ों का इस्तेमाल कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार करने में किया जाता है।
- वर्तमान में, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम व्यूरो कृषि श्रमिकों हेतु सीपीआई संकलिप और प्रकाशित करता है।
- नए उत्पादों की सूची हेतु आंकड़ा 26 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के 603 गाँवों/बाजारों के नियत सेट से प्रत्येक माह अनुसूची 3.01 (आर) का व्यवहार करते हुए संग्रहित किए जाते हैं।
- नई श्रेणी हेतु मूल्य आंकड़ा के साथ ही 12 कृषि और 13 गैर-कृषि कारोबारों के दैनिक दिवाड़ी दरों को भी संग्रहित किया जाता है।
- वर्तमान आरपीसी ढांचा दो दशक से ज्यादा पुराना है और इस अवधि के दौरान शहरीकरण की गति तेज होने के कारण अधिकांश चयनित दूकानें/आउटलेट अब अस्तित्व में नहीं हैं।
- अतएव वर्तमान ढांचा पुराना हो गया है और इसमें तत्काल संशोधन जरूरी है।

- इसीलिए आरपीसी योजना की समीक्षा हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई (शहरी)

- मूल्यों का संग्रहण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 310 शहरों के 1,114 उद्धरणों के लिए किए जाते हैं।
- इन उद्धरणों (कोटेशनों) में से 1,078 उद्धरणों की जबाबदेही एनएसएसओ पर है, शेष अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और लक्ष्मीपुर के 36 उद्धरणों की व्यवस्था सीएसओ द्वारा किया जाता है।
- जनसंख्या के खास वर्ग, जिसके लिए उद्धरण चिह्नित है, की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 62 उद्धरण हेतु विभिन्न सामग्रियों के विशेष विवरण निर्धारित किए जाते हैं।
- सभी उद्धरण के लिए मूल्य आंकड़े का संग्रह उस उद्धरण के लिए निर्धारित सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुरोध पर एनएसएसओ डब्ल्यूपीआई के मौजूदा श्रेणियों और नई श्रेणियों हेतु मूल्य आंकड़ा संग्रहण में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की मदद कर रहा है।
- वर्तमान में देशभर में फैले 3,813 इकाइयों और 18,192 उद्धरणों (कोटेशनों) के संबंध में आंकड़ों का संप्रेषण किया जा रहा है। डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखलाओं के लिए आधार वर्ष 2004-05 है।
- डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखलाओं में 6,837 उद्धरण हैं और डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखलाओं और नई श्रृंखलाओं में 1,107 समान उद्धरण हैं जिसका आधार वर्ष 2011-12 है।

मूल्य सांख्यिकी

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी 2011 से हर महीने ग्रामीण, शहरी और मिश्रित क्षेत्रों हेतु अलग-अलग अखिल भारतीय और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आधार वर्ष (2010-12) के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का संग्रह प्रारंभ किया।

उपभोक्ता मूल्य

- सीएसओ समूह और उप-समूह स्तरों पर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है।
- यह उल्लेखनीय है कि 'खाद्य एवं पेय पदार्थों' का हिस्सा 45.86 प्रतिशत है, जिसमें सीपीआई (मिश्रित) सूची में सीएफपीआई का 39.05 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।

- ⦿ विगत दो वर्षों के दौरान समग्र मुद्रास्फीति दर में ऐसी गतिविधि के कारणों को जानने के लिए उप-समूह स्तर पर मुद्रास्फीति दर के विश्लेषण की जरूरत है।
- ⦿ समग्र मुद्रास्फीति दर में अनेक योगदान को जानने के लिए उप-समूह/समूहवार मुद्रास्फीति दर तथा उनका हिस्सा (वजन के लिहाज से) को नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 के प्रत्येक महीने के दौरान साथ मिला दिया गया है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

- ⦿ उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) देश में औद्योगिक सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है।
- ⦿ यह विद्युत, गैस और पानी की आपूर्ति तथा शीत भंडारों के निर्माण की प्रक्रिया, मरम्मत सेवाओं, उत्पादन, पारेषण आदि से जुड़ी गतिविधियों को मिलाकर संगठित निर्माण क्षेत्र के विकास, संयोजन और ढाँचे में परिवर्तन एक तटस्थ भाव से और वास्तव में पहुँच और उसके मूल्यांकन के बारे में सांख्यिकीय सूचना प्रदान करता है।
- ⦿ एएसआई का विस्तार देशभर में है। सर्वेक्षण में (फैक्टरी अधिनियम)।
 - 1948 के अनुच्छेद 2 (एम 1), 2 (एम II) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखाने शामिल हैं।
- ⦿ सर्वेक्षण में बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्त) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत बीड़ी और सिगार बनाने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है।
- ⦿ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में दर्ज बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे 1997-98 तक के सभी विद्युत उपकरणों को एएसआई के अंतर्गत शामिल किया गया, चाहे उनका रोजगार आकार कुछ भी हो।
- ⦿ कुछ सेवाओं और गतिविधियों जैसे शीत भंडारण, जलापूर्ति, मोटर वाहनों की मरम्मत और अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे घड़ियां आदि सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- ⦿ रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण और वितरण डिपो, रेस्टरां, होटल, कैफे और कंप्यूटर सेवाएं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ⦿ उपरोक्त के अलावा एएसआई के नमूना डिजाइन पर उप-समूह की अनुशंसा के अनुसार एएसआई के कवरेज को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम
 - 1948 के अनुच्छेद 2 (एम 1), 2 (एम II) और बीड़ी तथा सिगार कामगार (रोजगार की शर्त) अधिनियम, 1966 के दायरे से आगे विस्तार दिया गया है।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी)

- सीएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सहायक आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करता है।
- आईआईपी का वर्तमान आधार वर्ष 2004-05 है।
- आईएमएफ के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (एसडीडीएम) के अनुसार छह सप्ताहों के अंतराल पर त्वरित अनुमानों के रूप में हर माह आईआईपी जारी किया जाता है।
- खनन, निर्माण और विद्युत क्षेत्रों के लिए सूचकांक के विषयों के अलावा, अनुमानों को उपयोग आधारित वर्गीकरण यानी, आधारभूत वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, अद्विनिर्मित वस्तुओं, टिकाऊ वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं के लिए साथ-साथ जारी किया जाता है।
- इन अनुमानों को 15 स्रोत एजेंसियों से नवीनतम उत्पादन आंकड़े प्राप्त होने पर बाद में संशोधित किया जाता है।
- आईआईपी के लिए आंकड़ों का प्रमुख स्रोत औद्योगिक नीति और संबद्धन विभाग है जो कुल आईआईपी में 45.6 प्रतिशत विशिष्ट भार के साथ 399 मद समूहों में से 268 के लिए आंकड़ों की आपूर्ति करता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

- ⦿ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) विविध क्षेत्रों में, अखिल भारतीय आधार पर बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने के लिए जिम्मेदार है।
- ⦿ आर्थिक गणना को आगे बढ़ाते हुए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम और उद्यमों के सर्वेक्षणों के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) पर देशभर में परिवारों के सर्वेक्षण के जरिये प्रारंभिक आंकड़े नियमित तौर पर एकत्र किए जाते हैं।
- ⦿ इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएसओ ग्रामीण और शहरी मूल्यों पर आंकड़े एकत्र करता है; क्षेत्र गणना और राज्य एजेंसियों के फसल अनुमान सर्वेक्षण के निरीक्षण के जरिये फसल सांख्यिकी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ⦿ यह शहरी इलाकों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए प्रतिदर्शों का रेखांकन करने के लिए शहरी क्षेत्रीय इकाइयों के ढाँचों की देखरेख करता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम

- ⦿ बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) की शुरूआत वर्ष 1975 में की

- गई थी और इसे 1982, 1986 और 2006 में पुनर्गठित कार्यक्रम का मुख्य जोर गरीबी उन्मूलन और देशभर के गरीब तथा सुविधाओं से वंचित लोगों के जीवन स्तर को सुधारना था।
- ⦿ इस कार्यक्रम में अनेक सामाजिक-आर्थिक पहलू जैसे-गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, बनीकरण और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा, समाज के कमज़ोर लोगों का कल्याण आदि शामिल हैं।
 - ⦿ इस पुनर्गठित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी)-2006 कहा जाता है और इसका निगरानी तंत्र वर्ष 2007 से क्रियाशील हुआ।
 - ⦿ टीपीपी-2006 ने अपने संचालन के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे मूलतः 20 सूत्रों और 66 विषयों को मिलाकर बनाया गया था जिसकी निगरानी संबद्ध प्रधान केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा की जाती थी।
 - ⦿ इन 66 विषयों में से 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)' को एक अन्य विषय 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरंटी अधिनियम' में 2008 से सम्मिलित कर लिया गया और इसे 2009 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरंटी अधिनियम नाम दे दिया गया।
 - ⦿ वर्तमान में शेष 65 विषयों में से 19 विषयों की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

निगरानी तंत्र

- ⦿ कार्यक्रम के कार्यान्वयन और उसकी निगरानी की प्रमुख जिम्मेदारी कार्यक्रम को अमल में लाने वाली एजेंसियों की होती है, जो इस मामले में राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों की है।
- ⦿ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी करता है जिन्हें राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्टों के आधार पर टीपीपी-2006 के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ⦿ मंत्रालय ने वेब आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है ताकि राज्य सरकारों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों से सूचना तेजी से एकत्र की जा सके।

बुनियादी ढांचा एवं परियोजना निगरानी

- ⦿ बुनियादी ढांचा एवं परियोजना निगरानी डिवीजन (आईपीएमडी) 16 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा अनेक केंद्रीय क्षेत्र सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसइएस) द्वारा हाथ में लिए गए 150 करोड़ तथा उससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करता है।

नियमित निगरानी के साथ विवेकपूर्ण प्रभावी समन्वय


- ⦿ बेहतर गति और कम लागत वाली उन्नत दक्षता के साथ उनकी सफल समाप्ति सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है।

बुनियादी ढांचा निगरानी

- ⦿ देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की निगरानी की संकल्पना उसके कामकाज और यदि कोई चूक है तो निर्णय करने वाले प्राधिकारों के समक्ष उसे समीक्षा हेतु रखने के लिए की गई।
- ⦿ यह मंत्रालय देश के ग्यारह प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों यथा-बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरकों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, नागर विमानन और दूरसंचार के कामकाज की निगरानी करता है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- ⦿ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) 1993 में आरंभ किया गया था।
- ⦿ इसका उद्देश्य सांसदों को स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु विकासात्मक प्रकृति के कार्यों और उनके क्षेत्रों/ राज्यों में स्थानीय जरूरतों पर आधारित सामुदायिक बुनियादी ढांचा समेत बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु एक तंत्र प्रदान करना है।
- ⦿ आरंभ में, एमपीलैड्स योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था।



- ⦿ 1994 में एमपीलैड्स योजना से जुड़े विषय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था।
- ⦿ यह योजना कुछ दिशानिर्देश द्वारा संचालित है जिसे समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। वर्तमान दिशानिर्देश जून 2016 में जारी किए गए थे।

एमपीलैड्स योजना की मुख्य विशेषताएँ

- एमपीलैड्स योजना पूरी तरह से भारत सरकार से सहायता प्राप्त एक केंद्रीय योजना है, जिसके अंतर्गत अनुदान के रूप में धनराशि सीधे तौर पर जिलाधिकारियों को जारी की जाती है।
- योजना के अंतर्गत जारी निधि कालातीत अथवा रद्द नहीं होती, यानी किसी विशेष वर्ष में नहीं जारी की गई निधि को योग्यता के अनुसार के आगामी वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- वर्तमान में प्रति सांसद/निर्वाचित क्षेत्र 5 करोड़ रुपये वार्षिक प्राप्त करने का हकदार हैं।
- एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत सांसदों की भूमिका कार्यों की सिफारिश करने तक सीमित है।
- इसके बाद एक नियत समय के अंदर सांसदों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को मंजूरी देना, निष्पादित कराना और पूरा कराना जिला प्राधिकारी की जिम्मेदारी है।
- लोक सभा के निर्वाचित सदस्य अपने-अपने निर्वाचित क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं।
- लोक सभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश के किसी भी हिस्से में कार्यों के कार्यान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं।
- सरकार के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए कोई सीमा नहीं है। हालांकि ट्रस्ट/सोसाइटी के कार्यों हेतु प्रत्येक ट्रस्ट/सोसाइटी को उसके जीवनकाल में 50 लाख रुपये तक की सीमा निर्धारित है।
- एमपीलैड्स योजना निधि से ट्रस्टों/सोसाइटियों के कार्यों के लिए कोई सांसद एक वित्तीय वर्ष में 100 लाख रुपये तक के निधि की ही अनुशंसा कर सकते हैं।

- एमपीलैड्स योजना कार्यों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले, भूस्खलन, बंबडर, भूकंप, सूखा, सुनामी, आग तथा जैविकीय, रासायनिक रेडियोलॉजिकल खतरों आदि से प्रभावित इलाकों में कार्यान्वित किया जा सकता है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिहायशी इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए एमपीलैड्स निधि की 15 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल अ.जा. की आबादी वाले इलाकों में किया जाएगा और 7.5 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल अ.ज.जा की आबादी वाले इलाके में किया जाएगा;
- यदि संसद के कोई निर्वाचित सदस्य अपने राज्य/केंद्रशासित राज्य से बाहर अथवा राज्य के अंदर अपने निर्वाचित क्षेत्र से बाहर अथवा दोनों स्थितियों में एमपीलैड्स योजना निधि से अनुदान देना जरूरी समझते हों, तो वे इन दिशानिर्देशों के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि के जायज कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकते हैं।
- किसी संसद सदस्य के ऐसे भाव प्रदर्शन से लोगों के बीच जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय एकता, सौहार्द और भाइंचारे को बढ़ावा मिलेगा; तथा
- संसद सदस्य अपने एमपीलैड्स योजना निधि से राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाले अनुदान प्राप्त शैक्षणित संस्थानों, जो विद्यालयों के मामले में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा महाविद्यालयों के मामले में राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त हों तथा छात्रों से वाणिज्यिक शुल्क नहीं लेते हों, के लिए निधि की अनुशंसा कर सकते हैं।
- ऐसी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ दिशानिर्देशों के तहत स्वीकृत सभी मदों हेतु, बिना किसी सीमा के, एमपीलैड्स योजना निधि प्राप्त करने के पात्र हैं।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. भारत सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी है-
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
 - परिवार कल्याण मंत्रालय
 - गृह मंत्रालय
 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 7.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई।
 - NSSO द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2
 - न तो 1 न ही 2
3. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष 2011-12 है।
 - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- कूट
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2
 - न तो 1 न ही 2
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- पिछले एक दशक से सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर उत्तरोत्तर बढ़ती रही है।
 - सेवा क्षेत्र में वित्तीय, रियल एस्टेट व व्यवसायिक सेवाओं का योगदान सबसे अधिक है।
- सही कथन का चयन कीजिए।
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2
 - न तो 1 न ही 2
5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केवल आठ आधारभूत उद्योगों का सूचकांक जारी करता है।
 - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आधारभूत उद्योगों का भारांश लगभग 40.27% है।
- सही कथन का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2
 - न तो 1 न ही 2
6. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
- एम पी लैड योजना एक केन्द्रीय योजना है जो भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन व किशोरी बालिकाओं के शिक्षा हेतु चलाई जा रही है।
 - एम पी लैड योजना के अंतर्गत जिला प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह नियत समय के अंदर सांसदों की सिफारिशों को मंजूरी दें व उनको निष्पादित कराए।
- सही कथन का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2
 - न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

1. (a)

2. (a)

3.(a)

4.(c)

5.(c)

6. (b)

अध्याय

7.

वाणिज्य

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के आर्थिक रूपांतरण में अनेकानेक ढंग से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक से अधिक जुड़ाव उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धा, प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता, स्तर में कुल मिला कर सुधार होना, उपभोक्ता (खरीदार) के लिए बेहतर गुणवत्ता एवं उपलब्धता, तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कद में वृद्धि सकल विकास दर में वृद्धि और रोजगार बढ़ने को सुनिश्चित करता है।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई क्षेत्रों में हो रही प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिली हुई है। इनमें कृषि उत्पाद, बागवानी, अभियंत्रण सेवाएं (इंजीनियरिंग), वस्त्र, चमड़ा, औषधियां, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं।
- निर्यात में वृद्धि भारत की कुल आर्थिक उपलब्धि का प्रमुख संचालक रही है। पिछले तेरह महीनों में हुआ निर्यात का सकारात्मक प्रदर्शन उपलब्ध आंकड़ों से होता है जो सिंतंबर 2016 के 22.86 अरब अमरीकी डॉलर से 25.67 प्रतिशत बढ़कर सिंतंबर 2017 में 28.61 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है।
- भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2020 तक देश को वैश्विक व्यापार में प्रमुख भागीदार बनाने और यह सुनिश्चित करने की भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में अग्रणी भूमिका को उसके बढ़ते महत्व के अनुरूप बनाने हेतु प्रयास किया गया है।
- इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह सभी संबंधित पक्षों के साथ मिल कर प्रयासरत हैं और भारत के व्यापारिक माल एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि में सहायता करने के लिए तदनुसार व्यवस्था कर रहा है।
- विभाग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन और व्यापार सुगमता, क्रितिपय निर्यातोन्मुख उद्योगों, वस्तुओं तथा कार्य नीति का विकास एवं विनियमन जैसे बहु आयामी कार्य सौंपेंगे हैं।

वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिवेश

- ⌚ वैश्विक संकटों ने पूरे संसार को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया जिसमें आर्थिक मंदी और विश्व व्यापार में संकुचन भी आता है।
- ⌚ हालांकि विश्व व्यापार संगठन (डल्ल्यूटीओ) के हालिया आंकड़े विश्व व्यापार की स्वास्थ्य संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं।
- ⌚ वर्ष 2017 के लिए विश्व में व्यापारिक माल के लेनदेन में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसी वर्ष के लिए पिछला अनुमान 2.4 प्रतिशत था। (जीडीपी) व्यापार विनियम दरों (डल्ल्यूटीओं 2017) के 2.8 प्रतिशत वैश्विक सकल विकास दर के साथ व्यापार वृद्धि को 3.2-3.9 प्रतिशत की सीमा में रखा गया है।
- ⌚ पिछले चार वर्षों के दौरान भारत की व्यापार (निर्यात+आयात)

वृद्धि दर क्रृत्यात्मक रही हालांकि 2014 में 0.07 का हल्का सुधार दिखा था।

- ⌚ यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारत की सकल विकास दर 2014 के 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 7.9 प्रतिशत हो गई थी जो नवंबर 2016 में घट कर 7.1 प्रतिशत रह गई।
- ⌚ भारत वर्ष 2016-17 में 7.1 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर प्राप्त करके विश्व में सबसे तेज आर्थिक विकास वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
- ⌚ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ 2017) के अनुमानों के अनुसार वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में ऊर्ध्वागमी उछाल मजबूत हो रहा है।
- ⌚ वर्ष 2016 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण 3.2 प्रतिशत की सबसे कमजोर आर्थिक दर अब बढ़कर 2017 में 3.6 प्रतिशत

और 2018 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

भारत का व्यापार परिदृश्य

- ➲ अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि में व्यापार का लेखा जोखा निर्यात अमरीकी डॉलरों के हिसाब से निर्यात में अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि में इससे पहले वर्ष की तुलना में 10.84 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल-सितंबर 2018 के दौरान वाणिज्यिक माल का निर्यात 146.29 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया।

आयात

- ➲ अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि में कुल आयात 220.55 अरब अमरीकी डॉलर रहा जबकि इससे पहले वर्ष इसी अवधि में 175.34 अरब अमरीका डॉलर का आयात हुआ था।
- ➲ अमरीका डॉलर के हिसाब से आयात वृद्धि 25.79 प्रतिशत रही। अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि (अनुमानित) में कुल 46.51 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का तेल आयात हुआ जबकि इससे पहले वर्ष इसी अवधि में हुए 39.53 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य के तेल आयात से 17.65 प्रतिशत अधिक रहा।
- ➲ अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि (अनुमानित) में 174.05 अरब अमरीका डॉलर का गैर-तेल आयात इससे पहले वर्ष के दौरान इसी अवधि में हुए 135.81 अरब अमरीकी डॉलर का गैर-तेल आयात से 28.15 प्रतिशत अधिक दर्ज हुआ।

व्यापार संतुलन

- ➲ अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि (अनुमानित) में अनुमानित व्यापार घाटा 74.27 अरब अमरीकी डॉलर रहा जो इससे पहले वर्ष इसी अवधि में हुए व्यापार घाटे से 43.36 अरब अमरीकी डॉलर कम था।

प्रमुख मदों का निर्यात

- ➲ अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि (अनुमानित) में पाँच प्रमुख मदों का निर्यात कुल निर्यात का 35.52 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- ➲ इसमें मुख्य हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्नों, जैविक औषधीय सामग्री, स्वर्ग एवं अन्य मूल्यवान धातुओं से बने आभूषण, लोहा और इस्पात शामिल हैं।

प्रमुख मदों का आयात

- ➲ अमरीकी डॉलर मूल्य में अप्रैल-2017 से सितंबर 2018 की अवधि (अनुमानित) के लिए प्रमुख मदों के आयात के फैले हुए आंकड़े इससे पहले वर्ष इसी अवधि में हुए आयात के सापेक्ष उपलब्ध हैं।

- ➲ अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अवधि (अनुमानित) में पाँच प्रमुख मदों का आयात कुल आयात का 42.48 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- ➲ इसमें मुख्य हिस्सा अशोधित (कच्चा) पेट्रोलियम, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, दूरसंचार उपकरण एवं कोयला, बुझा हुआ पत्थर का कोयला (कोक) एवं क्रिकेट शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में भारत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) की प्रभावशीलता को पहचानने वाला एशिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले 1965 में कांधला में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) स्थापित किया था।
- हालाँकि बहुत अधिक नियंत्रणों और कई प्रकार की स्वीकृतियों की आवश्यकता पड़ने, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं की अनुपस्थिति और अस्थिर वित्तीय व्यवस्था जैसी कमियों को दूर करने और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की गई थी।
- इस उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को आर्थिक विकास का एक ऐसा इंजन बनाना था जिसे उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचे के रूप में न्यूनतम संभव नियंत्रणों और विनियमों वाला केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आकर्षक वित्तीय पैकेज मिलता।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमों से सन्जित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 को वर्ष 2006 में लागू किया गया जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित विषयों में नियमों के सरलीकरण और एकल खिड़की स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान किया गया था।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन; माल एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; स्वदेशी और विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेशकों को बढ़ावा देना; रोजगार के अवसरों का सृजन करता तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है।

विदेश व्यापार नीति

- ➲ विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 में वाणिज्यिक माल और सेवाओं के क्षेत्र में एक स्थिर और दीर्घकालीन नीति का वातावरण उपलब्ध करवाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सहायता कर भारत से होने वाले निर्यात में विविधता को बढ़ावा देने के तत्परंधी सहायक नियम बनाकर उसे निर्यात एवं आयात को

- प्रोत्साहन देने और इस प्रक्रिया को 'मैक इन इंडिया', डिजिटल इंडिया', 'कौशल भारत', स्किल इंडिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' (ईज ऑड डूइंग जिनेस) जैसे प्रयासों/पहलों के साथ निर्यात और आयात हेतु नियमों को बढ़ाने का प्रावधान है।
- ⦿ विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य सीमा शुल्क समस्याओं का निराकरण और प्रौद्योगिक उन्नयन को बढ़ावा देना है ताकि निर्यातकों को बराबरी का अवसर देने वाला कार्यक्षेत्र उपलब्ध करवाते हुए आधारभूत ढांचे की अक्षमता में सुधार और लागत को कम रखते हुए भारत से निर्यात को बढ़ाया जा सके।
 - ⦿ वर्तमान जीएसटी प्रावधानों को लागू करने के लिए एफटीपी में आवश्यक परिवर्तन कर दिए जाए हैं।

भारत योजना से वाणिज्यिक माल का निर्यात (एमईआईएस)

- ⦿ एमईआईएस भारत में निर्मित/उत्पादित अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात संवर्धन हेतु बनाई गई महती योजना है।
- ⦿ 1 अप्रैल, 2015 को लागू होते समय एमईआईएस के अंतर्गत 8 अंकों में 4,914 टैरिफ लाइनें आती थीं।
- ⦿ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा इसके कारण निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसमें अतिरिक्त लाइने जोड़ी गई।
- ⦿ वर्तमान में इसमें विश्वव्यापी प्रसार वाली 7,914 लाइनें हैं। इसके लिए पूर्व निश्चित 18,000 करोड़ रूपये के प्रावधान वाला राजस्व अब बढ़ाकर 23,500 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
- ⦿ एमईआईएस प्रोत्साहन निर्यात की एफओबी लागत के 02,03 और 05 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध हैं।

भारत योजना से सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस)

- ⦿ उपयुक्त सेवाओं के निर्यात संवर्धन की योजना एसईआईएस को पूर्ववर्ती भारत योजना से पोषित (एसएफआईएस) के स्थान पर विदेश व्यापार नीति 2015-20 में शुरू किया गया था।
- ⦿ इसे कुल अर्जित विदेशी मुद्रा के 03 से 05 प्रतिशत की दर से दिया जाता है केवल विधि 01 और विधि 02 की सेवाएं ही अनुमान्य हैं।
- ⦿ यह योजना पूर्व में लागू 'भारतीय सेवा प्रदाता' के स्थान पर अब 'भारत में कार्यरत सेवा प्रदाता' श्रेणी पर लागू की गई है।
- ⦿ ई-वाणिज्य (कॉमर्स) का उपयोग करने वाले कोरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात: एमईआईएस के अंतर्गत ई-वाणिज्य (कॉमर्स) का उपयोग करने वाले कोरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात करने को प्रोत्साहन देने के लिए एफटीपी ने एक नई योजना शुरू की है।

- ⦿ चूंकि ई-वाणिज्य (कॉमर्स) निर्यात का विनियामक ढांचा अभी तैयार ही किया जा रहा है अतः इस योजना को सीमित रूप से लागू किया गया।
- ⦿ अग्रिम अधिकार-पत्र (एए): इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन के साथ निवेश हेतु आने वाले सामान पर सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।
- ⦿ एफटीपी की प्रक्रिया नियमावली के प्रावधानों के अनुसार एसआईओएन अथवा स्व घोषणा के आधार पर अंतिम उत्पादों से जुड़े निवेशों के लिए अग्रिम अधिकार-पत्र (एए) जारी किया जाता है।
- ⦿ सीमा शुल्क मुक्त अधिकार पत्र योजना (डीएफआईए): न्यूनतम 20 प्रतिशत की मूल्यवर्द्धिता के साथ निवेश के आयात के लिए डीएफआईए का प्रावधान किया गया था।
- ⦿ केवल बुनियादी सीमा शुल्क के भुगतान पर डीएफआईए को छूट मिलेगी तथा अधिकार पत्र केवल उन उत्पादों के लिए निर्यात उपरांत आधार पर जारी किया जा सकेगा जिनके लिए एसआईओएन अधिसूचना जारी की गई है।
- ⦿ रल एवं आभूषण क्षेत्र के लिए अलग से योजना है।
- ⦿ ईपीसीजी योजना: इस योजना के अंतर्गत भारत की निर्यात प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं बेहतर सेवाओं हेतु पूँजीगत माल के आयात पर सीमा शुल्क की दर शून्य प्रतिशत रहेगी।
- ⦿ योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत कम निर्यात अनुबंधों के साथ पूँजीगत माल की घरेलू आपूर्ति की भी अनुमति होगी।
- ⦿ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी तथा बीटीपी योजना: इस योजना के अंतर्गत ऐसे इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी जो सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना आयात/घरेलू आपूर्ति हेतु अपने यहां उत्पादित समस्त माल और सेवाओं का निर्यात करेंगी।
- ⦿ 2017 से डीजीएफटी द्वारा आईईसी के रूप में कंपनियों का पीएन जारी किया जा रहा है।
- ⦿ आवेदन करने तथा आईईसी जारी करने की प्रक्रिया आनेलाइन एवं सुरक्षित है। आईईसी को डीआईपीपी के ई-बिजली पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- ⦿ इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ईबीआरसी) प्रणाली के उपायों का विस्तार किया गया है। डीजीएफटी इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ईबीआरसी) प्रणाली से प्राप्त आकड़ों को 17 अन्य एजेंसियों के साथ साझा करता है।
- ⦿ डीजीएफटी में ऑनलाइन करके के लिए उपलब्ध 'आयात-निर्यात' फॉर्म को विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टता लाते हुए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ाते हुए और सरल बना दिया गया है।

व्यवसाय करने की सुगमता तथा ई-शासन विधि	
प्रमाण-पत्रों की संख्या कम रखना	
□ प्रत्येक निर्यात और आयात के लिए अनिवार्य प्रमाण-पत्रों की संख्या घटाकर अब 03 कर दी गई है।	
□ पहले निर्यात के लिए 07 एवं आयात हेतु 10 प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती थी।	
योजनाओं की संख्या कम करना	
□ नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) 2015 में लागू की गई थी जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक माल और सेवा निर्यात को बढ़ावा देना तथा व्यवसाय करने की सुगमता को सुधारना था।	
□ विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने वाणिज्यिक माल के निर्यात को एक ही योजना में लाने के लिए पहले से जारी पाँच विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को एकाकार कर दिया था।	
परिवर्तित योजनाएं इस प्रकार हैं	
□ प्रमुख उत्पाद योजना (एफपीएच), प्रमुख बाजार योजना (एफएमएस), बाजार से जुड़े प्रमुख उत्पाद प्रतिभूति-पत्र (एमएलएफपीएस), विशेष कृषि एवं उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), कृषि आधारभूत संरचना प्रोत्साहन प्रतिभूति-पत्र।	

शासकीय ई-बाजार (जीईएम)

- डीजीएसडी ने सरकार/लोक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के समान और सेवाओं की खरीद/बिक्री के लिए समर्पित प्रौद्योगिकी आधारित ई-बाजार की स्थापना की है जहां विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न सेवाओं और सामान की खरीदारी को सुगम किया जा सकेगा। 2016 में इसका पोर्टल शुरू किया गया था।
- मापनीय और पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और व्यवस्था संचालित जीईएम माल और सेवाओं की आपूर्ति (खरीद) सरलता, कुशलता एवं तेजी से हो जाती है।
- इसके अंतर्गत आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया आ जाती है जिसमें विक्रेता का पंजीकरण, क्रेता (खरीदार) द्वारा माल का चयन, आपूर्ति आदेश तैयार करना और माल/सेवाओं की निर्दिष्ट क्रेता द्वारा पावती के साथ ही विक्रेता को ऑनलाइन भुगतान किया जाना शामिल है।

डब्ल्यूटीओ और भारत

- भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसकी विविध पक्षता के लिए पूरी तरह

प्रतिबद्ध है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में दोहा विकास कार्यक्रम पर विचार-विमर्श जारी है।

- वर्ष 2001 में स्वीकार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकाशील देशों की चिंताओं को दूर करना है।
- यह कार्यक्रम इन देशों को विश्व व्यापार प्रणाली से जोड़ना सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

डब्ल्यूटीओ का परिचय

- डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है, इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1995 को हुई थी।
- 2018 तक डब्ल्यूटीओ की सदस्य संख्या 164 है।
- वर्तमान में विश्व के लगभग 30 अन्य देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं।
- 2016 में लाइबेरिया 164वां सदस्य और अफगानिस्तान 163वां सदस्य बना।
- 2015 में कजाखस्तान 162वां तथा सेशल्स 161वां सदस्य देश बना।

पृष्ठभूमि

- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वैधानिक एवं संस्थात्मक आधारशिला के रूप में डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी, 1995 के मराकेश समझौते (15 अप्रैल, 1994 को हस्ताक्षरित) के अधीन की गई।
- इस नये संगठन द्वारा गैट (प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता) का स्थान लिया गया।
- एक अंतर्रिम समझौते के रूप में गैट 1 जनवरी, 1948 से लागू हुआ था।
- मूलतः इसमें 23 हस्ताक्षरकर्ता थे, जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करना था।
- आठवें वार्ता चक्र (जिसे उरुग्वे चक्र भी कहा जाता है) की समाप्ति 15 दिसंबर, 1998 को हुई। इस वार्ता चक्र में विश्व व्यापार में 90% भागीदारी रखने वाले 117 देश शामिल हुए।
- इतिहास का सबसे व्यापक समझौता (Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) 15 अप्रैल, 1994 को 123 देशों के व्यापार मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित हुआ।
- यह समझौता विश्व व्यापार संगठन की आधारशिला बना। गैट औपचारिक रूप से 1995 के अंत में विघटित हो गया।
- मराकेश समझौते द्वारा गैट से जुड़े पक्षों को नये संगठन के मूल सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए दिसंबर 1996 तक का समय दिया गया।

11वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

- ➲ 10-13 दिसंबर, 2017 के मध्य '11वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' (11th WTO Ministerial Conference) ब्यूर्नस आयर्स, अर्जेटीना में आयोजित की गई।
- ➲ इस सम्मेलन की अध्यक्षता अर्जेटीना की मंत्री सुसाना मालकोरा (Susana Malcorra) ने की।
- ➲ इस सम्मेलन में 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
- ➲ चार दिवसीय यह बैठक बिना किसी ठोस परिणाम के ही समाप्त हो गई।
- ➲ इसकी अहम बजह अमेरिका का सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूँढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटना है।
- ➲ भारत द्वारा प्रमुख तौर पर उठाई गई खाद्य सुरक्षा की मांग को लेकर एक साझा सहमति स्तर पर पहुँचने से अमेरिका ने मना कर दिया जिससे यह बातचीत असफल रही।
- ➲ केवल मत्स्य और ई-वाणिज्य के क्षेत्र में ही थोड़ी प्रगति हुई है क्योंकि इसके लिए कामकाजी कार्यक्रमों पर सहमति बनी है।

वीजा सुधार

- ➲ आर्थिक विकास को गति देने, पर्यटन, चिकित्सा हेतु यात्रा, भारत को प्रत्यक्ष विदेशी एंव पोर्टफोलियो निवेश का आकर्षण केंद्र बनाने के लिए व्यवसाय हेतु यात्रा के उद्देश्य से भारत में वीजा व्यवस्था को उदार बनाने, उसके सरलीकरण एंव उसे औचित्यपूर्ण बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- ➲ कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है:
 - ई-वीजा, पर्यटन, व्यापारिक, चिकित्सा एंव रोजगार वीजा योजना का उदारीकरण।
 - वीजा की नई श्रेणियां जैसे इंटर्न वीजा और फिल्म वीजा शुरू की गई हैं।
 - इससे पर्यटन, चिकित्सा हेतु यात्रा तथा मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नए पंख लग जाएंगे।

भारत योजना से सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस)

- ➲ सरकार ने 2015 से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 के अंतर्गत भारत योजना से सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस) शुरू किया था।
- ➲ यह एफटीपी, 2009-15 के अंतर्गत पूर्ववर्ती 'भारत योजना से सेवा' के स्थान पर लाई थी।
- ➲ एसईआईएस के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को उनकी सकल विदेशी मुद्रा आय के 03 से 05 प्रतिशत की दर से शुल्क ऋण प्रतिभूति का प्रोत्साहन दिया जाता है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

- ➲ भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ सेवाओं के व्यापार सहित कई व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं।
- ➲ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (एएसईएन) के साथ 2014 में सेवाओं और निवेश हेतु मुक्त व्यापार समझौता किया गया था।
- ➲ वर्तमान एफटीए से मिली उपलब्धियां इस प्रकार हैं: स्थायी डब्ल्यूटीओ के साथ सभी एफटीए सहयोगियों से प्राप्त अनुबंध; भारत द्वारा किए गए सभी अनुबंध वर्तमान नीतियों/स्वायत्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत हैं तथा सीमा पार आपूर्ति (व्यवस्था 1); कंप्यूटर तथा संबंधित सेवाएं और व्यापार सेवाएं प्राप्त हुई हैं।

निर्यात क्षेत्र के लिए व्यापार आधारभूत संरचना का प्रारंभ (टीआईइएस)

- ➲ निर्यात आधारभूत संरचना और सम्बर्गी सेवाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) वाणिज्य विभाग ने अभी तक (एएसआईडीई) के माध्यम से आधारभूत संरचना की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की सहायता की है।
- ➲ अतः (टीआईइएस) नाम से निर्यात आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 2017 में एक नई योजना बनाई और शुरू की गई है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. विदेश व्यापार नीति बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने का कार्य विदेश मंत्रालय का है।
2. वर्ष 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में वैश्विक वृद्धि दर में ऋणात्मक वृद्धि होने का अनुमान है।
सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. WTO के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का 19वाँ सबसे बड़ा निर्यातक है।
2. भारत आयात क्षेत्र में विश्व की 2.4% की हिस्सेदारी रखता है।

- सही कथन का चयन कीजिए।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

3. भुगतान संतुलन का संतुलित होना किस पर निर्भर है-

1. FDI का ज्यादा प्रवाह
2. विदेशी ऋण का कम होना।
3. चालू खाते का संतुलित होना।

कूट-

- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1 व 3
(d) 1, 2 व 3

4. किसी देश का भुगतान संतुलन व्यवस्थित अभिलेख है-

1. किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन-देन
2. किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं
3. व्याज लाभांश, आय ऋण
4. विदेशी परिसम्पत्तियाँ

सही उत्तर का चयन कीजिए-

- (a) 1, 2 व 3
(b) 3 व 4
(c) 1, 3 व 4
(d) उपरोक्त सभी

5. पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना के तहत पूँजीगत वस्तुओं का आयात शून्य सीमा शुल्क पर करने की अनुमति दी गई है।
2. यह योजना 25% कम निर्यात बाह्यता के साथ पूँजीगत वस्तुओं के देश में ही विकास की अनुमति देती है।

सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

6. एशिया का पहला EPZ कहाँ स्थित है-

सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) चीन
(b) भारत
(c) जापान
(d) म्यांमार

Answer Key:-

1. (d)

2. (c)

3.(d)

4.(d)

5.(c)

6. (b)

अध्याय

8.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है— इं गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सतत विकास को बढ़ावा देना। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का विस्तार और देश में इंटरनेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है।
- वहाँ संचार मंत्रालय का काम डाक एवं दूरसंचार विभाग की देखरेख करना है।
- इन विभागों की विशेषताएं, गतिविधियां और इनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में यहाँ बताया गया।

डाक

- ⌚ भारत में वर्ष 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था और इसे 1774 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आगे बढ़ाया। डाक नेटवर्क का विस्तार 1786 से 1793 के दौरान हुआ।
- ⌚ वर्ष 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया ताकि तात्कालीन तीन प्रेसिडेंसियों के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के द्वारे में लाया जा सके।
- ⌚ इसके बाद, 1854 के डाकघर अधिनियम में संशोधन के साथ संपूर्ण डाक व्यवस्था का स्वरूप बदल गया और 1 अक्टूबर, 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से चलाए जाने लगे।
- ⌚ देश में पहला डाक टिकट उसी समय जारी किया गया था जो पूरे देश में मान्य था। डाक टिकटों की दरें कम और समान रखी गई। डाक दर दूरी के हिसाब से न होकर भेजे जाने वाले पत्र अथवा पैकेट के बजन से तय की गई। आम जन पहली बार एक ऐसी सुविधा का उपयोग कर जिसके तहत उन्हें दरवाजे तक पत्र मिलने लगे।
- ⌚ पहले इस तरह की सुविधा केवल राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी अधिकारियों को ही मिलती थी। तब से डाक ने देश में सभी के जीवन को व्यवस्था/प्रभावित किया है।
- ⌚ यद्यपि ब्रिटिश शासन ने साप्राञ्ज्यवादी हितों के लिए डाकघरों की स्थापना की, लेकिन डाकघर रेल और टेलीग्राफ के साथ सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन बन गया।

- ⌚ वर्तमान में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1898 द्वारा भारतीय डाक सेवाओं का नियंत्रण किया जाता है। उनीसवाँ सदी के मध्य में डाकघर डाक बंगलों और डाक सरायों की देखभाल करके यात्रा को भी सुगम और सहज बनाते थे।
- ⌚ मेल ऑर्डर सेवा 1877 में मूल्य देय प्रणाली शुरू होने के साथ आरंभ हुई जबकि 1880 से मनीऑर्डर सेवा के माध्यम से दरवाजे पर धनराशि प्राप्त करना संभव हुआ।
- ⌚ 1882 में डाकघर बचत बैंक प्रारंभ होने के साथ बैंकिंग सुविधा सभी लोगों तक पहुंची और 1884 तक सभी सरकारी कर्मियों को डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया।
- ⌚ डाक संचार सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर नेटवर्क 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से धन का हस्तांतरण, बैंकिंग और बीमा सेवा भी दे रहा है।

वित्तीय सेवाएं

- ⌚ डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है जो इन योजनाओं से संबंधित ढांचागत और नियामकों में फेर-बदल करता है और डाक विभाग को पारिश्रमिक भुगतान करता है।
- ⌚ 31 मार्च, 2018 के आंकड़ों के अनुसार डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) में 37.40 करोड़ से अधिक खाताधारक थे। बचत बैंक सुविधा 1.54 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- ⌚ डाकघर बचत बैंक बचत खाते, रिकिंग डिपॉजिट (आरडी), टाइम डिपॉजिट (टीडी), मासिक आय योजना (एमआईएस), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र

(एनएससी), किसान विकास पत्र (केबीपी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता जैसी योजनाएं चलाते हैं।

- ➲ 31 मार्च, 2018 तक डाकघरों के राष्ट्रीय बचत योजना और बचत सर्टिफिकेट के अंतर्गत 8,03,243 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी।

कोर बैंकिंग समाधान और एटीएम की स्थापना

- ➲ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण का हिस्सा है।
- ➲ इसका उद्देश्य डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को लाना है।
- ➲ परियोजना का उद्देश्य चालू योजनावधि के दौरान लघु बचत योजनाओं के लिए सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान को लागू करना है। परियोजना से 'कहीं भी, कभी भी' बैंकिंग, एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी।
- ➲ 10 अगस्त, 2018 तक 23,557 डाकघरों को सीबीएस परिवर्तित किए गए हैं। देशभर में 995 स्थानों पर एटीएम भी स्थापित किए गए हैं।

म्यूचुअल फंड्स बिक्री

- ➲ डाकघर देश में पूँजी बाजार की पहुंच को बढ़ाने तथा सामान्य जन को बाजार आधारित निवेश विकल्प उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- ➲ वर्तमान में 2,000 डाकघरों के माध्यम से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न म्यूचुअल फंड उत्पादों की रिटेलिंग की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा

- ➲ अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा विदेशों से व्यक्तिगत तौर पर भारत में धन भेजने का त्वरित और सहज तरीका है।
- ➲ वेस्टर्न यूनियन जैसी अत्याधुनिक धन स्थानांतरण वित्तीय सेवाओं के डाकघरों तथा भारत सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से 195 देशों से भारत में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाला धन शीघ्र और सहज तरीके से मिल जाता है। वर्तमान में यह सुविधा देश के 9,953 स्थानों पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

- ➲ 2009 में सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसे पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था। डाक विभाग राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए करीबी इकाई है।
- ➲ भारतीय डाक व्यवस्था आमजन के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

(एनपीएस) का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) है।

- ➲ 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है और 60 वर्ष की आयु तक योजना में अपना अंशदान कर सकता है।
- ➲ पेंशन अंशदान का निवेश पेंशन फंड नियामन (पीएफआरडीए) द्वारा भुगतानकर्ता की प्राथमिकता के मुताबिक उसकी पसंद की योजना में किया जाता है।

भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक

- ➲ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) भारत सरकार का बैंक है जो डाक विभाग के अधीन आता है।
- ➲ सितंबर, 2018 को पहले चरण में बैंक की 650 शाखाएं और 3250 डाकघरों का इसके अधिगम स्थल के तौर पर उद्घाटन किया गया था।
- ➲ पहले चरण में दस हजार से अधिक डाकियों को इसके साथ जोड़ा गया। इसका लक्ष्य देश के अधिगम स्थलों के इस्तेमाल करने का है जिससे तीन लाख से ज्यादा डाक सेवा कर्मचारी प्रत्येक घर तक बैंकिंग सेवा दे सकेंगे।
- ➲ 2015 में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने और बेहतर बैंकिंग के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष बैंकिंग नीति की शुरुआत की।
- ➲ इस बैंक का लाइसेंस इसी वर्ष भारतीय डाक विभाग को दिया गया।
- ➲ 2016 में इसे पेमेंट्स बैंक के तौर पर भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया।
- ➲ 2017 में आईपीपीबी की रायपुर और रांची की शाखाएं स्थापित की गईं।
- ➲ बैंक में बचत खाते, नगद हस्तांतरण और थर्ड पार्टी के जरिए बीमा की सुविधा है। बिल और अन्य जरूरी भुगतान भी इसके जरिए किए जा सकते हैं।
- ➲ वित्तीय समावेशन की दृष्टि से शुरू किए गए इस बैंक को देश के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक बैंकिंग सेवा प्रदान करने के विचार से शुरू किया गया है।

डाक जीवन बीमा और ग्रामीण

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा

- ➲ डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई) का प्रारंभ 1 फरवरी, 1884 में एक कल्याणकारी योजना के रूप में डाक विभाग के

- कर्मचारियों के लिए हुआ था।
- बाद में 1888 में इसके अंतर्गत टेलिग्राफ विभाग के कर्मचारियों को भी लाया गया था।
- इसके अंतर्गत, केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता से चलने वाले शैक्षिक संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं स्थानीय निकाय आदि आते हैं।
- पीएलआई की बीमा सुविधा के अंतर्गत रक्षा सेवाओं तथा अर्द्ध-सुक्षाबालों को भी लाया गया है।
- केंद्र/राज्य सरकारों के सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंकों में न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, संयुक्त उद्यमों के कर्मचारियों को भी जीवन बीमा के दायरे में लाया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय मेडिकल कार्डिनल के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थान भी इसके अंतर्गत आते हैं।
- पीएलआई की सुविधा अब डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबंधन सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, बैंकरों आदि को और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्वेंज) और बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में सूचीबद्ध कंपनियों को भी उपलब्ध है।
- 4,000 रुपये की उच्च बीमा सीमा से शुरू कर, इस योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए 50 लाख रुपये का अधिकतम बीमा किया जाता है।
- 31 मार्च, 2018 तक 63.69 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत 1,22,544.08 करोड़ रुपये का बीमा किया जा चुका है।
- वर्ष 2017-18 के लिए डाक जीवन बीमा शुल्क 7,499.18 करोड़ रुपये रहा है।
- एकल बीमा पॉलिसियों के अतिरिक्त, पीएलआई, डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी चलाती है।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा

- ग्रामीण डाक बीमा योजा (आरपीएलआई) की शुरुआत 24 मार्च, 1995 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आधिकारिक समिति की सिफारिशों के आधार की गई थी।
- इस योजना का मुख्य ध्येय ग्रामीण जन और विशेषकर गांवों के कमज़ोर वर्ग व महिला कर्मियों को बीमा उपलब्ध कराना है और साथ ही ग्रामीण आमजन के बीच बीमा के प्रति जागरूकता फैलाना भी है।

- बीमा क्षेत्र के उदार बनने के साथ ही डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक बीमा योजना को बाजार स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- पीएलआई और आरपीएलआई बीमा योजनाएं अन्य बीमा कंपनियों की तुलना में कम लागत पर बीमा कवच उपलब्ध कराती हैं।
- इसीलिए पात्र ग्राहकों में पीएलआई और आरपीएलआई बहुत लोकप्रिय हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
- 31 मार्च, 2018 तक आरपीएलआई की 241.1 लाख पॉलिसियां अस्तित्व में आ चुकी जिनके जरिए 1,16,17,428.14 करोड़ रुपये की राशि बीमाकृत हो चुकी है।

डाक जीवन बीमा के 6 बीमा प्लान हैं:

1.	संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुरक्षा)
2.	परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुविधा)
3.	एंडोमेंट सुरक्षा (संतोष)
4.	अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (सुमंगल)
5.	संयुक्त बीमा सुरक्षा (युगल सुरक्षा)
6.	बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

ग्रामीण जीवन बीमा के 6 प्लान हैं:

1.	संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम)
2.	परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम सुविधा)
3.	एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम संतोष)
4.	अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम सुमंगल)
5.	10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय)
6.	बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

नई एवं मूल्यवर्धित सुविधाएं

स्पीड पोस्ट

- यदि बुकिंग के समय मोबाइल नंबर सही दिया गया हो तो डाक विभाग सामान के आ पहुंचने और डिलिवरी के बाद प्राप्तकर्ता को एसएमएस भी भेजता है।
- स्पीड पोस्ट के सामान पर एड-ऑन सर्विस के रूप में 1 लाख रुपये की बीमा सुविधा भी दी जाती है।
- स्पीड पोस्ट की शुरुआत अगस्त 1986 में की गई। इस सेवा के अंतर्गत 35 किलो तक के बजन वाले पत्रों या पार्सलों को देशभर में कहीं भी तेजी से और निश्चित समयावधि में भेजा जा सकता है।

- ➲ यह डाक विभाग का अग्रणी उत्पाद है और घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में इसका स्थान अग्रणी है। इस सेवा से तीन महीने में तीन करोड़ से अधिक पत्र और पार्सल भेजे जाते हैं।
- ➲ स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा देश के लगभग सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध है और पूरे देश में सामग्री पहुंचाई जाती है।
- ➲ स्पीड पोस्ट से भेजी गई सामग्री के बारे में ऑनलाइन 13 डिजिट के स्पीड पोस्ट आर्टिकल नंबर के जरिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से पता किया जा सकता है।
- ➲ बुकिंग करते समय दिए गए फोन नंबर के आधार पर डाक विभाग डिलिवरी के सामान के पहुंचने पर और डिलीवरी के पश्चात् प्राप्तकर्ता को निःशुल्क एसएमएस भी भेजता है।
- ➲ स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे गए सामान पर 1 लाख रुपये की सहायक बीमा भी उपलब्ध है।

डाकघर नेटवर्क का पासपोर्ट केंद्र के रूप में लाभ उठाना

- ➲ विभाग की शुरुआत के साथ ही इसे पासपोर्ट सेवाओं के साथ भी जोड़ा गया है क्योंकि पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचते हैं।
- ➲ पासपोर्ट सेवाओं का व्यापक स्तर पर और वृद्ध क्षेत्र के उसके अधीन लाने के लिए डाक विभाग और विदेश मंत्रालय नागरिकों की सुविधा के लिए डाकघर नेटवर्क का इस्तेमाल पासपोर्ट सेवा केंद्रों के तौर पर लाभ उठाने के संबंध में राजी हुए हैं।

एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल

- ➲ भारत में बढ़ते हुए ई-कॉर्मर्स बाजार ने पार्सल खंड को गति दी है जहां बी से सी पार्सल में वृद्धि हो रही है।
- ➲ इसी तरह, सी से सी श्रेणी में भी आवश्यकता पूरी करने की गुंजाइश है। एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल सेवाएं सरकार द्वारा 2013 से शुरू की गई।
- ➲ एक्सप्रेस पार्सल खुदरा व थोक ग्राहकों के लिए विशिष्ट पार्सल सेवा है।
- ➲ इसके जरिए, पार्सलों की संबद्ध तथा सुरक्षित होम डिलीवरी की जाती है।
- ➲ पारगमन में समय न लगे, इसलिए जरूरत के अनुसार तुरंत इन पार्सलों को हवाई जहाज के माध्यम से भेजा जाता है।
- ➲ एक्सप्रेस पार्सल में न्यूनतम 0.5 किलो. वजन पर शुल्क किया जाता है, जबकि खुदरा ग्राहकों से अधिकतम 20 किलो. पर और संविदा ग्राहकों से 35 किलोग्राम पर शुल्क किया जाता है।

लॉजिस्टिक्स डाक

- ➲ लॉजिस्टिक्स पोस्ट की शुरुआत कॉरपोरेट ग्राहकों को वितरण से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं और देश में विशाल नेटवर्क के जरिए

इस सेवा ने त्वरित संचालन सेवाएं मुहैया करा कर विशिष्ट दर्जा हासिल किया है।

- ➲ लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत डाक विभाग वितरण व्यवस्था के तौर पर, फुल ट्रक लोड (एफटीएल) सेवाएं, लेस डैन ट्रक लोड (एलटीएल) सेवाएं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग एवं पूर्ति सेवा तथा रिवर्स लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है।
- ➲ लॉजिस्टिक्स पोस्ट द्वारा भेजे गए माल के वजन की ऊपरी सीमा नहीं होती जबकि न्यूनतम वजन सीमा 50 किग्रा है।
- ➲ वायु सेवा द्वारा भेजे जाने वाले सामान में न्यूनतम 25 किग्रा. वजन पर शुल्क लिया जाता है।
- ➲ लॉजिस्टिक्स पोस्ट एयर सेवा की शुरुआत 2013 में हुई थी। शुरुआत में इसके अंतर्गत निम्न 15 शहरों को जोड़ा गया था:
- ➲ अगरतला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नागपुर, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इंफाल, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम।

बिजनेस पोस्ट

- ➲ किसी पत्रादि को डाक में भेजने से पहले उसे फोल्ड करने, लिफाफे में डालने, टिकट चिपकाने, पता और पोस्टिंग जैसी कई गतिविधियों से गुजरना पड़ता है।
- ➲ बड़ी संस्थाएं ऐसे प्री-मैलिंग कार्य करने में परेशानी महसूस कर रही थीं, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने 1996 में 'बिजनेस पोस्ट' सेवा की शुरुआत की थी।
- ➲ इसके अंतर्गत, कॉरपोरेट/सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईया और अन्य कॉरपोरेट हाउसेज को भी प्री-मैलिंग जरूरतों का व्यापक समाधान किया जाता है।
- ➲ अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के अलावा, इस कार्य कॉरपोरेट और विस्तृत डाक उपभोक्ताओं की जरूरतों का समाधान होता है।
- ➲ देश के बड़े डाक घरों के बिजनेस पोस्ट केंद्रों में बिजनेस पोस्ट मेवाएं मौजूद हैं।
- ➲ इसके अंतर्गत, होम/ऑफिस कलेक्शन, अंतर्वेश, सीलिंग, पता लिखना, चिपकाना, विशेष प्रबंधन आदि सेवाएं दी जाती हैं।

डायरेक्ट पोस्ट

- ➲ देश में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के कारण व्यापारिक संगठनों के उत्पादों एवं सेवाओं की डायरेक्ट एडवरटाइजिंग की जरूरत बढ़ रही है।
- ➲ बिक्री संदेश या किसी उपभोक्ता अथवा बिजनेस मार्केट से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार प्रकाशित सामग्री डायरेक्ट मेल सेवा कहलाती है।

- ⦿ विकसित देशों में डायरेक्ट मेल डाक प्रशासनों द्वारा संचालित किया जाने वाला बहुत बड़ा माध्यम होता है। डायरेक्ट मेल किसी विशेष पते के लिए या पता रहित भी हो सकता।
- ⦿ भारत में डायरेक्ट मेल, डायरेक्टर पोस्ट का पता रहित अंश होता है और इमें पत्र, कार्ड, ब्रॉशर्स, प्रावलिया, पेरफलेस, नमूने, सीडी/फ्लॉपी और कैसेट आदि जैसे प्रचार सामग्री हो सकती है।
- ⦿ इसके अलावा कुपन, पोस्टर्स, मेलर्स या भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 या भारतीय डाक घर नियम 1933 द्वारा गैर-प्रतिबंधित प्रकाशित सामग्री भी हो सकती है।

रिटेल पोस्ट

- ⦿ ग्राहकों को सुविधा और वहन योग्य सेवाओं को उनके निकट लाने के लिए डाक विभाग को एक ही स्थान के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
- ⦿ रिटेल पोस्ट का लाभ उठाने के लिए 1,55,000 डाकघरों के नेटवर्क को बिजली बिल, टेलिफोन बिल, कर, फीस, राखी लिफाफों की बिक्री, पता सत्यापन सेवा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार एजेंसियों आदि सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है।
- ⦿ रेल मंत्रालय के सहयोग से डाकघरों में सभी श्रेणियों की रेल टिकटों को सुविधाजनक स्थलों पर मुहैया कराया जा रहा है।

पोस्ट शॉप

- ⦿ अपने ग्राहकों को खरीदारी का आरामदेह अनुभव प्रदान करने के लिए डाक विभाग ने पोस्ट शॉप के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया है।
- ⦿ महत्वपूर्ण डाकघरों में स्थित पोस्टशॉप एक सुविधा स्टोर के तौर पर है, जहां आमतौर पर डाक टिकटें फस्ट डे कवर्स, फ्रैम्स, एल्बम और 'माई स्ट्रेप' कॉर्नर होते हैं जहां लोग अपनी तस्वीर वाली स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं।
- ⦿ स्टेशनरी उत्पादों के अलावा इन दुकानों पर कवर्स/लिफाफे, सीडी मेलर्स आदि भी मिलते हैं।
- ⦿ पोस्ट शॉप्स में सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरों द्वारा स्थानीय स्तर पर काम में आने वाली पारंपरिक वस्तुओं को भी रखा जाता है।
- ⦿ यहां आधुनिक शेल्फ और रैक पर आकर्षक तरीके से वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं जिससे ग्राहकों को शॉपिंग का सुखद अहसास होता है।
- ⦿ मौजूदा समय में देश में 80 पोस्ट शॉप कार्यरत हैं और इन्हें ग्राहकों की अधिकाधिक पहुंच के जरिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना

- ⦿ वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 में शुरू की गई और वित्त मंत्रालय

तथा आरटीआई द्वारा चलाई जा रही सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना (एसजीबी) को भी विभाग सक्रियता से संचालित कर रहा है।

- ⦿ योजना का लक्ष्य सबसे निचले स्तर पर निवेशकों तक पहुंचना और जनता के बीच 'पेपर गोल्ड' को लोकप्रिय बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर

- ⦿ देश से बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आरटीआई फीस जमा कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर (ई-आईपीओ) की शुरुआत की गई थी।
- ⦿ यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा रखा गया था।
- ⦿ धारक फीस ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए जमा करा कर इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं।
- ⦿ वह वीजा या मास्टर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से यह फीस जमा करा सकते हैं।
- ⦿ इस सुविधा की शुरुआत 2013 को केवल प्रवासी भारतीयों के लिए की गई थी जो दुनिया भर में कहीं भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के जरिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) से सूचना प्राप्त कर सकते थे।
- ⦿ 2013 को विदेशों में स्थित 176 भारतीय दूतावासों में भी इस योजना को समाप्ति किया गया।
- ⦿ 2014 को भारतीय नागरिकों के लिए भी ईआईपीओ सुविधा आरंभ कर दी गई। जिससे उन्हें आरटीआई फीस ऑनलाइन भरने में सुविधा हो।

ई-डाकघर

- ⦿ ई-डाकघर डाक विभाग का ई-कॉर्मस पोर्टल है जो इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सुविधा प्रदान करता है।
- ⦿ पोर्टल का लक्ष्य आमजन को उनके घरों/दफ्तरों से कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सेवाएं प्रदान करने की सुविधा देना है।
- ⦿ इसके जरिए ग्राहक डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फिलाटेलिक टिकटों की खरीद और पीएलआई/आरपीएलआई के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक को पहली बार इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होता है।

ई-डाक

- ⦿ 2004 को आरंभ की गई ई-डाक सेवा इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने की सुविधा देने वाली गर पंजीकृत हाइब्रिड सेवा है जिसमें टेक्स्ट मैसेज, स्कैन किए गए चित्र तथा अन्य तस्वीरें शामिल हो सकती हैं।

- ⦿ हार्ड कॉपी डाकघरों के माध्यम से नियत स्थान पर पहुंचाई जाती है।
- ⦿ मौजूदा समय में, ई-डाक सुविधा 13,000 डाक घरों पर उपलब्ध है और उन्हें 1.54 लाख से अधिक डाकघरों आदि के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की मदद ग्राहक अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार संदेश को तैयार, डिजाइन और भेज सकते हैं।
- ⦿ प्री-पेड ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रीचार्ज सुविधा डेबिट/क्रेडिट कार्ड के आधार पर उपलब्ध है।

ई-भुगतान

- ⦿ व्यवसायों एवं संगठनों को डाकघर के माध्यम से अपने बिल या भुगतान प्राप्त करने के रूप में काम करने वाली सेवा है।
- ⦿ ई-भुगतान किसी भी संगठन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक विधि से भुगतान प्राप्त कर सकती है।
- ⦿ इसके जरिए टेलिफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फीस, कर, विश्वविद्यालय फीस, स्कूल फीस आदि प्राप्त की जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- ⦿ भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का सदस्य है। 192 देशों के इस संगठन का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना, सुगम बनाना और सुधारना है।
- ⦿ यूपीयू के पोस्टल ऑफरेशंस काउंसिल (पीओसी) के चुने गए सदस्य के रूप में भारत कमेटी-1 का सहअध्यक्ष भी है।
- ⦿ भारत सेवा निधि गुणवत्ता, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का प्रतिष्ठित सदस्य भी हैं जो विकासशील देशों में डाक सेवाओं के विकास के लिए काम करता है।
- ⦿ भारत एशियन पैसेफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के 31 सदस्य देशों में से एक है।
- ⦿ एपीपीयू का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को बढ़ाना, सहयोग और उनमें सुधार लाना।
- ⦿ साथ ही, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डाक सेवाओं में सहयोग करना है।

मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट

- ⦿ मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (एमएनओपी) को डाक तंत्र को सुचारू बनाने के लक्ष्य से उसकी मूल कार्यप्रणाली को सुसंगत बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया है।
- ⦿ इस परियोजना में स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय डाक, प्रथम श्रेणी डाक और द्वितीय श्रेणी डाक को समाहित किया गया है।
- ⦿ एमएनओपी को देशभर में 23 डाक सर्कलों के जरिए अमल में लाया गया है।

- ⦿ एमएनओपी परियोजना के जरिए नागरिकों को स्पीड पोस्ट की डिलिवरी गुणवत्ता, स्पीड पोस्ट के जरिए बुकिंग से डिलिवरी तक की डाक विभाग की वेबसाइट पर सूचना जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

सड़क परिवहन नेटवर्क विभाग

- ⦿ पार्सलों के सुरक्षित एवं त्वरित संचारण और विशेषकर ई-कॉमर्स द्वारा प्रेषित सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए विभाग ने समर्पित मार्ग परिवहन नेटवर्क का गठन किया है।
- ⦿ इस पहल के अंतर्गत, अभी तक, देश के 67 शहरों के 17 सर्कलों के 42 रूटस संचालित किए गए हैं। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत 2 लंबे रूट्स भी निर्धारित किए जा चुके हैं।

पोस्टमैन मोबाइल एप (पीएमए)

- ⦿ डाक विभाग के मैसूर स्थित सेंटर फॉर एक्सिलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीपीटी) में पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से निर्मित 'पोस्टमैन मोबाइल एप' नामक एंड्रॉयड आधारित एप्लिकेशन विकसित की है।
- ⦿ इसे देशभर में 15,000 स्मार्टफोनों के जरिए लांच किया गया। मोबाइल एप की मदद से डिलिवरी स्टाफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल और सीओडी पार्सलों सहित रजिस्टर्ड पोस्ट की वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना का हिसाब रखता है।
- ⦿ एप में प्राप्तकर्ता/भेजने वाले के हस्ताक्षर लेने की भी सुविधा है।
- ⦿ वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना से पहले जैसी किसी भी तरह की गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है और ग्राहकों को डिलिवरी से जुड़ा असाधारण अनुभव प्राप्त होता है।
- ⦿ डाक विभाग अपने डिलिवरी स्टाफ को 38,000 अतिरिक्त स्मार्टफोन्स उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है।

फिलाटेली

- ⦿ फिलाटेली डाक टिकटों का संग्रह करने, डाक टिकटों का इतिहास और अन्य संबद्ध वस्तुओं के अध्ययन की रुचि है।
- ⦿ यह टिकट संग्रह के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्मरण करने तथा राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति और घटनाओं को प्रोत्साहित करने का तरीका है।
- ⦿ डाक टिकट संचित्र प्रतिनिधि होती हैं। यह देश की संप्रभुता की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ⦿ स्वतंत्रता के उपरांत, डाक टिकटों के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीकी में देश की उपलब्धियों को दर्शाया जाता था।
- ⦿ साथ ही, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास, और इस्पात संयंत्र और बांध आदि के बारे में भी

- बताया जाता था।
- ➲ बाद में देश को समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दर्शाया गया और कई खूबसूरत डाक टिकटों में कला, स्थापत्य, कौशल, सामुद्रिक धरोहर, विज्ञान, तकनीकी, रक्षा एवं सिनेमा जैसे विषय भी दिखे।
 - ➲ स्मारक डाक टिकटों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान नेताओं को भी सम्मान दिया गया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम महात्मा गांधी का है।
 - ➲ राष्ट्रपिता को स्मारक एवं स्थायी डाक टिकटों के माध्यम से सम्मान दिया गया।
 - ➲ चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, संगीत, सामाजिक उत्थान आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली विभूतियों को भी इस माध्यम से सम्मान दिया गया।
 - ➲ ‘डाक चिह्न’ और ‘सांस्कृतिक राजदूत’ के उनके दोहरे चरित्र को ध्यान में रखते हुए डाक टिकटों की स्थायी व स्मारक दो श्रेणियां हैं।
 - ➲ स्थायी डाक टिकट प्रतिदिन की डाक भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनके डिजाइन अपेक्षाकृत सरल, निर्माण में कम खर्चीली और लंबे समय तक इनकी बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग की जाती है।
 - ➲ वहीं दूसरी ओर, स्मारक डाक टिकटों को बेहतर कलात्मक दृष्टि से डिजाइन और प्रिंट किया जाता है।
 - ➲ इनका निर्माण सीमित मात्रा में होता है और इनको लेकर डाक टिकट के शौकीनों एवं संग्रहकर्ताओं के बीच गहरी रुचि दिखती है।
 - ➲ डाक विभाग की फिलेटेलिक गतिविधियां हैं:
 - फिलेटेलिक ब्यूरो और काउंटरों के माध्यम से विशेष/स्मारक डाक टिकटों को डिजाइनिंग प्रिंटिंग, वितरण और बिक्री।
 - नियत डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी तथा लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, रजिस्टर्ड कवर की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और वितरण।
 - राष्ट्रीय स्तर पर फिलेटेलिक को प्रोत्साहन और फिलेटेलिक प्रदर्शनियों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व प्रदर्शनियों में भागीदारी के साथ राज्य/क्षेत्रीय और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन।
 - राष्ट्रीय फिलेटेलिक संग्रहालय, डाक भवन का रख-रखाव।

माई स्टाम्प्स

- ➲ माई स्टाम्प्स भारतीय डाक टिकटों का निजी रूप है।
- ➲ ग्राहक की तस्वीरें और संगठन स्मारकों अथवा कलाकृतियों

की छोटी छवियां, धरोहरनुमा इमारतों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य पशुओं एवं पक्षियों आदि की छोटी तस्वीरों के माध्यम से उन्हें निजी कार्य हेतु उपयुक्त बनाया जाता है।

जन शिकायतें

कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसीसी)

- ➲ अपनी सेवाओं के संबंध में विभाग के पास जन शिकायतें सुनने की सुचारू प्रणाली है।
- ➲ सेवाओं की गुणवत्ता और जन शिकायतें पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया भी मौजूद है।
- ➲ जन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और उनके सुचारू संचालन के लक्ष्य के आधार पर विभाग ने ग्राहक सेवा केंद्रों को वेब आधारित शिकायतों के संचालन की दृष्टि से अपग्रेड किया है।
- ➲ कंप्यूटराइज्ड ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसीसी) सॉफ्टवेयर के बदले स्वरूप को 2010 से काम में लाया जा रहा है।
- ➲ इसके अलावा, स्वचालित पावती उत्पादन; अनसुलझी शिकायतों पर बेहतर कार्रवाई और शीघ्र निपटान के लिए अगले प्रशासनिक स्तर पर भेजना; शिकायतों का छोटी, बड़ी और गंभीर श्रेणियों में आवंटन; जांच पूरी होने पर शिकायतकर्ता को स्वचालित उत्तर; शिकायतकर्ता से फीडबैक उपलब्ध करना आदि जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है।
- ➲ मौजूदा समय में देशभर में डाकघरों, छंटाई केंद्रों, स्पीड पोस्ट केंद्रों और मंडलीय/क्षेत्रीय/सर्कल मुख्यालयों में जन शिकायतों के निपटान के लिए 19201 सीसीसीसी स्थापित किए जा चुके हैं जो इस संबंध में ऑनलाइन सूचना का आदान-प्रदान करते हैं।
- ➲ इस नेटवर्क में देश के सभी मुख्य डाकघरों को समाहित किया गया है। इसका लक्ष्य ग्राहकों की शिकायतों के अलावा, उनके लिए जरूरी सूप बदल को त्वरित और सुचारू बनाना है।

सोशल मीडिया सेल

- ➲ सोशल मीडिया सेल एक स्वायत्त इकाई है और ट्रिवटर तथा फेसबुक पर डाक विभाग के सभालता है।
- ➲ सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें समयबद्ध होती हैं और 24 घंटे के भीतर इनका जवाब दिया जाता है।
- ➲ सोशल मीडिया सेल प्रतिदिन सभी सर्कलों को भेजी गई शिकायतों पर नजर रखता है।
- ➲ जुलाई 2018 तक विभाग को ट्रिवटर सेवा पर 1,06,096 शिकायतें प्राप्त हुई और उनके निपटान की दर 99.6% रही।

सूचना प्रौद्योगिकी

- ➲ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट (आईएसपी लाइसेंसिंग को छोड़कर) तथा साइबर सुरक्षा संबंधी नीतिगत विषयों को देखता है।
- ➲ इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानव संसाधनों का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं द्वारा दक्षता बढ़ाना और सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।
- ➲ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लांच करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका बढ़ गई है।
- ➲ कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
- ➲ कार्यक्रम के तीन विजन हैं- प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाएं तथा देश में डिजिटल खाई को पाठ कर नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।
- ➲ यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम अवसंरचना, विनिर्माण, कौशल तथा डिलिवरी प्लेटफॉर्म की समग्र क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया है जो कालक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में नेतृत्व करेगा।
- ➲ प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना में नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्धता, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान मोबाइल फोन और बैंक खातों से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी पब्लिक कन्नारद के बीच निजी स्थान बनाना और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस गठित करना।
- ➲ नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में वैशिक डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना, डिजिटल स्रोतों तक आसान पहुंच बनाना, सभी सरकारी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराना और डिजिटल स्रोतों/सेवाओं को भारतीय भाषाओं में क्लाउड के माध्यम से सभी के अधिकार सुनिश्चित करना है।
- ➲ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के नौ स्तंभों यथा ब्रॉडबैंड हाइके, मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी को जोड़ना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस, तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी, सब के लिए सूचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण,

- ➲ सूचना प्रौद्योगिकी का नौकरियों और अच्छी पैदावार के लिए कृषि कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ➲ मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के विभागों के साथ किया जाता है। मंत्रालय दो प्रमुख अधिनियमों के दायरे में कार्य करता है।
- ➲ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा के आदान-प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों जिन्हें सामान्यतः 'इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य' कहा जाता है और जिसमें पत्र-व्यवहार और सूचना के भंडारण के कागज आधारित विकल्पों का उपयोग शामिल है, किए गए कार्यों को विधिक मान्यता देने तथा सरकारी अभिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में फाइल करने का प्रावधान है।
- ➲ इसके अंतर्गत, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी निर्देशित किया गया है। इस अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के माध्यम से संशोधन किया गया।
- ➲ इस संशोधन में 'डिजिटल दस्तखत' के स्थान पर 'इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत' शब्द रखा गया है।
- ➲ इस संशोधन के माध्यम से नए खंड जोड़ने के साथ-साथ विभिन्न खंडों में बड़े परिवर्तन किए गए।

डिजिटल हस्ताक्षर

- ➲ डिजिटल हस्ताक्षर या सिग्नेचर एक प्रकार का कंप्यूटर कोड होता है, इसका प्रयोग केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे उपयोग करने के लिये या तो यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है।
- ➲ इसके अलावा कहीं-कहीं डॉगेल का भी प्रयोग किया जाता है जो एक प्रकार की पेनड्राइव जैसी डिवाइस होती है।
- ➲ यह उसी प्रकार की व्यवस्था है, यानि डिजिटल सिग्नेचर केवल वही व्यक्ति कर पायेगा, जिसके पास यह दोनों चीजें हों।
- ➲ जैसे कागज के सर्टिफिकेट्स पर मैनुअली साइन किये जाते थे, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स पर डिजिटल सिग्नेचर किये जाते हैं। यह कानूनी तौर पर मान्य होते हैं।
- ➲ लक्षित लाभार्थियों तक विभिन्न लाभों और सब्सिडी को पहुंचाने के उद्देश्य से आधार प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के सभी प्रयास किए गए हैं।
- ➲ आधार को वैधानिक शक्ति प्रदान करने के लिए संसद में उचित विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

- ➲ आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) कानून, 2016 में सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की डिलिवरी में सुशासन, दक्षता, पारदर्शिता का प्रावधान है।
- ➲ इस पर आने वाला खर्च भारत की सचित निधि से किया जाता है। यह लाभ भारत में रहने वाले लोगों को आधार संख्या प्रदान कर दिया जाता है।
- ➲ इस विधेयक में आधार नामांकन संख्या, यूआईडीएआई की मौलिक स्थापना आदि सभी क्षेत्रों को समाहित किया जाता है। यूआईडीएआई अब वैधानिक इकाई है।

डिजिटल पहचान

- ➲ आधार 12 अंकों का बायोमीट्रिक और जनसंखियकी आधारित पहचान स्थापित करता है जो अपने आप में अनोखी, ऑनलाइन और प्रामाणिक होती है।
- ➲ 12 जुलाई, 2016 को अस्तित्व में आए आधार विधान के अंतर्गत, यूआईडीएआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार होता है।
- ➲ आचार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार संबंधित कार्यों के सभी चरण, योजना विकास, व्यक्तियों का आधार वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली तथा प्रमाणीकरण की देखरेख और लोगों को निजी सूचना एवं प्रमाणीकरण रिकॉर्डों को सुनिश्चित करना शामिल है।
- ➲ अभी तक 116 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- ➲ आधार वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा डिजिटल लेनदेन और भुगतान में भी सहायक भूमिका निभाता है। इससे जुड़ी कुछ बड़ी शुरुआते हैं:

आधार सक्षम भुगतान

- ➲ **आधार पेमेट ब्रिज (एपीबी):** ऐसे किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर के जरिए उसके बैंक खाते में भुगतान भेजा जा सकता है, बशर्ते कि उसका खाता आधार नंबर से जुड़ा हो।
- ➲ एपीबी के जरिए भारत सरकार लाभार्थियों के खातों में लाभ एवं सब्सिडी सीधे भेज सकती है।
- ➲ **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस):** ईपीएस ऐसा मंच है जिसके जरिए व्यक्ति मार्फतोएटीएम से अपने खाते में बुनियादी लेन देन कर सकता है, जिनमें पैसा निकालना, कैश जमा करना, पैसे का स्थानांतरण आदि शामिल हैं।
- ➲ बैंक का चुनाव स्थानिक निवासी करता है क्योंकि यह स्थानिक आधारित लेन देन होता है।
- ➲ **आधार भुगतान:** यह ईपीएस का व्यापारिक रूप है।

- ➲ यह एप्लिकेशन सस्ते एंड्रॉयड फोन पर, सरल बायोमीट्रिक उपकरण से नियंत्रित किया जा सकता है।
- ➲ इसके द्वारा व्यापारी ग्राहकों से कैशहित भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी।
- ➲ **पेटू आधार:** भीम एप से जुड़ी यह सुविधा यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके जरिए, प्राप्तकर्ता के आधार नंबर को वित्तीय पते के रूप में पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) भुगतान किया जा सकता है।
- ➲ भुगतान करने वाले और प्राप्तकर्ता के आधार नंबर जुड़े होने चाहिए। 2017 को यह योजना शुरू की गई थी।

आधार सक्षम सेवाएं

- ➲ **पीडीएस के तहत अनाज का लक्षित वितरण:** 18.05 करोड़ राशन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणीकरण के बाद राशन प्राप्त होता है। इससे इस बात की सुनिश्चितता रहती है कि कोई अन्य उनका राशन न प्राप्त करें और चोरी आदि जैसे मामलों में कमी आती है।
- ➲ आधार व्यवस्था से 2.33 करोड़ जाली राशन कार्डों और डीबीटी प्रक्रिया पर रोक लगी है जिससे मार्च, 2017 तक 14,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है।
- ➲ **पहल और उज्ज्वला योजनाएः:** पहल योजना के अंतर्गत 15.12 करोड़ एलपीजी लाभार्थियों को एलपीजी सब्सिडी उनके बैंक खातों में प्राप्त होती हैं।
- ➲ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 2.5 करोड़ करेक्षण जारी किए गए हैं।
- ➲ **ई-केवाईसी से बैंक खाते खोलने की सुलभता:** आधार ने इसे बैंक खाता खोलने के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर सक्षम बनाया है।
- ➲ **आयकर जमा कराने के लिए ई-सत्यापन:** आधार द्वारा ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए आयकर जमा कराने और आयकर अधिकारियों को भौतिक तौर पर आईटीआर-5 भेजने के लिए आयकर देने वालों को सहूलियत दी गई है।

ई-गवर्नेंस

- ➲ शीर्ष कार्यक्रम के रूप में डिजिटल इंडिया की शुरुआत के साथ ई-क्रांति, ई-गवर्नेंस प्रणालियों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति, ईमेल नीति, आईटी संसाधनों के उपयोग की नीति, सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोड को खोल कर सहकारी एप्लीकेशन विकास की नीति, क्लाउड रेडी एप्लीकेशनों के

- लिए एप्लीकेशन विकास और ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा जैसी अनेक नीतिगत पहल की गई है।
- ⦿ इस दिशा में ई-जिले, समान सेवा केंद्र तथा राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) जैसी प्रमुख योजनाएं भी काम कर रही हैं।
 - ⦿ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति: यह नीति सरकारी संगठनों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (ओएसएस) को औपचारिक रूप से अपनाने तथा उपयोग को प्रोत्साहन देती है।
 - ⦿ सभी सरकारी संगठन, ई-गवर्नेंस एप्लीकेशंस तथा प्रणाली को लागू करते समय नीति का परिपालन सुनिश्चित करना होता है।
 - ⦿ रणनीतिक नियंत्रण, सुरक्षा, संपूर्ण जीवन लागत तथा समर्थन आवश्यकताओं के संदर्भ में ओएसएस तथा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर (सीएसएस) की तुलना करके निर्णय लेंगे।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर

- ⦿ ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (OSS) ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जा सकता है और इसका सोर्स कोड (प्रोग्रामर ने जिस मीडियम में सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा परिवर्तन किया है) इंटरनेट पर फ्री रूप से उपलब्ध होता है।
 - ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है।
 - इसमें सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर के साथ शामिल किया जा सकता है।
 - ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है।
 - सोर्स कोड के संशोधित वर्जन को पुनर्वितरित किया जा सकता है।
 - साथ ही, एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस को अन्य सॉफ्टवेयर के संचालन के बहिष्करण या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।
- ⦿ सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोड को खोल कर सहयोगी एप्लीकेशन विकास: इस नीति का उद्देश्य ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन की गति को बढ़ाना तथा ओपन सोर्स कोड अपनाना, उच्च गुणवत्ता संपन्न ई-एप्लीकेशनों को संयुक्त प्रयास से तेजी से क्रियान्वित करना है।
- ⦿ नवाचारी ई-एप्लीकेशनों और सॉल्यूशंस को संयुक्त प्रयास के जरिए प्रोत्साहन देना भी लक्ष्य है।

- ⦿ **सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग:** यह नीति उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करती है।
- ⦿ इसका उद्देश्य सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों तक उचित पहुंच और उपयोग को सुनिश्चित करना और उसका दुरुपयोग रोकना है।
- ⦿ **भारत सरकार की ईमेल नीति:** यह नीति सरकार की ईमेल सेवाओं के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करती है।
- ⦿ यह नीति भारत सरकार की ईमेल सेवा का उपयोग करने वाले भारत सरकार के सभी कर्मचारियों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो भारत सरकार की ईमेल सेवा का उपयोग करते हैं।
- ⦿ इसका उद्देश्य भारत सरकार के ई-मेल सर्वर इस्तेमाल करने वालों को इसके सुरक्षित इस्तेमाल और एक्सेस को सुनिश्चित करना है।
- ⦿ **ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेसेज (एपीआई):** यह ओपन एपीआई के संबंध में सरकार की शुरुआत है जिसका उद्देश्य सभी ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन तथा प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर के अंतरसंचालन को प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डाटा सेवाओं तक एक्सेस प्रदान करना है।
- ⦿ **ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा (ई-जीसीएफ):** टूलकिट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एंड यूजर नॉलेज एरिया का सेट होता है।
- ⦿ इस रूपरेखा का उद्देश्य क्षमता सूजन योजना को सुदृढ़ बनाना है ताकि ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए आवश्यक सक्षमता आधारित प्रणाली के माध्यम से सक्षमता को चिह्नित और परिभाषित किया जा सके।
- ⦿ सेवाओं की गुणवत्ता में परिवर्तन करने तथा एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए 'ई-क्रॉटि' पहल का उद्देश्य क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और सेवाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- ⦿ इस कार्यक्रम का सिद्धांत 'परिवर्तन' करना है, कार्य में परिणत करना नहीं। इसका उद्देश्य एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है, व्यक्तिगत सेवाएं देना नहीं।
- ⦿ एक अन्य महत्वपूर्ण पहल 'जीवन प्रमाण' है जिसका उद्देश्य पेंशनधारियों को आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करना है।
- ⦿ इसकी शुरुआत से अभी तक 88.72 लाख पेंशनधारकों ने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया है और 77.04 लाख डिजिटल प्रमाणपत्रों को सफलतापूर्वक प्रोसेस्ड किया जा चुका है।

- ➲ एक 'डिजिटल लॉकर प्रणाली' की परिकल्पना एक प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है जिससे नागरिक सेवा प्रदाताओं से अपना दस्तावेज साझा कर सकेंगे और सेवा प्रदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के दस्तावेजों को एक्सेस कर सकेंगे।
- ➲ 'ई-साइन' की रूपरेखा जारी कर दी गई है। इससे नागरिक आधार कार्ड का उपयोग करते हुए दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकेंगे।

डिजीटल लॉकर

- ❑ भारत सरकार हर सरकारी काम का डिजिटीलाइजेशन कर रही है। इस क्रम भारत के संचार एवं आईटी मंत्रालय की शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने हाल ही में डिजिटल लॉकर के एक बीटा संस्करण को लांच किया है।
- ❑ इस संस्करण का नाम डिजीलॉकर रखा गया है। इस नए डिजी सिस्टम के माध्यम से आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव कर पाएंगे।
- ❑ आप इंटरनेट में जाकर digitallocker-gov.in में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- ❑ डिजीटल लॉकर को खोलने के लिए आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना खाता खोलना होगा। पंजीकरण करने के लिए आपको मुख्यपृष्ठ पर (अभी रजिस्टर करें) नामक बटन दबाना होगा और फिर नए खुले पृष्ठ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा।
- ❑ फिर आप ओटीपी या अंगुली के निशान के जरिए लॉगिन (अंदर प्रवेश) कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपसे जो सूचना मांगी जाए उसे भरें। इसके बाद आपका खाता बन जाएगा।
- ❑ खाता खुलने के बाद आप कभी भी इस पर अपने व्यक्तिगत दस्तावेज डाल (अपलोड कर) सकेंगे और बिना किसी शुल्क के सुरक्षित रख सकेंगे।
- ❑ लेकिन आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करने वाली शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
- ➲ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल किसी भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्रदान करने वाला केंद्रीकृत मंच है।
- ➲ इस प्रणाली में विद्यार्थियों का पंजीकरण, प्रार्थना पत्र, मंजूरी एवं अदायगी कार्य समाहित हैं। 1.21 करोड़ से अधिक आवेदन जारी किए जा चुके हैं। 8 मंत्रालयों/विभागों की 52 योजनाएं पंजीकृत की गई हैं।
- ➲ विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए मोबाइल सेवा कार्यक्रम लांच किया गया है।
- ➲ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, सामाजिक कल्याण तथा ई-गवर्नेंस

पर सूचना प्रदान करने के लिए 15 से अधिक भाषाओं में 'विकासपीडिया' पोर्टल लांच किया गया है। इसमें और भाषाओं को जोड़ा जाएगा।


- ➲ Mygov.in एक अभिनव प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सरकार के निर्णयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि सुशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- ➲ यह नागरिकों और विश्व भर के शुभेच्छुओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करता है।
- ➲ भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ई-सेवाओं के संबंध में लगातार फीडबैक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'रेपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस)' की शुरुआत की है।
- ➲ इस प्रणाली में फीडबैक प्राप्ति के लिए विभिन्न चैनल हैं और विश्लेषणकर्ता इस पर नजर रखते हैं। यह विश्लेषणकर्ता स्थायी सुधार और बेहतर प्रशासन के लिए संबंधित विभागों को सहयोग करते हैं।
- ➲ ई-संपर्क डाटाबेस जन प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों को संदेश और ईमेल भेजने के लिए विकसित किया गया है।
- ➲ इस डाटाबेस में 1.90 लाख ईमेल एड्रेस और 82 करोड़ मोबाइल नंबर हैं। 563 अभियानों के लिए मेलर्स/भेजी गई ईमेल्स की संख्या 301 करोड़ से अधिक है।
- ➲ ई-ताल वेब पोर्टल, मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की ई-गवर्नेंस योजनाओं के संबंध में ई-लेनदेन आंकड़ों के प्रसार का काम करता है।
- ➲ आधार सहायक बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली (ईबीएस): सरकार में दक्षता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार सक्षम बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है।
- ➲ ई-पेमेंट संरचना: सभी भुगतान और प्राप्तियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। ऑनलाइन भुगतान के लिए सामूहिक मंच payonline.gov.in पोर्टल लांच किया गया है।
- ➲ ई-अस्पताल: बाह्यरोपी पंजीकरण (ओआरएफ) सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट सुविधा के लिए है। इसमें रोगी देखभाल, प्रयोगशाला सेवाएं तथा चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन को कवर किया गया है।
- ➲ ई-ज़िले: यह ई-क्रांति के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) होती है। इस परियोजना का नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और इसे राज्य सरकारों तथा उनकी निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा।

- ➲ मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य जिला और ऐसे उपजिला स्तर पर, जो किसी अन्य मिशन मोड परियोजना का हिस्सा नहीं हैं, एमएमपी ई-अवसंरचना के चार स्तंभों का लाभ उठाकर उन्हें अमल में लाती है।
- ➲ यह परियोजना 634 जिलों में लांच की गई और 1012 ई-सेवाएं भी लांच की गई हैं।
- ➲ समान सेवा केंद्र: इस योजना का उद्देश्य भारत के 6 लाख गांवों में आईसीटी सक्षम फ्रंट एंड सेवा आउटलेट प्रदान करना है।
- ➲ ऐसे इंटरनेट सक्षम केंद्रों से नागरिकों, निजी कौशल विकास, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक एक्सेस की अनुमति होती है। बैंकिंग, बीमा तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत पेंशन सेवाओं ने समान सेवा केंद्रों (सीएससी) को जीवंत बना दिया है।
- ➲ डिजिटल साक्षरता प्रसार के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए) से सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सक्रिय भागीदारी सक्षम बनाया गया है।
- ➲ आधार नामांकन/अपडेट को सीएससी के जरिए सक्षम बनाया गया है। देश में 3,00,774 सीएससी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें अगस्त 2017 तक 1,96,922 ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर हैं।
- ➲ राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन): एसडब्ल्यूएएन को ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए मुख्य अवसंरचना तत्व के रूप में चिह्नित किया गया है।
- ➲ राष्ट्रीय गवर्नेंस एक्षन प्लान के अंतर्गत इसे एनआईसीएनईटी/राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) के जरिए ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का प्रस्ताव है।
- ➲ यह 34 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के विभागों में कार्यरत है और इसकी औसत बैंडविड्थ उपयोग 60% है। एसडब्ल्यूएएन को 28 राज्यों/यूटीज में राष्ट्रीय ज्ञान संजाल (एनकेएन) के साथ जोड़ा गया है।
- ➲ क्षमता विकास योजना 2 (सीबी स्कीम 2): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, एमईआईटीवाई के अंतर्गत, भारत सरकार ने क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण को पारित किया है।
- ➲ इसके अधीन, सरकारी तंत्र में उचित योग्य गुणों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए समानता और तालमेल की जरूरत पर बल दिया गया है।
- ➲ क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यीय केंद्रशासित लाइन विभागों में विभिन्न पहलों के लिए ई-गवर्नेंस को सशक्त करना है।
- ➲ जीआई क्लाउड: क्लाउड संगणना के उपयोग और लाभ देने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'जी

- ➲ क्लाउड' प्रारंभ किया है जिसे 'मेघराज' नाम दिया गया है।
- ➲ इस कार्यक्रम का फोकस रणनीति विकसित करने तथा सरकार में क्लाउड के प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी व्यवस्था सहित विभिन्न घटकों को लागू करने पर है।

क्लाउड कम्प्यूटिंग

- ➲ क्लाउड कम्प्यूटिंग या मेघ संगणना वास्तव में इंटरनेट-आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर ऐप्लीकेशन का इस्तेमाल है।
- ➲ गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है जो बिजनेस ऐप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया करता है और वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है।
- ➲ इंटरनेट पर सर्वरों में जानकारियाँ (अनुप्रयोग, वेब पेजेस, प्रोग्राम इत्यादि सभी) सदा सर्वदा के लिए भंडारित रहती हैं और ये उपयोक्ता के डेस्कटॉप, नोटबुक, गेमिंग कंसोल इत्यादि पर आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से संग्रहित रहती हैं।
- ➲ इसे थोड़ा विस्तारित और सरल रूप में कहें तो सीधी सी बात है कि अब तक जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप स्थानीय रूप से अपने कम्प्यूटर और लैपटॉप-नोटबुक पर संस्थापित करते रहे थे, अब इनकी कर्तव्य आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर अब आपको वेब सेवाओं के जरिए मिला करेंगी।
- ➲ वेब होस्टिंग के क्षेत्र में भी क्लाउड का उपयोग कर नवीनतम प्रकार की वेब होस्टिंग सेवा क्लाउड होस्टिंग प्रस्तुत की गई है।
- ➲ यही नहीं, गूगल गियर जैसे अनुक्रमों के जरिए आपको इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं ऑफलाइन भी मिला करेंगी।
- ➲ क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप्य और अक्सर आभासी संसाधनों को इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।



- ➲ राष्ट्रीय जियो-इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनसीओजी): यह केंद्र सरकारी मंत्रालयों/विभागों को जीआईएस आधारित सेवाएं प्रदान करता है।
- ➲ एनसीओजी वर्तमान में विभिन्न संगठनों के लिए जीआईएस आधारित निर्णय समर्थ प्रणाली तैयार करने का काम कर रहा है।
- ➲ ग्राम स्तर, प्रमुख सड़कों, नदियों, रेल तक प्रशासनिक सीमाओं के लिए पूरे देश में 1:10,000 के स्केल पर बेस मैप लेयर्स पूरे कर लिए गए हैं।
- ➲ जीआईएस आधारित डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) प्लैटफॉर्म विकसित किए गए हैं। अभी तक, विभिन्न डोमेन्स तक 21 एप्लीकेशन कार्य कर रहे हैं।

डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन

- ➲ डिजिटल भुगतान तंत्र डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का नैसर्गिक विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेन को औपचारिक बनाकर अर्थव्यवस्था को बदलने की पूरी क्षमता है।
- ➲ डिजिटल भुगतान के जरिए कम कीमत पर सेवाएं, व्यापक मापक क्षमता का बहन और लघु उद्योगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तथा ई-वाणिज्य के लाभ मुहैया कराए जा सकते हैं।
- ➲ 2016 में नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ‘डिजिशाला’ नामक एक नये शैक्षिक चैनल की शुरुआत की गई थी।
- ➲ डीडी फ्री डिश के साथ, डिजिशाला अब चैनल नंबर 2032 डिश टीवी (जी ग्रुप) पर भी उपलब्ध है।
- ➲ डीडी फ्री डिश पर डिजिशाला शैक्षिक एवं गैर-व्यावसायिक टीवी चैनल के तौर पर उपलब्ध है।
- ➲ 2016 में ही www.cashlessindia.gov.in नामक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। बतौर ज्ञान संग्रहक इसका लक्ष्य विभिन्न तरह की डिजिटल भुगतान विधियों, योजनाओं के प्रति नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाना है।

UPI

- ➲ UPI या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने और प्राप्त करने में आपकी मदद करता है।
- ➲ यह सिर्फ अपने UPI ID या अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करने में आपकी मदद करता है।
- ➲ बाजार में कई लोकप्रिय UPI ऐप्स उपलब्ध हैं जैसे BHIM, तेज, SBI UPI, HDFC UPI, iMobile ऐप आदि।

ई-वॉलिट

- ➲ ई-वॉलिट ने उस समय लोगों को काफी राहत पहुंचाई थी, जब नोटबंदी के कारण नोटों की किल्लत हो गई थी।

- ATM भी खाली हो गए थे। तब से लोगों ने इसे अपनी रोजमर्ह की जिंदगी के एक हिस्से के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है।
- ई-वॉलिट का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल भरने, लोकल स्टोर्स से खरीदारी करने, किसी को पैसे भेजने और प्राप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। याद रखें कि RBI के दिशा-निर्देशानुसार अब ई-वॉलिट का इस्तेमाल करने के लिए KYC अनिवार्य है।

AEPS

- आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस (AEPS) पेमेंट करने का एक डिजिटल मोड है जो आपके लेनदारों को पेमेंट करने के लिए आपके आधार नंबर का इस्तेमाल करता है।
- पेमेंट करने के अन्य डिजिटल मोड के विपरीत, AEPS आपके द्वारा या आपकी तरफ से किए गए लेनदेन के लिए आपसे चार्ज लेता है।
- सुविधा की बात यह है कि यह पासवर्ड के रूप में सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करता है और इसके लिए किसी सिग्नेचर, अकाउंट नंबर या किसी अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है।
- आप इसके माध्यम से इंटरबैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

USSD

- अनस्ट्रेक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा (USSD) बाकी सब से थोड़ा अलग है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है।
- आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं या MPIN चेंज कर सकते हैं और वह भी बस एक फीचर फोन की मदद से।
- इसे ₹99 बैंकिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह लेनदेन करने के लिए अपने कोड के रूप में ₹99 का इस्तेमाल करता है।
- इस प्लैटफॉर्म के माध्यम से एक दिन में एक ग्राहक द्वारा अधिक से अधिक 5000 रुपये का लेनदेन किया जा सकता है और प्रत्येक लेनदेन पर अधिक से अधिक 2.5 रुपये चार्ज लिया जाता है।

- ➲ डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ‘डिजिधन मिशन’ नामक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ➲ सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुगमता की राष्ट्रीय (2013) को दिव्यांग व्यक्तियों की बाधाओं को दर करने के साथ साथ उन्हें दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी में स्वतंत्र रूप भाग लेने के लिए शुरू किया गया था।

- **इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष:** इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष (ईडीएफ) को 'फंड ऑफ फंड्स' के तौर पर स्थापित किया गया है ताकि वह पेशेवर तरीके से संचालित 'कन्या कोष' को सहयोग दे सकें।
- कन्या कोष इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में नई तकनीकों पर काम करने वाली कंपनियों को आयात पूँजी उपलब्ध कराएगा।
- यह फंड इन तकनीकी क्षेत्रों को शोध एवं विकास और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग उपलब्ध कराएगा। ईडीएफ के जरिए निवेश के लिए 22 कन्या कोषों का चयन किया गया है।

अनुसंधान विकास प्रोत्साहन और नवाचार

- **राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन (एनएसएम):** यह योजना 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू की गई है ताकि भारत विश्व स्तरीय कम्प्यूटिंग शक्तियों की श्रेणी में पहुंच सके।
- इसके अंतर्गत, अकादमिक/अनुसंधान, विकास संस्थानों में आधुनिक एचपीसी सुविधाएं एवं अवसंरचना विकसित किए जाने की योजना है।

भारतीय भाषाओं में आईसीटी का इस्तेमाल

- भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु की कमी बड़ी चुनौती है और विषय वस्तु निर्माण में सहायक उपकरणों को भी कमी देखी गई है।
- इस कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय रोलआउट योजना के अंतर्गत ओपन सोर्स सॉफ्टवेर टूल्स का स्थानीयकरण और उन्हें शुल्करहित कम्प्यूटर लैंग्वेज सीडी के जरिए उपलब्ध कराया गया है।
- इन्हें डाक के जरिए भेजा जाता है और <http://www.ildc.in> पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
- सीडी में सभी अधिकाधिक 22 भारतीय भाषाओं के लिए लिब्र ऑफिस, ओपन टाइप फॉन्ट्स, यूनिकोड टाइपिंग टूल, सकल भारती फॉन्ट, फायरफाक्स, वेब ब्राउजर, ई-मेलिंग क्लाइंट, ग्राफिक्स टूल आदि होते हैं।
- **ई-वेस्ट जागरूकता कार्यक्रम:** मंत्रालय ने ईएमडीपी के अंतर्गत जनता के बीच असंगठित क्षेत्र द्वारा ई-वेस्ट निपटान से जुड़े पर्यावरणीय खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- इसके जरिए जनता को ई-वेस्ट निपटान के वैकल्पिक तरीकों की जानकारी भी दी जाती है।
- असंगठित क्षेत्र द्वारा ई-कचरा निपटान संबंध में अपनाए जाने वाले तरीकों से जुड़े खतरों से जुड़ी जानकारी ई-वेस्ट वस्तु सूची, छोटे मापकों और फिल्मों के जरिए दी जाती है।

ई-वेस्ट

- | |
|---|
| □ जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लम्बे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने/खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो इस निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को ई-वेस्ट कहा जाता है। |
| □ जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, इन्वर्टर, यूपीएस, एलसीडी/टेलीविजन, रेडियो/ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा आदि। |
| □ विश्व में लगभग 200 से 500 लाख मी. टन ई-वेस्ट जनित होता है। |
| □ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में भारत में जनित ई-वेस्ट की कुल मात्रा 1.47 लाख मी. टन थी। जो कि वर्ष 2012 में बढ़कर लगभग 8 लाख मी. टन हो गई है। |
| □ जिससे विदित है कि भारत में जनित ई-वेस्ट की मात्रा विगत 6 वर्षों में लगभग 5 गुनी हो गई है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। |

ई-वेस्ट में पाये जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव

ई-वेस्ट का प्रकार	विषाक्त पदार्थ	मानव पर पड़ने वाला कुप्रभाव
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	लेड, कैडमियम	वृक्क, यकृत, तंत्रिका तंत्र, सिर दर्द।
मदर बोर्ड	बेरिलियम	फुफ्फुस, त्वचा व दीर्घकालिका रोग।
कैथोड ट्यूब	लेड ऑक्साइड, बैरियम, कैडमियम	हृदय, यकृत, मांसपेशियाँ, उदरशोथ।
स्विच, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर	मरकरी	मस्तिष्क, वृक्क, आदि का अविकसित होना।
कम्प्यूटर बैटरी	कैडमियम	वृक्क, यकृत को प्रभावित करता है।
केबिल इन्सुलेशन कोटिंग	पॉली विनायल क्लोरोइड	शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है।
प्लास्टिक हाउसिंग	ब्रोमीन	हार्मोनल तंत्र को प्रभावित करता है।

- इस दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से कचरा निपटान से जुड़ी बेहतर उपलब्ध प्रणाली की जानकारी भी दी जाती है। आमजन को 'स्वच्छ डिजिटल भारत' योजना का हिस्सा बन कर ई-वेस्ट

को अधिकृत कचरा निपटानकर्ताओं को सौंपने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

साइबर सुरक्षा

- ⦿ देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोग साइबर स्पेस में उपलब्ध सेवाओं और सूचनाओं पर निर्भर करते हैं।
- ⦿ सरकार, व्यवसाय और राष्ट्रीय अवसरंचना अधिकाधिक तौर पर साइबर स्पेस पर निर्भर हो रही है।
- ⦿ इलेक्ट्रॉनिक सूचना की गुणवत्ता और संख्या वृद्धि के साथ ही जहां बिजनेस मॉडलों में भी सुधार हुआ है, वहाँ आपराधिक एवं विरोधी पक्षों ने भी अपनी गतिविधियों को छुपकर अंजाम देने के लिए साइबर स्पेस को एक लाभकारी तरीके के तौर पर अपनाया है। अतः राष्ट्रीय कार्यसूची में साइबर स्पेस की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।
- ⦿ इसके महत्व को समझते हुए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई।
- ⦿ इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में सूचना तथा सूचना अवसरंचना को संरक्षित कर के, साइबर खतरों को रोकने के लिए क्षमता सृजन और संस्थागत अवसरंचनाओं, जनता, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी तथा सहयोग के माध्यम से अन्य साइबर घटनाओं से हुई क्षति को कम करके नागरिकों, व्यवसाय तथा सरकार के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है।
- ⦿ **नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी) :** की स्थापना साइबर हमलों के लिए तैयारी और पूर्वानुमान लगाने के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है।
- ⦿ एनसीसीसी देशभर में सभी स्रोतों से साइबर हमलों से जुड़ी सूचना एकत्र कर के उनका आकलन और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा, जिसकी मदद से सही समय पर संकट सूचना और नियतकालीन रिपोर्ट प्राप्त हो सकें।
- ⦿ इस शुरुआत से लोगों की विशेषज्ञता के इस्तेमाल, प्रमाणिक मानदंडों के उपयोग और स्रोतों की सहभागिता से देश में साइबर स्पेस को मजबूती और साइबर सुरक्षा की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी।
- ⦿ **साइबर स्वच्छता केंद्र:** इंडियन कंप्यूटर एमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनलिसिस सेंटर) का आरंभ किया है।
- ⦿ यह केंद्र बैंकों और आम इस्तेमाल कर्ताओं के पक्ष में खतरनाक कंप्यूटर कार्यक्रमों का पता लगाने और उसके लिए फ्री टूल्स मुहैया कराता है।

प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक

- ⦿ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीए) द्वारा जारी किए जाते हैं। जिसे अधिनियम प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीसीए) द्वारा अधिकार प्राप्त होता है।
- ⦿ सीसीए विभाग लाइसेंसशुदा प्रमाणन प्राधिकारों (सीए) को ई-साइन सेवा का अधिकार देता है जिसके लिए कानूनी ढांचा और दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं। अभी तक आठ में से तीन लाइसेंसशुदा सीए को ही ई-साइन सेवा का अधिकार दिया गया है।

साइबर अपीली अधिकरण

- ⦿ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 48(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार 2006 में साइबर नियामक अपीली अधिकरण (सीएटी) की स्थापना की गई।
- ⦿ आईटी अधिनियम के अनुसार प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक या कानून के तहत किसी न्यायिक अधिकारी के आदेश से यदि कोई व्यक्ति आहत है तो वह साइबर अपीली अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स

- ⦿ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स (सी-मेट) की स्थापना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पदार्थों के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिक्स आर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के अंतर्गत 1990 में की गई थी।
- ⦿ सी-मेट अपनी पुणे, हैदराबाद और श्रिसूर स्थित प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है।

एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क

- ⦿ एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरएनईटी) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।
- ⦿ इसने देश में नेटवर्किंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- ⦿ ईआरएनईटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के अतिरिक्त आईटी परामर्श, परियोजना प्रबंधन तथा प्रशिक्षण के जरिए अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन

- ⦿ देश में ई-गवर्नेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर ई-गवर्नेंस डिविजन की स्थापना की गई।

- एनईजीडी प्रोग्राम प्रबंधन तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों को पूरा करने में तकनीकी तौर पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

- वर्ष 1976 में स्थापित एनआईसी निचले स्तर तक ई-गवर्नमेंट/ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन बनाने वाले वृहद संगठन और सतत विकास के लिए डिजिटल अवसर प्रोत्साहक के रूप में उभरा है।
- एनआईसी ने अपने आईसीटी नेटवर्क 'एनआईसीएनईटी' के माध्यम से सभी मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों, 36 राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और लगभग 650 से अधिक भारत के जिला प्रशासन के साथ संस्थापक संपर्क स्थापित कर दिया है।

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

- मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है जो देशभर में प्रयोगशालाओं एवं केंद्रों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है।
- इनके अंतर्गत सरकारी व निजी संस्थाओं को परीक्षण, कैलिबरेशन, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज

- एनआईएमआई कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत) के तहत स्थापित गैरलाभकारी संगठन है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आपस में जोड़ता है और देश के अंदर घरेलू ट्रैफिक का मार्ग तय करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से एनआईएक्ससेवा निम्नलिखित गतिविधियां चला रहा है-
 - इंटरनेट एक्सचेंज,
 - आईएन रजिस्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम (आईडीएन)
 - नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री (एनआईआर)।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएलआईटी) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक सोसायटी है।
- यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, साइबर कानून, साइबर सुरक्षा, आईपीआर, जीआईएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईएसडीएम, ई-कचरा, आईओटी, ई-गवर्नेंस तथा संबंधित इकाइयों

के क्षेत्र में क्षमता सृजन और कौशल विकास का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है।

- एनआईएलआईटी औपचारिक और अनेक राज्यों में कर्मचारियों और जनता के लिए आईटी साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अधिमान्य एजेंसी है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सोसायटी के रूप में की गई।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करना है। यह सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र का काम करता है।
- एसटीपीआई द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यातक समुदाय को दी जाने वाली सेवाएं वैधानिक, डाटा कम्युनिकेशन, संरक्षण सुविधाएं, मूल्यवृद्धि और परियोजना प्रबंधन सलाह सेवाएं होती हैं।
- एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की विस्तृत शाखा के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और संगठनों को संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस कराने के लिए की गई थी।
- इसके द्वारा प्रेषित सेवाओं में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग तकनीकी सहयोग, डिजाइन और विकास, संचालन और प्रबंधन, गुणवत्ता परख और संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस एवं सेवाएं शामिल हैं।

दूरसंचार

- ज्ञान की तेजी से बढ़ती दुनिया में दूरसंचार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसरचना बन गया है। देश के सभी हिस्सों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच नए परिवर्तनकारी और प्रौद्योगिकी संपन्न समाज के विकास को अभिन्न हिस्सा है।

दूरसंचार विभाग

- दूरसंचार विभाग तेज समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती तथा उच्च गुणवत्ता संपत्र कनवर्स्ट दूरसंचार सेवाएं, कहीं भी, कभी भी देने के लिए संकल्पबद्ध है।

- ➲ विभाग पूरे देश में सुरक्षित किफायती दर पर, विश्वसनीय तथा सुरक्षित बॉयस तथा डाटा सेवाएं प्रदान कर जनहित के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
- ➲ सरकार ने सेवा प्रदाताओं के बीच खुली प्रतिस्पर्धा, और स्पष्ट एवं सक्रिय नियामक ढांचा सुनिश्चित किया है जिसके आधार पर दूरसंचार सेवाएं उपभोक्ताओं तक कम कीमत पर पहुंच सकी हैं। साथ ही, सरकार ने टेलिकॉम उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी अनुकूल प्रयास किए हैं।
- ➲ भारत की मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मोजूदा दौर में समूचे टेलिफोन उपभोक्ताओं का 98% इससे संबद्ध है।
- ➲ 2020 तक मोबाइल उद्योग का कुल आर्थिक ढांचा 14 खरब (217.37 बिलियन डॉलर्स) रूपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

टेली घनत्व

- ➲ टेली घनत्व से तात्पर्य प्रति 100 व्यक्तियों के बीच टेलिफोन की संख्या से होता है। यह देश में टेलिफोन की पहुंच के महत्वपूर्ण सूचक के तौर पर होता है।
- ➲ नवंबर 2017 के अंत तक भारत में टेली घनत्व 91.64% था। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व 56.58% और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 167.50% रहा।
- ➲ सेवा क्षेत्रों में टेली घनत्व आंकड़े हिमाचल प्रदेश (153.96%), तमिलनाडु (124.38%) पंजाब (123.62%), केरल (118.58%) और गुजरात (110.00%) रहे।
- ➲ यह आंकड़े बिहार (60.13%), असम (68.41%), मध्य प्रदेश (69.47%), उत्तर प्रदेश (69.66%), पश्चिम बंगाल (72.90%) और ओडिशा (79.58%) अपेक्षाकृत कम रहे।
- ➲ महानगरों में दिल्ली में टेली घनत्व सबसे अधिक 259.14% रहा। उसके बाद कोलकाता (184.56%) और मुंबई (169.97%) रहा।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच

- ➲ मार्च 2017 के अंत तक देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं (ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड को मिलाकर) की संख्या 422.18 मिलियन रही जो कि सितंबर 2017 तक बढ़कर 429.23 मिलियन तक जा पहुंची थी।
- ➲ सितंबर 2017 के अंत तक वायरलेस फोन आदि के माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 407.88 मिलियन थी।
- ➲ इसी अरसे के दौरान वायरलाइन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 21.35 मिलियन थी। वहाँ नवंबर 2017 के अंत तक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 350.70 मिलियन थी।
- ➲ मार्च से सितंबर 2017 तक इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में हुई कुल वृद्धि 7.05 मिलियन थी।

अनुसंधान एवं विकास

- ➲ स्वायत्त निकाय सी डॉट दूरसंचार विभाग का अंग है। यह संगठन लागत प्रभावी, स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है।
- ➲ सी-डॉट उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन तथा मोबाइल सेल्युलर प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केंद्र बन गया है।
- ➲ डीओटी के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न संस्थानों के प्रशासनिक अधिकार आते हैं:
 1. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल);
 2. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल);
 3. आईटीआई लिमिटेड;
 4. टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल);
 5. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल);
 6. हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)।

भारत संचार निगम लिमिटेड

- ➲ भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना अक्टूबर 2000 में हुई थी और यह पूरी तरह भारत सरकार के अधीन आती है।
- ➲ यह देशभर में, दिल्ली और मुंबई के अतिरिक्त दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है।
- ➲ बीएसएनएल लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट्स और लंबी दूरी की टेलिकॉम सेवाओं जैसी सभी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है।
- ➲ ग्रामीण टेलिफोनी पर इसका विशेष फोकस है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों तथा वामपंथी उग्रवाद झेल रहे क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास पर इसका विशेष फोकस है।

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

- ➲ 1986 में स्थापित एमटीएनएल नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और यह देश के प्रमुख महानगरों, दिल्ली व मुंबई में सेवा प्रदान करती है।
- ➲ एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर वायस, हाई स्पीड इंटरनेट तथा आईपीटीवी की ट्रिपल पे सेवा प्रदान करती है।

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज

- ➲ इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड की स्थापना

- 1948 में तब के दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग को उपकरणों की सप्लाई करने के लिए की गई थी।
- ⦿ आईटीआई ने अपना संचालन 1948 में बंगलुरु में शुरू किया। बाद में इसका विस्तार हुआ और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पलककड़ में इसकी उत्पादन इकाइयां स्थापित हुई।
 - ⦿ सभी उत्पादन इकाइयां आईएसओ 9001-2000 मानक प्राप्त हैं।
 - ⦿ विभिन्न स्थानों पर इन इकाइयों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाना है बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी है।

टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

- ⦿ टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना 1978 में की गई थी।
- ⦿ इसका प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि उचित विपणन नीति तैयार कर, निरंतर आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करके और अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखते हुए विदेशी तथा घरेलू बाजारों में परिचालन की श्रेष्ठता बनाई रखी जा सके।
- ⦿ इसने साइबर पार्कों, इंटेलिजेंट बिल्डिंग, साइबर और स्मार्ट सिटी तथा ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंजरवेट सेवा पर फोकस कर के आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं में प्रवेश कर अपनी विविधता कायम की है।
- ⦿ टीसीआईएल बाहरी देशों में भी दूरसंचार और आईटी अवसंरचना विकसित कर रही है।

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

- ⦿ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक स्पेशल पर्ज वेहिकल (एसपीवी) को भारतीय कंपनी कानून 1956 के अंतर्गत 2012 को शामिल किया गया ताकि लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपीज़) में भारतनेट योजना लागू की जा सके।

नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी कार्यक्रम

- ⦿ इस नीति का उद्देश्य विभिन्न संबंधित नीतियों के अंतर्गत, एक नेटवर्क से पठनीय और मशीन सक्षम पठनीय रूप में सरकार का साझा करने लायक डाटा एक्सेस करना है।
- ⦿ इस संबंध में, पब्लिक डाटा एवं सूचना तक वृहद पहुंच के लिए भारत सरकार की विभिन्न धाराएं एवं नियम अनुमति प्रदान करते हैं।

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य हैं:

- सरकारी प्रतिक्रिया में सक्षमता, निरंतरता और प्रभाव बहाना,
- परिवर्तन समय में कमी लाना तथा नागरिक चार्टर की मांग का पूर्ति करना,
- प्रशासन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कारगर संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना,
- प्रोसेसिंग विलंब में कमी लाना,
- पारदर्शिता और दायित्व स्थापित करना और
- सिस्टम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होना आदि।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही हैं-
 1. भुगतान बैंक ऋण प्रदान करने व जमा स्वीकार करने जैसे सामान्य बैंकिंग जरूरत की सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
 2. भुगतान बैंक जमा धन को सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों और बैंकों में जमा कर सकते हैं।
 3. भारतीय डाक को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस प्राप्त है।उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) 1 व 3
 - (d) 1, 2 व 3
2. दूरसंचार क्षेत्र में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा है-
 - (a) 49%
 - (b) 74%
 - (c) 95%
 - (d) 100%
3. भारतनेट परियोजना है-
 1. देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल

- फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना
2. वामपंथी उग्रवाद व आदिवासी बहुल क्षेत्रों में दूरसंचार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 2 दोनों
 - (d) न तो 1 न ही 2
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. CERT-in संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचा. लित संगठन है जो सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के तहत गठित किया गया है।
 2. इसका मुख्य कार्य साइबर सुरक्षा घटनाओं पर सूचना संग्रहण, विश्लेषण व उनसे निपटने में उचित कदम उठाना है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 2 दोनों
 - (d) न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

1. (b)

2. (d)

3.(a)

4.(c)

अध्याय

9.

रक्षा

- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को तेज बदलाव, निरंतर परिवर्तनशीलता और अत्यधिक अस्थिरता के माहौल के रूप में देखा जा सकता है जो बड़ी शक्तियों की नीतियों और दृष्टिकोण को लेकर अनिश्चितता के कारण और भी अस्थिर हो गया है।
- भारत ने उभरते हुए खतरों का निराकरण करने और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से कई अन्य देशों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी करने के अपने प्रयासों को जारी रखा।
- निरंतर राष्ट्र-पारीय आंतकवाद सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौती बना रहता है जो राज्य और स्वतंत्र संगठनों के बीच आपसी तालमेल से और भी बढ़ जाता है और उग्रवादी विचारधाराओं व हिंसा को बढ़ावा देने के लए अक्सर छद्म युद्ध के रूप में सामने आता है।
- पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका का एक बड़ा भू-भाग बड़ी अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है जो एशिया और यूरोप के एक बड़े क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बनकर उभर रहा है।
- समुद्री क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय विवादों के फिर से उभरने के कारण राष्ट्रों के बीच तीखे मतभेद पैदा हुए हैं जो सैन्य गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए भी चुनौतियों के रूप में सामने आ सकते हैं।
- प्रमुख पश्चिमी देशों सहित विश्व में राष्ट्रवाद का उदय और कई देशों में लोकतांत्रिक ढांचे तथा प्रक्रियाओं के लिए बढ़ती चुनौतियां विभिन्न समाजों के भीतर और उनके बीच सुलह के प्रयासों को सीमित कर सकते हैं।

भारतीय सुरक्षा

- ⌚ भारत के निकटतम पड़ोसी देश सहित राज्य की असफलता के ऐसे उदाहरण मौजूदा परिवृश्य का अभिन्न अंग बन गए हैं और अक्सर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं।
- ⌚ अधिकतर पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा और राजनीतिक पहलू के निरंतर अस्थिर बने रहने के कारण भारत के निकटतम दक्षिण एशियाई पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति कठिन बनी रहती है।
- ⌚ सीमा पार आंतकवाद के विरुद्ध संगठित नजरिया अपनाए जाने की जरूरत को मिल रही पहचान के कारण दक्षेस शिखर सम्मेलन का रद्द हो जाना और आंतकवाद मुक्त वातावरण में बैठक आयोजित करने की मांग करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था।
- ⌚ ब्रिस्स-बिस्सटेक आउटरीच सम्मिट और बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) जैसे क्षेत्रीय प्रयासों के जरिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बीआईएमएसटीईसी) को प्रोत्साहन मुहैया कराने

के प्रयास आपसी सहयोग बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की वैकल्पिक संरचना उपलब्ध करा सकते हैं।

- ⌚ भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने की दक्षिण एशिया के कुछ राज्यों की योग्यता और उनके सामाजिक विकास सूचकों में सुधार अन्य सकारात्मक आयाम हैं जो क्षेत्र में लंबे समय तक स्थिरता के बने रहने के शुभ संकेत देते हैं।
- ⌚ अफगानिस्तान में सुरक्षा का उत्तरदायित्व अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने ले लिया और वे सीमित अंतर्राष्ट्रीय युद्धक समर्थन के साथ विद्रोहियों से लड़ने की भयावह चुनौती का सामना कर रहे हैं।
- ⌚ तालिबान ने वर्ष 2001 में वहां से खदेड़े जाने के बाद अपने उदय के बाद से अब तक सबसे अधिक भू-भाग को अपने कब्जे में ले लिया है और अपने अलग सैन्य एवं राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में लगा है।
- ⌚ पाकिस्तान छद्म युद्धों के रूप में विद्रोही समूहों का उपयोग करके अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगा है।

- भारत अफगान सुरक्षा बलों को ऐसे प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण में उनकी मदद करने में अहम भूमिका निभाता रहा है।
- भारत ने अफगानिस्तान में विकास के लिए अब तक 2 बिलियन अमरीकी डॉलर मुहैया कराए हैं और आगे क्षमता एवं सामर्थ्य निर्माण के लिए एक बिलियन अमरीका डॉलर और देने का वादा किया है।
- पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति उसके समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास के बड़े घाटे के कारण कमज़ोर बनी हुई है।
- पाकिस्तान ने अपने सैन्य बलों, विशेषकर परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना जारी रखा है। देश क्षेत्रीय-जातिगत संघर्षों से विदीर्ण हो गया है और संघर्ष का क्षेत्र पाकिस्तान-अफगान सीमा के आदिवासी क्षेत्रों से लेकर भीतरी पृष्ठ प्रदेश तक फैला है।
- यद्यपि सेना ने देश को सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए हैं तथापि इन्होंने पड़ोसियों को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी जिहादियों और आंतकी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने से परहेज किया है।
- पाकिस्तान स्थित भू-भाग से भारत के सैन्य बेसों पर हमला हुए जिसका भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।
- हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय उपमहाद्वीपीय स्थिति और भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने इसे समुद्र में भरोसेमंद बना दिया है।
- भारत का तेल आयत 80 प्रतिशत तक बढ़ गया है जिसमें लगभग पूरी सामग्री की ढुलाई समुद्री मार्ग से ही होती है।
- भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत पानी के जहाजों द्वारा होता है।
- विश्व के समुद्री कार्गों का तिहाई और लगभग आधे कटेनर हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इसलिए वाणिज्य और व्यापार की सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- हरमूज और मलकका जलडमरुमध्यों की अवस्थिति और बहुराष्ट्रीय समुद्री बलों की उपस्थिति ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में परिदृश्य को गतिशील बना दिया है।
- पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाली चीन-पाकिस्तान गलियारा (सीपीईसी) भारत की संप्रभुता के लिए एक चुनौती है।
- दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है और लगभग 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार इस क्षेत्र में इस समुद्री लेन के जरिए होता है।
- भारत दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती देशों के साथ तेल और गैस के क्षेत्रों में सहयोग सहित अन्य कई प्रकार की गतिविधियां करता है।
- दक्षिण चीन सागर में हाल की गतिविधियों के क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए
- भारत की स्थिति इस मुदे पर बिल्कुल दृढ़ है और इसे कई अवसरों पर बहुपक्षीय मंचों पर और द्विपक्षीय रूप से बार-बार दोहराया गया है।
- भारत यूएनसीएलओएस में यथा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के आधार पर इस क्षेत्र में नौकरन और उड़ान भरने की स्वतंत्रता और निर्बाध व्यापार एवं वाणिज्य का समर्थन करता है।
- भारत का यह विश्वास है कि राष्ट्र बिना किसी बल प्रयोग और धमकियों के शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए विवादों का समाधान कर सकता है और उन्हें शांति और स्थिरता को प्रभावित करने वाले विवादों को जटिल बनाने अथवा बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में आत्मसंयम बरतना चाहिए।
- यूएनसीएलओएस का एक पक्षकार राष्ट्र होने के नाते सभी पक्षकरों को यूएनसीएलओएस, जो समुद्र और महासागरों में अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था स्थापित करता है, के प्रति पूर्ण सम्मान रखने की अपील करता है।
- कोरियाई उपमहाद्वीप में स्थित गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- डीपीआरके से आह्वान किया गया है कि इस क्षेत्र में और आगे की शांति और स्थिरता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कार्यों से बचें।
- भारत नाभिकीय और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के ऐसे प्रसार से हमेशा चिंतित रहता है जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- भारत, ईरान और रूस मिलकर जिस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण व्यापार गलियारे का निर्माण करने में लगे हैं उससे इस क्षेत्र में कई प्रकार के आर्थिक और व्यापारिक संपर्क बनेंगे।
- भारत भी तापी (टीएपीआई) पाइपलान के साथ-साथ संपर्क को बनाए रखते हुए डिजिटल लिंकों जैसी अन्य पहलों में भागीदार रहा है।
- इस क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण हित निहित है जो हमारी ऊर्जा जरूरतों के 66 प्रतिशत को पूरा करने के साथ-साथ 80 लाख भारतीयों का निवास स्थान भी है।
- आर्थिक नजरिए के अतिरिक्त यह क्षेत्र आईएसआईएस जैसे रूढ़ीवादी आंतकी संगठनों के पनपने के कारण भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो भारत सहित पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं।

रक्षा मंत्रालय

- रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति-निर्देश बनाना और उन्हें कार्यान्वयित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं

- और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजता है।
- ⦿ मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आवंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए।
 - ⦿ इन विभागों के प्रमुख कार्य यह इस प्रकार हैं: रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करना।
 - ⦿ यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए भी उत्तरदायी है।
 - ⦿ रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग सैन्य उपस्करणों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देता है और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साजो-सामान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करता है।

सेना

- ⦿ वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक एवं भू-सामरिक मुद्दे भारत के सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करते हैं और उसे शक्ति देते हैं।
- ⦿ भारतीय सेना देश की सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है।
- ⦿ भारत की सुरक्षा के लिए बाहरी खतरा मुख्य रूप से दो पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्र और सीमा को लेकर विवाद के कारण पैदा होता है।
- ⦿ भारतीय सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के कठोर इलाकों और मौसम का सामना करते हुए हर समय प्रतिबद्ध रहती है।
- ⦿ छद्म युद्ध और उपद्रव के रूप में झड़पें होती रहती हैं। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर हमेशा आगे रहती है।
- ⦿ भारतीय सेना रेत के टीलों, मिट्टी और जल के संरक्षण में भी अपना योगदान देती हैं इतना ही नहीं, भारतीय सेना की प्रशिक्षण टीमें विश्व के 10 देशों में उनकी सेनाओं को प्रशिक्षण देने और सेनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं।
- ⦿ थलसेना का आधुनिकीकरण पाँच उप-व्यवस्थाओं यानी घातक शक्ति, बचे रहने की योग्यता, गतिशीलता, स्थिति के प्रति जागरूकता और टिके रहने की क्षमता के आधार पर किया जा रहा है।
- ⦿ लंबी दूरी तक आग्नेय मारक क्षमता बढ़ाने के लिए सेना की आर्टिलरी (तोपखाने) में कई तरह की तोपों को शामिल किया जा रहा है।

- ⦿ आर्टिलरी की क्षमता को बढ़ाकर लक्ष्यभेदी बनाया जा रहा है और उसे विकसित करने के लिए प्रमुख तकनीकों का उपयोग किया जा रहा हैं आर्मी एविएशन (सेना उड़ायन) योह लेने, निगरानी करने, तोपों की गोलाबारी की दिशा बताने, सैनिक बलों को सहयोग देने और हताहतों को युद्धक्षेत्र से निकालने के मामले में चतुर्थ आयामी युद्ध सहयोग मुहैया कराता है।

नौसेना

- ⦿ नौसेना का उद्देश्य वैध प्रयोजन के लिए राष्ट्र की सीमा में आने वाले समुद्र के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना है, साथ ही दूसरों द्वारा उसके समुद्र के शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल के विरुद्ध रक्षा करना है।
- ⦿ नौसेना का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है जिसमें एक तरफ शत्रु से घनघोर युद्ध करना तो दूसरी तरफ मानवीय सहायता करना और प्राकृतिक विपदा के समय राहत पहुँचाने का कार्य करना शामिल है।
- ⦿ उसके इस विस्तृत कार्यक्षेत्र को विशेष जरूरतों के अनुसार अलग-अलग भूमिकाओं में बांटा जा सकता है।
- ⦿ अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए भारतीय नौसेना देश की समुद्री सप्रभुता और समुद्री गतिविधियों के व्यापक इस्तेमाल के प्रमुख गारंटर और रक्षक के तौर पर कार्य करती है।
- ⦿ भारतीय नौसेना की मुख्य भूमिकाएं हैं- सैन्य, कूटनीतिक, सिपाहियों के दस्ते और सौम्यतापूर्ण व्यवहार।
- ⦿ भारतीय नौसेना का मुख्य सैन्य उद्देश्य देश की विरुद्ध किसी भी सैन्य दुस्साहस, जिसमें भारत के मामलों और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध विध्वंसकारी रणनीतियां शामिल हैं, को रोकना है और हमला होने की स्थिति में दुश्मन को धूल चटाना है।
- ⦿ नौसेना द्वारा प्रतिरोध के उपायों और तरीकों में दुश्मन को रोकना और उसे दंडित करना दोनों ही उपायों से परंपरागत प्रतिरोध शामिल है।
- ⦿ इसके लिए वह सुदृढ़ सैनिक क्षमता रखती हैं और संभावित दुश्मन को यह एहसास दिलाती है कि भारत के राष्ट्रीय हितों विरुद्ध उसने इसी तरह का दुस्साहस किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
- ⦿ भारत में एक लंबा समुद्र तट और ढेरों द्वीप हैं, एक विशाल समुद्री इलाका, समुद्र तटीय क्षेत्र में ऊर्जा की अवसंरचनाएं और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियाँ हैं, इसके अलावा बड़ी जनसंख्या है, जिसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र तटीय इलाकों में रहता है।
- ⦿ चूँकि समुद्र में कोई भौतिक अवरोध नहीं होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों और संपत्तियों की सुरक्षा समुद्र के रास्ते होने वाले खतरों के प्रति बहुत संवेदनशील या नाजुक होती है।
- ⦿ इसलिए भारतीय नौसेना की सैन्य भूमिका में अपनी सुरक्षा को

- मजबूत बनाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है।
- भारतीय नौसेना को समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा शामिल है। हालाँकि पारंपरिक समुद्री सुरक्षा के खतरे का सामना करना भारतीय नौसेना का मुख्य उद्देश्य बना रहेगा, लेकिन हाल के वर्षों में गैर-पारंपरिक खतरों की वृद्धि को देखते हुए समुद्री सुरक्षा में नए सिरे से विकास को अनिवार्य बना दिया है। पारंपरिक चुनौतियों की रेखाएं धूंधली होने के साथ गैर-पारंपरिक खतरों में, घटनाओं और उसके स्तर के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।
 - इन गैर-पारंपरिक खतरों को पारंपरिक प्रतिष्ठानों से सहयोग, समर्थन और प्रायोजन मिलता है।
 - भारत एक समुद्री राष्ट्र है और इसकी अर्थव्यवस्था व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रूप से समुद्र पर निर्भर है।
 - भारतीय नौसेना महाद (महाराष्ट्र) के निकट सावित्री नदी पर पुल गिरने की दुर्घटना के दौरान सहायता पहुँचा चुकी है और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में हैडलॉक एंव नील द्वीपों पर फंसे पर्यटकों को बाहर निकालने में भी मदद कर चुकी है।
 - भारतीय नौसेना आइएओआर में नियमित रूप से एचएडीआर संचालन में अपना योगदान देती रही है।

वायुसेना

- आइएफ ने हमेशा से ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन योग्यता और क्षमता के विकास को बढ़ावा दिया है।
- स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफार्म तैयार करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की इसकी कोशिश के चलते आइएफ की विभिन्न प्रणालियों महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 में, मेक एंड बाइ (इंडियन इंडीजेनसली डिजाइंड एंड डेवलप्मेंट मैन्युफैक्चर (आइडीडीएम) श्रेणियों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है।
- एलसीए एमके-1ए, लाइट कम्बैट हेलिकॉप्टर (एलसीएच), एडल्ब्यूएसीएस (भारत) और हाइ फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट जैसे कुछ उदाहरण हैं जो आइडीडीएम रूट के जरिए तैयार किए जा रहे हैं।
- ‘फर्स्ट रेस्पांडर्स’ के तौर पर आइएफ ने प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या देश या विदेश में आपातकालीन मौकों पर खुद को साबित किया है।
- घरेलू मोर्चे पर अगस्त 2016 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार और जुलाई 2017 में गुजरात व राजस्थान में बाढ़ के समय आइएफ ने पूरी तत्परता के साथ राहत पहुँचाने का काम किया।
- आइएफ ने जरूरत पड़ने पर तेजी से नागरिक स्थानीय प्रशासनों की भी सहायता की है जैसे कि सितंबर 2016 में श्रीनगर में

विरोध प्रदर्शनों के दौरान, दिसंबर 2016 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के निधन के बाद, दिसंबर 2016-जनवरी 2017 में इंफाल में कानून-व्यवस्था की समस्या के दौरान, अप्रैल 2017 में श्रीनगर के उपचुनाव के दौरान, और जुलाई 2017 में जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के दौरान सहायता की थी।

- तीन फ्लाइट कैडेटों-अवनि चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह ने तेलंगाना के दुंडीगल में आइएफ एकेडमी से पास होकर निकलने के बाद फाइटर स्ट्रीम में कमीशन पाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया।
- उन्हें पिलाटस पीसी-7 एमके और किरन विमान में प्रशिक्षण दिया गया था। इस समय वे हॉक एमके-132 एडवांस जेट विमान पर ट्रेनिंग ले रही हैं।
- जून 2017 में तीन अन्य महिला कैडेटों को फाइटर स्ट्रीम में चुना गया है।

कमीशन प्राप्त रैंक

- तीनों सेनाओं में कमीशन-प्राप्त रैंक इस प्रकार हैं-प्रत्येक रैंक को दूसरी सेना में उसके समान रैंक के समाने दिखाया गया है।

थलसेना	नौसेना	वायुसेना
जनरल	एडमिरल	एयरचीफ मार्शल
लेफिटेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल
मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल
ब्रिगेडियर	कमोडोर	एयर कमोडोर
कर्नल	कैप्टन	गुप्त कैप्टन
लेफिटेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
मेजर	लेफिटेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर
कैप्टन	लेफिटेंट	फ्लाइट लेफिटेंट
लेफिटेंट	सब-लेफिटेंट	फ्लाइंग ऑफिसर

भारतीय तटरक्षक

- भारतीय तटरक्षक की स्थापना निम्नलिखित कर्तव्यों के उद्देश्य के साथ 1977 में की गई थी: कृत्रिम द्वीपों की सुरक्षा एवं बचाव, समुद्र में टर्मिनल और अधिष्ठापन; मछुआरों की सुरक्षा जिसमें समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना शामिल है; समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना और रोकना; तस्करी रोकने के अभियानों में कस्टम और अन्य विभागों की सहायता करना; समुद्र में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना; समुद्री क्षेत्र में विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को लागू करना।

भारतीय सैन्य अकादमी, (आईएमए)

- ⦿ भारतीय सैन्य अकादमी में प्रविष्टि के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं—एनडीए से स्नातक होने पर; सेना कैडेट कॉलेज से, जो आईएमए का ही एक विंग है, स्नातक होने पर; सीधी भर्ती स्नातक कैडेट, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं; तकनीकी पाठ्यक्रम (टीजीस) के लिए; इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यूईएस) के अंतर्गत।
- ⦿ आईएमए मित्र देशों के जैंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओटीएस)

- ⦿ वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओटीएस) के 25 वर्ष पूरे होने पर 1988 से इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) का नाम दिया गया।
- ⦿ वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जैंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था।
- ⦿ 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया।
- ⦿ 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात ओटीए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सर्विस कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल तथा इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी

- ⦿ अफसर प्रशिक्षण अकादमी 2011 में शुरू हुई थी। फिलहाल इसकी प्रशिक्षण क्षमता 400 जैंटलमैन कैडेटों की है। उत्तरोत्तर यह क्षमता बढ़ाकर 750 जैंटलमैन कैडेट की जाएगी।
- ⦿ ओटीए, गया निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है: 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना; विशेष कमीशन प्राप्त अफसर। ओटीए, गया मित्र देशों के जैंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

- ⦿ राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना 1948 में हुई थी। इसने अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
- ⦿ एनसीसी युवाओं में प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों को मजबूत करके, देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर तरह से विकास का प्रयत्न करता है, जिससे वे

सफल नागरिक बन सकें। एनसीसी का उद्देश्य है 'एकता और अनुशासन'। एनसीसी कैडेटों की कुल स्वीकृत संख्या 15 लाख है।

- ⦿ इसमें वर्ष 2010 में दो लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या शामिल है। इसके अधीन प्रतिवर्ष 40,000 कैडेटों को पाँच चरणों में शामिल किया जा रहा है। एनसीसी 16,288 संस्थानों के साथ देश के 716 में 703 जिलों में मौजूद है।

सैनिक स्कूल

- ⦿ सैनिक स्कूलों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। ये सैनिक स्कूल सोसायटी के अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान में देश में विभिन्न हिस्सों में 26 सैनिक स्कूल अवस्थित हैं।
- ⦿ सैनिक स्कूलों के उद्देश्यों में आम आदमी तक ऊँची पब्लिक स्कूल शिक्षा की पहुँच बनाना, बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना एवं सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना शामिल है।
- ⦿ सैनिक स्कूलों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में पहुँचने वाले कैडेटों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसे ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूल लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की मार्फत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल

- ⦿ देश में पाँच मिलिट्री स्कूल कर्नाटक के बंगलुरु व बेलगाम, हिमाचल प्रदेश के चैल और राजस्थान के अजमेर व धौलपुर में हैं।
- ⦿ ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त तथा पूर्ण रूप से आवासीय स्कूल हैं जो रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करते हैं।
- ⦿ कॉमन एंट्रेन्स टेस्ट के परिणामों के आधार पर लड़कों की छठी और नवीं कक्षा में भर्ती होती है।
- ⦿ सेना, नौसेना और वायुसेना के जेसीओ/ओआर (पूर्व सैनिकों सहित) के आश्रितों के लिए 70 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं और शेष 30 प्रतिशत सीटें सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा नागरिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रहती हैं।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज

- ⦿ भारतीय सशस्त्र बल में अधिकारी बनने के इच्छुक तथा भारत में जन्मे या रहने वाले लड़कों को आवश्यक प्राथमिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) की वर्ष 1922 में स्थापना की गई थी।
- ⦿ यह संस्थान आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सहयोग संस्थान के रूप में काम कर रहा है।

कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग

- पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। यहाँ इंजीनियरिंग कोर, अन्य सशस्त्र सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस तथा सिविलियन को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इसके अलावा, मित्र राष्ट्रों के कर्मियों को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सीएमई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से बी.टेक और एम.टेक डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यताप्राप्त है।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भी सीएमई द्वारा चलाए जा रहे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है।

रक्षा उपक्रम

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड: वर्ष 1940 में स्थापित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एशिया कि प्रमुख अग्रणी एयरोनॉटिकल कंपनी है, जिसके पूरे देश में नौ भौगोलिक क्षेत्रों में 20 उत्पादन डिवीजन और 11 अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं।
- एचएएल एक नवरत्न कंपनी है, जिसके पूरे देश में नौ भौगोलिक क्षेत्रों में 20 उत्पादन डिवीजन और 11 अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं।
- एचएएल के विशेषज्ञता में विमानों, हेलिकॉप्टरों, एयरो-इंजिनों, सहायक सामग्रियों, वैमानिकी और प्रणालियों के डिजाइन और विकास, उत्पादन, मरम्मत, ओवरहॉल तथा उन्नयन शामिल हैं।
- एचएएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी बेड़ों के लिए और ओईएम ने जिन बेड़ों के सहायता देना बंद कर दिया है, जैसे कि एचएच-748, चीता/चेतक आदि, उन बेड़ों के लिए भी एचएएल भारतीय रक्षा सेवाओं को अनुरक्षण सहायता प्रदान कर रहा है।
- यह कंपनी गैर-एचएएल उत्पादित विमानों और इंजनों के लिए भी सहायता प्रदान करती है जैसे कि मिराज 200, एन-32, सी किंग हेलिकॉप्टर मॉड्यूल, जीनोम इंजन, टीएम-333 2बी2 इंजन आदि।
- एचएएल भारती सेना और तटरक्षक बल के 100 प्रतिशत बेड़ों के अनुरक्षण सहायता देता है और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के संबंध में यह सहायता क्रमशः 75 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है।
- एचएएल ने भारतीय रक्षा सेवाओं की विमानन आवश्यकताओं, जैसे- प्रशिक्षक, लड़ाकू, परिवहन विमान और हल्के हेलिकॉप्टर, के लिए खुद को एक व्यापक समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित किया है।

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड: रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी।
- देशभर में बीईएल की नौ विनिर्माण इकाइयां हैं। कंपनी की मुख्य क्षमता रक्षा संचार रडार और मिसाइल सिस्टम, सोनार एवं फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेर, वॉरफेर एवं वैमानिकी सिस्टम, नेटवर्क कॉन्फ्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, होम लैंड सिक्योरिटी आदि के क्षेत्रों में है।
- कंपनी का तकरीबन 88 प्रतिशत टर्नओवर इन्हीं व्यावसायिक क्षेत्रों से आता है।
- गैर-रक्षा क्षेत्र में बीईएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), टैबलेट पीसी (बीईएल द्वारा डिजाइन किए हुए), डॉपलर बेदर रडार, विभिन्न प्रकार के संघटक जैसे एकीकृत सर्किट, हाइब्रिक माइक्रो सर्किट, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर सैल आदि का निर्माण करता है।
- इनके अलावा, बीईएल की मौजूदगी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और चुनिंदा गैर-रक्षा अनुप्रयोगों में भी है।
- बीईएमएल लिमिटेड: 1964 में स्थापित बीईएमएल लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- यह कोयला, खनन, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, सिंचाई, निर्माण, सड़क निर्माण, रक्षा, रेलवे, मेट्रो परिवहन प्रणाली और एयरोस्पेस जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादों की व्यापक शृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण और बिक्री के बाद सेवा में लगा हुआ है।
- बीईएमएल तीन व्यावसायिक श्रेणियों में कार्य करता है- खनन व निर्माण, रक्षा व एयरोस्पेस, रेल व मेट्रो तथा नियंत गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग।
- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड: मिनीरत्न श्रेणी-1 की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) का गठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1970 में किया गया था।
- एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (एटीजीएम) के निर्माण में अग्रणी बीडीएल और नवीनतम पीढ़ी के एटीजीएम का निर्माण करने वाली समेकित कंपनी का रूप ले चुकी है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, सामरिक हथियार, लांचर, पानी के अंदर मार करने वाले हथियार, दुश्मन के झांसा देने वाले और परीक्षण उपकरणों के निर्माण करती है।
- सेना की मांग के अनुसार पुरानी मिसाइलों का आधुनिकीकरण करने और उनकी जीवन अवधि बढ़ाने का भी काम किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी और महत्व को बढ़ाया जा सके।

- **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडः**: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमि. (एचएसएल) की स्थापना मूल रूप से सेठ वालचंद हीराचंद द्वारा 1941 में स्वदेशी जलयानों के निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- इस शिपयार्ड को 2010 में रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
- इस शिपयार्ड का बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है और पूर्वी समुद्री तट पर यह अग्रणी शिपयार्ड बनने की क्षमता रखता है।
- एचएसएल में कई प्रकार के जलपोतों का निर्माण किया जाता है जिनमें गश्ती लगाने वाली नौकाएं और पनडुब्बियों की मरम्मत आदि शामिल हैं।
- अपनी स्थापना के बाद से यहाँ 179 जहाजों का निर्माण हो चुका है।
- एचएसएल देश के पूर्वी तट पर स्थित है और यह जलपोतों का निर्माण और पनडुब्बियों की मरम्मत करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी है।
- **मिश्र धातु निगम लिमिटेडः**: मिश्र धातु निगम लिमि. की स्थापना 1970 के दशक की शुरूआत में की गई थी जिसका उद्देश्य शुरू में भारत के रक्षा उद्योग के सामरिक क्षेत्र में जरूरी महत्वपूर्ण सामग्री का निर्माण करना था।
- **डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्युरेंसः**: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्युरेंस (डीजीक्यूए) सेना, नौसेना (युद्ध सामग्री को छोड़कर) और वायुसेना के लिए आयुध कारखानों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं निजी क्षेत्र से मंगाई गई।
- सामान्य वस्तुओं, रक्षा स्टोरों और उपकरणों, चाहे वे स्वदेशी हों या आयातित, की गुणवत्ता का आश्वासन दिलाया है।
- यह देश की रक्षा तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- डीजीक्यूए हथियारों को सेना में शामिल किए जाने से पहले उनका विस्तृत रूप से तकनीकी मूल्यांकन करता है।
- जीडीक्यूए की भूमिका में एक बड़ा बदलाव आ गया है और अब वह क्वालिटी ऑडिट की जगह क्वालिटी प्रबंधन और निर्माण की प्रक्रिया का ऑडिट करता है क्योंकि नियंत्रित सिस्टम से स्वयं ही उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होगी।
- **डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्युरेंसः**: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्युरेंस (डीजीएक्यूए) वायुसेना, थलसेना, नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के सैन्य उड़ायन स्टोरों के क्वालिटी एश्युरेंस (क्यूए) की नियामक अर्थात् रिट्रीवर्टी है।

रक्षा उत्पादन

- देश की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियारों, उपकरणों, प्लेटफॉर्मों और उपस्करणों के उत्पादन के लिए औद्योगिक आधार को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी।
- गत वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरणों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएँ स्थापित की हैं।
- विनिर्मित उत्पादों के हथियार एवं गोला-बारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपात्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूर्खांग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां

- भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन का एक मंच उपलब्ध कराने के लिए रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ) एयरो इंडिया और डिफेंसपो इंडिया नाम से द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनिया आयोजित करता है।
- एयरो इंडिया जहाँ विमान और उड़ायन उद्योग से संबंधित होता है, वहाँ डिफेंसपो इंडिया में थल एवं नौसेना के रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी की जाती है।

विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां

- भारतीय रक्षा उद्योग के उत्पादों के नियंत्रित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीईओ बड़े अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में, इंडिया पैवेलिन, का आयोजन करता है ताकि भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों के लिए बाजार विकसित किया जा सके।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिपे. न्स शिपबिल्डिंग

- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिपबिल्डिंग (एनआइआरडीईएसएच) की स्थापना केरल के कोझीकोड में की गई है जिसका उद्देश्य रक्षा विभाग के लिए जलपोतों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
- इस संस्थान को भारत के भावी जलपोत निर्माण कार्यक्रम के लिए उत्कृष्टा के केंद्र के रूप में देखा गया है।
- एनआइआरडीईएसएच के मुख्य कार्यों में अनुसंधान और विकास, जलपोतों का डिजाइन, प्रौद्योगिकी का विकास और प्रशिक्षण शामिल हैं।

अनुसंधान और विकास

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास शाखा है। इसका गठन 1958 में किया गया था।
- वैज्ञानिक समस्याओं पर रक्षा सेवा को सलाह और सहायता तथा रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु 1948 में गठित रक्षा विज्ञान संगठन और तीनों सेनाओं के तकनीकी विकास स्थापना का विलय कर ही डीआरडीओ की स्थापना की गई।
- प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए वर्ष 1980 में एक अलग रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का गठन किया गया।
- वर्ष 1958 में दस प्रयोगशालाओं के साथ काम शुरू करने वाले डीआरडीओ के पास आज 46 प्रयोगशालाएं हैं।
- ये प्रयोगशालाएं पूर्व में तेजपुर से पश्चिम में मुंबई तक और उत्तर में लेह से दक्षिण में कोंचिंच तक फैली हैं।
- यह रक्षा सेनाओं के लिए उन्नत सेंसर, हथियार प्रणाली प्लेटफॉर्म तथा सहयोगी उपकरण के उत्पादन से जुड़ी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का विकास करता है।

मानव संसाधन

- उद्देश्यपूर्ण संस्था होने के नाते डीआरडीओ मानवशक्ति नियोजन की गतिशील प्रणाली का पालन करता है।
- प्रयोगशालाओं के कार्यभार और नई परियोजना शुरू करने के कारण तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दूसरे वर्ष प्राधिकरण की समीक्षा की जारी है।
- गतिशील मानवशक्ति प्रबंधन पद्धति के द्वारा यह संगठन मानवशक्ति का बेहतर इस्तेमाल करता है।
- डीआरडीओ में कर्मियों की कुल संख्या 25,966 है। इनमें से 7,574 रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा (डीआरडीएस) में, 9,643 रक्षा अनुसंधान तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) में तथा 8,775 प्रशासन एवं अन्य सहयोगी संवर्ग में हैं।
- डीआरडीओ प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा अपने सभी संवर्गों के कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है।
- ये प्रशिक्षण संस्थान हैं-डीआईएटी, पुणे (तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए), आईटीएम, मसूरी तकनीकी-प्रबंधकीय कार्यक्रमों के लिए) और रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर (तकनीकी, प्रशासनिक तथा संबद्ध संवर्ग के लिए)।
- प्रायोजित कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष चुने हुए वैज्ञानिकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और अन्य प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय में एमई/एमटेक/पी.एचडी करने के लिए भेजा जाता है।

- डॉ. राजा रमना कॉप्लेक्स, बंगलुरू में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों हेतु लक्षित प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

- भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम चलाता है।
- विभाग में पुनर्वास और पेंशन दी डिविजन हैं और इसके तीन संबद्ध कार्यालय हैं-केंद्रीय सैनिक बोर्ड (कोएसबी), महानिदेशालय (पुनर्वास) सीओ और केंद्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक अनुदायित स्वास्थ्य योजना (डीजीआरईसीएचएस) है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सचिवालय

- केंद्रीय सैनिक बोर्ड (कोएसबी) सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो शहीदों की विधवाओं/युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों, ईएसएम और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसके कार्य में 32 राज्य सैनिक बोर्ड और 392 जिला सैनिक बोर्ड सहायता करते हैं।
- सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) शहीदों की जरूरतमंद विधवाओं/विकलांगों, ईएसएम और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है।

रक्षा पेंशन

- तकरीबन 30 लाख रक्षा पेंशनभोगियों/परिवार के पेंशनभोगियों को पूरे भारतवर्ष में फैले 20 सरकारी बैंकों, 4 निजी बैंकों-एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक, 640 कोषागारों, 64 रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों (डीपीडीओ), 2 डाकघरों, 5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओं) के माध्यम से वितरित की जाती हैं।
- नेपाल में रह रहे सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन का वितरण 3 पेंशन भुगतान कार्यालयों (पीपीओ) के माध्यम से किया जाता है।

□□□

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत की सीमा रेखा कुल 6 देशों से मिलती है।
2. भारत म्याँमार के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार से निर्देश प्राप्त करके उन्हें रक्षा मुख्यालयों, प्रतिष्ठानों व रक्षा अनुसंधान संगठनों तक कार्यान्वयन के लिए उन्हें पहुँचाना है।
2. रक्षाकर्मी कल्याण विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

3. 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है?

- (a) लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य
- (b) डोवर और कैलाइस के मध्य
- (c) अलास्का और रूस के मध्य
- (d) इनमें से कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सी.पी.ई.सी सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वें मेरी टाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
2. सीपीईसी. का एक हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरेगा जिस पर भारत ने आपत्तियाँ दर्ज की हैं।
3. चीन सी.पी.ई.सी के जरिए फारस की खाड़ी तक अपनी तीव्र पहुँच बनाना चाहता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

- (a) 1 व 2
- (b) 2 व 3
- (c) 1 व 3
- (d) 1, 2 व 3

5. निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विमान वाहक पोत है?

- (a) INS विक्रांत
- (b) INS विराट
- (c) INS कलावरी
- (d) INS अरिहंत

6. हाल ही में समाचारों में रहा 'स्वाति' क्या है-

- (a) बालिका शिक्षा पर सरकार द्वारा जारी एक पोर्टल
- (b) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित राडार
- (c) एक गैर सरकारी संगठन जो कैलाश सत्यार्थी के 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन योजना में सहायता दे रहा है।
- (d) इनमें से कोई नहीं।

Answer Key:-

1. (d)

2. (a)

3.(a)

4.(d)

5.(a)

6. (b)

अध्याय 10.

शिक्षा

- शिक्षा, मानव संसाधन विकास का सार है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है।
- भारत के नागरिक इसके सबसे मूल्यवान संसाधन हैं, ऐसे में एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले मजबूत देश को अपने नागरिकों के बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन देने के लिए मौलिक शिक्षा के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है।
- इसके लिए उनके समग्र विकास की आवश्यकता है, जोकि शिक्षा की मजबूत नींव के निर्माण से किया जा सकता है।

- मंत्रालय ने समाज के कमज़ोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर देने के लिए कई नए कदम उठाए हैं जैसे:
 1. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन।
 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन।
 3. छात्रों के लिए राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएसएस) जैसी पहल।
 4. माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय योजना।
 5. रैंगिंग के विरुद्ध एक वेब पोर्टल विकसित करना।
- वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभागों-स्कूल शिक्षा विभाग तथा साक्षरता और उच्चतर शिक्षा विभाग के जरिए कार्य करता है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार और सर्वशिक्षा अभियान

- आरटीई अधिनियम, 2009/एसएसए भारत के संविधान की धारा 21ए के फलस्वरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम, देश में वर्ष 2010 में लागू हुआ।
- आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी औपचारिक स्कूल में समानता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने-अपने आरटीई नियमों की अधिसूचना जारी कर चुके हैं।
- केंद्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), आरटीई अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देता है।



प्राथमिक शिक्षा हेतु सर्व सुलभता

- प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता के लिए, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001 से लागू किया गया है। इसने शिक्षा को निष्पक्ष और सर्वसुलभ बनाने में काफी प्रगति की है।
 - नये स्कूल: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले वर्षों में सर्व सुलभता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति निरंतर बनी हुई है।
 - स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण: आरटीई अधिनियम में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, प्रवासी, दिव्यांग, शहरी वर्चित, कामकाजी, अन्य कठिन परिस्थितियों से आए बच्चे-यथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले बच्चे, विस्थापित परिवारों के बच्चे और गृहयुद्ध प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे, इत्यादि सम्मिलित हैं।
- यूनीफॉर्म (वर्दी/पोशाक): आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को स्कूली वर्दी के दो-दो सेट दिए जाते हैं।
- वर्दी देने का यह प्रावधान उस स्थिति में लागू होता है जहां:
 - राज्य सरकारों ने अपने-अपने आरटीई कानूनों में यह प्रावधान किया है कि स्कूली वर्दी बच्चों का अधिकार है।
 - राज्य सरकार अपने बजट से पहले से ही वर्दी नहीं दे रही होती है।
 - प्राथमिक शिक्षा में लड़कों-लड़कियों की संख्या में अंतर को दूर करना
- बालिका शिक्षा: आरटीआई-एसएसए लड़कियों और वर्चित तथा कमज़ोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा पर स्पष्ट जोर और विशेष ध्यान देता है।
- एसएसए के तहत सामान्य हस्तक्षेप सभी लड़कियों और वर्चित तथा कमज़ोर वर्गों के बच्चों पर लागू होता है।
- इसमें आरटीई नियमों के अनुसार बस्तियों के अंदर ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी हैं, क्योंकि यह बच्चों का वह वर्ग है जो शिक्षा के अवसर से सबसे अधिक वर्चित है।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी):** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनु. जा., अनु. जन. जा., अ. पि.व/मुस्लिम समुदायों और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लड़कियों के आवासीय विद्यालय हैं।
- ये विद्यालय उन विकास खंडों में खोले गए हैं जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जहां विद्यालय काफी दूरी पर हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा एक चुनौती है।
- केजीबीवी उन किशोरियों को शिक्षा देने के लिए खोले गए हैं जो नियमित विद्यालयों में जाने में असमर्थ हैं। ये विद्यालय उन बालिकाओं के लिए हैं जो दस वर्ष से अधिक आयु की हैं तथा प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी कर सकी हैं और पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी हैं।
- ये विद्यालय उन किशोरियों के लिए भी हैं जो दुर्गम और बिखरी हुई आबादी वाले उन क्षेत्रों के प्रवासी परिवारों से आती हैं, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पात्रता नहीं रखते।
- **जेंडर के आधार पर स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से हटाना:** राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों ने जेंडर को बालिकाओं और महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के जरिए बदलाव का महत्वपूर्ण नमूना स्थापित करने का सुविचारित निर्णय लिया है।
- अधिकतर राज्यों ने बालिकाओं की भर्ती, अनुत्तीर्णता और शिक्षा पूरी करने जैसे विषयों से निपटने के लिए अपनी नियमित शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रशिक्षण मॉड्यूल में जेंडर को शामिल किया है।
- **बालिका शिक्षा के उन्घन हेतु डिजिटल जेंडर एटलस:** विद्यालयीन शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी वेबसाइट पर भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति पर एक एटलस तैयार किया है।
- यूनीसेफ की सहायता से निर्मित यह साधन क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा जहां पर अनु. जा., अनु. जन जाति और मुस्लिम समुदायों जैसे वर्चित वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति कमज़ोर है।
- **बालिकाओं के लिए अलग शौचालय:** सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य, स्कूल/गांव/ब्लॉक और जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के बारे में योजना बनाते हैं।
- इन सुविधाओं में शौचालय और पेयजल भी शामिल है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत सभी नए स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए शौचालय की सुविधा है।

समावेशी शिक्षा

- ➲ अनु. जाति/अनु. जनजाति और मुसलमान: प्राथमिक स्कूलों में अनु. जाति के बच्चों का पंजीकरण 2015-16 में बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गया जो 2010-11 में 19.06 प्रतिशत था।
- ➲ यह (2011 की जनगणना के अनुसार), देश की कुल आबादी में इनकी 8.60 प्रतिशत संख्या से अधिक है।
- ➲ मुसलमानों का पंजीकरण 2010-11 के 12.50 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 13.8 प्रतिशत हो गया।
- ➲ यह इनकी 14.2 प्रतिशत आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) से थोड़ा कम है।
- ➲ दिव्यांग बच्चे: आरटीई-एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर दिव्यांग बच्चे को चाहे वह किसी भी प्रकार से और कितना भी अशक्त क्यों न हो उसे उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
- ➲ ऐसे बच्चों के लिए एसएसए हस्तक्षेप के मुख्य घटकों में शामिल हैं—शिनाख्त, क्रियाशीलता तथा औपचारिक आकलन; पर्याप्त शैक्षिक नियोजन, वैयक्तिक शिक्षा योजना की तैयारी; सहायक तथा उपकरणों का प्रावधान; शिक्षक प्रशिक्षण; संसाधन समर्थन; पुरातत्वीय बाधाओं को हटाना; निगरानी तथा मूल्यांकन और विकलांग बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना।
- ➲ बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें: सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराई जाती हैं।
- ➲ 2016-17 में 8.38 करोड़ बच्चों को पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत उप-कार्यक्रम

- ➲ पढ़े भारत, बढ़े भारत: सर्व शिक्षा अभियान के इस उपकार्यक्रम का उद्देश्य पहली और दूसरी कक्षा में समझ के साथ पढ़ाई, लिखाई और गणित पर जोर देते हुए बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है।
- ➲ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश विशिष्ट हस्तक्षेप लागू कर रहे हैं। तमिलनाडु में एबीएल, कर्नाटक में नल्ली काली और गुजरात में प्रज्ञा के तहत पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित करने के कदम उठाए गए हैं।
- ➲ सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विज्ञान, गणित तथा प्रैद्योगिकी की ओर आकर्षित व प्रेरित करना है।
- ➲ ऐसा, कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन प्रयोग, चित्रकला तथा मॉडल निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है।
- ➲ सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक अन्य उप-कार्यक्रम विद्यांजलि

है। इसका उद्देश्य सर्वांशिक्षा अभियान के तत्वाधान में देशभर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है।

- ➲ इसके अलावा स्वयंसेवियों की सेवाओं के जरिए सरकारी विद्यालयों में सह-शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू करना है।
- ➲ सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी की पहल शागुन पोर्टल: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'शागुन' नाम का एक वेब पोर्टल विकसित किया है। 'शागुन' शाला और गुणवत्ता शब्दों से निकला है।

शिक्षक प्रशिक्षण

- ➲ शिक्षकों की उपलब्धता: प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत् 2016-17 तक 19.49 लाख अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है।
- ➲ शिक्षा का अधिकार के तहत यह अनिवार्य है कि शिक्षक पद पर केवल उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा-टीईटी पास की हो।
- ➲ सेवाकाल में शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के कौशल के उन्नयन के लिए उनके सेवाकाल में एसएसए सभी शिक्षकों को वर्ष में 20 दिन का प्रशिक्षण देता है।
- ➲ एनसीटीई मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जा चुके प्रत्येक अप्रशिक्षित शिक्षक को दो वर्ष तक सलान 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
- ➲ इसके अलावा नई भर्ती वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को एक महीने का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता।
- ➲ सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूलों में सुधार के लिए विषयवस्तु तथा तौर-तरीकों सहित, अध्यापन संबंधी सभी मुद्दों पर जोर दिया जाता है।
- ➲ शिक्षकों के लिए सुदूर शिक्षा कार्यक्रम: कार्मिकों और संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर इग्नू तथा विभिन्न राज्यों में अन्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों की सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- ➲ सुदूर शिक्षा कार्यक्रम के तहत् अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सुदूर शिक्षा सामग्री की डिजाइनिंग, विकास, उत्पादन तथा आपूर्ति में सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षण सहायता प्रणाली

- ➲ शैक्षिक सहायता ढांचा: शिक्षकों को विकेंद्रीकृत शैक्षिक सहायता देने, उनके प्रशिक्षण तथा निरीक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर में संसाधन केंद्र बनाए गए हैं।

- ➲ देश भर में 6,759 ब्लॉक संसाधन केंद्र और 76,064 क्लस्टर संसाधन केंद्र बनाए गए हैं।
- ➲ **स्कूल और शिक्षक अनुदान:** एसएसए, प्रासंगिक शिक्षण सहायता के लिए सभी शिक्षकों को 500 रुपये का अनुदान देता है।
- ➲ डाइट और बीआरसी, विषय संबंधी कम कीमत की शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- ➲ हर एक स्कूल को 7,500 रुपये रखरखाव के लिए दिए जाते हैं। प्रत्येक नए प्राथमिक विद्यालय को 'टीचिंग, लर्निंग इविवेपमेंट' अनुदान के रूप में एकमुश्त 20,000 रुपये और इससे उच्च स्तर के विद्यालयों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं।
- ➲ **कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई:** एसएसए के तहत स्कूलों में कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई के लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।
- ➲ यह स्कूलों को कंप्यूटर उपकरणों अथवा प्रयोगशालाओं, पाठ्यक्रम आधारित ई-लर्निंग सामग्री के स्थानीय भाषा में विकास और कंप्यूटर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए होता है।
- ➲ **प्रवीणता वृद्धि कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के लिए एसएसए के कुल व्यय का दो प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।
- ➲ इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्ययन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार कर अच्छे नीतीजे हासिल करना है।

आरटीई कानून की धारा 12(1) (ग) के तहत प्रवेश

- ➲ इसके तहत गैर-सहायता प्राप्त सभी निजी और विशेष श्रेणी के स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।
- ➲ एसएसए के तहत भारत सरकार निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत प्रवेश पर किया गया व्यय राज्यों को वापस देगी।
- ➲ यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति बच्चा लागत नियमों पर आधारित होगा और एसएसए वार्षिक कार्ययोजना और बजट राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत तक होगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- ➲ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) योजना 2009 में शुरू की गई थी। इसका, उद्देश्य और अधिक बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उसकी गुणवत्ता सुधारना है।
- ➲ इसमें बस्तियों में उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- ➲ इसका एक उद्देश्य यह भी है कि 2022 तक सकल भर्ती

अनुपात (जीईआर) शत प्रतिशत हो जाए और सभी स्कूली बच्चे पढ़ाई जारी रखें।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ पहल

- **शाला सिद्धि:** 2015 में स्कूल मानक तथा मूल्यांकन तंत्र और इसका वैब पोर्टल शुरू किया गया। स्कूलों में सुधार के लिए उनके मूल्यांकन के वास्ते यह एक व्यापक माध्यम है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों को अपने कार्य निष्पादन के अधिक दक्ष और संकेन्द्रित तरीके से मूल्यांकन में सक्षम बनाना है।
- **शाला दर्पण:** सभी 1,099 केंद्रीय विद्यालयों के लिए शाला दर्पण परियोजना 2015 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समुदायों के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- स्कूल सूचना सेवाओं के तहत ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी-स्कूल प्रोफाइल प्रबंधन, विद्यार्थी प्रोफाइल प्रबंधन, नियोक्ता की जानकारी, विद्यार्थियों की उपस्थिति, अवकाश प्रबंध, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यक्रम पता लगाने की तरीका, विद्यार्थियों प्रशासन के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में एसएमएस अलर्ट।
- **जीआईएस मैपिंग:** जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने एनआईसी के साथ स्कूलों की शेर्यर्ड जियोग्राफिक को ओर्डिनेट्स और जीआईएस मैपिंग की है।
- इस मैपिंग को यूडीआईएसई डाटा बेस से लिंक किया गया गया है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक स्कूल की मैपिंग की गई है और यह यूडीआईएसई जानकारी पर आधारित विस्तृत स्कूल रिपोर्ट के अनुरूप है।
- **कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली बार कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण किया।
- इसमें पांच विषयों- अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा में विद्यार्थियों के निष्पादन का परीक्षण किया जाता है।
- बच्चों की उपलब्धि विभिन्न पृष्ठभूमि कारकों पर निर्भर है। सर्वेक्षण में इस बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है।
- नीति-निर्माता, पाठ्यक्रम तैयार करने वाले और अन्य संबद्ध पक्षों को, निष्पादन स्कोर तथा पृष्ठभूमि के गहराई से विश्लेषण से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।

- **कला उत्सव:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कला उत्सव पहल का उद्देश्य शिक्षा में कला (संगीत, थियेटर, नृत्य, दृश्य कला तथा शिल्प) को बढ़ावा देना है।
- उच्चतर शिक्षा के स्तर पर स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पोषण और प्रदर्शन से ऐसा किया जाता है। यह, कलाओं को समग्र रूप में महत्व देने का एक मंच भी है।
- **विज्ञान तथा गणित पर संकेंद्रण:** 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया गया।
- इसके तहत विज्ञान और गणित के 1.04 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, इन विषयों के किट दिए गए विद्यार्थियों के लिए विज्ञान केंद्रों तथा संग्रहालयों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विज्ञान का विशेष शिक्षण दिया गया, वैदिक गणित का शिक्षण दिया गया और जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई।
- **शिक्षा में नवाचार के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:** आईसीटी के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण में आईसीटी के इस्तेमाल और कंप्यूटर से पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी के अभिनय इस्तेमाल के लिए शिक्षकों और उनके प्रशिक्षकों को प्रेरित करने के बास्ते राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का प्रावधान है।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की इस केंद्र प्रायोजित योजना को 2014 में संशोधित किया गया था ताकि इसे राष्ट्रीय कौशल पात्रता संरचना (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाया जा सके।
- जिसका एनवीईक्यूएफ का इसमें विलय भी कर दिया गया है। इस योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत लागू की जा रही है।
- इसका उद्देश्य मांग के अनुसार प्रतिस्पर्धा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं के रोजगार में वृद्धि करना; मल्टी एंट्री, मल्टी एंजिट अध्ययन अवसरों के प्रावधानों के जरिए प्रतिस्पर्धा तथा पात्रता में वर्टिकल मोबिलिटी/इंटरचेंज योग्यता बनाए रखना; शिक्षित तथा रोजगार पाने के योग्य लोगों के बीच अंतर को पाटना।
- माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम करना और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दबाव कम करना है।

योजना का दायरा

- यह योजना 2016-17 तक 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 7,448 स्कूलों में 17 क्षेत्रों में लागू की गई है।
- ये क्षेत्र हैं—कृषि, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, सौन्दर्य तथा फिटनेस, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रचालन तंत्र, मीडिया तथा मनोरंजन, बहु कौशल शारीरिक शिक्षा तथा खेल, खुदरा, सुरक्षा, दूरसंचार और पर्यटन तथा आतिथ्य।
- देशभर में 5,582 सरकारी स्कूलों के लगभग 4 लाख 86 हजार बच्चे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना

- यह योजना विकलांग बच्चों के लिए पहले की एकीकृत शिक्षा योजना के स्थान पर 2009-10 में शुरू की गई थी।
- माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत लागू किया गया है।
- इसके अंतर्गत कक्षा IX से XII तक के विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य सभी विकलांग बच्चों की आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्कूल (IX से XII) की और चार वर्ष की पढ़ाई, समग्र और अनुकूल माहौल में जारी रखने में सहायता करना है।
- यह योजना उन सभी बच्चों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो दिव्यांगता अधिनियम, 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की परिभाषा के तहत एक या अधिक प्रकार से दिव्यांग हैं।
- इनमें शामिल हैं: (i) दृष्टिहीनता, (ii) कम दृष्टि, (iii) कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, (iv) बधिर, (v) लोको-मोटर अशक्तता, (vi) मानसिक अस्वस्थता, (vi) मानसिक अस्वस्थता, (vii) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, आत्मविमोह, (viii) प्रमस्तिष्ठीय पक्षाधात। यह योजना उनके लिए भी है जो बोलने, समझने में अक्षम हैं।

शिक्षक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना

- (क) **शिक्षक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना**
- केंद्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1987 में शुरू की गई थी। इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित किया गया।
- इसका उद्देश्य 2011 तक सभी जिलों में डाइट स्थापित करना।

(ख) शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता

- ➲ अलग कैडर बनाना: वार्षिक कार्ययोजना और बजट (2016-17) के अनुसार 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने शिक्षक शिक्षा योजना के तहत इन शिक्षकों को अलग कैडर बनाया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से इस कैडर को मजबूत करने को भी कहा गया है।

सीएसएसटीई योजना के तहत नई गतिविधियाँ/पहल

- ➲ इंडिया टीचर एजुकेशन पोर्टल (प्रशिक्षक): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सकूलों शिक्षा तथा साहित्य विभाग ने 2016 में यह पोर्टल शुरू किया।
- ➲ इससे शिक्षक विकास संस्थानों की निगरानी ओर भावी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अपनी पसंद का संस्थान चुनने के लिए विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

अल्पसंख्यक संस्थान के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास

- ➲ यह योजना अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर अल्पसंख्यकों की शिक्षा में मदद करती है। यह योजना समूचे देश में लागू है।
- ➲ इसके तहत सहायता प्राप्त निजी/गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के ढांचागत विकास के लिए 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रति स्कूल यह राशि अधिकतम 50 लाख रुपये होगी।
- ➲ केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे कम से कम पिछले 3 वर्ष से काम कर रहे हों और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों ने बड़ी संख्या में इनमें दाखिला लिया हो।

राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना

- ➲ बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की यह केंद्र प्रायोजित योजना 2008 में शुरू की गई थी।
- ➲ इसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जिसमें माध्यमिक स्कूलों में विशेषकर अनु. जा./अनु. जनजाति की बालिकाओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी की जा सके।
- ➲ इस योजना के अंतर्गत नवीं कक्षा की अविवाहित पात्र लड़कियों के नाम पर 3,000 रुपये सार्विधिक खाते में जमा किए जाते हैं।
- ➲ यह राशि वे दसवीं कक्षा पास करने और 18 वर्ष की होने पर ब्याज के साथ निकलवा सकती है। यह योजना
 1. अनु. जा./अनु. जनजाति से संबंध रखने वाली आठवीं पास करने वाली और

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क्या वे अनु. जा./अनु. जनजाति से संबंध हैं इस पर विचार किए बिना) से आठवीं पास करने वाली और राज्य सरकार, सरकारी सहायता तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में दसवीं में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए है। केनरा बैंक इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है।

वयस्क शिक्षा

- ➲ स्वतंत्रता के समय भारत की 86 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी इसलिए वयस्क, शिक्षा का जोर इसके सबसे नीचे के स्तर पर अर्थात् 'बुनियादी साक्षरता' पर ही था।
- ➲ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रथम योजना अवधि से ही अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए।
- ➲ इनमें से जो सबसे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित है, वह है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यह 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1988 में शुरू किया गया था।
- ➲ वयस्क शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार कर पूर्ण साक्षर समाज का निर्माण करना है।
- ➲ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 2009 में संशोधित कर इसे साक्षर भारत का नाम दिया गया। नये मिशन में आजीवन शिक्षा का नया आयाम जोड़ा गया है।
- ➲ देश की साक्षरता दर में पर्याप्त प्रगति हुई है परंतु अब भी विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्प संख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान हैं।
- ➲ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास की सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालक और कार्यान्वयन संगठन है।
- ➲ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करने और लड़कों-लड़कियों की संख्या का अंतर 10 प्रतिशत से कम करने का प्रयास किया जाता रहा है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन

- ➲ केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना को भारत सरकार ने दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 1962 में मंजूरी दी थी।
- ➲ इसका उद्देश्य यह व्यवस्था करना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तबादले की स्थिति में उनके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।
- ➲ केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में की गई थी।
- ➲ शुरुआत में शिक्षण वर्ष 1963-64 के दौरान कर्मियों की अधिकता वाले स्थानों पर संचालित 20 रेजीमेंट्स स्कूलों का

- अधिग्रहण केंद्रीय विद्यालय के रूप में किया गया।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन की 1965 में समिति पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के तहत एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया।
 - संगठन का प्राथमिक उद्देश्य समूचे भारत और विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों का स्थापना निधियन, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना है।
 - भारत सरकार पूरी तरह संगठन का वित्त पोषण करती है।

जवाहर नवोदय विद्यालय

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य आवासीय नवोदय स्कूलों की स्थापना करना है ताकि समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके।
- इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति को समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया।
- नवोदय विद्यालय की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावन बच्चों में, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बगैर मूल्यों, वातावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों तथा शारीरिक शिक्षा सहित गुणवत्ता पूर्ण आधुनिक शिक्षा देने के लिए की गई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद-एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है।
- इसकी स्थापना 1 सितंबर, 1961 में एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। परिषद नीतियां, कानून और सरकारों के मार्गदर्शन के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती है।
- इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968-1986) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद द्वारा किए गए अनुसंधान से नई योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है।
- परिषद शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए आवश्यकता आधारित तथा नवाचार वाले पाठ्यक्रम तैयार करती है।
- इसके द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और अन्य अध्ययन सामग्री से स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिली है। एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिछले 50 वर्ष के कामकाज से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
- यह भारत का एक अनूठा संस्थान है जो अनुसंधान करता है, कुशल शैक्षिक व्यवसायी तैयार करता है और पाठ्यक्रम तथा

पाठ्य सामग्री तैयार करता है।

परिषद की प्रमुख इकाइयां हैं-

(क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

(ख) केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।

(ग) पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल।

(घ) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा उमियम (मेघालय) में क्षेत्रीय संस्थान।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड - सीबीएसई, केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड है।
- बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे केवल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम ही लागू करें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान-एनआईओएस, किसी संस्थान से जुड़े बिना डिग्री पूर्व स्तर की शिक्षा पाने के इच्छुक बाहरी व्यक्तियों के लिए है।
- इसकी शुरुआत 1989 में सीबीएसई ने अपनी ही तरह की परियोजना के तौर पर की थी।
- 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मुक्त विद्यालय प्रणाली की मजबूत करने का सुझाव दिया ताकि देश भर में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र देने की स्वतंत्र व्यवस्था के साथ चरणबद्ध रूप से मुक्त शिक्षा की सुविधा दी जा सके।
- इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1989 में राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना की।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान मुक्त तथा सुदूर शिक्षा के जरिए निम्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम उपलब्ध कराकर शिक्षा पाने के इच्छुक लोगों को अवसर प्रदान करता है।
- 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोर तथा प्रौढ़ समूह के लिए मुक्त मौलिक शिक्षा कार्यक्रम, क, ख तथा ग स्तर पर शिक्षित करने का है जोकि तीसरी, पांचवीं तथा आठवीं की औपचारिक स्कूल प्रणाली के बराबर है।
- इसमें माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम, जीवन समृद्धि कार्यक्रम शामिल है।
- माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, संस्थान मनपसंद विषयों/पाठ्यक्रमों, सीखने की गति

- तथा सीबीएसई से मान्यता का अंतरण, स्कूल शिक्षा का कोई बोर्ड और राज्य मुक्त स्कूल के संदर्भ में हर प्रकार की छूट होती है।
- ⦿ इनमें शिक्षा प्राप्त करने वालों को पांच वर्ष की अवधि में सार्वजनिक परीक्षा में नौ बार बैठने का मौका दिया जाता है।
 - ⦿ शिक्षा के तरीकों में शामिल हैं-मुद्रित स्व-निर्देशक सामग्री, दृश्य व श्रव्य कार्यक्रम, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में भागीदारी तथा शिक्षक द्वारा चिह्नित कार्य।
 - ⦿ छमाही पत्रिका-'ओपन लर्निंग' के जरिए विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्पन्न बनाया जाता है। अध्ययन सामग्री हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध कराई जाती है।

मध्यान्ह भोजन योजना

- ⦿ इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी यहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष केंद्रों और सर्वशिक्षा अभियान के तहत आने वाले मदरसों के पहली से आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाता है।
- ⦿ देशभर की 11.40 लाख संस्थाओं के 9.78 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन देने की यह विश्व की सबसे बड़ी विद्यालयीन भोजन योजना है।
- ⦿ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में लाने और उनकी उपस्थिति बनाए रखने के अलावा मध्यान्ह भोजन योजना के सामाजिक और स्त्री-पुरुष समानता को भी प्रोत्साहन मिला है।

मध्यान्ह भोजन के मानक

- (I) मध्यान्ह भोजन का कैलोरी मूल्य: पके हुए भोजन में 100 ग्राम गेहूं/चावल, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल/चिकनाई शामिल होती है, जिससे प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है।
- उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो भोजन दिया जाता है, उसमें 150 ग्राम गेहूं/चावल, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल/चिकनाई होती है, जिससे 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है।

- (II) एमडीएम योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत: गैर-पूर्वोत्तर राज्यों और विधान सभाओं वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खाना पकाने का व्यय 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत व्यय केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखण्ड के तीन हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में केंद्र और संबंधित राज्य खर्च उठाते हैं।

तिथि भोजन

- ⦿ मध्यान्ह, भोजन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य में 'तिथि भोजन' के नाम से एक नई अवधारणा का सूत्रपात हुआ है।
- ⦿ समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को बच्चे का जन्म, परीक्षा में सफलता, गृह प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोहों को स्थानीय स्कूलों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन में योगदान देकर मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समुदाय और परिवार स्वेच्छा से इसमें योगदान करते हैं।
- ⦿ नियमित मध्यान्ह भोजन के साथ मिठाई और नमकीन, पूर्ण भोजन, अंकुरित अनाज आदि जैसे पोषक आहार के रूप में योगदान करने के अलावा रसोई के बर्तन, डिनर सेट और पानी पीने के गिलास आदि का भी योगदान किया जाता है।
- ⦿ सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 'तिथि भोजन' की प्रथा को इसी नाम से अथवा राज्य सरकारों की इच्छा के अनुकूल नाम से अपनाने के लिए विचार करने का अनुरोध किया गया है।
- ⦿ विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग नाम इस अवधारणा को अपनाना शुरू कर दिया है।
- ⦿ असम में 'संप्रीति भोजन', हिमाचल प्रदेश में 'धाम', महाराष्ट्र में 'स्नेह भोजन', कर्नाटक में 'शालेगांगी नावू नीवू', पुडुचेरी में, 'अन दानम', पंजाब में 'प्रीति भोज' और राजस्थान में 'उत्सव भोज' नाम से तिथि भोजन की परंपरा शुरू हो चुकी है।

बच्चों का शत-प्रतिशत आधार नामांकन

- ⦿ विभाग ने सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की है।
- ⦿ सेवाओं या लाभों या अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करने के लिए आधार पहचान पत्र का उपयोग सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं को सरल बना देता है तथा पारदर्शिता और कार्य कुशलता लाता है।

मध्यान्ह भोजन नियम

- ⦿ मध्यान्ह भोजन नियम 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है और वह सितंबर 2015 से प्रभावी हो गया है।
- ⦿ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी पात्र स्कूलों को एमडीएम नियम 2015 के बारे में समझाने और उन्हें लागू करने के लिए परामर्श दिया गया है। उन्हें इन नियमों के अमल के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है।
- ⦿ सभी बच्चों को अच्छा भोजन कराने के उद्देश्य से नए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को क्रियान्वयन

के प्रभावी दिशा निर्देश तय करने को भी कहा गया है।

- ➲ मध्यान्ह भोजन नियम, 2015 की मुख्य विशेषताएँ हैं—
 - (i) खाने के नमूने की जांच को अनिवार्य बनाकर, गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;
 - (ii) स्कूलों में एमडीएम निधि की अनुपब्धता के मामले में अस्थायी रूप से अन्य निधियों के उपयोग की अनुमति देकर नियमितता को सुदृढ़ बनाना और स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने में लगातार विफलता के लिए जवाबदेही तय करना;
 - (iii) बीपीएल दरों, चावल के लिए 5.65 रुपये और गेहूं के लिए 4.15 रुपये के स्थान पर एनएफएसए दरों यानी 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की आपूर्ति।
 - (iv) यदि खाद्यान की अनुपलब्धता, खाना पकाने की लागत, ईंधन अथवा रसोइया सह-सहायक की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से किसी दिन स्कूल में मध्यान्ह भोजन नहीं दिया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा।

खाद्य नमूनों की जांच

- ➲ मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिए राज्य सरकार ने काम पर रखी जाने वाली अधिमान्य प्रयोगशालाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

सोशल ऑडिट

- ➲ इस प्रक्रिया में लोग मिलजुल कर किसी कार्यक्रम या योजना की आयोजना तथा कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।
- ➲ सोशल ऑडिट जवाबदेही तथा पारदर्शिता समिति ने 2012-13 के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा खम्मम जिलों में किया था।
- ➲ इसके नतीजों से उत्पादित होकर मध्यान्ह भोजन योजना का सोशल ऑडिट कराने के लिए 2014 में विभाग ने विस्तृत निर्देश जारी किए।
- ➲ अब तक तेरह राज्य यह सोशल ऑडिट पूरा कर चुके हैं। ये राज्य हैं—बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिज़ोरम और तमिलनाडु।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

- ➲ स्वतंत्रता के बाद से देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि है। स्वतंत्रता के समय देश में कुल 20 विश्वविद्यालय

और 500 कॉलेज थे।

- ➲ कॉलेजों की संख्या में 77 गुनी (अर्थात् 38,498) और विश्वविद्यालयों की संख्या में 38 गुनी (अर्थात् 760) वृद्धि हुई है।
- ➲ इसी प्रकार, दाखिलों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संरचना

- ➲ इसकी शुरुआत अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और अन्य हित साधकों की निष्पक्ष पैमानों और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर संस्थाओं की रैंकिंग तय किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए की गई थी।

राष्ट्रीय अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी

- ➲ देश की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए दस गोल पोस्ट की पहचान की गई है और प्रत्येक के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के बास्ते अनुसंधान समूह बनाए जा रहे हैं।
- ➲ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी और आईएससी जैसे अग्रणी संस्थानों का चयन किया गया है।

बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़

- ➲ यूजीसी ने राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत डिप्लोमा/एडवांस्ड डिप्लोमा के बहु-निकास के विविध पाठ्यक्रमों वाली बी. वोक डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके उद्देश्य हैं—
 - (i) युवाओं को रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना।
 - (ii) बहु-प्रवेश और बहु-निकास के अध्ययन अवसरों और उर्ध्व गतिशीलता के प्रावधानों के जरिए उनकी प्रतियोगी क्षमता बनाए रखना।
 - (iii) शिक्षित और रोजगार योग्य लोगों के बीच के अंतर को दूर करना और
 - (iv) माध्यमिक स्तर पर स्कूल पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना।
 - (v) 25 राज्यों के 2,035 स्कूल इस योजना पर अमल कर रहे हैं।

युवाओं की व्यावसायिक उन्नति हेतु कौशल आकलन मैट्रिक्स

- ➲ एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणालियों के बीच उर्ध्व (ऊपर की ओर) तथा पार्श्वक गतिशीलता को सुगम बनाता है।
- ➲ शैक्षिक ज्ञान और व्यावहारिक-व्यावसायिक कौशल की प्रगति

- के प्रयासों का निर्बाध एकीकरण ही इस फ्रेमवर्क की शक्ति है।
- शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद: शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद का गठन 2014 में शैक्षणिक संकायों और शिक्षक की योग्यता से इतर रोज़गार की भूमिका पर विचार करने के लिए किया गया था।
 - एसएससी के कार्यों में सम्मिलित हैं, श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) का गठन ताकि कौशल विकास की जरूरतों की पहचान कर प्रशिक्षण की योजना बनाई और प्रदान की जा सके तथा कौशल के प्रकारों का कैटलॉग तैयार किया जा सके, कौशल विकास योजना तैयार करना और कौशल इंवेंट्री बना कर रखना, कौशल दक्षता मानकों और योग्यताओं का विकास करना।

सक्षम-दिव्यांग बच्चों हेतु सक्षम छात्रवृत्ति

- एआईसीटीई की इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है।
- एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद और मंधावी छात्रों को शिक्षण शुल्क और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों हेतु ईशान उदय

- यूजीसी ने 2014-15 के शिक्षा सत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए 'ईशान उदय' नाम की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है।
- योजना में क्षेत्र के उन 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनके अभिभावकों की आय 4.5 लाख रुपये वार्षिक से कम है।

ईशान विकास-पूर्वोत्तर के छात्रों हेतु शैक्षणिक अवसर

- यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के कॉलेज और स्कूलों के चुनिंदा छात्रों को उनके लिए अवकाश के दौरान आईआईटी एवं आईटी और आईएसईआर संस्थानों के निकट संपर्क में लाने की योजना के तहत शुरू किया गया है ताकि उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसरों का ज्ञान हो सके।

महिला नेता

- महिलाओं को शोष तकनीक शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- इतिहास में पहली बार दो महिला वैज्ञानिकों को आईआईटी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है।

प्रगति

- प्रगति (छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति) एआईसीटीई की एक योजना है, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करना है।
- विकास प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
- यह 'तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण' द्वारा प्रत्येक युवती को अपनी शिक्षा को और आगे ले जाने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति

- शिक्षा के अनेक स्तरों पर बालिकाओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने का अनुपात बालकों की तुलना में कहाँ अधिक है।
- महिला शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए यूजीसी ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति शुरू की है।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन लड़कियों की उच्च शिक्षा के खर्च की सीधे-सीधे प्रतिपूर्ति करना है जो अपने परिवार की एकमात्र संतान हैं।

अपना कॉलेज जानो

- अपना कॉलेज जानो (नो योर कॉलेज) एक ऐसा पोर्टल है जो कॉलेजों के बारे में आवश्यक जानकारी देकर छात्रों को कॉलेज के चयन संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है।
- सहयोग, मोबाइल, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक कॉलेज आईसीटी का उपयोग, आदर्श पाठ्यचर्चा और अनुसंधान जैसे विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगों हेतु सुविधाएं, स्थापन (प्लेसमेंट) सुविधाएं और उद्यमिता के विवरण भी उपलब्ध हैं।

कैंपस कनेक्ट

- राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) योजना का उद्देश्य अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रियाओं के लिए आईसीटी की संभावनाओं का लाभ उठाना है। इस मिशन के प्रमुख अंग हैं:
 - (क) सामग्री सुजन
 - (ख) संस्थाओं और छात्रों को इसके लिए आवश्यक यंत्र प्रदान करने के साथ संपर्क सुविधा प्रदान करना।

शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल

- ⦿ शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल ज्ञान (जीआईएएन) का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और उद्यमी प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें उच्च अध्ययन के भारतीय संस्थानों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अनुसंधान पार्क

- ⦿ अनुसंधान पार्क का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से ज्ञान और नवाचार की पर्यावरण प्रणाली कायम करना है ताकि वैश्विक स्तर से भी बेहतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास हो सके।

संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण

- ⦿ महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्मशती के अवसर पर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण (जीएनआईटी) 'सप्ताह' मनाया गया। इसका उद्देश्य गणित में छात्रों की रुचि को सक्रियता से बढ़ावा देना था।
- ⦿ वैज्ञानिकों द्वारा गणित पर व्याख्यान, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं, विवरण प्रतियोगिताएं, शिक्षकों और छात्रों द्वारा नवाचार पर अनुभवों का आदान-प्रदान, विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित फिल्मों का प्रदर्शन, ओरिगेमी एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद सप्ताह का औपचारिक समापन समारोहपूर्वक हुआ।

कॉपीराइट

- ⦿ कॉपीराइट प्राप्त करना स्वचालित प्रक्रिया है और इसके लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है।
- ⦿ किसी भी कृति का सृजन होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है।
- ⦿ कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- ⦿ इसकी अध्यक्षता कॉपीराइट पंजीयक करता है, जिसके पास कॉपीराइट संबंधी मामलों से निपटने की अर्द्धन्यायिक शक्तियां होती हैं। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य काम कॉपीराइट का पंजीकरण करना है।
- ⦿ कॉपीराइट कार्यालय द्वारा तैयार किया गया कॉपीराइट रजिस्टर आम लोगों को कॉपीराइट के काम के बारे में जानकारी देता है।
- ⦿ कॉपीराइट कानून 1957 के अनुच्छेद-13 के अनुसार कॉपीराइट निम्नलिखित वर्गों या कार्यों में निहित होता है:

(क) मौलिक साहित्यिक, सॉफ्टवेयर, संगीतिक और कलात्मक कार्य,

(ख) सिनेमैटोग्राफिक फिल्म और

(ग) साउंड रिकॉर्डिंग।

- ⦿ **कॉपीराइट पंजीकरण हेतु प्रक्रिया:** अधिनियम कॉपीराइट 1957 की धारा 45 के तहत कॉपीराइट रजिस्टर में कार्य के ब्योरे को शामिल करने के लिए लेखक या प्रकाशक या कॉपीराइट मालिक या किसी भी काम के कॉपीराइट का इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में निवेदन कर सकता है।
- ⦿ कॉपीराइट कार्यालय सभी प्रकार के कार्यों के लिए पंजीकरण सुविधा मुहैया करता है।
- ⦿ **कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरण:** ई-फाइलिंग सुविधा की शुरुआत 2014 में की गई और नई तरह से डिजाइन किए गए प्रमाण-पत्र के साथ कॉपीराइट का नया लोगों भी प्रयोग किया जा रहा है।
- ⦿ कॉपीराइट रिकॉर्डों का डिजिटीकरण भी जल्दी शुरू किया जा रहा है। लगभग 6 लाख कॉपीराइट रजिस्टरों को स्कैन किया जा चुका है।
- ⦿ अर्द्धन्यायिक निकाय कॉपीराइट बोर्ड का गठन सितंबर 1958 में किया गया और यह अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहा था। कॉपीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है।
- ⦿ बोर्ड को कॉपीराइट पंजीकरण और कॉपीराइट निर्धारण संबंधी विवादों को निपटाने, पंजीकरण में सुधार, सरकार द्वारा रोके गए कार्य के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस की मंजूरी, अप्रकाशित भारतीय कार्य, दिव्यांगों के लाभ के लिए अनुवादों का प्रकाशन तथा उत्पादन और विशेष मकसद के कार्यों के मामले में निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।
- ⦿ कॉपीराइट बोर्ड, कवर संस्करण और साहित्यिक एवं संगीतमय कार्यों के प्रसारण और साउंड रिकॉर्डिंग के वैधानिक लाइसेंसों के लिए अधिशुल्क की दरें भी तय करता है।
- ⦿ बोर्ड कॉपीराइट कानून 1957 के तहत इसके सामने लाए गए अन्य मामलों में भी सुनवाई करता है।
- ⦿ कॉपीराइट (संशोधन) कानून 2012 के तहत कॉपीराइट बोर्ड के तीन स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य हैं।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संविधान का 86वाँ संशोधन अधिनियम 2002 संविधान में अनुच्छेद 21ए स्थापित करता है जो कि 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
2. प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिम्मेदार हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

2. सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए चलाई जा रही है।
2. अभियान के अंतर्गत बच्चों को नजदीकी विद्यालय में उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
3. सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मानव संसाधन मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के रूप में शगुन पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2
- (d) 1, 2 व 3

3. मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह योजना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी विद्यालयाधीन भोजन योजना है।
2. योजना के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में छात्र छात्राओं को दोपहर तक भोजन दिया जाता है।

3. यदि किसी कारणवश किसी दिन बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त नहीं होता तो संबंधित राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होता है।

कूट:

- (a) 1 व 2
- (b) केवल 2 व 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 व 3

4. सामाजिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं-

- (a) लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम अथवा योजना की निगरानी और नियोजन तथा क्रियान्वयन का मूल्यांकन
- (b) सामाजिक सशक्तिकरण परियोजनाओं का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रगति मूल्यांकन
- (c) किसी परियोजना का इस दृष्टि से मूल्यांकन कि वह सामाजिक सशक्तिकरण में कितनी सहायक सिद्ध हुई है या भविष्य में होने की संभावना है।
- (d) विभिन्न परियोजनाओं का किसी और सरकारी संगठन द्वारा मूल्यांकन किया जाना

5. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पहल किससे संबंधित है-

- (a) विद्यालयों के चारों ओर वृक्षारोपण द्वारा आस-पास के वातारण को प्रदूषण रहित बनाना
- (b) सभी शासकीय स्कूलों में एक वर्ष के अन्दर छात्रों व छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय निर्मित करना
- (c) (a) और (b) दोनों
- (d) न तो (a) न ही (b)

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से डिजिटल जेंडर एटलस के विषय में सही है/हैं?

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया था।
2. यह एटलस विकलांगता सहित अन्य प्रकार के कमज़ोर वर्गों की लड़कियों पर ध्यान देते हुए समान शिक्षा को चिन्हित करने और उसे सुनिश्चित करने में मदद करता है।

3. यह एटलस मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित 8. हाल ही में समाचारों में रहा 'स्वयम' (Swayam) है-

कृति किया गया है

- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1 व 3
(d) 1, 2 व 3

7. राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई पद्धति है।
 2. यह फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किया गया है।
 3. भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी है कि वे इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपनी रैंकिंग करवाएँ उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1 व 3
(d) 1, 2 व 3

8. हाल ही में समाचारों में रहा 'स्वयम' (Swayam) है-

- (a) दिव्यांगों के अधिकारों संबंधी पोर्टल
(b) एक आनलाइन पाठ्यक्रम जो सर्वसुलभ है
(c) इज आफ डुइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों को स्वतः पंजीकरण करने का पोर्टल
(d) कौशल विकास मंत्रालय की नई योजना जिसमें 2 करोड़ युवाओं की प्रशिक्षित किया जाएगा।

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में साक्षरता दर 75% है।

2. भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कर्ज संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालक्ष्मी नामक बेब पोर्टल तैयार किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

- | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1. (a) | 2. (c) | 3.(b) | 4.(a) | 5.(b) | 6. (a) |
| 7. (a) | 8. (b) | 9.(c) | | | |

अध्याय

11.

ऊर्जा

- ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन-स्तर बेहतर बनाने का एक आवश्यक साधन है।
- समाज में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है।
- ऊजों के गैर-परंपरागत, वैकल्पिक, नए और नवीकरणीय स्रोतों जैसे- सौर, पवन और जैव ऊर्जा आदि के विकास और संवर्धन पर लगातार ध्यान दिए जाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।
- देश में समग्र ऊर्जा सुलभता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान ऊर्जा के विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

विद्युत

- ⦿ भारत में विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंत में, सन् 1897 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति का शुरूआत से हुआ। उसके बाद सन् 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में पनबिजली घर काम करने लगा।
- ⦿ स्वतंत्रता से पहले विद्युत की आपूर्ति मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र करता था और यह सुविधा भी शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी।
- ⦿ पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न चरणों में राज्य बिजली बोर्डों का गठन, देशभर में विद्युत आपूर्ति उद्योग के सुव्यवस्थित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था।
- ⦿ अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं आरंभ हुई और ताप, जल और परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के बाद से विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।
- ⦿ विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है।
- ⦿ मंत्रालय परिप्रेक्ष्य नियोजन, नीति निर्धारण, निवेश संबंधी निर्णयों के लिए परियोजनाओं की व्यवस्था, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण तथा कर्मचारियों का विकास और प्रशासन तथा तापीय एवं पनबिजली उत्पादन के संबंध में कानून का अधिनियमन, पारेषण एवं वितरण से संबद्ध है।
- ⦿ सभी तकनीकी मामलों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है।
- ⦿ केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के निर्माण और

संचालन का काम केंद्रीय क्षेत्र के बिजली निगमों यथा- नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन-एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी), नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन(एनईईपीसीओ) तथा पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड-पीजीआईएल) को सौंपा गया है।

- ⦿ पॉवर ग्रिड केंद्रीय क्षेत्र में सभी वर्तमान और भावी पारेषण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है।
- ⦿ संयुक्त क्षेत्र के दो बिजली निगमों- सतलुज जलविद्युत निगम (एसजेवीएन) (जो पूर्व में एनजेपीसी के नाम से जाना जाता था) और ठिहरी पनबिजली विकास निगम, ठिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) क्रमशः हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी बिजली परियोजना तथा उत्तराखण्ड में ठिहरी हाइड्रो पॉवर कॉम्प्लेक्स के लिए जिम्मेदार हैं।
- ⦿ तीन वैधानिक निकाय - दामोदर घाटी निगम (दामोदर वैली कॉरपोरेशन-डीवीसी), भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
- ⦿ विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को मियादी वित्तीय सहायता देते हैं।
- ⦿ दो स्वायत्त निकाय (संस्था) - केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं।

- प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र की विशाल विद्युत परियोजनाओं की सहायता के लिए बिजली व्यापार निगम का गठन किया गया है, जो बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को अंतिम रूप देने वाला एकमात्र संगठन है।

विद्युत उत्पादन

- वर्ष 2017-18 के दौरान 1229.4 बिलियन यूनिट (बीयू) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य नियत था।
- वास्तविक उत्पादन (अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान) 906.2 बीयू रहा, जिसमें पिछले साल की आलोच्य अवधि में हुए 873.1 बीयू उत्पादन की तुलना में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

- मार्च 2019 तक देश में सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपये की कुल लागत से सौभाग्य योजना की शुरुआत की है।
- योजना के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत मकानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना।
- एपीएल परिवार 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे (जो विद्युत बिलों में 10 किस्तों में देय है)।
- दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित गैर-विद्युतीकृत मकानों और गैर-पहुंच वाले उन गांवों/स्थितियों, जहाँ ग्रिड एक्सटेंशन व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं है, के लिए एकल प्रणाली आधारित सोलर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) उपलब्ध कराना और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब और सभी गैर-विद्युतीकृत मकानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना।

वर्ष 2017-18 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

- वर्ष 2017-18 के लिए 500 मेगावॉट परमाणु बिजली सहित 13171.15 मेगावॉट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- इस लक्ष्य की तुलना में 31 दिसंबर, 2017 तक 4,765 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई है।

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

- राष्ट्रीय ग्रिड के विकास की जरूरत को स्वीकार करते हुए चरणबद्ध तरीके से अंतर-क्षेत्रीय लिंक्स की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया गया है।
- इस दिशा में काम करते हुए सभी पांचों क्षेत्रीय ग्रिडों को समसामयिक रूप से कनेक्ट किया गया है।

- 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 78,050 मेगावॉट है, जो 11वीं योजना के अंत तक 27.750 मेगावॉट थी।

ऊर्जा दक्षता

- ऊर्जा संरक्षण भवन सहिता (ईसीबीसी) का अद्यतन संस्करण 2017 को प्रारंभ किया गया।
- ईसीबीसी, 2017 के कार्यक्षेत्र में कवर/आवरण, लाइटिंग, हीटिंग, एयर-कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सहित भवन डिजाइन के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं।
- यह 100 किलोवॉट और उससे अधिक या 120 केवीए और उससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को बिना जमा राशि एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' का शुभारंभ किया।
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना तथा घर के भीतर गंभीर बायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जलावन की लकड़ी, कोयला, गाय का गोबर आदि जैसे ईंधन के परंपरागत साधनों के गंभीर प्रभावों को घटाते हुए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- खाना पकाने के ईंधन के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को जलावन की लकड़ी बीनने की मशक्कत से छुटकारा दिलाता है, खाना पकाने पर लगने वाले समय में कमी लाता है और बनाने की कटाई रोकता है। अब तक 5.55 करोड़ बीपीएल परिवार इस योजना से लाभावित हो चुके हैं।
- एसईसीसी सूची में नाम नहीं पाए जाने की स्थिति में, सात श्रेणियों यथा- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमजेवाई-ग्रामीण) के लाभार्थी, अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बनवासी, चाय बागान जनजातियों और द्वीपसमूहों/नदी द्वीपों के निवासी योजना की अन्य शर्तें पूरा करने की स्थिति में लाभावित हो सकते हैं।

पहल

- सरकार ने सुशासन के उपाय के तौर पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 'पहल' के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराने की

लक्षित योजना का शुभारंभ किया है।

- ⦿ इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी बंद करना नहीं, बल्कि सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकने के दृष्टिकोण के आधार पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना है। उपयुक्त सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है।
- ⦿ अब तक 22.40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना के साथ जुड़ चुके हैं।
- ⦿ विश्व की अब तक की विशालतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के कारण पहल योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है।
- ⦿ वर्तमान में 83,653 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं के खातों में भेजी जा चुकी है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

- ⦿ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण (तरल प्राकृतिक गैस के आयात सहित) और उत्पादन, शोधन, वितरण, विपणन, आयात-निर्यात तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबद्ध है।
- ⦿ ऊर्जा आर्थिक प्रगति का मुख्य चालक है। सक्षम, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा भारत की समग्र अर्थव्यवस्था के सतत विकास और समेकित प्रगति के लिए आवश्यक है।
- ⦿ तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा बाजार बन चुका है।
- ⦿ भारत 2015 के दौरान रूस को पीछे छोड़ते हुए चीन और अमरीका के बाद विश्व में तीसरा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया। भारत की ऊर्जा खपत में तेल और गैस का भाग लगभग 35% रहा।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

- ⦿ वर्ष 2016-17 में 36.01 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2017-18 के कच्चे तेल का उत्पादन 35.68 एमएमटी रहा, जो लगभग 0.9% की मामूली गिरावट दर्शाता है।
- ⦿ वर्ष 2017-18 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 32.649 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो 2016-17 में 31.8970 बीसीएम के उत्पादन से 2.35% अधिक है।

रिफाइनिंग क्षमता

- ⦿ भारतीय रिफाइनरी उद्योग ने, स्वयं को एक वैश्विक उद्योग स्थापित करने में अच्छा प्रदर्शन किया है।
- ⦿ भारत, जो चीन के बाद एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनर है,

मांग से अधिक रिफाइनिंग क्षमता वाला एक रिफाइनरी हब है।

- ⦿ देश की रिफाइनरी क्षमता अप्रैल 2018 में बढ़कर 247.57 एमएमटीपीए हो गई है।

कच्चे तेल का आयात

- ⦿ वर्ष 2017-18 के दौरान 220.43 एमएमटी कच्चे तेल का आयात किया गया, जिसका मूल्य 5,65,951 करोड़ रुपये आंका गया।
- ⦿ वर्ष 2016-17 के दौरान 213.93 एमएमटी कच्चे तेल का आयात किया गया, जिसका मूल्य 4,70,159 करोड़ रुपये आंका गया।
- ⦿ वर्ष 2016-17 के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा के संदर्भ में 3.04% तथा मूल्य के संदर्भ में 20.37% की वृद्धि दर्शाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात

- ⦿ वर्ष 2017-18 के दौरान 35.89 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात हुआ, जिनका मूल्य 86,946 करोड़ रुपये आंका गया, जो वर्ष 2016-17 के दौरान आयातित 36.29 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों, जिनका मूल्य 71,566 करोड़ रुपये आंका गया था की तुलना में मात्रा के संदर्भ में 1.09 प्रतिशत की गिरावट और मूल्य के संदर्भ में 21.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- ⦿ वर्ष 2017-18 के दौरान 66.76 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनका मूल्य 2,25,139 करोड़ रुपये आंका गया, जो वर्ष 2016-17 के दौरान निर्यात किए गए 65.51 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों, जिनका मूल्य 1,94,893 करोड़ रुपये आंका गया था, की तुलना में मात्रा के संदर्भ में 1.91 प्रतिशत तथा मूल्य के संदर्भ में 15.52 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

मेक इन इंडिया

- ⦿ तेल और गैस क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान का आरंभ करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खरीद वरीयता उपलब्ध कराने की दिशा में एक नीति को मंजूरी दी गई।
- ⦿ इस नीति का उद्देश्य घरेलू गैस और तेल क्षेत्र में घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, देश में विनिर्मित उत्पादों तथा तेल और गैस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में उच्च मूल्य वृद्धि जोड़ना था तथा आयात पर निर्भरता में कमी लाना था।

ऊर्जा सुरक्षा

- ⦿ सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अनेक प्रमुख नीतिगत उपाय किए हैं।

- ⦿ तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ओएनजीसी और ओआईएल के ऐसे डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स के मुद्रीकरण के लिए डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड नीति को अधिसूचित किया गया, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया गया था।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- ⦿ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सार्वजनिक क्षेत्र का एक विशाल उपक्रम (पीएसयू), है, जिसे 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त है।
- ⦿ इसकी दो मुख्य रिफाइनरियां हैं, एक रिफाइनरी, मुंबई (पश्चिमी तट) पर स्थित है जिसकी क्षमता 7.5 एमएमटीपीए है तथा दूसरी विशाखापट्टनम (पूर्वी तट) पर स्थित है और इसकी क्षमता 8.3 एमएमटीपीए है।
- ⦿ ये रिफाइनरियां ईंधन, ल्यूब्रीकेंट्स और विशिष्ट उत्पाद सहित व्यापक विविधता वाले पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण करती हैं।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- ⦿ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (इंडियन ऑयल) भारत की अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है और इसके व्यापारिक हित समस्त हाइड्रोकार्बन मूल्य शृंखला में व्याप्त हैं, जिसमें तेलशोधन, पाईपलाइन परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से लेकर तेल और गैस का अन्वेषण तथा उत्पादन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स आदि का विपणन शामिल है।
- ⦿ 'महारत्न' उद्यम इंडियन ऑयल सर्वाधिक लाभ कमाने वाला पीएसयू है (वित्त वर्ष 2017-18 में शुद्ध लाभ 21,346 करोड़ रुपये था) और यह वर्ष 2018 की फॉर्चून 500 ग्लोबल लिस्टिंग की शीर्ष भारतीय कंपनी (रैंक 137) रही।
- ⦿ इंडियन ऑयल की पाईपलाइनों का नेटवर्क पूरे भारत में सबसे बड़ा है, जो 13,400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को सुरक्षित, किफायती तथा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- ⦿ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसे 'महारत्न' का दर्जा प्राप्त है। इसकी दो रिफाइनरियां मुंबई और कोच्चि में हैं। मुंबई की रिफाइनरी की शोधन क्षमता 12 एमएमटीपीए तथा कोच्चि की शोधन क्षमता 15.5 एमएमटीपीए है।
- ⦿ फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी बीपीसीएल प्रमुख एकीकृत कंपनियों में से एक है, जो कच्चे तेल के शोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में संलग्न है तथा जिसकी तेल और गैस क्षेत्र के

- ⦿ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
- ⦿ 'महारत्न' नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में बीपीसीएल की चुकता पूंजी 61.65% है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

- ⦿ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मिनीरत्न अनुसूची 'क' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है।
- ⦿ यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी और विदेशी शाखा है।
- ⦿ ओवीएल का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा संवर्धित करने के लिए विदेश में मौजूद गुणवत्तापूर्ण तेल और गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है।

भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड

- ⦿ भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल) का गठन 2006 में किया गया था। यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी और अन्वेषण एवं उत्पादन इकाई है।
- ⦿ बीपीसीएल जहां भारत के मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खंडों के साथ संलग्न है, वहां बीपीआरएल भारत तथा विदेश में अपस्ट्रीम कार्यकलाप करती है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड

- ⦿ भारत सरकार का उद्यम, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) देश और विदेश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।
- ⦿ ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1959 को असम के नहारकटिया और मोरान के नए खोजे गए तेल क्षेत्रों के विस्तार और विकास के लिए की गई थी।
- ⦿ 1961 में ओआईएल, भारत सरकार और बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड यूके, की संयुक्त उद्यम बन गई।
- ⦿ 1981 में ओआईएल भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम बन गया तथा अप्रैल 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया।
- ⦿ आईओएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपिटल की 66.13% है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य

- ⦿ पिछले कुछ वर्षों में देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ग्रिड संबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है।

- ➲ यह राष्ट्र की ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के समाधान के अभिन्न अंग और ऊर्जा तक पहुंच के अनिवार्य क्षेत्र के रूप में उभरते हुए सरकार की सतत विकास संबंधी कार्यसूची का समर्थन करता है।
- ➲ ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और ऊर्जा आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को आने वाले वर्षों में काफी गहन भूमिका निभानी होगी।
- ➲ राष्ट्रीय सौर मिशन के दायरे को व्यापक बनाया जाना इन दोनों का प्रतीक है और यह वस्तुतः भविष्य के लिए दृष्टि और महत्वाकांक्षा को संपुष्टि करता है।

विकास के मुख्य वाहक

- ➲ वर्तमान में भारत की लगभग 69.5% विद्युत उत्पादन क्षमता कोयले पर आधारित है।
- ➲ इसके अलावा आयातित तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता की बदौलत उसकी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 33% आयात से पूरी हो रही है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

- ➲ वर्ष 1982 में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित समस्त पहलुओं पर गैर करने के लिए मंत्रालय में एक पृथक गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग का सृजन किया गया।
- ➲ वर्ष 1992 में विभाग का उन्नयन कर इसे एक पृथक गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) बना दिया गया और अक्टूबर 2016 में इसका नाम बदलकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर दिया गया।

ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

- ➲ मंत्रालय ग्रामीण और अद्विग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए बायोगैस संयंत्र, फोटोवोल्टिक प्रणालियों बायोगैस गैसीफायर, सौर कुकर तथा सौर तापीय प्रणाली आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों की संस्थापना के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है।

- ➲ 65 वर्षों में संस्थापित क्षमता में 113 गुना से अधिक वृद्धि होने के बावजूद भारत अब तक अपनी चरम विद्युत मांग और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।
- ➲ वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान चरम विद्युत अभाव 12.2 प्रतिशत यानी लगभग 9,252 मेगावाट था, लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक चरम विद्युत अभाव घटकर 2.4 हो गया।

- ➲ लगभग 85% ग्रामीण परिवार खाना पकाने की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ठोस ईंधन पर निर्भर करते हैं और केवल 55% ग्रामीण परिवारों की ही बिजली तक पहुंच है।
- ➲ भारत ने 2030 तक अपने जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में 2005 के स्तर से 33-35% तक कमी लाने की स्वेच्छा से प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- ➲ पेरिस में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का प्रारूप के 21वें सम्मेलन में भारत ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु कोष सहित कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण की मदद से वर्ष 2030 तक अपनी लगभग 40% संचयी इलेक्ट्रिक विद्युत संस्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

- ➲ एनबीएमएमपी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- ➲ जिसका उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण/अर्ध शहरी परिवारों की खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन संबंधी जरूरतें पूरी करने तथा खेतों में उपज एवं उत्पादकता बढ़ाने और मृदा का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए जैविक खाद उपलब्ध कराने हेतु बायोगैस संयंत्रों को परिवारिक परिसंपत्ति के तौर पर उपलब्ध कराना है।
- ➲ इस प्रकार बायोगैस संयंत्र जैविक खेती अपनाने में किसानों की मदद करने का संभावित स्रोत हैं।
- ➲ एनबीएमएमपी वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों की ओर से उनकी निर्धारित राज्य नोडल एजेंसियों, विभागों, केवीआईसी और बीडीटीसी के माध्यम से प्राप्त मांग और वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

- ➲ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड डाउनस्ट्रीम सेक्टर की एक एकीकृत तेल कंपनी है, जो कच्चे तेल के शोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में संलग्न है।
- ➲ कंपनी ने पेट्रोकैमिकल फीडस्टॉक के उत्पादन और विपणन में भी विविधता उत्पन्न की है।
- ➲ बीपीसीएल की रिफाइनरियां मुंबई और कोच्चि में हैं, जिनकी मिश्रित शोधन क्षमता 21.5 एमएमटीपीए है।

कोयला

- ➲ कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी संबद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है।

- इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात् कोल इंडिया लि., नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि., जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

भारत में कोयला भंडार

- भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार भारत में कोयले का भंडार, 308.802 बिलियन टन है।
- यह कोयला भंडार मुख्य रूप से झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है।

भारत में लिग्नाइट भंडार

- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में लिग्नाइट भंडारों का अनुमान लगभग 44.59 बिलियन टन लगाया गया है।
- प्रमुख भंडार तमिलनाडु में और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में पाए जाते हैं।

कोयला उत्पादन

- 2017-18 के दौरान भारत में कोयले के समग्र उत्पादन का अनुमान 73010 मिलियन टन लगाया गया था।
- अप्रैल-दिसंबर 2017 की अवधि के 461.42 मिलियन टन (एमटी) वास्तविक उत्पादन की तुलना में 2016-17 की अवधि में 452.97 मि. टन रहा जो 19% की वृद्धि को दर्शाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड

- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत 'महारत्न' कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है।
- सीआईएल दुनिया में अकेली सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और 3,46,638 कर्मचारियों के साथ विशालतम कॉरपोरेट नियोक्ताओं में से एक है।
- सीआईएल भारत के 8 राज्यों में फैले 82 खनन क्षेत्रों के जरिए संचालन करती है।
- कोल इंडिया लिमिटेड की 429 खदाने हैं, जिनमें से 237 भूमिगत, 166 खुली खदाने और 26 मिश्रित खदाने हैं।
- कोलकाता में अपने मुख्यालय के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली कोयला उद्योग की शीर्ष संस्था है।

- सीआईएल 7 पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक अनुषंगियों और एक खान आयोजना एवं परामर्शी कंपनी के साथ नियंत्रक कंपनी है।
- यह कोयला रिजर्व की पहचान, अपनी खानों से कोयला निकालने के लिए विस्तृत अन्वेषण के बाद उनकी योजना एवं कार्यान्वयन और संचालन सहित व्यापक कार्य करती है।
- परामर्शदाता कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची झारखण्ड शामिल हैं।

नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड

- नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) का कंपनी के रूप में पंजीयन 1956 में हुआ था।
- माइन-1 में खनन कार्य औपचारिक रूप से 1957 को शुरू हुआ।
- नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त है।
- इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में और कॉरपोरेट कार्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है। यह ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अग्रणी है।
- एनएलसी नेवेली में सालाना 28.5 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली लिग्नाइट की तीन खुली खदानों और बड़सिंगर, राजस्थान में सालाना 2.1 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली एक खुली खदान का संचालन करती है।
- वह नेवेली में 2,490 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ तीन ताप बिजली घरों और बड़सिंगर, राजस्थान में 250 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एक ताप बिजली घर का संचालन करती है।
- एनएलसी की सभी खानों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त है।
- एनएलसी के सभी बिजली घर भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणित हैं।
- एनएलसी की प्रगति निरंतर जारी है और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सा/से सुमेलित है/हैं–
- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. श्री शैलम परियोजना | — | कृष्णा नदी |
| 2. नाथपा झाकड़ी परियोजना | — | सतलज नदी |
| 3. कोयना परियोजना | — | कोयना नदी |
| 4. कोलडैम परियोजना | — | सतलज नदी |
- कूट–
- (a) 1, 2 व 3
(b) 1, 3 व 4
(c) 2 व 3
(d) 1, 2, 3 व 4
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. भारत सरकार की 2022 तक सभी गैर विद्युतीकृत गाँवों को विद्युत ग्रिड से जोड़ने की योजना है।
 2. ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रारम्भ पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था।
 3. निवेश की मात्रा में कोई परिसीमा लगाए बिना विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण तथा वितरण और विपणन में 100% तक स्वतः रूट से FDI की अनुमति है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) केवल 3
(d) 1 व 3
3. उदय योजना है–
- (a) विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए
(b) ZED स्कीम को व्यापक तौर पर लागू करने के लिए
(c) विद्युतवितरण कंपनियों के वित्तीय सुधार व उनके पुनरुत्थान के लिए
(d) बालिका शिक्षा के लिए
4. एन टी.पी.सी. लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है।

2. इसकी शत प्रतिशत शेयरधारित भारत सरकार के पास है।

3. भारत सरकार द्वारा इसे महात्म का दर्जा प्रदान किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) 1 व 2
(c) 2 व 3
(d) 1, 2 व 3

5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए–

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. विद्युत | — | 100 प्रतिशत FDI |
| 2. पेट्रोलियम रिफाइनरी | — | 100 प्रतिशत FDI |
| 3. नवीकरणीय उर्जा | — | 49 प्रतिशत FDI |

उपरोक्त युगमों में से कौन सा/से सुमेलित नहीं है/हैं–

- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1 व 3
(d) 1, 2 व 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. कोल इंडिया लिमिटेड कोयला में मंत्रालय के अधीन महारात्न कंपनी है।

2. भारत में कोयला भंडार मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं।

3. भारत में कोयले की खाने झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, प. बंगल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 व 3
(b) 2 व 3
(c) केवल 2
(d) केवल 3

Answer Key:-

1. (d)

2. (a)

3.(c)

4.(d)

5.(b)

6. (a)

अध्याय

12.

पर्यावरण

- पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है, जो झीलों तथा नदियों समेत देश के प्राकृतिक संसाधनों, इसकी जैव विविधता, वनों तथा वन्यजीवन के संरक्षण से संबंधित पर्यावरण एवं बन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन देखती है ताकि प्राणियों के कल्याण एवं प्रदूषण की रोकथाम तथा निवारण सुनिश्चित किया जा सके।
- मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांतों पर (यूएनईपी), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीईडी) की भी नोडल एजेंसी है।
- पर्यावरण से जुड़े मामलों में मंत्रालय सतत विकास आयोग (सीएसडी), ग्लोबल एंवायरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और एशिया तथा प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (एस्कॉप) व दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) जैसी बहुपक्षीय क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ भी समन्वय करता है।

भारतीय बनस्पति सर्वेक्षण

- ◉ भारतीय बनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) देश के जंगली पादप संसाधनों के वर्गीकरण तथा फूलों के अध्ययन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन शीर्ष अनुसंधान संगठन है।
- ◉ देश के पादप संसाधनों की तलाश करने तथा आर्थिक महत्व वाली पादप प्रजातियों को पहचानने के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना 1890 में की गई थी।
- ◉ कोलकाता में 'रॉयल बॉटेनिकल गार्डन' के तत्कालीन अधीक्षक सर जॉर्ज किंग को बीएसआई का पहला पदेन मानद निदेशक नियुक्त किया गया था।
- ◉ आजादी के बाद 1954 में भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक विकास के हिस्से के रूप में विभाग का पुनर्गठन किया। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बीएसआई का काम-काज का आधार बढ़ा दिया गया और उसमें कई अन्य गतिविधियां भी शामिल कर दी गई जैसे- स्थानीय, दुर्लभ तथा जोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों की सूची बनाना, संरक्षण की रणनीतियां तैयार करना, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जीवमंडल संरक्षण स्थल जैसे दुर्बल परितंत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन करना।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

- ◉ मंत्रालय के अधीन अग्रणी शोध संस्था भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

को देश की सेवा करते हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं।

- ◉ 1916 में अपनी स्थापना के बाद से ही इसने सर्वेक्षण, खोज एवं अनुसंधान का काम सक्रियता के साथ किया है, जिससे देश की असाधारण रूप से समृद्ध प्राणी विविधता के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी है।
- ◉ एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जेडएसआई का कामकाज भी लगातार बढ़ता गया और उसमें:
 - पर्यावरण पर प्राणियों के प्रभाव का आकलन;
 - संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण;
 - लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण;
 - प्राणी संसाधनों के बारे में जानकारी का कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण;
 - जैव विविधता पर पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस);
 - पहचान एवं परामर्श सेवा;
 - नमूनों की नेशनल डेजिनेटेड रिपोजिटरी;
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू करने में सहायता करना;
- ◉ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समुद्री जलीय जीवशाला एवं संग्रहालय की स्थापना आदि शामिल कर दिए गए।
- ◉ साथ ही यह राष्ट्रीय प्राणी संग्रहों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न हिस्सों में 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण

- भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो नियमित अंतराल पर देश के वन संसाधनों का आकलन करता रहता है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में 'प्री-इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज' (पीआईएसएफआर) के स्थान पर की गई।
- पीआईएसएफआर को भारत सरकार द्वारा 1965 में आरंभ किया गया था और यह एफएओ एवं यूनेस्को द्वारा प्रायोजित था।
- पीआईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के चुनिंदा क्षेत्रों में लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल मिलता रहे।
- 1976 में अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय कृषि आयोग (एनसीए) ने सिफारिश की थी कि नियमित अंतराल पर देशभर में वन संसाधनों के समग्र सर्वेक्षण के जरिए विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करने हेतु राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की जाए। उसके बाद जून 1981 में पीआईएसएफआर का पुनर्गठन कर एफएसआई की स्थापना की गई।

जैव विविधता संरक्षण

- जैव विविधता संधि (सीबीडी) 1992 में रियो डि जेनेरो में संपन्न हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्वीकार किए गए प्रमुख समझौतों में से एक है।
- सीबीडी के उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी।
- 1994 में भारत द्वारा सीबीडी को अंगीकार किए जाने के बाद से संधि के तहत किए गए संकल्पों को पूरा करने एवं संधि से मिल रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- इन प्रयासों का उद्देश्य सीबीडी के क्रिस्तरीय उद्देश्यों के अनुरूप विधायी, प्रशासनिक तथा नीतिगत प्रणालियां लागू करना है। इस संधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया।
- भारत ने 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्ययोजना भी तैयार की तथा 2014 में इस कार्ययोजना में 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य जोड़े गए।
- सीबीडी के अंतर्गत 2010 में अंगीकार की गई नगोया उपलब्धता

एवं लाभ साझेदारी प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी करना है।

जीवमंडल (बायोस्फियर) रिजर्व

- 'बायोस्फियर रिजर्व' का विचार यूनेस्को ने 1973-74 में अपने मैन एंड बायोस्फियर (एमएबी) कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया था।
- 1970 में यूनेस्को द्वारा आरंभ किया गया एमएबी व्यापक पारिस्थितिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जीवमंडल के संसाधनों के तार्किक प्रयोग एवं संरक्षण के लिए और मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधारने हेतु प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के भीतर ही आधार तैयार करना था।
- भारतीय राष्ट्रीय मनुष्य एवं जीवमंडल (एमएबी) समिति यूनेस्को के दिशानिर्देशों और मानदंडों पर चलते हुए बायोस्फियर रिजर्व के लिए संभावित स्थान पहचानती है और उनकी सिफारिश करती है।
- 18 बायोस्फियर रिजर्व निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 10 बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फियर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है।
- संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग/लाइन विभाग इसे क्रियान्वित करने वाले संगठन हैं।

जैव सुरक्षा से संबंधित जैव विविधता संरक्षण योजना

- जैव विविधता संरक्षण की योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1991-92 में आरंभ की गई थी ताकि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के मध्य तालमेल सुनिश्चित हो सके और उसके लिए पर्याप्त नीतिगत उपायों की समीक्षा, निगरानी एवं विकास हो सके।
- मुख्य उद्देश्य: जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा (द्वितीय चरण) पर यूएनईपीजीईएफ समर्थित क्षमता निर्माण परियोजना का क्रियान्वयन करना और जैव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना।
- कार्टाजोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल (सीपीबी): इस पर जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के तत्वावधान में चर्चा हुई थी और 2000 में इसे मंजूरी दी गई।
- भारत इस प्रोटोकॉल में शामिल है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुए ऐसे सजीव संवर्द्धित प्राणियों का सुरक्षित हस्तांतरण, देखभाल एवं प्रयोग सुनिश्चित करना है, जिनका मानव स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के लिहाज से जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

वन संरक्षण

- ⦿ वन प्रबंधन योजना के सघनीकरण की यह केंद्र प्रायोजित योजना दावानल यानी जंगल की आग के प्रबंधन से संबंधित है ताकि जंगल में आग की प्रतिकूल प्रभावों की बढ़ती चिंता दूर की जा सके।
- ⦿ इसके साथ ही वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन की मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की गई।

वन्यजीव संरक्षण

- ⦿ मंत्रालय का एक वन्यजीव विभाग है, जिसमें दो भाग प्रोजेक्ट एलीफेंट विभाग और वन्यजीव विभाग है।
- ⦿ साथ ही तीन स्वायत्तशासी निकाय- वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, संरक्षण एवं चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हैं।
- ⦿ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय को बाघ संरक्षण के लिए स्वायत्तशासी संस्था बनाकर किया गया।
- ⦿ राजधानी में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्यजीव विभाग का हिस्सा है।
- ⦿ वन्यजीव विभाग जैव विविधता तथा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण के लिए नीति एवं कानून बनाने हेतु प्रक्रियाओं एवं विश्लेषण को सुगम बनाने के उद्देश्य से नीति एवं कानून के मामलों एवं जानकारी के प्रबंधन का काम करता है।
- ⦿ मंत्रालय का यह विभाग केंद्र प्रायोजित योजना- वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास के अंतर्गत तथा केंद्र की योजना- वन्यजीव विभाग का सुदृढ़ीकरण तथा विशेष कार्यों के लिए परामर्श के जरिए तथा केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को अनुदान के माध्यम से सहायता कर वन्यजीव संरक्षण में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देता है।
- ⦿ भारत सरकार वन्यजीव संरक्षण की गतिविधियों में राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे 'वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास' के जरिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करती है।
- ⦿ योजना के तीन घटक हैं-
 1. संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व एवं कम्युनिटी रिजर्व) को सहायता प्रदान करना;
 2. वन्यजीव बाहरी संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा तथा
 3. अत्यंत विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए कार्यक्रम।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण व्यूरो

- ⦿ वन्यजीव अपराध नियंत्रण व्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) सार्विधिक बहुपक्षीय निकाय है, जिसकी स्थापना देश में संगठित वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई है।
- ⦿ व्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा जबलपुर में इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय; गुवाहाटी, अमृतसर तथा कोच्चि में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय; और रामनाथपुरम, गोरखपुर मोतिहारी, नाथूला एवं मोरे में पांच सीमावर्ती इकाइयां हैं।
- ⦿ इसका काम है संगठित वन्यजीव अपराध की गतिविधियों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना और अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई हेतु यह जानकारी राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को देना;
- ⦿ वन्यजीव अपराध का केंद्रीकृत डेटाबैंक स्थापित करना अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के सिलसिले में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना;
- ⦿ वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु समन्वित एवं एक समान कार्रवाई के लिए संबंधित विदेशी अधिकारियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद करना;
- ⦿ वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक तथा पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण करना और वन्यजीव अपराधों के मामले में सफल अभियोजन के लिए राज्य सरकारों की मदद करना;
- ⦿ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों वाले वन्यजीव अपराध संबंधी मसलों, नीतियों एवं कानूनों के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना।
- ⦿ वन्यजीव अपराध नियंत्रण व्यूरो की स्थापना 2007 में की गई थी।

केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण

- ⦿ नई दिल्ली में मुख्यालय वाले केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी और इसका कार्य संरक्षण में प्राणी उद्यानों या चिड़ियाघरों की भूमिका बढ़ाने के लिए देश में चिड़ियाघरों का कामकाज देखना है।
- ⦿ केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों की देखभाल तथा स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मानकों तथा नियमों को लागू करना, मौजूदा चिड़ियाघरों की निगरानी तथा मूल्यांकन करना और देश में चिड़ियाघरों के सुधार के तरीके और उपाय सुझाना है ताकि उन्हें विलुप्तप्राय जंगली प्राणियों का उनके आवास से दूर संरक्षण करने वाला

प्रभावशाली स्थान बनाया जा सके।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

- ⦿ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1959 में की गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन उद्यान का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता विशेषकर जंगली वनस्पति के संरक्षण हेतु हो रहे राष्ट्रीय प्रयासों में मदद करना और उन्हें मजबूत बनाना है।
- ⦿ इसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है- विलुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन उनके मूल स्थान से बाहर की स्थितियों में करने एवं उचित तथा वांछित समय पर जंगल में उनके पुनर्वास के लिए संतानों का पालन पोषण करने के प्रयासों द्वारा उनके संरक्षण में मदद करना।
- ⦿ चिंडियाघर में आने वालों में वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति जगाना, उनमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पारिस्थितिक संतुलन बरकरार रखने की ज़रूरत के प्रति समझ तथा जागरूकता विकसित करना तथा संरक्षण के लिए उपयोगी वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अवसर प्रदान करना और मूल स्थान पर तथा उससे बाहर संरक्षण में लगी एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए डेटाबेस तैयार करना।

प्रोजेक्ट एलिफेंट

- ⦿ प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1991-92 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया।
- ⦿ इसका उद्देश्य था हाथियों, उनके आवास स्थल तथा गलियारों का संरक्षण करना; मानव और हाथी के टकराव की समस्या पर काम करना; पालतू हाथियों के कल्याण का ध्यान रखना।

पशु कल्याण

सामान्य पशु कल्याण-भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

- ⦿ सामान्य पशु कल्याण में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), चेन्नई, तमिलनाडु के जरिए जानवरों विशेषकर पालतू जानवरों तथा बंद कर रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण आता है।
- ⦿ एडब्ल्यूबीआई सार्विधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है।
- ⦿ इसका मुख्य कार्य सरकार को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देना, पशु कल्याण में जागरूकता उत्पन्न करना तथा पशुओं के कल्याण के लिए एडब्ल्यूबीआई की नियमित योजनाओं एवं केंद्रीय योजनाओं को लागू करना है।

मुफ्त सचल पशु क्लीनिक

- ⦿ बोर्ड गरीबों के बीमार तथा घायल पशुओं को चेन्नई स्थित मुख्यालय से संचालित अपने सचल पशु क्लीनिक कार्यक्रम के जरिए मौके पर मुफ्त पशु चिकित्सा मुहैया कराता है।

विश्व पशु दिवस सप्ताह में आयोजित जागरूकता रैलियां

- ⦿ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने मानव शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चेन्नई के स्कूलों एवं करुणा इंटरनेशनल, चेन्नई के साथ मिलकर दया एवं करुणा उत्पन्न करने के लिए रैलियां कीं।

पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन

- ⦿ पर्यावरण प्रभाव का आकलन (ईआईए) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को योजना के आरंभिक चरण से विकास की प्रक्रिया में जोड़ने का तरीका है।
- ⦿ भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग 1978 में नदीघाटी परियोजनाओं में किया गया था और बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं में भी आजमाया गया, जिनके लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- ⦿ इन तरीकों को पहली बार ईआईए अधिसूचना, 1994 में संहिताबद्ध किया गया।
- ⦿ इसमें 37 प्रकार की परियोजनाओं/प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी आवश्यक कर दी गई और इनकी सूची अधिसूचना में दी गई थी।

प्रदूषण नियंत्रण

वायु प्रदूषण

- ⦿ वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या विशेषकर महानगरों में गंभीर समस्या बनती जा रही है। बड़ी संख्या में शहर और नगर प्रदूषणकारी तत्वों विशेषकर कणों के मानकों का पालन नहीं करते।
- ⦿ दिल्ली समेत कुछ शहरों में वातावरण में कणों की सघनता मानकों से बहुत अधिक कई बार तीन या चार गुना अथवा और भी ज्यादा है।
- ⦿ वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता नियमों एवं कार्यों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अमल में लाया जाता है।
- ⦿ इन कानूनों में इस समस्या से निपटने के तरीके और प्राधिकरण बताए गए हैं। बड़ा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

- ➲ दिल्ली और एनसीआर के पिछले पांच वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कणों या पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10 और पीएम2.5) की सघनता समूचे क्षेत्र के लिए चिंता का बड़ा विषय है। किंतु दिल्ली, मेरठ और फरीदाबाद में नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड की सघनता में कुछ गड़बड़ देखी गई है।
- ➲ पिछले पांच वर्ष में लगभग सभी स्थानों पर सल्फर डाई-ऑक्साइड की सघनता मानक सीमा के भीतर ही रही है।
- ➲ पीएम10 सांस में जाने लायक मोटे कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। पीएम2.5 बारीक कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है।
- ➲ आम-तौर पर युवा एवं स्वस्थ लोगों पर मध्यम वायु प्रदूषण के गंभीर अल्पकालिक प्रभाव होने की आशंका नहीं रहती। लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने या अधिक समय तक प्रदूषण में रहने से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले लक्षण दिख सकते हैं।
- ➲ इससे श्वसन तंत्र पर प्रभाव तो पड़ ही सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है।
- ➲ फेफड़ों अथवा हृदय की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ने की आशंका अधिक होती है।

वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय

- ➲ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 12 प्रदूषकों वाले राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित किया गया है।
- ➲ साथ ही परिवेशी वायु के लिए 32 सामान्य मानकों के अतिरिक्त 104 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन/उत्प्रवाह मानक भी अधिसूचित किए गए हैं।
- ➲ नेटवर्क में 691 मैनुअल परिचालन केंद्र हैं, जिनके दायरे में 29 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के 303 शहर या नगर आते हैं।
- ➲ वाहनों से होने वाले प्रदूषण की बात करे तो गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि) प्रचलित करने, एथेनैल मिश्रण, 2017 तक सभी जगह भारत 4 लागू करने, 1 अप्रैल, 2020 तक भारत-4 से सीधे भारत-6 तक जाने, मेट्रो, बस, ई-रिक्षा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क एवं कारपूलिंग को बढ़ावा देने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रक्रिया सुगम बनाने, लेन में अनुशासन बरतने, वाहन की देखभाल करने जैसे कदम उठाए गए।
- ➲ 2015 में 14 शहरों से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आरंभ किया गया और अब यह 34 शहरों में लागू है।
- ➲ दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया योजना अधिसूचित की गई है।
- ➲ इस योजना में विभिन्न स्रोतों से होने वाले पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन पर नियंत्रण करने तथा पीएम10 और पीएम2.5 के

- स्तर को 'मध्यम' राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से ऊपर जाने से रोकने की आवश्यकता है।
- ➲ आपातकाल तथा गंभीर स्तरों में वे सभी उपाय एक साथ अपनाए जाते हैं, जो बेहद खराब, खराब और मध्यम जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक के निचले स्तरों में सूचीबद्ध हैं।
- ➲ खराब और मध्यम श्रेणी में सूचीबद्ध कार्य पूरे वर्ष करने की आवश्यकता है।
- ➲ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली तथा एनसीआर समेत बड़े शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 42 उपायों को लागू करने के लिए निर्देशों की व्यापक सूची जारी की है।
- ➲ लोगों को इन प्रयासों में शामिल करने के लिए सरकार ने 2017 में 'हरित दीवाली एवं स्वस्थ दीवाली' नाम का एक अभियान चलाया, जिसमें दिल्ली के 2,000 से अधिक स्कूल तथा देश में 2 लाख से अधिक स्कूल शामिल होंगे।
- ➲ 'स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ हवा' के नाम से एक मिशन मैराथन 2017 में आयोजित की गई।

ध्वनि प्रदूषण

- ➲ राष्ट्रीय पर्यावरण नीति - 2006 के अनुच्छेद 5.2.8(4) पर कार्रवाई करते हुए परिवेश में व्याप्त शोर को निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों में निगरानी के लिए नियमित पैमाने के रूप में शामिल किया गया।
- ➲ राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क कार्यक्रम की शर्तें तैयार कर ली गई हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को बांट दी गई हैं।
- ➲ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर 7 महानगरों में वास्तविक समय में परिवेशी शोर की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना की।
- ➲ साथ ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, लखनऊ और हैदराबाद में 70 शोर निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।
- ➲ ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए इन कदमों में दूसरी बातों के साथ दीपावली के मौके पर शोर पर नजर रखने; रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक; पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में प्रचार करने, पटाखे रोकने के लिए सामान्य जनता में जागरूकता पैदा करने के अलावा छात्रों को पाठ्यक्रम के जरिए इसके प्रति संवेदनशील बनाने की सलाह एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 और वायु प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(बी) के अंतर्गत निर्देश जारी करना शामिल है।

सामान्य तरल कच्चा शोधन संयंत्रों की योजना

- ➲ इन संयंत्रों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की अधिक से अधिक रक्षा

- करते हुए एकल इकाई के लिए शोधन के खर्च को कम से कम करना है। बेकार पानी का शोधन एवं जल संरक्षण सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों के प्रमुख उद्देश्य हैं।
- ⦿ इन संयंत्रों का विचार अनुकूल लघु उद्योग के क्लस्टरों से निकलने वाले तरल कचरे के शोधन के उद्देश्य से रखा गया था।
 - ⦿ देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों को नए सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करने एवं पुराने उच्चयन करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरंभ की है।
 - ⦿ संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताओं में:
 - केंद्रीय सब्सिडी को परियोजना 25% से बढ़ाकर 50% करना,
 - शोधन के तीनों स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए सहायता देना एवं
 - सीईटीपी का प्रबंधन उचित विधान के अंतर्गत पंजीकृत की गई विशेष उद्देश्य वाली कंपनी को सौंपा जाना शामिल है।

हानिकारक पदार्थों का प्रबंधन

- ◻ हानिकारक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग हानिकारक पदार्थों एवं रासायनिक आपात स्थितियों समेत ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए मंत्रालय के भीतर ही नोडल बिंदु है।
- ◻ प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ठोस कचरे के सुरक्षित प्रबंधन, हानिकारक रसायनों समेत हानिकारक पदार्थों एवं कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
- ◻ इसके अतिरिक्त प्रभाग सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 एवं उसके तहत तय किए गए नियमों को लागू करने का काम भी करता है।
- ◻ प्रभाग की गतिविधियां तीन प्रमुख क्षेत्रों- हानिकारक कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन एवं रासायनिक सुरक्षा के अंतर्गत चलाई जाती हैं।

रासायनिक सुरक्षा

- ⦿ रासायनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमों के दो समूह अधिसूचित किए हैं-

 - (1) हानिकारक रसायनों के उत्पादन, भंडारण तथा आयात के नियम, 1989 (एमएसआईएचसी); और
 - (2) रासायनिक दुर्घटना (आपातकाल, नियोजन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996 (ईपीपीआर)।

- ⦿ एमएसआईएचसी नियमों के मुख्य उद्देश्य हैं:
 - (अ) औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाली बड़ी दुर्घटनाएं रोकना; और
 - (आ) ऐसी दुर्घटनाओं के प्रभाव सीमित करना।
- ⦿ ये नियम गुणवत्ता आधारित दृष्टिकोण के जरिए इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
- ⦿ एमएसआईएचसी नियमों के तहत उद्योग वाले व्यक्ति को निकटवर्ती जनता के बीच यह सूचना देनी पड़ती है कि उद्योग के कारण उस स्थान पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
- ⦿ एमएसआईएचसी नियम, 1989 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि विभिन्न प्राधिकरणों की गतिविधियों का उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एवं स्थान से दूर आपातकाल योजना तैयार करने, संभालने एवं क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार जिलाधिकारी की मदद करने हेतु देश में रासायनिक संकट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- ⦿ इसलिए रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन नियोजन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996 नाम का नियमों का एक सेट अधिसूचित किया गया।
- ⦿ जिसका लक्ष्य रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रभावी नियोजन, तैयारी तथा प्रतिक्रियाओं के लिए विभिन्न स्तरों जैसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना था कि दुर्घटना से प्रभावित हो सकने वाली जनता को जानकारी उपलब्ध हो सके।
- ⦿ रासायनिक दुर्घटना (ईपीपीआर) अधिनियम, 1996 में देश में राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की कल्पना की गई थी।

हानिकारक कचरा प्रबंधन

- ⦿ हानिकारक कचरे को संभालते समय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कचरे का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक कचरा (प्रबंधन, रखरखाव तथा सीमा पार परिवहन) नियम, 2008 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया।
- ⦿ नियमों ने हानिकारक कचरा उत्पन्न करने तथा उसका इस्तेमाल करने वाली इकाइयों को अनुमति देने के लिए प्रावधान तैयार कर इस प्रक्रिया की कार्यप्रणाली तय की है।
- ⦿ हानिकारक कचरे का निस्तारण करने के लिए नियमों में शोधन, भंडारण तथा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी है।
- ⦿ नियमों में हानिकारक कचरे के आयात/नियर्ति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, जो हानिकारक कचरे के सीमा के आर-पार परिवहन तथा निपटारे पर नियंत्रण की बेसल संधि के

तहत हमारी बाध्यताओं के अनुरूप हैं।

- भारत भी इस संधि में शामिल है।

हानिकारक तथा अन्य कचरा नियम, 2016 की कई विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं-

- अन्य कचरे को शामिल कर नियमों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना;
- हानिकारक एवं अन्य कचरा संभाल रहे सभी हितधारकों के लिए अनुमति एवं पंजीकरण के स्थान पर केवल इस नियम के तहत अनुमति की व्यवस्था करना;
- कचरा प्रबंधन के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना, जिसमें सबसे पहले रोकथाम, फिर कम से कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, पुनर्चक्रण करना, फिर प्राप्त करना (रिकवरी), साथ प्रसंस्करण करना और सुरक्षित तरीके से निपटाना शामिल हैं;
- प्रक्रिया को सरल बनाकर और आयात/निर्यात के नियमन वाले कचरे की सूची संशोधित कर इन नियमों के तहत कचरे के आयात/निर्यात के तरीकों को सुगम बनाना;
- धातु कबाड़, कागजी कचरे तथा दोबारा इस्तेमाल होने लायक बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे आदि के लिए अलग अनुसूची तैयार करना, जिसे मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं।

ई-कचरा प्रबंधन

- ई-कचरे से संबंधित नियम सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उपकरणों एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले ई-कचरे पर लागू होते हैं जैसे टेलीविजन सेट (एलसीडी, एलईडी), रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन तथा एयर कंडीशनर।
- संबंधित राज्य एजेंसियों को इन नियमों के तहत ई-कचरा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों जैसे संग्रह करना, अलग-अलग करना, तोड़ना और पुनर्चक्रण करना के नियंत्रण, निगरानी तथा नियमन का अधिकार मिल जाता है।
- कचरा उत्पादकों को संग्रह की व्यवस्था तैयार करनी होती है तथा उनके अपने उत्पादों के बेकार होने पर उत्पन्न होने वाले ई-कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन का खर्च वहन करना पड़ता है।
- साथ ही बिजली के उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली छह हानिकारक सामग्री के लिए विश्व स्तर पर स्वीकार्य सीमा तय की गई है।
- उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे हानिकारक सामग्री का

इस्तेमाल तय सीमा के भीतर ही करें। ई-कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल निपटारे में ये नियम प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

ठोस कचरा प्रबंधन

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016

- मंत्रालय ने नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन के नियम 16 वर्ष बाद संशोधित किए।
- नए नियम नगरपालिका क्षेत्रों पर लागू होते हैं और शहरी समुदाय, जनगणना नगर, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेलवे के अधीन आने वाले क्षेत्र हवाई अड्डे, हवाई ठिकाने, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्य तथा केंद्र सरकार के संगठन, तीर्थस्थल, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान भी उनके दायरे में आते हैं।
- स्रोत स्थल पर ही कचरे को अलग-अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है। कचरा तैयार करने वालों पर ही उसे तीन श्रेणियों—गीला, सूखा (प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी आदि) और घरेलू हानिकारक कचरा (डायपर, नैपकिन, सफाई करने वाले पदार्थों के खाली डिब्बे, मच्छर भगाने वाले पदार्थ आदि) में बांटकर अलग-अलग करने का जिम्मा दे दिया गया है।
- नियमों में कचरा इकट्ठा करने वालों को शामिल करने के तरीके भी हैं। नियमों में स्थानीय निकायों को अधिकार दिया गया है कि वे 'यूजर शुल्क' लगाने के लिए उपनियम बना सकते हैं, जो शुल्क कचरा बनाने वाले उसे इकट्ठा करने वाले को देंगे और कचरा फैलाने एवं उसे अलग नहीं करने पर 'तुरंत जुर्माना' भी लगाया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिस साझेदारी की परिकल्पना की गई है, उसे लागू कर दिया गया है, जैसे थोक एवं संस्थागत कचरा उत्पादक, बाजार संगठन, कार्यक्रम आयोजक तथा होटल एवं रेस्तरां को स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कचरा अलग-अलग करने और उसका प्रबंधन करने के लिए सीधे जिम्मेदार बना दिया गया है।
- सभी निवासी कल्याण संघों, बाजार संघों, 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले गेटयुक्त समुदायों और संस्थाओं, नई टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को कचरे के प्रबंधन तथा स्वयं समाप्त होने वाले कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था स्वयं ही करने का जिम्मा सौंप दिया गया है।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016

- सर्वविदित है कि प्लास्टिक के विविध प्रयोग होते हैं और उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों ने व्यावसायिक रूप से उसे सफल

- बना दिया है। लेकिन उनका अंधाधुंध निपटारा पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गया है।
- प्लास्टिक की थैलियां खासतौर पर बिखरे हुए कचरे में सबसे अधिक योगदान करती हैं और हर वर्ष प्लास्टिक की लाखों थैलियां जमीन, जल निकायों, जल प्रवाहों के जरिए पर्यावरण में मिल जाती हैं।
 - इन्हें पूरी तरह समाप्त होने में औसतन 1,000 वर्ष लगते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए 2011 में नए नियम- प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन एवं व्यवहार) नियम, 2011 अधिसूचित किए गए, जिनमें प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन शामिल है।
 - किंतु ये नियम इतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सके क्योंकि इन नियमों का दायरा नगरपालिका क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जबकि आज प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।
 - इन समस्याओं से निपटने तथा कचरा प्रबंधन के लिए स्वावलंबी व्यवस्था तैयार करने के लिए मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम अधिसूचित किए हैं।
 - नियमों के तहत:
 - प्लास्टिक की थैलियों की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन की गई है;
 - वस्तुओं को पैक करने तथा लपेटने के लिए प्लास्टिक शीट की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन तय करने का काम पहली बार किया गया है ताकि प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करना तथा उसका पुनर्चक्रण करना आसान हो;
 - प्लास्टिक की थैलियों के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया दुरुस्त कर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क शुरू किया गया है, जिसे वे खुदरा दुकानदार अथवा सड़क पर दुकान लगाने वाले पूर्व पंजीकरण शुल्क के रूप में भरेंगे जो प्लास्टिक की थैलियां देना चाहते हैं;
 - प्लास्टिक के कचरे के लाभकारी इस्तेमाल जैसे बिजली बनाना, सड़क निर्माण में इस्तेमाल करना को बढ़ावा देने के तरीके लाए गए हैं और
 - स्थानीय प्रशासन द्वारा यूजर शुल्क तथा स्पॉट जुर्माना आरंभ किया गया है।

निर्माण एवं तोड़फोड़ से तैयार कचरे का प्रबंधन, 2016

- मंत्रालय ने देश में निर्माण तथा तोड़-फोड़ से होने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए पहली बार निर्माण तथा तोड़-फोड़ प्रबंधन नियम, 2016 तैयार किए।
- इन नियमों से पहले इसका नियमन नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन

नियम, 2000 के तहत होता था और इसे शहरी स्थानीय निकायों के जिम्मे छोड़ दिया गया था।

- नए नियम नगरीय ढांचे के निर्माण, रिमॉडलिंग, मरम्मत और तोड़-फोड़ से निकलने वाले कचरे का नियमन करते हैं और ऐसे कचरे का लाभकारी तरीके से दोबारा इस्तेमाल करने या पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था करते हैं।
- नियमों के अंतर्गत कचरा बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोड़ा, मिट्टी और अन्य कचरे को इकट्ठा करने, अलग-अलग करने तथा निर्माण एवं विवरण से तैयार हुए कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किए गए संग्रह स्थल पर जमा करने अथवा अधिकृत प्रसंस्करण संयंत्रों को सौंपने का जिम्मा सौंपा गया है।

फ्लाई ऐश का उपयोग

- बिजली की तेजी से बढ़ती मांग और बिजली की दो-तिहाई जरूरतें पूरी करने के लिए कोयले पर निर्भर रहने के कारण भारी मात्रा में फ्लाई ऐश तैयार हो रही है।
- फ्लाई ऐश का प्रबंधन चिंता का विषय हो गया है क्योंकि उसके निपटारे के लिए बड़े भू-भाग की जरूरत पड़ती है।
- फ्लाई ऐश के निपटारे की पर्यावरण संबंधी समस्या को दूर करने के लिए मंत्रालय ने 1999 में फ्लाई ऐश के उपयोग पर अधिसूचना जारी की, जिसमें कोयले/लिग्नाइट से चलने वाले ताप बिजली संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश के लक्ष्य इस विचार के साथ तय किए गए कि चरणबद्ध तरीके से उसका 100% उपयोग किया जाने लगेगा।
- पहले फ्लाई ऐश को हानिकारक औद्योगिक कचरा माना जाता था, लेकिन अब उसे उपयोगी और बिक्री लायक सामग्री कहा जाता है।
- इस अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, मृदा की ऊपरी परत को संरक्षित रखना, ताप बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश को उड़ाकर जमीन पर फैलने से रोकना और उस राख का इस्तेमाल निर्माण सामग्री तैयार करने और निर्माण गतिविधियों में करना।

अंतर्राष्ट्रीय संधियां

बेसल संधि

- हानिकारक कचरे के सीमा पार आवागमन तथा निस्तारण पर नियंत्रण हेतु बेसल संधि को बेसल, स्विट्जरलैंड में 1989 स्वीकार किया गया।

- ➲ बेसल संधि का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानिकारक कचरे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है।
- ➲ अपने उद्भव/संरचना एवं गुणों के आधार पर 'हानिकारक कचरे' के रूप में परिभाषित किया गया विभिन्न प्रकार का कचरा और 'अन्य कचरे' के रूप में परिभाषित दो प्रकार का कचरा (घरेलू कचरा और भट्टी की राख) इसके द्वायरे में आता है।

रॉटरडम संधि

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निश्चित हानिकारक रसायनों तथा कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के लिए रॉटरडम संधि 2004 में लागू हुई।
- भारत ने एक वर्ष बाद यह संधि स्वीकार कर ली। भारत में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय इसके लिए निर्धारित संस्थाएं हैं।
- आधिकारिक संपर्क बिंदु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बनाए गए हैं।
- इस संधि की अनुसूची 3 में 47 रसायन दिए गए हैं, जिनमें 33 ऐसे कीटनाशक तथा 14 ऐसे औद्योगिक रसायन हैं, जिन्हें स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण कारणों से दो या अधिक सदस्य देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है या बहुत सीमित कर दिया है तथा जिन्हें सदस्यों के सम्मेलन ने पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के अधीन घोषित कर दिया है।

स्टॉकहोम संधि

- ➲ जिद्दी जैविक प्रदूषक तत्वों (पीओपी) पर स्टॉकहोम संधि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए वैश्विक संधि है।
- ➲ संधि में आरंभ में 12 रसायन थे, जिनके उत्पादन तथा वितरण पर प्रतिबंध था। अब इसमें 23 रसायन हैं। संधि 2004 में लागू हुई। भारत ने 2006 में इसे लागू किया।
- ➲ संधि के अनुच्छेद 7 के अनुसार संधि के सदस्यों राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना तैयार कर यह दिखाना होगा कि संधि के प्रति अपने संकल्पों को वे कैसे पूरा करेंगे और यह योजना वैश्विक पर्यावरण प्रतिष्ठान के धन से तैयार की गई है।
- ➲ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जीईसी तथा स्टॉकहोम संधियों के लिए केंद्र बिंदु का कार्य करता है।
- ➲ कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय एवं रसायन तथा पेट्रोरसायन मंत्रालय इसके लिए निर्धारित राष्ट्रीय संस्थाएं हैं।

पारे पर मीनामाता संधि

- ➲ फरवरी 2009 में यूएनईपी की प्रशासनिक परिषद ने पारे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक योजना तैयार करने के मामले में निर्णय 25/5 लिया।
- ➲ जापान के मीनामाता तथा कुमामोतो में 2013 में आयोजित दूतों के सम्मेलन में 'पारे पर मीनामाता संधि' को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को पारे के दुष्प्रभावों से बचाने वाली वैश्विक संधि है।

अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन पर रणनीतिक दृष्टिकोण

- ➲ 2006 में भारत समेत 190 से अधिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन पर रणनीतिक दृष्टिकोण (एसआईसीएम) स्वीकार किया, जो रसायनों के सही प्रबंधन को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है।
- ➲ एसएआईसीएम के अंतर्गत आरंभिक गतिविधियों में राष्ट्रीय रसायन प्रोफाइल का निर्माण अथवा उसे अद्यतन करना, संस्थाओं को मजबूत करना तथा रसायनों के सही प्रबंधन को राष्ट्रीय रणनीतियों की मुख्यधारा में लाना शामिल थीं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

- 1985 में गंगा कार्ययोजना आरंभ होने के साथ ही नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ।
- गंगा कार्ययोजना के 1995 में बढ़ाया गया और अन्य नदियों को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) ले लिया गया।
- एनआरसीपी का उद्देश्य देश में जल के बड़े स्रोत के रूप में काम कर रही नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारना है।
- इसके लिए नदियों के प्रदूषित भाग के रूप में चिह्नित हिस्सों के किनारे बसे विभिन्न शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए काम किया जाता है, जिसका खर्च केंद्र तथा राज्य सरकारे मिलकर उठाती है।

झील संरक्षण

- ➲ एनएलसीपी/एनपीसीए के अंतर्गत अभी तक 14 राज्यों में 63 झीलों के संरक्षण के लिए कुल 46 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें मैले जल को निकालने की प्रणाली तथा कचरा 'शोधन संयंत्र उपलब्ध कराने, कचरे को रोकने और उसकी दिशा मोड़ने, गाद समाप्त करने, जलग्रहण क्षेत्र के उपचार, तूफानी जल के प्रबंधन आदि पर काम होता है।
- ➲ 34 झीलों के संरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। जिन परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है, उनमें जम्मू-कश्मीर में डल झील,

- मध्य प्रदेश में शिवपुरी तथा सिंध सागर झील, नागालैंड (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में मोकोकचंग स्थित जुड़वां झीलें, राजस्थान में अन्नसागर, पुष्कर तथा पिचोला झीलें और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल तथा लक्ष्मीताल प्रमुख हैं।
- जलमय भूमि का संरक्षण जलमय या दलदली भूमि बड़ी आबादी के लिए जीवन रेखा सरीखी होती है और ताजे जल का बड़ा स्रोत भी होती है।
 - उनमें बहुत अधिक जैव विविधता तो होती ही है, मानव जाति को वे पारितंत्र संबंधी कई सेवाएं भी देती हैं। किंतु मानव की गतिविधियों के कारण जलमय भूमि कम होती जा रही है।
 - जलमय भूमि पर पड़ने वाले बड़े दबावों में जलविज्ञान की प्रणालियों का बंटना, बर्बाद हुए जलग्रहण क्षेत्र से गाद का आना, प्रदूषण, अतिक्रमणकारी प्रजातियों का फैलना तथा संसाधनों का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल होना शामिल हैं।
 - बर्बादी पर नियंत्रण करने और जलमय भूमि को बचाने के लिए 1987 में राष्ट्रीय जलमय भूमि संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया और चिह्नित जलमय भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्ययोजना लागू करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

रामसर संधि

- संभावित जलमय भूमि संरक्षण के हेतु प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया।
- इस संधि के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगा और जलमय भूमि के संरक्षण तथा बृद्धिमत्ताभरे प्रयोग के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाएगा। फिलहाल भारत में 26 रामसर क्षेत्र हैं।

जलमय भूमि (संरक्षण तथा प्रबंधन) नियम

- संधि के उद्देश्यों को लागू करने के लिए दिसंबर 2010 में जीएसआर-951(ई) के जरिए जलमय भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम बनाकर नियामकीय प्रणाली लागू की गई।
- जलमय भूमि नियम, 2010 के अंतर्गत केंद्रीय जलमय भूमि नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
- 14 राज्यों में फैले 25 जलमय क्षेत्रों को पहले ही इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

विश्व जलमय भूमि दिवस

- दुनियाभर में जलमय भूमि के संरक्षण तथा बृद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए जागरूकता फैलाने हेतु हर वर्ष फरवरी को विश्व जलमय भूमि दिवस (वर्ल्ड वेटलैंड्स डे) मनाया जाता है।

- 'जलमय भूमि और आपदा के खतरे में कमी' विषय के साथ विश्व जलमय भूमि दिवस-2017 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर भोज जलमय भूमि, भोपाल में मनाया गया।
- भोज जलमय भूमि रामसर संधि के तहत भारत में निर्धारित 26 रामसर स्थलों में शामिल है।

राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड

- देश में वनरोपण, पौध रोपण, पर्यावरण की बहाली और पर्यावरण के विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1992 में राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड (एनएईबी) की स्थापना की गई।
- एनएईबी समाप्त हो रहे वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों से लगी भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों तथा पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों जैसे- पश्चिमी हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाट आदि के पुनर्विकास पर विशेष ध्यान देता है।
- एनएईबी के उद्देश्यों में समाप्त हुए वन क्षेत्रों तथा निकटवर्ती भूमि का व्यवस्थित नियोजन एवं क्रियान्वयन द्वारा पर्यावरणीय पुनर्वास करने की प्रणाली विकसित करना;
- पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए तथा गामीण समुदायों की जलावन, चारे संबंधी एवं अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए वन आवरण को प्राकृतिक पुनर्निर्माण अथवा समुचित हस्तक्षेप के जरिए बहाल करना;
- समाप्त हुए जंगल तथा करीबी भूमि से जलावन, चारे, लकड़ी तथा अन्य वनोपज की उपलब्धता बढ़ाना ताकि इन उत्पादों की मांग पूरी हो सके;
- समाप्त हो रहे वन क्षेत्रों तथा निकटवर्ती भूमि के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए नई तथा उचित प्रौद्योगिकियां प्रचारित करने के लिए अनुसंधान प्रायोजित करना तथा जानकारी फैलाना;
- वनरोपण और पर्यावरण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य के साथ मिलकर सामान्य जागरूकता उत्पन्न करना तथा जनांदोलन को मजबूत करना एवं समाप्त हुए वन क्षेत्र तथा समीप की भूमि के सहभागितापूर्ण एवं सतत टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम योजना

- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) योजना भारत सरकार में एनएईबी की प्रमुख वनरोपण योजना है।
- 2000-02 में आरंभ की गई यह योजना अपने क्रियान्वयन के चिछले सोलह वर्षों में पूरे भारत में फैल गई है और देश के 28 राज्य वन विभाग की जमीन पर वन विकास एजेंसियों और गांवों के स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की दोहरी संस्थागत

- व्यवस्था के जरिए इसे क्रियान्वित कर रहे हैं।
- ⦿ 2010-11 से एफडीए हेतु धन की आवक सुगम बनाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य बन विकास एजेंसी बनाई गई है।
 - ⦿ यह कार्यक्रम अब राज्य स्तर पर राज्य बन विकास एजेंसी, जिला/बन विभाग एजेंसी और ग्राम स्तर पर संयुक्त बन प्रबंधन समितियों के त्रिस्तरीय ढांचे से संचालित होता है।
 - ⦿ आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत 'केयर एंड शेरर' के विचार के साथ सामुदायिक सात योजना का उद्देश्य है-
 - सक्रिय जन सहभागिता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सुरक्षा;
 - भूमि का विनाश, बनोन्मूलन तथा जैव विविधता की बर्बादी रोकना पर्यावरण बहाल करना;
 - पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण विकास;
 - ⦿ ग्राम स्तर पर जन संगठन तैयार करना, जो गांवों के भीतर और आस-पास प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेंगे तथा ग्रामीण जनता को रोजगार हासिल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्द्धन करेंगे।

पर्यावरण विकास बल योजना

- ◻ पर्यावरण विकास बल (ईडीएफ) योजना को 1980 के दशक में अत्यधिक नष्ट हो जाने के कारण अथवा सुदूर स्थित होने के कारण अथवा कानून-व्यवस्था की कठिन स्थिति के कारण मुश्किल मान लिए गए क्षेत्रों के पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित योजना के रूप में आरंभ किया गया था।
- ◻ यह मुश्किल क्षेत्रों में पर्यावरण के पुनर्वास तथा पूर्व सैन्यकर्मियों को सार्थक रोजगार देने के दोहरे उद्देश्य पर आधारित है।
- ◻ इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित पर्यावरण कार्यबल (ईटीएफ) की बटालियों की स्थापना तथा संचालन पर होने वाला खर्च पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उठाता है और पौधों, बाढ़ लगाने जैसी सामग्री एवं पेशेवर तथा प्रबंधकीय निर्देशन राज्य बन विभागों से प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय हरित भारत अभियान

- ⦿ राष्ट्रीय हरित भारत अभियान (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत चलने वाले आठ अभियानों में से एक है, जिसका लक्ष्य भारत के नष्ट होते बन को बचाना तथा बढ़ाना है ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का मुकाबला किया जा सके।

- ⦿ इसमें हरियाली बढ़ाने का सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया गया है और कार्बन को अलग करने (सीक्वेस्ट्रेशन) तथा उत्सर्जन में कमी जैसे लाभ के साथ पारितंत्र की विभिन्न सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ⦿ अभियान में उप अभियानों तथा हस्तक्षेपों के जरिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने तथा उसे कम करने की चुनौतियों से निपटा जाता है।
- ⦿ इसके तहत बन आवरण की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तथा पारितंत्र की सेवाएं बेहतर की जाती हैं।
- ⦿ पारितंत्र बहाल किया जाता है और बन आवरण में वृद्धि की जाती है; कृषि-वानिकी तथा सामाजिक वानिकी पर ध्यान दिया जाता है और वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा दिया जाता है।

पश्चिमी घाट पर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा

- ◻ पश्चिमी घाट जैव विविधता के प्रमुख वैश्विक केंद्र हैं और जैविक विविधता की खान हैं, जहां फूल वाले पौधों, मछलियों, उभयचरों, सरीसूपों, पक्षियों, स्तनधारियों और अक्षेत्रीकी प्राणियों की प्रजातियां पाई जाती हैं।
- ◻ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और प्रायद्वीपीय भारत की कई स्थल भी यहां हैं, जिन पर इस क्षेत्र की अधिकांश अर्थव्यवस्था निर्भर करती है।
- ◻ इसलिए पश्चिमी घाट के सतत एवं समावेशी विकास को जारी रखते हुए उसकी अनूठी जैव-विविधता को संरक्षित करने तथा बचाने की जरूरत है।
- ◻ पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की अवधारणा किसी क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने तथा उसका टिकाऊ विकास होने देने का तरीका है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र

- ◻ मंत्रालय की 'राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र' (एनएनआरएमएस) योजना पूर्ववर्ती योजना आयोग की योजना समिति- राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र योजना (पीसी-एनएनआरएमएस) का ही अंग है और 1985 से चल रही है।
- ◻ देश के प्राकृतिक संसाधनों की सूची तैयार करने, मूल्यांकन करने तथा निगरानी करने के लिए दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही पीसी-एनएनआरएमएस का मुख्य उद्देश्य है।

वानिकी अनुसंधान

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

- राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान तंत्र में अग्रणी संस्था भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआई), देहरादून वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के समग्र विकास पर काम कर रही है तथा वानिकी के सभी पक्षों को इसमें शामिल कर रही है।
- परिषद समाधान आधारित वानिकी अनुसंधान करती है, जो इस क्षेत्र में आने वाली नई समस्याओं के अनुरूप होता है।
- इसमें जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का संरक्षण, मरुस्थलीकरण तथा संसाधनों के सतत प्रबंधन एवं विकास जैसे वैश्विक मसले भी शामिल हैं।
- वन अनुसंधान में जुटे प्रमुख संस्थान हैं-
 - वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून;
 - वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर;
 - काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरु;
 - शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर;
 - वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट;
 - शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर;
 - हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, शिमला;
 - वन उत्पादकता संस्थान, रांची; वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी

- 1938 में स्थापित भारतीय वन महाविद्यालय को उन्नत बनाकर तथा नाम बदलकर 1987 में इस अकादमी की स्थापना की गई थी।
- अकादमी भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करती है और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों को सेवाकाल के बीच में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसे 'स्टाफ कॉलेज' का दर्जा दिया गया है।
- अकादमी का कार्य आईएफएस के प्रोबेशन पर आए अधिकारियों को प्रशिक्षण के जरिए पेशेवर वन अधिकारी वाला ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना तथा उन्हें देश के वन एवं वन्यजीव संसाधनों को लगातार संभालने योग्य दक्षता प्रदान करना।
- साथ ही यह उन्हें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में काम करने योग्य भी बनाता है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की स्थापना 1986 में मंत्रालय के स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी।
- यह संस्थान वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रतिष्ठित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनकर उभरा है।
- इसके प्राथमिक कार्य हैं-
 - वन्यजीव तथा जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक अनुसंधान करना;
 - वन्यजीव विज्ञान को शैक्षिक गतिविधियों के जरिए विकसित करना;
 - वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण नियोजन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण:
 - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराना।
- संस्थान अनुसंधान के जरिए वन्यजीव विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त जानकारी तथा ज्ञान संबंधी उत्पाद तैयार कर रहा है और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में उनका उपयोग कर रहा है। साथ ही वह केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श सेवा भी प्रदान कर रहा है।

जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना

- भारतीय वन्यजीव संस्थान परियोजना क्रियान्वित करने वालों की क्षमता बढ़ाने के लिए और जैव विविधता संरक्षण दृष्टिकोण पर ज्ञान प्रबंधन केंद्र के रूप में इस परियोजना के क्रियान्वयन में साझेदार है।

राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम

- राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) का गठन 2001-02 में किया गया। एनजीसी को मिली शानदार प्रतिक्रिया ने 16 वर्ष में देशभर में 1 लाख ईको क्लबों का नेटवर्क तैयार कर दिया है, जिससे यह सबसे बड़े संरक्षण नेटवर्कों में शुमार हो गया है।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

- राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ 1986 के मध्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एनईएसी) आरंभ किया गया।
- इस अभियान में देशभर के एनजीओ, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला तथा युवा संगठनों, सैन्य इकाइयों, सरकारी विभागों आदि में जागरूकता बढ़ाने और

- कार्यानुभव गतिविधियों के लिए छोटा-सा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।
- ⦿ 2016-17 के लिए विषय 'स्वच्छ भारत अभियान, गंगा पुनर्वास एवं नदी स्वच्छता' था।

राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम

- ⦿ राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की एक पहल है जिसका बच्चों को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाना, उसके बारे में समझाना तथा उसके प्रति लगाव उत्पन्न करना है।
- ⦿ इस पहल के जरिए यह उम्मीद की जाती है कि मिडिल स्कूल (कक्षा 6 से 8) जाने वाले प्रत्येक बच्चे को उन वर्षों के दौरान कम से कम 2-3 दिन के लिए शिविर में रहने का अनुभव प्राप्त होगा।

ग्लोब

- ⦿ ग्लोब लर्निंग एंड ऑफर्वर्शन टु बेनिफिट द एन्वायरन्मेंट (ग्लोब) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान तथा शिक्षा कार्यक्रम है, जो छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों को वैश्विक पर्यावरण के अध्ययन के लिए एक साथ लाता है।
- ⦿ पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अमरीकी सरकार ने भारत में ग्लोब कार्यक्रम लागू करने के लिए 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
- ⦿ इंडियन एन्वायरन्मेंटल सोसायटी, दिल्ली भारत में ग्लोब की क्रियान्वयन एजेंसी है।

उत्कृष्टता केंद्र

- ◻ उत्कृष्टता केंद्र की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई।
- ◻ योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, एनजीओ समेत प्रतिष्ठित संस्थानों, पेशेवर संगठनों और अन्य वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को चुनिंदा सहयोग प्रदान करना है ताकि वे मंत्रालय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उस विशिष्ट विषय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत केंद्र बन सकें।
- ◻ फिलहाल मंत्रालय के अधीन सात उत्कृष्टता केंद्र
 - पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अहमदाबाद;
 - सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, चेन्नई;
 - पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु;

- सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं इतिहास केंद्र, कोयंबटूर;
- सेंटर फॉर एन्वायरन्मेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड ईंको सिस्टम्स, दिल्ली;
- मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई
- और फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, बंगलुरु।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- ⦿ राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण तथा बनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से 18 अक्टूबर, 2010 को एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी।
- ⦿ इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुक़सान से राहत एवं मुआवजा दिलाना और उससे संबंधित अथवा उससे मिलते-जुलते मामलों को देखना भी शामिल है।
- ⦿ यह विशेष निकाय है, जिसके पास विभिन्न विषयों वाले मामलों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है।
- ⦿ अधिकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित की गई प्रक्रिया से नहीं बंधा है, लेकिन उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलना होता है।
- ⦿ अधिकरण को आवेदनों तथा अपीलों का निपटारा दाखिल होने के 6 महीने के भीतर करने का प्रयास करना होता है।
- ⦿ एनजीटी की पांच पीठ हैं; मुख्य पीठ दिल्ली में है और पुणे, कोलकाता, भोपाल तथा चेन्नई में क्षेत्रीय पीठ भी हैं।
- ⦿ अधिकरण के शिमला, शिलांग और जोधपुर में सर्किट पीठ भी हैं।

जलवायु परिवर्तन

- ⦿ पृथ्वी की जलवायु हमेशा बदलती और विकसित होती रही है। उनमें से कुछ परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हुए हैं। किंतु अन्य परिवर्तन मानवीय गतिविधियों के कारण हुए हैं, जैसे-बनोन्मूलन, उद्योग एवं परिवहन आदि से होने वाले उत्सर्जन, जिसके कारण वातावरण में गैसें और एरोसॉल जमा हो गई हैं।
- ⦿ इन गैसों को ग्रीनहाउस गैस कहा जाता है क्योंकि वे गर्भी को रोक लेती हैं और जमीन के पास हवा का तापमान बढ़ा देती है, जैसे ग्रह की सतह पर ग्रीनहाउस करते हैं।
- ⦿ देश में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषक क्षमता तैयार करने और बढ़ाने के लिए जलवायु

- परिवर्तन कार्य कार्यक्रम (सीसीएपी) के तहत विभिन्न अध्ययन किए गए हैं।
- ⦿ विभिन्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकें तथा वार्ताएं की गई जिनमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-22) शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एवं राज्य कार्ययोजना

- ⦿ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की घरेलू रणनीति उसके कई सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों में निहित है।
- ⦿ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) का विशिष्टता नोडल मंत्रालयों के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है।
- ⦿ सौर ऊर्जा, अधिक ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ कृषि, टिकाऊ आवास, जल, हिमालयी परितंत्र, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के क्षेत्र में आठ राष्ट्रीय अभियान एनएपीसीसी के केंद्र में हैं।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष

- ⦿ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष केंद्र की एक योजना है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इसमें राष्ट्रीय क्रियान्वयन निकाय है।
- ⦿ कोष का वास्तविक उद्देश्य अनुकूलन की ठोस गतिविधियों में सहायता करना है, जो समुदायों, क्षेत्रों तथा राज्यों के सामने आ रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने वाली राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए जारी गतिविधियों में नहीं आती हैं।

जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम

- ⦿ मंत्रालय जनवरी, 2014 से ही 'जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम' नाम की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा नीतिगत कार्यक्रमों के लिए उचित संस्थागत ढांचा स्थापित करते हुए और सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करते हुए देश में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु वैज्ञानिक एवं विश्लेषक क्षमता निर्मित करना एवं मजबूत करना है।
- ⦿ एनसीएपी विभिन्न संस्थाओं वाला तथा विभिन्न एजेंसियों वाला अध्ययन है।
- ⦿ इस पहल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदर्श तकनीकों का प्रयोग करते हुए ब्लैक कार्बन के प्रभावों की निगरानी एवं मूल्यांकन के जरिए जलवायु परिवर्तन में ब्लैक कार्बन की भूमिका की समझ बढ़ाने के लिए पश्चीम विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विज्ञान

एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ काम करता है।

पेरिस संधि

- ⦿ भारत ने 2016 में यूएनएफसीसी की पेरिस संधि को अंगीकार कर लिया। पेरिस संधि तथा उसके घटकों के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं

- ⦿ वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जलवायु परिवर्तन पर कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकें एवं अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं आयोजित की गईं।

ओजोन प्रकोष्ठ

ओजोन परत का संरक्षण

- ⦿ ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना अणु है, जो सूर्य से तीव्र ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथक्की के वातावरण के ऊपरी स्तरों में ऑक्सीजन से प्राकृतिक रूप से बनती है।
- ⦿ पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को विखंडित कर देता है और परमाणुओं को मुक्त कर देता है, जिसमें से कुछ ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं।
- ⦿ इस प्रकार बनी लगभग 90% ओजोन पृथक्की की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर रहती है, जिसे वायुमंडल का क्षेत्र (स्ट्रोस्फियर) कहते हैं।
- ⦿ वातावरण के इस हिस्से में पाई जाने वाली ओजोन को ओजोन की पर्त कहा जाता है।
- ⦿ ओजोन की पर्त सूर्य से निकलने वाले हानिकारक यूवी-बी विकिरण को समूचा सोख लेती है।
- ⦿ यह पौधों और पशुओं को यूवी-बी विकिरण से बचाती है। यूवी-बी विकिरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और फसलों की उपज घट सकती है।
- ⦿ इसी के कारण 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना संधि की गई और 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया है।
- ⦿ मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन एवं खपत समाप्त करना है।
- ⦿ भारत ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुई वियना संधि और ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा उनमें होने वाले सभी संशोधन/परिवर्तन में शामिल है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संधि के प्रभावी एवं सामयिक क्रियान्वयन के लिए और ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ओजोन इकाई के रूप में ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

विद्यना संधि

- ओजोन परत के संरक्षण हेतु विद्यना संधि तथा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल वायुमंडलीय ओजोन के संरक्षण के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं।
- मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल इतिहास में सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि माना गया है।
- इसे सभी ने स्वीकार किया है और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देश विद्यना संधि तथा उसके मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हैं।
- मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के 29 वर्षों के दौरान इस संधि के तहत असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने सीएफसी, सीटीसी और हैलोन जैसे ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कई प्रमुख पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोग 2010 से ही बंद कर दिया है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि

- भूमि के क्षरण तथा मरुस्थलीकरण को रोकने एवं भूमि वापस प्राप्त करने की चिंता कई राष्ट्रीय नीतियों में परिलक्षित होती है, जैसे-
 - राष्ट्रीय जल नीति, 2012;
 - राष्ट्रीय वन नीति, 1988;
 - राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000;
 - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;
 - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
 - राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006;
 - राष्ट्रीय कृषि नीति, 2007;
 - राष्ट्रीय वर्षा जल सिचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरए)
 2007
- इनमें इन समस्याओं से निपटने में सहायक प्रावधान हैं। सतत वन प्रबंधन, सतत कृषि, सतत भूमि प्रबंधन के लक्ष्यों तथा देश सतत विकास के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उनमें भी यह स्पष्ट होता है।
- भारत ने 1994 में मरुस्थलीकरण से निपटने की संयुक्त राष्ट्र की संधि (यूएनसीसीडी) पर हस्ताक्षर कर दिए।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यूएनसीसीडी के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय हैं और संधि से संबंधित सभी मसलों के समन्वय मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय के भीतर नोडल बिंदु है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सतत विकास

- मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सतत विकास (आईसीएंड-एसडी) विभाग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग एवं सतत विकास से संबंधित मामलों का समन्वय करता है, जिसमें सतत विकास के लक्ष्य भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

- भारत यूएनईपी का सदस्य है और हर वर्ष यूएनईपी पर्यावरण कोष में 1 लाख डॉलर का वार्षिक वित्तीय योगदान करता है।
- यूएनईपी के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समूह के 33 सदस्यों में से तीन इस समय भारत से हैं। मंत्रालय आईआरपी संचालन समिति का सदस्य है।
- आईआरपी यूएनईपी की संसाधन कुशलता/सतत उपभोग एवं उत्पादन उप कार्यक्रम में मदद करता है और वह सरकारी नीति निर्माताओं, उद्योग एवं समाज के लिए व्यावहारिक समाधान तैयार करने के इरादे से दुनिया की सबसे गंभीर संसाधन समस्याओं का आकलन कर रहा है।

द ग्लोबल एन्वायरन्मेंट फैसिलिटी

- भारत ग्लोबल एन्वायरन्मेंट फैसिलिटी (जीईएफ) का संस्थापक सदस्य है।
- 1991 में स्थापित जीईएफ 183 देशों की बहुपक्षीय वित्तीय सहायता प्रणाली है, जो वैश्विक पर्यावरणीय लाभों, जिन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में चिह्नित भी किया गया है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- जीईएफ के कार्य जैव विविधता संधि, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी संधि, स्टॉकहोम पीओपी संधि और मीनामाता पारा संधि जैसी बहुपक्षीय पर्यावरण संधियों के सदस्यों के सम्मेलन से मिलने वाले निर्देशन के अनुसार तय किए गए हैं।
- जीईएफ के अनुदान पांच केंद्रीय क्षेत्रों जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, अंतर्राष्ट्रीय जल तथा रसायन एवं कंचरा के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

□ □ □

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. सिंहपुच्छी बन्दर
2. सुनहरा लंगूर
3. भारतीय डालफिन
4. एशियाई शेर

इनमें से कौन-सा/से स्तनपायी जन्तु हैं?

- (a) 1, 2 व 4 (b) 1, 3 व 4
(c) 1, 2 व 3 (d) 1, 2, 3 व 4

2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कच्छ वनस्पतियों के संदर्भ में सुमेलित हैं-

1. अचरा/रत्नगिरि – महाराष्ट्र
2. भीतरनिका – उड़ीसा
3. कोरिंगा – आन्ध्र प्रदेश

सही उत्तर का चयन कीजिए-

- (a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ओलिव रिडले कछुआ गर्म एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
2. उड़ीसा राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के निवास स्थल के रूप में विकसित हुआ है।

सही कथन का चयन कीजिए-

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, व 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

4. कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है, कहाँ स्थित है?

- (a) असम
(b) अरुणाचल प्रदेश
(c) उत्तराखण्ड
(d) सिक्किम

5. हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों रहा था-

- (a) यह देश का 50वाँ बाघ अभ्यारण बन गया है।
(b) बर्डलाइफ इण्टरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी स्थल का दर्जा दिया है।
(c) यहाँ एक सींग वाले गैंडों की संख्या में उल्लंघनीय वृद्धि हुई है।

- (d) इस उद्यान से इंडिया राइनोविजन 2020 प्रारम्भ किया गया।

6. मैंग्रोव वनस्पतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है-

- (a) ये उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सुरक्षित तटों, ज्वारनदमुख पश्चजल, लैगून एवं पंक जमावों में विकसित होते हैं।
(b) मैंग्रोव वनस्पतियाँ खोर पानी के साथ-साथ स्वच्छ जल में भी उग सकती हैं।
(c) काली मैंग्रोव वनस्पतियाँ (कच्छ वनस्पतियों) की खारे पानी को सहने की क्षमता सबसे अधिक होती है।
(d) इन वनस्पतियों के लिए गर्म एवं नम जलवायु अत्यंत उपयुक्त होती है।

7. निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए-

1. मानव वन्यजीव अभ्यारण्य
2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
3. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

इनमें से कौन सा/से विश्व धरोहर स्थल में शामिल है?

- (a) केवल 1 व 2
(b) केवल 1 व 3
(c) केवल 2 व 3
(d) 1, 2 व 3

8. निम्नलिखित में से कौन-सी दशा प्रवालों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है?

- (a) नदियों का महासागरों से मिलन स्थल
(b) उथले जलीय क्षेत्र जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो
(c) अवसाद रहित जल
(d) गर्म जल की परिस्थितियाँ

9. वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क किसका संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है?

1. वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF)
2. आई यू सी एन (IUCN)
3. यूनेस्को

दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए-

- (a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) 1 व 2
(d) 1 व 3

- 10. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—**

 1. संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण तथा संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण के लिए गठित की गई है।
 2. यह एक ऐच्छिक पर्यावरणीय फंड भी है जो कार्बन कटौती के लिए विकासशील देशों को कोष उपलब्ध करता है।
 3. पर्यावरण संबंधित प्रयासों के प्रोत्साहन के लिए इस संस्था द्वारा ग्लोबल-500 पुरस्कार दिया जाता है।

सही उत्तर का चयन कीजिए—

 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 3
 - (d) 2 व 3

11. राष्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस (NBC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

 1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEECC) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
 2. इसे विश्व वन्य जीव निधि (WWF) और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
 3. यह भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए—

 - (a) 1 व 2
 - (b) केवल 3
 - (c) केवल 2 व 3
 - (d) इनमें से कोई नहीं

12. निम्नलिखित पर विचार कीजिए—

 1. PM 10 और PM 2.5
 2. सल्फर डार्ड ऑक्साइड
 3. कार्बन डाइ ऑक्साइड
 4. ओजोन

उपरोक्त में से कौन-सा/से वायु गुणवत्ता सूचकांक मापन के आधार है/हैं?

 - (a) 1, 2
 - (b) 1, 4
 - (c) 1, 2, 3
 - (d) 1, 2, 4

13. निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के संदर्भ में असत्य है-

 - (a) यह किसी परियोजना के लिए संभावित विविध विकल्पों की तुलना कर उत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है।
 - (b) यह व्यवस्थित ढंग से परियोजना के लाभप्रद हिस्सों का आंकलन करता है।
 - (c) इसके द्वारा संसाधनों का इष्टतम उपयोग और परियोजना के समय तथा लागत की बचत की जा सकती है।
 - (d) इसके लाभों को परियोजना के प्रत्येक चरण में महसूस किया जा सकता है।

14. ब्लू कार्बन पहल (Blue Carbon Initiative) के विषय में कौन-सा/से सही है—

 - (a) तटीय समुद्री परितंत्रों के संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन में कमी लाना
 - (b) वैश्विक तापन से प्रभावित कोरल रीफ का संरक्षण
 - (c) मत्स्ययन उद्योग को बढ़ावा देना
 - (d) कार्बन क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नया मानक

Answer Key:-

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. (d) | 2. (d) | 3.(c) | 4.(b) | 5.(c) |
| 6. (c) | 7. (d) | 8.(a) | 9.(c) | 10.(c) |
| 11.(d) | 12.(d) | 13.(b) | 14.(a) | |

अध्याय

13.

वित्त

- वित्त मंत्रालय पर सरकार के वित्त का प्रशासन संभालने का दायित्व है। इसका संबंध पूरे देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक एवं वित्तीय विषयों से है।
- जिनमें विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए संसाधन जुटाना भी शामिल है।
- यह राज्यों को संसाधन के अंतरण समेत सरकार के व्यय का नियमन करता है।
- इस मंत्रालय में पाँच विभाग हैं, जिनके नाम हैं:
 - (i) आर्थिक कार्य, (ii) व्यय, (iii) राजस्व, (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, तथा (v) वित्तीय सेवाएँ।

आर्थिक मामलों का विभाग

- FAO, ILO, UNIDO जैसे विशेषज्ञता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय विशिष्ट समझौतों के अंतर्गत प्राप्त सहयोग के अतिरिक्त भारत को मिलने वाले सभी प्रकार के विदेशी, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की निगरानी भी इसी विभाग द्वारा की जाती है।
- आर्थिक मामलों के विभाग में निम्नलिखित प्रभाग हैं:
 - एकीकृत वित्त प्रभाग,
 - राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन (FRBM) सहित बजट प्रभाग,
 - वित्तीय बाजार,
 - द्विपक्षीय सहयोग और प्रशासन,
 - बहुपक्षीय संस्थाएँ,
 - बहुपक्षीय संबंध,
 - सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा के नियंत्रक,
 - आर्थिक प्रभाग,
 - निवेश एवं मुद्रा तथा
 - अवसंरचना एवं ऊर्जा।
- केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे संसद के सामने प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रपति शासन वाली राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों

के प्रशासन के लिए बजट तैयार करने का दायित्व भी आर्थिक मामलों के विभाग का है।

- भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण मुद्रा निदेशालय के पास होता है।
- एसपीएमसीआईएल भारत सरकार की टकसालों, करेंसी प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल का प्रबंधन करती है।
- बैंक नोट एवं सिक्कों के डिजाइन अथवा सुरक्षा तत्वों से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने एवं सारांक सिक्के जारी करने के अतिरिक्त निदेशालय को इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ संचालित करने तथा बैंक नोट एवं अन्य सुरक्षा उत्पादों के उत्पादन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री का स्वदेशीकरण करने का अधिकार है।

वार्षिक बजट

- भारत का केंद्रीय बजट, प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

वार्षिक वित्तीय विवरण

- संविधान के अनुच्छेद-112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय अथवा प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की आय एवं भुगतान को तीन भागों में दिखाया गया है, जिनमें सरकार के खाते विभाजित

किए जाते हैं:

- समेकित कोष,
 - आकस्मिक कोष और
 - लोक खाता।
- सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी प्रकार का राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण, उसके द्वारा किए गए ऋणों की बसूली से हुई प्राप्तियां समेकित कोष कहलाती हैं।
- सरकार का सभी प्रकार का व्यय समेकित कोष से होता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता।
- ऐसे अवसर पर सरकार को संसद की अनुमति के बगैर ही आपात एवं अप्रत्याशित व्यय करने पड़ते हैं।
- ऐसे व्यय के लिए अग्रिम अथवा पेशागी के रूप में राष्ट्रपति के अधीन आकस्मिक कोष होता है।
- ऐसे व्यय के लिए तथा इसके समतुल्य राशि का आहरण समेकित कोष से करने के लिए बाद में संसद से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और आकस्मिक कोष से खर्च हुई राशि की भरपाई कर दी जाती है।
- संसद द्वारा अधिकृत कोष में अभी 500 करोड़ रूपये की राशि है।
- संविधान के अंतर्गत बजट में राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य प्रकार के व्यय से अलग करना होता है, इसलिए सरकार का बजट (I) राजस्व बजट एवं (II) पूँजी बजट से मिलकर बनता है।

अनुदान मांगें

- समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान, जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है और संसद में जिन पर मतदान होता है।
- संविधान के अनुच्छेद-113 के अनुसार अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
- सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के लिए एक अनुदान मांग रखी जाती है।
- किंतु बड़े मंत्रालयों एवं विभागों के लिए एक से अधिक मांगें रखी जाती हैं।
- प्रत्येक मांग में सामान्यतः किसी सेवा के लिए सभी प्रावधान होती हैं अर्थात् राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों के लिए अनुदान एवं सेवा से संबंधित ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान होते हैं।
- बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ के प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र के लिए अलग से मांग रखी जाती है।

वित्त विधेयक

- वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद-110(I)(A) की आवश्यकता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लागू करने, समाप्त करने, माफ करने, परिवर्तित करने तथा उनका नियमन करने का विवरण होता है।
- वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद-110 में परिभाषित धन विधेयक होता है। इसके साथ उसमें शामिल किए गए प्रावधानों के विवरण वाला एक ज्ञापन संलग्न होता है।

विनियोग विधेयक

- अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान होने के बाद अनुमोदित राशि का आहरण समेकित कोष से करने तथा समेकित कोष पर 'भारित' व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का आहरण करने हेतु विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद की अनुमति प्राप्त की जाती है।
- संविधान के अनुच्छेद-114 (3) के अंतर्गत संसद द्वारा कानून लागू किए बगैर समेकित कोष से किसी भी प्रकार की राशि नहीं निकाली जा सकती।

लेखानुदान

- बजट प्रस्तुत होने के साथ आंभ होने वाली और अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान के साथ समाप्त होने वाली पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है, इसलिए लोकसभा को मांगों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संदर्भ में किसी भी अग्रिम अनुदान को मंजूरी देने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है।
- 'लेखानुदान' का उद्देश्य 'वित्तीय आपूर्ति' पर मतदान लंबित रहने तक सरकार के क्रियाकलापों को जारी रखना है। संसद से लेखानुदान एक विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक 114 (3) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

राजस्व के स्रोत

- संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956, जिसे पिछली तिथि 1 अप्रैल, 1956 से लागू किया गया है, के अनुसार अनुच्छेद-268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों एवं करों अनुच्छेद-271 में उल्लिखित करों एवं शुल्कों पर संबंधित अधिभार एवं संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से लागू किए गए उपकर के अतिरिक्त केंद्रीय सूची में दिए गए सभी प्रकार के करों को भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जाएगा एवं संग्रहीत किया जाएगा और उसे केंद्र एवं राज्यों

के मध्य उसी विधि से वितरित किया जाएगा, जिस विधि का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं।

संसाधनों का अंतरण

- ⦿ 2016-17 के संशोधित अनुमानों में केंद्र सरकार से राज्यों को कर एवं शुल्कों में उनके अंश के रूप में प्राप्त होने वाली कर प्राप्तियों का अंतरण 6,08,000 करोड़ रूपये था।
- ⦿ 2017-18 के बजटीय अनुमानों में यह राशि बढ़ाकर 6,74,565 करोड़ रूपये कर दी गई है।
- ⦿ इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कुल अनुदान एवं ऋण 2016-17 के संशोधित अनुमान 3,82,311 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017-18 के बजटीय अनुमान में 4,10,510 करोड़ रूपये हो गया है।

सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं

- ◻ भारत के सार्वजनिक ऋण को केंद्र सरकार की देयताओं की 3 श्रेणियों आंतरिक ऋण, विदेशी ऋण और अन्य देयताओं में विभाजित किया गया है।
- ◻ भारत सरकार के आंतरिक ऋण में प्रमुख अंश निश्चित अवधि एवं निश्चित दर वाले सरकारी पत्रों (दिनांकित प्रतिभूतियाँ एवं सरकार हुंडियाँ) का होता है, जिनका निर्गम नीलामियों के माध्यम से किया जाता है।
- ◻ विदेशी ऋण विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का सूचक होता है। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से सीधे ऋण नहीं लेती है।
- ◻ विदेशी मुद्रा में उधारी लेने की इसकी प्रक्रिया बहुपक्षीय एजेंसियों एवं द्विपक्षीय स्रोतों के माध्यम से पूरी की जाती है और आधिकारिक विकास सहयोग (ODA) का हिस्सा होती है।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

- ⦿ 7 मुख्य कार्यक्रमों यथा-सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं, स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना और 100 स्मार्ट शहर को उच्च प्राथमिकता जारी है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

- ⦿ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भारत सरकार द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया एक मुख्य सुधार पहल है। यह विभिन्न सरकारी

नकद अंतरण के लाभ हेतु व्यापक दृष्टि और निर्देश देता है।

- ⦿ आधार योजनाओं का लाभ लेने हेतु DBT की कल्पना अभीष्ट लाभार्थियों की सही पहचान और दक्षता बढ़ाने, योजनाओं के अंतर्गत लाभों/सेवाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता और जबाबदेही के उद्देश्य से की गई थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु योजनाएँ

- ⦿ वित्तीय वर्ष 2005-06 से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के कल्याण हेतु योजनाओं संबंधी अलग विवरण बजट दस्तावेज में शामिल किया गया था।
- ⦿ वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह विवरण केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं से संबंधित 'अनुसूचित जाति उपयोजना' और 'जनजातीय उपयोजना' के अंतर्गत योजना (प्लान) स्कीमों पर केंद्रित है।
- ⦿ इसमें वर्षावार वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान होता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्ववर्ती योजना आयोग योजना आवंटनों के एक भाग के रूप में SCSP और TSP हेतु अलग-अलग आवंटन कर रहा है।

आर्थिक वृद्धि

- ⦿ सुस्त वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद, भारत ने 2016-17 में 7.1% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- ⦿ अर्थव्यवस्था में सफल जोड़े गए मूल्य (GVA) की वृद्धि 2016-17 में 7.1% थी।
- ⦿ आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूप से 2015-16 में 8.0% और 2014-15 में 7.5% की तुलना में 2016-17 में 6.6% थी। मांग के स्तर पर भारत का विकास मुख्यतः उपभोग आधारित रहा है।
- ⦿ जीडीपी में अंतिम उपभाग का हिस्सा 2015-16 के 68.3% की तुलना में 2014-15 में क्रमशः 32.1% और 32.9% की तुलना में वर्ष 2015-16 में 32.2% था।
- ⦿ निवेश दर (GDP में सकल पूँजी निर्माण) वर्ष 2013-14 और 2014-15 के क्रमशः 33.7% और 34.2% की तुलना में 2015-16 में 33.2% था।

मूल्य और मुद्रास्फीति

- ⦿ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान दालों, सब्जियों और मसालों में निम्न मुद्रास्फीति के कारण औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक रहा है।
- ⦿ अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (CPI) यथा, औद्योगिक

- कामगारों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में मुद्रास्फीति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जुलाई) में औसतन 1.5% के आस-पास रही।
- ⇒ 2016-17 में इसका औसत 1.7% और जुलाई 2017 में 1.9% रहा।
 - ⇒ WPI खाद्य मुद्रास्फीति (खाद्य पदार्थ + खाद्य उत्पाद) जिसका औसत 2013-14 के दौरान 9.6% था जो सुधरकर 2014-15 में 4.3% और 2015-16 में 1.2% हो गया। वर्ष 2016-17 में इसका औसत 1.7% और यह अनुपात 2.9% 2017-18 (अप्रैल-जनवरी) तथा इस तरह जनवरी 2018 में 2.8% रहा है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय

- ⇒ सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं-उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ शामिल है-

 - अनिवार्य वस्तुओं, खासकर दालों के मूल्यों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु 2017-18 के बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन।
 - बाजार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने का अनुमोदन।
 - अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेलों और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकृत करना और
 - उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु, ताकि मूल्यों में सुधार हो उच्चतर समर्थन मूल्य की घोषणा।

जलवायु परिवर्तन वित्त

- ⇒ भारत ने वर्ष 2016 में पेरिस समझौते की पुष्टि की।
- ⇒ भारत का विस्तृत NDC लक्ष्य है 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना, गैर-जीवाशम इंधनों पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का हिस्सा 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक करना और अतिरिक्त बन और पेड़ लगाकर 2030 तक 2.5-3 GTCI के अतिरिक्त (संचयी) कार्बन सिंक का सृजन।
- ⇒ वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए विकसित देशों द्वारा मुख्य रूप से सार्वजनिक स्रोतों का प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- ⇒ विकासशील देशों के अनुकूलन एवं शमन जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्त का प्रावधान UNFCCC में सन्तुष्टि है और पेरिस समझौते में भी इसका उल्लेख किया गया है।
- ⇒ जलवायु कार्बाइडों से बहुत महत्वपूर्ण संसाधन की उलझने पैदा होंगी, खासकर भारत जैसे देश में।

- ⇒ भारत की जलवायु कार्बाइडों का वित्तपोषण अब तक घरेलू संसाधनों से ही किया गया है।
- ⇒ राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, वर्ष 2015 से 2030 के बीच, प्राथमिक घरेलू जरूरत 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की है।
- ⇒ इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत होगी।
- ⇒ भारत जैसे विकासशील देशों में संसाधनों की कमी है और जलवायु परिवर्तन पर अच्छी-खासी राशि खर्च की जा रही है।
- ⇒ जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन एवं शमन कार्यों को लागू करने के लिए, संसाधन की जरूरत और संसाधन के अंतर को देखते हुए, घरेलू और विकसित देशों से नए और अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होगी।
- ⇒ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के विकासशील देशों के प्रयासों के समर्थन हेतु ग्रीन जलवायु कोष (GCF), जो एक बहुपक्षीय कोष है, बनाया गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार

- ⇒ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा संपत्तियों (FCA), स्वर्ण, SDR और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में आरक्षित अंश RTP से मिलकर बना है।
- ⇒ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि चालू खाते की वित्तीय आवश्यकताओं एवं लाभ/हानि के मूल्यांकन की तुलना में अधिक पूँजी प्रवाह आ जाने के कारण होती है।
- ⇒ पिछले कुछ समय में अन्य चीजों के साथ कच्चे तेल का मूल्य कम होने से व्यापार घाटा कम हुआ है।
- ⇒ वित्त वर्ष 2016-17 में विदेशी मुद्रा भंडार 359.0 अरब अमरीकी डॉलर से 372.0 अरब अमरीकी डॉलर के बीच रहा।
- ⇒ जून 2017 में अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 386.5 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें 16.5 अरब अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज हुई।
- ⇒ फरवरी 2018 तक 421.7 अरब अमरीकी डॉलर था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी बाहरी आघात को झेलने की स्थिति में है।

रूपये की विनिमय दर

- ⇒ वित्त वर्ष 2016-17 में रूपये की वार्षिक औसत विनिमय दर (RBI का संदर्भ दर) 65-68 रूपये प्रति अमरीकी डॉलर (मार्च

- 2017 में 65.87 रूपये प्रति डॉलर और जनवरी 2017 में 68.08 रूपये प्रति डॉलर) के बीच रही।
- ➲ 2017-18 (अप्रैल से अगस्त) के दौरान रूपये की औसत मासिक विनिमय दर 64.36 रूपये प्रति अमरीकी डॉलर रही।
 - ➲ जिसमें 2016-17 के वार्षिक औसत 66.96 रूपये प्रति अमरीकी डॉलर की तुलना में 4.0% की मूल्य वृद्धि हुई।
 - ➲ 2017-18 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, रूपये की औसत मासिक विनिमय दर (RBI) जनवरी 2017 में 65.08 प्रति अमरीकी डॉलर और जनवरी 2018 अक्टूबर में 63.64 डॉलर प्रति डॉलर के बीच परिवर्तित थी।

विदेशी ऋण

- ➲ मार्च 2017 में अंत में विदेशी ऋण भंडार 471.9 अरब अमरीकी डॉलर थी। जिसमें मार्च 2016 में अंत के स्तर से 2.7% की कमी आई।
- ➲ मार्च 2017 के अंत में दीर्घावधि ऋण कुल विदेशी ऋण का 8.14% (मार्च 2016 में अंत में 82.8%) रहा।
- ➲ मार्च 2017 के अंत तक वाणिज्यिक उधारियों का हिस्सा 36.7% के साथ सबसे अधिक रहा, इसके बाद NRI जमा (24.8%) और अल्पावधि व्यापार ऋण (18.3%) रहा।
- ➲ मार्च 2017 के अंत तक भारत के विदेशी ऋणों में 52.1% के साथ अमरीकी डॉलर सबसे पहला स्थान रहा, इसके बाद भारतीय रूपया (33.6%), SDR (5.8 भारत के विदेशी विनिमय रिजर्व द्वारा मार्च 2016 के अंत में 74.4% की तुलना में मार्च 2017 के अंत में 78.4% हिस्सा को सुरक्षा प्रदत्त है।
- ➲ सरकार विदेशी ऋण प्रबंधन नीति, दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की निगरानी पर जोर देती है, भारी रकम के साथ रियायती शर्तों पर स्वायत्त ऋण बढ़ाती है।
- ➲ विभिन्न प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधार को विनियमित करना और प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि पर ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाना, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋण, नियंत्रणीय सीमा पर बना रहे।

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

- ➲ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 31 मई, 2017 को जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2016-17 के अनंतिम अनुमानों और 2016-17 की चौथी तिमाही हेतु सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आकलनों के अनुसार नियत (2011-12) आधार मूल्यों पर वर्ष 2016-17 तथा 2015-16 तथा 2016-17 हेतु कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए GVA की वृद्धि दर क्रमशः 4.9% और 0.7% होने का अनुमान था।

- ➲ 1 जून से 24 अगस्त, 2017 की अवधि के दौरान सकल दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से देश में सामान्य से 6% कम वर्षा हुई।
- ➲ इस अवधि के दौरान सामान्य 663.5 मि.मी. वर्षा की तुलना में वास्तविक वर्षा 626.1 मि.मी. हुई।
- ➲ 36 मौसम विज्ञान संबंधी उप-प्रभावों में से 5 उप-प्रभावों में अधिक वर्षा हुई, 22 उप-प्रभावों में सामान्य वर्षा हुई और 9 उप-प्रभावों में कम वर्षा हुई।

उद्योग एवं अवसंरचना

- ➲ भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, सकल जोड़े गए मूल्य (GVA) में 2016-17 में जिसकी हिस्सेदारी 31.1% रही।
- ➲ वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2016-17 के ताजा अस्थायी अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें खनन, उत्पादन, बिजली तथा निर्माण शामिल है कि वृद्धि 2015-16 के 8.8% की तुलना में 2016-17 में 5.6% थी।
- ➲ उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि 2015-15 में 10.8% की तुलना में 2016-17 में 7.9% रही।
- ➲ सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतर वृद्धि के लिए कई कदम उठाए जिनमें नीति में संशोधन प्रक्रियागत सरलता और GST सुधार, मेंके इन इंडिया पहल, स्टार्ट अप इंडिया और व्यापार करने में सहजता जैसे कई उन्नति संबंधी उपाय शामिल हैं।

(i) औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP):

- ➲ औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP) आधार वर्ष 2011-12 के साथ जोकि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के निष्पादन का त्वरित अनुमान होता है, वर्ष 2015-16 में 3.3% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2016-17 में 4.6% बढ़ा।
- ➲ खनन क्षेत्र में 2015-16 में 4.3% की तुलना में 2016-17 में 5.3% की वृद्धि दर्ज हुई।
- ➲ निर्माण क्षेत्र में 2015-16 में 28% की तुलना में 2016-17 में 4.4% वृद्धि दर्ज की गई।
- ➲ बिजली क्षेत्र में 2015-16 के दौरान 5.7% की तुलना में 2016-17 में 5.8% वृद्धि दर्ज की गई।
- ➲ बुनियादी वस्तुओं के क्षेत्र में 2015-16 में 5.0% वृद्धि की तुलना में 2016-17 में 4.9% वृद्धि दर्ज की गई।
- ➲ केप्टिल गुड्स के क्षेत्र में 2015-16 के दौरान 3.0% वृद्धि की तुलना में 2016-17 में वृद्धि 3.2% थी।
- ➲ मध्यवर्ती क्षेत्र में 2015-16 में 1.5% की तुलना में 2016-17 में वृद्धि 3.3% थी। अवसंरचना/निर्माण वस्तु क्षेत्र में वृद्धि 2015-16 में 2.8% की तुलना में 2016-17 में 3.9% थी।

- ➲ उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र में 2015-16 में 3.4% वृद्धि थी जबकि 2016-17 में 2.9% वृद्धि दर्ज की गई।
- ➲ उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 2015-16 के दौरान 2.6% की तुलना में 2016-17 के दौरान 7.9% था।
- (ii) 8 प्रमुख अवसंरचना समर्थक उद्योग:
- ➲ अवसंरचना को समर्थन देने वाले 8 प्रमुख उद्योगों -कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, जिनकी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 40.27% हिस्सेदारी है।
- ➲ इसमें वर्ष 2015-16 में 3.0% की तुलना में 2016-17 में 4.8% की वृद्धि दर्ज हुई है।
- ➲ वर्ष 2016-17 के दौरान कोयला क्षेत्र में 3.2% वृद्धि, रिफाइनरी उत्पाद में 4.9%, उर्वरक में 0.2%, इस्पात में 10.7% और बिजली में 5.8% वृद्धि हुई।
- ➲ कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट क्षेत्रों में 2016-17 में वृद्धि नकारात्मक रही।

सेवा क्षेत्र निष्पादन

(i) GVA एवं GCF सेवाएं:

- ➲ भारत के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र एक मुख्य कारक है जिसका 2016-17 में सकल मूल्य संयोजन (GVA) वृद्धि में 62% योगदान है।
- ➲ हालाँकि इस क्षेत्र की वृद्धि पिछले वर्ष के 9.7% की तुलना में 2016-17 में 7.7% हो गया है, तथापि यह अन्य दो क्षेत्रों से ऊपर बना हुआ है और 15 मुख्य अर्थव्यवस्था के बीच शीर्ष पर है।
- ➲ सेवाओं की वृद्धि में हल्कापन मुख्यतः दो सेवा श्रेणियों की वृद्धि में हास के कारण है- उद्योग, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाएं (7.8%); और वित्त, रियल स्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं (5.7%)।

(ii) सेवा उद्योग:

- ➲ वर्ष 2016-17 में परिवहन, व्यापार सेवाएं और वित्तीय सेवाओं में तेजी आने और यात्रा में अच्छी वृद्धि होने से सेवाओं के निर्यात में 5.7% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।
- ➲ यद्यपि, सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात, जिसकी कुल सेवाओं में 45.2% के आसपास भागीदारी रही है, में 0.7% की थोड़ी गिरावट आई।
- ➲ दो प्रमुख सेवाओं, यात्रा सेवाएं तथा विविध सेवाएं श्रेणी जिसमें मुख्यतः वित्तीय सेवाएं और सॉफ्टवेयर हैं, में उच्चतर भुगतान हुआ और भारत की आयात-निर्यात सेवाओं में गिरावट और आयात सेवाओं में वृद्धि के कारण 2015-16 में कुल सेवाओं की प्राप्तियों में 9.0% की गिरावट दर्ज की गई।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार एवं मानव विकास

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मानव पूँजी में निवेश आर्थिक विकास के मुख्य घटक हैं।
- पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हेतु उचित कौशल प्रदान करने में निवेश द्वारा मानव पूँजी को बढ़ाकर भारत की निर्धनता काफी हद तक दूर की जा सकती है।

सामाजिक अवसंरचना पर व्यय

- किसी अर्थव्यवस्था के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश महत्वपूर्ण है। GDP के अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय, जो 2016-17 (BE) के दौरान 1 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई।
- GDP के % के रूप में शिक्षा पर व्यय, जो 2009-10 में 2013-14 की अवधि के दौरान 3.1% के आसपास रहा हुआ था, 2014-15 में घटकर 2.8% हो गया।

शिक्षा में प्रगति

- ➲ शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति, 2016 (SAER, 2016) के अनुसार वर्ष 2014 से 2016 के बीच अखिल भारतीय स्तर पर सभी उम्र समूह में नामांकन में थोड़ी वृद्धि हुई।
- ➲ 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में नामांकन 2014 के 96.7% से 2016 में बढ़कर 96.9% हो गया।
- ➲ 15 से 16 वर्ष के आयु समूह में लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए नामांकन वर्ष 2014 के 83.4% से बढ़कर 2016 में 84.7% हो गया।
- ➲ सरकारी ग्रामीण विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने और गणितीय योग्यता में भी थोड़ा सुधार हुआ है।
- ➲ वर्ष 2010 के बाद यह पहली बार हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक श्रेणियों में गणित सीखने के मामले में सुधार हुआ है, जिसका श्रेय सरकारी विद्यालयों में बेहतर निष्पादन को जाता है।

रोजगार परिवृत्त्य

- ➲ कुछ समय से रोजगार और बेरोजगार अनुमानों को मापने के मुद्दों को लेकर वाद-विवाद चल रहा है।
- ➲ रोजगार संबंधी वर्तमान आँकड़े की कमियों को दूर करने हेतु रोजगार आँकड़े में सुधार के लिए टास्क फोर्स की रिपोर्ट में वर्तमान आँकड़ा पद्धतियों और रोजगार सृजन के स्रोतों का अनुमान लगाया गया।

- ➲ हाल के वर्षों में सृजित रोजगारों के त्वरित आकलन हेतु किसी वर्तमान आँकड़ा स्रोतों के उपयोग के संभावनाओं की जाँच की गई।
- ➲ भविष्य में आँकड़ों के संग्रह हेतु प्रक्रियाओं की अनुशंसा की ताकि रोजगार अनुमानों को ठोस स्थिति में रखा जा सके।

कौशल विकास

- ❑ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की विविध मांगों को पूरा करने और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए कृशक श्रम बल अनिवार्य है।
- ❑ भारत कौशल रिपोर्ट 2016 के अनुसार वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभ के केवल वर्ष 2040 तक जारी रहने का पूर्वानुमान है।
- ❑ अर्थव्यवस्था की कौशल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKSY) के माध्यम से लघु आवधिक कौशल विकास योजना (PMKSY) के द्वारा लघुआवधिक कौशल प्रशिक्षण तथा मुख्यतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है।
- ❑ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना के अंतर्गत सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को कवर करते हुए प्रत्येक जिले में मॉडल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
- ❑ वर्तमान में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को महत्वाकांक्षी बनाने पर जोर है।

स्वास्थ्य एवं सफाई

- ➲ सरकार ने स्वास्थ्य हेतु सतत विकास लक्ष्य (SDG-3)- 'सभी उम्र के लोगों के लिए वर्ष 2030 तक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी की भलाई में वृद्धि 'प्राप्त करने का संकल्प लिया है।
- ➲ स्वास्थ्य का सीधा जुड़ाव सफाई और स्वच्छ वातावरण से है।
- ➲ स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBMG) के प्रारंभ होने के बाद स्वच्छता की प्रगति में उछाल आया है।
- ➲ सफाई और खुले में शौच से मुक्त (ODF) भारत का ध्यान केंद्रित करने से खुले में शौच करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक आकलन के मुताबिक 35 करोड़ से कम है।
- ➲ ग्रामीण सफाई का क्षेत्र अक्टूबर 2014 के 40% से बढ़कर अप्रैल 2017 में 63% हो गया है, जो केवल ढाई वर्षों में 21% अंकों की बढ़त है। इनके अतिरिक्त 1.87 लाख गाँव, 129 जिले और 3 राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, साथ ही पूरे भारत में 3.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है।

वित्तीय सुधार आयोग

- ➲ वर्तमान जरूरतों से सामंजस्य के लिए वित्तीय क्षेत्र के कानूनों के पुनर्लेखन हेतु मार्च 2011 में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) की स्थापना हुई। आयोग ने 2013 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी।
- ➲ स्थायित्व और विकास परिषद; को अनुशंसा की है। FSLRC अनुशंसाओं के गैर-विधायी पक्षों में मोटे तौर पर बढ़े हुए उपभोक्ता संरक्षण, वित्तीय क्षेत्र नियमकों की कार्यप्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाने हेतु शासन बढ़ाने के सिद्धांतों की प्रकृति के हैं।
- ➲ यह रिपोर्ट दो भागों में है: पहले भाग का शीर्षक है 'विश्लेषण और अनुशंसाएँ' और दूसरे भाग का शीर्षक है 'मसौदा कानून' जिसमें मसौदा भारतीय वित्त कोड (IFC) शामिल है।

दिवाला और दिवालियापन कोड

- ➲ व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने हेतु वैश्वक मानदंडों के अनुरूप भारत में आवश्यक न्यायिक क्षमता बाले उद्यमों अनुकूल कानूनी दिवालियापन ढांचा प्रदान करने के लिए दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन 22 अगस्त, 2014 को किया गया था। तदनुसार, दिवाला और दिवालियापन कोड (IBC) 2016 से प्रभाव में आया।
- ➲ लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और समयबद्ध रूप में निगम के लोगों, साझेदार फर्मों और व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ाने और उसे संबंधित मामलों के लिए पुरार्थन और दिवालियापन प्रस्ताव से संबंधित कानूनों के एकीकरण और संशोधन द्वारा सभी भागीदारों के हितों में संतुलन कायम करना।
- ➲ यह कोड निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित करने हेतु एक ढांचे का प्रस्ताव करता है-
- ➲ किसी व्यापार में तनाव का जल्दी पता लगाना; कर्जदाता; वित्तीय ऋणदाता या परिचालन लेनदार द्वारा दिवालियापन प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ करना; अलाभकारी व्यवसायों का परिसमापन और विफल व्यवसायों के मूल्य में नुकसान से परहेज करना।
- ➲ कॉर्पोरेट मामलों का मत्रालय इस कोड के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

- ➲ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर्नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने हेतु तंत्र की मजबूती और संस्थानीकरण के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर फोरम के रूप में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की स्थापना 2010 में की गई थी।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड

- ⦿ कमजोरियों के समाधान और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत नियामक, पर्यवेक्षकीय और अन्य नीतियों के क्रियान्वयन और विकास हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरणों, मानक स्थापित करने वाले निकायों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को साथ लाकर वर्ष 2009 में G-20 के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की स्थापना की गई थी।
- ⦿ भारत FSB का एक सक्रिय सदस्य है और पूर्ण अधिवेशन में इसके 3 सदस्य हैं।

अवसंरचना वित्त पोषण

- ⦿ निवेश की आवश्यकताओं और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु जन संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना में निवेश बढ़ाने हेतु माध्यमों की तलाश आवश्यक है।
- ⦿ इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में अवसंरचना में दीर्घावधि निवेश जुटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बैंक वित्तपोषण:** बैंक अवसंरचना वित्त पोषण के मुख्य स्रोत रहे हैं। RBI 5/25 योजना; टेक आउट वित्तपोषण सहित अवसंरचना के लिए अग्रिमों के दिशानिर्देशों में संशोधन कर रहा है।
- संस्थागत वित्त:** अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने में उत्प्रेरक की भूमिका के निर्वहन के विशिष्ट आदेश के साथ सरकार ने 'भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (IIFCL), की स्थापना की है।
- अवसंरचना ऋण कोष (IDF):** भारत सरकार ने परिचालन संपत्ति के लिए परियोजना ऋणों का बैंकों से निश्चित आय बाजार में स्थानांतरण में सहायता हेतु अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने और तीव्र करने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण कोष (IDF) की अवधारण को जन्म दिया।
- रियल एस्टेट निवेश न्यास (REITs)/ अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs):** ये न्यास-आधारित ढांचे हैं जो प्रभावी कर छूट और बेहतर प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से प्रतिफल बढ़ाते हैं। इनविट्स तथा रीट्स हेतु दिशानिर्देश/नियामक सेबी द्वारा 2014 में अधिसूचित किए गए थे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारियां

- ⦿ निरंतर आधार पर व्यापक और समावेशी विकास हेतु अच्छी

निरंतर आधार पर उपलब्धता पहली आवश्यकता है।

- ⦿ उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा हेतु भी अवसंरचना महत्वपूर्ण है।
- ⦿ निवेश जरूरतों की व्यापकता और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु सार्वजनिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के मेल द्वारा अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए रास्ते की तलाश आवश्यक है।
- ⦿ PPP अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की कमी को पूरा करता है तथा सृजित परिसंपत्ति के रखरखाव और संचालन हेतु प्रभावी लागत वाली नई प्रौद्योगिकी लाकर प्रस्ताव के लिए लंबी अवधि का मूल्य प्राप्त करता है।
- ⦿ भारत ने उच्च प्राथमिकता वाली सार्वजनिक सुविधाओं और अवसंरचना की डिलीवरी हेतु योजनाबद्ध तरीके से PPP कार्यक्रम लागू किया है तथा पिछले दशक में संभवतः विश्व के सबसे बड़े PPP कार्यक्रमों में से एक विकसित किया है।

G-20

- ⦿ G-20 की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच के रूप में यह मानकर की गई कि वैश्विक आर्थिक महत्व विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्था की ओर व्यापक रूप से स्थानांतरित हो रही है।
- ⦿ विश्व के आर्थिक समन्वयक के रूप में G-8 की लगातार घटती भूमिका तथा आर्थिक प्रशासन पर वैश्विक बातचीत में उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्था के बढ़ते वर्चस्व के कारण 1999 में G-8 के स्थान पर G-20 आ गया।

ब्रिक्स

- ⦿ ब्रिक्स राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग के पाँच मुख्य संघ हैं और जी-20 जैसे वैश्विक फोरम में उभरते हुए बाजार तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधि स्तर हैं।
- ⦿ स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के सुदृढ़ पाइपलाइन के विकास हेतु भारत बैंक के प्रबंधन और शहरी जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर काम कर रहा है।

भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

- ⦿ संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) है।
- ⦿ UNDP का उद्देश्य कार्यक्रम में शामिल देशों में दरिद्रता उन्मूलन,

लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण समेत सतत मानव विकास हेतु क्षमता विकास के माध्यम से सहयोग करना है।

- ⦿ UNDP द्वारा उपलब्धत कराई जाने वाली सभी प्रकार की सहायता अनुदान के रूप में होती है।
- ⦿ UNDP को विभिन्न दाता देशों से प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक योगदान से धन मिलता है।
- ⦿ UNDP में भारत का वार्षिक योगदान 45 करोड़ डॉलर तक रहा है, जो विकासशील देशों के बीच बहुत बड़ा योगदान है।
- ⦿ वार्षिक योगदान के अतिरिक्त भारत सरकार स्थानीय कार्यालय के व्यय का भी आंशिक भुगतान करता है।
- ⦿ यूएनडीपी संसाधनों का देशवार आंवटन सहयोग ढांचे (CCF) के अंतर्गत 5 वर्ष में एक बार किया जाता है, जो प्रायः भारत की पंचवर्षीय योजना के साथ ही चलता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

- ⦿ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी।
- ⦿ इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना है।
- ⦿ इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
- ⦿ इसका सचिवालय काठमांडू में है। इसने इस क्षेत्र के नागरिकों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के समाधान हेतु कई क्षेत्रीय समझौते किए हैं तथा संस्थान बनाए हैं।
- ⦿ यह विचारों के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के विकास के लिए आम सहमति के आधार का एक मंच है।
- ⦿ लघु अविधि में ही मुद्दे का समाधान हो जाने तक भुगतान शेष के संकटों के समाधान की राह प्रदान करने के इरादे से सार्क देशों के बीच मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था की गई थी।

सार्क विकास कोष

- ⦿ सार्क विकास कोष (SDF) की स्थापना 2008 में सार्क देशों द्वारा क्षेत्र में लोगों के जीवनयापन में सुधार और आर्थिक वृद्धि तेज करने, सामाजिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन हेतु की गई थी।
- ⦿ SDF में परियोजना की फंडिंग तीन मुख्य क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना) के अंतर्गत की जानी है।
- ⦿ अप्रैल 2010 में इसके शुरू होने से अब तक महिला सशक्तीकरण, कृषि, बाल एवं मातृत्व स्वास्थ्य, शिक्षा और ICT जैसे क्षेत्रों में सामाजिक मुद्रे के अंतर्गत 13 परियोजनाएँ

शुरू की गई हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

- ⦿ आर्थिक मामलों के विभाग का द्विपक्षीय सहयोग डिवीजन G-8 देशों, संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता से संबंधित डील करता है।

द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता नीति

- ⦿ भारत अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र के विकास और केंद्र एवं राज्य दोनों जगहों पर भारतीय नागरिकों के ज्ञान/कौशल की वृद्धि के लिए अपने द्विपक्षीय पार्टनरों से ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में विदेशी सहायता स्वीकार करता रहा है।
- ⦿ 2005 में जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार द्विपक्षीय विकास सहायता सभी G-8 देशों, USA, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपियन कमीशन से स्वीकार किए जा सकते हैं।
- ⦿ जी-8 से बाहर के यूरोपियन यूनियन के देश भी भारत को द्वि पक्षीय विकास सहायता दे सकते हैं बशर्ते वे न्यूनतम 2.5 करोड़ डॉलर वार्षिक विकास सहायता के लिए प्रतिबद्ध हों।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध

- ⦿ भारत ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 371.345 बिलियन येन के ऋण हेतु जापान सरकार से सरकारी विकास सहायता (ODA) हेतु वायदा प्राप्त किया है।
- ⦿ इसके साथ ही 31 मार्च, 2017 तक जापान सरकार से वायदा आधार पर सकल ODA ऋण 5009.091 बिलियन येन तक पहुँच गया है।
- ⦿ भारत और जापान सरकार के बीच वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु नोटों की अदला-बदली हुई है।

भारत-यूके द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम

- ⦿ यूनाइटेड किंगडम (UK) 1958 से भारत को विकास सहायता प्रदान करता रहा है। यूके से विकास सहायता मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों, ज़ुगांगी विकास आदि के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को (SDG) प्राप्त करने के लिए मिलती हैं।
- ⦿ पारस्परिक सहमति वाली सरकारी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए यूके से सहायता अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के रूप में प्राप्त होती है।

- वर्तमान में 3 राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार पर डीएफआईडी का फोकस है।

भारत-यूरोपीय संघ (EU) विकास सहयोग

- यूरोपीय संघ (EU) अनुदान के रूप में विकास सहायता उपलब्ध कराता रहा है। इसके प्राथमिकता क्षेत्र में वातावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है।
- ईयू विकास सहयोग कार्यक्रमों को कट्टी स्ट्रेटजी पेपर (CSP) के माध्यम से लागू करता है।
- CSP ईयू के उद्देश्यों, साझीदार देश की नीति संबंधी एजेंडा और देश/क्षेत्र की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित है।

यूरोपीय निवेश बैंक

- यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) यूरोपीय संघ की वित्त पोषण संस्था है, जिसका गठन पूँजीगत निवेश प्रदान करने के लिए रोम संधि (1957) के अंतर्गत 1958 में किया गया था।
- EIB के सदस्य, यूरोपीय संघ के सदस्य देश होते हैं, जो सभी बैंक की पूँजी के ग्राहक होते हैं।
- यूरोपीय संघ के बाहर ईआईबी का वित्त पोषण परिचालन सैद्धांतिक रूप से बैंक के निजी संसाधनों से किया जाता है और अधिकार मिलने पर संघ अथवा सदस्य देशों के बजटीय संसाधनों से भी किया जाता है।
- इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ईआईबी के कोष का उपयोग ईयू के साथ सहयोग हेतु समझौता पर दस्तखत करने वाले देशों में वित्तीय निवेश हेतु किया जाता है।

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग

- जर्मनी 1958 से ही अपने आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (BMZ) के माध्यम से भारत को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।
- वर्ष 2008 में जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय (BMV) ने भी जर्मन सरकार के 'अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण कार्यक्रम' के अंतर्गत भारत को सहयोग आंशिक कर दिया, जो आधिकारिक विकास सहयोग के वर्तमान स्रोतों में कटौती किए बगैर जर्मनी सरकार की अतिरिक्त सहायता है।
- जर्मनी और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है: ऊर्जा सतत शहरी विकास तथा पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन।

भारत-फ्रांस विकास सहयोग

- फ्रांस सरकार 1968 से ही भारत को विकास संबंधी सहायता

प्रदार कर रहा है किंतु फ्रांसीसी सहायता की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह फ्रांस से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबद्ध रही।

- भारत में फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा वित्तपोषण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
 - ऊर्जा सक्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा;
 - शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल आदि); और
 - जैव विविधता का संरक्षण।

नॉर्वे

- वर्ष 2005 से आज तक करीब 24 एनजीओ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। भारत और नॉर्वे के वित्त मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के बीच समय-समय पर द्विपक्षीय बैठकें होती हैं।

स्विट्जरलैंड

- स्विट्जरलैंड वर्ष 1964 से ही अनुदानों और तकनीकी सहायता के रूप में भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान रहा है।
- स्विट्जरलैंड ने ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना हेतु 40% अनुदान और 60% ऋण वाला मिश्रित ऋण प्रदान किया था।

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> भारत को अमरीका की द्विपक्षीय विकास सहायता 1951 में आंशिक हुई। भारत को अमरीकी सहायता मुख्य रूप से अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होती है। |
| <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में यूएसएआईडी स्वास्थ्य प्रणाली, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, कम उत्सर्जन एवं ऊर्जा सुरक्षित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने, जंगलों के द्वारा कार्बन अवशोषण के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी कर रही है। |
| <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में, यूएसएआईडी द्वारा भारत सरकार के साथ साझेदारी में निम्नलिखित सात परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; <ul style="list-style-type: none"> कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम हेतु साझेदारी समझौता; स्थायी जंगल और जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम हेतु साझेदारी समझौता; जल, स्वच्छता और सफाई (वॉश) हेतु साझेदारी समझौता; नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार हेतु साझेदारी समझौता; |

- नवोकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार हेतु साझेदारी समझौता;
- स्वास्थ्य परियोजना हेतु साझेदारी समझौता;
- आपदा प्रबंधन समर्थन परियोजना और
- ऊर्जा सक्षमता प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार परियोजना हेतु साझेदारी समझौता।

अमरीकी व्यापार एवं विकास एजेंसी

- यूएस व्यापार एवं विकास एजेंसी (USTDA) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अमरीकी कारोबारों की प्रतिभागिता बढ़ाकर उन देशों की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देती है।
- एजेंसी का उद्देश्य व्यापार के लिए अवसरचना निर्माण में मदद करना, अमरीकी तकनीकी विशेषज्ञता को विदेशियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना और अमरीकी तथा उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्था के बीच दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारी में सहायता करना है।
- 1992 से अमरीकी व्यापार एवं विकास एजेंसी ने भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रायोजकों के साथ 100 से अधिक प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं को समर्थन दिया है।

कनाडा

- अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (IDRC) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है।
- वर्ष 2016-17 हेतु 34.1 लाख कनाडाई डॉलर की अनुदान सहायता वाले 10 प्रस्ताव अनुमोदन हेतु डीईए को प्राप्त हुआ था।

विकासशील देशों के लिए ऋण सहायता

- ऋण सहायता (LOC) भारत की कूटनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा साख बनाने और लंबे समय के लिए साझेदारी निर्माण के कार्य में बहुत उपयोगी रहा है।
- यह योजना एक उभरते हुए आर्थिक शक्ति, निवेशकर्ता देश और विकासशील देशों हेतु साझेदार के रूप में विदेशों में भारत की रणनीतिक राजनीतिक और आर्थिक हितों के विकास का भी प्रयास करता है।
- इस योजना से माल और भारतीय सेवाओं का निर्यात करता है।
- इस योजना से माल और सेवाओं का भारतीय निर्यात अब तक अप्रयुक्त बाजारों में बढ़ने की उम्मीद है और परियोजना प्लानिंग, सामाजिक-आर्थिक विकास के ऊर्जा, सिंचाई, कृषि परिवहन

आदि विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन एवं क्रियान्वयन में भारत की विशेषज्ञता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना सहयोगी और स्थायी मौद्रिक ढांचा के विकास हेतु की गई थी।
- वर्तमान में 189 देश IMF के सदस्य हैं। स्थापना के बाद से ही इसके उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परंतु इसके परिचालन में, जिसमें निगरानी, वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है, विकसित हो रहे विश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों के हिसाब से विकास हुआ है।
- IMF के शासक मंडल में एक गवर्नर और प्रत्येक सदस्य देशों से एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं।
- भारत के लिए वित्तमंत्री IMF के शासक मंडल हेतु पदेन गवर्नर हैं।
- IMF में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के वैकल्पिक गवर्नर हैं।
- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र: दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (SARTTAC) की भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थापना हेतु मार्च 2016 में भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
- SARTTAC छह सदस्य देशों-बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल एवं श्रीलंका को सेवाएँ देगा।

विश्व बैंक

- भारत गरीबी में कमी लाने, अवसरचना, ग्रामीण विकास, आदि क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के माध्यम से विश्व बैंक से कर्ज लेता है।
- भारत सरकार के लिए आईडीए कोष सबसे रियायती विदेशी ऋण है तथा इसका उपयोग मुख्यतः सहसाक्षि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है जो केवल विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देता है।
- 1956 में स्थापित आईएफसी में 184 सदस्य हैं। भारत आईएफसी

का संस्थापक सदस्य है, जो देश में निजी क्षेत्र के वित्त पोषक और सलाह को परिचालित करता है।

- ⦿ भारत आईएफसी के सबसे बड़े पोर्टफोलियो जोखिम का विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है।

नवीन विकास बैंक

- ⦿ नवीन विकास बैंक (एनडीबी) की स्थापना उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसरंचना और सतत विकास पहलों को समर्थन देने के उद्देश्य से ही गई है।
- ⦿ एनडीबी के संस्थापक सदस्य हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), जिन्होंने प्रारंभिक योगदान द्वारा एक बिलियन अमरीकी डॉलर की पूँजी जुटाई है।
- ⦿ नवीन विकास बैंक, (एनडीबी) ने 2015 में अपनी स्थापना के बाद से दो वर्ष पूरा कर लिए हैं।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

- ⦿ एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक (MBD) है जिसकी स्थापना अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा एशिया में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, उत्पादक संपत्तियों का सृजन और अवसंरचना में सुधार के लिए वर्ष 2016 में स्थापित किया गया।
- ⦿ भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है और दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है।
- ⦿ एआईआईबी की बीजिंग में स्थापना हेतु वर्ष 2016 में भारत और 20 अन्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया।

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष

- ⦿ कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र के 13 वें विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के रूप में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी और भूख उन्मूलन के प्रति समर्पित है।
- ⦿ 176 देश IFAD के सदस्य हैं और इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है-
 - सूची (क) विकसित देश,
 - सूची (ख) तेल उत्पादक देश और
 - सूची (ग) विकासशील देश।
- ⦿ भारत सूची (ग) में है। भारत कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD का एक संस्थापक सदस्य है।
- ⦿ इसने अब तक IFAD के संसाधनों में 14.7 करोड़ अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा

- ⦿ वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) साझा वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के उपायों के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त अनुदान और रियायती कोष प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- ⦿ GEF पात्र देशों को 5 मुख्य क्षेत्रों में अनुदान देता है: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि अवक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय जल, रसायन एवं कचरा।
- ⦿ यह जैविक विविधता पर सम्मेलन (CBD), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन (UNICCC), स्थानी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोल्म सम्मेलन (POPS), बंजर से मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी), मरकरी के विषय में मिनामाटा सम्मेलन के लिए वित्तपोषक तंत्र के रूप में भी काम करता है तथा ओजोन परत (MP) नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉनट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में भी मदद करता है।

एशियाई विकास बैंक

- ⦿ भारत एशियाई विकास बैंक (ADB) का एक संस्थापक सदस्य है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी।
- ⦿ एडीबी के 68 सदस्य हैं (49 क्षेत्रीय और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्यों सहित) और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।
- ⦿ दिसंबर 2016 तक एडीबी में भारत का 6,72,030 शेयरों के साथ 6,331% शेयर होल्डिंग तथा मताधिकार 5.363% है।
- ⦿ बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों (DMC) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के कार्य में लगा है। इस कार्य हेतु ऋण और इक्विटी निवेश, विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने की तैयारी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और अन्य सलाहकार सेवाएँ, गारंटी, अनुदान और नीति चर्चाएं इसके मुख्य यंत्र हैं।
- ⦿ भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूर्ण बाह्य ऋण प्रबंधन नीति के अंतर्गत जिसमें रियायती शर्तों पर कम व्ययशील स्रोतों से और दीर्घ परिपक्वता अवधि वाले कोष प्राप्त करने पर केंद्रित है, एडीबी से ऋण प्राप्त करता है। भारत ने 1986 में एडीबी से ऋण लेना शुरू किया।

मुद्रा एवं सिक्के

- ⦿ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है।
- ⦿ यह नौ इकाइयों-चार टकसाल, चार प्रेस (दो मुद्रा नोट प्रेस एवं

- दो प्रतिभूति प्रेस) एवं एक कागज मिल के निगमीकरण से बनी है, जो पहले वित्त मंत्रालय के अधीन थी।
- ⦿ कंपनी RBI को मुद्रा/बैंक नोट एवं सिक्के, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टांप-पत्र, डाक विभाग को डाक स्टेशनरी एवं टिकट, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट, वीजा स्टिकर एवं यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेज की आपूर्ति करती है।
 - ⦿ अन्य उत्पादों में स्मारक सिक्के, MICR एवं NON-MICR चेक आदि शामिल हैं।

नए मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करना

- ⦿ सरकार द्वारा आकार, विषय, रंग और डिजाइन के अनुमोदन के बाद 2000 रूपये मूल्यवर्ग के नए नोट जारी किए गए।
- ⦿ निर्दिष्ट बैंक नोटों को वैध मुद्रा की मान्यता खत्म किए जाने के बाद इससे तेज पुनर्मुद्रीकरण में सहायता मिली।

SBNकी वैधता की समाप्ति

- ⦿ काले धन, FICN और अन्य विभिन्न विध्वंसकारी गतिविधियों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए 8 नवंबर, 2016 के बाद 500 रूपये और 1000 रूपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों यानी निर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) की वैधता समाप्त कर दी गई थी।
- ⦿ SBN को रद्द करने को सार्विधिक समर्थन हेतु यथाशीघ्र एक अध्यादेश लाया गया था ताकि अवांछित तत्वों द्वारा समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की राह बनाने से रोका जा सके और RBI की देयता का शमन किया जा सके।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

- ⦿ भारत सरकार ने अपने आर्थिक कार्यक्रम के मूल तत्वों में से एक अवसंरचना में निवेश किया है।
- ⦿ 1992 से 2010 के दौरान अवसंरचना में भारत का औसत निवेश GDP का 4.7% था; इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों में इक्विटी के प्रवाह में कमी आई है जिससे आगे निवेश बाधित हुआ है।
- ⦿ राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का निर्माण वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में तथा रुकी हुई परियोजनाओं समेत अवसंरचना विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से इक्विटी निवेश पाने के उद्देश्य से की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौते एवं ढांचा

- ⦿ भारत सरकार ने विस्तृत आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जो वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ था, के एक भाग के रूप में अन्य देशों के साथ

द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIT)/द्विपक्षीय निवेश प्रोत्तरि एवं सुरक्षा समझौते (BIPA) करने की शुरूआत की थी।

- ⦿ BIT अनिवार्यतः एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारा हेतु एक स्वतंत्र फोरम प्रदान करते हुए व्यवहार का एक न्यूनतम मानक और सभी मामले में भेदभाव नहीं होता सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के सुविधा स्तर को बढ़ाता है और उनमें विश्वास की वृद्धि करता है।

व्यव विभाग

- ⦿ व्यव विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की देख-रेख करने वाला नोडल विभाग है।
- ⦿ यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन, ऑफिट टिप्पणियों/अवलोकनों की मॉनीटरिंग, केंद्र सरकार के खातों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है।
- ⦿ यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने में केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों, सार्वजनिक व्यव के आउटपुट और परिणामों का अनुकूलन करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में भी सहायता करता है।
- ⦿ विभाग की मुख्य गतिविधियों में शामिल है-
 - वित्तीय नियमों/विनियमों/आदेशों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रालय/विभागों में व्यव प्रबंधन की देखरेख
 - प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं की पूर्व मंजूरी का मूल्यांकन तथा राज्यों को हस्तांतरित थोक केंद्रीय बजटीय संसाधनों की हैंडलिंग
 - कार्मिक एवं स्थापना डिवीजन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का नियमन
 - पेंशन मामलों पर नीति और पदों के सृजन एवं उन्नयत तथा केडर की समीक्षा जैसे कार्मिक मामलों से संबद्ध मामलों सहित सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों (DFPR) आदि जैसे विभिन्न वित्तीय नियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

महालेखा नियंत्रक

- ⦿ वित्त मंत्रालय के व्यव विभाग के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक (CAG) भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है और तकनीकी रूप से सुदृढ़ लेखा जिम्मेवार है।
- ⦿ CAG का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यव, राजस्व, देनदारियों और विभिन्न राजकोषीय सूचकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है।
- ⦿ संविधान की धारा 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक की सलाह पर वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

- ⦿ इन दस्तावेजों के साथ 'लेखा एक नजर में' शीर्षक वाला MIS रिपोर्ट तैयार कर संसद में वितरित किया जाता है।

डिजिटलीकरण पहलें

- ⦿ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (PFMS) CAG द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित, स्वामित्व वाला तथा क्रियान्वित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।
- ⦿ PFMS का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान, प्राप्ति और लेखांकन के व्यापक नेटवर्क के स्थापना द्वारा एक समर्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पद्धति की सुविधा प्रदान करना है।
- ⦿ इसका उद्देश्य है-
 - (i) समय पर कोषों का अंतरण और
 - (ii) कोषों के जारी होने से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में इसके जमा होने तक पूरी ट्रैकिंग।
- ⦿ भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं प्राप्ति हेतु सक्षम बनाकर पीएफएमएस डिजिटल भारत पहल में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण, योगदान करता है।
- ⦿ विभिन्न राज्य सरकारों के वित्तीय आईटी पद्धतियों के साथ एकीकरण PFMS का एक मुख्य उद्देश्य है जिससे योजना कार्यान्वयन हेतु अंतरित कोषों की पूरी ट्रैकिंग और कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध वित्त के समग्र अवलोकन की सुविधा मिलेगी।

गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (NTRP) प्रारंभ करना

- ⦿ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के अलावा सरकारी राजस्व की तेज वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पद्धति का विकास किया गया है जिसके द्वारा आम जनता सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों/PSU आदि से मंत्रालयों/विभागों को प्राप्तियाँ लेने में सुविधा होगी।
- ⦿ वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने केंद्रीय सिविल पेंशनरों के लिए वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा प्रारंभ कर उनकी अधिकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- ⦿ इस आईटी पहल से पेंशन एवं भुगतान संबंधी सूचना, ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया की ट्रैकिंग और ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा तथा पेंशनरों की ट्रैकिंग सहित विभिन्न सेवा प्रदान करता है।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

- ⦿ केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) की स्थापना वर्ष 1990

में केंद्रीय (सिविल) पेंशनधारियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि के लेखा एवं भुगतान के लिए किया गया था।

- ⦿ CPAO व्यव विभाग, वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के अधीन एक सहायक कार्यालय है।
- ⦿ यह अधिकृत बैंकों के जरिए केंद्र सरकार (सिविल) के पेंशनधारियों को पेंशन के भुगतान की योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- ⦿ इसके मुख्य कार्य हैं-
 - पेंशन वितरण बैंकों के CPPC (केंद्रीय पेंशन प्रक्रिया केंद्रों) को नए पेंशन और पेंशन पुनरीक्षण मामलों में भुगतान के लिए प्राधिकृत करने हेतु स्पेशल सील ऑथोरिटीज (SSA) निर्गत करन;
 - पेंशन अनुदान और संबंधित लेखा हेतु बजट की तैयारी;
 - केंद्रीय सिविल पेंशनरों के पीपीओ और पुनरीक्षण प्राधिकारों में दर्ज सभी विवरणों वाले डाटा बैंक का अनुरक्षण;
 - केंद्रीय सिविल पेंशनरों की शिकायतों को संभालना।
- ⦿ सातवें सीपीएसी पेंशन संशोधन की ई-संशोधन उपयोगिता: सीपीएओ ने ई-संशोधन उपयोगिता विकसित की है जिसमें सीपीओज को भेजे जाने वाले सातवें सीपीसी पेंशन मामलों के संशोधन के लिए ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित संशोधन अधिकार पत्र भेजना भी शामिल है। इस सुविधा का इस्तेमाल केंद्र नागर मंत्रालयों/विभागों के 600 भुगतान एवं लेखा कार्यालय कर रहे हैं।
- ⦿ सीपीएओ पेंशन हेतु अधिकार प्राप्त सभी 24 बैंकों के 39 सीपीसीसी (केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्र) को डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक विशेष सील प्राधिकार (E-SSA) उपलब्ध करा रहे हैं। इस सेवा के आधार पर लिखित शब्द सीमा पीएओज से सीपीएओ तक और सीपीओ से बैंकों तक सीमित रह गई है।
- ⦿ ऑनलाइन पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स नंबर आंवटन: वर्ष 2016 से केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग (CPAO) ने वेतन और लेखा कार्यालय की सीपीएओ वेबसाइट पर ऑनलाइन पीपीओं नंबर आवंटन की सुविधा आंरभ की है ताकि कागज आधारित पीपीओ नंबरों के आवंटन की आवश्यकता न पड़े।
- ⦿ इसके आधार पर कागजी कार्य कम और कार्य प्रक्रिया पहले से तेज हो सकेगी। इसकी मदद से समय और डाक खर्च की भी बचत होगी।
- ⦿ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान (E-PPO)): केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) द्वारा कागज रहित कार्यप्रणाली हेतु पेंशन के लिए 24 आधिकारिक बैंकों के 39 केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्रों को प्रस्तावित डिजिटलीकृत हस्ताक्षरित ई-विशेष सील प्राधिकार

कार्यरत है। साथ ही, सभी सीपीपसीसीज अपने एसटीटीपी सर्वरों में नए तथा संशोधित पेंशन मामलों के डिजिटल हस्ताक्षरित विशेष सील प्राधिकार प्राप्त कर रहा है।

- ⦿ वेब रिस्पासिव पेंशनर्स सेवा (WRPS): भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऑनलाइन अवसरंचना में सुधार के जरिए तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाया जाए।
- ⦿ यह कार्य सुरक्षित एवं स्थायी डिजिटल अवसरंचना; सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्रारूप में; वृहद डिजिटल शिक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है।
- ⦿ CPAO की सोशल मीडिया उपस्थिति: पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को बेहतर सेवा और उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के फेसबुक, टिकटोक और यूट्यूब पर आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए हैं।
- ⦿ पेंशनधारी को CPAO से संपर्क करने के लिए यह नवीनतम तरीके हैं।
- ⦿ पेंशनधारकों एवं अन्य लाभार्थियों को ई-संशोधन उपयोगिता के लिए WRPS सुविधा के बेहतर इस्तेमाल हेतु कई शिक्षाप्रद वीडियो भी बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

- ⦿ राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (NIFM) की स्थापना वर्ष 1993 में एक पंजीकृत सोसायट के तौर पर की गई।
- ⦿ केंद्र के केबिनेट में विचार किया गया कि NIFM, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भर्ती किए गए और सरकार में लेखा एवं वित्त से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ एवं उच्च प्रबंधकीय पदों पर तैनात किए गए अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान होगा।
- ⦿ संस्थान का लक्ष्य ना सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में वित्तीय प्रबंधन एवं संबंधित विधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर विकसित होना है।
- ⦿ संस्थान संकाय की योग्यता तथा क्षमता के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करता है।
- ⦿ वर्तमान में यह संस्थान AICTE द्वारा अनुमोदित 5 दीर्घावधि कार्यक्रम संचालित करता है;
- ⦿ लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन नए चयनित व्यक्तियों हेतु वर्ष का पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा; सरकारी वित्त प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम;

- ⦿ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के अधीन अन्य संगठनों के अधिकारियों हेतु प्रबंधन में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय प्रबंधन) सक्षम शोध कर्ताओं, शिक्षकों और सलाहकारों के निर्माण हेतु प्रबंधन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय बाजार)।

डिजिटलीकरण पहलें

- ⦿ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (PFMS) CGA द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित, स्वामित्व वाला तथा क्रियान्वित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।
- ⦿ PFMS का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान, प्राप्ति और लेखांकन के व्यापक नेटवर्क के स्थापना द्वारा एक समर्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पद्धति की सुविधा प्रदान करना है।
- ⦿ इसका उद्देश्य-
 - (i) समय पर कोषों का अंतरण और
 - (ii) कोषों के जारी होने से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में इसके जमा होने तक पूरी ट्रैकिंग। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं प्राप्ति हेतु सक्षम बनाकर PFMS डिजिटल भारत पहल में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण, योगदान करता है। विभिन्न राज्य सरकारों के वित्तीय IT पद्धतियों के साथ एकीकरण PFMS का एक मुख्य उद्देश्य है जिससे योजना कार्यान्वयन हेतु अंतरित कोषों की पूरी ट्रैकिंग और कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध वित्त के समग्र अवलोकन की सुविधा मिलेगी।
- ⦿ गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (NTRP) प्रारंभ करना: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के अलावा सरकारी राजस्व की तेज वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पद्धति का विकास किया गया है जिसके द्वारा आम जनता सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों/PSU आदि से मंत्रालयों/विभागों को प्राप्तियां लेने में सुविधा मिलेगी।
- ⦿ वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा (WRPM) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने केंद्रीय सिविल पेंशनरों के लिए वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा प्रारंभ कर उनकी अधिकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- ⦿ इस आईटी पहल से पेंशन एवं भुगतान संबंधी सूचना, ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया की ट्रैकिंग और ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा तथा पेंशनरों की ट्रैकिंग सहित विभिन्न सेवा प्रदान करता है।

सामान्य वित्तीय नियमों का पुनरीक्षण

- ⦿ सामान्य वित्तीय नियम सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों से संबंधित नियम एवं आदेश हैं।

- ➲ सामान्य वित्तीय नियम पहली बार 1947 में, वित्तीय मामलों से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों और अनुदेशों को एक साथ लाकर, जारी किए गए थे।
- ➲ इनमें क्रमशः संशोधन कर इन्हें GFR 1963 और GFR 2005 के रूप में जारी किया गया।
- ➲ सेवाओं की समयानुसार डिलीवरी की सुविधा में जरूरी लचीलापन प्रदान करते हुए राजकोषीय प्रबंधन की उन्नत, दक्ष और प्रभावकारी फ्रेमवर्क में सक्षमता हेतु सामान्य वित्तीय नियम-2017 जारी किया गया।
- ➲ विगत कुछ वर्षों में सरकार ने अपने व्यवसाय संचालन के तरीकों में कई अभिनव बदलाव किए हैं।
- ➲ गैर-योजना और योजना व्यय में अंतर को हटाया, रेलवे बजट को सामान्य दस्तावेज के माध्यम से परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना जैसे सरकारी बजट में सुधार इन सभी का GFR में परिलक्षित होना जरूरी है।
- ➲ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (PFMS) पर ज्यादा ध्यान, अधिकारों का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना पर भरोसा, केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटिंग (GEM) पोर्टल, गैर-कर राजस्व पोर्टल जैसे नए ई-साइटों के लागू होने से भी वर्तमान GFRS के पुनरीक्षण की जरूरत हुई ताकि बदलते व्यावसायिक वातावरण के साथ सामंजस्य रखा जा सके।
- ➲ इसका उद्देश्य था GFR को जवाबदेही के सिद्धांतों और वित्तीय अनुशासन तथा यथेष्ट प्रशासनिक तत्परता की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दक्षता बनाए रखना।
- ➲ स्वशासी निकायों को चलाने के तरीकों के अतिरिक्त गैर-कर राजस्वों, उपयोग प्रभारों, ई-प्राप्ति पोर्टल पर नए नियम जोड़े गए थे।

राजस्व विभाग

- ➲ राजस्व विभाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी राजस्व मामलों के संबंध में दो वैधानिक निकायों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के माध्यम से नियंत्रण रखता है।
- ➲ यह विभाग केंद्रीय बिक्री कर, स्टांप ड्यूटी और अन्य संबंधित राजकोषीय विधियों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियामक उपायों को लागू करने तथा प्रशासन संबंधी कार्य भी करता है।
- ➲ यह विभाग अफीम का उत्पादन और इसके उत्पादों के निष्पादन पर भी नियंत्रण रखता है।

वस्तु एवं सेवा कर

विधायी विकास

- ➲ राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) का प्रस्ताव सर्वप्रथम 2006-07 में पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन 2016 में किया गया था।
- ➲ वर्तमान में GST परिषद GST संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है।
- ➲ केंद्रीय GST बिल 2017;
- ➲ एकीकृत GST बिल 2017;
- ➲ GST (राज्यों को क्षतिपूर्ति) बिल 2017;
- ➲ पारित कर देश में GST जुलाई 2017 में लागू किया गया था।
- ➲ इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय निर्माणों (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे सामान्यतः प्रतिकारी शुल्क जाना जाता है।
- ➲ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और केंद्रीय अधिप्रभारों एवं चुगियों में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति से संबद्ध है को सम्मिलित करना;
- ➲ वस्तुएँ एवं सेवाओं के अंतर्ज्यीय के लेन-देन पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाना;
- ➲ वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत मानव खपत हेतु अल्कोहॉलिक शराब के अतिरिक्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का वित्त शामिल करना।
- ➲ पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में यह प्रावधान है कि इन वस्तुओं को GST के दायरे में GST की अनुशंसा पर अधिसूचित तिथि तक नहीं रखा जाएगा।
- ➲ संसद एवं राज्य विधानसभाओं को वस्तु एवं सेवा कर को संचालित करने वाले नियमों को बनाने हेतु समर्वती शक्ति प्रदान करना।
- ➲ वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई जिसकी अवधि 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रत्यक्ष कर

- ➲ केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा बनाया गया केंद्रीय प्रत्यक्ष का बोर्ड (CBDT) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व वाला शीर्ष निकाय है।

- ➲ यह आयकर विभाग (ITD) का केंद्र नियंत्रक प्राधिकारी होता है।
- ➲ आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे सीबीडीटी ने आयकर विभाग के विस्तृत कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है।
- ➲ इस कार्यक्रम का लक्ष्य है करदाता अनुकूल क्षेत्र की स्थापना, कर-आधार में वृद्धि करना, पर्यवेक्षण में सुधार और सरकार के लिए अधिक राजस्व पैदा करना।
- ➲ करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन और बिना हस्तक्षेप वाला और गैर-विरोधात्मक कर प्रशासन के सृजन को बढ़ाने का प्रयास है।

राजस्व संग्रह

- ➲ प्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रह निरंतर बढ़ रहा है। उन्नत कर प्रशासन और बेहतर कर अनुपालन के परिणाम स्वरूप एक निर्धारित अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह में सकारात्मक झुकाव दिख रहा है।
- ➲ वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान 8,49,818 करोड़ रुपये (अनंतिम) की राशि का संग्रह हुआ था। जिसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष के संग्रह रुपये 7,41,945 करोड़ से लगभग 14.54% थी।
- ➲ वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सितंबर 2017 तक प्रत्यक्ष करों का कुल संग्रह 3,86,274 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में संग्रह 3,33,68 करोड़ रुपये था।
- ➲ विगत 5 वर्षों के दौरान करदाताओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और निर्धारण वर्ष 2012-13 के 4.72 करोड़ से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में 6.43 करोड़ (अनंतिम) हो गया है।

ई-गवर्नेंस पहलें

पैन (PAN)

- (i) **स्थायी खाता संख्या (PAN):** स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग द्वारा करदाताओं और इसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवंटित कियाजाने वाला 10 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक संख्या है। स्थायी खाता संख्या (PAN) विभाग को किसी व्यक्ति के सभी लेन-देन को लिंक करने में सक्षम बनाता है।

पैन के माध्यम से जोड़े गए लेन-देन में भुगतान, TOSQ/TCS क्रेडिट, आय/संपत्ति के रिटर्न, विशिष्ट लेन-देन, पत्राचार आदि। इस तरह पैन आयकर विभाग के लिए किसी व्यक्ति हेतु पहचानकर्ता का काम करता है।

- (ii) **सामान्य व्यावसायिक पहचान संख्या (CBIN/BIN):** पैन के पहचानकर्ता की भूमिका अब आयकर विभाग से बाहर भी फैल गई है क्योंकि अब इसकी जरूरत बैंक खाता खोलने, डी मैट

खाता खोलने, सेवा कर हेतु पैंजीकरण प्राप्त करने, बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क पैंजीकरण आदि के लिए भी है।

- (iii) **एक व्यक्ति एक (PAN):** आयकर विभाग किसी एक व्यक्ति को एक ही पैन रखने की अनुमति देता है।

डुप्लीकेट (PAN) निर्गत होने के रोकने के लए 'फोनेटिक मैचिंग एल्गोरिद्धम' वाले सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा डाटा के प्रतिलिपिकरण की जाँच की जाती है।

आधार नामांकन के माध्यम से संग्रहित बायोमीट्रिक डाटा का फायदा उठाने के क्रम में आधार कार्ड को पहचान के वैध प्रमाण (POI), जन्म तिथि के प्रमाण (PDOB) और पते का प्रमाण (POA) आयकर नियम 1962 के अंतर्गत पैन के आंवटन हेतु दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया था।

- (iv) **पैन सेवा प्रदाता:** पैन से जुड़ी सेवाएँ जैसे पैन आवेदन-पत्र प्राप्त करना, जमा किए गए दस्तावेजों की जाँच, पैन आवेदन-पत्र का डिजीटलीकरण, डाटा की NCC (राष्ट्रीय कंप्यूटर केंद्र) पर अपलोडिंग, पैन कार्डों की छपाई और पैन कार्डों को भेजना को ऐन सेवा प्रदाता मेसर्स UTIITSL और मेसर्स NSDLE गौण को आउटसोर्स किया गया है।

- (v) **पैन सत्यापन सुविधा:** पैन सत्यापन सुविधा CBDT के ई-फाइलिंग सर्वर के माध्यम से इंटरनेट द्वारा सरकारी विभागों को प्रदान किया जाता है।

- (iv) **शिकायत निवारण मशीनरी:** पैन से संबंधित शिकायत निवारण मशीनरी पूर्णतः स्पष्ट है।

पैन से संबंधित कोई शिकायत जब भी प्राप्त होती है उसे दिशानिर्देश और वर्तमान अनुदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने सहित उचित कार्रवाई की जाती है। केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग पद्धति के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।

पैन से जुड़ी सभी शिकायतें CGRAMS के वेबसाइट से डाउनलोड की जाती हैं और उनकी जाँच के बाद निदेशालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

नई पहलें

- (क) **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) का ई-बिज पोर्टल के साथ एकीकरण**

- ➲ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ई-बिज कार्यक्रम एक मिशन मोड परियोजना है, जो निवेशकों को लाइसेंसिंग, पर्यावरण एवं भूमि मंजूरी, स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से अनुमोदन जैसी एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है।

- ३ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) का ई-बिज पोर्टल के साथ पैन एवं टैन सेवा का L1 L3 एकीकरण पूरा कर लिया गया है।

(ख) MCA पोर्टल के साथ एकीकरण

- ३ एमसीए पोर्टल पर सामान्य एप्लीकेशन प्रपत्र 'स्पाईस' (INC 32) के प्रयोग द्वारा नई कंपनियों के पैंजीकरण की प्रक्रिया के साथ पैन एवं टैन प्रक्रियाओं को एकीकृत कर दिया गया है।
- ३ पैन एवं टैन का आवंटन MCA पोर्टल से प्रपत्र 49A और 49B में आवेदन डाटा प्राप्त होने के समय से चार घंटे के टर्न अरांड समय (TAT) में किया जा रहा है।
- ३ इस प्रक्रिया द्वारा नई कंपनियों के समावेशन का प्रमाण-पत्र पर CIN के साथ पैन भी छापा जा रहा है।

(ग) OsQC और ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए कागज विहीन आवेदन

- ३ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र और आधार आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए पैन के आवेदन हेतु ऑनलाइन पेपर लेस प्रक्रिया दोनों सेवा प्रदाताओं मेसर्स NSDL और मेसर्स UTIITSLS के बेबसाइटों पर प्रारंभ किया गया है।
- ३ इस प्रक्रिया के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र या ई-सिग्नेचर वाला कोई व्यक्ति पैन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 49A द्वारा आवेदन कर सकता है।
- ३ पहचान के प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण की स्केन की गई प्रतियों के साथ फोटो ओर हस्ताक्षर सहित डिजिटली हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड कर सकता है।

(घ) आधार आधारित ई-केवार्ड्सी का उपयोग करते हुए पेपरलेस आवेदन

- ३ आधार डाटा और आवेदन के फोटो का उपयोग करते हुए पैन के आवंटन हेतु दूसरी पेपरलेस प्रक्रिया आरंभ की गई है।
- ३ इस प्रक्रिया को E-KYC प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक द्वारा सीधे आधार डाटाबेस से आवेदक का जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो लिया जाता है।

(ङ) e-PAN कार्ड

- ३ सभी नए आवेदकों और कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को अब ई-आधार के तर्ज पर ई-मेल द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित ई-पैन कार्ड प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है। इस पहल से डाक द्वारा पैन कार्ड के प्रेषण के समय में कमी आई है।

(च) सामान्य सेवा केंद्र

- ३ देश के दूर-दराज क्षेत्रों में पैन आवेदन प्राप्त करने के लिए पैन सेवा प्रदाताओं मेसर्स UTIITSLS और मेसर्स NSDLGOV के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (ग्राम स्तरीय उद्यम) को नामांकित किया गया है।

आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

- ३ आयकर रिटर्नों की ई-फाइलिंग सर्वप्रथम 2006-07 में निगमों हेतु शुरू की गई थी।
- ३ ई-फाइल्ड रिटर्नों की संख्या वित्त वर्ष 2006-07 के लगभग 4 लाख के बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 में 5.28 करोड़ हो गई है।
- ३ यह सुविधा करदाताओं के लिए निःशुल्क है।
- ३ विभाग में फाइल किए गए कुल रिटर्नों का लगभग 98% ई-रिटर्न है।

व्यावसायिक प्रक्रियाओं की आईटी सक्षमता

- ३ कर प्रशासन के अंतर्गत व्यावसायिक प्रक्रियाओं की रि-इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो कर्मचारियों को सुसंगत और सक्षम रूप से परिणामों की डिलीवरी में समर्थ बनाता है।
- ३ आयकर विभाग के सभी आंतरिक प्रक्रियाओं के कंप्यूटीकरण हेतु नए एप्लीकेशन के विकास के साथ ही आयकर व्यावसायिक एप्लीकेशन (ITBA) की परिकल्पना की गई थी।
- ३ ITBA का मुख्य उद्देश्य सभी आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ई-समर्थ बनाना है ताकि निर्णय लेने और रिपोर्टिंग, पत्राचार और आंतरिक अनुमोदनों में परिश्रम को कम करने हेतु सूचना और कार्य को एक ही स्थान पर लाकर अधिकारी और कर्मचारी अपनी दक्षता बढ़ाने में समर्थ हो पाएँ।

प्रमुख नागरिक उपयोगी पहलें

आयकर सेवा केंद्र

- ३ दूसरी ARC के 12 रिपोर्ट का लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नागरिक केंद्रित शासन है।
- ३ आयकर सेवा केंद्र (ASK) आयकर विभाग के सिटिजन चार्टर के कार्यान्वयन हेतु सिंगल विंडो पद्धति और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु एक तंत्र है।
- ३ ASK में प्राप्त सभी पत्रों और रिटर्नों का नियमित निष्पादन अनिवार्य है जिसकी मॉनिटरिंग और समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जा सकती है।

आयकर सेतु

- ➲ स्मार्ट फोन का उपयोग दिनानुदिन बढ़ रहा है। आयकर दाता की सेवाओं और मोबाइल ड्वाग पहुँच के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप (Android/IOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और आयकर दाता सेवाओं (TPS) के अनुभाग का राष्ट्रीय वेबसाइट पर एक उत्तरदायी संस्करण ‘आयकर सेतु’ 2017 में आरंभ किया गया है।
- ➲ आयकर सेतु से आयकरों के ऑनलाइन भुगतान, करों की गणना, ई-निवारण मोड्यूल के जरिए शिकायतों का निवारण, कर ज्ञान, TOsQ/ट्रेसेज और अन्य विशिष्टताओं की सुविधा होगी।
- ➲ TOइ SMS चेतावनी योजना

प्रचार अभियान

- ➲ विगत कई वर्षों से विभाग ने अपनी संवाद रणनीति में बदलाव द्वारा शुद्ध प्रवर्तन एजेंसी की बजाए करदाता सुविधा प्रदाता, सेवा प्रदाता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की स्वीकृति संबंधी संवाद को प्रभावी रूप से लागू किया है।
- ➲ वित्त वर्ष 2016-17 में बहुत सारे प्रचार अभियान चलाए गए। जिनमें अग्रिम कर के भुगतान की निर्धारित तिथि, रिटर्नों को फाइल करना, TOइ विवरणों की फाइलिंग और TOइ प्रमाण-पत्रों को जारी करना, वार्षिक सूचना रिटर्न की फाइलिंग, टीआरपी की सेवाओं, सतर्कता जागरूकता सत्ता, आय घोषणा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, विमुद्रीकरण और पुराने बकायादारों के नामों का प्रकाशन जैसे जागरूकता अभियान।

सोशल मीडिया

- ➲ विभाग ने दिसंबर 2015 से सोशल मीडिया के माध्यम से अनुमोदित सोशल मीडिया नीति के अनुसार सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू किया गया है।
- ➲ केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) का कार्य सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर लगाने और उनका संग्रह करने, तस्करी रोकने और शुल्कों के अपवर्चन से संबंधित नीति बनाने और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों से संबंधित है।
- ➲ CBEC के मुख्य उद्देश्य हैं: अप्रत्यक्ष कर राजस्वों का संग्रह, करदाता सेवाओं में सुधार, निष्पक्ष व्यापार हेतु अनुपालन में सुधार तथा सीमा नियंत्रणों को लागू करना और दक्षता तथा पारदर्शिता को उन्नत करना और ऐसे उद्देश्यों हेतु मानव संसाधनों का विकास।
- ➲ CBEC में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।

विवाद निपटारा एवं अपील

- ➲ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अधिकारियों के पास सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सेवा कर नियमों (वित्त अधिनियम, 1944) के अंतर्गत मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है।
- ➲ आयुक्त (अपील) वाली अपीलीय तंत्र सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद के आयुक्त से नीचे रैंक वाले अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हैं।
- ➲ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण, CESTAT (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तों हेतु एक स्वतंत्र मंच है और आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दूसरा अपील है।

सीमा शुल्क

- ➲ भारतीय सीमा शुल्क EDI पद्धति (IIS) एक EDI आधारित कार्य प्रवाही एप्लीकेशन है जो
 - (i) आयात एवं निर्यात घोषणाओं/मालसूचियों की फाइलिंग और प्रोसेसिंग,
 - (ii) चुने गए मालों का प्रणाली मूल्यांकन,
 - (iii) माल निकासी के प्रभारी और अन्य संबद्ध एजेंसियों के साथ संदेश का आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने में सक्षम बनाता है।
- ➲ 214 स्थानों पर कार्यालय ICEL के दायरे में सामग्रीबार देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 98% से अधिक और मूल्यवार 90% आता है।
- ➲ 2016 में 6 मुख्य भागीदार सरकारी एजेंसियों (PGA) के साथ सीमा शुल्क EDI स्थलों पर व्यापार को सुविधा प्रदान करने हेतु एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) को आयातित मालों की निकासी हेतु एकमात्र स्थल, इंटरफेस के रूप में प्रारंभ किया गया।
- ➲ स्विफ्ट आवेदकों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक ‘एकीकृत घोषणा’ हेतु सक्षम बनाता है।
- ➲ जिसमें सीमा शुल्क, FSSI, पादक संगरोधन, पशु संगरोधन, ड्रग नियंत्रक वन्य जीवन नियंत्रण ब्योरों और वस्त्र समिति की जरूरतों के अनुसार सूचनाएँ संग्रहित होती हैं।
- ➲ इससे इन एजेंसियों के 9अलग-अलग प्रपत्रों को हटा दिया गया है।

CBEC-GST आवेदन

- ➲ GST की व्यवसाय प्रक्रियाओं यथा, पैंजीकरण, रिटर्न, भुगतान

- और वापसी GSTN द्वारा प्रबंधित समान www.gst.gov.in से प्रदान किया जाता है। अनुकूलन बैंक एंड प्रक्रियाएँ प्रदान करने हेतु चरणबद्ध रूप में सीबीईसी-जीएसटी एप्लीकेशन का डिजाइन विकास कर उसे लगाया जा रहा है।
- ⦿ इसके अतिरिक्त व्यापार और विभागीय उपयोकर्ताओं दोनों के लिए आवश्यकतानुसार CBEC-GST एप्लीकेशन पर यूजर इंटरफेस के साथ पूरक व्यवसाय प्रक्रियाओं जैसे-आकलन, लेखा परीक्षा, न्यायिक निर्णय आदि को भी डाला जा रहा है।
 - ⦿ इसके लिए CBEC-GST सर्वर प्राप्ति, भंडारण, API डाटा की प्रोसेसिंग विभागीय उपयोगकर्ता के लिए डाटा का प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट निकालना, MIS और विश्लेषण यंत्रों जैसे उच्चस्तरीय गतिविधियों से लैस है।

उद्यम डाटा वेयरहाउस

- ⦿ CBEC उद्यम डाटा वेयरहाउस को सर्वप्रथम क्रियान्वित करने वाले सरकारी विभागों में से एक है।
- ⦿ यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित वास्तविक समय के करीब एक साफ और अनुरूप केंद्रीय भंडार है।

प्रवर्तन निदेशालय

- ⦿ प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में नई दिल्ली में की गई थी।
- ⦿ फेरा, 1947 को बाद में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 से बदल दिया गया था।
- ⦿ फेरा एक आपराधिक अधिनियम था जिसमें निर्णय देने वाले अधिकारियों द्वारा उल्लंघनों पर निर्णय देने के अलावा अदालत में अभियोजना पक्ष के दाखिल होने का प्रावधान था।
- ⦿ फेरा को वर्ष 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) से बदल दिया गया। बाद में निदेशालय को प्रिवेशन ऑफ मनीलॉर्डिंग एक्ट, 2002 (PMLA), जो 2005 में प्रभाव में आया, के उत्तरदायित्वों के कार्यान्वयन का काम भी सौंपा गया था।
- ⦿ वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय दो कानूनों यथा-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) और काले धन को वैध करने की रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) को लागू करने के अलावा फेरा के अंतर्गत प्रारंभ किए गए बचे हुए कार्य भी देख रहा है।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत

- ⦿ वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) संदिग्ध वित्तीय

लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रोसेसिंग, विश्लेषण करने और प्रसार हेतु केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।

- ⦿ (FIU-IND) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अवैध धन को वैध बनाने, संबंधित अपराधों और आंतकवादियों के वित्तपोषण का सामना करने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय नेटवर्क हेतु की गई थी।
- ⦿ यह एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री के नेतृत्व वाले आर्थिक आसूचना परिषद (IEC) को रिपोर्ट करती है।
- ⦿ प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु FIU-IND वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है।
- ⦿ एफआईयू-आईएनडी की स्थापना एक प्रशासनिक FIU के रूप में की गई है यानी-विश्लेषणों को पाने वाले और समुचित कानूनी प्रवर्तन या अन्वेषण एजेंसी को STR का प्रसार करने वाले एक स्वतंत्र सरकारी निकाय के रूप में (FIU-IND) मामलों का अन्वेषण नहीं करता है।
- ⦿ FIU-IND के मुख्य कार्यों के घरेलू सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आउटटरीच, अनुरोध करने एवं फीडबैक देने सहित फाइलिंग, विश्लेषण और सूचना के प्रसार हेतु पूरा समाधान देते हुए सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म (FIN NET) का अनुपालन और प्रशासन शामिल है।

नशीले पदार्थों का नियंत्रण

- ⦿ नशीले पदार्थों का नियंत्रण डिवीजन नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अधिनियम 1985 को लागू करता है।
- ⦿ यह अधिनियम चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, धारण, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, खपत, अंतर्राष्ट्रीय आयात, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात का निषेध करता है।

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील

- ⦿ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) की स्थापना क्रमशः सीमा शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त/आयुक्त (अपील) द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई हेतु अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में की गई थी।
- ⦿ प्रतिपालन मामलों में अधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और ऐसे मामलों की सुनवाई अध्यक्ष, CESTET की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ द्वारा की जाती है।

- ➲ अधिकरण का मुख्यालय और प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रीय शाखाएँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में हैं, जिनके अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं।
- ➲ जहाँ दिल्ली और मुंबई दोनों की चार-चार पीठें हैं, चेन्नई, में 2 पीठ और अन्य स्थानों पर एक-एक पीठ है। इस न्याधिकरण की सभी पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होते हैं।

वित्तीय सेवा विभाग

- ➲ वित्तीय सेवा विभाग (DFS) मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और वित्तीय संस्थानों से संबंध नीतिगत मुद्दों हेतु उत्तरदायी है, जिसमें पीएसबी और वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (MD एवं CEO), कार्यकारी निदेशकों (ED), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (CMD) की नियुक्ति, विधायी मामले, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध शामिल हैं।
- ➲ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), कृषि, वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और ग्रामीण कृषि साख से जुड़े मामलों हेतु भी विभाग उत्तरदायी है।
- ➲ यह विभाग सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऋण के प्रवाह की सुविधा पर केंद्रित अन्य लक्षित योजनाएँ, बीमा क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों से जुड़े मामले, विभिन्न बीमा अधिनियमों के प्रशासन को भी प्रशासित करता है।
- ➲ भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) से जुड़े मामले, नई पेंशन योजना (NPS) सहित पेंशन सुधारों से जुड़े मामले, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि से संबंधित विधायी एवं अन्य मुद्दे भी विभाग देखता है।
- ➲ इसमें पेंशन और औद्योगिक वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम भी शामिल हैं। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण सांविधिक मण्डल है जो इस विभाग के अंतर्गत भी काम करता है।
- ➲ भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, जो भारतीय रूपये की मुद्रा संबंधी नीति को नियन्त्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय अधिनियम, 1934 के अनुसार संचालन शुरू किया। 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, RBI को 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया।
- ➲ RBI के चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 4 आंचलिक कार्यालय हैं। पूरे भारत में 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप-कार्यालय हैं।
- ➲ क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, देवास, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना देहरादून और तिरुवनंतपुरम में हैं और उप-कार्यालय अगरतला, आइजॉल, देहरादून, गंगटॉक, इफाल, पणजी, रायपुर, रांची, शिलौना, शिमला और श्रीनगर में स्थित हैं।
- ➲ केंद्रीय बैंक के रूप में, RBI भारत का एक शीर्ष स्वंत्र वित्तीय प्राधिकरण है जो बैंकों को नियंत्रित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार संग्रहण जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।
- ➲ केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण वित्तीय शीर्ष संस्था है और सभी देशों में केंद्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं।
- ➲ फिर भी वे आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था के विकास के लक्ष्य के साथ गतिविधियों और कार्यों का निष्पादन करते हैं।
- ➲ RBI देश की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बैंक एशियाई समाशोधन संघ का सदस्य है।
- ➲ 21 सदस्य केंद्रीय निदेशक मंडल, राज्यपाल, चार उप-गवर्नर, वित्त मंत्रालय के दो प्रतिनिधि, महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित 10 सरकारी निदेशक और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली मुख्यालयों के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 निदेशक RBI का सामान्य अधीक्षणा और नीतियों का संचालन करते हैं।
- ➲ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर्थिक नीति की देख-रेख, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, सरकार के लिए एक बैंक के रूप में और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कई कार्यों को निष्पादित करता है।
- ➲ यह देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए भी काम करता है।
- ➲ RBI का प्राथमिक उद्देश्य, वित्तीय क्षेत्र का संगति पर्यवेक्षण करना है जिसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियाँ शामिल हैं।
- ➲ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, रिजर्व बैंक को देश की भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार देता है।
- ➲ RBI की भूमिका, सकुशल, सुरक्षित और निपुण भुगतान और निपटान तंत्र के विकास और कार्यकलाप पर केंद्रित है।

- ➲ भुगतान की दो प्रणालियां, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) और तत्काल सकल निपटान (RTGS), व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों को एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है।
- ➲ इन सुविधाओं का उपयोग केवल देश के भीतर धन हस्तांतरण के लिए ही किया जा सकता है।
- ➲ अधिक विस्तृत अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण और इस सेगमेंट को विनियमित और प्रबंधित करने में RBI ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश के विदेशी मुद्रा और स्वर्ण प्रबंधित करता है।
- ➲ RBI भारत में मुद्रा जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है। मुद्रा जब परिसंचरण के लिए उपयुक्त नहीं होती तो बैंक उसे वहीं नष्ट कर देता है।
- ➲ केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सभी पैसे इसकी मौद्रिक देयता है, यानी केंद्रीय बैंक कागज मुद्रा में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने के लिए, समान मूल्य की संपत्तियों के साथ मुद्रा को वापस करने के लिए बाध्य है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, सहकारी ऋण योजना के वैकल्पिक सुजन हेतु और ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त सांस्थानिक ऋण सुनिश्चित करने हेतु की गई थी।
- RRB भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों के संयुक्त स्वामित्व में है, इसकी जारी पूँजी क्रमशः 50%, 15% और 35% के अनुपात में है।

किसान क्रेडिट कार्ड

- कच्चे माल की खरीद समेत कृषि संबंधी सभी आवश्यकताओं को लचीले, सुविधाजनक एवं किफायती तरीके से पूरा करने के लिए किसानों को बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण आपूर्ति की अनूठी प्रणाली किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना 1998-99 में आरंभ की गई थी।
- योजना सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है।
- KCC कृषि ऋण प्रदान करने की सबसे प्रभावी योजना है। सहकारी बैंकों एवं आरआरबी के संबंध में योजना की निगरानी नाबार्ड करता है और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में आरबीआई निगरानी करता है।

- ➲ इसका उद्देश्य बैंक नोट जारी करना है और मुद्रा को बनाए रखना और पर्याप्त सार्वजनिक आपूर्ति करना है तथा देश के क्रेडिट सिस्टम को इसका सबसे अच्छे लाभ का इस्तेमाल करने के लिए और भंडार बनाए रखना है।
- ➲ रूपयों की प्रिंटिंग के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (SPMCIL), भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने नासिक, महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए हैं।
- ➲ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने भी कर्नाटक के मैसूर में प्रिंट प्रेस और पश्चिम बंगाल की सालबोनी में स्थापना की है।
- ➲ SPMCIL के पास मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में चार टक्साल हैं।
- ➲ RBI ने बाजार में नकली मुद्रा की समस्या को रोकने के लिए, लोगों के बीच नकली नोटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वेबसाइट www.paisabolhai.rbi.org.in लॉन्च की है जो नकली मुद्रा की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष

- ➲ 1995-96 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने नाबार्ड द्वारा संचालित होने वाला कोष ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) स्थापित किया, जिसे कृषि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/दुर्बल क्षेत्रों में ऋण में से देश के अंदर संचालित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास बची राशि जमा कराकर नाबार्ड में ही स्थापित किया गया।
- ➲ उसके बाद से यह कोष काम कर रहा है और इसके लिए आवंटन प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट में कर दिया जाता है।

बीमा

- ➲ वित्त क्षेत्र के अनन्य अंग के तौर पर बीमा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ➲ मृत्यु, संपत्ति और दुर्घटना से जुड़े खतरों से बचाने के अलावा, यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और संस्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- ➲ साथ ही, बचत के अलावा देश के अवसंरचनात्मक विकास और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराता है।
- ➲ इस क्षेत्र में कार्य करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ हैं:
 - (1) जीवन बीमा निगम;
 - (2) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
 - (3) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;

- (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
- (5) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
- (6) जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- (7) एप्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

भारतीय जीवन बीमा निगम

- ⦿ भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना संसद के भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा की गई थी। LIC बीमा अधिनियम, 1938, LIC अधिनियम, 1956, LIC नियमन, 1959 और बीमा नियामकीय एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अनुसार कार्य करता है।
- ⦿ 31 मार्च, 2016 को देश में एलआईसी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालय, 2048 शाखा कार्यालय, 73 ग्राहक क्षेत्र, 1401 सुदूर कार्यालय तथा 1240 लघु कार्यालय हैं।

प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना

- ⦿ सरकार ने 60 वर्ष और अधिक आयु के बुजुर्गों की व्याज आधारित आय को बाजार की अनिश्चितता से बचाने और वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना (PMVY) का शुभारंभ किया है।
- ⦿ यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए अमल में लाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 10 वर्षों तक प्रतिमाह की दर से देय सालाना 8% भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
- ⦿ 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक के एक वर्ष की अवधि के दौरान यह योजना ग्राहकी शुल्क के लिए खुली रही थी।
- ⦿ 2018-19 के आम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना को 31 मार्च, 2020 तक के लिए पारित किया और प्रति परिवार रूपये 7.5 लाख तथा प्रति वरिष्ठ नागरिक रूपये 15 लाख की अधिकतम क्रय सीमा बढ़ा कर निश्चित कर दी।

आम आदमी बीमा योजना

- ⦿ समाज के दुर्बल वर्गों के लाभ हेतु भारत सरकार ने उच्च सब्सिडी वाली बीमा योजना 'आम आदमी बीमा योजना' (AABY) आंरभ की है, जिसका संचालन LIC करती है।
- ⦿ सामाजिक सुरक्षा की इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे एवं गरीबी की रेखा में आंशिक ऊपर के नागरिकों को 48 चिह्नित व्यवसायों के भीतर कवर किया जाता है।
- ⦿ प्राकृतिक मृत्यु होने पर योजना 30,000 रूपये की बीमा राशि देती है।
- ⦿ दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता (दो आंखें/दो पाँव या हाथ गंवाना) होने पर नामित व्यक्ति अथवा लाभार्थी

को 75,000 रूपये एवं आंशिक पूर्ण विकलांगता (1 आंख/1 हाथ या पाँव गंवाना) होने पर 37,500 रूपये दिए जाएंगे।

- ⦿ ये सभी लाभ 200 रूपये प्रति सदस्य प्रतिवर्ष के मामूली प्रीमियम पर मिल रहे हैं, जिसमें से 100 रूपये केंद्र सरकार, LIC द्वारा संभाले जा रहे सामाजिक सुरक्षा कोष से वहन करेगी और 100 रूपये की शेष प्रीमियम राशि का सदस्य एवं/अथवा नोडल एजेंसी और/अथवा केंद्र/राज्य सरकार के उस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे नोडल एजेंसी बनाया गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

अटल पेंशन योजना

- ⦿ अटल पेंशन योजना (APY) की शुरूआत मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, के जोखिम के निवारण हेतु की गई थी।
- ⦿ APY असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों, जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल होते हैं, पर केंद्रित है।
- ⦿ कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो अपने बचत बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से इससे जुड़ सकता है।
- ⦿ 18 वर्ष की उम्र में जुड़ने वालों को न्यूनतम मासिक अंशदान 40 रूपये अथवा 84 रूपये अथवा 126 रूपये अथवा 168 रूपये अथवा 210 रूपये देने वाले भागीदारों को भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन क्रमशः 1,000 रूपये अथवा 2,000 रूपये अथवा 3,000 रूपये अथवा 4,000 रूपये अथवा 5,000 रूपये है।
- ⦿ ग्राहक एवं उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्राहक द्वारा नामित व्यक्ति पेंशन कोष में ग्राहक की आयु 60 वर्ष होने तक जमाधान को पाने के लिए अधिकृत होगा।

APY में संशोधन

- ⦿ अभिदाता यानी ग्राहक की असामिक मृत्यु के मामले में, सरकार ने उसके पति/पत्नी को ग्राहक के खाते में सहयोग राशि जमा कराते रहने की सुविधा दी है।
- ⦿ वह यह राशि निश्चित अवधि तक जमा करा सकते हैं, यानी जब मूल अभिदाता की आयु 60 वर्ष की गई हो।
- ⦿ इससे पहले 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने पर मूल अभिदाता के जीवनसाथी को एकमुश्त राशि देने का प्रावधान था।
- ⦿ अब ग्राहक के जीवनसाथी को ग्राहक वाली पेंशन राशि जीवनपर्यन्त प्राप्त होगी। अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों

- की मृत्यु होने पर अभिदाता के नामित व्यक्ति को, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु के समय की पेंशन निधि प्राप्त होगी।
- अभिदाता को उनके एपीवाई खातों के संचालन में आसानी लाने के लिए, PFRDA ने APY के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का शुभांभ किया है।
 - इसकी मदद से खाताधारक मोबाइल फोनों के जरिए अपने खातों का ब्योरा और अपने एपीवाई खातों से जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
 - अब सभी एपीवाई अभिदाता अपने एपीवाई खातों को वास्तविक समय में देखने के लिए गूगल स्टोर से एनपीएस लाइट मोबाइल एप्लिकेशन्स डाउनलोड कर उन्हें अपने मोबाइल फोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- सरकार ने गरीबों और वंचितों को लक्षित कर एक सामाजिक सुरक्षा पद्धति विकसित करने हेतु तीन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की।
- ये हैं-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY)।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है।
- जिसका हर वर्ष नवीकरण किया जाएगा। इसमें किसी भी कारण हुई मौत के लिए दो लाख रूपये का जीवन बीमा कवर है और यह 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग (लाइफ कवर 55 वर्ष तक) के लोगों के लिए जिनका बैंक में बचत खाता है और जो उसमें शामिल होने और ऑटो-डेबिट हेतु सहमति देते हैं, उपलब्ध है।
- इसमें आईटी मोड में क्रियान्वयन के साथ बैंक खाता से जुड़ा नामांकन और उपभोक्ता के बैंक खाता से ऑटो-डेबिट के जरिए प्रीमियम भुगतान शामिल है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMJJBY) एक वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसका नवीकरण साल-दर-साल किया जाता है।
- दुर्घटना होने पर मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए है और इसका फायदा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी बैंक में खाता है और वे इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो डेबिट यानी खाते से स्वतः प्रीमियम काटने के विकल्प को अपनाते हैं।

- इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपये दिए जाएंगे। इस योजना में सूचना टेक्नोलॉजी से समन्वित बैंक खाते के आधार पर आसानी से शामिल हुआ जा सकता है और खातेदार के बैंक खाते से स्वतः से ही बीमा प्रीमियम काटने की सुविधा है।
- गरीबों के लिए इस योजना में शामिल होना बहुत आसान है।
- क्योंकि यह उपेक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे देश में दुर्घटना बीमा सुविधाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

- प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJJBY) बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए बैंकिंग सेवाओं का बढ़ा हुआ उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो।
- PMJJBY के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - संपूर्ण देश में एक बैंक की शाखा अथवा नियत स्थल पर बिजनेस कारैस्पॉन्डेंट (BC) जो कम दूरी पर हो के द्वारा बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच,
 - प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो जो रूपये डेबिट कार्ड के साथ हो तथा जिसमें एक लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर हो,
 - 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद रूपये 5,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के बीच पहली बार खाता खोलने वालों के लिए 30,000 रूपये का जीवन बीमा कवर।

स्वावलंबन योजना

- असंगठित क्षेत्र में कामगारों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2010 में स्वावलंबन योजना नाम का कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- यह सह-योगदान वाली पेंशन योजना है, जिसमें केंद्र सरकार 1,000 रूपये से 12,000 रूपये की वार्षिक बचत वाले प्रत्येक NPS खाते में प्रतिवर्ष 1,000 रूपये का योगदान करेगी।
- सरकार का वार्षिक योगदान पात्रता वाले लाभार्थियों के लिए 2016-17 तक बढ़ा दिया गया है। योजना 76 समूहों के सहयोग से काम करती है।

- जिनमें कुछ राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, MFI, NBFC एवं निजी क्षेत्र के निकाय शामिल हैं।

ग्रामीण आवासीय कोष

- 2008-09 में ग्रामीण आवासीय कोष का गठन किया गया जिससे प्राथमिक ऋण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित सम्हूँों के बीच प्रतिस्पर्धी ढरों में आवास ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु धन प्राप्त हो सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- लघु इकाई विकास और पुनर्वित एजेंसी (मुद्रा) भारत सरकार द्वारा गठित पुनर्वित संस्था है जिसका उद्देश्य लघु इकाइयों के विकास हेतु भारत के उद्यमशीलता, खासकर गैर-कॉर्पोरेट जो छोटे व्यवसाय क्षेत्र से आते हैं, को प्रोत्साहित करने हेतु वित्त प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के दिशानिर्देशों के तहत मुद्रा ने अपने 3 उत्पाद शुरू किए हैं जिनके नाम हैं, शिशु, किशोर और तरुण।
- ये तीनों लघु उत्पाद, लघु इकाइयों या उद्यमियों के विकास के चरणों और वित्त पोषण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं।
- मुद्रा बैंक राज्य स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से पुनर्वित प्रदान करता है।
- मुद्रा बैंक NBFC, MFI, ग्रामीण बैंकों, जिला बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, प्राथमिक ऋण संस्थानों और अन्य बिचौलियों के माध्यम से ऋण वितरित करता है।
- उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र जैसी आय अर्जित करने वाली गतिविधियों में संलग्न कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी ऋण जरूरत 10 लाख रुपये से भी कम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ऋण का लाभ उठाने के लिए बैंकों, MFI वित्तीय संस्थानों या NBFC से संपर्क कर सकता है।
- PMMY के तहत कृषि क्षेत्र की सहायक गतिविधियों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 5.77 करोड़ रुपये अनुमानित लघु व्यवसाय-इकाइयां हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार या सेवा व्यवसाय चला रही है, जिन्हें क्रेडिट की औपचारिक प्रणाली तक पहुँचना मुश्किल लगता है, इन इकाइयों में ऋण की आवश्यकता, आमतौर पर 10 लाख रुपये से कम होती है।
- ऐसी इकाइयों के लिए एक योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 2015 में शुरू की गई थी। जिससे आय उत्पन्न करने वाले लघु व्यवसाय उद्यम ऋण तक पहुँचने में सक्षम हो सके।

जिसके परिणामस्वरूप, प्रमुख संस्थानों के सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की पूँजी दी जाएगी।

- पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य मौजूदा लघु उद्योगों की उद्यमशीलता सक्रियता में वृद्धि करना और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी कोष

- कौशल ऋण योजना के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम करने वाले पात्र ऋण लेने वालों को ₹ 1.5 लाख (टर्म लोन) या अवस्थापक द्वारा निर्धारित कोई अन्य रकम तक बिना सहवर्ती प्रतिभूति अथवा थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा स्वीकृति और भुगतान की गारंटी है।
- कोई भी भारतीय नागरिक जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के अनुसार न्यूनतम योग्यता प्राप्त हो कौशल ऋण प्राप्त कर सकता है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग

- विनिवेश विभाग 1999 में एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2001 में इसे विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था।
- वर्ष 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभागों में से एक है। वर्ष 2016 में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है।
- इस विभाग के कार्यों में शामिल हैं: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर विनिवेश सहित शेयर में केंद्रीय सरकार के निवेश प्रबंधन से जुड़े सभी मामले।
- योजनाबद्ध विनिवेश समेत विनिवेश हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की अनुशंसाओं पर निर्णय।
- विनिवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन हेतु स्वंत्र बाहरी मॉनिटर से संबंधित सभी मामले। राष्ट्रीय निवेश कोष में डाले गए विनिवेश के लाभों के उपयोग के संबंध में वित्तीय नीति।
- विनिवेश के जरिए जनता की समृद्धि में भागीदारी द्वारा जनता में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के प्रति स्वामित्व का विकास, आर्थिक विकास को गति देने और उच्चतर व्यय हेतु सरकार के संसाधनों में विस्तार के लिए CPSE में सार्वजनिक निवेश के कुशल प्रबंधन में सक्षमता, CPSE को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया से संस्कृति के विस्तार में सहयोग प्राप्त होता है और सरकार के लिए बजटीय संसाधनों में वृद्धि होती है।

वर्तमान विनिवेश नीति की मुख्य विशेषताएँ

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति जनता के हाथों में है CPSE में जनता के स्वामित्व का विकास।
- CPSE की कम संख्या में शेयर ब्रिकी द्वारा विनिवेश करते समय सरकार अपने पास शेयर का अधिक हिस्सा रखेगी यानी-शेयरहोल्डिंग का कम से कम 51% और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंधकीय नियंत्रण भी रखेगी।
- चिह्नित CPSE में प्रबंधकीय नियंत्रण के स्थानांतरण के साथ सरकार की शेयरधारिता का 50% या अधिक हिस्से की बिक्री द्वारा युक्तिपूर्ण विनिवेश।

राष्ट्रीय निवेश कोष

- सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF) का गठन 2005 में किया।
- जिसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों को दिशा देना था।
- NIF का कोष स्थायी था और सरकार को सतत लाभ प्रदान करने के लिए कोष में कमी किए बिना NIF को व्यावसायिक प्रबंध करना था।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए म्युचुअल फंडों यथा-UTI ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एसबीआई कोष प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड) और LIC म्युचुअल फंड ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को NIF कोष के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया।
- इस योजना के अनुसार NIF की वार्षिक आय का 75 प्रतिशत का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ाने वाले चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाना था।
- NIF के बचे हुए 25% आय का उपयोग पुनर्निवेश करने वाले और लाभदायक PAU की पूँजी निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना था।

- वर्ष 2008-09 के भूमंडलीय मंदी और 2009-10 के भीषण सूखे के कारण उत्पन्न कठिन आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग हेतु नीति में परिवर्तन किया।
- इसमें विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग व्यय विभाग/योजना आयोग द्वारा नियत चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं हेतु सीधे करने हेतु एक बार के लिए छूट दी गई।
 - यह सुनिश्चित करने के लिए कि CPSE में 51% की हिस्सेदारी कम नहीं हो CPSE द्वारा अधिकार आधार पर जारी किए जा रहे शेयरों को खरीदना। सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकता का मुद्दा) विनियम, 2009 के अनुसार प्रोमोटरों को CPSE के शेयरों का प्राथमिकता आवंटन ताकि CPSE द्वारा अपने पूँजी व्यय कार्यक्रम को पूरा करने हेतु नए शेयर जारी करने संबंधी सभी मामलों में सरकार की शेयरधारिता 51% से नीचे ना हो।

- सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु NIF द्वारा वित्तपोषण को भी अनुमोदित किया RRBS/IIFCL/नाबाड़/एकिजम बैंक में सरकार द्वारा निवेश, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी निवेश, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरोनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश, भारतीय रेल में पूँजी व्यय के लिए निवेश का प्रावधान रखा है।

नोटों का विमुद्रीकरण

- 8 नवंबर, 2016 को सरकार ने 500 और, 1,000 रुपये के सभी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया और महात्मा गाँधी श्रृंखला के 5,10,20,50 और 100 रुपये के नोट की वैधता अप्रभावित रही और इनकी कानूनी वैधता बरकरार रही।
- सरकार ने कहा कि विमुद्रीकरण का कदम वर्तमान नोटों की नकल रोकने का प्रयास तो है ही, जिनका प्रयोग कथित रूप से आंतकवाद की आर्थिक मदद में हो रहा है, साथ ही यह देश में काले धन पर भी प्रहार है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. भारत के आंतरिक ऋण में सबसे अधिक अंश निश्चित अवधि एवं निश्चित दर वाले सरकारी पत्रों का होता है।
2. केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से सीधे ऋण लेती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं-

1. लेखानुदान का उद्देश्य वित्तीय आपूर्ति पर मतदान लंबित रहने तक सरकार के क्रियाकलापों को जारी रखना है।
2. समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुदान माँगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
3. वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 111 में विहित है।

कूट-

- (a) केवल 1
- (b) 1 व 2
- (c) 2 व 3
- (d) 1, 2 व 3

3. कथन (A) भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2018-19 में 7.3% की वृद्धि हुई।

कारण (R) केंद्र द्वारा राज्यों को अंतारित अनुदान उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
- (b) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A सही है परंतु R गलत है।
- (d) A गलत है परंतु R सही है।

4. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. बाजार ऋण
2. क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋण पत्र

3. गैर ब्याज वाली रूपये की प्रतिभूतियाँ

इनमें से कौन सा/से सार्वजनिक ऋण में शामिल है/हैं-

- (a) 1 व 2
- (b) 2 व 3
- (c) 1 व 3
- (d) 1, 2 व 3

5. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा संपत्तियों, स्वर्ण, SDR और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित अंश से मिलकर बना है।
2. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि पूँजी खाते की वित्तीय आवश्यकताओं एवं लाभ/हानि के मूल्यांकन की तुलना में अधिक पूँजी प्रवाह आ जाने के कारण होती है।

कूट-

- (a) केवल 1
- (b) केवल
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. आर्थिक मामलों का विभाग मुद्रा नोटों व सिक्कों के संदर्भ में नीति निर्माण, उत्पादन नियोजन पर नजर रखता है।
2. स्मारक सिक्के जारी करने का कार्य मुद्रा एवं सिक्के प्रभाग का होता है। ,

कूट-

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

7. एम. एस. साहू समिति का संबंध किससे है-

- (a) डिपाजिटरी रसीद योजना
- (b) सार्वजनिक - सार्वजनिक भागीदारी
- (c) दिवालियापन संशोधन विधेयक
- (d) म्युचुअल फंड

8. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड

- अधिनियम 1992 के तहत की गई है।
2. इसका पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायधीश ही हो सकता है।
 3. पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
 4. न्यायाधिकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता के नियमों से बंधा होता है।
- कूट-**
- (a) केवल 1
 - (b) 2, 3 व 4
 - (c) 1, 2 व 4
 - (d) 1, 2 3 व 4
- 9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
1. मौद्रिक नीति समिति का मुख्य कार्य मौद्रिक नीतियों का निर्वाण करना है।
 2. मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति है जिसके सभी सदस्य रिजर्व बैंक से होते हैं।
 3. इस समिति के गठन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
 - (b) 1 व 3
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3
- 10. शेरपा ट्रैक निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है-**
- (a) जी-20
 - (b) सार्क

- (c) बिम्सटेक
 - (d) जी-7
- 11. निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है-**
1. खनन
 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
 3. प्रिंट मीडिया
 4. सिविल एविएशन
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) 1, 2 व 4
 - (d) 2, 3 व 4
- 12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
1. भारत IMF का संस्थापक सदस्य देश है।
 2. IMF में अंशधारिता के अनुसार भारत का 8वाँ स्थान है।
 3. IMF में भारत की अंशधारित 2.76% है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) 1 व 2
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3

Answer Key:-

- | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--------|
| 1. (a) | 2. (b) | 3.(c) | 4.(d) | 5.(a) |
| 6. (c) | 7. (a) | 8.(a) | 9.(b) | 10.(a) |
| 11. (c) | 12. (d) | | | |

अध्याय

14.

कॉरपोरेट मामले

- कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
- ये अधिनियम हैं:
 1. कंपनी अधिनियम, 2013,
 2. कंपनी अधिनियम, 1956,
 3. सीमित देयता साझेदारी फर्म अधिनियम, 2008,
 4. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,
 5. दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016,
 6. चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949,
 7. लागत और कार्य लेखा अधिनियम, 1959,
 8. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980,
 9. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
 10. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (केंद्रशासित क्षेत्रों में) और
 11. कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951।
- मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा तीन-स्तरीय है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और 7 क्षेत्रीय महानिदेशक कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा शिलौना में है।
- इसके अतिरिक्त 15 कंपनी पंजीयक कार्यालय और 14 आधिकारिक परिसमाप्त हैं।

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र

- ⦿ कंपनी निगमीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए ई-प्रपत्र परियोजना लागू की गई जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि नाम आरक्षण तथा कंपनी के निगमीकरण की प्रोसेसिंग भुगतान पुष्टि की तिथि 1 दिन में श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप की जा सकती है।
- ⦿ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आवेदकों के नाम आरक्षण प्रोसेस करने के लिए 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का पहला चरण शुरू किया और 2016 में ही कंपनी आवेदकों के निगमीकरण पर अमल करने का दूसरा चरण आरंभ किया।

व्यवसाय करने की सुगमता

- ⦿ मंत्रालय ने E-MO (इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन)

तथा E-AA (इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के साथ कंपनियों के निगमीकरण के लिए सरल निर्देशन-पत्र (SPICE) तय किया है। जिससे आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उद्यमियों को बिना किसी बाधा के भारत में कारोबार शुरू करने में सहायता मिलती है।

- ⦿ निगमीकरण के लिए फीस 2,000 रूपये से घटाकर 500 रूपये कर दी गई है।
- ⦿ कंपनी निगमीकरण फार्म के स्थान पर एकीकृत INC-29 फॉर्म लाया गया है। इस फॉर्म की प्रोसेसिंग 1-2 कार्यदिवसों में की जा रही है।
- ⦿ पैन जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंपनियों के निगमीकरण

के लिए SPICE का उपयोग करते हुए निगमित कंपनी को पहला टैन जारी करने के लिए MCA 21 प्रणाली का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया गया है।

- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों के न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार का अधिकार CRC रजिस्ट्रार द्वारा निगमित कंपनियों पर बना हुआ है।
- ⦿ अधिकारिक परिसमापक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं और संबंधित उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं।
- ⦿ वे मुख्य रूप से कंपनियों के परिसमापन और विघटन से संबंधित न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013

- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 कॉरपोरेट क्षेत्र को और अधिक अवसर प्रदान करता है और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रकटीकरण के लिए स्व-नियमन का अवसर प्रदान करता है।
- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 में 407 अनुच्छेद हैं। इनमें से बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान और पुनर्वास से संबंधित 39 अनुच्छेद (अनुच्छेद 253 से 269) अध्याय 19 में हैं।
- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 का उद्देश्य भारत की कंपनियों को विश्व में प्रचलित श्रेष्ठ व्यवहारों के अनुरूप चलाना है।
- ⦿ कॉरपोरेट क्षेत्र को अपने मामले नियम के अनुरूप निपटाने की छूट दी गई है बशर्ते उनके क्रियाकलापों का पहले से प्रकटीकरण किया जाए और दायित्व निर्धारण किया जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएँ

- ◻ सरकारी स्वीकृति आधारित व्यवस्था के स्थान पर प्रकटीकरण/पारदर्शिता सहित स्व-नियमन का प्रावधान।
- ◻ कंपनियों के रिकॉर्ड/बैठकों का ऑटोमेशन-
 - कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को रखने,
 - बोर्ड बैठक आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग प्रणाली की वैधानिक मान्यता।
- ◻ सक्षिप्त विलय और सीमापार विलय सहित त्वरित विलय और अधिग्रहण।
- ◻ फौरी परिसमान: 1 करोड़ और उससे कम की परिसंपत्तियों वाली कंपनियों के लिए आधिकारिक परिसमापकों को निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- ◻ 1 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या E 1932 (e) के माध्यम से अनुच्छेद 408 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन।

- ◻ निष्क्रिय कंपनियों की अवधारणा प्रारंभ (लगातार दो वर्षों तक व्यवसाय नहीं करने वाली कंपनियों को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है।)
- ◻ एक व्यक्ति कंपनी (OPC) की शुरूआत।
- ◻ अनुच्छेद 149 (4) के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकता के रूप में स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा की शुरूआत।
- ◻ बोर्ड की अनेक समितियों (लेखा परीक्षण समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अंशधारी संबंध समिति तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति) के गठन का प्रावधान।
- ◻ कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए महिला निदेशक।
- ◻ कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण सहित कॉरपोरेट दायित्व समिति के गठन और CSR नीति बनाने के लिए अनिवार्य प्रावधान।
- ◻ दोषी अधिकारी 'शब्दावली' को और प्रासादिक बनाने के लिए समीक्षा।
- ◻ कंपनी के प्रमुख कार्यों का दायित्व तय करने के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्यिक और प्रवर्तक शब्दावली को परिभाषित किया गया है।
- ◻ अंशधारियों, कर्मचारियों, समुदाय और पर्यावरण के प्रति निदेशकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया।
- ◻ निदेशकों की संख्या सीमा निर्धारित: 20 कंपनियों में 10 सार्वजनिक कंपनियाँ हो सकती हैं।
- ◻ केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में स्वतः जाँच की शक्ति होगी।
- ◻ गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण (SFIO) कार्यालय को वैधानिक मान्यता।
- ◻ 18 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या SO1976 (e) के माध्यम से अनुच्छेद 435 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन किया गया है।
- ◻ जाँच के दौरान मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती।
- ◻ जाँच के दौरान कंपनी के अवैध लाभों या परिसंपत्तियों के उपयोग से वर्चित करना।
- ◻ लेख और लेखा परीक्षण मानकों की मान्यता।
- ◻ लेखा परीक्षकों के लिए अयोग्यता के कठोर मानक।
- ◻ लेखा परीक्षक विनिर्दिष्ट गैर-लेखा परीक्षण सेवाएँ नहीं देगा।
- ◻ लेखा परीक्षकों की कार्यावधि तथा क्रमावर्तन निर्धारित।
- ◻ बड़ी कंपनियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण।

- अनुपालन नहीं करने पर लेखा परीक्षक के लिए पर्याप्त दीवानी और आपराधिक दायित्व।
- धोखाधड़ी का पता लगने पर न्यायाधिकरण को लेखा परीक्षण बदलने संबंधी निर्देश देने का अधिकार।
- कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण।
- कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षण।
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) का गठन किया जाएगा।
- छोटे अंशधारकों का संरक्षण।
- यदि उद्देश्य अथवा सुलह के दौरान किसी तरह की असहमति हो तो अलग होने या बाहर निकलने का अधिकार।
- सुलह व्यवस्थाओं के दौरान मूल्यांकन अनिवार्य।
- छोटे अंशधारकों पर विलय के प्रभाव का खुलासा अनिवार्य।
- सूचीबद्ध कंपनियों में छोटे अंशधारियों के प्रतिनिधित्व के लिए एक निदेशक।
- जनता से जमा राशि स्वीकार करने के कठोर नियम।
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) की भूमिका को मजबूत बनाना।
- IEPF से लाभांश दावों पर कोई समय सीमा नहीं।
- क्लास एक्सेन सूट्स को मान्यता।
- छोटे अंशधारियों की सुरक्षा के लिए न्यायाधिकरण को अधिक शक्तियां।

कंपनी संशोधन अधिनियम

- ◉ कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2015 के माध्यम से संशोधन किया गया ताकि व्यवसाय में सहायता प्रदान की जा सके और हितधारकों की कुछ तात्कालिक चिंताओं को दूर किया जा सके।
- ◉ प्रासारिक नियमों के साथ ये संशोधन अधिसूचित कर दिए गए हैं और संशोधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत
 1. निजी कंपनियों,
 2. सरकारी कंपनियों,
 3. अनुच्छेद 8 की कंपनियों और
 4. निधियों को छूट प्रदान की गई हैं।

दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016

- ◉ दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 मई 2016 से काम करने लगी है।
- ◉ भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियम, 1961 में संशोधक

करके संहिता लागू करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को दी गई है।

- ◉ यह संहिता पुनर्गठन तथा कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी में चलने वाली कंपनियों तथा व्यक्तियों का दिवाला समाधान समयबद्ध रूप में करने संबंधी कानूनों को सुदृढ़ बनाने और संशोधित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड

- ◉ भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड की स्थापना IBC 2016 के अंतर्गत 2016 में की गई।
- ◉ बोर्ड को संहिता के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों और कार्यों के पालन के अतिरिक्त दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों तथा सूचना उपयोगिताओं के नियमन का अधिकार प्राप्त है।

विशेष न्यायालय

- ◉ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 435 के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 20 वर्तमान सत्र न्यायालयों/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय घोषित करके विशेष अदालतों को गठन किया है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून एवं अपीली न्यायाधिकरण

- ◉ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLAT) तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण (NCLAT) का गठन 2016 में किया गया।
- ◉ इस संस्थानों का गठन कॉरपोरेट विवादों के तेज समाधान तथा अनेक एजेंसियों की संचया में कमी लाने के लिए किया गया है ताकि देश में व्यवसाय करने की सुगमता हो।
- ◉ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLAT) के गठन के साथ कंपनी कानून बोर्ड को भंग कर दिया गया और बोर्ड में लिंबित मामलों को NCLAT में हस्तांतरित कर दिया गया।
- ◉ दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 तथा SICA निरस्तीकरण अधिनियम, 2003 को 2016 में लागू किया गया।
- ◉ इसके साथ ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (BIFR) तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के लिए अपीली प्रधिकरण भंग हो गया है।

- ◉ NCLAT की पीठों को दिवाला और नष्टनिधि संहिता के भाग दो के अंतर्गत क्षेत्राधिकार, शक्तियां और न्यायक्षेत्र प्राधिकार प्रदान किया गया है।
- ◉ केंद्र सरकार ने पैंचाट, समझौता, प्रबंधन तथा NCLAT की पीठों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाहियों के हस्तांतरण के प्रावधान को अधिसूचित किया है।

- ⦿ कंपनी समेटने के बारे में उच्च न्यायालयों के समक्ष लिंबित आवेदनों पर उच्च न्यायालय सुनवाई करते रहेंगे और नए आवेदन NCLAT के समक्ष दायर करने होंगे।
- ⦿ NCLAT की पीठों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
- ⦿ इसमें भौतिक अवसंरचना, सदस्यों तथा अन्य समर्थनकारी स्टाफ की उपलब्धता को ध्यान में रखा जा रहा है।
- ⦿ NCLAT का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी पीठें नई दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

- ⦿ भारत में कंपनियों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निभाना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की 7 वीं अनुसूची के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया और कंपनियों के लिए (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम अप्रैल 2014 में लागू हुए।
- ⦿ मंत्रालय ने समय-समय पर कंपनियों के लिए (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम अप्रैल 2014 में संशोधन किया है और सर्कुलर के रूप में स्पष्टीकरण और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जारी किए हैं ताकि CSR को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और इसका परिपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सीमित दायित्व साझेदारियाँ

- ⦿ भारत में 95% सूक्ष्म, लघु और मझोली (MSME) औद्योगिक इकाइयाँ हैं।
- ⦿ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 90% से अधिक इकाइयाँ स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, 2 से 3% साझेदारी वाली कंपनियाँ हैं, तथा 2% से कम कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं।
- ⦿ MSME कंपनियों में व्यापक रूप से कॉरपोरेट स्वरूप दिखाई नहीं देता।
- ⦿ MSME मंत्रालय द्वारा संकलित डाटा से पता लगता है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उच्च परिपालन लागत के कारण MSME कॉरपोरेट स्वरूप नहीं ले सकी।
- ⦿ स्वामित्व और साझेदारी वाली कंपनियों का कामकाज अपारदर्शी होने के कारण बैंकों द्वारा ऋण प्राप्ति का मूल्यांकन कठिन होता है।
- ⦿ इसलिए SME कंपनियाँ बैंकों से ऋण प्राप्त करने के मामले में कॉरपोरेट की तुलना में अलाभकारी स्थिति में हैं।

SME 21 ई-गवर्नेंस परियोजना

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी तथा सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) पंजीकरण, निगमीकरण, पंजीकरण तथा परिपालन संबंधी सेवाओं को शामिल करते हुए प्रारंभ से अंत तक 'MCA 21' नामक ई-गवर्नेंस परियोजना का संचालन किया।
- वर्ष 2006 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत BOOT (बिल्ड, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर) के मॉडल के आधार पर यह परियोजना प्रारंभ की गई ताकि सरकारी सेवाओं की डिजाइन और डिलिवरी में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
- यह परियोजना मिशन मोड में चलाई गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा LLP अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसमें
 - तेजी से कंपनियों और LLP के निगमीकरण और
 - कारोबारी सुगमता प्रदार करने पर विशेष बल दिया गया।
- यह परियोजना मंत्रालय के मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू की गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा LLP अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
- सभी सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं और दाखिल किए गए सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं।

लागत लेखा

- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के तहत वस्तुओं के उत्पादन और सेवा देने के काम में लगी कंपनियों के लिए सामग्रियों, श्रम तथा लागत वाली अन्य सामग्रियों के उपयोग को लेखा बही में शामिल करना अनिवार्य है।
- ⦿ इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि इस वर्ग की कंपनियों को उपर्युक्त लागत रिकॉर्ड का अंकेक्षण करना होगा। वे अपने कुल व्यवसाय की न्यूनतम सीमा से परे ना हो।
- ⦿ केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 को अधिसूचित किया है और उन कंपनियों के वर्ग, न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया है जिनके लिए लागत लेखाजोखा रखना और लेखा परीक्षण करना अनिवार्य है।
- ⦿ उपरोक्त नियमों में से 6 नियमित क्षेत्र 33 गैर-नियमित क्षेत्र में शामिल हैं, जो लागत रिकॉर्ड रखने तथा उनका लेखा परीक्षण करने के मामले में कंपनी अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं बशर्ते वे निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा में हों।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

- ⦿ कंपनी अधिनियम में निवेशक जागरूकता को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) की स्थापना का प्रावधान है।
- ⦿ लाभांश राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबंचरों तथा आवेदन राशि जिनका भुगतान नहीं हुआ है। जिनके बारे में देय तिथि से 7 वर्षों तक कोई दावा नहीं किया गया है, उन्हें IEPF में अंतरित कर दिया जाता है।
- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 125 IEPF में अंतरित भुगतान नहीं की गई राशि की वापसी की अनुमति देता है।
- ⦿ ऐसी राशि की वापसी अधिनियम के अनुच्छेद 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकार द्वारा की जाती है।
- ⦿ IEPF सितंबर 2016 से काम कर रहा है और IEPF को IEPF में अंतरित राशि का उपयोग करते हुए निवेशक जागरूकता गतिविधियां चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
- ⦿ निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (IAP) तीन पेशेवर संस्थानों-
 1. भारती चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान,
 2. भारती कंपनी सचिव संस्थान तथा
 3. भारतीय लागत लेखा संस्थान- के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।
- ⦿ इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती के माध्यम से निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए 90 दिनों के लिए दूरदर्शन पर कॉल संदेश और आकाशवाणी पर जिंगल्स प्रसारित किए जाते हैं।

भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा

- ⦿ कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा (ICLS) का केंद्र नियंत्रण प्राधिकार है। पूर्ववर्ती कंपनी विधि सेवा का नामकरण 2008 में भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा किया गया।

गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय

- ⦿ गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (SFIO) की स्थापना जुलाई 2003 में की गई।
- ⦿ कंपनी अधिनियम 2013 में SFIO को वैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके कार्य और शक्तियों का विस्तार किया गया है।
- ⦿ इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 211 के अंतर्गत किया गया है।
- ⦿ SFIO का मुख्य कार्य गंभीर और जटिल स्वरूप की कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जाँच करना है। SFIO ऐसे जटिल मामलों की जाँच का कार्य अपने हाथ में लेता है।

- ⦿ जिनका प्रभाव अन्य विभागों और शाखाओं पर पड़ सकता है।
- ⦿ SFIO धन के विनियोग के आकार अथवा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ कानून, प्रक्रिया तथा व्यवस्था में सुधार और अन्वेषणों की आवश्यकता का संकेत देने वाले मामलों की जाँच करता है।
- ⦿ जाँच का काम बहु-विभागीय दल द्वारा किया जाता है जिसमें लेखा क्षेत्र, फॉरेंसिक लेखा परीक्षण, कराधान, सीमा शुल्क, सूचना प्रौद्योगिकी, पूँजी बाजार, वित्तीय लेनदेन (बैंकिंग सहित) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), गुप्तचर ब्यूरो (IB) और प्रवर्तन दिशालय जैसी एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान

- ⦿ मंत्रालय ने भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (IICA) का गठन सोसायटी पैंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पैंजीकृत सोसायटी के रूप में किया।
- ⦿ इसका उद्देश्य ऐसे संस्थान के रूप में काम करना है जो एक ही जगह समन्वित, साझेदारियों और समस्याओं के समाधान के माध्यम से कॉरपोरेट विकास और सुधारों के लिए नीति निर्धारण और क्षमता सृजन की सेवा प्रदान कर सके।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- ◻ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 14 अक्टूबर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्पर्धा, संवर्धन तथा सतत स्पर्धा की-निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में कारोबार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है।
- ◻ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 तथा सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधन किया गया।
- ◻ स्पर्धा विरोधी समझौतों तथा प्रभावकारी स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधान मई 2009 से लागू किए गए और संयोजन से संबंधित प्रावधानों को 2011 में लागू किया गया।
- ◻ CCI ने मार्च 2017 तक प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और बीमा, यात्रा, परिवहन, सीमेंट, ऑटोमोबिल विनिर्माण, रियल एस्टेट, फार्मास्युटिकल्स, वित्त, सार्वजनिक खरीद और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में प्रभाव के दुरुपयोग से संबंधित 868 मामले प्राप्त किए।



अध्याय

15.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय में दो विभाग हैं- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग (DCA)।
- देश में उभरते उपभोक्ता आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक विभाग बनाए जाने की आवश्यकता महसूस होने के कारण मंत्रालय के दो विभागों में से एक- उपभोक्ता मामले विभाग को जून 1997 में पृथक विभाग बनाया गया।
- विभाग को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं- आंतरिक व्यापार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि, काला बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, डिब्बाबंद वस्तुओं का नियंत्रण, विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण, उपभोक्ता सहकारिताएं आदि।
- मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- यह खाद्यान्नों की खरीद, उनके भंडारण, ढुलाई तथा उन्हें वितरण एजेंसियों तक पहुंचाने जैसे विविध कार्यकलाप करता है।
- इस विभाग का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय और उपयोगी खरीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने एवं भुखमरी की कगार पर पहुंचे परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (AYY) के अंतर्गत कवर करने, खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (POsQ) में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उपभोक्ता मामले

- उपभोक्ता मामले विभाग (CPA) का अधिदेश उपभोक्ताओं की हिमायत करना है। भारत ने उपभोक्ताओं की हिमायत में अग्रणी भूमिका निभाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) को 1986 में अधिनियमित किया, जो उस समय का सबसे प्रगतिशील कानून था और वर्ष 1997 में उपभोक्ता मामलों को समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की।
- इस अधिदेश कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं-
- उपभोक्ताओं को कुशल विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाना; उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के विवादों का समयोचित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना।

उपभोक्ता जागरूकता

- उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2005 से उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित विविध मुद्दों पर देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है। 'जागो ग्राहक जागो' घर-घर प्रचलित हो चुका है।
- जनसाधारण तक व्यापक पहुंच रखने वाले सभी सरकारी विभागों/ संगठनों की भागीदारी से संयुक्त अभियान चलाए गए हैं।
- उदाहरण के लिए खाद्य के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक संगठन (FSSAI) के साथ वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ, और औषधियों के संबंध में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथोरिटी (NPA) के साथ टेलीविजन, रेडियो, समाचार-पत्र, और आउटडोर विज्ञापनों जैसे

- विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान चलाए गए हैं।
- ⦿ उपभोक्ता जागरुकता अभियान का कार्यान्वयन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP), दूरदर्शन नेटवर्क (DD) और ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के माध्यम से किया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण कोष

- ⦿ केंद्र सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन करने में समर्थ बनाने के लिए वर्ष 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन किया गया।
- ⦿ इस कोष में प्रतिवर्ष वह राशि जमा की जाती है, जिसमें दावा ना किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व शामिल हैं और जो राशि विनिर्माताओं को नहीं लौटाई जाती है।
- ⦿ उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन 1992 में किया गया था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण, संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरुकता उत्पन्न करने और देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ⦿ कोष की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन की गई है और इसका प्रचालन उपभोक्ता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- ⦿ वर्ष 2014 में इसके नियम संशोधित किए जाने के बाद से उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत ऐसी कोई एजेंसी/संगठन जो कम से कम पांच साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो और कंपनी अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है।
- ⦿ मार्च 2017 को कोष में 26.23 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध थी। दिसंबर 2017 तक कोष में से 11.65 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया है।

उपभोक्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता

- ⦿ उपभोक्ता मामले विभाग, जागरुकता और शिक्षा, अनुचित व्यापार पद्धतियों के निवारण के जरिए उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देकर, मानकों और उनकी अनुरूपता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और संरक्षा बढ़ाकर तथा वहनीय एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना चाहता है। वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता बाजारों में काफी बदलाव आया है।

- ⦿ सामानांतर रूप से इसने उपभोक्ताओं को नए किस्म के अनुचित व्यापार और कारोबार की अनैतिक पद्धतियों के प्रति असहाय भी बनाया है।
- ⦿ इन चुनौतियों का हल करने के लिए नीतिगत अनुकूलता, समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वयन, नियामक कार्रवाई के सामंजस्य और ऐसे संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। जिसके द्वारा सरकार के हस्तक्षेप के सर्वोत्कृष्ट नतीजे निकल सकें।
- ⦿ यह विभाग सुशासन के लाभ आम जनता तक पहुंचाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता आया है। यह कार्य विविध हितधारकों- भारत सरकार के संबद्ध विभागों, राज्य सरकारों, विनियामक एजेंसियों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी से किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

- ◻ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का अधिनियमन देश में उपभोक्ताओं के समर्थन की दिशा में प्रमुख मील का पत्थर है।
- ◻ यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक औपचारिक किंतु अद्व्यायिक विवाद निवारण तंत्र का सृजन करके विधिक अवसरंचना उपलब्ध कराता है।
- ◻ इस प्रगतिशील कानून ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रि-स्तरीय अद्व्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को सरल, त्वरित और उचित निवारण उपलब्ध कराना है।

भारतीय मानक ब्यूरो

- ⦿ नया भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम 2016, वर्ष 2017 से लागू हुआ।
- ⦿ इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
- ⦿ इसमें ऐसे प्रावधान हैं, जो सरकार को किसी भी अनुसूचित उद्योग, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा को, जिसे वह सार्वजनिक हित में या मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक समझती हो, उसे अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के तहत लाने में समर्थ बनाते हैं।
- ⦿ बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
- ⦿ नया कानून मानक के अनुपालन की स्व-घोषणा सहित विविध प्रकार की सरलीकृत अनुपालन योजनाओं की भी अनुमति प्रदान

करता है, जो विनिर्माताओं को मानकों का पालन करने और अनुपालन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने को सरलीकृत विकल्प प्रदान करेगी।

- ⦿ यह कानून केंद्र सरकार को उत्पादों और सेवाओं के अनुपालन को मानक के अनुकूल सत्यापित करने तथा अनुपालन का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए (BIS) के अलावा, अन्य किसी भी प्राधिकरण/एजेंसी को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है।
- ⦿ इतना ही नहीं, उत्पाद के उत्तरदायित्व सहित ऐसे उत्पादों में सुधार करने या वापस लेने के प्रावधान भी मौजूद हैं, जिन पर मानक चिह्न मौजूद हो, लेकिन वे उपयुक्त भारतीय मानक का अनुपालन ना करते ही नया का अनुपालन ना करते हों।
- ⦿ नया कानून देश में कारोबार करने में सुगमता प्रदान करने में भी सहायता करके 'मेक इन इंडिया' अभियान को प्रोत्साहन देगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 भी वर्ष 2017 में अधिसूचित किए गए।
- ⦿ 1947 में अस्तित्व में आई भारतीय मानक संस्था (ISI) की परिसंपत्तियों और दायित्वों को ग्रहण कर भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

- ⦿ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के अधीन संचालित की जा रही एक परियोजना है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी।
- ⦿ एक PRI लाइन के माध्यम से कॉल प्राप्त करने एवं उत्तर देने के लिए, इसका एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो आईआईपीए में सर्वर आधारित है।
- ⦿ यह परियोजना, उपभोक्ता के दिन-प्रतिदिन के व्यवहारों में व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एक टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से हल किए जाने की उपभोक्ता की आवश्यकता को समझता है।
- ⦿ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की प्रमुख कड़ी है।
- ⦿ यह के बल कॉल सेंटर के रूप में ही कार्य नहीं करती। इसने 373 कंपनियों के साथ भागीदारी की है जो शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन प्रत्युत्तर देती है। इसे कंवर्जेस तंत्र कहा जाता है।
- ⦿ यह कंवर्जेस कंपनी के साथ शिकायतों का अनुसरण करती है, शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करती है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण

- ⦿ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में एक त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, जो अपने समक्ष दायर शिकायतों पर निर्णय सुनाता है और उपभोक्ताओं का त्वरित क्षतिपूर्ति करता है।
- ⦿ इसमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद (क्षतिपूर्ति) आयोग जिसके अधिकार क्षेत्र में समूचा देश आता है और जिसका आर्थिक क्षेत्राधिकार एक करोड़ से ऊपर के दावों संबंधी उपभोक्ता विवादों एवं शिकायतों का है और जो राज्य/आयोगों पर अपीलीय प्राधिकरण है।
- ⦿ 35 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग), जिनका अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य संघशासित क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्राधिकार 20 लाख (बीस लाख) रुपये से अधिक और 1 करोड़ (एक करोड़) रुपये तक की राशि की उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित दावों का है और जो जिला मंचों के ऊपर अपीलीय प्राधिकरण है तथा 679 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच), जिनके अधिकार क्षेत्र में सम्पूर्ण जिला आता है।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला

- ⦿ भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1912 से क्रियाशील राष्ट्रीय परीक्षणशाला- औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षणों तथा गुणता मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख प्रयोगशाला है।
- ⦿ इस एक सदी पुराने वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान को भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के उद्देश्य से सीमित परीक्षण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (मूलतः सरकारी परीक्षणशाला के नाम से मशहूर) के रूप में मूलतः भारतीय रेलवे बोर्ड ने अलीपुर, कोलकाता में स्थापित किया था।
- ⦿ NTH द्वारा प्रथम क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1963 में मुंबई में की गई और इसके बाद चेन्नई (1975), गाजियाबाद (1977), जयपुर (1994) तथा गुवाहाटी (1996) में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई।
- ⦿ राष्ट्रीय परीक्षणशाला विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्री तथा तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में, माप उपकरणों/उपस्करणों तथा यंत्र आदि के व्यास मापन के क्षेत्र में कार्य करता है।
- ⦿ स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों या उपभोक्ता मानक विनिर्देशनों के अनुरूप वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य करता है।

कीमतों की निगरानी

- उपभोक्ता मामले विभाग, एक कीमत निगरानी प्रकोष्ठ (PMC) का संचालन करता है, जिसका कार्य चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करना है।
- यह निगरानी दैनिक खुदरा और थोक, दोनों कीमतों के संबंध में दैनिक आधार पर की जाती है।
- यह प्रकोष्ठ राज्य/संघशासित प्रदेशों के नागरिक आपूर्ति विभागों के माध्यम से देशभर के 71 रिपोर्टिंग केंद्रों से एकत्र की गई 22 आवश्यक वस्तुओं, जिनमें अनाज, दालें, सब्जियां, खाद्य तेल, चीनी, दूध आदि शामिल हैं, कि कीमतों की निगरानी करता है।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के बाजारों में वर्तमान कीमतों की स्थिति के साथ-साथ कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का विश्लेषण किया जाता है और यथोचित नीतिगत कार्रवाई के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श तंत्र के नोटिस में लाया जाता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण करने, अनाज का बफर स्टॉक बनाये रखने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, जैसे उचित नीतिगत उपायों के जरिए चीनी तथा खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे उपायों के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- विभाग की खाद्य प्रबंधन नीति के मुख्य साधन अनाजों की खरीद, भंडारण और दुलाई, सार्वजनिक वितरण तथा बफर स्टॉक का अनुरक्षण है।

अनाज की खरीद

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान तथा मोटे अनाजों की खरीद करता है।
- प्रत्येक खरीफ मौसम से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें विभिन्न कृषि निवेशों की लागत और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है।

- खाद्यान्न खरीद के लिए खोले जाने वाले खरीद केंद्रों की संख्या तथा पैके जिंग सामग्रियों की खरीद और भंडारण स्थान जैसे प्रबंधनों का ख्याल रखा जाता है।
- राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली (DCP) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकतम सरकारी खरीद की जा सके, दुलाई लागत में कमी आए और न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों की पहुंच का विस्तार किया जा सके इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारों स्वयं अनाजों की खरीद और वितरण का कार्य करती है।
- हाल के वर्षों में अनाज पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि और पूर्वी भारत में हरित क्रांति पर बल दिए जाने से अनेक राज्यों में खरीद कार्यों का विस्तार हुआ है, जिससे खाद्यान्नों का संचित केंद्रीय पूल स्टॉक 319 लाख टन के बफर मानक की तुलना में 2012 में रिकॉर्ड 805.16 लाख टन पहुंच गया है।

केंद्रीय पूल में अनाज का भंडार

- खाद्य सुरक्षा के लिए नियत न्यूनतम भंडारण मानदंडों की पूर्ति करने के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPOsQ), अन्य कल्याणकारी योजनाओं (OWS) के लिए मासिक स्तर पर अनाज जारी करने के लिए, अनापेक्षित रूप से फसल खारब होने, प्राकृतिक आपदाओं, त्योहारों आदि के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए तथा खुले बाजार की कीमतों को कम करने में सहायता करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय पूल के अनाजों के भंडार का उपयोग बाजार हस्तक्षेप में करने लिए अनाज भंडारण के मानदंड (बफर मानदंड) का निर्धारण किया गया।
- केंद्रीय पूल में अनाज (गेहूं और चावल) का भंडार सितंबर, 2018 में 590.86 लाख MT (205.77 लाख MT चावल और 385.09 लाख MT गेहूं) था। जो मानकों के अनुसार आवश्यकता से उसी मात्रा में अधिक था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

- जनता की खाद्य सुरक्षा के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 बनाया, जो 2013 से लागू हो गया।
- इस अधिनियम का उद्देश्य मानव जीवन चक्र की दृष्टि से लोगों को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित कराते हुए खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह कानून खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यापक बदलाव का संकेत देता है और अब खाद्य सुरक्षा कल्याण आधारित ना रहे।

कर अधिकार आधारित हो गई है।

- ⦿ इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है।
- ⦿ इस तरह आबादी का दो-तिहाई हिस्सा कवर हो जाता है।
- ⦿ उच्च रियायती दर पर अनाजों की प्राप्ति दो श्रेणियों- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले परिवार की श्रेणी और प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में होती है।
- ⦿ AAY निर्धनतम व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए वर्ष 2000 में लांच की गई।
- ⦿ अधिनियम के अंतर्गत ऐसे परिवार को 1/2/3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम मोटे अनाज/गेहूं/चावल प्राप्त करने का अधिकार है।
- ⦿ प्राथमिकता वाले परिवारों को उपरोक्त रियायती दरों पर प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है।
- ⦿ इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का प्रावधान है।
- ⦿ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी अलग प्रावधान किए गए हैं।

प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण

- ◻ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ लागत साझेदारी के आधार पर लागत सार्वजनिक वितरण प्रणाली- टीपीडीएस संचालनों में प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण करने की योजना लागू कर रहा है।
- ◻ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात यह कार्यक्रम और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनाज की कीमत और कम होती है।
- ◻ इस योजना की अवधि एक वर्ष के लिए 2019 तक बढ़ा दी गई है।

इसकी प्रमुख गतिविधियाँ

- ◻ लाभार्थियों की सही पहचान करने, जाली राशन कार्डों को हटाने, खाद्य सब्सिडी की बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण करना,

- ◻ उचित मूल्य दूकानों के स्तर पर खाद्यान्न आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए अनाजों का ऑनलाइन आवंटन करना,
- ◻ पारदर्शी पोर्टलों, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लागू करने के माध्यम से टीपीडीएस के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व लाने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था और पारदर्शिता पोर्टल।

POS का एकीकृत प्रबंधन

- ⦿ केंद्रीय क्षेत्र की एक नयी योजना- POS का एकीकृत प्रबंधन (IM-POS) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (POSN) की स्थापना करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन किया जाएगा, ताकि अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों के डुप्लीकेशन को समाप्त करने, पोर्टेबिलिटी लागू करने का कार्य किया जा सके।
- ⦿ यह योजना खाद्य सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने को मजबूती प्रदान करेगी और लाभार्थियों को अपनी पसंद की FPS से अनाज उठाने में सहायता करेगी।
- ⦿ 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार, (समय-समय पर यथा संशोधित) आधार (वित्तीय और अन्य प्रकार की सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दी) अधिनियम, 2016 के तहत, NFSI के अंतर्गत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणन करना होगा।
- ⦿ जिनके पास आधार नहीं होगा, उन्हें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ राशन कार्ड का नंबर और अन्य विवरण उपलब्ध कराते हुए उचित दर की दूकान के मालिक के जरिए या राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के जरिए आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
- ⦿ विभाग ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग की समस्या या लाभार्थी की खराब बायोमीट्रिक या किसी अन्य तकनीकी कारण से बायोमीट्रिक प्रमाणन विफल होने की सूरत में लाभार्थी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा या खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण उस पुरुष/महिला द्वारा अपने बायोमीट्रिक प्रमाणन की जगह अपना आधार कार्ड दिखाने के आधार पर किया जाएगा।
- ⦿ इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि के बल आधार कार्ड ना होने के कारण किसी को भी अनाज देने से मना नहीं किया जाएगा या राशन का डेटाबेस से उसका नाम नहीं मिटाया जाएगा।

- ➲ यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी परिवार के सभी सदस्यों को आधार संख्या नियत नहीं की गई हो, तो राशन कार्ड में नामित पात्र परिवार का कोई भी सदस्य, जो पहचान की शर्तों को पूरा करता हो और जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज हो, वह NFSA के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज की पूरी मात्रा या खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा।

अन्य कल्याणकारी योजनाएं

मध्याह्न भोजन योजना

- ➲ मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है।
- ➲ यह योजना सरकारी/सरकारी सहायता प्रदत्त स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है।
- ➲ प्रति बच्चा प्रत्येक स्कूल दिवस प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम की दर से तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम की दर से अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। जिसके अंतर्गत पका भोजन/प्रसंस्कृत गर्म खाना परोसा जाता है या प्रति विद्यार्थी प्रति महीने 3 किलोग्राम अनाज वितरण किया जाता है। इस दौरान कच्चा अनाज वितरित किया जाता है।
- ➲ वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 10.25 लाख टन चावल और 1.87 लाख टन गेहूं सहित 12.12 लाख टन अनाज आवंटित किया गया।

गेहूँ आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम

- ➲ यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वित करता है।
- ➲ इसके तहत आवंटित होने वाले अनाजों का उपयोग राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (ICOsQ) योजना के अंतर्गत 0-6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक और ऊर्जायुक्त आहार देने के लिए किया जाता है।
- ➲ इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान 19.90 लाख टन अनाज आवंटित किया गया, जिसमें 9.63 लाख टन चावल और 10.27 लाख टन गेहूँ शामिल है। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में योजना के अंतर्गत 13,000 टन मक्का आवंटित की गई।

किशोरियों के लिए योजना

- ➲ सबला योजना यह योजना केंद्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय चलाता है। लेकिन इस योजना के लिए अनाज, महिला और बाल विकास मंत्रालय को खाद्य और सार्वजनिक

- वितरण विभाग द्वारा BPL दरों पर आवंटित किया जाता है।
- ➲ सबला योजना 2010 में दो योजनाओं- पौष्टिकता कार्यक्रम और किशोरियां (NPAG) तथा किशोरी शक्ति योजना (KSY) को मिलाकर लांच की गई।
- ➲ इस योजना का उद्देश्य 11-18 साल की लड़कियों को पौष्टिकता और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर और उनके लिए उपयोगी विभिन्न कौशलों को उन्नत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
- ➲ इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी प्रदान करना और वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निर्देशित करना भी है।
- ➲ पौष्टिकता के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष में 300 दिन प्रत्येक लाभार्थी का प्रतिदिन 100 ग्राम आहार देने की आवश्यकता है।

कल्याणकारी संस्थाओं को अनाज की आपूर्ति

- टीपीडीएस या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गई कल्याणकारी संस्थाओं यथा-भिक्षुगृह, नारी निके तन और अन्य प्रकार की कल्याणकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को बीपीएल दरों पर अतिरिक्त अनाज (चावल और गेहूँ) का आवंटन किया गया है, जो बीपीएल आवंटन के 5% से अधिक नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी छात्रावासों को अनाज की आपूर्ति

- यह योजना वर्ष 1994 में लागू की गई। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी से संबंधित दो-तिहाई विद्यार्थियों वाले छात्रावासों में रहने वाले प्रति महीने, प्रति निवासी 15 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने के पात्र हैं।
- इस योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अनाज आवंटन राज्य/संघशासित प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर करता है।

अन्नपूर्णा योजना

- योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल कीमतों पर अनाज दिया जाता है।
- यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनआरपीएस) के अंतर्गत पेंशन नहीं पाने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है।

मुक्त बाजार विक्री योजना (घरेलू)

- बफर स्टॉक बनाए रखने के अतिरिक्त तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफसीआई समय-समय पर खुले बाजार में केंद्रीय पूल के गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक की विक्री मुक्त बाजार विक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ई-टेंडर के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर करता है, ताकि शुष्क मौसम में विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाई जा सकें।

अनाज का भंडारण

FCI और राज्य एजेंसियों की क्षमता

- सभी राज्यों में FCI के पास अपने कवर्ड गोदामों का ग्रिड है, जहां केंद्रीय पूल के अनाज का सुरक्षित स्टॉक रखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त FCI केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) तथा राज्य भंडारण निगमों जैसी राज्य एजेंसियों तथा निजी पक्षों से किराये पर क्षमता प्राप्त करता है।
- निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है और जुलाई 2018 में 876.31 लाख MT क्षमता उपलब्धता की तुलना में 627.13 लाख एमटी का केंद्रीय अनाज स्टॉक था।

भंडारण क्षमता में वृद्धि

- अनाज उत्पादन और खरीद में हो रही लगातार वृद्धि के प्रबंधन के लिए विभाग देश में कवर्ड भंडारण क्षमता संवर्धन के लिए निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना लागू कर रहा है।
- वर्ष 2008 में लांच किए गए पीईजी कार्यक्रम के अंतर्गत गोदाम सार्वजनिक-निजी-भागीदारी प्रणाली के तहत बनाए जाते हैं और चुनिंदा साझेदार भूमि तथा निर्माण लागत वहन करते हैं।
- एफसीआई अपनी ओर से निजी निवेशकों को 10 वर्ष तक भंडारण क्षमताओं का इस्तेमाल करने तथा सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को 9 वर्ष तक उपयोग की गारंटी देता है।
- भंडारण क्षमताओं के आधुनिकीकरण के तहत स्टील साइलो रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में भंडारण सुविधाएं बनाई जा रही हैं। प्रत्येक साइलो की क्षमता 25,000 या 50,000 MT होगी।
- इससे वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला का मशीनीकरण हो जाएगा और संचालन क्षमता में सुधार होगा।
- भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित हुए गोदामों के निर्माण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्वोत्तर राज्य में कार्यान्वित

की जा रही है।

- इसके अंतर्गत, POG के आपूर्ति संभार तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण

- भारत सरकार ने वेयरहाउसिंग क्षेत्र के विकास, कृषि विपणन में सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था के लिए वेयरहाउसिंग अधिनियम, 2007 बनाया। यह 2010 से लागू है।
- सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2010 में वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) का गठन किया।
- वेयरहाउस में किसानों द्वारा जमा कराए गए कृषि उत्पादों के लिए जारी निगोशिएबल
- वेयरहाउस रसीद (NWR) से किसानों को बैंक से ऋण लेने में मदद मिलेगी।
- इससे व्यस्त फसल मौसम में किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को आनन-फानन में बेचने की समस्या पर काबू पाने में भी सहायता मिलेगी।
- प्राधिकरण ने एनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, बनस्पति तेल, गिरी तथा रबर, तंबाकू, चाय, कॉफी मखाना आदि।
- आलू, डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, सेब और किशमिश जैसी 26 बागवानी वस्तुओं सहित 123 कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया हैं।

केंद्रीय भंडारण निगम

- केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1957 में कृषि उत्पादों, सामग्रियों और अन्य अधिसूचित जिन्सों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
- अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार, सीडब्ल्यूसी 431 भंडारणगारों या वेयरहाउसेज का प्रचालन कर रहा है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 100.28 लाख MT है।

फसल कटाई के बाद अनाज का प्रबंधन

अनाज के लिए गुणवत्ता के मानक

- सरकार विधिवत रूप से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए अनाज

- की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती है। नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ तथा क्षेत्रीय कार्यालय खरीदे गए और भंडार में रखे गए अनाजों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं और FCI तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा वितरण के लिए जारी करते हैं।
- ⦿ वर्ष 2017-18 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों के अधिकारियों द्वारा 1170 अनाज भंडारण डिपो का निरीक्षण किया गया।

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान

- ⦿ भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (IGMRI), हापुड़ तथा लुधियाना (पंजाब) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित उसके फौल्ड स्टेशन अनाज के भंडारण प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्य संचालित करते हैं।
- ⦿ IGMRI भंडारण एजेंसियों और कीट नियंत्रण संचालकों आदि के लिए अनाज के भंडारण, निरीक्षण तथा कीट नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला

- ⦿ नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (CGAL) गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों का विश्लेषण करके सरकारी खरीद, भंडारण और वितरण के समय अनाज गुणवत्ता की निगरानी में विभाग की मदद करती है।
- ⦿ वर्ष 2017-18 के दौरान पदार्थ संबंधी मापदंडों के लिए कुल 1,548 नमूने, प्रोटीन निर्धारण के लिए 667 नमूने तथा गेहूं में घटती संख्या के लिए 664 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

अनाज का आयात और निर्यात

चावल और गेहूं की निर्यात नीति

- ⦿ सरकार ने वर्ष 2011 से निजी पक्षों द्वारा रखे गए स्टॉक में से निजी स्तर पर गैर-बासमती चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति दी है।
- ⦿ मेसर्स NCCF तथा NAFED सहित राज्य व्यापार उद्यमों को भी निजी तौर पर रखे गए स्टॉक से गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।
- ⦿ भारत-बांग्लादेश तथा भारत-नेपाल सीमा पर गैर EDI लैंड कस्टम स्टेशनों (LCM) के माध्यम से भी निर्यात की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए डीजीएफटी में मात्रा पंजीकरण अनिवार्य है।

गेहूं और चावल के निर्यात की स्थिति

- ◻ वर्ष 2017-18 के दौरान 86.46 लाख एमटी गैर-बासमती चावल और 2,25,208 लाख MT गेहूं का निर्यात नियंत्रण मुक्त श्रेणी के अंतर्गत किया गया।

सरकारी तौर पर निर्यात की स्थिति

- ◻ सरकार विदेश मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राजनयिक आधार/मानवीय सहायता रूप में भी विभिन्न मित्र देशों को गेहूं और चावल के निर्यात की अनुमति देती है।

चावल और गेहूं का आयात

- ◻ वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय पूल भंडारों के लिए गेहूं और चावल का आयात नहीं किया गया। हालांकि 2017-18 के दौरान निजी व्यापारियों/मिल मालिकों द्वारा 16,49,725 MT गेहूं और 2,122 एमटी गैर-बासमती चावल का आयात किया गया।

चीनी उत्पादन

- ◻ भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चालू चीनी मौसम 2017-18 में 322.00 लाख MT चीनी के उत्पादन का अनुमान है।

गन्ना मूल्य निर्धारण नीति

- ⦿ गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के संशोधित प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित घटकों के संदर्भ में गन्ने का FRP निर्धारित किया जाता है। ये घटक हैं-
 - गन्ना उत्पादन की लागत
 - उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों से लाभ तथा कृषि जिन्सों के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति,
 - उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता,
 - वह मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से तैयार चीनी बेची जाती हैं,
 - गन्ने से चीनी प्राप्त करना,
 - उप-उत्पादकों यानि शीरा, खोई तथा प्रेस मड़ की बिक्री से अर्जित आय अथवा इन उत्पादों का अधिरोपित मूल्य और
 - जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन।
- ⦿ इसी के अनुसार, चीनी मौसम 2018-19 के लिए 275 रुपये प्रति किलोटन की दर से गन्ने का FRP तय किया गया है। यह दर 10% की बेसिक रिकवरी दर से जुड़ी है।
- ⦿ जिसमें तय स्तर से ऊपर प्रति 0.1% प्लाइट रिकवरी पर 2.75

रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगा।

चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त बनाना

- ➲ चीनी उद्योग के लिए वर्ष 2013-14 ऐतिहासिक रहा। केंद्र सरकार ने 'चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त बनाने' के लिए डॉ. सी रंगराजन के अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और सितंबर 2012 के बाद उत्पादित चीनी के लिए मिलों पर लेवी लगाने की व्यवस्था को समाप्त करने और खुले बाजार में चीनी की बिक्री पर नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- ➲ चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने का कदम चीनी मिलों की वित्तीय हालत सुधारने, नकद प्रवाह बढ़ाने, इंवेटरी लागत कम करने तथा गन्ना किसानों के लिए गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान करने के लिए उठाया गया।
- ➲ गन्ना क्षेत्र आरक्षण, न्यूनतम दूरी मानक तथा गन्ना मूल्य फॉर्मूला अपनाने के बारे में समिति की सिफारिशों को लागू करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया क्योंकि राज्य सरकारें अपने विवेक से इस पर निर्णय लेने में सक्षम हैं।

अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी वितरण की समीक्षा

- ➲ यह योजना 2001 की जनगणना के अनुसार देश की समस्त BPL आबादी तथा पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी/पहाड़ी राज्यों तथा द्विपीय क्षेत्रों की समस्त जनसंख्या को कवर करती थी।
- ➲ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) को अब सभी 36 राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा समान रूप से लागू किया जा रहा है।
- ➲ NFSA के तहत, BPL श्रेणी की पहचान नहीं की गई है तथापि, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की स्पष्ट रूप से पहचान कर ली गई है।
- ➲ भारत सरकार ने चीनी सब्सिडी योजना की समीक्षा की हैं और यह निर्णय लिया है कि समाज के सबसे गरीब वर्ग अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को उनके आहार में ऊर्जा के स्रोत के रूप में चीनी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।
- ➲ तदनुसार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण की मौजूदा पद्धति को निम्नानुसार जारी रखा जाए:-
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त चीनी की आपूर्ति संबंधी मौजूदा स्कीम को के बल अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के सीमित कवरेज हेतु जारी रखा जाए। उन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह 1 किलोग्राम

चीनी उपलब्ध करायी जाएगी,

- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रही चीनी पर दी जा रही 18.50 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली आबादी के लिए जारी रखा जा सकता है। संशोधित योजना 2017 में लागू की गई थी।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

- इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है, जो मूल रूप से चीनी उद्योग के शीरा जैसे उप उत्पादों से तैयार किया जाता है।
- जिस वर्ष गन्ने की उपज जरूरत से ज्यादा होती है और चीनी के भाव गिर जाते हैं उस वर्ष चीनी उद्योग किसानों को गन्ने की कीमत उपलब्ध नहीं करा पाता।
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (EBP) इथेनॉल को मोटर स्प्रिट के साथ मिश्रित करके प्रदूषण स्तर कम करने के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बचाने और चीनी उद्योग में मूल्य संवर्धन करने का प्रयास करता है, ताकि उसे किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान करने में समर्थ बनाया जा सके।
- केंद्र सरकार ने EBP के अंतर्गत मिश्रण लक्ष्य 5 से बढ़ा कर 10% कर दिया है।
- इबीपी के अंतर्गत संपूर्ण इथेनॉल आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित बनाने के लिए इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इथेनॉल का लाभकारी एक्स-डिपो मूल्य निर्धारित किया गया है।
- नए मिश्रण लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए एक प्रिड तैयार किया गया है, जो डिस्टीलरी को OMC डिपो से नेटवर्क करता है और सप्लाई की जाने वाली मात्रा का ब्योरा देता है।

चीनी विकास कोष

- ➲ चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत देश में किसी भी चीनी फैक्टरी द्वारा उत्पादित और बेची जाने वाली समस्त चीनी पर उत्पाद शुल्क के रूप में वसूले जाने वाले उपकर को करारोपण कानून अधिनियम, 2017 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।
- ➲ एकत्रित उपकर से बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से SDF के लिए कोष उपलब्ध कराया जाता था।

उत्पादन सब्सिडी

- ⦿ सरकार ने गत्रा लागत समायोजित करने तथा चीनी मौसम 2015-16 के लिए किसानों को गत्रे की बकाया राशि का समय पर भुगतान करने में सहायता के लिए चीनी मिलों को 2015 से 4.50 रुपये प्रति किंवटल की दर से उत्पादन सब्सिडी का विस्तार किया है।
- ⦿ इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि चीनी के दाम प्रचालनगत व्यवहार्यता के लिए अपेक्षित स्तरों से ऊपर है, सरकार ने वर्ष 2016 से उत्पादन सब्सिडी योजना वापस ले ली है।

खाद्य तेल

- ⦿ देश में खाद्य तेलों के कारगर प्रबंधन के कदमों में उपभोक्ताओं को उचित दरों पर खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
- ⦿ वर्ष 2017-18 के तीसरे अग्रिम पूर्वानुमान (नवंबर-अक्टूबर) के अनुसार, पिछले वर्ष के 312.76 लाख टन की तुलना में 306.38 लाख टन तिलहन उत्पादन का अनुमान है।

वनस्पति तेल उद्योग

- ⦿ देश में लगभग 100 वनस्पति तेल इकाइयां और 651 साल्वेट एक्सट्रैक्शन संयंत्र/रिफायनरियां हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 6800 लाख MT कच्चे माल को संसाधित करने की है।
- ⦿ साल्वेट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार, विभिन्न कारणों से विशेष रूप से कच्चा माल मौसम के अनुसार उपलब्ध होने से खाद्य तेल उद्योग की कुल क्षमता का लगभग 35% उपयोग हो रहा है।

खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध

- ⦿ मार्च 2008 से खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन समस्त इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) बंदरगाहों और अधिसूचित लैंड कस्टम स्टेशनों (LCS) के माध्यम से नारियल तेल, के स्टर ऑयल और लघु बन उत्पादों से तैयार होने वाले कुछ तेलों जैसे कुछ उत्पादों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
- ⦿ इसके अतिरिक्त, खाद्य तेल के निर्यात की अनुमति 5 किलोग्राम के ब्रांडशुदा उपभोक्ता पैकेटों में दी गई है, जिनका न्यूनतम निर्यात मूल्य 900 अमरीकी डॉलर प्रति टन हो। यह 2015 में 1100 अमरीकी डॉलर प्रति टन था।
- ⦿ 2015 से चावल की भूसी के तेल का बल्क में निर्यात करने की अनुमति है। 2017 से मूँगफली का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल और मक्का (कॉर्न ऑयल) को प्रतिबंध से छूट दी गई है।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

- ⦿ कच्चे तथा रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क क्रमशः 35 और 45% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि जैतून के तेल पर आयात शुल्क 40% तक बढ़ा दिया गया है।
- ⦿ कच्चे और पॉम ऑयल पर आयात शुल्क क्रमशः 44 और 54% तक बढ़ा दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- ⦿ भारत खाद्य क्षेत्र में कार्यरत अनेक एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। इनमें विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), सार्क फुड बैंक, खाद्य और कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC) और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (ISO) आदि शामिल हैं।

सार्क फूड बैंक

- ⦿ वर्ष 2007 में, नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार, सार्क देशों के प्रमुखों ने सार्क फूड बैंक स्थापित करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- ⦿ फूड बैंक क्षेत्र के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय प्रयासों में पूरक भूमिका निभाएगा।
- ⦿ इस समझौते के अनुसार, सार्क फूड बैंक में अनाज का भंडार रखा जाएगा। रखरखाव का काम सभी सदस्य देश करेंगे। जिसमें देश के मूल्यांकित हिस्से के अनुसार के बल गेहूं या चावल अथवा दोनों का समीकरण होगा।

खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य सुरक्षा समिति

- ⦿ वर्ष 1945 में स्थापित खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सबसे बड़ी विशेषज्ञता संपन्न एजेंसियों में से एक है।
- ⦿ इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ा कर और ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार लाकर पोषण और जीवन स्तर को सुधारना है।
- ⦿ विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) खाद्य उत्पादन, खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के लिए एक मंच के रूप में काम करती है।
- ⦿ भारत FAO और CFS दोनों का सदस्य है। खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) WFS कार्ययोजना की प्रगति की निगरानी करती है।

अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद

- ⦿ भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC) का सदस्य है। परिषद को 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता था।
- ⦿ यह गेहूं और मोटे अनाज के मामले में सहयोग के लिए

- निर्यात-आयात करने वाले देशों का अंतर-सरकारी मंच है।
- यह ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन, 1995 को प्रशासित करता है। इसका सचिवालय 1949 से लंदन में है, जो खाद्य सहायता सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित खाद्य सहायता समिति को भी सेवाएं प्रदान करता है।
 - अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौते में अनाज व्यापार समझौता और अनाज सहायता समझौता शामिल है।
 - भारत 1995 से अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौते और 1995 से लागू अनाज व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है।
 - IGC के दो प्रकार के सदस्यों में आयातक सदस्य देश और निर्यातक सदस्य देश शामिल होते हैं।
 - भारत को जुलाई 2003 में निर्यात सदस्य की श्रेणी में शामिल किया गया और भारत ने समय-समय पर आयोजित परिषद की बैठकों/सत्रों में प्रतिनिधित्व किया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1988 में स्थापित किया गया। बाद में इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया था तथा कृषि मंत्रालय के अधीन लाया गया। इसे 2001 में पुनः मंत्रालय बना दिया गया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नाम रखा गया।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है।
- एक मजबूत एवं गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यीकरण में जीवंत भूमिका निभाता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, कृषि उपजों का मूल्यवर्धन सुनिश्चित करता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए बाजार सृजित करता है।
- मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक निवेश लाने, उद्योग का मार्गदर्शन और सहायता करने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के यथेष्ट विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 के तहत मंत्रालय को आवंटित विषय इस प्रकार है:
 1. निम्नलिखित से संबंधित उद्योग:
 - कृतिपय कृषि उत्पादों (दूध पाउडर, शिशु दुध आहार, मिश्रित दुध आहार, संघनित दूध, घी एवं अन्य डेयरी

- उत्पाद), कुक्कुट एवं अंडे, मांस एवं मांस उत्पादों का प्रसंस्करण एवं प्रशीतन
 - मत्स्य प्रसंस्करण (के निंग एवं फ्रीजिंग सहित)
 - मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना तथा सेवा प्रदान करना
 - मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता एवं सलाह
 - फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (प्रशीतन एवं निर्जलीकरण सहित) एवं
 - खाद्यान्न मिलिंग उद्योग।
2. ब्रेड, तिलहन, आहार (खाद्य), नाश्ते के भोजन, बिस्कुट, कनफेक्शनरी (कोको प्रसंस्करण तथा चॉकलेट बनाने सहित), जौ सत्त्व, प्रोटीन आइसोलेट, उच्च प्रोटीन आहार, दूध छुड़ाने वाले आहार तथा अन्य निष्क्रमित खाद्य पदार्थों (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों सहित) से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास एवं नियंत्रण तथा सहायता।
 3. बीयर गैर-अल्कोहलयुक्त बीयर सहित
 4. गैर शीरा आधारित अल्कोहलयुक्त पेय
 5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष पैके जिंग
 6. वातित जल तथा सॉफ्ट ड्रिंक।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान

- कुछ वर्षों से भारत में कृषि उत्पादन में निरंतर उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दूध, घी, अदरक, के ला, अमरूद, पपीता और आम के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है। इसके अतिरिक्त, भारत चावल, गेहूँ, और कई अन्य सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि और सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार

- वर्ष 2014-15 के लिए उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 1773 लाख थी।
- NSSO के 67वें दौर, 2010-11 के अनुसार, गैर पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 47.9 लाख कामगारों को रोजगार प्राप्त हुआ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्थायी पूँजी

- स्थायी पूँजी में निवेश के संदर्भ में, 2014-15 को समाप्त होने वाले 6 वर्षों के दौरान पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 15.60%

की वार्षिक औसत दर से बढ़ि करता रहा है।

- ⦿ नवीनतम ASI 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्थायी पूँजी 1.92 लाख करोड़ रुपये थी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- ⦿ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वतः अनुमोदन के अंतर्गत शत-% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति है।
- ⦿ भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत FDI की अनुमति है।

खाद्य प्रसंस्करण और मेक इन इंडिया

- ⦿ इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अवसरंचना में निवेश कर रहा है।
- ⦿ सुदृढ़ कृषि संसाधन आधार वाले क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं यथा- सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सीवेज सुविधा और सार्वजनिक प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे पल्पिंग (लुग्दीकरण), पैके जिंग, शीतागार, शुष्क भंडारण और संभार से सुसज्जित मेगा फूड पार्कों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ⦿ ये फूड पार्क उद्यमियों को दीर्घावधि लीज के आधार पर पूर्णतः विकसित प्लॉट और फैक्ट्री शेड उपलब्ध कराते हैं।
- ⦿ मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक समर्पित 'निवेशक पोर्टल' के माध्यम से संभावित निवेशकों तक सूचना का प्रसार किया जा रहा है।
- ⦿ संयुक्त उपक्रम सहभागियों को खोजने, सहायता करने और परामर्श सेवाएं देने, विनियामक अनुमोदनों में तेजी लाने और निवेशकों को कार्य के पश्चात सहायक सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में निवेशकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय इन्वेस्ट इंडिया के साथ भी साझेदारी कर रहा है।
- ⦿ मंत्रालय खुदरा बाजार में FDI सहित एफडीआई को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रोड शो भी कर रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

- ⦿ मंत्रालय ने 2012 में, 12वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP) लांच किया।
- ⦿ 11वीं योजना की केंद्रीय क्षेत्र में 5 जारी योजनाओं तथा चार नई योजनाओं का मिशन में विलय किया गया।

- ⦿ CSS-NMFP राज्यों/संघशासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की गई। हालांकि 2015 में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में CSS-NMFP से केंद्रीय समर्थन वापस ले लिया गया और इसके परिणामस्वरूप मिशन की सभी 9 योजनाएं खत्म कर दी गईं।
- ⦿ भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना- किसान संपदा योजना (कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना) 2017 में लांच की और 2016-20 के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।
- ⦿ यह योजना 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ-साथ समाप्त होगी। यह एक विस्तृत पैके ज है, जो खेत से खुदरा दूकानों तक कारागार सप्लाई शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसरंचना निर्माण में सहायक होगा।
- ⦿ यह ना के बल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में सहायक होगा।
- ⦿ यह किसानों की आय दोगुनी करने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करने, कृषि उत्पादों को बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात प्रोत्साहन के लिए बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान

- ⦿ मंत्रालय ने 2012 में हरियाणा के कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना की।
- ⦿ निफ्टेम को ढी नोबो श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।
- ⦿ यह संस्थान B. Tech, M. Tech तथा PHD पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का संचालन कर रहा है।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान

- ⦿ यह संस्थान B. Tech, M. Tech तथा PHD पाठ्यक्रमों का संचालन करता है तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
- ⦿ योजना के अंतर्गत IIFPT को अवसरंचना सुविधाएं विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।



अध्याय

16.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और प्रमुख संक्रामक तथा गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है।
- इस पर स्वास्थ्य तथा संबंधित विषयों पर नीतियां बनाने, स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में राज्यों के मार्गदर्शन, केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रबंधन, चिकित्सा, नियमन (औषधियां और उपकरण) और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व भी है।
- इन पर किया जाने वाला खर्च स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सीधे तौर पर केंद्रीय योजनाओं या स्वायत्त/सांविधिक निकायों को अनुदान सहायता के जरिए देता है।
- इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दो विभाग थे— स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग।
- एडस नियंत्रण विभाग को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विलय कर दिया गया है। अब इसे राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन के नाम से जाना जाता है।
- आयुष विभाग को दिसंबर 2014 में योग, प्राकृतिक चिकित्सा युनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में बदल दिया गया।
- इसका उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना था।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय इसका संबद्ध कार्यालय है जो जनस्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में तकनीकी परामर्श देता है और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम लागू करने में शामिल होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 15 वर्ष के बाद जारी की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और प्रौद्योगिकी तथा महामारी संबंधी परिदृश्य से उत्पन्न इन चुनौतियों से निपटने के बारे में है।
- इसमें स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ा पैके ज सुनिश्चित करने की संकल्पना की गई है।
- नई नीति का उद्देश्य रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सबके लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाओं की ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें किसी को भी पैसे की तंगी की वजह से इलाज नहीं मिलने की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

नीति की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोण:

यह निवारक और उन्नायक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तेजी से बढ़ने वाले सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोण की हिमायत करती है।

2. अल्प पोषकता अपूर्णता:

अल्प पोषकता तथा कुपोषण को कम करने और सभी क्षेत्रों में पोषकता की कमी की विविधता के समाधान के लिए व्यवस्थित तरीके अपनाना।

3. मेक इन इंडिया पहल:

भारतीयों को परंपरागत स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने पर जोर देना।

4. डिजिटल हेत्य का इस्तेमाल:

स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और उनमें सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्था स्थापित करना ताकि दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक अनुभव में सुधार हो सके।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में एक प्रावधान स्वास्थ्य देखभाल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है। इसके तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्न पहल की है:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल:** यह स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जानकारी, नागरिकों और संबद्ध पक्षों को विभिन्न भाषाओं (वर्तमान में 6) में उपलब्ध कराने के लिए एक नागरिक पोर्टल के रूप में कार्य करता है।
- इस पर निःशुल्क टेलीफोन नंबर 1800-180-1104 पर जानकारी दी जाती है।
- एक मोबाइल एप की शुरुआत भी की गई है।
- यह स्वास्थ्य और रोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है जिनमें शामिल हैं- नियमों, मानकों, नीतियों, कार्यक्रमों, आयोगों इत्यादि और डाइरेक्टरी सेवाएं जैसे- अस्पताल, रक्त बैंक तथा एंबुलेंस सेवाएं।
- **अस्पताल सूचना प्रणाली:** इसे CHC स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में दक्षता तथा बेहतर सेवाओं के लिए अस्पताल प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली, ऑनलाइन पंजीकरण, फीस भुगतान तथा मिलने का समय निश्चित करने, ऑनलाइन नैदानिक रिपोर्ट, रक्त की उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन जानकारी इत्यादि के लिए विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने के बारे में है।
- किलकारी एप्लीकेशन की शुरुआत गर्भधारण, शिशु जन्म और देखभाल के बारे में निःशुल्क साप्ताहिक श्रव्य संदेश के लिए की गई है। यह असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए है।
- **मोबाइल एप:** विभिन्न मोबाइल एप की शुरुआत की गई है, जो निम्न प्रकार हैं।
 - इंट्रप्रस्थ, टीकाकरण का कार्यक्रम,
 - इंडिया फाइट्स डेंगू (डेंगू के लक्षणों, निकटम अस्पताल/रक्त बैंक की जानकारी और फोड बैंक देना),
 - NHP स्वस्थ भारत (रोग, जीवन शैली तथा प्राथमिक चिकित्सा सहायता),
 - HHP डायरेक्टरी सेवाएं (देशभर के अस्पतालों और रक्त बैंकों की जानकारी)

- नो मार टेंशन (मानसिक दबाव संबंधी मुद्दों पर जानकारी
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (सभी राज्यों में गर्भधारण के मामलों की सूचना)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन


- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और एड्स, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग जैसे संक्रामक रोगों पर काबू पाने के वैशिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक जोर स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्त पोषण बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% करने पर दिया गया है। 2005 में इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य की शुरुआत की गई।
- 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कर दिया गया।

मिशन इंद्रधनुष

- मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें नियमित टीकाकरण के दौरान सभी या कुछ बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगे हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 90% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है।
- मातृ और शिशु टिटनेस उन्मूलन की परिभाषा के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में जन्म के समय हर एक हज़ार पर एक से भी कम शिशु टिटनेस का मामला होने की स्थिति है।
- भारत को मई 2015 में मातृ और शिशु टिटनेस उन्मूलन करने वाले देश के रूप में मान्यता दी गई।
- देश ने यह लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर हासिल किया। जिसके लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाए गए और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाए गए।

नए टीके

- **पोलियो से बचाव का टीका:** विश्व में पोलियो उन्मूलन की रणनीति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए नवंबर 2015 से यह कार्यक्रम 6 राज्यों में शुरू किया गया।
- जून, 2016 तक इसका विस्तार समूचे देश में कर दिया गया। अगस्त, 2017 तक बच्चों को लगभग 2.79 करोड़ खुराक दी जा चुकी थी।



- ➲ खसरा रुबेला टीके के रूप में रुबेला टीका: खसरा रुबेला टीका अभियान 9 महीने से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फरवरी 2017 में शुरू किया गया था।
 - ➲ वयस्क जापानी इंसेफेलाइटिस टीका: जापानी एसैफेलाइटिस टीकाकरण 2006 में बच्चों के लिए शुरू किया गया।
 - ➲ 2015 में इस रोग से पीड़ित वयस्कों की अधिक संख्या बाले जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया।
 - ➲ नूमैटिक कॉन्जुगेट टीका: यह टीका बाल मृत्यु के एक बड़े कारण, निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए है।
- भारत नवजात शिशु कार्ययोजना**
- ➲ भारत में नवजात शिशुओं के लिए कार्ययोजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2030 तक नवजात शिशुओं और जन्म के समय मृत्युदर को 10 से कम करना है।

आयुष्मान भारत

- ➲ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नई योजना, आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2018 में की गई थी।
- ➲ यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'आयुष्मान भारत मिशन' के तहत चलाई जा रही है।
- ➲ इसके तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है।
- ➲ इस योजना का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित गरीब और कमज़ोर वर्गों के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- ➲ केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया जाएगा।
- ➲ इस योजना की कई विशेषताएं हैं और इसे गरीबों और वर्चितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- ➲ इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा लगभग दूसरे दर्जे की सभी और तीसरे दर्जे की अधिकतर स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
- ➲ यह सुविधा सभी लाभार्थियों (विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों) के लिए सुनिश्चित करने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
- ➲ इसमें अस्पताल में दाखिल किए जाने से पहले और बाद के खर्च भी शामिल होंगे।

- ➲ इसमें पात्रता का आधार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित मानदंड, महिला मुखिया बाले परिवार, परिवार में 16 से 59 वर्ष तक की आयु के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य का ना होना, दिव्यांग सदस्य और परिवार में दिव्यांगता के बिना किसी व्यस्क का ना होना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार और ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य स्रोत अस्थाई मजदूरी है।
- ➲ आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख नियमों में एक, सहकारिता संघवाद और राज्यों को स्वतंत्रता है। सह-सहयोग के जरिए राज्यों को भागीदार बनाने का भी प्रावधान है।
- ➲ राज्य सरकारों को इस योजना को लागू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की आवश्यकता होगी।

माँ के असीम वात्सल्य का कार्यक्रम

- ➲ माँ के असीम वात्सल्य के व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी।
- ➲ यह स्तनपान को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तनपान की दर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के जरिए इसे बढ़ावा देना, सुरक्षित बनाना तथा इसमें मदद करना है।
- ➲ इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करना, इसे बढ़ावा देना, सामुदायिक स्तर पर व्यक्तियों के बीच सलाह मशाविरा, प्रसव स्तर पर सहायता, निगरानी और पुरस्कार/मान्यता।

अतिसार नियंत्रण परिवाड़ा

- ➲ यह बच्चों की अतिसार से मृत्यु पर काबू पाने का कार्यक्रम है। इसका एक विशेष उद्देश्य ऐसी स्थिति बनाना है जिसके कारण किसी भी बच्चे की मौत ना हो।
- ➲ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अतिसार से होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण के लिए जुलाई 2014 से अभियान के रूप में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- ➲ इसके तहत 5 वर्ष तक की आयु के 14.7 करोड़ से अधिक बच्चों को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ORS उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस

- मिट्टी से पेट में जाने वाले कीड़ों से होने वाले संकमण की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय एक दिन का यह कार्यक्रम लागू कर रहा है।
- इसके तहत स्कूलों और आगंनवाड़ियों के 1 से 9 वर्ष के बच्चों को इसकी एक खुराक दी जाती है। फरवरी 2017 तक 27.8 करोड़ बच्चों की यह खुराक दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम 2013 में शुरू किया गया था। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और इन चार रोगों के बारे में पता लगाकर उनका निदान किया जाता है।
- जन्म के समय की अपूर्णता; रोग, कमी; अपगंता तथा विकास में देरी।
- इसमें 30 स्वास्थ्य खामियों का निःशुल्क निदान भी किया जाता है। इसमें तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्जरी भी शामिल हैं।
- इसके तहत देशभर में चरणबद्ध रूप से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी, सामग्री और सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी। इनमें शामिल हैं:
 - साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरण: IFA अनुपूरण के साप्ताहिक अंतर्ग्रहण के जरिए किशोर लड़कों तथा लड़कियों में एनीमिया की स्थिति के बारे में प्रामाणिकता आधारित अनुक्रिया कार्यक्रम है।
 - मासिक धर्म संबंधी साफ-सफाई योजना: इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किशोरियों को मासिक धर्म और सेनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी हो।
 - उन्हें उत्तम किस्म के सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही इनके निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीकों की जानकारी दी जाए।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

- ➲ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी महिलाओं को ऑपरेशन सहित सभी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।

जननी सुरक्षा योजना

- ➲ जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व की योजना है। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ तथा शिशु मृत्युदर में कमी लाना है।

परिवार नियोजन

- ➲ मिशन परिवार विकास, 7 राज्यों के सबसे अधिक प्रजनन वाले 146 जिलों में गर्भनिरोधक और परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था।
- ➲ ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम।

निःशुल्क दवाएं

- ➲ निःशुल्क दवाओं की पहल का उद्देश्य सुविधानुसार आवश्यक औषधियों की सूची, वृहद् खरीद प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी वाली सुविधाएँ, आपूर्ति चेन प्रबंधन, समुचित भंडारण, आवश्यक औषधि नियामक, गुणवत्ता निश्चित करने की व्यवस्थाएँ, मानक प्रशोधन दिशानिर्देश, नुस्खा परीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करना है ताकि निःशुल्क दी जाने वाली आवश्यक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

निःशुल्क नैदानिक सेवाएं

- ➲ निःशुल्क नैदानिक सेवाओं का उद्देश्य निदान पर अत्यधिक खर्च को कम करना और चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा

- ➲ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक उपलब्धि, डायल 108/102 एम्बुलेंस सेवा के तहत चलने वाली रोगी परिवहन एम्बुलेंस है। डायल 108 आपात कार्रवाई व्यवस्था है।

राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई

- ➲ राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई का उद्देश्य, ग्रामीण और विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव वाले इलाकों में लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

- ⦿ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली और सेवाओं के अंतरण को मजबूत करने की पहल है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान

- ⦿ इस कार्यक्रम के तहत हर महीने की 9 तारीख को हर गर्भवती महिला को प्रसव से निःशुल्क, निश्चित तौर पर, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराई जाती है।
- ⦿ इसमें दूसरी/तीसरी बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी दी गई है।
- ⦿ कार्यक्रम के अंतर्गत इन कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए व्यवस्थित रखेंगा अपनाया जाता है।
- ⦿ इनमें निजी डॉक्टरों को इस अभियान के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता पैदा करने के लिए नीतियां बनाना और निजी क्षेत्र को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के इस अभियान में शामिल होने की अपील करना शामिल है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

- ⦿ इस कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों को गरीबों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता दी जा रही है।
- ⦿ जिला अस्पतालों में PPP तरीके से डायलिसिस सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहभागिता रही है।
- ⦿ यह कार्यक्रम 384 जिलों में राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है।

सस्ती औषधियों और इलाज के लिए प्रतिरोधकों की विश्वसनीयता

- ⦿ केंसर और कार्डियक इम्प्लांट के साथ कार्डियोवस्कुलर के लिए सस्ती औषधियों और इलाज के लिए विश्वसनीय प्रतिरोधकों की उपलब्धता के लिए बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं।

कायाकल्प

- ⦿ कायाकल्प पुरस्कारों की शुरुआत जनस्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता, आरोग्य और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से की गई है।

अंग प्रत्यारोपण

- ⦿ राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, मानव अंग और ऊतक अधिनियम, 1994 के अनुसार प्रत्यारोपण कार्यों, प्रशिक्षण देने और मृतकों के अंगदान देने को बढ़ावा देने के बारे में है।

- ⦿ इसके तहत शीर्ष स्तर का एक संगठन राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में स्थापित किया गया है।
- ⦿ मृतक के अंगों और ऊतकों के दाने को बढ़ावा देने और इन्हें प्राप्त करने तथा वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री भी बनाई गई है।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र

- ⦿ इस कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की संयुक्त पहल है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

- ⦿ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित प्रावधान किए गए हैं।
- ⦿ यह मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है।
- ⦿ यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की अधिकतम देखभाल हो सके और वे सम्मान तथा गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
- ⦿ यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और पर्याप्तता में सुधार के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करता है।

(HIV & AIOsQ)

- ⦿ HIV & AIOs (रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 2017 का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप इस संक्रामक रोग को खत्म करना है।
- ⦿ इसके तहत एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ रोज़गार, शिक्षा संस्थानों, संपत्ति किए गए पर देने, सार्वजनिक या निजी कार्यालय में या स्वास्थ्य देखभाल और बीमा सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- ⦿ इस कानून का उद्देश्य HIV की जांच, उपचार और क्लिनिकल अनुसंधान के लिए जानकारी देकर सहमति और गोपनीयता बनाए रखते हुए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना भी है।
- ⦿ राज्य की देखभाल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को HIV रोकथाम, प्रशिक्षण, उपचार और सलाह प्राप्त करने का अधिकार है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

- ⦿ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, देश के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और क्लिनिकल

- के यह में तिगुनी स्वास्थ्य देखभाल क्षमता के विकास के बारे में है।
- ⦿ इसका उद्देश्य सस्ती/विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना है।
 - ⦿ इस योजना के दो घटक हैं-देश के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में एम्स जैसे नए संस्थानों की स्थापना और कॉलेजों का उन्नयन।
 - ⦿ योजना के तहत 2014-15 से इससे संबंधित सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेज किया गया और हर वर्ष पूँजीगत व्यय में औसतन 42% से अधिक वृद्धि की गई।

चिकित्सा शिक्षा

- ⦿ भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम 2016 के जरिए एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया गया है कि पूरे देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों के तहत प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा - राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा, शिक्षण वर्ष 2016-17 से शुरू की गई, इससे इन पाठ्यक्रमों में विशेषकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अनुचित तरीकों पर रोक लग सकेगी और चिकित्सा शिक्षा में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा इसमें उच्च मानदंड सुनिश्चित हो सकेंगे।

दंत चिकित्सा शिक्षा

- ⦿ भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के प्रारूप के तहत 2014 से 2016 के दौरान 12 नए कॉलेज खोल गए। पिछले 3 वर्षों में BOJ की 1,670 और MOJ की 943 सीटें बढ़ाई गई हैं।

संपूर्णात्मक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र

- ⦿ संपूर्णात्मक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र, आधुनिक और भारत की प्राचीन तथा परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के सम्मिलन के लिए अनुसंधान के लिए नई दिल्ली के एम्स की अग्रगामी पहल है।
- ⦿ इसका उद्देश्य एक आधुनिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना है।

केंसर, मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और स्ट्रोक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम

- ⦿ केंसर, मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और स्ट्रोक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव से असंक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना है।

- ⦿ इस कार्यक्रम के तहत जांच और नियोधक NCD सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

संशोधित तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

- ⦿ इस कार्यक्रम का उद्देश्य तपेदिक के रोगियों और इसके कारण होने वाली मौतों को कम करना और देश में एक बड़ी जनस्वास्थ्य समस्या बनने से रोकने के लिए इसके संक्रमण पर काबू पाना है।
- ⦿ सरकार इस कार्यक्रम के तहत राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को मानव संसाधनों, औषधियों, निदान और उपभोग्य सामग्री के लिए सहायता देती है।

राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम

- ⦿ राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- ⦿ HIV संक्रमणग्रस्त 10 लाख से अधिक लोग पूर्वव्यापी वायरल रोधी-ART उपचार ले रहे हैं।
- ⦿ इनके अलावा एक लाख से अधिक लोगों को परीक्षण और उपचार नीति के अनुरूप पूर्वव्यापी वायरलरोधी (ARV) उपचार के दायरे में लाया गया है।
- ⦿ यह नीति ART उपचार ले रहे सभी रोगियों के लिए है, चाहे वे सीडी काउंट या क्लिनिकल चरण में हों।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

- ⦿ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007-08 में 9 राज्यों के 18 जिलों में शुरू किया गया था।
- ⦿ 2008-09 में इसे और 12 राज्यों के 24 जिलों में भी शुरू कर दिया गया। वर्तमान में यह 29 राज्यों के 53 जिलों में लागू है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

- ⦿ इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।
- ⦿ इसके लिए सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला स्तरीय कार्यों में सहायता दी जा रही है।
- ⦿ इस कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों में नियमित रूप से मनोविकारी OPD तथा IPD सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

- ⦿ इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के बुजुर्गों को अलग से विशेषज्ञता और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

जलने के घावों की रोकथाम और ऐसी घटनाओं के प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

- ➲ इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलने की घटनाओं और इनकी वजह से होने वाले घावों, अपगंता तथा मृत्युदर में कमी लाना है।
- ➲ इसके लिए लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और उद्योगों तथा खतरनाक व्यवसायों में लगे कर्मियों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उनका पुनर्वास कराना है।

नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम

- ➲ इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014-15 में की गई थी।
- ➲ इसका मुख्य उद्देश्य देश की जनस्वास्थ्य सुविधाओं में ओरल हेल्थ देखभाल सेवाओं को मजबूत कर ऐसे रोगियों की संख्या कम करना है।

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

- ➲ इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के जरिए सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराकर कुष्ठ रोगियों में कमी लाना है, ताकि सभी राज्यों और जिलों में जनस्वास्थ्य की समस्या बनी इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
- ➲ इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नए मामलों की संख्या कम कर प्रतिवर्ष एक लाख की जनसंख्या पर 1% तक की जानी है।
- ➲ इस कार्यक्रम के कार्यकलापों में शामिल हैं रोग का पता लगाना तथा उसका इलाज, अपंगता, रोकथाम, स्वास्थ्य बहाली, व्यवहार में परिवर्तन, संचार सहित IEC, मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन।
- ➲ यह योजना आयुष्मान भारत योजना में शामिल की जा चुकी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

- ➲ यह योजना, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले अधिकतर रोगों के लिए सरकारी और सूची में शामिल निजी अस्पतालों में नकदीरहित इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

समावेशी रोग निगरानी कार्यक्रम

- ➲ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित यह योजना सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। इसके मुख्य उद्देश्य और रणनीति में शामिल हैं- महामारी का रूप लेने की आशंका वाली बीमारियों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी की मदद से संचालित निगरानी प्रणाली का मजबूत और कार्यरत बनाए रखना ताकि रोग के लक्षणों पर

नजर रखी जा सके और प्रशिक्षित तथा त्वरित कार्रवाई दलों के माध्यम से रोग के फैलने की शुरुआत में ही इसका पता लगाकर इलाज किया जा सके।

- ➲ वर्तमान में 90% से अधिक जिले ई-मेल और पोर्टल के जरिए साप्ताहिक डाटा भेजते हैं। SSU/OsQU इसके आधार पर रोग के लक्षणों का आकलन करते हैं।
- ➲ अगर कभी रोग के बढ़ने के लक्षण पाए जाते हैं तो बीमारी का पता लगाने और उसके फैलने से रोकने के लिए RRT द्वारा जांच की जाती है।

खाद्य नियम

- ➲ अधिकृत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 125 और रेफरल प्रयोगशालाओं का संख्या 16 कर दी गई है। खाद्य पदार्थों के संबंध में 19 मानक और नियम हैं।
- ➲ इनमें शामिल हैं- खाद्य सुरक्षा तथा मानक (स्वास्थ्य अनुपूरकों, पोषकों के लिए खाद्य विशेष आहार के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा के उद्देश्य के लिए खाद्य, फंक्शनल खाद्य और नए खाद्य) नियम, 2015;
- ➲ चांदी के वर्क के मानकों में संशोधन;
- ➲ फलों को पकाने के लिए एथेलीन गैस का इस्तेमाल; खाद्य योगजों का कोडेक्स के साथ मिलान, कच्ची दालों के लिए मानक, मीट तथा उससे तैयार उत्पादों और दूध तथा उससे बने उत्पादों के लिए जीवाणु तत्व संबंधी मानक, ट्रेडमार्क युक्त खाद्य के लिए मानक;
- ➲ खाद्य सुरक्षा तथा मानक, खाद्य अधिनियम 2016;
- ➲ खाद्य सुरक्षा तथा मानक (आयात अधिनियम 2017) और खाद्य सुरक्षा तथा मानक (खाद्य प्रत्याहार प्रक्रिया) अधिनियम, 2017।

औषधि अधिनियम

- ➲ चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है।
- ➲ राष्ट्रीय नियमन प्राधिकरण को 5 में से 4 और 4 में से 3 कार्य के सर्वाधिक परिपक्वता स्तर के साथ क्रियाशील घोषित किया गया।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

- ➲ राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना 1997 में की गई थी। इसका उद्देश्य खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ➲ यह सहायता एकमुश्त अनुदान के रूप में उस अस्पताल के अधीक्षक को पहुंचाई जाती है जिसमें रोगी का इलाज चल रहा होता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का केंसर रोगी कोष

- ⦿ स्वास्थ्य मंत्रालय के केंसर रोगी कोष को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत 2009 में शुरू किया गया था।
- ⦿ इस कोष के इस्तेमाल के लिए 27 क्षेत्रीय केंसर केंद्रों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत एक कोष बनाया गया है।
- ⦿ इन उपायों से राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के केंसर रोगी कोष के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी और जरूरतमंद केंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता बिना देरी के सुनिश्चित हो सके गी।

स्वास्थ्य मंत्रालय विवेकाधीन अनुदान

- ⦿ स्वास्थ्य मंत्रालय विवेकाधीन अनुदान योजना के तहत बड़ी बीमारियों के इलाज और सर्जरी के लिए अस्पताल का कुछ खर्च चुकाने के लिए गरीबों और जरूरतमंद मरीजों के लिए सवा लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- ⦿ जो लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आरोग्य निधि का लाभ नहीं उठा सकते और उनकी सालाना आमदनी सवा लाख रुपये तक है, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वैश्विक उपस्थिति

- ⦿ भारत, वैश्विक आयोजनों जैसे- विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2017 और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य सम्मेलन में नियमित रूप से भाग लेता है। वह प्रमुख वक्ता के रूप में भागीदारी करता है।
- ⦿ भारत ने ब्रिक्स 2017 की मेजबानी की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठकों के आयोजन में समन्वय किया।
- ⦿ इसमें भारत ने क्षय रोग, चिकित्सा उपकरणों और MAR जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सदस्य देशों को मदद जारी रखने की हिमायत की। भारत अंतर-सरकारी संगठन 'जनसंख्या और विकास में भागीदारी' का संस्थापक सदस्य है।

स्वास्थ्य अनुसंधान

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

- ⦿ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद- ICMR की स्थापना 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ के रूप में की गई थी। यह विश्व की सबसे पुरानी अनुसंधान इकाइयों में से एक है।
- ⦿ परिषद ने अपने सौ वर्ष से अधिक लंबे कार्यकाल में भारत और विश्व में बायोमेडिकल अनुसंधान के नियोजन, सूचीकरण, समन्वयन, कार्यान्वयन और संवर्द्धन में अग्रणी भूमिका निभाई है।

- ⦿ यह अनुसंधान, व्यावसायिक विकास, सहयोग और ज्ञान के प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बल पर देश की शीर्ष और अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान संस्था बनी हुई है।
- ⦿ अपने 32 अनुसंधान संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों तथा गैरसरकारी परिषद ने मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, तपेदिक, एड्स, कालाजार, फिलारियासिस, कृष्ण रोग और पोलियो जैसे रोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान किया है।

प्रमुख कार्यक्रम

- ⦿ भारतीय तपेदिक अनुसंधान संकाय: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मुख्य भूमिका निभाते हुए एक नया प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया ताकि भारतीय तपेदिक अनुसंधान और विकास संकाय की स्थापना की जा सकें।
- ⦿ इसका उद्देश्य तपेदिक की समस्या को लक्ष्य बनाकर निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में सभी बड़े राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं को एक मंच पर लाना है।
- ⦿ तपेदिक नैदानिक पहल: TB/MDR-टीबी के लिए देश में निर्मित सस्ती, त्वरित अणु संबंधी नैदानिक किट-ट्रूएनट रिफ का विकास ICMR, DBT और उद्योग के सहयोग से किया गया है।

ई-हेल्थ/एम हेल्थ और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग

- ⦿ समय बदलने के साथ-साथ ICMR, e-Health/m-Health के इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों पर जोर दे रही है।
- ⦿ ICMR ने मोबाइल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए मलेरिया के लिए एक मोबाइल आधारित रोग निगरानी प्रणाली विकसित की है।
- ⦿ इस प्रौद्योगिकी का विकास RMRC, डिब्रूगढ़ ने CDAC, पुणे के सहयोग से किया है जिसे असम के तेंगाघाट PHC में लगाया गया है।

रोग जिम्मेदारी अनुमान

- ⦿ राज्य स्तरीय रोग जिम्मेदारी अनुमान की शुरुआत अमरीका में वाशिंगटन के एक विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से की गई।
- ⦿ इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नियोजन में सुधार के लिए राज्य स्तरीय रोगों की जिम्मेदारी और जोखिम का अनुमान लगाना है।

जीका वायरस के प्रकोप से निपटने की तैयारी

- ⦿ ICMR-NIV ने जीका परीक्षण के लिए देश में 25 स्थानों पर निगरानी की व्यवस्था की है।
- ⦿ 25 प्रयोगशालाओं और 11 IOsQP प्रयोगशालाओं के लिए पुनरावर्ती प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया गया है।
- ⦿ ICMR के निगरानी नेटवर्क से जीका वायरस के 4 मामलों का पता चला है (3 गुजरात में एक तमिलनाडु में पाया गया है)।
- ⦿ जीका वायरस के लिए एन्टोमोलोजिकल निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय रोटा वायरस निगरानी नेटवर्क (2012-16)

- ⦿ व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोटा वायरस टीके के असर और रोटा वायरस डायरिया की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए 4 प्रमुख रेफरल प्रयोगशालाओं, 7 ICMR की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और 23 अस्पताल स्थलों पर अध्ययन किया गया।

आयुष

- ⦿ मंत्रालय का गठन 2014 में किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों का अधिकतम विस्तार और प्रचार हो सकें।
- ⦿ इससे पहले इसे भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग के नाम से जाना जाता था जिसे 1995 में बनाया गया था।
- ⦿ 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग कर दिया गया।

स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियां

आयुर्वेद	<ul style="list-style-type: none"> ◻ आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है- जीवन विज्ञान। आयुर्वेद वेदों से निकला है जो जीवन, रोग और स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ◻ 2500 ईसा पूर्व के आस-पास विकसित चरक संहिता और सुश्रृत संहिता आयुर्वेद के मुख्य नुस्खे में पूरी तरह उपलब्ध हैं। ◻ आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्यों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की पहली जरूरत स्वास्थ्य है। ◻ आयुर्वेद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का माध्यम है।
----------	--

योग	<ul style="list-style-type: none"> ◻ योग अध्यात्म से जुड़ा है। यह स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। जो शरीर और मन के बीच समरसता पैदा करता है। ◻ योग शब्द के दो अर्थ हैं- पहला युजिर अर्थात् जोड़ और दूसरा युजा जिसका अर्थ है- समाधि, यानी मन की सर्वोत्तम और संपूर्ण ज्ञान की अवस्था। ◻ संस्कृत के जाने-माने व्याकरण के ज्ञाता के अनुसार योग के ये दो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ हैं।
प्राकृतिक चिकित्सा	<ul style="list-style-type: none"> ◻ प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है। ◻ इसमें औषधियां नहीं दी जाती और यह पूरी तरह संस्थापित तत्व ज्ञान पर आधारित है। ◻ स्वास्थ्य, रोग और इलाज के सिद्धांतों के बारे में इसकी अपनी अवधारणा है।
यूनानी	<ul style="list-style-type: none"> ◻ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियोजन के बारे में प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ सुव्यवस्थित जीवन की हिमायती है। ◻ इसमें स्वास्थ्यवर्द्धन, बलवर्द्धन, रोग निवारण और आरोग्य बनाने की क्षमता है।
सिद्ध	<ul style="list-style-type: none"> ◻ यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ ग्रीस में हुआ। बाद में कई देशों में प्रचलित होने के बाद यह भारत पहुंची। यह पद्धति पूर्ण स्वास्थ्य के संबंधन और रोगों के निवारण से संबंधित संस्थापित ज्ञान और प्रयोग पर आधारित है। ◻ इसमें मिस्र, अरब, ईरान, चीन, सीरिया और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं के परंपरागत ज्ञान का समावेशन है। ◻ इसमें प्राकृतिक पदार्थों, ज्यादातर जड़ी-बूटियों, जानवरों, समुद्री उत्पादों और कच्ची धातुओं से बनी दवाओं के प्रयोग पर जोर दिया जाता है।

होम्योपैथी	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> हिपोक्रेट्स के समय (लगभग 400 ई.पू.) से चिकित्सक मानते रहे हैं कि कुछ तत्व स्वस्थ व्यक्तियों में उसी तरह रोग के लक्षण पैदा करते हैं जिस तरह रोगियों में। <input type="checkbox"/> जर्मनी के डॉ. क्रिस्टियन फ्रायडरिच सेमुएल हाहनेमैन ने इस तथ्य की वैज्ञानिक जांच की और होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों को सहिताबद्ध किया।
सोवा-रिग्पा	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> यह दूनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है। इसका इतिहास ढाई हजार वर्ष से भी पुराना है। <input type="checkbox"/> यह हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर लेह-लद्धाख (जम्मू-कश्मीर), हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि में प्रचलित है। <input type="checkbox"/> यह पद्धति दमा, ब्रॉकाइटिस, गठिया जैसे गंभीर रोगों के इलाज में असरदार है। सोवा-रिग्पा के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं।
	<ul style="list-style-type: none"> ● शरीर और दिमाग इलाज के केंद्र बिंदु हैं; ● एंटीडॉट जैसे इलाज; ● एंटीडॉट के जरिए इलाज का तरीका; ● रोग का निदान करने वाली औषधियां तथा ● औषध विज्ञान।
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> मानव शरीर की रचना में ब्रह्माण्ड संबंधी 5 भौतिक तत्वों, विकार की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया जाता है।

आयुष स्वास्थ्य देखभाल संरचना

- यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने; मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष डिस्पेंसरियों के उन्नयन और अधिकतम 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना पर ध्यान देता है।

- इसके अलावा, यह आयुष शिक्षा संस्थानों को मजबूत करता है; आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी दवाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने की व्यवस्था करता है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इन चिकित्सा पद्धतियों के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

आयुष औषधि गुणवत्ता नियंत्रण

- आयुष मंत्रालय की अपनी औषधि नियंत्रण इकाई है जो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं से संबंधित मुद्दों की देखरेख और समन्वय का काम करती है।

आयुष में चिकित्सा शिक्षा

- सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वैधानिक इकाई है। इसका गठन इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के तहत किया गया है।
- यह अपने विभिन्न विनियमों के जरिए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में चिकित्सा शिक्षा के मानक तय करती है।
- होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा का नियमन सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी अपने विभिन्न विनियमों के जरिए, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट - के तहत करती है।
- योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए इस प्रकार का कोई संचालन निकाय नहीं है।

नए स्वायत्त संस्थान

1. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली:** यह आयुर्वेद का शीर्ष संस्थान है, जिसमें 200 बिस्तरों वाला रेफरल अस्पताल है। इसमें आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट और PHD कोर्स हैं। 18 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 84 सीटें हैं। इसमें OPD भी है।
2. **पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलौना:** इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी कॉलेजों के अलावा अस्पताल भी है। आयुर्वेद अस्पताल में 100 और होम्योपैथी अस्पताल में 50 बिस्तर हैं।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, देश में औषधीय पौधों से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में समन्वय करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। बोर्ड, संबंधित मंत्रालय, विभाग तथा एजेंसियों की परामर्शदाती इकाई है।
- यह औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण तथा इनके चहुंमुखी विकास

संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की योजना बनाने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और औषधीय पौधों से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्य नीति बनाने में परामर्श देता है।

आयुष भेषज प्रयोगशालाएं

भारतीय औषधियों के लिए भेषज प्रयोगशाला

- गाजियाबाद स्थित यह प्रयोगशाला आयुष मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है।
- इसकी स्थापना 1970 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी मेडिसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भेषज मानक निर्धारक और औषध जांच प्रयोगशाला के रूप में की गई थी।
- ये औषधि और सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1940 के तहत इन चारों चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं के परीक्षण के लिए एक अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में काम करती हैं।

होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला

- होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला की स्थापना (गाजियाबाद) एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में की गई थी।

- इसका उद्देश्य होम्योपैथिक दवाओं की पहचान, शुद्धता तथा गुणवत्ता के लिए परीक्षण करना तथा मानकों का निर्धारण करना है।
- यह प्रयोगशाला होम्योपैथिक दवाओं की परीक्षण की केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है।

भारतीय औषधियां और होम्योपैथी भेषज आयोग

- आयुष मंत्रालय की प्राथमिकता आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास और इनका नियतकालिक नवीनीकरण करना है।
- इन दवाओं की लोकप्रियता और मांग तेज़ी से बढ़ रही है।
- आयोग, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसे मुख्य रूप से भारत में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी भेषज का समुचित समय के अंतराल में प्रकाशन तथा परिशोधन;
- आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी सूत्रोंकरण तथा होम्योपैथिक औषधीय नियम संग्रहों का प्रकाशन तथा परिशोधन;



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

Answer Key:

1. (b)

2. (d)

3.(c)

4.(d)

5.(a)

6.(c)

अध्याय

17.

आवास और शहरी कार्य

- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MOHUA) पर शहरी आवास एवं शहरी विकास के लिए कार्यक्रमों से जुड़ी व्यापक योजनाओं की तैयारी और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी है। यह केंद्रीय स्तर पर शहरी यातायात के नीति निर्माण और उनके समन्वयन का नोडल मंत्रालय है।
- शहरी विकास राज्यीय कार्य होता है और सर्विधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस संबंध में कई कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है।
- हालांकि, भारत सरकार विभिन्न केंद्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के आधार पर शहरी परियोजनाओं, शहरी आजीविका मिशन और समग्र शहरी विकास कार्यक्रमों के समन्वयन और उनकी निगरानी का कार्य करती है।
- मंत्रालय शहरी क्षेत्र के लिए उचित नीति निर्धारकों, अधीनस्थ कानूनों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के 2030 के विकास एजेंडा में शहरों के लिए संधारणीय स्थायी विकास लक्ष्य (SDG) पर जोर दिया गया है, इसका अर्थ, मानव बस्तियों को सम्मिलित, सुरक्षित, लचीली और स्थायी बनाने के लिए शहरों एवं समुदायों के संधारणीय विकास पर जोर दिया गया।
- भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की आबादी 1210.50 मिलियन थी जिसमें 377.10 मिलियन (31.2%) शहरों में और 833.40 मिलियन (68.8%) ग्रामीण इलाकों में थी।
- मौजूदा वृद्धि दर के अनुसार अनुमान है कि 2030 तक शहरी जनसंख्या 575 मिलियन और 2050 तक 875 मिलियन तक पहुंच जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना - सब के लिए (शहर) आवास

- ⌚ सब के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का आरंभ किया था, जिसे 2015-2022 तक अमल में लाया जाना है।
- ⌚ मिशन में सभी सांविधिक शहरों के सभी उपयुक्त परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- ⌚ शहरी क्षेत्र में सब के लिए आवास मिशन पर कार्य करने के लिए 4 पहलें की गई हैं:
 - (1) निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता से स्वस्थ झोपड़ी पुनर्विकास रिडेवलपमेंट (ISSR) के साथ मलिन बस्तियों में रहने वाले पात्रों के लिए उन स्थानों पर आवास विकास;
 - (2) ऋण युक्त अनुदान के माध्यम से वहन योग्य आवास

विकास (CLSS का नाम बदल कर EWS/IG के लिए सीएलएसएस कर दिया गया है) लोक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से मूल्य वहन योग्य आवास निर्माण (AHP): लाभार्थी द्वारा स्वयं का आवास निर्माण/वृद्धि;

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए 30 वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्र वाले आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य इन मकानों के आकार में वृद्धि भी कर सकते हैं।

आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवार सालाना 3 लाख से कम आमदनी वाले होते हैं और 3-6 लाख रुपये वार्षिक आय वाले वर्गों को निम्न आय वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है।

योजना की प्रगति

- ⦿ 29 राज्यों और 7 संघशासित प्रदेशों में 35 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं;
- ⦿ मिशन के अंतर्गत 35 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में 4,302 शहरों का चुनाव हुआ है।

अमृत योजना

- ⦿ अटल मिशन फॉर रिजूवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) की शुरुआत 2015 में की गई थी।
- ⦿ 500 शहरों को इस मिशन के अंतर्गत रखा गया है।
- ⦿ एक लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB), राज्यों की राजधानियाँ/केंद्रशासित प्रदेश, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (HRIDAY) के अधीन शहर, मुख्य नदियों के किनारों पर चिह्नित शहर, पर्वतीय राज्य, द्वीप एवं पर्यटन केंद्र इस श्रेणी में आते हैं।
- ⦿ अमृत योजना में देश की 60% शहरी आबादी को समाहित किया गया है।
- ⦿ यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।
- ⦿ मिशन के प्रमुख कार्य जलापूर्ति, सीवरेज और सेटेज मैनेजमेंट, बरसाती पानी, हरित क्षेत्र एवं पार्क, गैर-मोटरयुक्त शहरी यातायात एवं क्षमता विकास है।
- ⦿ मिशन के अंतर्गत निर्दिष्ट शहरों में बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास पर केंद्रित किया गया है जिससे निम्न नतीजे अपेक्षित हैं:
 1. प्रत्येक घर को पेयजल आपूर्ति दायरे में लाना;
 2. सीवरेज क्षमता व्याप्ति एवं उसके रखरखाव में व्यापक सुधार;
 3. सिटी पार्क का विकास;
 4. सुधार कार्यान्वयन और क्षमता विकास।

दीनदयाल अंत्योदय योजना

- ⦿ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी निर्धन घरों की गरीबी एवं संबंधित संवेदनशीलता दूर करने के लिए 2013 से केंद्र द्वारा प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना संचालित कर रहा है।
- ⦿ मिशन के अंतर्गत देश के सभी सार्विधिक शहरों को शामिल किया जाता है जिनका चुनाव राज्य स्थानीय जरूरत एवं क्षमता के आधार पर करता है।

इसके 5 प्रमुख अंश हैं:

- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्था विकास (SM & ID) योजना के अंतर्गत शहरी निर्धन महिलाओं, दिव्यांगों और मितव्यवीय एवं ऋण आधारित स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उनके समुदाय आधारित संगठनों को गतिशील करने से जुड़ी एक नीति बनाई गई है।
- कौशल विकास एवं प्लेसमेंट (EST & P) के जरिए शहरी निर्धन वर्ग को बाजार व्यवस्था आधारित कारों में प्रशिक्षित कर स्थायी आजीविका कमाने के लिए दक्ष बनाना;
- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत शहरी निर्धन व्यक्तियों/समूहों को रोजगार उपक्रम/लघु उद्यम खोलने के लिए सहायता दी जाती है;
- गलियों में फेरी लगाने वालों के लिए योजना, फेरी लगाने वालों के लिए बाजार विकास, ऋण अधिकार, गली में फेरी लगाने वालों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, कौशल विकास एवं लघु उद्यम विकास और सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सहयोग विलयन;
- नवीकृत एवं विशेष परियोजनाएं (I & SP) लोक, निजी एवं सामुदायिक सहभागिता (PPCP) के माध्यम से नगरीय रोजगार के स्थायी स्रोतों को प्रोत्साहन देने का प्रयास है।

स्मार्ट सिटी मिशन

- ⦿ स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस मिशन का लक्ष्य ऐसे शहरों को तैयार करना है।
- ⦿ जो अपने नागरिकों को बुनियादी अवसंरचना और बेहतर जीवनशैली उपलब्ध कराते हों, साथ ही स्वच्छ एवं संधारणीय वातावरण और 'स्मार्ट' सॉल्यूशन्स को अमल में लाना है।
- ⦿ स्मार्ट सिटी में निहित बुनियादी अवसंरचनात्मक तत्वों में प्रचुर जलापूर्ति, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सुचारू नगरी आवागमन और जन यातायात, बहनीय आवास, खासकर निर्धन वर्ग के लिए, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन, विशेषकर ई-गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता नागरिक सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए एवं स्वास्थ्य और शिक्षा।

कार्यनीति

- ⦿ स्मार्ट सिटीज मिशन के नीतिगत अवयवों में शहरी सुधार (पुनः संयोजन), शहरी नवीकरण (पुनःविकास) और शहरी

क्षेत्र विस्तार (हरितपट्टी विकास) के साथ-साथ समूचे शहर में स्मार्ट सॉल्युशन्स अमल में लाना जिन्हें शहर के अधिकांश हिस्सों पर लागू किया जाएगा।

- ⦿ इस मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को शामिल किया गया है और इसकी अवधि 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) की होगी।

वित्त

- ⦿ मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार मिशन को 48,000 करोड़ रुपये का अनुदान देगी जिसका अर्थ है प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपया जाएगा।

भू-संपदा

- ⦿ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2015 को पारित किया था। 2016 में यह कानून बना।
- ⦿ इसका लक्ष्य भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण का गठन करना है ताकि भू-संपदा क्षेत्र के लिए नियम बनाए जा सके एवं उसे प्रोत्साहित किया जा सके और जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सकें।
- ⦿ यह कानून जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
- ⦿ इनमें से 7 पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं जहां सामुदायिक और स्वायत्त परिषदों की संपदा वाली जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर कुछ संवैधानिक विवाद शेष हैं जिन पर जांच जारी है।

पथ विक्रेता कल्याण योजना

- ⦿ पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 का लक्ष्य नगरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा और फेरी लगाने की गतिविधियों को नियमित करना है।
- ⦿ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभाओं के साथ) अपने-अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पथ विक्रेता अधिनियम के अंतर्गत नियम एवं योजनाएं बनाने के सबसे उपयुक्त पात्र हैं।

हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट

- ⦿ द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (HRIDAY) भारत सरकार का केंद्रीकृत योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया था।
- ⦿ इसका लक्ष्य सम्मिलित तौर पर शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत का संरक्षण करना है ताकि प्रत्येक हेरिटेज सिटी का मूल चरित्र सुरक्षित रह सके।

शहरी यातायात

- ⦿ किसी भी शहर की उत्पादकता तब बढ़ जाती है यदि उसका अवसंरचनात्मक ढांचा बेहतर और सेवा व्यापार अच्छा हो।
- ⦿ इस कार्य में शहरी यातायात शहरी अवसंरचना का महत्वपूर्ण अंश है।
- ⦿ इसकी मदद से शहरी अर्थिक गतिविधियों और सामाजिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।
- ⦿ अच्छा रोड नेटवर्क और सुचारू शहरी यातायात किसी भी शहर और उसके बातावरण में कार्यकारी सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ⦿ यातायात व्यवस्था जितनी तेजी से लोगों और वस्तुओं को लाने-ले जाने का कार्य करेगी, यह उतनी ही तेजी से आर्थिक कार्य व्यापार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन में सहायक होगी।
- ⦿ यह मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर शहरी यातायात के मामलों के योजना निर्माण और समन्वयन का नोडल मंत्रालय है।
- ⦿ हालांकि, रेल यातायात की तकनीकी योजना बनाने का कार्य रेलवे मंत्रालय के पास है।
- ⦿ इसी तरह, मार्ग यातायात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी है।
- ⦿ इसके बावजूद, शहरी यातायात अवसंरचना और सेवा वितरण कार्य राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की बड़ी जिम्मेदारी होती है।



अध्याय 18.

भारत और विश्व

- विश्व के साथ संपर्क कायम करने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया में शांतिपूर्ण और स्थिरता वाला माहौल बने। जिससे भारत की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियाँ बने।
 - वैश्विक मामलों में देश की निखरती छवि और दूनिया के कठिन आर्थिक वातावरण के बावजूद भारत का तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना एक ऐसा अवसर है। जिसका फायदा भारत के नीतिगत और आर्थिक विकल्पों में विविधता लाने में उठाया जा सकता है।
 - इसी संदर्भ में भारत ने प्रत्येक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय साझेदारों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया है ताकि संबंधित क्षेत्रों में इस तरह के संबंधों से भारत को अधिकतम फायदा दिलाया जा सके।
 - इस अवधि के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के समूचे परिवृश्य को आपस में जोड़ने वाले सूत्रों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।
 - विदेश मंत्रालय या विदेशी मामलों का मंत्रालय दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को संचालित करने वाली एजेंसी है।
-
- ◉ विगत वर्षों की तरह 2017-18 में भी भारत की व्यावहारिक और परिणाममूलक विदेश नीति जारी रही।
 - ◉ जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, देश में आमूल आर्थिक बदलाव लाने जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर गैर करना था।
 - ◉ इंटरनेशनल सोलर अलायंस (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन) के गठन के बाद, जो संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जलवायु परिवर्तन के मसले से निपटने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
 - ◉ भारत ने शंघाई सहयोग संगठन, G-20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच जैसी विभिन्न बैठकों में भी हिस्सा लिया।
 - ◉ नवंबर 2017 में भारत ने विश्व उद्यमिता शिखर सम्मेलन और साइबर स्पेस के बारे में वैश्विक सम्मेलन, रायसीना डायलॉग के तीसरे संस्करण और जनवरी 2018 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
 - ◉ ‘पड़ोसी को तरजीह’ देने की सरकार की नीति के तहत भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखा।
 - ◉ प्रधानमंत्री ने श्रीलंका और म्यांमार की यात्रा की और विदेश मंत्री ने नेपाल और बांग्लादेश का दौरा किया।
 - ◉ इसी तरह श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए और अफगानिस्तान सरकार के मुख्य कार्यकारी के भारत दौरे से पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय संपर्कों का सिलसिला और मजबूत हुआ।
 - ◉ जून 2017 में अफगानिस्तान के साथ डेडिकेटेड एयर कार्गो कॉरीडोर (हवाई माल ढलाई गलियारे) का उद्घाटन किया गया जिसके तहत काबुल-दिल्ली और कंधार-दिल्ली के बीच हवाई माल परिवहन सुविधा शुरू होने से क्षेत्रीय संपर्क संबंधी बाधा दूर हुई और दोनों देशों के व्यापार में और तेजी आई।
 - ◉ इस हवाई गलियारे से अब तक 1,000 टन सामान का परिवहन पहले ही किया जा चुका है।
 - ◉ बांग्लादेश के साथ संबंधों की खास बात यह रही कि असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई।
 - ◉ बांग्लादेश के लिए 4.5 अरब डॉलर के तीसरे ऋण की घोषणा की गई।
 - ◉ जिसकी मदद से अत्याधुनिक किस्म के बंदरगाहों के निर्माण, रेलवे, बिजली और ऊर्जा, दूरसंचार तथा जहाजरानी से संबंधित परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

- ⦿ जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग में लगातार प्रगति हुई और भारत-भूटान व्यापार और पारगमन समझौते का नवंबर 2017 में नवीनीकरण किया गया और जुलाई 2017 से इस पर अमल शुरू हो गया।
- ⦿ व्यापार को और सुगम बनाने के इन अतिरिक्त उपायों से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में और तेजी आई।
- ⦿ मालदीव के साथ पुराने संबंधों को उनकी प्रतिरक्षा और सुरक्षा सुदृढ़ करने, संस्थाओं और उनकी क्षमता के सृजन तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत की सहायता से और मजबूती मिली।
- ⦿ सांस्कृतिक और भौतिक संपर्क तथा डिजिटल कनेक्टिविटी भारतीय राजनय के महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।
- ⦿ म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बहु-आयामी संपर्कों के विकास में लगातार प्रगति हो रही है।
- ⦿ ईरान में चाबहार बंदरगाह के चालू हो जाने से मध्य एशिया के हमारे सहयोगी देशों के साथ संपर्कों के और मजबूत होने और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- ⦿ दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में परिवहन संबंधी दक्षता में सुधार लाने और अर्थर्थक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिमस्टेक और BBIN जैसे संगठनों के माध्यम से संपर्क सुविधाओं के विकास के प्रयास किए गए।
- ⦿ भारत ने जून 2017 में आयोजित TER (ट्रांसपोर्ट्स इंटरनॉक्स रॉडटीर्स) सम्मेलन में भी हिस्सा लिया।
- ⦿ भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार निवेश और टेक्नोलॉजी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारत ने विभिन्न देशों के साथ साझेदारी में हितों में पारस्परिक समानता का फायदा उठाया है।
- ⦿ संयुक्त राष्ट्र महासभा, G-20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पूर्व-एशिया शिखर सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहु-पक्षीय संगठनों की बैठकों के दौरान भारत ने दुनिया के नेताओं के साथ अलग से भी बैठकें आयोजित की।
- ⦿ जून 2017 में प्रधानमंत्री की अत्यंत सफल अमेरिका यात्रा के दौरान हिंद-प्रशांत के उभार और इसके महत्व को लेकर साझा समझ तथा समूचे क्षेत्र में नौ परिवहन, विमानों की आवाजाही और वाणिज्य की स्वतंत्रता के महत्व की फिर से पुष्टि होना सबसे महत्वपूर्ण बात रही।
- ⦿ रूस के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने जून में रूस की यात्रा की और कुडनकुलम के परमाणु बिजलीघर की पाँचवीं और छठी इकाइयों की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर दशकों पुराने संबंधों को और मजबूत किया।
- ⦿ वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच सहयोग के नये क्षेत्रों की भी पहचान की गई।
- ⦿ ये क्षेत्र हैं- गहरे समुद्र में खोज, विज्ञान व टेक्नोलॉजी, नवाचार, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समन्वित ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, कृषि, समुद्री जहाज निर्माण, रेलवे, उड़ान और संपर्क विस्तार।
- ⦿ सितंबर 2017 में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में भारत की पहली तेज रफ्तार रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई।
- ⦿ इसमें दोनों देशों ने अपने उस संकल्प को दोहराया जिसमें ऐसे मुक्त, खुले और खुशहाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण की बात कही गई है, जिसमें संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है।
- ⦿ 2017 में भारत और यूरोपीय संघ ने राजनयिक संबंध कायम होने की 55वीं जयंती मनाई और इस सिलसिले में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने अक्टूबर में 14वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- ⦿ पूर्व के देशों को महत्व देने की 'लुक ईस्ट' नीति के तहत प्रधानमंत्री ने नवंबर 2017 में मनीला में आयोजित 15वें आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- ⦿ क्षेत्र के लिए परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी संपर्क बढ़ाने तथा और अधिक आपसी तालमेल पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- ⦿ आसियान-भारत वार्ता साझेदारी की 25वीं जयंती पर सालभर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- ⦿ जनवरी 2018 में सरकार ने ऐतिहासिक आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया।
- ⦿ इसमें दसों आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्माननीय अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।
- ⦿ जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की पहली इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाकर सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
- ⦿ दोनों देशों ने अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- ⦿ चार करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान व विकास तथा तकनीकी नवाचार निधि गठित करने के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- ⦿ आलोच्य वर्ष के दौरान ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन हुआ।

- ➲ 15 हजार टन गेहूं की खेप नवंबर 2017 में चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान भेजी गई।
- ➲ भारत-अफगानिस्तान हवाई माल दुलाई गलियारे की स्थापना के साथ ही चाबहार बंदरगाह का खुलना अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर स्थित मध्य एशिया के क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नयी पहल है।
- ➲ इससे चाबहार बंदरगाह को वैकल्पिक, विश्वसनीय और मजबूत संपर्क केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा और व्यापक क्षेत्र में व्यापार और पारगमन को बढ़ावा मिलेगा।
- ➲ जून 2017 में 17वें शंघाई सहयोग संगठन के 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की कजाखस्तान की यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क को और बढ़ावा मिला।
- ➲ इस सम्मेलन में भारत को शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया।
- ➲ आतंकवाद का मुकाबला मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है और कजाखस्तान तथा उजबेकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी दो संयुक्त कार्यदल गठित किए गए हैं।
- ➲ इसके अलावा बन्ध, धातुकर्म, हाइड्रोकार्बन, खनिज प्रसंस्करण, सूचना टेक्नोलॉजी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं।

हिंद महासागर

- ➲ हिंद महासागर क्षेत्र भारत के राजनयिक संपर्कों की प्राथमिकता और आधार स्तंभ बना हुआ है। - महासागर के तटवर्ती देशों के संगठन (IORA) ने पहला IORA शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जिसमें 3 दस्तावेजों को स्वीकार किया गया।
- ➲ मानवीय और आपदा राहत उपलब्ध कराने में भारत ने अपने आप को पहले मददगार के रूप में स्थान दिलाया।
- ➲ भारत ने संकट की घड़ी में अपनी सीमाओं के पार पहले मददगार के रूप में और बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी उठाने की दिलचस्पी और संकल्प प्रदर्शित किया है।
- ➲ श्रीलंका और बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोरा की विनाशलीला के बाद भारत ने बाढ़ पीड़ितों को जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।
- ➲ सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव को अपनी विदेश नीति संबंधी कार्यनीति का अंतर्निहित तत्व बना दिया है।
- ➲ नये देशों और नये क्षेत्रों के साथ भारत के राजनयिक संबंध

- स्थापित करने पर इस साल भी जोर दिया जाता रहा और दुनिया के अनेक देशों के साथ उच्चस्तरीय संपर्क स्थापित किए गए।
- ➲ श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लाटविया, मॉरीशस, युगांडा, इजराइल और इटली के प्रधानमंत्री भारत आए तथा तुर्की, बेलारूस, आर्मेनिया, फ़िलिस्तीन, अफगानिस्तान, साइप्रस और स्विटजरलैंड के राष्ट्रपतियों ने भी देश का दौरा किया।
- ➲ प्रधानमंत्री ने अमरीका और फ्रांस के नये नेताओं से बातचीत की और संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, इजराइल, फ़िलीपीन्स, म्यांमार, चीन, श्रीलंका, पुर्तगाल, कजाखस्तान और रूस के साथ मौजूदा सौहार्दपूर्ण संबंधों में नयी स्फूर्ति का संचार किया।
- ➲ राजनयिक संपर्क के उन विस्तृत प्रयासों से तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए सरकार की सक्रिय संपर्क की नीति का पता चलता है।
- ➲ आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने आतंकवाद को कर्तई बर्दाश्त ना करने की अपनी नीति की लगातार वकालत की।
- ➲ आतंकवाद से संघर्ष और इस चुनौती से निपटने के प्रयासों को सहयोग व समर्थन देने की अपनी वचनबद्धता में भी भारत डटा रहा।
- ➲ बीते वर्षों में सरकार सांस्कृतिक राजनय पर भी प्रमुख रूप से जोर देती रही है।
- ➲ इसके लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत मूल्यों तथा जातीय संस्कारों का उपयोग करते हुए विश्व में देश का सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है।
- ➲ इस राजनयिक संपर्क में भारतवंशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे इसका हिस्सा होने के साथ ही इसका लक्ष्य भी हैं।
- ➲ तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल और व्यापक आयोजन तथा इसमें दुनियाभर के लोगों की भागीदारी से भारत की सभी संस्कृति के लगातार प्रभावी बने रहने का पता चलता है।
- ➲ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत की समृद्ध संस्कृति की ज्ञालक प्रस्तुत करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- ➲ इस्त्राइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान तेल अवीव में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई।
- ➲ दो वर्ष में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के अलावा मंत्रालय नियमित रूप से क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवसों का देश से बाहर आयोजन करता है ताकि उस खास क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़कर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सके।
- ➲ जिससे वे भारत के विकास और प्रगति में योगदान कर सकें।

पड़ोस

अफगानिस्तान

- ⦿ भारत-अफगानिस्तान सामरिक संबंधों के तमाम पहलुओं में बहु-आयामी सहयोग के विस्तार से और मजबूती आई।
- ⦿ इन क्षेत्रों में राजनीतिक, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, व्यापार व निवेश, आपसी संपर्क, विकास, साझेदारी तथा सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दे, शिक्षा और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
- ⦿ इस कार्य में कई उच्चस्तरीय दौरों से बढ़ी मदद मिली। जिनमें अक्टूबर में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और सिंतंबर व नवंबर 2017 में वहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिसंबर में द्वितीय उप राष्ट्रपति और सितंबर 2017 में विदेश मंत्री की भारत यात्रा शामिल है।
- ⦿ अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को वहां के नेताओं द्वारा भारत के बारे में व्यक्त विचारों के आधार पर लगाया जा सकता है। जिसमें उन्होंने भारत को विकास में प्राथमिकता दिए जाने वाला साझेदार बताया है।

बांग्लादेश

- ⦿ भारत और बांग्लादेश के बीच सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर यात्रा के साथ-साथ लगातार उच्चस्तरीय यात्राओं और विनियम से दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में विकास की रफ्तार बनाए रखने में मदद मिली।
- ⦿ अप्रैल 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आई। जिससे सहयोग बढ़ाने तथा यात्रा के दौरान लिये गये निर्णयों पर अमल के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहमति से तय की गई पहलों की दिशा में ठोस प्रगति हुई।

भूटान

- ⦿ भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंध हैं। जिनकी विशेषता भरोसा और समझ है। 2017-18 में सहयोग के तमाम क्षेत्रों में प्रगति देखी गई।
- ⦿ उच्चस्तरीय यात्राओं और विभिन्न द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की बैठकों से इसे और रफ्तार दी गई।
- ⦿ भूटान के प्रधानमंत्री मार्च 2017 में 'नमामि ब्रह्मपुत्र' नदी महोत्सव में भाग लेने के लिए सम्मानीय अतिथि के रूप में गुवाहाटी पथरे।
- ⦿ भूटान के वित्त मंत्री ने भी दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन (SASEC) के वित्त मंत्रियों की बैठक के मिलिसिले में नयी दिल्ली की यात्रा की।
- ⦿ महामहिम भूटान नरेश अपनी रानी और राजकुमार के साथ

2017 में भारत यात्रा पर आए। यह यात्रा महामहिम वामयाल वांगचुक की पहली भारत यात्रा थी।

- ⦿ यात्रा के दौरान भूटान नरेश ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठकें की।

चीन

- ⦿ भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में दोनों देशों की घनिष्ठ विकास साझेदारी के समग्र संदर्भ में और प्रगति हुई और बातचीत के जरिए दोनों पक्ष अपने मतभेदों को सुलझाने के प्रयास जारी रखे।
- ⦿ भारत और चीन के बीच शीर्ष स्तर पर भी नियमित विचार विनियम हुआ।
- ⦿ चीन में आयोजित ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में मौरिस्तरीय और कामकाजी स्तर की बातचीत का अवसर प्राप्त हुआ।

मालदीव

- ⦿ पड़ोस को प्राथमिकता देने की भारत की नीति मालदीव के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों का मार्गदर्शन करती रही।
- ⦿ इस अवधि के दौरान संस्थाओं और क्षमता के निर्माण पर विशेष रूप से जोर देने के साथ ही प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को सहायता जारी रही।
- ⦿ नीति निर्माताओं के स्तर पर दोनों के जारी रहने से घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंधों में और मजबूती आई।

मॉरीशस

- ⦿ भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रवासियों के पीढ़ियों पुराने संबंध हैं।
- ⦿ मॉरीशस की 70% आबादी भारतवंशियों की होने से यह वित्तीय सेवाओं का केंद्र और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे प्रमुख मार्ग है।
- ⦿ मॉरीशस अफ्रीका में भारत के निवेश का महत्वपूर्ण मार्ग भी है।
- ⦿ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी जिसमें समुद्री सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
- ⦿ इस अवधि के दौरान भारत-मॉरीशस साझेदारी के विभिन्न पक्षों में प्रगाढ़ता और विविधता आई।
- ⦿ मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मई 2017 में भारत यात्रा और भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल के जून, 2017 में मॉरीशस के दौरे से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नयी स्फूर्ति का संचार हुआ।
- ⦿ भारत की सहायता से मॉरीशस में इस समय चल रही विकास

परियोजनाओं से इस विशेष साझेदारी में नया आयाम जुड़ गया है।

म्यांमार

- ⦿ 2017 में म्यांमार के साथ भारत के विशेष संबंध बने रहे। जिनकी सबसे बड़ी विशेषता दोनों के सांस्कृतिक संबंध और उनके नागरिकों के बीच आपसी रिश्ते हैं जिन्हें बौद्ध धर्म ने और मजबूती दी है।
- ⦿ म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान का एकमात्र देश है जो भारत से जुड़ा है और इस तरह यह भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वारा और हमारी 'एकट ईस्ट' का नीति का पहला साझेदार है।
- ⦿ 2017 में म्यांमार के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ के प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा रही।
- ⦿ भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भी फरवरी 2017 में म्यांमार का दौरा किया।
- ⦿ जून 2017 में नई दिल्ली में भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई।

नेपाल

- ⦿ भारत और नेपाल के बीच संबंधों को उनके सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों, नागरिकों के बीच आपसी संपर्कों बहु-आयामी आर्थिक व विकास संबंधी साझेदारी से और मजबूती मिलती है।
- ⦿ दोनों देशों के बीच खुली सीमाओं और एक-दूसरे देश के नागरिकों के साथ अपने ही देश के नागरिकों जैसा व्यवहार करने से संबंधों को नया आयाम प्राप्त होता है।
- ⦿ सघन द्विपक्षीय संपर्क के हिस्से के रूप में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी अप्रैल 2017 में भारत की राजकीय यात्रा पर आई। नेपाल के प्रधानमंत्री भी अगस्त 2017 में भारत के सरकारी दौरे पर पहुंचे।
- ⦿ भारत सरकार ने चार ऋण योजनाओं के तहत नेपाल को बुनियादी ढांचे की कई परियोजनाओं के लिए 1.65 अरब डॉलर के कर्ज की सुविधा प्रदान की।
- ⦿ जिनमें भूकंप के बाद वहाँ चलाई जा रही पुनर्निर्माण योजनाएं भी शामिल हैं।

पाकिस्तान

- ⦿ आलोच्य वर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संपर्क सीमित रहा।
- ⦿ पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से घुसपैठ को समर्थन देना जारी रखकर और नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से

गोलीबारी करके विफल किया जाता रहा।

- ⦿ सरकार ने कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए राजनयिक और कानूनी प्रणाली के जरिए अपने प्रयास जारी रखे।
- ⦿ पाकिस्तान में मुसीबत में पड़ी भारतीय महिलाओं उज्जा और बिजोयेता बैनर्जी की वापसी में कानूनी और राजनयिक उपायों का सहारा लिया गया।
- ⦿ **सेशेल्स**
- ⦿ हाल के महीनों में भारत-सेशेल्स संबंध मजबूत विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, समुद्री सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक विनिमय के माध्यम से सहयोग के नये पायदान में पहुंचे हैं।
- ⦿ समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और इस अवधि में इनमें आपसी संबंध और सुदृढ़ हुए हैं।

श्रीलंका

- ⦿ भारत-श्रीलंका संबंध उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्क और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों तथा आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से विकास होते रहे।
- ⦿ आपसी संबंधों के इस सक्रिय दौर की सबसे बड़ी खूबी आर्थिक और विकास सहयोग के क्षेत्रों में सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना है।
- ⦿ जिसके तहत द्विपक्षीय परियोजनाओं को लागू करने में समय सीमाओं के पालन करने में ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
- ⦿ प्रधानमंत्री की मई 2017 में श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संपर्कों में जबरदस्त गुणात्मक बदलाव आया है। इस अवधि में भारत श्रीलंका विकास साझेदारी के दायरे का और विस्तार हुआ है तथा उसमें और प्रगाढ़ता आई है।

दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत

आस्ट्रेलिया

- ⦿ वर्ष के दौरान दोनों तरफ से उच्च-स्तरीय यात्राओं का सिलसिला जारी रहने से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध मजबूती से नये पायदान पर पहुंच गए।
- ⦿ ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों के विकास, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कौशल तथा जल संसाधन प्रबंधन समेत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग के रूप में उभरकर सामने आ रहा है।

ब्रुनेई

- ⦿ भारत और ब्रुनेई के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण

बने रहे। यह साल आसियान-भारत वार्ता साझेदारी की 25वीं जयंती का वर्ष है।

- ➲ इन महत्वपूर्ण घटनाओं से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कंबोडिया

- ➲ कंबोडिया के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक क्षमता निर्माण, विकास परियोजनाओं और दोनों देशों के नागरिकों के स्तर पर संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए।
- ➲ जून 2017 में भारत की राज्यसभा और कंबोडिया की सीनेट के बीच सितंबर 2016 में हुए समझौता ज्ञापन के सिलसिले में राज्यसभा सचिवालय के एक शिष्टमंडल ने जून 2017 में वहां का दौरा किया।
- ➲ जल संसाधन विकास, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने, मंदिरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कंबोडिया को भारत की सहायता जारी रही।

इंडोनेशिया

- ➲ दिसंबर 2016 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास का सिलसिला प्रारंभ हुआ।
- ➲ 2017 में दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्क हुए। जिनसे आपसी संबंधों में नयी स्फूर्ति का संचार हुआ और उन्हें नयी रफ्तार मिली।

लाओ और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक

- ➲ वर्ष के दौरान लाओ (पीडीआर) के साथ द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हुआ।
- ➲ सिंचाई प्रणाली, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन, धरोहर स्मारकों के संरक्षण में सांस्कृतिक सहयोग जारी रहा और नियमित उच्चस्तरीय यात्राओं में इन क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान दिया गया।

मलेशिया

- ➲ दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी की शुरुआत अक्टूबर 2010 में हुई थी और 2015 में प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा से परंपरागत घनिष्ठ संबंधों को और भी बढ़ावा मिला।
- ➲ 2017 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा से संबंध उच्चतर स्तर पर पहुंचे।

च्यूजीलैंड

- ➲ च्यूजीलैंड के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई तथा आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, दोनों देशों

की आम जनता के बीच आपसी संपर्क तथा क्षेत्रीय व वैश्विक महत्व के मुद्दों पर तालमेल में भी और सुधार हुआ।

- ➲ लगातार उच्चस्तरीय संपर्क से द्विपक्षीय संबंधों के नये आयाम खुले तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर तालमेल में भी बढ़ोत्तरी हुई।
फिलीपींस
- ➲ 2017 में भारत और फिलीपींस के संबंधों में मजबूती जारी रही और मनीला में 31वें आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा से ये अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए।

सिंगापुर

- ➲ वर्ष के दौरान भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार और निवेश, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास, शहरी नियोजन और नागर विमानन जैसे विविध क्षेत्रों में नया सुधार हुआ।

थाइलैंड

- ➲ वर्ष के दौरान थाइलैंड के साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ तथा मजबूत हुए और उच्चस्तरीय दौरों तथा व्यापार, निवेश प्रतिरक्षा व सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आपसी संपर्क में भी बढ़ोत्तरी हुई।
- ➲ 2017 में दोनों देशों ने आपसी राजनयिक संबंध कायम होने की 70वीं जयंती मनाई।

तिमोर-लेस्टे

- ➲ 2017 में भारत ने तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिली में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह और वहां स्वतंत्रता बहाली की 15वीं जयंती में हिस्सा लिया।

वियतनाम

- ➲ वियतनाम और भारत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 45 वर्ष और सामरिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किए।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान)

- ➲ वर्ष 2017 आसियान और आसियान-भारत संबंध, दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था।
- ➲ जहां एक ओर आसियान ने इस साल अपने गठन के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया, वहां भारत ने आसियान-भारत वार्ता साझेदारी की 25वीं जयंती, शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदारी के 15 साल पूरे होने और आसियान-भारत साझेदारी के 5 साल पूरे होने के सिलसिले में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- ➲ आसियान-भारत साझेदारी के 25वें वार्षिकोत्सव में 'साझा मूल्यों और एक जैसी नियति' के थीम के आधार पर भारत ने अपने

यहां और आसियान देशों में स्मारक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें राजनीतिक सुरक्षा के 3 आधार संबंधों, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग को भी शामिल किया गया था।

पूर्व एशिया

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया

- दिसंबर 1973 में अपने गठन से भारत और DPR कोरिया के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। 2017 में DPR कोरिया ने कई परमाणु और मिसाइल परीक्षण किए।
- भारत ने उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की निंदा की और उसकी परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर चिंतित रहा क्योंकि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे की आशंका बनी।

जापान

- हाल के वर्षों में उच्चस्तरीय और नियमित उच्चस्तरीय वार्ताओं से भारत-जापान संबंधों में महत्वपूर्ण और गुणात्मक बदलाव आया है।
- 2017 में भारत-जापान संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण बात 12वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा थी।
- शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के ढांचे के तहत बहुआयामी सहयोग में हाल में हुई प्रगति की समीक्षा की।

कोरिया गणराज्य

- 2015 में प्रधानमंत्री की कोरिया गणराज्य की यात्रा के दौरान भारत-कोरिया गणराज्य द्विपक्षीय संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। जिससे उनके संबंधों में और प्रगाढ़ता आई।
- जुलाई 2017 में हैम्बर्ग में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

मंगोलिया

- मई 2015 में प्रधानमंत्री की मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा से विगत वर्षों में मंगोलिया के साथ भारत के परंपरागत रूप से मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंध में निरंतर सुधार हुआ है।

यूरेशिया

- 2017 में भारत के रूस के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हुए और यूरेशिया के अन्य देशों के साथ भी राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे हुये।

● इस अवसर पर दोनों देशों ने एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भेजे, संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए गए और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- प्रधानमंत्री 18वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग गए और यह बड़ी सफल यात्रा रही।
- इस यात्रा के अंत में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जारी की गई और परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, रेलवे, संस्कृति, बहुमूल्य रत्न, इंजीनियरी, वित्त, आधारभूत ढांचे और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग के 12 दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया।
- रिक (रूस, भारत और चीन) के विदेशमंत्रियों की 15वें बैठक 2017 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- इसी दौरान बैठक से हटकर विदेशमंत्री ने रूस और चीन के विदेशमंत्रियों से अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ताएं भी की।
- प्रधानमंत्री ने शांघाई सहयोग संगठन के राज्याध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2017 में कजाखस्तान की यात्रा की।

खाड़ी देश और पश्चिम एशिया

खाड़ी

- खाड़ी देशों के साथ बढ़ते राजनीतिक संपर्कों का सिलसिला जो अबूधाबी के युवराज की 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा से शुरू हुआ, वर्ष 2019 के दौरान भी जारी रहा।
- इसके अलावा ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, ईराक और कतर के विदेश मंत्री भी भारत यात्रा पर आए और उनके साथ भी उच्चस्तरीय संपर्क बना रहा।
- भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री ने 2017 में ईराक की यात्रा की। विदेश राज्यमंत्री के नेतृत्व में जेद्वाह, गया और एक अन्य शिष्टमंडल ने सितंबर 2017 में कुवैत में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी संबंधी तीसरे मंत्रिस्तरीय संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लिया।

ईरान

- 2017 में ईरान के साथ राजनीतिक और कामकाजी स्तर पर संघर्ष संपर्क का सिलसिला जारी रहा। वर्ष के दौरान एक-दूसरे देश की कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राएं हुई और बहुपक्षीय मंचों पर उच्चस्तरीय विचार विमर्श हुआ।
- ईरान के राष्ट्रपति ने फरवरी 2018 में भारत का दौरा किया।

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका (घाना)

- ➲ ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और विश्व में शांति व सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- ➲ घाना क्षेत्र के तमाम देशों के साथ संबंधों को संस्थागत वार्ताओं के नियमित आयोजन और एक-दूसरे देश की उच्चस्तरीय यात्राओं के जरिए सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया गया।
- ➲ जहाँ तक इसाइल, फिलिस्तीन और जिबूती के साथ भारत के संबंधों का सवाल है, इस क्षेत्र में कई नई पहल की गई। राष्ट्रपति ने जिबूती की यात्रा की जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा थी।

अफ्रीका

पूर्व और दक्षिण अफ्रीका

- ➲ वर्ष 2017-18 के दौरान अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों में एक नयी विशेषता आई और उनमें नया आयाम जुड़ गया। भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS-3)।

लैटिन अमरीका और के रीबियाई देश

- ➲ भारत और लैटिन अमरीकी क्षेत्र एक-दूसरे के लिए स्पष्ट रूप से प्राथमिकता बने रहे।
- ➲ भारत लैटिन अमरीका और के रीबियाई क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और प्रत्येक देश के साथ उसके घनिष्ठ और मित्रात्मक संबंध हैं। उनकी साझा लोकतात्त्विक मूल्यों पर आस्था है और वे मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं।
- ➲ भारत और ये देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र, G-77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे मंचों में घनिष्ठ सहयोग के साथ काम करते हैं।
- ➲ लैटिन अमरीका और भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत कुछ साझा है और विविधतापूर्ण वंश परंपरा, जातीय समूहों और जातियों में भी बड़ी समानता है।
- ➲ इन देशों में करीब 10 लाख भारतवासियों के होने से इस संबंध में एक नया आयाम जुड़ गया है।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

- ➲ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ भारत के संपर्क का सिलसिला पिछले वर्षों की तरह ही जारी रहा। जलवायु परिवर्तन, चिरस्थायी विकास, मानवाधिकार और संस्कृति समेत अपने हित के तमाम मुद्दों पर भारत का संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बहुपक्षीय संपर्क कायम रहा।
- ➲ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सुरक्षा परिषद (इकोसोक) के उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच में भारत ने चिरस्थायी विकास

लक्ष्यों को लागू करने के बारे में अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की।

- ➲ जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रारूप संधि में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर दोहा संशोधन को स्वीकार किया।

निःशास्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

- ➲ भारत ने वर्ष के दौरान निःशास्त्रीकरण, हथियारों पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर आयोजित कई बैठकों में हिस्सा लिया।
- ➲ बांग्लादेश, जापान और वियतनाम के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के समझौते हुए। विभिन्न नियांति नियंत्रण संगठनों के साथ सक्रिय संपर्क के सिलसिले में भारत वासेनार व्यवस्था का 42वां सदस्य बना।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- ➲ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का संस्थापना सम्मेलन मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह बात ध्यान देने की है कि ISA 2017 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में सामने आया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम (भारत) में है।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

- ➲ ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका); भारत ने 2017 में शियामेन में आयोजित 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- ➲ इसमें नेताओं ने आर्थिक और वित्तीय सहयोग, वैश्विक, आर्थिक शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की।
- ➲ सम्मेलन के अंत में शियामेन घोषणा जारी की गई। जिसमें नेताओं ने आतंकवाद की भर्तसना की।
- ➲ 20वां G-20 शिखर सम्मेलन: 2017 में जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित 20वें G-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने हिस्सा लिया।
- ➲ शिखर सम्मेलन की कार्यसूची में वैश्विक विकास और व्यापार, चिरस्थायी विकास, जलवायु और ऊर्जा, अफ्रीका के साथ साझेदारी, आत्रजन, स्वास्थ्य, डिजिटिजेशन, महिला सशक्तीकरण और रोजगार जैसे विषय शामिल थे।

सार्क और बिमस्टेक

- ➲ विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी, तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों की पहल यानी बे आँफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक को-ऑपरेशन-बिमस्टेक पड़ोसी देशों को तरजीह

- देने (नेबरहुड फस्ट) और पूर्वी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने (एक्ट ईस्ट) जैसी भारतीय विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पहली पसंद है।
- ⦿ भारत बिमस्टेक को कारगर और परिणाममूलक संगठन बनाने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में खुशहाली आए और इसका विकास हो।

विकास सहयोग

- ⦿ विकास सहयोग भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग है। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में भारत के विकास कार्यक्रमों की भौगोलिक पहुंच और क्षेत्रीय कवरेज दोनों ही दृष्टिकोण से व्यापक विस्तार हुआ है।
- ⦿ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव में बुनियादी ढांचे, जलविद्युत, बिजली ट्रांसमिशन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में इन देशों की सरकारों द्वारा प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में चिह्नित प्रमुख विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।
- ⦿ इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ सीमा के आर-पार भारत के संपर्कों के विकास तथा उसे और सुदृढ़ करने के लिए कई परियोजनाएं संतोषजनक तरीके से चल रही हैं।
- ⦿ पड़ोसी देशों के अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका, पुरातत्व संरक्षण, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी तथा छोटे और मझोले उद्यमों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाएं चल रही हैं।

राज्य

- ⦿ विदेशों में भारतीय दूतावासों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच घनिष्ठ संपर्क कायम करने के लिए। विदेश मंत्रालय में राज्य प्रभाग 2014 में बनाया गया था।

आतंकवाद का मुकाबला

- ⦿ 2017 में दूनिया के विभिन्न भागों में हुई आतंकवाद संबंधी विभिन्न घटनाओं को देखते हुए आतंकवाद के मुद्दे का विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में खुलकर जिक्र किया गया।
- ⦿ इस तरह की तमाम चर्चाओं में भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की कड़े शब्दों में निंदा की और इस बुराई से विश्व स्तर पर निपटने का अपना संकल्प दोहराया।

वैश्विक साइबर मसले

- ⦿ राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग होने से दूनियाभर में

- ⦿ साइबर मसले राजनयिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं।
- ⦿ विदेश मंत्रालय ने अपनी छवि के अनुरूप अपने वैश्विक साइबर मुद्दा प्रकोष्ठ का स्तर बढ़ा दिया है और एक नया साइबर राजनय प्रभाग गठित किया है।
- ⦿ प्रभाग का इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत के हितों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

- ⦿ हाल के वर्षों में पासपोर्ट जारी करना इस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक और नागरिक सेवा के रूप में उभर कर सामने आई है।
- ⦿ मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने में कई गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार किए हैं।
- ⦿ मंत्रालय केंद्रीय पासपोर्ट संगठन और 37 पासपोर्ट कार्यालयों तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अपने अंगिल भारतीय नेटवर्क के जरिए भारतीय पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज, जैसे- पहचान प्रमाण-पत्र, पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र और जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट जारी करता है।
- ⦿ 2017 में मंत्रालय ने करीब 1.17 करोड़ पासपोर्टों और उनसे संबंधित सेवाओं के आवेदनों पर कार्रवाई की जबकि इससे पहले के वर्ष 2016 में 98.4 लाख पर कार्रवाई की थी।

प्रवासी भारतीय मामले

- ⦿ सरकार ने प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ भारत के संपर्कों में आमूल परिवर्तन ला दिया है।
- ⦿ प्रवासी भारतीयों के तमाम तबकों के साथ संपर्क और पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने उनके कल्याण और संरक्षण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और प्रवासी भारतीयों की मदद और कल्याण के लिए संस्थागत ढांचे को काफी सुदृढ़ कर दिया गया है।
- ⦿ भारतवर्षियों के साथ संपर्कों को मजबूत करने की सरकार की वचनबद्धता के हिस्से के रूप में 2017 में जो प्रमुख पहल/कार्यक्रम प्रारंभ/आयोजित किए गए।
- ⦿ उनमें विदेश संपर्क आउटरीच कार्यक्रम, नो इंडिया, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, भारतवर्षियों के बच्चों के लिए वजीफे का कार्यक्रम, आब्रजन के सुरक्षित और वैधानिक तरीके के बारे में प्रचार और NRI के साथ विवाह से संकट में पड़ी भारतीय महिलाओं के लिए मंत्रालय की योजना का भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि में विलय।

□□□

अध्याय

19.

उद्योग

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) का गठन 1995 में किया गया था और वर्ष 2000 में इस विभाग में औद्योगिक विकास विभाग का विलय करके इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इससे पहले लघु व कुटीर उद्योग एवं कृषि व ग्रामीण उद्योग (SSI & RI) और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (HIAMPE) की स्थापना 1999 में की गई थी।
- 1991 में शुरू किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से उदारीकरण के साथ इस विभाग की भूमिका और उसके कार्यों में सिलसिलेवार बदलाव होते रहे हैं।
- औद्योगिक क्षेत्र के नियमन और प्रशासन से शुरू होकर अब यह एक उदार वातावरण में निवेश एवं तकनीकी को सुगम बनाने और औद्योगिक विकास पर नजर रखने वाले विभाग का रूप ले चुका है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

- DIPP की भूमिका और उसके कार्यों में मुख्य रूप से जो बातें शामिल हैं, वे इस प्रकार हैं:
 - विकास की जरूरतों और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप उद्योग के लिए औद्योगिक नीति एवं रणनीतियों का निरूपण और उसे लागू करना;
 - सामान्य रूप से औद्योगिक वृद्धि और विशेष रूप से निर्दिष्ट उद्योगों के काम-काज पर नजर बनाए रखना। इसमें सभी औद्योगिक व तकनीकी मामलों पर सलाह देना भी शामिल है;
 - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति का निरूपण करना और FDI को प्रोत्साहन और स्वीकृति देने के साथ ही उसे सुगम बनाना;
 - पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन एवं वस्तुओं के भौगोलिक संके तों और उसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के प्रशासन में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों का निर्माण।
- यह विभाग पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और वस्तुओं के भौगोलिक संके तों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों का निरूपण भी करता है और उनके उन्नयन व संरक्षण से संबंधित प्रयासों का भी निरीक्षण करता है।
- औद्योगिक साझेदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही तरह की बातचीत के माध्यम से हासिल किए जाते हैं।
- इंडो स्वीडिश, इंडो-लीवियन, इंडो-हंगेरियन और इंडो-बेलारूस संयुक्त आयोगों के लिए एक नोडल विभाग होने के साथ ही कुछ चुनिंदा देशों के साथ संयुक्त आयोगों और संयुक्त कार्य समूहों में यह विभाग प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय संघ के साथ भी यह व्यवस्था अपनाई जाती है।
- यह विभाग केंद्रीय कानूनों को भी संचालित करता है। विस्फोटक पदार्थ कानून 1884, ज्वलनशील पदार्थ कानून 1952; नमक उपकर कानून 1953; पेटेंट कानून 1970, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स कानून 1958, डिजाइन्स एक्ट, 2000 एवं उनसे संबंधित नियम और ब्यायलर्स एक्ट 1923।
- भारत सरकार की औद्योगिक नीति का उद्देश्य उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, बेहतर रोजगार मुहैया करना, मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तर तक पहुंचना और वैश्विक परिदृश्य में भारत को बड़ा प्रतिभागी और खिलाड़ी बनाना है।

- ➲ सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ये हैं:
 1. इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण,
 2. डेटेनेटिंग फ्यूजों समेत औद्योगिक विस्फोटक, बारूद, सेल्युलोज और माचिस,
 3. कुछ विशेष प्रकार के हानिकारक रसायन जैसे-हाइड्रोसायनिक एसिड और उसके व्युत्पाद, फॉसजीन और उसके व्युत्पाद, हाइड्रोकार्बन के आईसोसाइनेट्स और डाइसोसाइनेट्स, जिनका उल्लेख अन्य कहीं नहीं है (जैसे-मिथाइल आईसोसाइनेट) और
 4. तंबाकू वाले सिगार व सिगरेट और तंबाकू से बने अन्य पदार्थ।
- ➲ आयुध कानून, 2016 की अधिसूचना के बाद, सैनिक इस्तेमाल के लिए प्रबंधित वस्तुएं, गृह मंत्रालय के क्षेत्र में आती हैं।
- ➲ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) को हथियार व गोला-बारूद और प्रतिरक्षा के उपकरणों की श्रेणी से संबंधित वस्तुओं के निर्माण का लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है। के लिए आरक्षित नहीं है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

- ➲ विनिर्माण क्षेत्र में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए और उसे जरूरी बल देने के लिए। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की गई। जिसका उद्देश्य एक दशक में जीडीपी में विनिर्माण का योगदान बढ़ाकर 25% तक पहुंचाना और 10 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना था।
- ➲ यह नीति राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक विकास करने के सिद्धांत पर आधारित है।
- ➲ केंद्र सरकार इसके लिए नीतिगत रूपरेखा विकसित करेगी, उपयुक्त वित्तीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहन देगी और राज्य सरकारों को इनकी योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ➲ राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ) इस नीति की प्रमुख विशेषता है।

विनिर्माण के केंद्र

- ➲ विनिर्माण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक केंद्रों के विकास के तमाम मॉडलों को एक साथ जोड़ना है ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और लागत को कम किया जा सके।

- ➲ इसका अनुसरण करते हुए DIPP ने एक औद्योगिक सूचना सिस्टम विकसित किया है। यह एक वेब पोर्टल है जो वर्तमान में मौजूद सभी औद्योगिक केंद्रों/मंडलों/पार्कों के अलावा भविष्य के ऐसे केंद्रों की सूचनाओं को ग्रहण करता है।
- ➲ इस सिस्टम को BISAG द्वारा विकसित GIS लेयरों पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में विकसित किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर नीति बनाने के मामले में डीआईपीपी एक नोडल विभाग है।
- ➲ यह भारत में भेजी गई रकम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर DIPP के डाटा के रखरखाब और प्रबंधन का काम भी देखता है।
- ➲ विदेशी निवेश संबंधन बोर्ड (FIPB) के विघटन के बाद FDI को मंजूरी देने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। जिसमें FDI के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग और FDI व FEMA (फेमा) की मौजूदा नीति के तहत सरकार की मंजूरी का काम संबंधित मंत्रालय विभाग देखता है।

निवेश संबंधन

- ➲ यह विभाग देश में निवेश के वातावरण और अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करके निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ➲ इसके अलावा वह संभावित निवेशकों का निवेश की नीतियों, प्रक्रियाओं और अवसरों के बारे में सलाह देने का काम भी करता है।
- ➲ औद्योगिक साझेदारियों के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल किए जाते हैं।

ईंज ऑफ डूइंग बिजनेस

- ➲ देश में व्यापार का वातावरण बेहतर बनाने के लिए DIPP ने नियामक प्रक्रिया (पंजीकरण और निरीक्षण प्रक्रिया) को सरल और प्राप्तान्तरण को ज्यादा कुशल व सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का दायरा बढ़ाने के राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- ➲ DIPP राज्य सरकारों और केंद्रशासित राज्यों के साथ मिलकर काम करता रहा है। ताकि व्यापार के मामले में आने वाली समस्याओं की पहचान करने और कारोबार का वातावरण बेहतर बनाने के काम में उनकी सहायता की जा सकें।
- ➲ इसने वास्तविक समय के आधार पर सुधारों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।
- ➲ भारत वर्ल्ड बैंक के वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (DBR) में 2018 में 100वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2017 में यह

130वें स्थान पर था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक का उद्देश्य उन नियमों का आकलन करना है जो व्यापार को सीधे प्रभावित करते हैं।

मेक इन इंडिया

- ⦿ मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना, नए प्रयोगों को बढ़ावा देना, विनिर्माण की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं का निर्माण करना, व्यापार को आसान बनाना और कौशल विकास को प्रोत्साहन देना था।

इंवेस्ट इंडिया

- ⦿ इंवेस्ट इंडिया की स्थापना DIPP, फिक्की, CIS नैसकॉम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उपक्रम (लाभ के लिए नहीं) के तौर पर की गई है। इंवेस्ट इंडिया एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सहयोग एजेंसी है। जो निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के तौर पर काम करती है।

स्टार्ट-अप इंडिया

- ⦿ किसी नए उद्यम को स्थापित करने और शुरू करने में लगने वाले लंबे समय को ध्यान में रखते हुए DIPP ने स्टार्ट-अप इंडिया की परिभाषा में संशोधन किया है।
- ⦿ अब नए नियम के अनुसार किसी भी उपक्रम को उसकी स्थापना या पंजीकरण की तारीख से 7 वर्ष तक स्टार्ट-अप माना जाएगा।
- ⦿ हाल ही में बजट में स्टार्ट-अप के लिए टैक्स में छूट को बढ़ाकर इसकी निरंतरता को भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- ⦿ देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट-अप की परिभाषा को विस्तृत किया गया है ताकि व्यापार के मॉडल की मापनीयता को शामिल करने के साथ रोज़गार या संपत्ति के सृजन उच्च क्षमता को इसमें शामिल किया जा सके।
- ⦿ स्टार्ट-अप को मान्यता देने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए किसी उद्योग संघ से सिफारिश का पत्र लाने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।

फंड्स ऑफ फंड्स

- ⦿ स्टार्ट-अप उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDB) में 10,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट अप, (FSS) शुरू किया है।

त्वरित पेटेंट जांच

- ⦿ स्टार्ट-अप की ओर से पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की फाइलिंग को त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्टार्ट अप्स

- आईपीआर प्रोटेक्शन (IPP) की एक योजना शुरू की गई है।
- ⦿ यह योजना पट के लिए किए गए आवेदन की जांच के काम में तेजी लाती है। इससे पेटेंट हासिल करने में समय की बचत होगी।

अनुसंधान पार्क

- ⦿ IIT गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, खड़गपुर, IISC बेंगलुरु, गांधीनगर, दिल्ली और मुंबई में अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग के बीच संयुक्त शोध एवं विकास (R&D) के माध्यम से नए सफल प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

जैव-तकनीकी में स्टार्टअप को प्रोत्साहन

- ⦿ जैव-उद्यमिता, बायो-क्लस्टर्स, बायो-इनक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज (TTO) और बायोकनेक्ट कार्यालय देशभर के शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं।
- ⦿ इस योजना के अंतर्गत जैव-तकनीकी के स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए प्रारंभिक कोष और इकिवटी फंडिंग मुहैया कराया जा रहा है।

स्टार्ट-अप इंडिया हब

- ⦿ स्टार्ट-अप से संबंधित तमाम सवालों का जवाब आसानी से पाने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया हब शरू किया गया था। इसे डिजिटल विस्तार देने के लिए एक इंटेलीजेंट ऑनलाइन हब 2017 में चालू किया गया था।

बौद्धिक संपदा अधिकार

- ⦿ DIPP को बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के संबंध में नीति तैयार करने का काम सौंपा गया है जिसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेड मार्क और वस्तु के भौगोलिक संकेत शामिल हैं।
- ⦿ यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के कानून जैसे पेटेंट कानून 1970, डिजाइन कानून 2000, ट्रेड मार्क कानून 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) कानून 1999, कॉपीराइट कानून 1957 (2012 में संशोधित) और अर्ध-संवाहक एकीकृत परिपथ लेआउट डिजाइन कानून 2000 को प्रशासित करता है।
- ⦿ यह बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड (IPAB) से संबंधित मामलों को भी देखता है।
- ⦿ DIPP सरकार की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के मामलों को भी देखता है।
- ⦿ यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) से संबंधित सभी मामलों के लिए एक केंद्रीय (नोडल) विभाग है।

औद्योगिक/आर्थिक गलियारे

- औद्योगिक विकास, आय और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक/आर्थिक गलियारों का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना

- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) की परियोजना 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच तैयार हुये एक MOU (समझौता जापान) के आधार पर शुरू की गई थी।
- इस परियोजना के तहत दादरी (उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT), नवी मुंबई के बीच 1504 किमी. लंबे वेस्टर्न डेढ़ीके टेट रेल फ्रेट कॉरीडोर के दोनों तरफ DMRC को विकसित किया जा रहा है।

चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा

- चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC) का उद्देश्य एक सर्वोर्गीण दृष्टिकोण रखते हुए बुनियादी ढांचागत समस्याओं को दूर करना है।
- साथ ही CBIC से जुड़े दोनों राज्यों की विशेषताओं का पूरा लाभ उठाना है।

बेंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा

- बंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (BMEC) का उद्देश्य एक सुनियोजित और संसाधन-संपन्न औद्योगिक केन्द्र विकसित करना है। जहां विश्व स्तर की संपर्क सुविधाएं हैं और जिनसे नए प्रयोग, विनिर्माण, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही दोनों ही राज्यों को संसाधन की सुरक्षा मिल सकें।

अमृतसर-कोलकाता आर्थिक गलियारा

- उत्तरी और पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बल देने के लिए सरकार अमृतसर-कोलकाता आर्थिक गलियारा (AIC) बनाने का काम शुरू करना चाहती है।
- इसे ईस्टर्न डेढ़ीके टेट फ्रेट कॉरीडोर (EDFC) के आस-पास एक मेरुदंड के तौर पर तैयार किया जाएगा।

विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा

- विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC) भारत के पहले समुद्र-तटीय गलियारा पूर्वी समुद्र तटीय आर्थिक गलियारा कॉरीडोर (ECEC) का एक मुख्य हिस्सा है।
- VCIC स्वर्णिम चतुर्भुज के सीध में बनाया जा रहा है और भारत की एक ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन न्यास

- DMIC परियोजना की सफलता और उसके महत्व को देखते हुए 4 अन्य औद्योगिक गलियारों की घोषणा की गई, जिनके नाम हैं अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC), बेंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (BMEC), चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC) और ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक गलियारा। जिसमें विकास के शुरुआती चरण के तौर पर विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारे (VCIC) को विकसित किया जा रहा है।
- इस पूरी परियोजना को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन न्यास नाम दिया गया है।

संशोधित औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना

- 2003 में औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (IIUS) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुये स्थानों, जिनमें वैशिक रूप से प्रतिस्पर्धी होने की संभावना हो, पर सरकारी व निजी भागीदारी के जरिए उत्तम स्तर की बुनियादी ढांचा मुहैया करके घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था।

औद्योगिक प्रदर्शन

- औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) विनिर्माण उत्खन्न और बिजली क्षेत्रों के साथ ही उपयोग-आधारित समूहों जैसे- प्राथमिक, पूँजीगत, माध्यमिक, बुनियादी ढांचागत/निर्माणगत वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर नज़र रखता है।
- केंद्रीय सांस्थिकीय कार्यालय, सांस्थिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2017 में आधार वर्ष में संशोधन किया।
- 2011-12 के आधार वर्ष के साथ ताजा सीरीज मौजूदा संरचना और संशोधन का ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। नए आधार वर्ष के अनुसार IIP ने विद्युत उत्पादन, खनन और विनिर्माण में 4.6% की वृद्धि दर्ज की है।

आठ मूलभूत उद्योगों का प्रदर्शन

- 8 मूलभूत उद्योगों का सूचकांक (ICI) हर महीने 8 मूलभूत या प्रमुख उद्योगों के कामकाज पर नज़र रखता है।
- ये उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली।
- आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए आर्थिक सलाहकार कार्यालय और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन करके 2011-12 कर दिया।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में इन 8 उद्योगों का भार 42.27% होता है।

चमड़ा उद्योग

- ⦿ चमड़ा उद्योग बड़ी मात्रा में उत्पादन, निर्यात से होने वाली आय और रोजगार देने की क्षमता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
- ⦿ देश से चमड़ा और चमड़े के उत्पादों के निर्यात में पिछले दो दशकों में संरचनात्मक परिवर्तन आया है।

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम

- ⦿ भारतीय विकास कार्यक्रम का लक्ष्य चमड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के जरिए कच्चे माल का स्रोत बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी समस्याएं दूर करना, मानव संसाधन विकास, पारंपरिक चमड़ा कारीगरों की सहायता करना, बुनियादी ढांचे की बाधाएं दूर करना और संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है।
- ⦿ **सीमेंट उद्योग:** सीमेंट देश में तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उद्योगों में से एक है। अर्थव्यवस्था के आवासीय और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास में इस उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- ⦿ सीमेंट के मूल्य और वितरण का नियंत्रण 1989 से हटा दिया गया और सीमेंट उद्योग को औद्योगिक विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस से 1991 से मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद से सीमेंट उद्योग ने क्षमता उत्पादन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति की है।
- ⦿ भारत विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, जैसे सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट (OPC), पोर्टलैंड पोलोजना सीमेंट (PPC), पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट (PBFS), ऑयल वेल सीमेंट, व्हाइट सीमेंट आदि।
- ⦿ सीमेंट के ये प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीमेंट के स्तर की होती है।

टायर एवं ट्यूब उद्योग

- ⦿ टायर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों व माल की दुलाई के आवागमन और परिवहन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका प्रयोग ठेलों, ट्रैक्टरों, ट्रकों और बसों से लेकर एक्सप्रेस-वे पर दौड़ने वाली आधुनिक यात्री कारों में होता है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जरूरी सभी प्रकार के टायर भारत में बनाए जाते हैं।
- ⦿ इन टायरों में मोपेड के 1.5 किग्रा के टायरों से लेकर अर्थमूवर्स के 1.5 टन वजन तक के टायर शामिल हैं।
- ⦿ **रबर के सामान का उद्योग:** टायर और ट्यूब के अतिरिक्त रबर

उत्पादों के उद्योग में 4,550 छोटी और अति छोटी इकाइयां हैं जो लगभग 5.50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं।

- ⦿ रबर उद्योग विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे रबर के एप्न, गर्भनिरोधक, फुटवियर, रबर होज, तार, जीन, बैटरी के डिब्बे, लेटेक्स उत्पाद, कन्वेयर बेल्ट, सर्जिकल दस्ताने, गुब्बारे, सांचे से बनी रबर की वस्तुएं आदि तैयार करता है।
- ⦿ रबर का सामान बनाने वाले उद्योग में प्राकृतिक रबर, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रबर, कार्बन ब्लैक, रबर रसायन आदि मुख्य कच्चा माल होता है।
- ⦿ **कांच उद्योग:** कांच उद्योग लाइसेंस से मुक्त उद्योगों की श्रेणी में आता है। इसमें 7 प्रकार के उत्पाद जैसे- फ्लैट ग्लास (शीट, फ्लौट, फिर्गर्ड, वायर्ड, सेप्टी, मिरर ग्लास), ग्लास फाइबर एवं ग्लास बूल, हालो, ग्लासवेयर, लेबोरेटरी ग्लासवेयर टेबल एवं किचन ग्लास वेयर, कांच की चूड़ियां और कांच के अन्य सामान आते हैं।
- ⦿ **कागज उद्योग:** भारत विश्व में कागज के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।
- ⦿ ज्ञान के बढ़ते आधार और सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), विकलांगों के लिए माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, शिक्षा का अधिकार और केंद्र सरकार छात्रवृत्ति एवं शिक्षा ऋण योजना के कारण कागज और दफ्तरी की मांग बढ़ी है।
- ⦿ **अखबारी कागज:** देश में अखबारी कागज उद्योग को न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश (एनसीओ) 2004 से नियंत्रित किया जाता है। इस आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध मिलों को वास्तविक प्रयोग के अनुसार उत्पाद शुल्क से छूट मिलती है।
- ⦿ इस समय एनसीओ को अनुसूची में 124 मिलें पंजीकृत हैं लेकिन सालाना 9.9 लाख टन स्थापित क्षमता के साथ के बल 35 मिलें ही अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं। 23 मिलों ने एनसीओ में सूचीबद्ध होने के बाद काम बंद कर दिया है और 89 मिलों ने अखबारी कागज का उत्पादन रोक दिया है।
- ⦿ देश में अखबारी कागज की करीब आधी मांग आयात से पूरी की जा रही है।
- ⦿ **नमक उद्योग:** विश्व में नमक उत्पादन में चीन और अमेरीका के बाद भारत का तीसरा स्थान है और हमारा वार्षिक उत्पादन 260 लाख टन है।
- ⦿ आयोडीन-युक्त नमक के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आजादी के समय नमक की कमी और आयात के दौर को पीछे छोड़कर भारत सही नीतियों के चलते

- खुछ ही समय में काफी आगे आ चुका है।
- ⦿ **एयरकंडीशनर:** बदलती जीवन शैली के कारण बदले हए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में एयरकंडीशन हमारी जरूरत बनते जा रहे हैं।
 - ⦿ एयरकंडीशनर के बाजार को 3 श्रेणियों विंडो एसी, स्प्लिट एसी और सेंट्रल एसी में बांटा जा सकता है।
 - ⦿ जगह कम होने तथा बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण तथा कम शोर करने वाले स्प्लिट एसी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
 - ⦿ बिजली मंत्रालय के अधीन सांविधिक संस्था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने एयरकंडीशनरों के लिए ऊर्जा की बचत के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान करना आरंभ किया है ताकि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक ऊर्जा बचाने वाले उत्पाद खरीदने में मदद मिल सके।
 - ⦿ **शुष्क बैटरियां:** शुष्क बैटरियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से एक हैं। ये सबसे पुराने प्रकार की बैटरियां हैं, जिनका प्रयोग आज भी हो रहा है।
 - ⦿ तकनीकी में विकास के कारण शुष्क बैटरियों का प्रदर्शन लगातार सुधरा है। नए प्रकार की शुष्क बैटरियों का जीवन लंबा होता है और उन पर अधिक विश्वास किया जा सकता है।
 - ⦿ **हल्का इंजीनियरिंग उद्योग:** हल्का इंजीनियरिंग उद्योग विभिन्न क्षेत्रों वाला विविधता भरा उद्योग है।
 - ⦿ इस उद्योग में कास्टिंग और फोर्जिंग जैसे सभी उद्योगों की जननी से लेकर अत्यंत परिष्कृत माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रोसेस कंट्रोल उपकरण और निदान संबंधी चिकित्सा उपकरण तक शामिल है। इस समूह में बेरिंग, स्टील पाइप एवं ट्यूब, फास्टनर आदि उद्योग भी शामिल हैं।
 - ⦿ **साइकिल उद्योग:** भारत में साइकिल उद्योग सबसे स्थापित उद्योगों में से एक है। भारत विश्व में चीन के बाद साइकिल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है।
 - ⦿ साइकिल की अधिकांश विनिर्माण इकाइयां पंजाब और तमिलनाडु में स्थित हैं तथा लुधियाना (पंजाब) साइकिल का प्रमुख निर्माण केंद्र है।
 - ⦿ **खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी:** आय के स्तर में वृद्धि, कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ने, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और बड़े स्तर पर मीडिया के प्रचार के कारण प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ने से खाद्य प्रसंस्करण की मशीनों के लिए भारतीय बाजार लगातार वृद्धि कर रहा है।
 - ⦿ फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मांस, मुर्गीपालन, दूध एवं समुद्री
- खाद्य, डिब्बाबंद भोजन, शीतल पेय एवं अनाज प्रसंस्करण में वृद्धि की सर्वाधिक संभावनाएं हैं।
 - ⦿ बड़ी संख्या में उत्पादों की पैके जिंग के लिए देश में विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग मशीनरी उपलब्ध है।
 - ⦿ सामान्य रूप से मिलने वाली कुछ पैकिंग मशीनों में कोडिंग की मशीन एवं ऑनलाइन प्रिंटिंग मशीन, फीडिंग एवं लेबलिंग मशीन, टिप पैके जिंग मशीन, फॉर्म फिल एवं सील मशीन, कार्टन फिलिंग मशीन, पूरी तरह स्वचालित बैग निर्माण मशीन एवं स्वचालित माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित पैके जिंग मशीन शामिल हैं।
 - ⦿ **जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण:** जल प्रदूषण रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ने और प्रसंस्करण उद्योगों समेत विभिन्न प्रयोगों के लिए कठोर पर्यावरण नियंत्रण मानक लागू किए जाने के कारण जल/बेकार जलशोधन उद्योग में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।
 - ⦿ जल प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों की विभिन्न श्रेणियों में बेकार जल शोधन संयंत्र, पेयजल जलशोधन संयंत्र एवं अपशिष्ट शोधन संयंत्र शामिल हैं।
 - ⦿ बेकार जलशोधन में प्रदूषण करने वाले तत्वों को निकालना होता है और इसके लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया अपनाई जाती है।
 - ⦿ शोधन की प्रक्रिया में पहला चरण प्राथमिक शोधन है और उसमें नीचे बैठे हुए अथवा तैरते हुए प्रदूषणकारी तत्वों को हटाया जाता है।
 - ⦿ इसकी रासायनिक प्रक्रिया में अवक्षेपण, ऑक्सीकरण, निष्प्रभावीकरण शामिल है। जैविक प्रक्रिया में जैविक तत्वों को कम करना शामिल है। बैक्टीरिया, फंगी, यीस्ट और एल्ली जैसे जीवों का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद शोधित जल से कोशिका ऊतकों को हटाया जाता है।
 - ⦿ **वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण:** औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भारत की वायु की गुणवत्ता का बहुत क्षण किया है। भारत की सबसे गंभीर पर्यावरण संबंधी समस्या के कई कारण दिखाई देते हैं जिनमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और उद्योगों का अशोधित धुआं शामिल है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**
- ⦿ पिछले पांच दशकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक जीवंत और मजबूत क्षेत्र के रूप में उभरा है।
 - ⦿ एमएसएमई बड़े उद्योगों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम पूँजी की लागत पर ना के बल बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मुहैया

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के औद्योगीकरण में भी मदद कर रहे हैं, और इस प्रकार राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर रहे हैं।

एमएसएमई की संख्या

- ⦿ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा कराए गए नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 73वें चक्र के अनुसार देश में 633.88 लाख गैरनिगमित गैर-कृषि आधारित एमएसएमई इकाइयां थीं। जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी थीं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

- ⦿ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वीआईसी) जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम (1956 का 61) के अंतर्गत की गई थी और 1987 व 2006 में जिसमें संशोधन किया गया था, एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संस्था है।
- ⦿ यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है।
- ⦿ के वीआईसी गांवों में निम्न प्रतिव्यक्ति निवेश के साथ प्रतिव्यक्ति निवेश के साथ विकेंद्रित क्षेत्र में गैर-कृषिगत रोजगार मुहैया कराने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है।

कोयर बोर्ड

- ⦿ कोयर उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने एवं इस परांपरिक उद्योग से जुड़े कामगारों को जीवन स्थितियां सुधारने के लिए कोयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित कोयर बोर्ड एक सांविधिक संस्था है।

कपड़ा उद्योग

- ⦿ भारतीय कपड़ा उद्योग अपनी पूरी प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के विशाल आधार और विनिर्माण शक्ति के साथ विश्व के सबसे बड़े कपड़ा उद्योगों में से एक है।
- ⦿ इस उद्योग का अनोखापन यह है कि यह हथकरघा क्षेत्र और पूँजीप्रधान मिल क्षेत्र दोनों में ही मजबूत है।
- ⦿ मिल क्षेत्र में 3,400 कपड़ा मिलें हैं, जो 5 करोड़ से ज्यादा तकलियों और 8,42,000 से ज्यादा रोटरों की स्थापित क्षमता के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- ⦿ पारंपरिक क्षेत्र जैसे- हैंडलूम, हस्तशिल्प और लघु स्तर की पॉवरलूम इकाइयां ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत हैं।
- ⦿ कपड़ा उद्योग का कृषि, संस्कृति और देश की परंपरा के साथ एक अंतर्निहित संबंध है। जिससे यह विभिन्न प्रकार के कपड़े

तैयार करता है। जो घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों के अनुकूल होते हैं। कपड़ा उद्योग को अगर मूल्य के मामले में आंकें तो यह कुल उद्योग में 7%, देश के जीडीपी में 2%, देश के कुल निर्यात आय में 15% का योगदान करता है।

- ⦿ 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाला यह उद्योग देश में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करने वाले स्रोतों में से एक है।
- ⦿ इंडिया हैंडलूम ब्रांड: इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) के जरिए भारतीय हथकरघा की दूनियाभर में पहचान बन गई है जो उच्च क्वालिटी और प्राकृतिक सामग्री से बने असली हैंडलूम के उत्पाद की गारंटी देता है। इसने आईएचबी के उत्पादों को बेचने के लिए 100 खुदरा स्टोरों से साझेदारी कर रखी है।

नए कदम

- ⦿ **वीवर्स मुद्रा योजना:** बुनकरों को रियायती कर्ज देने के लिए वीवर्स मुद्रा योजना शुरू की गई थी। हर बुनकर को मार्जिन मनी असिस्टेंस के तौर पर अधिकतम 10,000 रुपये और 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है।
- ⦿ **ई-धागा एप:** भारत सरकार ने हथकरघा के बुनकरों को अच्छी सेवा और 24 घंटे जरूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए 2016 में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और ई-धागा मोबाइल एप शुरू किया था।
- ⦿ **बुनकर मित्र हेल्पलाइन:** हथकरघा के बुनकरों को उनके पेशे से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए 2017 में एक बुनकरमित्र हेल्पलाइन शुरू किया गया है।
- ⦿ **हस्तकला सहयोग शिविर:** हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए देशभर में हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में लगभग 94,000 बुनकरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया।

रेशम

- ⦿ भारतीय उपमहाद्वीप में रेशम (सिल्क) एक विलासिता की वस्तु है। भारत में 97% कच्चा मलबेरी (शहतूत) रेशम का उत्पादन 5 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में होता है।

- ⦿ व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण 3 अन्य तरह के रेशम गैर-मलबरी रेशम की श्रेणी में आते हैं जिनके नाम हैं- एरी, टसर और मूंगा

कपास

- ⦿ कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसलों में से एक है और दूनिया में कुल फाइबर उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा देश में ही होता है।

- ➲ भारतीय कपड़ा उद्योग के कच्चा माल खपत वर्ग या बास्के ट में कपास का हिस्सा करीब 59% है।
- ➲ कपास करीब 58 लाख कपास किसानों और कपास से जुड़े कामों जैसे कपास की प्रोसेसिंग और व्यापार में लगे 4 से 5 करोड़ लोगों को आजीविका मुहैया कराता है।
- ➲ भारत में सबसे ज्यादा करीब 105 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह पूरी दुनिया में कपास की खेती की कुल जमीन का करीब 35% है।

जूट

- ➲ भारत सालाना 80 लाख गट्टों के साथ दूनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार भारतीय जूट निगम द्वारा ना के बल एमएसपी के जरिए जूट किसानों का सहयोग करती है बल्कि जूट पैके जिंग मैटीरियल (सामान पैक करने के लिए अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपये के मूल्य वाले जूट के बोरों की सीधे तौर पर खरीद करके भी उन्हें लाभ पहुंचाती है।
- ➲ यह के बल जूट किसानों के लिए ही नहीं बल्कि जूट मिल श्रमिकों के लिए भी एक बड़ा सहयोग है।
- ➲ 2016 से जूट के बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म जूट-स्मार्ट लागू किया गया था।
- ➲ इस सॉफ्टवेयर के जरिए अलग-अलग राज्य सरकारों की एजेंसियां सालाना करीब 27 से 30 लाख गट्टों (जूट के कुल सामानों का करीब 68%) की खरीद कर रही हैं। जिनकी कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपये होती है।

ऊन

- ➲ ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मंत्रालय ने एक एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया है।
- ➲ यह कार्यक्रम अगले 3 वर्षों में ऊन का उत्पादन करने वाले बड़े राज्यों में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाएगा।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

- ➲ भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल है। के बिनेट मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अधीन काम करता है।
- ➲ भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में एक राज्य मंत्रालय भी होता है। यह मंत्रालय तीन क्षेत्रों के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहन देता है जो इस प्रकार है- पूंजीगत माल, ऑटो और भारी विद्युत उपकरण।

उद्योग का कामकाज

- ➲ सरकार ने औद्योगिक विकास को बल देने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। इनमें अन्य कदमों के साथ मेक इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ईज ऑफ डूँग बिजनेस शामिल हैं।
- ➲ व्यापार की स्थितियों को आसान और बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें मौजूदा नियमों को सरल व युक्तिसंगत बनाना और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करना, ई-बिज़ पोर्ट शुरू करना और रक्षा उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति को उदार बनाना शामिल है।
- ➲ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को अत्यधिक सरल और उदार बना दिया गया है।
- ➲ सरकार ने देशभर में औद्योगिक गलियारों की निर्माण योजनाएं बनाई हैं। जिसका उद्देश्य औद्योगिक टाउनशिप के विकास के लिए विकसित जमीन और उत्तम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

लोक उद्यम सर्वेक्षण

- ➲ लोक उद्यम विभाग (डीपीई) प्रतिवर्ष संसद को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करता है। जिसे देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के वित्तीय एवं भौतिक कामकाज पर लोक उद्यम सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है।
- ➲ इस सर्वेक्षण में सीपीएसई आते हैं जो कंपनी एक्ट के तहत या तो सरकारी कंपनी के तौर पर स्थापित किए गए हैं या संसद के किसी अधिनियम के तहत सार्विधिक निगम है।
- ➲ इसके अलावा यह के बल उन सरकारी कंपनियों का सर्वेक्षण करता है जिनमें भुगतान की गई पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है।

इस्पात

- ➲ भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय लोहा एवं इस्पात उद्योग की योजना और विकास, आवश्यक कच्चे माल जैसे- लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, लौह-अलौय, संज आयरन आदि के विकास और संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
- ➲ कच्चे इस्पात के उत्पादन और उसकी क्षमता में 2013-2014 से लगातार बढ़ोत्तरी हुई है।

भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

- ➲ प्रोविजनल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्ड स्टील) डाटा दिखाता है कि 2017 में विश्व में कच्चा इस्पात का उत्पादन 1689 एमटी

था जो उससे पहले की अपेक्षा 3.8% ज्यादा था।

- ➲ चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर बना रहा।
- ➲ 2017 के दौरान एशिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन में उसका हिस्सा 72% और विश्व में 49% रहा।

उर्वरक

- ➲ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग सातवें भाग का योगदान देने वाली कृषि देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या का पालन पोषण करती है।
- ➲ इसके अलावा यह शेष जनसंख्या को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहारा देती है।
- ➲ घरेलू जरूरत को पूरा करने और निर्यात के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने में रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका सर्वावधित है।
- ➲ उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है।
- ➲ इस विभाग का मुख्य उद्देश्य वहन करने योग्य कीमत पर उर्वरकों की पर्याप्त व समय पर उपलब्धता और देश में कृषि उत्पादन में अधिकतम सीमा तक वृद्धि सुनिश्चित करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> राष्ट्रीय के मिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> फर्टिलाइजर्स एंड के मिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| <input type="checkbox"/> एफसीआई-अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड |

रसायन एवं पेट्रोरसायन

- ➲ रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था। उसके बाद इसे पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। फिर 1991 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया।
- ➲ यह विभाग रसायन, पेट्रोरसायन और दवा उद्योग क्षेत्र के नियोजन, विकास और नियमों के लिए उत्तरदायी है।

हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड

- ➲ हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड (एचआईएल) की स्थापना डीडीटी के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए 1954 में की गई थी।
- ➲ 1957 में कंपनी ने डीडीटी बनाने के लिए उद्योग मंडल, के रल में और 1977 में रसायनी महाराष्ट्र में कीटनाशक मैलाथियन बनाने के लिए कारखाने लगाए।
- ➲ एचआईएल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मच्छरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनबीबीडीसीपी) के लिए डीडीटी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी है।
- ➲ कंपनी के कुल कारोबार में डीडीटी का हिस्सा करीब 50% है। कंपनी कुछ अप्रीकी देशों को डीडीटी और ब्राजील व अर्जेटीना जैसे देशों को मैलाथियन एवं मैकोजेब जैसे उत्पादों का निर्यात करती है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

- ➲ जनऔषधि योजना 2008 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां किफायती कीमतों पर बेचना था। इसके लिए देशभर के विभिन्न जिलों में जन औषधि केंद्र बनाए गए थे।
- ➲ इस योजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं: बेहतर क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि प्रतिव्यक्ति इलाज की यूनिट लागत को कम किया जा सके।
- ➲ शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि क्वालिटी का मतलब के बल ऊंची कीमत ना हो।
- ➲ पहला जनऔषधि केंद्र 2008 में अमृतसर, पंजाब में खोला गया था। इस योजना का मूल लक्ष्य देश के हर जिले में जन औषधि स्टोर खोलना था।
- ➲ हाल ही में, प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना (पीएमजे-एवाई) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, (पीएमबीजेपी) और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, (पीएमजे-एके) का नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, (पीएमबीजेके) कर दिया गया।

खनिज कानून और सुधार

- ➲ खानों एवं खनिजों के विकास एवं विनियमन के लिए केंद्रीय कानून, खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 है जो 1958 से लागू हुआ।
- ➲ एमएमडीआर की धारा-13 प्रमुख खनिजों को खनिज छूट देने के लिए विनियमन संबंधी कानून बनाने का अधिकार सरकार को

देती है खनिज छूट नियम, 1960 इसके अनुसार ही बनाए गए हैं।

- ➲ केंद्र सरकार की ओर से निम्नलिखित नियम बनाए गए और उपरोक्त अधिनियम के नए संशोधित प्रावधान को प्रभावी बनाने तथा खनन क्षेत्र पर बल देने के लिए बनाए गए। नए नियम इस प्रकार हैं:
 - खनिज (खनिज सामग्री के प्रमाण) नियम 2015;
 - खनिज (गैर-विशेष टोह परमिट), 2015;
 - खनिज (नीलामी) नियम, 2015; और
 - खनिज (सरकारी कंपनियों द्वारा खनन) नियम, 2015;
 - खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन को योगदान) नियम 2015;
 - राष्ट्रीय अन्वेषण ट्रोस्ट नियम, 2015;
 - खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकॉर्बन ऊर्जा खनिज छूट) नियम, 2016;
 - खनिज (सीमित उद्देश्य के लिए नीलामी द्वारा मंजूर खनन लीज़ का हस्तांतरण) नियम, 2016;
 - परमाणु खनिज छूट नियम, 2016;
 - खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

- ➲ सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की है जिसे संबंधित जिलों के जिला खनिज प्रतिष्ठानों द्वारा लागू किया जाएगा।
- ➲ पीएमके के के वाई खनन का अनुकूल वातावरण तैयार करने, प्रभावित व्यक्ति की दशा में सुधार करने और सभी पक्षों को फायदा पहुंचाने में सहायता करेगी।
- ➲ डीएमएफ के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जा रहा है जो पीएमके के के वाई के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति

- ➲ सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, 2016 (एनएमईपी) बनाई जो देश के खनिज संसाधनों (गैर ईधन और गैर-कोयला) की गहन खोज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति का उल्लेख करती है और उसकी कार्य योजना के बारे में बताती है।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण

- ➲ देश में पृथक्षी विज्ञान का प्रमुख संगठन भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) सरकार, उद्योग और भूवैज्ञानिक क्षेत्र को पृथक्षी विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता है।
- ➲ 1851 में मुख्य रूप से कोयले की अनुसंधान करने वाले विभाग

के रूप में आरंभ हुए।

- ➲ जीएसआई ने पिछले 166 वर्षों में अपनी गतिविधियों में कई गुना विस्तार किया है और राष्ट्र निर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान किया है।
- ➲ स्वतंत्रता के बाद शानदार विकास करने वाले इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट एवं बिजली जैसे जीवंत उद्योग राष्ट्रीय विकास में जीएसआई के योगदान का बेहतरीन उदाहरण है।
- ➲ जीएसआई के पास अब डेढ़ शताब्दी से भी ज्यादा समय में एकत्र की गई सबसे अधिक एवं व्यापक पृथक्षी विज्ञान संबंधी जानकारियां हैं।
- ➲ भारत सरकार द्वारा निर्धारित इसके परिचालन अधिकार पत्र में जीएसआई की गतिविधियों एवं दायित्वों का विवरण दिया गया है, जिसमें पृथक्षी विज्ञान से संबंधित लगभग सभी गतिविधियां शामिल हैं।
- ➲ राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एवं ज्ञान के आधार की भूमि, समुद्री एवं हवाई सर्वेक्षणों के माध्यम से तैयार एवं अद्यतन करना एवं उनका प्रसार करना जीएसआई का प्राथमिक लक्ष्य है।

भारतीय खान ब्लूरो

- ➲ 1948 में स्थापित भारतीय खान ब्लूरो (आईबीएम) खान मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन है। जिस पर कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 'परमाणु खनिजों एवं लघु खनिजों के अतिरिक्त खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा व्यवस्थित अन्वेषण का सांविधिक और विकासात्मक दायित्व है।
- ➲ भारतीय खान ब्लूरो खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 (2015 में संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों तथा खनिज सर्वेक्षण एवं विकास नियम, 2017, खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) छूट नियम, 2016 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियामक संबंधी कार्य करता है।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

- ➲ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) इस्पात एवं खान मंत्रालय के अधीन नवरत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है।
- ➲ सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी स्थापना 7 जनवरी, 1981 को हुई थी और उसका पंजीकरण कार्यालय भुवनेश्वर में है।
- ➲ यह कंपनी समूह 'A' का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जो वजन धातु एवं बिजली क्षेत्रों में एकीकृत व विविध क्षेत्रों में काम करता है। 2016-17 में इसका कुल बिक्री कारोबार 7,933 करोड़ रुपये था।

- ➲ नालको देश में सबसे बड़े बॉक्साइट-एल्यूमिनियम-पॉवर कॉम्प्लेक्स में से एक है।
- ➲ कंपनी के पास ओडिशा में कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में 68.25 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली बॉक्साइट खान एवं 21 लाख टन वार्षिक क्षमता (मानक क्षमता) वाला एल्यूमिना रिफायरनी है तथा ओडिशा के अंगुल में 4.60 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एल्यूमिनियम स्मेल्टर व 1,200 मेगावाट क्षमता वाला के पिंव बिजली संयंत्र भी है।
- ➲ एल्यूमिना/एल्यूमिनियम के निर्यात और कास्टिक सोडा के आयात के लिए विजाग बंदरगाह में नालको के पास परिवहन सुविधाएं भी हैं और वह कोलकाता तथा पारादीप बंदरगाहों पर भी सुविधाओं का उपयोग करता है।
- ➲ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बैंगलुरु में हैं तथा घरेलू विपणन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर उसके 11 गोदाम हैं।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

- ➲ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1967 में किया गया था।
- ➲ तांबे के भंडार के उत्खनन और अन्वेषण से संबंधित सभी संयंत्रों, परियोजनाओं एवं अध्ययन को अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार के इस उपक्रम की स्थापना की गई थी।
- ➲ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग का अधिग्रहण भी इसमें शामिल था।
- ➲ यह तांबे का पूर्ण रूप से उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र कंपनी है जो उत्खनन एवं तांबे को लाभकारी बनाने से लेकर स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग तक और तांबे को बिक्री योग्य उत्पादों में ढालने तक सभी कार्य स्वयं करती है।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

- ➲ मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) आईएसओ 9001-2008 प्रमाणन के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्र की उत्कृष्ट खनिज अन्वेषण कंपनी है।
- ➲ 1972 में अपने गठन के बाद से कंपनी ने विस्तृत खनिज अन्वेषण एवं खान विकास को 1,371 से अधिक परियोजनाएं पूरी की है।
- ➲ राष्ट्रीय खनिज भंडार में 160 अरब टन खनिज संसाधनों की वृद्धि की है।

- ➲ यह सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है जो एक ही स्थान पर खनिज अन्वेषण से संबंधित सारे कार्य करती है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेके निक्स

- ➲ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेके निक्स (एनआईआरएम) पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र संस्थान है जो रॉक मेके निक्स में अनुसंधान के लिए बनाया गया है।
- ➲ 25 वर्षों से यह संस्थान उत्खनन, पनबिजली, परियोजना, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं, तेल एवं गैस सेक्टर और रेल, सड़क, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के प्राधिकरणों समेत विभिन्न केंद्रीय, राज्य सरकार की विशेषज्ञता मुहैया करता है।

जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर

- ➲ जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट (जेएनआरडीडीसी) भारत सरकार के खान मंत्रालय और यूएनडीपी के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1989 में स्थापित उत्कृष्टता का केंद्र है। जिसका उद्देश्य भारत में उभरते आधुनिक एल्यूमिनियम उद्योग को अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है।
- ➲ यह केंद्र 1996 से काम कर रहा है। केंद्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- ➲ बॉक्साइट से लेकर तैयार उत्पाद तक सभी प्रकार का अनुसंधान एवं विकास एक ही स्थान पर करने वाला भारत का यह एकमात्र संस्थान है।
- ➲ यह केंद्र बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के बुनियादी और व्यावहारिक क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही एल्यूमिनियम उत्पादकों को अनुसंधान एवं विकास की जरूरतों को पूरा करता है।
- ➲ जेएनएआरडीडीसी रेड मड, धातुमल एवं रही आदि जैसे एल्यूमिनियम उद्योग के अवशिष्टों का प्रभावी तरीके से उपयोग करके लाभकारी बनाने की प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन, बॉक्साइटों के उत्तीकरण बिजली की खपत व पर्यावरण का प्रदूषण कम करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रोसेस मॉडलिंग की सुविधा के साथ एल्यूमिनियम उद्योग व पूरे देश के हित में काम किया है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

- प्र.1** निम्नलिखित में से औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (IIP) के संबंध में कौन सा/से कथन सत्य हैं/हैं-
- इसमें आठ प्रमुख कोर उद्योगों को शामिल किया गया हैं।
 - इसे CSO द्वारा जारी किया जाता है।
 - इसका आधार वर्ष 2003-04 है।
 - केवल 1
 - केवल 1 व 3
 - 1, 2, 3 तीनों सही हैं
 - इसमें से कोई सही नहीं है।
- प्र.2** निम्नलिखित में से किस/किन क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा शत् प्रतिशत कर दी गयी हैं-
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 चायबागान क्षेत्र | 2 साख सूचना कंपनियाँ |
| 3 उपग्रह स्थापना एवं परिवहन | 4 प्रसारण सामाग्री सेवायें |
| (a) केवल 1, 2, 4 | (b) केवल 4 |
| (c) केवल 2, 3 | (d) केवल 1, 2, 3 |
- प्र.3** राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- आईपीआर सृजन को तेज करना।
 - सेवा केंद्रित आई पी आर प्रशासन को आधुनिक एवं तेज बनाना।
- इनमें से कौन सा/से कथन सत्य हैं-
- केवल 1
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2
 - न तो 1 न ही 2 सही हैं।
- प्र.4** बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड का गठन कहाँ किया गया हैं।
- | | |
|------------|----------------|
| (a) गुजरात | (b) नई दिल्ली |
| (c) चेन्नई | (d) महाराष्ट्र |
- प्र.5** निम्नलिखित कथनों में कौन सा/से असत्य हैं/हैं:-
- सीमेंट उद्योग में भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

2 टाइल्स के उत्पादन में भारत का लेकिन उपभोग में विश्व में 22वाँ स्थान हैं।

- 3 विश्व में नमक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है।
- केवल 1 व 3
 - केवल 2
 - केवल 2 व 3
 - 1, 2, 3 सही हैं।

प्र.6 थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा भारांश क्रम सही हैं:- (बढ़ते से घटते हुए क्रम में)

- प्रथमिक वस्तुएँ, ईंधन ऊर्जा, विनिर्मित वस्तुएँ
- विनिर्मित वस्तुएँ, प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन ऊर्जा
- प्राथमिक वस्तुएँ, विनिर्मित वस्तुएँ, ईंधन ऊर्जा
- ईंधन ऊर्जा, विनिर्मित वस्तुएँ, प्राथमिक वस्तुएँ

प्र.7 सुमेलित करेः-

स्थान	राज्य
(a) तलचर	1. आंध्र प्रदेश
(b) कोरबा	2. उड़िसा
(c) रामगुंडम्	3. झारखण्ड
(d) सिंदरी	4. छत्तीसगढ़

a	b	c	d
(A) 2	4	1	3
(B) 1	2	3	4
(C) 1	4	2	3
(D) 4	1	3	2

प्र.8 निम्नलिखित कथनों में कौन सा/से कथन सत्य हैं/हैं-

- देश में क्रोमाइट का लगभग समूचा उत्पादन ओडिशा में हुआ।
- कर्नाटक स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक रहा।
 - केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2 दोनों सही हैं।
 - न तो 1 सही है न ही 2 सही हैं।

Answer:

- | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. (a) | 2. (d) | 3. (b) | 4. (b) | 5. (c) | 6. (d) | 7. (a) | 8. (c) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

अध्याय 20.

विधि और न्याय

- विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना विभाग है। यह 1833 से पुराना है जब ब्रिटिश संसद ने चार्टर, 1833 अधिनियम बनाया था।
- इस अधिनियम में पहली बार एक ही प्राधिकार, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई थी।
- इस प्राधिकार के प्रभाव और इंडियन एक्ट 1861 की धारा 22 के अंतर्गत निहित अधिकारों से गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल ने वर्ष 1834 से वर्ष 1920 तक देश के लिए कानून बनाए।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 लागू होने के बाद इसके अंतर्गत गठित भारतीय विधायिका ने विधायी शक्तियों का प्रयोग किया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ ही भारत एक स्वतंत्र उपनिवेश बन गया और स्वतन्त्र उपनिवेश के विधानमण्डल ने इंडिया (अस्थायी संविधान) ऑर्डर, 1947 द्वारा रूपांतरित भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के अंतर्गत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। भारत के संविधान के अंतर्गत जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके अंतर्गत संसद को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- विधि और न्याय मंत्रालय में 3 विभाग हैं—विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग।
- विधायी विभाग को केंद्र सरकार के कानूनों के लिए विधायी प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
- न्याय विभाग को भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके त्यागपत्र तथा उन्हें हटाने का कार्य दिया गया है।

भारतीय विधि व्यवस्था

- ⌚ भारतीय विधि व्यवस्था में 4 घटकों को शामिल किया गया। ये हैं:- संविधान में निहित बुनियादी मूल्य तथा सिद्धांत, साधारण कानून से सौंपे गए अधिकार तथा जिम्मेदारियां; सांविधानिक नियमों के तहत इन अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था और विधि तथा न्यायिक कर्मों।

विधि के स्रोत

- ⌚ भारत में विधि के प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि (कानून), पारम्परिक (कस्टमरी) कानून और निर्णयविधि (केस लॉ) हैं।
- ⌚ कानून संसद और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा बनाये जाते हैं। इनके अलावा अनेक गौण कानून हैं जिन्हें नियमों, विनियमों और उप-कानूनों के रूप में केंद्र/राज्य सरकारों

तथा स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर-निगमों, नगर-पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा बनाया गया है।

- ⌚ ये अधीनस्थ कानून संसद अथवा संबद्ध राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के विधानमण्डलों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के अंतर्गत बनाए जाते हैं।
- ⌚ उच्च अदालतों जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक फैसले कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- ⌚ भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी अदालतें उच्चतम न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं।

कानून बनाना

- ⌚ केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है।
- ⌚ राज्य सूची के मामलों पर विधानमण्डल कानून बनाने में सक्षम है।

- ➲ राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
- ➲ समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद और विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिकूलता की स्थिति में, संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा।

न्यायपालिका

- ➲ भारत का उच्चतम न्यायालय संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर है। प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का अनुक्रम है।
- ➲ कुछ राज्यों में छोटे-मोटे और स्थानीय प्रकृति के दीवानी और फौजदारी विवादों का निपटारा करने के लिए न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कच्चहरी आदि नामों से पंचायत अदालतें काम कर रही हैं।
- ➲ इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्यों के कानून उपलब्ध हैं।
- ➲ प्रत्येक जिले में शीर्ष अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश होती है।
- ➲ यह जिला अदालत दीवानी न्याय सीमा की प्रधान अदालत है और इसमें मृत्युदंड दिए जाने वाले मामलों सहित हर तरह के अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है।
- ➲ जिला और सत्र न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक मुसिफ, उप-न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और इसी तरह के अन्य न्यायाधीशों के नाम से जाना जाता है।
- ➲ इसी प्रकार से दीवानी अदालतों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं।

उच्चतम न्यायालय

- ➲ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, किंग इन कांउसिल, अथवा प्रीवि कांउसिल जैसा कि आमतौर पर बुलाया जाता था, भारत में अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों और आदेशों से की गई अपीलों को सुनने का सर्वोच्च मंच था।
- ➲ 1833 में न्यायिक समिति अधिनियम लागू होने के बाद, इसे प्रीवि कांउसिल की न्यायिक समिति कहा जाने लगा।
- ➲ भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की मांग बढ़ रही थी और यह महसूस किया जाने लगा था कि प्रीवि कांउसिल में अपील करना काफी खर्चला है और आम आदमी की पहुँच से बाहर है।
- ➲ सबसे बड़ा कारण यह था कि ये भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती थी।
- ➲ भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारत में संघीय

- संविधान पेश किया, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र और अन्य घटक इकाइयों के बीच किया गया।
- ➲ भारत में संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर, 1937 से काम करना शुरू कर दिया।
- ➲ मूल रूप से न्याय करने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिए गए फैसलों अथवा केंद्रीय न्यायालय अथवा प्रिवी कांउसिल की इजाजत से संघीय न्यायालय से अपीलें प्रिवी कांउसिल में जा सकती थी।
- ➲ संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में वादियों को उच्च न्यायालय में अपील से पहले संघीय अदालत जाना पड़ता था और अन्य मामलों में अपीलें उच्च न्यायालय से सीधी प्रिवी कांउसिल में जाती थी।
- ➲ संघीय न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र 1948 में पारित अधिनियम के लागू होने पर बढ़ गया और उन्हीं परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के फैसलों से केंद्रीय न्यायालय को अपीलें प्रदान की जाती थीं, जिनमें अपीलों को विशेष अनुमति के बिना और किसी अन्य मामले में संघीय अदालत की विशेष अनुमति के बिना प्रिवी कांउसिल में लाया जा सकता था।
- ➲ अगस्त, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर राजनीतिक आकांक्षाओं को हासिल करने के बाद, भारत सरकार की ओर से संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और उसे अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की मांग उठी।
- ➲ 1949 से प्रिवी कांउसिल में अपीलों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अपीलीय न्याय करने का संपूर्ण अधिकार संघीय न्यायालय में निहित कर दिया गया।
- ➲ 26 जनवरी, 1950 को संघीय न्यायालय ने नए संविधान के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
- ➲ भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है।
- ➲ वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
- ➲ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है और वह कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय अथवा ऐसे ही दो या अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अथवा कम से कम 10 वर्ष के लिए दो या अधिक ऐसी ही अदालतों में अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

- ⦿ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने का प्रावधान मौजूद है।
- ⦿ संविधान में विभिन्न तरीकों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।
- ⦿ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल उसी स्थिति में हटाया जा सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन में संबोधन के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करे और इसके लिए सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और 2/3 सदस्यों की मौजूदगी और मतदान जरूरी है।
- ⦿ कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है। उसके किसी भी न्यायालय अथवा भारत के अन्य किसी प्राधिकरण में वकालत करने पर रोक है।

उच्च न्यायालय

- ⦿ उच्च न्यायालय का अर्थ है राज्य के न्यायिक प्रशासन का प्रमुख। देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है।
- ⦿ संघशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है। अन्य 6 संघशासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- ⦿ प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए अन्य न्यायाधीश हैं।
- ⦿ भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
- ⦿ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में केवल इतना अंतर है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- ⦿ न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक कार्यभार संभाल सकते हैं।
- ⦿ न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य होने के लिए किसी का भी भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसने 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक कार्यालय संभाला हो अथवा इतनी ही अवधि के लिए उच्च न्यायालय अथवा ऐसी ही दो या अधिक अदालतों में अनुक्रम में अधिवक्ता के रूप में वकालत की हो।

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उसकी पीठ

- ⦿ प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने

वाली सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों की देखरेख करने का अधिकार है।

- ⦿ वह ऐसी अदालतों से कामकाज का ब्योरा मांग सकता है, सामान्य नियम बना सकता है और उन्हें जारी कर सकता है और अदालतों की कार्यवाही को नियमित करने तथा तरीका तय करने के लिए निर्धारित फार्म बना सकता है। जिसमें खाता प्रविष्टियाँ और लेखा ब्योरा रखा जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार

- ⦿ उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकार और सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश दे सकता है अथवा रिट जारी कर सकता है।
- ⦿ इन अधिकारों का इस्तेमाल किसी ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जो वाद हेतु क्षेत्रों के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से इन अधिकारों को प्रयोग में ला रहा हो, चाहे सरकार का आधार अथवा प्राधिकार अथवा ऐसे रिहायशी क्षेत्रों में ना हो।

अधीनस्थ अदालतें

- ⦿ अधीनस्थ अदालतों की संरचना और कामकाज कुल मिलाकर देशभर में एक जैसा है।
- ⦿ अदालतों के पदनाम उनके कामकाज की जानकारी देते हैं। यह अदालतें हर प्रकार के दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमों का निपटारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के अनुसार करती हैं।
- ⦿ ये अदालतें प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले दो महत्वपूर्ण कोडों, यानी कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर (सीपीसी), 1908 और कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, सी.आर.पी.सी., 1973 का पालन करती हैं और राज्य स्तर पर संशोधनों द्वारा और मजबूत होती हैं।
- ⦿ भारत के संविधान के अनुच्छेद-235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय के पास है।
- ⦿ इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद-233 और 234 के साथ व्याख्या करने वाले अनुच्छेद-309 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते समय राज्य सरकार ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उच्च न्यायालय की सलाह से नियम और विनियम बना सकती है।
- ⦿ राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्य इन नियमों और विनियमों से संचालित होते हैं।

उच्च न्यायालयों का नाम, उनकी प्रमुख पीठ, बेंच और उनके अधिकार क्षेत्र

क्र. स.	उच्च न्यायालय	प्रमुख पीठ	अधिकार क्षेत्र	स्थायी पीठ और जिस तारीख से पीठ ने काम करना शुरू किया
1.	इलाहाबाद	प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (01.07.1948)
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	-
3.	मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा; दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	नागपुर (01.05.1960) पणजी (01.07.1948) ओरंगाबाद (27.08.1984)
4.	कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ (काम शुरू करना बाकी)
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	-
6.	दिल्ली	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-
7.	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	कोहिमा (10.02.1990) आईजोल (05.07.1990) ईटानगर (12.08.2000)
8.	गुजरात	सोला (अहमदाबाद)	गुजरात	-
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	-
10.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	-
11.	झारखंड	रांची	झारखंड	-
12.	कर्नाटक	बैंगलुरु	कर्नाटक	सर्किट पीठ, धारवाड.(07.02.2008) गुलबर्गा (07.02.2008)
13.	केरल	कोच्चि	केरल और लक्षद्वीप द्वीप	-
14.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मध्य प्रदेश	ग्वालियर (01.11.1956) इंदौर (01.11.1956)
15.	मद्रास	चेन्नई	तमில்நாடு और पुதुचेरी	मदुरई (24.07.2004)
16.	ओडिशा	कटक	ओडिशा	-
17.	पटना	पटना	बिहार	-
18.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	चंडीगढ़
19.	राजस्थान	जोधपुर	राजस्थान	जयपुर (31.01.1977)
20.	सिक्किम	गंगटोक	सिक्किम	-
21.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	उत्तराखण्ड	नैनीताल
22.	मणिपुर	इंफाल	मणिपुर	-
23.	मेघालय	शिल्लौना	मेघालय	-
24.	त्रिपुरा	अगरतला	त्रिपुरा	-

न्यायिक अवसरंचना

- ⦿ अधीनस्थ न्यायिक संबंधी अवसरंचनात्मक विकास की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।
- ⦿ राज्यों को न्यायिक अवसरंचनात्मक विकास में मदद देने के लिए 1993-94 में एक केंद्र प्रायोजित योजना अमल में लाई गई।
- ⦿ इसके अंतर्गत, अदालती इमारतों और न्यायिक अधिकारियों को रिहायशी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य किया गया।

ई-न्यायालय समेकित मिशन मोड परियोजना

- ⦿ ई-न्यायालय समेकित मिशन मोड परियोजना देश की जिला/अधीनस्थ अदालतों और उच्च न्यायालयों में लागू की जा रही ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का अंश है।
- ⦿ इस परियोजना की संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमिटी द्वारा 'भारतीय न्यायाधिकरण-2005 में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अमलीकरण की राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना' के अंतर्गत तैयार की गई थी।

अधिकारविहीन लोगों के लिए न्याय की पहुँच

- ⦿ अधिकारविहीन लोगों तक न्याय तक पहुँच बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी में न्याय विभाग ने 2008 में एक दशक लंबा कार्यक्रम शुरू किया। यह परियोजना बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के 8 यूएनडीएफ राज्यों में प्रसारित की गई है।
- ⦿ इस परियोजना में मुख्यतः अधिकारविहीन लोगों को न्याय दिलाने के लिए रणनीति विकसित करने का प्रयास किया गया है ताकि कानूनी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक पहुँचने में अड़चने दूर हो सकें।
- ⦿ परियोजना का दूसरा चरण 2013 से 2017 तक 5 वर्षों के दौरान चला।
- ⦿ इस चरण में पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाया गया और न्याय की मांग और उसकी आपूर्ति की दिशा में काम किया गया।
- ⦿ परियोजना के अंतर्गत, न्याय विभाग के साथ न्याय देयता और कानूनी सुधारों के विशिष्ट लक्ष्य के लिए एक तकनीकी सहयोग टीम को जोड़ा गया।
- ⦿ परियोजना के दूसरे चरण में मांग और आपूर्ति पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा।
- ⦿ भौगोलिक व्यापि के मामले में, परियोजना बेहतर नीतियों के लिए, 8 राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1-2 चुनिंदा जिलों पर

ध्यान केंद्रित करेगी। पिछले चरण में प्राप्त नीतियों को भावी कार्य में भी स्थायी रखे जाने को सुनिश्चित किया जाएगा।

विधि मामले

- ⦿ न्यूयॉर्क समझौते के अनुसार, 1996 के आर्बिट्रेशन एंड कॉर्सिलिएशन अधिनियम की धारा 44 (B) के अंतर्गत, विदेशों से आपसी रजामंदी के साथ विधि मामलों का विभाग, पंचाट पुरस्कारों को अमल में लाने वाला प्रमुख विभाग है।
- ⦿ 1965 के हेग सम्मेलन के अनुसार, विधि मामलों का विभाग, नागरिक और वित्तीय मामलों में, न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाला केंद्रीय प्राधिकरण है।

राष्ट्रीय मुकदमा नीति

- ⦿ भारत की विभिन्न अदालतों में लगभग 3.2 करोड़ मामले लंबित हैं। समझा जाता है कि सबसे अधिक मामले सरकार से संबंधित हैं।
- ⦿ विधि आयोग की अनेक रिपोर्टों में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने, अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने और सरकारी खजाने पर इनके खर्च का बोझ कम करने की सलाह दी गई है।
- ⦿ अतः राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2017 के मसौदे में ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिससे मुकदमेबाजी पर रोक लगाई जा सके। उन पर नियंत्रण रखा जा सके और उनकी संख्या कम की जा सके।
- ⦿ नीति के कार्यान्वयन से:
 - मुकदमेबाजी की संख्या कम की जा सकेगी और विभाग/संगठन मुकदमेबाजी से मुक्त विभाग के रूप में आगे बढ़ सकेंगे।
 - शिकायतों के मुकदमेबाजी का रूप लेने से बचा जा सकेगा।
 - जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सकेगी।
 - न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम किया जा सकेगा और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा।

पंचाट को संस्थागत बनाना

- ⦿ कानूनी प्रक्रिया और समय पर निपटाए जाने की आवश्यकता वाले पूँजी निवेश संबंधी मामलों/आवेदनों में देरी अंतराष्ट्रीय पंचाट का कारण बनती है जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है।
- ⦿ अपनी कानूनी और न्याय संबंधी व्यवस्था को सुचारू बनाने की जरूरत है ताकि वाणिज्यिक विवादों को जल्द सुलझाया जा सके और यह एक आवश्यकता है।
- ⦿ विधि विभाग ने भारत में पंचाट व्यवस्था को संस्थागत बनाने की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

- ➲ न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने 30 जुलाई, 2017 को विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

जीएटीएस की तर्ज पर विधि व्यवसाय में सुधार ताकि कानूनी सेवाएं खोली जा सकें।

- ➲ विधि जगत से जुड़े लोग समाज के सबसे अधिक प्रबुद्ध और परंपरागत रूप से सम्मानित वर्ग से आते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार में, इस प्रतिष्ठित व्यवसाय की भूमिका हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रही है।
- ➲ यह लोकतंत्र का प्रहरी है और हमेशा कानून के शासन से जुड़े मामलों में सर्तक रहता है। जैसा कि हमारे संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है और गारंटी दी गई है।

विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

- ➲ विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 18 के अंतर्गत जून, 2000 में की गई थी।
- ➲ फेमा की धारा 19 के अंतर्गत, धारा 17 के उप खंड (i) में उल्लिखित के अलावा विशेष निदेशक (अपील) अथवा किसी निर्णायक प्राधिकार द्वारा दिए गए आदेश से असंतुष्ट केंद्र सरकार अथवा कोई भी व्यक्ति, अपीलीय न्यायाधिकारी में अपील करने को प्राथमिकता दे सकता है जिसे आदेश मिलने की तारीख से 45 दिन के भीतर असंतुष्ट व्यक्ति अथवा केंद्र द्वारा दायर किया जा सकता है।
- ➲ पीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं जो भी अध्यक्ष को उपयुक्त लगे।
- ➲ अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें सामान्य तौर पर नई दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों पर बैठती हैं। जिससे केंद्र सरकार अध्यक्ष से सलाह करे सके और उनके बारे में अधिसूचना दें सके।
- ➲ अध्यक्ष किसी भी सदस्य का तबादला एक पीठ से दूसरी पीठ में कर सकता है।

प्रवर्तन एजेंसियां

पुलिस

- ➲ देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ➲ संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है, पुलिस का रख-रखाव और नियंत्रण राज्यों द्वारा किया जाता है।

- ➲ किसी भी राज्य में पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है।
- ➲ राज्य को उपयुक्त क्षेत्रीय खंडों में विभाजित किया गया है जिसे रेंज कहा जाता है और प्रत्येक पुलिस रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अनेक जिले रेंज का गठन करते हैं।
- ➲ जिला पुलिस को पुलिस डिवीजनों, सर्कलों और पुलिस स्टेशनों में उप-विभाजित किया गया है।
- ➲ इसके अलावा नागरिक पुलिस, राज्यों की अपनी सशस्त्र पुलिस और पृथक गुप्तचर शाखाएँ, अपाध शाखाएं आदि हैं।
- ➲ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे आदि में पुलिस सीधे तौर पर पुलिस आयुक्त के अंतर्गत आती है जिसके पास मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकार होते हैं।
- ➲ विभिन्न राज्यों में सभी विरिष्ट पुलिस पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) केंद्र द्वारा संचालित हैं। जिसके लिए नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर होती है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

- ➲ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की स्थापना चीनी हमले के मद्देनजर 1962 में की गई। जिसकी शुरूआत में केवल 4 बटालियनें थी।
- ➲ आईटीबीपी मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित सशस्त्र बल है और इसके अधिकारी अधिकारी और जवान प्रशिक्षित पर्वतारोही और स्कीयर्स हैं जो 2012 के अभियान के दौरान माउंट एवरेस्ट पर 4 बार और 180 अन्य हिमालयी चोटियां पर परचम लहरा चुके हैं।

सीमा सुरक्षा बल

- ➲ सिंतंबर 1965 में भारत-पाक युद्ध तक पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर संबद्ध देशों का राज्य पुलिस बल तैनात था।
- ➲ शांतिकाल के दौरान बीएसएफ की भूमिका इस प्रकार है:
 - (i) सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना;
 - (ii) सीमा पार से अपराधों की रोकथाम, भारत के क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश अथवा निकासी को रोकना;
 - (iii) सीमा पार तस्करी और किसी अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना;
 - (iv) घुसपैठ रोकने का कर्तव्य; और
 - (v) सीमा पार की खुफिया जानकारी एकत्र करना।
- ➲ युद्ध के दौरान बीएसएफ की भूमिका इस प्रकार है:

- (i) सौंपे गए क्षेत्रों में मैदान संभालना;
- (ii) दुश्मन की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस अथवा अनियमित बलों के खिलाफ सीमित आक्रामक कार्रवाई;
- (iii) सेना के नियंत्रण के तहत व्यवस्थित दुश्मन के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना;
- (iv) युद्धबदियों के शिविरों की पहरेदारी;
- (v) सीमावर्ती इलाकों में सेना के लिए गाइड के रूप में तथा गुप्तचर के साथ जुड़े विशेष कार्य करना।

असम राइफल्स

- असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई और यह भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल है।
- इस बल की स्थापना प्रारंभिक तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले जंगली और बेलगाम आदिवासियों से असम की जलोढ़ समतल भूमि की रक्षा करने के लिए की गई थी।
- इसके मुख्यालय शिलॉना में है और 1,631 किलोमीटर लंबी भारत-स्थानीय सीमा की रखवाली के लिए पूर्वोत्तर में बल को पूरी तरह तैनात किया गया है। यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

- 70 के दशक के दौरान पश्चिम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद ने अपना सिर उठा लिया था।
- यह विमान अपहरण, लोगों को बंधक बनाने, गणमान्य और अन्य व्यक्तियों की हत्याओं सहित अनेक रूपों में सामने आ रहा था।
- कानून और व्यवस्था का सामान्य तंत्र और पश्चिम के रक्षा बल इस बुराई से निपटना चाहते थे।
- एनएसजी के 9 कमांडो ने एनएसजी के आदर्श वाक्य (सर्वत सर्वोत्तम सुरक्षा के अनुरूप आचरण) करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में किया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद इसे नया नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया और तकालीन गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उसके लिए बहुआयामी भूमिका की संकल्पना की।
- अब संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार, पूरी तरह गठित महिला इकाई को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लाइबेरिया में तैनात किया गया है।
- सीआरपीएफ ने हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रेपिड एक्शन फोर्स

- 1992 में, सीआरपीएफ की 10 बटालियनों को पुनर्गठित किया गया और इन्हें रेपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की प्रत्येक 4 कॉर्प की 10 बटालियों में बदल दिया गया।
- आरएएफ के जबान प्रशिक्षित हैं और सांप्रदायिक दंगों और इसी प्रकार की स्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए लैस किया गया है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

- 1969 में गठित, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 59 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों सहित 303 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
- यह 87 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है।
- अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तक कोंद्रित संगठन नहीं रह गया है।
- सीआईएसएफ इस समय 308 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
- जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, रक्षा उत्पादन इकाइयां, खाने, तेल क्षेत्र और रिफाइनरियां, प्रमुख समुद्री बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग इस्पात संयंत्र, फर्टिलाइजर इकाइयां, हवाईअड्डे हाइड्रो इलेक्ट्रिक/ताप बिजली संयंत्र, संवेदनशील सरकारी इमारतें और यहाँ तक कि धरोहर स्मारक (ताजमहल और लाल किला सहित) और प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं।

सशस्त्र सीमा बल

- सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) भारती संघ का नवीनतम सीमा सुरक्षाबल है। जिस पर भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
- 2001 से सीमा सुरक्षा बल भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा कर रहा है और 2004 में इसे भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद, 1963 के आरंभ में की गई थी। उस समय इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था।
- एसएसबी के पहले की भूमिकाओं में इसके कार्य थे:
 - सीमांत क्षेत्रों की जनता का मनोबल बढ़ाना और उनमें सुरक्षा की भावना मजबूत करना; (राष्ट्रीय जागरूकता और सुरक्षा के प्रति सतर्क बनाना); और
 - दुश्मन का सामना करने के लिए सीमांत क्षेत्रों की जनता को व्यवस्थित और तैयार करना।

नागरिक सुरक्षा

- नागरिक सुरक्षा में ऐसे उपाय शामिल हैं जिनका संबंध वास्तव

में युद्ध से नहीं है।

- ⦿ नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के लिए संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक के जरिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा घटकों की अतिरिक्त भूमिका को कानूनी मंजूरी दी गई।
- ⦿ नागरिक सुरक्षा आपात स्थितियों के दौरान संवर्धित प्रतिष्ठान और वैतनिक कर्मचारियों के छोटे केंद्र को छोड़कर मुख्य रूप से स्वयंसेवी आधार पर संगठित की जाती है।

होम गार्ड

- ⦿ होमगार्ड स्वयंसेवी बल है, इसकी स्थापना आंतरिक अशांति और संप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद करने के उद्देश्य से दिसंबर 1946 में की गई थी।
- ⦿ इसके बाद स्वयंसेवी नागरिकों के बल की संकल्पना को अनेक राज्यों ने अपनाया। 1962 में चीनी हमले को ध्यान में रखकर केंद्र ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे अपने वर्तमान स्वयंसेवी संगठनों का एक समान स्वयंसेवी बल, होमगार्ड के रूप में विलय कर लें।
- ⦿ होमगार्ड दो प्रकार के हैं—ग्रामीण और शहरी। सीमावर्ती राज्यों में, सीमा खंड की होमगार्ड बटालियन भी बनाई गई है, जो सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रूप में कार्य करती है। संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में फैला हुआ है।
- ⦿ होमगार्ड की स्थापना होमगार्ड अधिनियम और राज्यों/संघशासित प्रदेशों के नियमों के अंतर्गत की गई थी।

दमकल सेवा

- ⦿ दमकल सेवा राज्य का विषय है और इसे अनुच्छेद 243-डब्ल्यू के संदर्भ में भारत के संविधान की 12 वीं अनुसूची में नगर निगम के कार्यों के रूप में शामिल किया गया है।
- ⦿ राज्य सरकारों/नगर निगम निकायों की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड को लागू करना और दमकल सेवाओं को मजबूत बनाने और उन्हें सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त संसाधन आंवटित करना है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पर्सनल लॉ

- ⦿ भारत में विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले लोग हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, वसीयत आदि से जुड़े पारिवारिक मामलों में वे विभिन्न पर्सनल लॉ के अधीन हैं।

विवाह

- ⦿ विवाह और तलाक से जुड़े कानून को विभिन्न कानूनों में विधिबद्ध किया गया है। जो विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू होते हैं। ये हैं:

- (1) धर्मांतरण विवाह विच्छेद कानून, 1866
 - (2) तलाक कानून, 1869
 - (3) भारतीय ईसाई विवाह कानून, 1872
 - (4) काजी कानून, 1180
 - (5) आनंद विवाह कानून, 1909
 - (6) भारतीय उत्तराधिकार कानून, 1925
 - (7) पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936
 - (8) मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, 1939
 - (9) विशेष विवाह कानून, 1954
 - (10) हिंदू विवाह कानून, 1955
 - (11) विदेशी विवाह कानून, 1969; और
 - (12) मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की रक्षा) कानून, 1986।
- ⦿ विशेष विवाह कानून, 1954 में विवाह की विशेष विधि की व्यवस्था की गई और इस तरह के विवाह के पंजीकरण का दायरा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समूचे भारत में फैल गया। लेकिन यह जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले नागरिकों पर भी लागू होता है इस कानून से संचालित विशेष तौर से इस कानून के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं चाहे वे विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले क्यों न हों।
 - ⦿ इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि किसी भी रीति से होने वाले विवाह को विशेष विवाह कानून के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, यदि वह कानून की जरूरतों को पूरा करता हो। अथवा 'मिरगी' शब्द को हटाने के लिए कानून की धारा 4 (बी)
 - ⦿ (iii) में संशोधन किया गया। निर्वाह धन अथवा पालन-पोषण और नाबालिक बच्चों की शिक्षा के लिए आवेदन को प्रतिवादी के नोटिस देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाने के लिए धारा 36 और 38 में संशोधन किया गया।
 - ⦿ हिंदू विवाह कानून, 1955 द्वारा हिंदूओं में प्रचलित व्यावहारिक कानून को विधिबद्ध करने का प्रयास किया गया।
 - ⦿ तलाक के संबंध में प्रावधान हिंदू विवाह कानून की धारा 13 और विशेष विवाह कानून की धारा 27 में निहित है।
 - ⦿ ईसाई समुदाय के संबंध में, विवाह और तलाक से जुड़े प्रावधान क्रमशः भारतीय ईसाई विवाह कानून, 1872 और भारतीय तलाक कानून, 1869 की धारा 10 में निहित है।
 - ⦿ तलाक के मामले में महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने और आपसी सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए तलाक कानून, 1869 में भारतीय तलाक (संशोधन) कानून 2001 के जरिए व्यापक संशोधन किए गए। साथ ही,

- 1869 के कानून की धारा 41 में संशोधन विवाह कानून (संशोधन) कानून, 2001 द्वारा किया गया ताकि निर्वाह धन अथवा पालन-पोषण और अल्पवयस्क बच्चों की शिक्षा संबंधी आवेदन का निपटारा प्रतिवादी नोटिस की तारीख से 60 दिन के अंदर निपटाया जा सके।
- मुसलमानों के संबंध में, विवाह देश में मौजूद मुसलमान कानून द्वारा संचालित है। तलाक के मामलें में किसी मुस्लिम पत्नी के पास अपने विवाह को तोड़ने के संबंध में अधिक प्रतिबंधित अधिकार है। लिखे नहीं गए और पंरपरागत कानून मुस्लिम महिला को अपनी स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित रूपों के अंतर्गत विवाह तोड़ने की इजाजत देते हैं:
 - तलाक-ए-तफवीद: यह प्रदत्त तलाक की एक विधि है। इसके अनुसार पति विवाह समझौते में तलाक का अपना अधिकार दूसरों को सौंप देता है जो गारंटी देता है, अन्य बातों के साथ, उसके दूसरी पत्नी लाने पर, पहली पत्नी को उसे तलाक देने का अधिकार है;
 - खुला: यह विवाह के पक्षों के बीच विच्छेद का एक समझौता है जिसमें पत्नी विवाहसूत्र से मुक्त होने के लिए कुछ निमित्त देती है। शर्तें मोल-तोल का मामला है और आमतौर से पत्नी को मेहर अथवा उसका एक हिस्सा देते हैं और मुबारत: यह आपसी सम्मति से लिया जाने वाला तलाक है।
 - साथ ही, मुस्लिम विवाह कानून, 1939 द्वारा, किसी मुस्लिम पत्नी को अपने विवाह को तोड़ने का इन आधारों पर अधिकार दिया गया है:
 - (i) 4 वर्ष से पति का ठौर-ठिकाना पता न हो;
 - (ii) पति ने दो वर्ष से पत्नी की परवरिश ना की हो;
 - (iii) 7 वर्ष या अधिक समय के लिए पति जेल में रहा हो;
 - (iv) पति बिना किसी उपयुक्त कारण के 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा हो;
 - (v) पति की नपुंसकता;
 - (vi) दो वर्ष लंबा पागलपन;
 - (vii) कोढ़ अथवा संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो;
 - (viii) 15 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाह हो चुका हो; और
 - (ix) विवाह को शारीरिक संबंध स्थापित करके पूर्ण नहीं किया हो; और
 - (x) क्रूरता।
 - पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 पारसियों के वैवाहिक संबंधों से संचालित है। कानून, में पारसी शब्द को पारसी जोरोएस्ट्रियन के रूप में परिभाषित किया गया है।

- जोरोएस्ट्रियन वह व्यक्ति है जिसने जोरोएस्ट्रियन धर्म को अपनाया है। इसका जातिगत महत्व है।
- केवल पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 के प्रावधानों से तैयार इस कानून का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसे हिंदू विवाह कानून, 1955 के समकक्ष लाया जा सके।
- यहूदी विवाह को आपस में इकरारनामा नहीं मानते, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध मानते हैं जिसमें काफी समर्पित कर्तव्य शामिल है। विवाह को व्यभिचार अथवा क्रूरता के आधार पर अदालतों के जरिए तोड़ा जा सकता है। विवाह एक स्त्री के प्रति समर्पित रहने का रिश्ता है।

गोद लेना

- हालाँकि गोद लेने के लिए संचालित कोई सामान्य कानून नहीं है, लेकिन हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून, 1956 और हिंदुओं के बीच और संख्या की दृष्टि से नगण्य व्यक्तियों के कुछ वर्गों में इसकी इजाजत है। चूँकि गोद लेना किसी बच्चे का कानूनी संबंध है, यह पर्सनल लॉ की विषय-वस्तु बनाता है।
- मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के कोई दत्तक ग्रहण कानून नहीं है और उन्हें अभिभावक और देखरेख कानून, 1890 के अंतर्गत अदालत की शरण में जाना पड़ता है।
- इस कानून के अंतर्गत मुसलमान, ईसाई और पारसी के बल पोषक देखभाल के लिए बच्चे को ले जा सकते हैं।
- पोषक देखभाल के अंतर्गत रह रहा बच्चा जब वयस्क यानी 18 वर्ष का हो जाता है, वह इन सभी संपर्कों को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, ऐसे बच्चे के पास उत्तराधिकार का कानूनी अधिकार नहीं होता।
- विदेशी, जो भारतीय बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उन्हें रक्त कानून के अंतर्गत अदालत का सहारा लेना पड़ेगा।
- गोद लेने से संबंधित हिंदू कानून में संशोधन किया गया और उसे हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण कानून, 1956 में विधिबद्ध किया गया, जिसके अंतर्गत कानूनी हैसियत से पुरुष अथवा हिंदू महिला पुत्र प्रती को गोद ले सकती है।
- मुस्लिम लॉ इस बात की मान्यता देता है कि नाबालिंग बच्चों को रखने का माँ का अधिकार पूर्ण अधिकार है। यहाँ तक कि पिता भी उसे इससे वंचित नहीं कर सकता।

उत्तराधिकार

- 1925 अस्तित्व में रहे निर्वसीयत और वसीयतनामा उत्तराधिकार कानून को मजबूत बनाने के लिए भारतीय उत्तराधिकार कानून बनाया गया।
- यह अधिनियम संघशासित पुदुचेरी में लागू नहीं होता। जबकि उत्तराधिकार के संबंध में कानून को मजबूत बनाते समय, दो योजनाओं, एक जिसका संबंध भारतीय ईसाइयों, यहूदियों और

- विशेष विवाह कानून, 1954 के अंतर्गत विवाहित व्यक्तियों की संपत्ति के उत्तराधिकार से था और दूसरा पारसियों के उत्तराधिकार से संबंधित था, को अपनाया गया।
- ⦿ पहली योजना में, जो पारसियों के अलावा अन्य पर लागू की गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयत (वसीयत किए बिना) मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी और उसके नजदीकी वंश के लोग हैं, तो उसकी विधवा संपत्ति का 1/3 नियत हिस्सा लेने की हकदार है और नजदीकी वंश के लोग शेष 2/3 हिस्सा लेने के हकदार हैं।
 - ⦿ विधवा महिलाओं के अधिकारों में सुधार लाने के लिए बाद में इस कानून में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि जहाँ किसी व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी है और नजदीकी वंश का कोई नहीं है और संपत्ति का मूल्य 5,000 रूपये से अधिक नहीं है, ऐसी स्थिति में विधवा महिला पति की पूरी संपत्ति की हकदार है।
 - ⦿ जहाँ संपत्ति का कुल मूल्य 5,000 रूपये से अधिक है, वह 4% भुगतान पर ब्याज के साथ 5,000 रूपये ले सकती है और बची हुई संपत्ति में वह अपने हिस्से की हकदार है।
 - ⦿ यह कानून संपत्ति की वसीयत करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाता।
 - ⦿ दूसरी योजना के अंतर्गत, कानून में निर्वसीयत पारसियों के उत्तराधिकार के लिए व्यवस्था की गई है।
 - ⦿ भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 1991 से इस कानून में संशोधन किया गया ताकि माता-पिता की संपत्तियों में पुत्र और पुत्री दोनों को समान हिस्सा मिल सके चाहे वह पिता की हो अथवा माता की। इसमें पारसियों के लिए यह भी व्यवस्था की गई कि वे बेरोकटोक किसी धार्मिक अथवा धर्मार्थ उद्देश्य से अपनी संपत्ति वसीयत में दे सकते हैं।
 - ⦿ इस संशोधित कानून द्वारा धारा 213 में भी संशोधन किया गया ताकि ईसाइयों को भी अन्य समुदायों के बराबर लाया जा सके।
 - ⦿ हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, अथवा जैनियों के बीच वसीयतनामे से जुड़ा कानून कुछ प्रतिबंधों का विषय है और भारतीय उत्तराधिकार कानून, 1925 तीसरी अनुसूची के अंदर समझा जाए, की धारा में संशोधन किए गए।
 - ⦿ हिंदुओं में निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में विधिबद्ध किया गया। जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर इसका पूरे भारत में विस्तार हुआ।
 - ⦿ भारत में अधिकांश मुसलमान सुन्नी कानून के हनाफी मत का अनुसरण करते हैं। अदालतों का मानना है कि मुसलमान तब तक हनाफी कानून के अधीन हैं जब तक यह स्थापित ना हो जाए कि वह असंगत है।
 - ⦿ हालाँकि शिया और सुन्नी मतों के बीच अनेक विशेषताएँ सर्वनिष्ठ हैं, लेकिन कुछ बातों में मतभेद हैं। सुन्नी कानून कुरान की उत्तराधिकार की आयतों को इस्लाम पूर्व व्यावहारिक कानून के जोड़ के रूप में मानता है। उसने पुरुष पूर्वजों की श्रेष्ठ स्थिति को सुरक्षित रखा है।
 - ⦿ हिंदू और ईसाइ कानूनों के विपरीत, मुस्लिम कानून किसी व्यक्ति के वसीयत के अधिकार पर रोक लगाता है।
 - ⦿ एक मुसलमान अपनी संपत्ति का केवल 1/3 वसीयत में दे सकता है।
- आंनद विवाह (संशोधन) कानून, 2012**
- ⦿ सिखों के विवाह अधिकार जिन्हें आंनद कारज कहा जाता था, उसकी वैधता के संदेहों को मिटाने के लिए आंनद विवाह कानून, 1909 बनाया गया और इसमें विवाह के पैंजीकरण की व्यवस्था नहीं प्रदान की गई।
 - ⦿ हिंदू विवाह कानून, 1955 धर्म द्वारा सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों अथवा सिखों पर लागू होता है।
 - ⦿ हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 8 में हिंदू विवाह के पैंजीकरण की व्यवस्था है और क्योंकि हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 2 के अंतर्गत सिखों को हिंदूओं की परिभाषा में शामिल किया गया है, सिख विवाह रस्म के अनुसार होने वाले सिख विवाह जिसे आंनद कहा जाता है अथवा अन्य प्रचलित रस्मों को यहाँ हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत पैंजीकृत किया जा सकता है।
- चुनाव कानून**
- ⦿ संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के संबंध में कानून:
 - (i) जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950;
 - (ii) जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951;
 - (iii) राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव कानून, 1952;
 - (iv) परिसीमन कानून, 2002;
 - (v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद कानून, 2005; और
 - (vi) तमिलनाडु विधान परिषद कानून, 2010 को विधि और न्याय मंत्रालय के विधि संबंधी विभाग द्वारा प्रभाव में लाया जाएगा। - ⦿ हमारे देश की चुनाव प्रणाली जिसे चुनावों का फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, उसके 67 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

- ➲ प्रतिनिधित्व व्यवस्था में लोक सभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवधिक पुनर्व्यवस्थापन अनिवार्य है जहाँ एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए किया जाता है।
- ➲ पिछली प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव संबंधी सीमाएं तय की जाती हैं और यह तुलनात्मक रूप से आबादी के बराबर होती हैं।
- ➲ समान रूप से बसे हुए निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं को विधायिका में समान महत्व के मत डालने का अधिकार प्रदान करता है।
- ➲ भारत में पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में, दूसरे का 1962 में और तीसरे का 1973 में किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का तीसरा प्रयोग वर्ष 1975 में पूरा हुआ।
- ➲ राज्यों के विधानमंडलों के लिए आवंटित सीटों की संख्या को प्रभावित किए बिना इसमें वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया जाए ताकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी/मतदाताओं की असंगत वृद्धि के कारण उत्पन्न असंतुलन को ठीक किया जा सके।
- ➲ संविधान 84 कानून, 2001 को 2002 में कानून बनाया गया। इसके पश्चात परिसीमन कानून 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया।
- ➲ आयोग का प्रमुख कार्य प्रत्येक राज्य में निचले सदन में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में खंडों की सीटों के क्षेत्रीय स्तर पर बट्टवारे का पुनर्व्यवस्थापन करना था।
- ➲ इसके बाद संविधान 87 कानून, 2003 लागू किया गया और इस कानून के जरिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बदलकर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दिया गया।
- ➲ हालाँकि परिसीमन के नियम देशभर में अलग हैं, आमतौर पर सीमांकन का कार्य एक जैसा है। भारत में सीमांकन के कार्य के लिए आमतौर पर आवश्यक है:
 - (क) राज्यों और राज्य के भीतर जिलों को सीटों का आवंटन
 - (ख) मानचित्रों, आबादी के आंकड़ों और संबद्ध इलाके की भौगोलिक/प्राकृतिक/प्रशासनिक स्थिति को दर्शाने वाली विवरण को दर्ज कर एक डेटाबेस तैयार करना;
 - (ग) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साविधिक प्रतिनिधियों को जोड़ना;
 - (घ) राज्यों और जिलों को भौगोलिक इकाइयों में बांटना जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है;
 - (ड) परिसीमन की प्रक्रिया में सार्वजनिक सहयोग के लिए विस्तृत अभ्यास:

(च) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन कानून, 2002 में स्पष्ट व्याख्या की गई है।

- ➲ आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया है।
- ➲ संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे प्रावधान और अनुच्छेद 170 की उपधारा (3) के दूसरे प्रावधान के पालन में परिसीमन की अंतिम स्थिति प्राप्त होने के बाद, 19 फरवरी 2008 को राष्ट्रपति का आदेश जारी कर देशभर में नये परिसीमन को प्रभावी बनाया गया।
- ➲ इस संशोधन कानून के जरिए अन्य संशोधनों सहित जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची को हटा दिया गया।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

- ➲ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल देश में प्रयोग के आधार पर 1982 में शुरू किया गया। ईवीएम के सार्वभौमिक इस्तेमाल में दो दशक से अधिक समय लगा और 2004 में लोक सभा चुनावों के दौरान देशभर के सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया।
- ➲ इसके बाद से लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- ➲ निर्वाचन आयोग के आदेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलुरु (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) ने 1989 में ईवीएम विकसित की।

मतदाता फोटो पहचान-पत्र

- ➲ निर्वाचन आयोग ने 1993 में देशभर में मतदाता फोटो पहचान-पत्र का इस्तेमाल शुरू किया ताकि चुनावों में जाली मतदान को रोका जा सके। पैंजीकृत मतदाता को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है।
- ➲ मतदाता सूची को आमतौर पर चुनाव संबंधी तारीख के रूप में हर वर्ष पहली जनवरी से संशोधित किया जाता है।
- ➲ भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र इस तारीख को 18 वर्ष या अधिक है वह मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है।

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार

- ➲ जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 19 में व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र चुनाव संबंधी तारीख पर 18 वर्ष से

कम नहीं है और वह निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतः निवासी है वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पैंजीकृत होने का हकदार है। 'साधारणतः निवासी' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 20 में दिया गया है।

- मतदाता पैंजीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका में अध्याय-iii के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा रोजगार के सिलसिले में देश से बाहर गया है उसे उस स्थान से बाहर निकला हुआ माना जाएगा। किसी इमारत अथवा किसी अन्य अचल संपत्ति का केवल स्वामित्व होने से मालिक को निवासी होने की योग्यता नहीं मिलती।
- एक नया विधेयक जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2010, अगस्त 2010 में पेश किया ताकि जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन किया जा सके जिससे :
- (क) प्रबंध किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है और जिसे किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं मिली है और जो अपने रोजगार शिक्षा अथवा किसी अन्य कारण से भारत में अपने साधारणतः निवास स्थान में उपस्थित नहीं है और भारत के बाहर है (चाहे अस्थायी तौर पर अथवा नहीं), वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने का हकदार है। जहाँ भारत में उसका निवास है। जिसका जिक्र उसके पासपोर्ट में किया गया हो;
- (ख) प्रबंध किया गया है कि मतदाता पैंजीकरण अधिकारी मतदाता सूचियों में संशोधन करे और यथोचित सत्यापन के बाद मतदाता सूचियों में नाम शामिल करे; और
- (ग) केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करे कि वह भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह करने के बाद, नियमों द्वारा, उस

समय के अंदर बताए जिसमें ऊपर उप-पैरा में दिए गए लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जा सकें और ऐसे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का तरीका और प्रक्रिया बताई जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण

- हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य को लेकर पूरी तरह से सचेत थे कि हमारे समाज में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां विगत कई सदियों से शोषित रही हैं और उनके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनकी स्थिति में व्यापक सुधार हो सके।
- इसलिए, हमारे संविधान में कई विशेष प्रावधानों को समाहित किया गया। ऐसा एक प्रावधान लोक सभा और राज्य विधान परिषदों में इन जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा था।
- संविधान की धाराओं 330 और 332 में इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह, संविधान निर्माता आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों की संभावी समस्याओं को लेकर भी संवेदनशील थे।
- हाल में, 2009 के संविधान विधेयक (109 वां संशोधन) की अवधि को संसद के दोनों सदनों में अगले 10 वर्षों तक बढ़ाने के लिए पारित किया गया और इसे जनवरी 2010 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली। इस तरह, उपर्युक्त 2009 का संविधान विधेयक (109 वां संशोधन) अमल में लाया गया।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. न्याय व्यवस्था को आई सी टी सक्षम बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने हेतु 2004 में ई-समिति का गठन किया गया था।
2. ई-समिति द्वारा भारतीय न्याय व्यवस्था में सूचना और प्रौद्योगिकी के समावेश करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना के आधार पर ई-अदालत परियोजना की संकलना की गई थी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 व 2 दोनों | (d) न तो 1 न ही 2 |

2. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था।
2. अधिकारविहीन लोगों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय यू.एन डी पी के साथ कई कार्यक्रम चला रहा है।

कूट:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 व 2 दोनों | (d) न तो 1 न ही 2 |

- 3. वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

 1. यह एक स्वायत्तशासी संगठन है जो स्वतंत्र रूप से 1995 से कार्य कर रहा है।
 2. इसकी एकमात्र शाखा नई दिल्ली में स्थित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 व 2 दोनों
 - (d) न तो 1 न ही 2

4. निम्नलिखित सुरक्षा बलों व उनके तैनाती क्षेत्रों के संबंध में कौन-सा युग्म सुमेलित है/हैं?

 1. सीमा सुरक्षा बल - भारत-नेपाल सीमा
 2. सशस्त्र सीमा बल - भारत-पाकिस्तान सीमा
 3. आई.टी.बी.पी. - भारत-चीन सीमा

कूट-

 - (a) 1 व 2
 - (b) केवल 3
 - (c) 1 व 3
 - (d) 1, 2 व 3

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा अपने विशेष बहुमत व राज्यसभा के अनुमोदन से प्रस्ताव पारित कर दे।
 2. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है।
 3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

 - (a) केवल 1
 - (b) 1 व 2
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित देशों प्रदेशों में लागू होता है।

7. अंतर-राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है।
 2. इस परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग के सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
 3. यह ऐसे विषयों पर जाँच और विचार विर्माश करता है जिनमें कुछ राज्य या सभी राज्य या केंद्र या एक से अधिक राज्यों के उभयनिष्ठ हित हों।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

 - (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) 1 व 3
 - (d) 1, 2 व 3

8. क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 1. क्षेत्रीय परिषद के गठन का विचार सर्वप्रथम अमर्त्य सेने ने दिया था।
 2. केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।
 3. क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

 - (a) केवल 1
 - (b) 1 व 2
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3

Answer Key:

1. (c)

2. (c)

3.(a)

4.(b)

5.(c)

6.(b)

अध्याय

21.

श्रम, कौशल विकास और रोजगार

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण और सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है। सामान्य श्रमिकों के साथ-साथ विशेष रूप से समाज के निर्धन, वर्चित एवं उपेक्षित वर्ग के श्रमिकों के हितों की रक्षा कर उन्हें संरक्षण देना इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व है।
- इसके अलावा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करना एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं का विकास एवं समन्वय करना मंत्रालय का लक्ष्य है।
- उदारीकरण की प्रक्रिया में साथ-साथ चलने व बने रहने के लिए मंत्रालय का ध्यान श्रम कल्याण के संवर्धन और उन्हें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
- यह विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने के माध्यम से प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है जिनके द्वारा श्रमिकों के रोजगार और सेवा शर्तों को नियमित एवं नियंत्रित किया जा सकें।
- भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है और इस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं।

नई पहल

राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा को रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं, प्रशिक्षिता इत्यादि का प्रदाता में रूपांतरित करने के लिए मंत्रालय मिशन मोड में राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना लागू कर रहा है।
- सभी रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल से परस्पर जोड़ने के लिए एनसीएस परियोजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन सेवाएं दी जा सकें।
- योजना में राज्यों को अपने आईटी तंत्र को अद्यतन करने एवं रोजगार मेलों का आयोजन करने के लिए अपने रोजगार कार्यालयों की सूक्ष्म पुनर्ज्ञा हेतु आशिक वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

- रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय 2016-17 से ही प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का

कार्यान्वयन कर रहा है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।

- इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत कराने के लिए सभी नवनियुक्त कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में पहले तीन वर्ष तक 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी।

श्रम सुविधा पोर्टल

- श्रम कानूनों को लागू करने और उनके सुगम अनुपालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए मंत्रालय ने एक एकीकृत वेब पोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' विकसित किया है।
- यह मंत्रालय के अधीन कार्यरत चार प्रमुख संगठनों की आवश्यकताएं पूरी करता है।
- ये संगठन हैं: प्रमुख श्रम आयुक्त कार्यालय (केंद्रीय), महानिदेशक खान सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

एकल समेकित वार्षिक विवरणी

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आठ श्रम कानूनों (अधिनियमों) के

लिए एकल समेकित वार्षिक विवरणी शुरू की है।

- ➲ इससे विभिन्न उपक्रमों (औद्योगिक इकाइयों) को अलग-अलग विवरणी भर कर देने की बजाय सरलीकृत एकल ऑनलाइन विवरणी भरकर जमा करने में आसानी होगी।
- ➲ ये कानून हैं:
 1. वेतन/मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936;
 2. न्यूनतम वेतन/मजदूरी अधिनियम, 1948;
 3. अनुबंध श्रमिक (पंजीकरण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
 4. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
 5. भवन निर्माण व अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996;
 6. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;
 8. अंतर्राजीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 तथा
 9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

श्रम संहिता

- ➲ मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन (लागू करने) में पारदर्शिता और जबाबदेही लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा उपायों को और औद्योगिक प्रतिष्ठान को रोजगार के अवसर सुजित करने के लिए प्रेरित होकर नियमों का पालन करने वाला बनना है।
- ➲ ग्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रशासन में सुधार लाना और वर्तमान श्रम कानूनों का सरलीकरण, उन्हें तर्कसंगत बनाना एवं मिला कर चार संहिताओं में लिपिबद्ध करके विधायी सुधार करना इन कदमों में शामिल है।

विधायी पहले

ड्राफ्ट लघु उद्योग विधेयक

- ➲ इस विधेयक में 40 से कम श्रमिकों वाली लघु उत्पादन इकाइयों में श्रमिकों के लिए कार्य और सेवा शर्तों के नियमन का प्रावधान है।
- ➲ यह विधेयक इन लघु उद्योगों के लिए छह श्रमिक कानूनों को आपस में मिलाने, उनके सरलीकरण और उन्हें तर्कसंगत बनाने कर उन्हें एक स्थान पर रखने का प्रावधान करता है।
- ➲ यह विधेयक लघु उद्योगों के संचालन को आसान बनाते हुए उन्हें और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करेगा।

सामाजिक सुरक्षा

- ➲ कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व तथा नौकरी के समय दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सहायता देने के लिए 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू किया गया है।
- ➲ कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1952 से लागू ईएसआई योजनाओं को चला रहा है। उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

डिजिटल भारत-ईएसआईसी की ई-पहले

- ➲ **ई-बिज प्लेटफॉर्म:** ईएसआईसी केंद्र सरकार का ऐसा पहला संगठन था जिसे अपनी सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देने और वित्तीय लेन-देन की लागत घटाने के लिए। नियोक्ताओं का पंजीकरण करने लिए नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के ई-बिज पोर्टल के माध्यम का उपयोग किया गया है।
- ➲ **ई-पहचान:** आधार संख्या को बीमा संख्या से जोड़कर बीमित व्यक्ति की पहचान आधार संख्या से करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इससे बीमित व्यक्ति और उसके आश्रितों द्वारा सभी प्रकार के लाभों की सुविधा लेते समय विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली पहचान की प्रक्रिया सरल हो गई है।
- ➲ इससे बीमित व्यक्ति और उसके आश्रितों को अपने बायोमेट्रिक कार्ड जारी करवाने के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक पहचान देने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाने की बोझित प्रक्रिया से बच सकेंगे।
- ➲ **आईपी के लिए मोबाइल एप:** विभाग के आईपी के लिए एक मोबाइल एप 'आस्क एंड अप्वाइमेंट' (एएप +) की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी रोगी को वास्तव में अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर से ऑनलाइन अप्वाइमेंट मिल जाएगा।
- ➲ **शासकीय निर्देशों का समावेशन:** जीईएम, ई-ऑफिस से संबंधी विभिन्न शासकीय निर्देशों का या तो समावेशन कर लिया गया है अथवा उनके समावेशन, अनुकूलन और अंगीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
- ➲ **आईपी का सशक्तीकरण:** एक व्यवस्था ऐसी भी की गई है जिसके द्वारा श्रमिक यह जान सकते हैं कि वे इस योजना में शामिल हैं/नहीं हैं/उनकी उपस्थिति/वेतन/दिहाड़ी/नियोक्ता द्वारा जमा कराए गए अंशदान की क्या स्थिति है।
- ➲ **आईसीटी प्रभाग** ने बदलते व्यवसाय नियमों एवं परिवेश को ध्यान में रखने के साथ ही ईएसआईसी की तीव्र गति से बढ़ती हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक अपनी व्यवस्था का उच्चीकरण कर लिया है।

- ➲ इसके अंतर्गत,
 - नए कार्यान्वित क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए घटी हुई। दर पर अंशदान का समावेशन,
 - वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ा कर 21,000 रुपये किए जाने का समावेशन,
 - ईएसआई अंशदान के भुगतान की तिथि को माह समाप्त होने के बाद 15 दिन आगे किया जाना शामिल है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

- ➲ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में संविधान को अनुसूची 1 में वर्णित ऐसे उद्योगों/संस्थानों जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों, में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा कोष का प्रावधान है।
- ➲ इसके कारण कार्यक्षेत्र में आने वाले संस्थानों का विलंब से निरीक्षण हो रहा था क्योंकि इसमें कानूनी पेचीदगियां आने लगी थीं और इसका कारण यह था कि ये संस्थान पिछली तारीखों से कार्यक्षेत्र में आने योग्य पाए गए किंतु इन्होंने नियमानुसार देय बकाया राशि, ब्याज के भुगतान और देरी से जुम्नाने सहित बकाया राशि जमा कराने और मुकदमेबाजी से जुड़ी पिछली दावेदारियों का जिम्मा लेने से इंकार कर दिया था।
- ➲ यह अधिनियम अपने-आप ही लागू किया जा सकता है और इसके न मानने पर किसी भी कारण से उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- ➲ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में अनुसूची में वर्णित ऐसे उद्योगों/संस्थानों जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों, में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा कोष का प्रावधान है।
- ➲ भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करवाती है तथा निम्नलिखित तीन योजनाएं इसके अंतर्गत बनाई गई हैं:
 - कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;
 - कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, तथा
 - कर्मचारी-बचत से जुड़ी बीमा योजना, 1976।

बाल श्रम

- ➲ बाल श्रम बहुत चिंता का विषय है और केंद्र सरकार इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
- ➲ समस्या के आकार और प्रकृति को देखते हुए सरकार सुदृढ़ बहु-संतुति योजनाओं पर अमल कर रही है।

- ➲ इनमें वैधानिक एवं विधिक उपाय, बचाव एवं पुनर्वास, सामजिक सुरक्षा के साथ, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन योजनाएं निहित हैं।
- ➲ इस कावायद का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें परिवारों को अपने बच्चों को काम पर न भेजना पड़े।
- ➲ सरकार ने सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बच्चों को निकालने और उनका पुनर्वास करने की नीति अपनाई है।
- ➲ बाल श्रम पर नीति अगस्त 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति इस जटिल समान्वित रूप में समाधान करती है।
- ➲ इस नीति की कार्ययोजना बहुआयामी बिंदु शामिल हैं:
- ➲ **विधायी कार्ययोजना:** बाल श्रम के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्यवाही तथा ऐसे श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना।

बंधुआ श्रमिक

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

- ➲ राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए 1978 में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई।
- ➲ इस योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को समान अनुपात में (50:50) केंद्रीय अनुदान सहायता दी जाती है।
- ➲ इस योजना को वर्ष 2000 में जबरदस्त रूप से संशोधित कर दिया गया ताकि जिले के आधार पर बंधुआ श्रमिकों की पहचान, जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों और उनका मूल्यांकन करने वाले अध्ययनों के लिए शत-प्रति-शत सहायता दी जा सकें।
- ➲ पुनर्वास अनुदान राशि को भी 10,000 प्रति बंधुआ श्रमिक से बढ़ाकर 20,000 प्रति बंधुआ श्रमिक कर दिया गया है।
- ➲ साथ ही यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य अपने लिए निर्दिष्ट समतुल्य राशि जुटाने में असमर्थ रहते हैं तो भी उन्हें शत-प्रति-शत अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वेतन (मजदूरी) का भुगतान

- ➲ वेतन (मजदूरी) का भुगतान अधिनियम, 1936 यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान समय पर हो और कामगारों की अनाधिकृत कटौती न की जाए।
- ➲ अधिनियम के अनुच्छेद 1 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों को आधार मानते हुए वर्ष 2012 से वेतन (मजदूरी) की सीमा 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18,000

रुपये प्रतिमाह कर दी है।

- ➲ वेतन (मजदूरी) का भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2017: वेतन (मजदूरी) का भुगतान नकद अथवा चेक से या फिर कर्मचारी के बैंक खाते में सीधा भेजने के लिए वेतन (मजदूरी) का भुगतान अधिनियम, 1936 के अनुच्छेद 6 में 2017 में संशोधन किया गया।
- ➲ संशोधन के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि सक्षम सरकार सरकारी राजपत्र (गजट) में अधिघोषणा कर सकती है कि किसी भी उद्योग या उपक्रम में नियोक्ताओं में से कौन अपने यहां कार्यरत कर्मचारी के वेतन का भुगतान चेक द्वारा अथवा बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत होगा।

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार

- ➲ यह पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों/लोक उपक्रमों तथा ऐसी निर्माण इकाइयों जिनमें 500 या उससे अधिक कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत हैं को उनके कार्य निष्पादन व कर्तव्यनिष्ठा के सम्मान स्वरूप प्रति वर्ष दिए जाते हैं।

अनुसंधान और प्रशिक्षण

श्रमिक शिक्षा एवं विकास हेतु राष्ट्रीय बोर्ड


- ➲ श्रमिक शिक्षा एवं विकास हेतु दत्तोपतं ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी।
- ➲ इसका कार्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई/ग्राम स्तर पर श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना है।
- ➲ बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।
- ➲ बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों के सभी वर्गों में जागरूकता लाना है।
- ➲ बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है और देशभर में इसके 50 क्षेत्रीय एवं 08 उप-क्षेत्रीय निदेशालय हैं।

वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

- ➲ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत इस स्वायत्तशासी संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी।
- ➲ अब यह श्रमिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बन चुका है।
- ➲ ऐसे प्रयासों का उद्देश्य नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाना एवं समतावादी व लोकतात्त्विक समाज में श्रमिक को सम्मानजनक स्थान दिलाना सुनिश्चित करना है।

कौशल विकास

- ➲ देशभर में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए अभी तक छिटपुट प्रयास ही होते रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत बहुत पीछे दिख रहा है।
- ➲ कौशल विकास की तात्कालिकता व सभी संबंधित पक्षों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया।
- ➲ इस मंत्रालय का नाम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय रखा गया।
- ➲ यह मंत्रालय सभी प्रकार के कौशल विकास में समन्वयन, कुशल श्रमसंक्षिका की मांग और आपूर्ति के बीच आए अंतर को पाठने, व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक ढांचे का निर्माण करने, कौशल उन्नयन, नए कौशल सृजित करने, ऐसी अनूठी सोच जो न के बल वर्तमान आजीविकाओं वरन् आगे सृजित होने वाले रोजगारों का भी ध्यान रख सके जैसे उद्देश्यों के लिए उत्तरदायी हैं।
- ➲ मंत्रालय का उद्देश्य बड़े पैमाने पर द्रुत गति और ऊंचे मानकों से युक्त ऐसे कौशल का विकास करना है जिससे उसके अपने 'कौशल भारत' के संकल्प की पूर्ति हो सके।
- ➲ इन अनूठी पहलों में मंत्रालय की सहायता के लिए इसके क्रियात्मक अंग हैं: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) एवं 33 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) और एनएसडीसी के पास पंजीकृत 187 प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं।
- ➲ इस मिशन का लक्ष्य एक उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले ढांचे के माध्यम से समझारिता तैयार करने एवं विविध-पक्षीय निर्णयों में तेजी लाना है इससे अखिल भारतीय स्तर पर कौशल विकास गतिविधियों का एकीकरण, समन्वयन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण (निगरानी) किया जा सके गा।
- ➲ साथ ही उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुने हुए उप-मिशन चलना भी इस मिशन के कार्यों में आता है।
- ➲ शुरू में निम्नलिखित सात क्षेत्रों में उप-मिशन प्रस्तावित हैं:
 - संस्थागत प्रशिक्षण;
 - अवसंरचना;
 - एकीकरण;
 - प्रशिक्षक;
 - विदेशों में रोजगार;
 - स्थायी आजीविका;
 - लोक अवसंरचना का लाभ उठाना।



योजनाएं एवं पहलें

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- पीएमके ईवाई इस मंत्रालय की परिणाम आधारित फ्लैगशिप योजना है।
- इस कौशल प्रमाणन एवं पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने तथा अपनी आजीविका से धन अर्जन कर सकने के लिए परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र करना है।
- यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और केंद्र द्वारा राज्यों के सहयोग से लागू की जा रही है।

उद्यमिता हेतु योजना

प्रधानमंत्री युवा योजना

- इस योजना का लक्ष्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण परामर्श उद्यमिता समर्थन तंत्र तक सुगम पहुंच और सामाजिक उद्यमिता के संवर्धन के माध्यम से उद्यमिता के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
- इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - संभावित एवं शुरुआती चरण वाले उद्यमियों को शिक्षित एवं सुसज्जित करना।

- समकक्षों, अनुभवी सलाहकारों, सहारा देने वालों (इंक्यूबेटर्स), वित्तीय सहायता और व्यवसाय सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों को जोड़ना;
- उद्यमिता हब्स (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता देना; तथा
- आकांक्षी उद्यमियों को सहायता देने के लिए अब तक चली आ रही मनोवृत्ति में बदलाव के लिए प्रेरित करना। यह योजना निजी एवं लोक भागीदारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रहा है।

उड़ान

- जम्मू-कश्मीर के लिए बनी यह विशेष उद्योग पहल (एसआईआई) योजना कार्य गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू की जा रही है।
- यह कार्यक्रम राज्य में विभिन्न आर्थिक मुद्दों के समाधान की समग्र पहल का एक हिस्सा है तथा राज्य के युवाओं का कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार देने पर कोंद्रित है।
- साथ ही इसका उद्देश्य भारत के उद्योगपतियों को राज्य का प्रतिभाओं से भी परिचित करवाना है।



अध्याय

22.

जनसंचार

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फ़िल्मों, प्रकाशन, विज्ञापन जैसे जनसंचार के साधनों और संचार के पारंपरिक तरीकों जैसे- नाटक, संगीत और नृत्य के जरिए लोगों को निर्बाध रूप से सूचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है और उनको राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता मिटाने तथा महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करता है।
- मंत्रालय चार खंडों में विभाजित है यथा- सूचना खंड, प्रसारण खंड, फ़िल्म खंड और एकीकृत वित्त खंड।
- मंत्रालय 21 मीडिया इकाइयों संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है।
- सूचना खंड, प्रकाशन और प्रेस से संबंधित नीतिगत मुद्दों के अलावा सरकार की प्रचार की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करता है। मंत्रालय का सामान्य प्रशासन संबंधी कामकाज भी इसी खंड के अधीन है।

प्रसार भारती

- ⦿ प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) देश में लोकसेवा प्रसारक है, जिसके दो घटक आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं।
- ⦿ 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण का विकास सुनिश्चित करके लोगों को सूचित, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है।

उद्देश्य

- ⦿ प्रसार भारती अधिनियम 1990 के अंतर्गत प्रसार भारती निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-
 - देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों को बढ़ावा देना,
 - राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना,
 - लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और निष्पक्ष एवं संतुलित सूचना प्रदान करना,
 - शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और

प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना,

- महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों एवं समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना,
- विभिन्न संस्कृतियाँ, खेलों एवं युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना,
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा कामगारों एवं अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और
- प्रसारण प्रौद्योगिकी का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारती बोर्ड

- ⦿ प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं।

- ➲ अध्यक्ष एक अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल 3 साल और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है।
- ➲ कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है।
- ➲ सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है।
- ➲ प्रसार भारती बोर्ड की बैठक समय-समय पर होती है जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श होता है तथा कार्यकारी को नीतिगत दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं।

आकाशवाणी

- ➲ रेडियो के आविष्कार और कुछ पश्चिमी देशों में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बाद मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई जैसे भारतीय शहरों में कुछ निजी रेडियो क्लब द्वारा प्रसारण शुरू हुआ।
- ➲ जून, 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया।
- ➲ इसके बाद एक प्रसारण सेवा की स्थापना हुई जिसमें भारत सरकार और एक निजी कंपनी इंडियन कंपनी लिमिटेड के बीच समझौते के तहत 23 जुलाई, 1927 को मुंबई और कोलकाता में आधार पर रेडियो प्रसारण शुरू किया गया।
- ➲ 1930 में इस कंपनी के दिवालिया होने पर 'प्रसारण नियंत्रक' विभाग के अंतर्गत भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का गठन किया गया और 1935 में लियोनेल फील्डन को भारत में प्रसारण नियंत्रक नियुक्त किया गया।
- ➲ भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम जनवरी में बदलकर ॲल इंडिया रेडियो कर दिया गया।

उद्देश्य

- ➲ जनता के कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए उसे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी की ओर से निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं:
 - (i) देश की एकता और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखना।
 - (ii) बिना किसी विचारधारा या अपनी विचारधारा की वकालत किए बगैर विपरीत दृष्टिकोणों सहित राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय हित संबंधी सूचना का निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह प्रस्तुत करना।
 - (iii) सभी वर्गों के लोगों को जागृत, सूचित, प्रबुद्ध, शिक्षित

करने, उनका मनोरंजन करने और उन्हें समृद्ध बनाने के कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य के विस्तार सहित विकास से संबंधित गतिविधियों के सभी आयामों से जुड़े कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करना।

- (iv) युवाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों, जनजातीय आबादी और सीमावर्ती क्षेत्रों पिछड़े अथवा दूरदराज के इलाकों में रहने वाली आबादी की विशेष जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण, निरक्षर और वंचित आबादी की सेवाएं प्रदान करना,
- (v) ग्रामीण आबादी, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, बच्चों, और साथ ही साथ समाज के कमज़ोर एवं असहाय वर्गों को सेवाएं प्रदान करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

त्रिस्तरीय प्रसारण

- ➲ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आकाशवाणी ने गुजरते वर्षों के साथ प्रसारण की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय नामक त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की है।
- ➲ ये इस महाद्वीपीय आयाम वाले देश और बहुलवादी समाज के श्रोताओं की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी जरूरतें अपने स्टेशनों के माध्यम से पूरी करता है।
- ➲ ये स्टेशन देश की लगभग समस्त आबादी जो 2011 की जनगणना के अनुसार 121.0 करोड़ है, के लिए समाचार, संगीत, बोले गए शब्द और अन्य कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं।
- ➲ इसकी व्यापक पहुंच, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में इसकी पहुंच इसे प्राथमिक और कई बार सूचना और मनोरंजन का एकमात्र स्रोत बनाती है।
- ➲ इसके अलावा महानगरों में एफएम चैनल यानी एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड जनता की विशेषकर युवाओं की आधुनिक जरूरतें पूरी करते हैं।

राष्ट्रीय चैनल

- ➲ आकाशवाणी की प्रसारण सेवा तीन स्तरीय है। ये हैं—राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। राष्ट्रीय चैनल इसकी प्रथम अवस्था है।
- ➲ राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के दायरे में पूरा देश आता है और इसलिए इस चैनल के कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं कि वे समस्त राष्ट्र के विविधांशुर्ण सांस्कृतिक ताने-बाने और लोकाचार का प्रतिनिधित्व कर सकें।

एफएम गोल्ड

- ➲ एफएम गोल्ड चैनल की शुरुआत दिल्ली में 1 सितंबर, 2001 को एक ज्ञान और मनोरंजक चैनल के रूप में हुई, जिसमें 30 प्रतिशत समाचार और समसामयिक कार्यक्रम और 70 प्रतिशत मनोरंजक कार्यक्रम शामिल थे।

- एफएम गोल्ड चैनल इस समय पांच स्थानों—चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तथा लुधियाना में उपलब्ध है।

डीटीएच सेवा

- टेलीविजन सेट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए डीटीएच रेडियो चैनल के माध्यम से सैटेलाइट सेवा प्रदान की जाती है। डीटीएच सेवा प्रसार भारती के डीटीएच प्लेटफार्म के जरिए दिल्ली के टोडापुर से आपलिंक द्वारा उपलब्ध है।
- ये टेरिस्ट्रीयल प्रसारण सेवा नहीं है और इसके कार्यक्रमों की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि पुनः प्रसारण कम से कम होता है।
- डीटीएच सेवा 39 भाषाओं में चैनल मुहैया करती है, जो देश के प्रत्येक कोने में उपलब्ध है। इस प्रसारण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी डिजिटल गुणवत्ता है।

विविध भारती

- लोकप्रिय विविध भारती सेवा 41 सीबीएस-बीबी केंद्रों से दिन में 15 घंटे मनोरंजन उपलब्ध कराती है।
- विविध भारती सेवा देशभर में 65 स्थानीय रेडियो स्टेशनों और 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए भी प्रसारित होती है।

विदेश सेवा

- लगभग 100 देशों को कवर करते हुए और 27 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की गिनती विश्व के चुनिंदा विदेश सेवा प्रभागों में होती है।
- इस सेवा के माध्यम से विदेशों में रहने वाले लोगों को भारत से जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है।
- यह प्रभाग विदेशी श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहिली, अरबी, फारसी, पश्तो, दारी, बलूची, सिंहली, नेपाली, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और भाषा इंडोनेशिया में कार्यक्रम प्रसारित करता है।
- प्रवासी भारतीय श्रोताओं के लिए यह विभाग हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और गुजराती में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के श्रोताओं के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सैराइकी, कन्नड़ और बांग्ला भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

मन की बात कार्यक्रम

- मन की बात कार्यक्रम के लिए वेबसाइट newsonair.nic.in पर लाइव वेबकास्टिंग की जाती है। इस प्रयोजन के लिए विशेष विंडों और पेज सृजित किया गया है।

केंद्रीय अभिलेखागार

- आकाशवाणी की लिप्यंतरण सेवा अप्रैल 1954 को प्रारंभ हुई थी और इसे सभी गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों की लिपि तैयार करने का काम सौंपा गया था।
- इसमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष संदर्भ तैयार करना महत्वपूर्ण था।
- यह यूनिट विनियल डिस्क लेबल्ड 'एआईआर टीएस रिकार्ड्स' की प्रोसेसिंग के दायित्व को भी निर्वाह करती है ताकि भावी प्रसारण के लिए रिकार्डिंग की संरक्षित किया जा सके।
- वर्ष 1959 से इस सेवा को 'ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस' यानी लिप्यांतरण एवं कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा का नाम दिया गया।
- प्रोसेस किए गए रिकॉर्ड लागत की दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध न हो पाने के कारण प्रोसेसिंग कार्य 1967 में बंद कर दिया गया और एनालॉग मैग्नेटिक टेप्स आदि नए संरक्षण माध्यम इस्तेमाल किए गए।

आर्काइव डिजीटल लाइब्रेरी

रेडियो आत्मकथा

- रेडियो आत्मकथा श्रेणी में समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विख्यात हस्तियों की रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित रखा गया है।
- आकाशवाणी का सेंट्रल आर्काइव्स जाने-माने संगीतों, सार्वजनिक हस्तियों, साहित्यकारों आदि की रेडियो आत्मकथा की बहुमूल्य रिकॉर्डिंग्स का समृद्ध खजाना है।

विदेश सेवा विभाग

- विदेश नीति और सरकारी कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय/विदेश प्रसारण सेवा जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- इंग्लैंड के साथ औपनिवेशिक संपर्क के कारण, भारत और इंग्लैंड में प्रसारण लगभग एक साथ प्रारंभ हुआ।
- इसी प्रकार बीबीसी द्वारा प्रथम विदेशी प्रसारण 1938 में अरबी भाषा में शुरू किए जाने के बाद आकाशवाणी ने भी 1 अक्टूबर, 1939 को विशुद्ध रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के प्रचार के माध्यम के रूप में विदेश प्रसारण परतों भाषा में शुरू किया।
- इसका लक्ष्य क्षेत्र में जर्मनी रेडियो ब्लिटजक्रेग के प्रचार का सामना करना और विश्व के इस भाग में बीबीसी के प्रयासों को बल प्रदान करना था।

राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी

- ⦿ राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी (एनएबीएम) (कार्यक्रम) जिसे अब तक कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) के नाम से जाना जाता था, प्रसार भारती का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है।
- ⦿ यह आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध स्टेशनों में कार्यरत कार्यक्रम और प्रशासनिक कर्मियों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है।

दूरदर्शन

- ⦿ दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में सितंबर 1959 को प्रायोगिक सेवा के तौर पर हुई थी।
- ⦿ हाल के वर्षों में इसने जबरदस्त प्रगति की है और वह दुनिया के प्रमुख टीवी संगठनों में से एक बन चुका है।

डीडी नेशनल

- ⦿ डीडी नेशनल विश्व का सर्वाधिक बड़े टेरस्ट्रीयल नेटवर्क वाला लोक सेवा प्रसारक है।
- ⦿ यह देश की लगभग 92.0 प्रतिशत आबादी एवं 81.0 प्रतिशत भू-भाग को कवर करता है।
- ⦿ लोक सेवा प्रसारक होने के कारण चैनल ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के क्रम में तेजी लाने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, लोगों में एकता एवं भाईचारे के भाव उपजाने तथा वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ाने में सार्थक योगदान करना जारी रखा है।

डीडी न्यूज़

- ⦿ डीडी न्यूज भारत का एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह बहुभाषी समाचार चैनल है।
- ⦿ यह समाचार चैनल सफलतापूर्वक विभिन्न विचारों को व्यक्त करने और साथ ही सनसनी रहित, संतुलित, निष्पक्ष और सटीक खबर देने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है।
- ⦿ डीडी न्यूज को नवंबर, 2003 को डीडी मेट्रो चैनल के स्थान पर 24 घण्टे के समाचार चैनल के रूप में शुरू किया गया था।
- ⦿ इसके उपग्रह प्रसारण पूरे देश में उपलब्ध हैं। डीडी न्यूज स्थलीय संचार द्वारा देश के 49 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच बनाए हुए हैं।
- ⦿ यह वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है।
- ⦿ इसमें डीडी न्यूज की देशभर में 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं, जो एक दिन में 22 भाषाओं/बोलियों में बुलेटिन प्रसारित करती हैं।

डीडी इंडिया

- ⦿ दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 को अपना अंतर्राष्ट्रीय चैनल प्रारंभ करके दुनिया के लिए अपनी बिडकियां खोल दीं। पहले इस चैनल का नाम डीडी वर्ल्ड रखा गया, जिसे बाद में 2002 में बदल कर डीडी इंडिया कर दिया गया।
- ⦿ अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में इस चैनल पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

डीडी भारती

- ⦿ दूरदर्शन का डीडी भारती चैनल भारतीय संस्कृति और धरोहर को प्रमाणिकता के साथ संरक्षित रखने और उसे बढ़े पैमाने पर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 2012 में पुनः प्रारंभ किया गया। यह एकमात्र चैनल है, जो भारत में कला और संस्कृति के लिए समर्पित है।

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा

- ⦿ दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा (डीसीएस) एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ है, जो मुख्यालय, दूरदर्शन केंद्रों, विपणन प्रभागों और डीसीडी द्वारा एयर टाइम की बिक्री, एजेंसियों/ग्राहकों/निम्राताओं से राजस्व एकत्र करने के लिए किये जा रहे सभी व्यावसायिक कार्यकलापों में ताल-मेल बैठाने के लिए उत्तरदायी है।
- ⦿ यह प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से विपणन प्रभागों और क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार व्यावसायिक नीतियों का गठन करने और दर कार्ड को अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रेस और प्रिंट मीडिया

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक

- ⦿ भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय (आरएनआई) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- ⦿ अपने वैधानिक और व्युत्पन्न कार्यों के तहत यह समाचार-पत्रों के नामों को मंजूरी देता है और उन्हें सत्यापित करता है, उन्हें पंजीकृत करता है एवं उनके प्रसार के दावों की जांच करता है तथा उन्हें स्थापित करता है।
- ⦿ कार्यालय हर वर्ष 31 दिसंबर तक सूचना एवं प्रसारण सचिव को देश में प्रेस की स्थिति पर 'प्रेस इन इंडिया' नामक रिपोर्ट सौंपता है।
- ⦿ से भारत में 'प्रेस इन इंडिया' के नाम से प्रकाशित किया जाता है। अपने गैर-वैधानिक कार्यों के तहत, आरएनआई पंजीकृत

प्रयोगकर्ताओं को अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) के आयात के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करता है, साथ ही मुद्रण मशीनरी आदि के आयात के लिए भी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करता है।

पत्र सूचना कार्यालय

- ⦿ पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक फैलाने की नोडल एजेंसी है।
- ⦿ यह सरकार तथा मीडिया के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करती है और मीडिया में आ रही जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाती है।

मीडिया इंटरैक्टिव सत्र

- ⦿ मीडिया इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन चुनिंदा राज्यों की राजधानियों में सामाजिक-आर्थिक विकास, अवसंरचना, विकास योजनाओं आदि मुद्दों पर किया जाता है।
- ⦿ ‘वार्तालाप’ कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की विविध प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से छोटे शहरों/ग्रामीण पत्रकारों को परिचित कराने/अवगत कराने के लिए किया जाता है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

- ⦿ पत्र सूचना कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह- 2017 का अंग था, जिसका कार्य गोवा में समारोह स्थल पर मीडिया को समारोह के बारे में सूचनाएं प्रदान करने में सहायता करना था।
- ⦿ इसने समारोह में शिरकत करने वाले मीडियाकर्मियों को मीडिया केंद्र में कार्य करने के लिए अनुकूल एवं प्रोत्साहक वातावरण उपलब्ध कराया।

समाचार एजेंसियां

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)

- ⦿ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) भारत की सबसे बड़ी बिना मुनाफे वाली सहकारी संस्था है, जो देश के अखबारों द्वारा चलाई जाती है और जिसका उद्देश्य अपने सभी ग्राहकों को संतुलित और निष्पक्ष खबरें प्रदान करना है।
- ⦿ पीटीआई की स्थापना अगस्त 1947 को हुई, लेकिन इसने काम करना फरवरी 1949 से शुरू किया। पीटीआई की सेवाएं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। भाषा पीटीआई की हिंदी समाचार सेवा है।
- ⦿ पीटीआई के ग्राहकों में 500 भारतीय और कई विदेशी अखबार शामिल हैं।

- ⦿ देश के सभी बड़े टेलीविजन और रेडियो चैनल और बीबीसी लंदन जैसे, विदेशी चैनल इसकी सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई के पास इनसेट उपग्रह पर एक ट्रांस्पोर्डर की सहायता से अपनी सेटलाइट डिलीवरी प्रणाली है जिसकी बदौलत उसकी सेवाएं देशभर में कहीं भी सीधे प्राप्त की जा सकती हैं।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई)

- ⦿ यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1959 में किया गया था और इसने 1961 से काम करना शुरू किया।
- ⦿ पिछले पांच दशकों में यूएनआई भारत में एक बड़े समाचार संगठन के रूप में विकसित हुई है जिसने समाचार एकत्रित करने और उसके प्रसार में एक स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म दिया।
- ⦿ इसने 1982 में पूर्ण रूप से हिंदी सेवा ‘यूनीवर्टा’ की शुरूआत की। इसी दशक में यूएनआई ने फोटो सेवा और ग्राफिक सेवा की भी शुरूआत की।
- ⦿ जून 1992 में यूएनआई ने पहली बार उर्दू समाचार सेवा की शुरूआत की।

नैम समाचार नेटवर्क

- ⦿ नैम न्यूज नेटवर्क (एनएनएन) गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के बीच समाचार और फोटो विनियम के लिए एक नयी इंटरनेट अधारित व्यवस्था है।
- ⦿ अप्रैल, 2006 से अस्तित्व में आई एनएनएन ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी मूल (एनएनएपी) की जगह ली, जिसने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच 30 वर्षों तक समाचार विनियम किया।
- ⦿ इंटरनेट सस्ते और विश्वसनीय संचार माध्यम है और वह एनएनएन के 116 सदस्यों वाले गुटनिरपेक्ष देशों के समूह के बीच सूचना का निरंतर प्रवाह करता है।
- ⦿ एनएनएनएपी की स्थापना 1976 में हुई और यह सदस्य देशों के बीच सूचना के प्रसार का पहला प्रयास था।

भारतीय प्रेस परिषद

- ⦿ भारतीय प्रेस परिषद संवैधानिक अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने तथा भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति के लिए संसद से आदेश प्राप्त है, यह अधिकारियों और प्रेसकर्मियों दोनों के लिए समान अर्धन्यायिक प्राधिकरण की तरह कार्य करती है।
- ⦿ परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परिषदी के अनुसार, जहां इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के

वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, वहाँ इसके 28 सदस्यों में से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा पाठकों के हितों की निगरानी करने वाले 8 अन्य सदस्य संसद (लोकसभा-3 और राज्यसभा-2) तथा देश के प्रमुख साहित्यिक एवं विधिक निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं यथा—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधि परिषद तथा साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि।

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

- प्रेस और पंजीकरण कानून, 1867 की धारा 8सी भारतीय प्रेस परिषद की धारा 6 या उक्त अधिनियम की धारा 8बी के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। इस बोर्ड में एक चेयरमैन और एक सदस्य होता है।
- भारतीय प्रेस परिषद अपने सदस्यों में से एक सदस्य को नामित करता है। समीक्षाधीन अवधि में दो बैठकों के दौरान इसने 9 मामलों की सुनवाई की है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

- देश में हर साल 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस स्वतंत्रता और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है।

नेशनल डॉक्युमेंटेशन सेंटर ऑन मास कम्युनिकेशन

- नेशनल डॉक्युमेंटेशन सेंटर ऑन मास कम्युनिकेशन (एनडीसीएमसी) की स्थापना 1976 में मंत्रालय ने जनसंचार के कार्यक्रमों और रुझानों से संबंधित सूचनाओं का उसकी आवधिक सेवाओं के जरिए संग्रह व्याख्या और प्रसार करने के लिए गठित अपने एक प्रभाग के अंग के रूप में की थी।

प्रकाशन विभाग

- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) भारत सरकार के प्रमुख प्रकाशन संगठनों में से एक है, जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आधारित पुस्तकों और पत्रिकाओं की रचना, बिक्री और वितरण में संलग्न है।
- 1941 में स्थापित यह विभाग बाल साहित्य सहित राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए अधिदेशित है।
- विभाग अन्य विषयों के अलावा भारतीय पैनोरमा के विविध पहलुओं यथा—कला और संस्कृति, देश और लोगों वनस्पति और जीव-जंतुओं, आधुनिक भारत के निम्राताओं और सांस्कृतिक नेताओं की जीवनियों विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय हस्तियों, भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है।

- गांधीजी के जीवन और दर्शन पर आधारित पुस्तकें विभाग के लिए गैरवपूर्ण हैं।
- विभाग ने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खंडों में अंग्रेजी में कलेक्टेड वर्क्स ॲफ महात्मा गांधी और हिंदी में संपूर्ण गांधी वाडमय शामिल हैं, जिसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है।
- प्रकाशकों के बीच विभाग की विश्वसनीयता है और यह विषयवस्तु की प्रामाणिकता और प्रकाशनों के किफायती दार्मां के लिए सुविख्यात है।
- प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के साथ मिलकर प्रमुख गांधीवादी विद्वानों की निगरानी में कलेक्टेड वर्क्स ॲफ महात्मा गांधी का ई-संस्करण (ई-सीडब्ल्यूएमजी) भी तैयार किया है।

पत्रिकाएं

- पुस्तकों के अलावा, प्रकाशन विभाग 18 मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है, जिनमें योजना अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भाषाओं में, आजकल (हिंदी और उर्दू), बाल भारतीय (हिंदी) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी) और साप्ताहिक पत्र रोजगार समाचार (अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में) का प्रकाशन शामिल है।
- विभाग की पत्रिकाओं के पाठक बहुत बड़ी संख्या में हैं और इन पत्रिकाओं की जनता के बीच बहुत अधिक विश्वसनीयता है।
- ये पत्र और पत्रिकाएं आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, बाल साहित्य और रोजगार एवं करियर के विकल्पों पर सूचना जैसे व्यापक विषय वाले क्षेत्रों में संरक्षक के प्रयासों को परिलक्षित करते हैं।
- **योजना:** योजना का प्रकाशन 1957 से किया जा रहा है और यह विभाग की प्रमुख पत्रिका है, जो समाज के सभी वर्गों तक नियोजित विकास का संदेश पहुंचाती है।
- **कुरुक्षेत्र:** 1952 से अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित की जा रही कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास से संबंधित मामलों को समर्पित विशिष्ट मासिक पत्रिका है।
- यह ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रमों, नीतियों और विकास के प्रयासों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे वैचारिक आदान-प्रदान का मंच उपलब्ध कराती है।
- **बाल भारती:** बच्चों की इस लोकप्रिय हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1948 से नियमित रूप से किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य लघु कथाओं, कविताओं, चित्र सहित कहानियों तथा जानकारी से भरपूर लेखों के माध्यम से बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें शिक्षित करना और उनमें मानवीय मूल्यों तथा वैज्ञानिक प्रकृति का संचार करना है।

- ⦿ आजकल: यह प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है, जो हिंदी में 1945 से और उर्दू में 1942 से प्रकाशित की जा रही है।
- ⦿ यह पत्रिका विशेष अंक प्रकाशित करती है और भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न आयामों को कवर करते हुए सामग्री का प्रकाशन करती है।
- ⦿ **एम्प्लॉइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार:** यह हर शनिवार को जारी होने वाला साप्ताहिक अखबार है जो हिंदी, अंग्रेजी उर्दू में एक साथ प्रकाशित होता है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी।

फिल्म प्रभाग

- ⦿ पिछले 67 वर्षों से फिल्म प्रभाग देश के इतिहास को श्रव्य-दृश्य रूप से बयान करता आया है।
- ⦿ यह प्रभाग घटनाओं और उपलब्धियों का प्रलेखन और उन्हें राष्ट्र के साथ साझा करता आया है, ताकि भारतीय जनमानस को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए अनुप्रेरित किया जा सके।
- ⦿ फिल्म प्रभाग के लक्ष्य और उद्देश्य देश के राष्ट्रीय स्वरूप पर केंद्रित हैं ताकि लोगों को शिक्षित और प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा सके।
- ⦿ भारतीय और विदेशी दर्शकों के समक्ष भारत की समृद्ध विरासत वाली तस्वीर पेश की जा सके।
- ⦿ फिल्म प्रभाग का एक लक्ष्य यह भी है कि देश के वृत्तचित्र आंदोलन को मजबूती और रफ्तार प्रदान की जाए क्योंकि यह फिल्में, एनिमेशन फिल्में और समाचार पत्रिकाएं तैयार करता है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

- ⦿ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) का गठन भारत सरकार ने 1975 में (शत प्रतिशत स्वामित्व भारत सरकार के निकाय के हाथ) किया था।
- ⦿ इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास के लिए योजना बनाना और उसे प्रोत्साहित करना है फिल्म वित्त निगम (एफएफसी) तथा इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (आईएमपीईसी) के विलय से 1980 में एनएफडीसी का पुर्णांतर हुआ।
- ⦿ निगम का कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है, जबकि इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में और एक शाखा कार्यालय तिरुवनंतपुरम में है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

- ⦿ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सार्विधिक निकाय है।

- ⦿ यह निकाय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत जारी किए गए प्रावधानों का अनुसरण करते हुए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- ⦿ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही भारत में उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकता है।
- ⦿ भारत में पहली फिल्म (राजा हरिश्चंद्र) का निर्माण 1931 में दादासाहेब फाल्के द्वारा किया गया था, लेकिन भारतीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1920 में पारित और लागू किया गया।
- ⦿ उन दिनों सेंसर बोर्ड मन्त्रालय, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर और रंगून के पुलिस प्रमुखों के नियंत्रण में होते थे। क्षेत्रीय सेंसर्ज स्वतंत्र थे।
- ⦿ स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय सेंसर्स की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई और उन्हें बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स के अंतर्गत लाया गया।
- ⦿ सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के लागू होने के साथ ही बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स के रूप में एकीकृत और पुनर्गठित किया गया।
- ⦿ सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमों को 1983 में संशोधित किया गया और तब से केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड के नाम से जाने लगा।
- ⦿ बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष और यह अपने मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ काम करता है।
- ⦿ इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं।
- ⦿ प्रमाणन की प्रक्रिया सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983, और अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- ⦿ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हैं जोकि सिनेमाई उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ-साथ सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- ⦿ 3 मई, 1913 को पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रदर्शन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे।

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- ⦿ 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का एलान 13 अप्रैल, 2018 को दिया गया है।
- ⦿ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति चेयरमैन और जाने-माने डायरेक्टर शेखर कपूर ने इन पुरस्कारों का एलान किया।

- बेस्ट हिंदी फ़िल्म - न्यूटन
- बेस्ट फ़िल्म का पुरस्कार - विलेज रॉकस्टार्स (असमिया भाषा)
- बेस्ट एक्टर - ऋद्धि सेन (नगर कीर्तन) बंगाली फ़िल्म
- बेस्ट एक्ट्रेस - दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी (मॉम)
- दादा साहेब फाल्के - विनोद खन्ना
- बेस्ट डायरेक्टर - जयराज

राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन

- राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं:
 1. फ़िल्म संग्रह की फ़िल्म की स्थिति का मूल्यांकन करना और फ़िल्म की बाकी बची अवधि का पता लगाना।
 2. 1,32,000 फ़िल्म रोलों का बचाव और संरक्षण।
 3. 1086 खास फीचर फ़िल्मों और भारतीय सिनेमा के 1152 शॉर्ट्स की रिकॉर्डिंग।
 4. 1160 फीचर फ़िल्मों और 1660 शॉर्ट्स का डिजिटाइजेशन।
 5. एनएफएचएम के अंतर्गत प्रतिपादित सामग्री के पुणे स्थित एनएफएआई परिसर में धूल मुक्त और कम नमी, कम तापमान की स्थिति में संरक्षण के लिए अभिलेखीय और संरक्षण सुविधाओं का निर्माण।
 6. संरक्षण और संग्रहण के क्षेत्र में कार्यशालाओं और पाठ्यक्रम प्रशिक्षण और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से संग्रहण करना।

भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

- भारतीय फ़िल्म संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। 1974 में टेलीविजन शाखा खोलने के बाद इसे भारतीय फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नाम दिया गया।
- अक्टूबर 1974 में यह संस्थान सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी बन गया।
- सोयायटी में मशहूर हस्तियां हैं जिनमें टेलीविजन, संचार से जुड़े लोग तथा संस्थान के छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं।
- शिक्षा परिषद संस्थान की शैक्षिक नीतियां और योजनाएं तैयार करती है। स्थायी वित्त समिति संस्थान के वित्त से जुड़े मामलों को देखती है।
- संस्थान के दो खंड हैं—फ़िल्म और टेलीविजन खंड, दोनों श्रेणियों में पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।
- इनमें तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से लेकर फ़िल्म निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, ऑडियोग्राफी और फ़िल्म संपादन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल हैं।

सत्यजीत रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

- सत्यजीत रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान, (एसआरएफटीआई), कोलकाता की स्थापना एक स्वायत्तशासी शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण कानून, 1961 के अधीन पंजीकृत कराया गया।
- फ़िल्म जगत की मशहूर हस्ती सत्यजीत रे के नाम पर कोलकाता में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह देश का दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान है।
- संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, सिनेमेटोग्राफी, संपादन और ऑडियोग्राफी में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

- सोयायटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) की स्थापना 1965 में की गई थी।
- संस्थान की स्थापना जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान के उद्देश्य के साथ की गई थी।
- वर्तमान में, संस्थान प्रिंट पत्रकारिता, रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता और विज्ञापन और जनसंपर्क में कई स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है।
- 1969 से संस्थान एशियाई, अफ्रीकी, देशों के मध्यमस्तरीय पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है।
- ये पाठ्यक्रम विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जाता है।

शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान

- संस्थान की शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों को चार कार्यक्रमों में विभाजित किया जा सकता हैं छात्रों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम: इनके अंतर्गत पत्रकारिता में चार पाठ्यक्रम और विज्ञापन एवं जनसंपर्क में एक पाठ्यक्रम शामिल हैं:
 1. अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम,
 2. हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
 3. उडिया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
 4. अंग्रेजी और हिंदी में रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
 5. अंग्रेजी और हिंदी में विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।



अध्याय 23.

आयोजना

- भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
- इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है।
- निजी क्षेत्र के अंतर्गत संगठित उद्योगों के अलावा लघु उद्योग, कृषि, व्यापार, आवास निर्माण और संबंधित क्षेत्र आते हैं।
- विकास के राष्ट्रीय प्रयास में व्यक्तिगत और निजी प्रयासों को अधिकतम स्वैच्छिक सहयोग के साथ आवश्यक समझा जाता है।

नीति आयोग

- ⌚ राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) की स्थापना 2015 में की गई थी।
- ⌚ इसकी स्थापना 1950 में बने योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग, योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था है।
- ⌚ इस नई संस्था की परिकल्पना भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे पूर्णतावादी दृष्टिकोण के जरिए विकास प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में चहुँमुखी विकास के लिए की गई थी।
- ⌚ इसे सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत राष्ट्रीय विकास के समान भागीदारों के तौर पर राज्यों की सशक्त भूमिका के मूल सिंद्धान्त के जरिए हासिल किया जाना है।
- ⌚ यह नई संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे जाकर विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करती है।
- ⌚ विकास की समग्र पहल से उसके लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण का कार्य करती है।
- ⌚ इस अवधारणा का आधार है: सहकारी संघवाद के सिंद्धान्त के राष्ट्रीय विकास में राज्यों की सशक्त और समान भागीदारी; आंतरिक और बाह्य संसाधनों के ज्ञान भंडार से सभी स्तरों पर सुशासन और उत्कृष्ट कार्यों हेतु सरकार को सहयोग देना, ज्ञान और नीतिगत विशेषज्ञता प्रदान कर थिंक टैंक (विचार केंद्र) के रूप में काम करना।
- ⌚ विकास के संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति में प्रगति की निगरानी कर, खामियों को दूर कर और केंद्र तथा राज्यों को साथ लाकर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक साझा मंच तैयार करना।

उद्देश्य

- ⌚ 2015 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन आयोग अर्थात् नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है। प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष हैं।
- ⌚ यह संस्था केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है।
- ⌚ राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है, ज्ञान के भंडार के रूप में काम करती है और भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखती है।
- ⌚ यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में नीतिगत तत्वों पर रणनीतिगत और तकनीकी सलाह देने का काम करती है।
- ⌚ इसके अतिरिक्त, नीति आयोग आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और प्रयासों के क्रियान्वयन की सक्रियता से निगरानी और मूल्यांकन करता है ताकि कार्यक्रमों की सफलता की संभावना सुदृढ़ हो सके।

संरचना

- ⌚ नीति आयोग का गठन इस प्रकार है—भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
- ⌚ संचालन (शासी) परिषद् में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले सभी केंद्रशासित राज्यों यथा—दिल्ली, पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होते हैं।
- ⌚ विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है।
- ⌚ प्रधानमंत्री इनको मनोनीत करते हैं।

अटल नवाचार मिशन

- ⦿ अटल नवाचार मिशन, प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे देशभर में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है।
- ⦿ अटल नवाचार मिशन को एक अन्वेता नवाचार संगठन के तौर पर तैयार किया गया है। जो केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के तहत नवाचार नीतियां बनाने में, हायर सेकेंडरी स्कूलों और विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं उच्च शिक्षा संस्थानों और लघु व मध्यम उद्यमों/ कॉर्सपोरेट जैसे विभिन्न स्तरों पर नवाचार तथा उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने में सहायक की भूमिका निभाएगा।

14वां वित्त आयोग

- ⦿ हर 5 साल में गठित किया जाने वाला वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
- ⦿ इसे केंद्र-राज्य संघीय संबंधों को परिभाषित करने के व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं।
- ⦿ इसका सबसे महत्वपूर्ण काम केंद्र द्वारा विभाज्य पूल में संग्रहीत राज्यों के राजस्व के, केंद्र तथा राज्यों के बीच बटवारे और प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से के आवंटन के बारे में सिफारिश करना है।
- ⦿ चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों 2014 में सरकार को प्रस्तुत कर दी थीं।
- ⦿ इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल हैं- 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य पूल से राज्यों को दी जाने वाली 32% राशि को बढ़ाकर 42% कर दिया जाए।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

- ⦿ 1951 में बड़े पैमाने पर खाद्यान्त्रों के आयात और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसमें सिंचाई और बिजली परियोजनाएँ प्रमुख थी।
- ⦿ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय 2,069 करोड़ रुपये का 44.6% आवंटित किया गया।
- ⦿ योजना का लक्ष्य निवेश की दर को राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़ाकर लगभग सात % करने का रखा गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)

- ⦿ दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1957 से 1960-1961) का लक्ष्य विकास के प्रारूप को बढ़ावा देना था।
- ⦿ इसका उद्देश्य अंतः भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप

स्थापित करना था।

इसका प्रमुख लक्ष्य था:

- राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ातरी करना,
- आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर औद्योगिकरण को तीव्र करना,
- रोजगार के अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार तथा
- आय और धन की असमानता कम करना और आर्थिक शक्ति के वितरण में और समानता लाना।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66)

- ⦿ तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) का लक्ष्य आत्मनिर्भर विकास को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना था।
- ⦿ इसके तात्कालिक उद्देश्य:
 - राष्ट्रीय आय को 5% वार्षिक से अधिक करना और इसी के साथ यह सुनिश्चित करना कि निवेश का यह तरीका आगामी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रह सके;
 - खाद्यान्त्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग तथा आयात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना;
 - इस्पात, रसायन, ईंधन और ऊर्जा जैसे आधारभूत उद्योगों का प्रसार और मशीन निर्माण की क्षमता का विकास करना ताकि 10 वर्षों के भीतर देश के अपने संसाधनों से औद्योगिकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके;
 - देश के श्रम शक्ति संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना और उत्तरोत्तर विकास करना और आय व धन की असमानता में कमी लाना तथा आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना था।

वार्षिक योजना

- ⦿ 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, निरंतर दो वर्ष भीषण सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और योजना के निर्धारण के लिए उपलब्ध संसाधनों में क्षरण होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्णय में देरी हुई।
- ⦿ इसके स्थान पर 1966 और 1969 के बीच चौथी योजना के मसौदा की रूपरेखा के तहत 3 वार्षिक योजनाएँ तैयार की गई।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)

- ⦿ चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में कृषि उत्पादन में उत्तर-चंद्राव के साथ-साथ विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करने के लिए विकास की गति को तीव्र

करने का लक्ष्य रखा गया।

- ⦿ इस योजना में विशेषतौर पर रोजगार और शिक्षा के प्रावधानों के जरिये कम सुविधा प्राप्त और दुर्बल वर्ग की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)

- ⦿ पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) गंभीर मुद्रास्फीति के दबावों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी।
- ⦿ इसके प्रमुख उद्देश्यों में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की खपत में वृद्धि करने के उपायों को अपनाना था।
- ⦿ इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थायित्व लाने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें राष्ट्रीय आय में 5.5% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य भी तय किया गया था।
- ⦿ पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में चार वार्षिक योजनाएँ पूर्ण की गईं।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

- ⦿ छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का सबसे प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था।
- ⦿ इसमें कृषि एवं औद्योगीकरण के लिए एक साथ अवसंरचना को मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई थी। सभी क्षेत्रों में बहुद प्रबंधन, कार्यक्षमता और व्यापक निगरानी के साथ व्यवस्थित दृष्टिकोण से अंतर्संबंधित समस्याओं के निगरानी पर बल दिया गया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

- ⦿ सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में उन नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया था, जो खाद्यान्न, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय आदि नियोजन के बुनियादी सिद्धांतों की संरचना में उत्पादकता पर केंद्रित थे।
- ⦿ खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर 1967-68 और 1988-89 के बीच की अवधि में 2.68% की तुलना में सातवीं योजना के दौरान 3.23% पर पहुँच गई।
- ⦿ कुल मिलाकर अनुकूल मौसम, प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और सरकार तथा किसानों के सम्मिलित प्रयासों के कारण अस्सी के दशक में विकास दर 2.55% हो गई।
- ⦿ बेरोजगारी और उसके परिणामस्वरूप गरीबी की स्थिति में कमी लाने के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों के अलावा जवाहर रोजगार

योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए।

- ⦿ इस योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.8% की औसत दर से बढ़ा। यह निर्धारित विकास दर से 0.8% अधिक था।

आठवीं वार्षिक योजनाएँ (1990-95)

- ⦿ आठवीं वार्षिक योजना (1990-95) केंद्र में तेजी से बदल रही राजनीतिक स्थिति के कारण आरंभ नहीं की जा सकी।
- ⦿ आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू हुई और 1990-91 और 1991-92 को पृथक वार्षिक योजना के रूप में देखा गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

- ⦿ आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की शुरूआत 1990-91 के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति और मंहगाई की स्थिति में विकृति आ जाने के बाद उसकी भरपाई के लिए शुरू की गई। ढांचागत समायोजन नीतियों और दीर्घ स्थिरीकरण नीतियों के तुरंत बाद की गई थी।
- ⦿ इस योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.6% और औसत औद्योगिक विकास दर 7.5% तय की गई।
- ⦿ इन विकास लक्ष्यों को सापेक्ष मूल्य स्थिरता और देश के भुगतान संतुलन में ठोस सुधार करके पाने की योजना बनाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक प्रदर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ थीं:
 - तीव्र आर्थिक विकास,
 - निर्माण क्षेत्र और कृषि व सहायक क्षेत्र का तीव्र विकास,
 - आयात और नियात में उल्लेखनीय वृद्धि दर, व्यापार और चालू खाता घाटे में सुधार तथा केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय कमी।

- ⦿ हालाँकि, केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण केंद्रीय क्षेत्र में व्यय की कमी रही।
- ⦿ 8वीं योजना में औसत वार्षिक विकास दर 5.6% परिकल्पित की गई थी। इसके स्थान पर इस योजना के दौरान 6.8% की वार्षिक विकास दर हासिल हुई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

- ⦿ नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई थी।
- ⦿ इस योजना में जीडीपी की 7% वार्षिक दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और सात केंद्रीय आधारभूत न्यूनतम सेवाओं (बेसिक मिनिमम सर्विसेज-बीएमएस) पर जोर दिया गया था।
- ⦿ नौवीं पंचवर्षीय योजना के विशेष उद्देश्य थे:

1. पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रमुखता;
2. स्थित मूल्य के साथ आर्थिक विकास की दर को तीव्र करना;
3. सभी के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्ग पर ध्यान दिया गया था;
4. निश्चित समय सीमा में सुरक्षित पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए आश्रय और संपर्क की आधारभूत न्यूनतम सेवा मुहैया करना;
5. जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना;
6. सभी स्तरों पर लोगों को लामबंद करना और जनभागीदारी सुनिश्चित करना;
7. महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों, सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक बदलाव और विकास का वाहक बनाकर सशक्त करना;
8. पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी और स्व-सहायता समूहों जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और विकसित करना;
9. आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रयासों को मजबूत करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

- ⌚ राष्ट्रीय पंचवर्षीय विकास परिषद् (एनडीसी) ने दिसंबर 2002 में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) का अनुमोदन किया था।
- ⌚ इस योजना में एनडीसी के अधिदेश उद्देश्यों को बढ़ाते हुए 10 वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करने और वार्षिक विकास दर जीडीपी के 8% का लक्ष्य रखा गया।
- ⌚ एकमात्र उद्देश्य आर्थिक विकास ही नहीं था, बल्कि योजना में विकास के लाभ का उपयोग लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करना था।
- ⌚ इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए:
 - वर्ष 2007 तक गरीबी के अनुपात को कम कर 26% से 21% पर लाना,
 - दशकीय जनसंख्या वृद्धि को 1991-2001 में 21.2% से घटाकर 2001-2011 में 16.2% पर लाना,
 - लाभकारी रोजगार में वृद्धि, कम से कम श्रम बल को जोड़कर गति बनाए रखना,
 - 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना और 2007 तक सभी बच्चे स्कूल में 5 वर्ष पूर्ण करें- यह सुनिश्चित करना,

- महिलाओं पुरुषों की साक्षरता और मजदूरी दरों के अंतर में 50 प्रतिशत तक कमी लाना,
- साक्षरता दर को 1999-2000 में 65% से बढ़ाकर 2007 में 75% करना,
- ⌚ दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषताएँ :
 - पहला, योजना में श्रम बल में तीव्र वृद्धि को प्रमुखता दी गई।
 - वर्तमान विकास दर और उत्पादन में श्रम की उपयोगिता को देखते हुए भारत में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप समाज में बेचैनी बढ़ती, इसलिए दसवीं योजना में 5 करोड़ नौकरी के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया।
 - इसके लिए कृषि, सिंचाई, वानिकी, लघु एवं मझोले उद्यम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं अन्य सेवाओं जैसे वृहत रोजगारपरक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया।
 - दूसरे, योजना में गरीबी और सामाजिक संकेतकों के अस्वीकार्य निम्न स्तर के मुद्दे का हल दिया गया।
- ⌚ दसवीं योजना के लिए 8% के लक्ष्य से कम रही, लेकिन यह किसी योजना में हासिल की गई विकास दर में उच्चतम है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)

- ⌚ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने समावेशी विकास, अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत पर निर्माण के साथ उभर कर आई कमज़ोरियों को दूर करने के लिए एक व्यापक राजनीति प्रदान की।
- ⌚ इसमें 5 वर्षों के दौरान 9% की विकास दर हासिल करना और योजना के अंत में इसे तीव्र कर 10% पर पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था।

बारहवीं योजना (2012-17)

- ⌚ बारहवीं योजना में इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है कि विकास का उद्देश्य देशवासियों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था में व्यापक सुधार लाना है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तेज वृद्धि इस उद्देश्य को प्राप्त करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- ⌚ बारहवीं योजना के दृष्टि-पत्र में इस पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान औसत विकास दर जीडीपी के 9% पर लाने का लक्ष्य रखा गया।
- ⌚ इस संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में भारी उलटफेर देखा गया और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी के परिमाण का पता लगा था।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर थिंक टैंक के रूप में की गई है।
2. यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर जोर देते हुए राष्ट्र के विकास केंद्र व राज्यों की परस्पर भागीदारी के लिए कार्यनीतियों की अनुशंसा करेगा।
3. यह एक 6 सदस्यीय संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 व 2
- (b) 1 व 3
- (c) 2 व 3
- (d) 1, 2 व 3

2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. प्रधानमंत्री
2. वित्त मंत्री
3. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
4. केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल

इनमें से कौन सा/से नीति आयोग के सदस्य होते हैं/हैं-

- (a) 1, 3 व 4
- (b) 2, 3 व 4
- (c) 2 व 3
- (d) 1, 2 3 व 4

3. वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है।
2. इस आयोग का कार्य केंद्र व राज्यों के बीच संग्रहित राजस्व के विभाजन हेतु सिफारिशें करना है।
3. इस आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) 2 व 3

(c) 2 व 3

(d) 1, 2 व 3

4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. इस योजना उद्देश्य मृदा परीक्षण करना और उसी के अनुसार आवश्यक वैज्ञानिक तरीके अपना कर मृदा के पोषक तत्वों की कमियों को दूर करना है।
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रति वर्ष जारी किया जाएगा ताकि कृषकों को अपनी मृदा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती रहे।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

5. प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. यह योजना वर्ष 2005 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए लाई गयी है।
2. योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्रों और लगभग 2 करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएँगे।
3. यह भूमि को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों के स्लम पुनर्वास पर भी जोर देती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 व 2

(b) 2 व 3

(c) 1 व 3

(d) सभी कथन सही हैं।

6. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. भूमि जल का पुनर्भरण
2. भूमि अपरदन को रोकना
3. जलग्रहण क्षेत्र का विकास
4. प्रति बूँद अधिक फसल

- इनमें से कौन-सा/से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के घटकों में शामिल है/हैं?
- 1, 3 व 4
 - 3 व 4
 - 1, 2 व 3
 - 1, 2 3 व 4
7. हाल ही में प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
- ग्रामीण विकास की एक नवाचारी पहल के रूप में वर्ष 2015 सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत की गई थी।
 - योजना के अंतर्गत सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गाँव को गोद लेकर आदर्श के रूप में विकसित करना है।
 - योजना लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य है रा. ज्यसभा के सदस्यों को इससे छूट प्राप्त हैं।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- 1 व 2
 - केवल
- (c) 2 व 3
- (d) 1, 2 व 3
8. निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोविस मॉडल के आधार पर लागू किया गया था?
- प्रथम पंचवर्षीय योजना
 - द्वितीय पंचवर्षीय योजना
 - सातवीं पंचवर्षीय योजना
 - नौवीं पंचवर्षीय योजना
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- समावेशी विकास की अवधारणा भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से अपनायी गई थी।
 - प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में विकास दर 7% से ऊपर ही रही है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2 दोनों
 - न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

- | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. (a) | 2. (d) | 3.(b) | 4.(a) | 5.(b) |
| 6. (d) | 7. (b) | 8.(b) | 9.(a) | |

अध्याय

24.

ग्रामीण और शहरी विकास

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत कल्याणकारी राष्ट्र रहा है और सरकार के समस्त प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य देश के लोगों का कल्याण रहा है।
- नीतियां और कार्यक्रम ग्रामीण निर्धरता दूर करने के लक्ष्य को ध्यान में रख कर तैयार किए जाते रहे हैं, जो भारत में योजनाबद्ध विकास के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है।
- यह महसूस किया गया कि गरीबी उपशमन की स्थायी कार्यनीति को विकास की प्रक्रिया में निरंतर लाभकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर आधारित होना चाहिए।
- गरीबी, अज्ञानता, बीमारियां और अवसरों की असमानता जैसी कुप्रवृत्तियों का अंत तथा बेहतर और उच्चतर गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करना बुनियादी सिद्धांत रहे हैं, जिन पर सभी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का खाका तैयार किया गया।
- प्रारंभ में कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुषंगी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया, परंतु बाद में यह महसूस किया गया कि तीव्र विकास का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है।
- जब सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में निचले स्तर के लोगों की प्रत्यक्ष और परोक्ष भागीदारी शामिल की जाए।
- 1952 में योजना आयोग के तहत सामुदायिक परियोजनाएँ प्रशासन नाम के एक संगठन की स्थापना की गई। जिसे सामुदायिक विकास संबंधी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व सौंपा गया।
- अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया।
- अगस्त 1979 में इस विभाग का दर्जा बढ़ाया गया और इसे ग्रामीण पुर्निमाण मंत्रालय का नाम दिया गया। बाद में इस मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम दिया गया और एक बार फिर से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
- सितंबर 1985 में इसे एक बार फिर कृषि मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- 1991 में विभाग का दर्जा बढ़ा कर ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया।
- 1992 में इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग, बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया।
- वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन नामक दो विभाग हैं।

ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम

- दिहाड़ी आधार पर रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (MGNREGA);
- स्वरोजगार एवं कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM);
- BPL परिवारों को आवास (घर) उपलब्ध कराने हेतु सभी के लिए आवास-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG);

- उत्तम गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY);
- सामाजिक पेंशन हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP);
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन (RUBAN) मिशन;
- भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)।

ग्रामीण रोजगार

- ⦿ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अपनी शुरूआत के बाद से कई बदलावों से गुजरा है और करोड़ों लोगों की जीवनरेखा बन गया है।
- ⦿ इस अधिनियम का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है।
- ⦿ इसमें किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन के लिए दिहाड़ी रोजगार पक्के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है, बशर्ते उसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों।
- ⦿ महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभों में सामाजिक समावेशन, लिंग समानता, सामाजिक सुरक्षा और समानता पर आधारित विकास शामिल है।

इस कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- ◻ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग पर किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 दिन के लिए अकुशल श्रम कार्य के रूप में दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निधनिरित गुणवत्ता के साथ स्थिर लाभकारी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है;
- ◻ संबद्ध क्षेत्र के ढांचागत आधार का विकास करने वाले कार्यों में दिहाड़ी रोजगार सुजित करते हुए ग्रामीण निधनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि;
- ◻ ग्रामीण निधनों का आजीविका संसाधन आधार सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाना;
- ◻ महिलाओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित करना;
- ◻ ग्रामीण निधनों का सक्रिय सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना और उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना;
- ◻ निचले स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करना।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

- ⦿ धन प्रवाह व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करने और दिहाड़ी के भुगतान में विलंब दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 राज्यों और 1 संघशासित प्रदेश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली (NEFMS) लागू की है।
- ⦿ इस प्रक्रिया से राज्यों को दिहाड़ी के भुगतान के लिए धन के आवंटन में विलंब में कमी आती है विभिन्न स्तरों पर धन का ठहराव समाप्त होता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- ⦿ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का नया नाम दिया गया है।
- ⦿ यह कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था।
- ⦿ इसका लक्ष्य 8-9 करोड़ ग्रामीण निधन परिवारों तक पहुँचना है।
- ⦿ इसमें प्रत्येक परिवार से एक महिला सदस्य को शामिल करते हुए महिला स्वयं-सहायता समूह का गठन किया जाता है और ग्राम स्तर और उससे उच्चतर स्तरों पर इन सहायता समूहों के परिसंघ बनाए जाते हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

- ⦿ देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना की जाए।
- ⦿ आरएसईटीआई संस्थान बैंक के नेतृत्व और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से संचालित हैं।
- ⦿ भारत सरकार इसके लिए एकबारारी एक करोड़ रुपये की ढांचागत सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा निधन उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की लागत अदा करती है।
- ⦿ राज्य सरकार निःशुल्क अथवा मामूली मूल्य पर भूमि प्रदान करती है और बैंक आरएसईटीआई संस्थानों के रोजमरा की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- ⦿ गरीबी उपशमन कार्यनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की थी।
- ⦿ केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण सड़कों बनाने के काम में राज्यों की मदद करना था, हालाँकि ग्रामीण सड़कों संविधान में राज्य सूची का विषय हैं।
- ⦿ मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बस्तियों को पात्र समझा गया है।

ग्रामीण आवास

- ⦿ आवास को सर्वत्र बुनियादी आवशकता के रूप में स्वीकार किया गया है।
- ⦿ ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से निधनों के लिए मकानों की कमी दूर करना और आवास की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- ⦿ इंदिरा विकास योजना एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- ➲ इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराना है।
- ➲ इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से 3 करोड़ 60 लाख मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- ➲ 2022 तक 'सबके लिए आवास' प्रदान करने की सरकार की प्राथमिकता के संदर्भ में ग्रामीण आवास कार्यक्रम आईएवाई को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- ➲ भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह बेरोजगार वृद्ध, बीमार और अक्षम होने की स्थिति में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अनुसार नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करेगा।
- ➲ इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे अथवा भविष्य में प्रदान किए जाने वाले लाभों के अतिरिक्त सहायता दी जाती है, ताकि न्यूनतम राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सहायता सुनिश्चित की जा सके।
- ➲ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है।
- इस तरह 60-90 वर्ष आयुर्वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये की और 80 वर्ष और अधिक आयुर्वर्ग के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है।

- ➲ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन कार्यक्रम
 - यह योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवार से संबद्ध 18 से 79 वर्ष आयु समूह में आने वाली विधवा को रुपये 300 प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - 80 वर्ष की आयु होने पर लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि वह रुपये 500 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सके।
- ➲ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगजन पेंशन कार्यक्रम
 - वर्ष 2009 में प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवार से संबद्ध 18-79 वर्ष आयु समूह में आने वाले गंभीर तथा

अधिसंख्य दिव्यांगता/विकलांगता वाले व्यक्ति को रुपये 500 प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

- 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि वह रुपये 500 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सके।

राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु समूह में आने वाले परिवार के प्रमुख जीविका अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
- यह सहायता राशि 20,000 रुपये होती है।

अन्नपूर्णा:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है, जो आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पात्र हों, लेकिन उन्हें आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त न हो रही हो।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

- ➲ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार मुहैया कराने के भी प्रयास किए जाते हैं।
- ➲ 2014 में घोषित डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- ➲ इस कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी कार्यसूची है, जिसके तहत यह वैशिक मानकों और जरूरतों के अनुसार एक बेंचमार्क रोजगार संबद्ध कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य भारत के जनसांख्यिकीय अधिशेष को जनसांख्यिकीय लाभ में रूपान्वित करना है, ताकि ग्रामीण भारत का विकास वैशिक रूप में वरीयता वाले कुशल श्रमिकों स्रोत के रूप में किया जा सके।
- ➲ यह ऐसा प्रथम कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ अधिसूचित की गई हैं और यह पहला कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने में आईटी सोल्यूशन्स इस्टेमाल किए जाते हैं।
- ➲ इनमें प्रशिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से टेबलेट प्रदान करना, उपस्थिति की आधार से संबद्ध बायोमीट्रिक जानकारी और प्रशिक्षण केंद्रों एवं कक्षाओं का जियो-टैग उपयोग वर्द्धित किया जाएगा।

- ➲ 2010 में एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की पहुँच का विस्तार करने के लिए 2013 में आजीविका कौशल के बारे में दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

- ➲ सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का शुभारंभ 2014 में किया गया था।
- ➲ इसका उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा एक गाँव का विकास 2016 तक आदर्श गाँव के रूप में और 2019 तक ऐसे 2 अन्य गाँवों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ➲ सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य महात्मा गांधी के व्यापक और मौलिक आदर्श ग्राम के सपने को वर्तमान संदर्भ में पूरा करना है।
- ➲ दूसरे शब्दों में एसएजीवाई के अंतर्गत मूल्य परिवर्तन के जरिए मूल्य शृंखला विकसित करने का प्रयास किया जाता है।
- ➲ अभी तक इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में संसद सदस्यों द्वारा 702 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- ➲ एसएजीवाई की विशिष्टताएँ इस प्रकार हैं:
- ➲ ग्राम विकास योजना- एसएजीवाई के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतें ग्राम विकास योजनाएँ (बीडीपी) तैयार करती हैं, जिनमें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध गतिविधियां शामिल की जाती हैं, ताकि संसाधनों के समाधिस्थिरण के जरिए गाँव की समग्र प्रगति का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
- ➲ ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा को शामिल करते हुए विकास की अत्यंत व्यवस्थित नीति अपनाई है और अपने विकास के लिए व्यापक ग्राम विकास योजनाएँ तैयार की हैं।
- ➲ ग्राम विकास योजनाओं में सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए एक ट्रैकिंग टेम्पलेट विकसित किया गया है और प्रगति पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाती है;
- ➲ पंचायत दर्पण; मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में एसएजीवाई के कार्यान्वयन के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक 35 सूत्री प्रभाव निगरानी केंद्र का विकास किया है।
- ➲ प्रगति का मूल्यांकन परिणाम संकेतकों के जरिए किया जाता है, जिनमें मोटे तौर पर बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ई-गवर्नेंस जैसे संकेतक

शामिल किए जाते हैं। प्रभाव का मूल्यांकन तिमाही (22 संकेतक), छमाही (7 संकेतक) और वार्षिक (6 संकेतक) आधार पर किया जाता है।

- ➲ ‘ग्राम स्वराज अभियान’ नाम का एक अभियान भी शुरू किया गया था।

भूमि सुधार

जल संभरण कार्यक्रम

- ➲ भूमि एवं जल दो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं भूमि एवं जल पर जनसंख्या के दबाव एवं इसकी मांग के साथ ही इन संसाधनों के तेजी से घटते जाने ने हमारी पारिस्थितिकी प्रभावित हुई है।
- ➲ मानवीय बस्तियों एवं आधारभूत ढांचे के फैलाव कृषि और उससे संबद्ध कार्यों के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में विस्तार और गहनता ने भूमि एवं जल स्रोतों की समन्वित योजना एवं प्रबंधन की महती आवश्यकता को रेखांकित कर दिया है।

जल-संभर विकास

- ➲ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2015-16 में 3 मंत्रालयों की निम्नलिखित योजनाओं-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर) का त्वरित (बंजर) सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा एमएसकेवाई (डब्ल्यूआर); ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि सुधार विकास विभाग का समेकित जल-संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) तथा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) के अंतर्गत दीर्घकालीन कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के कृषि जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) के सूक्ष्म सिंचाई घटक को मिलाकर प्रारंभ किया गया था।
- ➲ पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 की अवधि में 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) 03 करोड़ 90 लाख 07 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8214 जल-संभर विकास परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी।
- ➲ जो मुख्य रूप से वर्षा जल से सिंचाई पर आधारित कृषि क्षेत्र और कृषि योग्य बनाए जा सकने वाली परती (बंजर) भूमि के विकास हेतु थी।

राष्ट्रीय भूमिसुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम

- ➲ राष्ट्रीय भूमिसुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) का नया नामकरण करते हुए इसे डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का नाम दिया गया। इसे 2008 से लागू किया जा रहा है।

- इसके अंतर्गत 27 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने अपने क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड के पैंजीकरण की प्रक्रिया कंप्यूटरीकरण कर दिया है।

पंचायती राज

- पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य संविधान के भाग-9 के प्रावधानों, अनुच्छेद 243 जेडडी और पीईएसए के अनुसार जिला आयोजना समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत और भागीदारीपूर्ण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है।
- मंत्रालय का मिशन पंचायती राज संस्थानों का सशक्तीकरण, उन्हें सक्षम एवं जबाबदेह बनाना है ताकि सामाजिक न्याय और सक्षम सेवा वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

संवैधानिक लक्ष्य

- भारत के संविधान के भाग-9 में 3 स्तरीय पंचायतों की स्थापना (20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में केवल 2 स्तरीय) का प्रावधान है:
 - गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत;
 - जिला स्तर पर जिला पंचायतें; और
 - ग्राम पंचायतों के बीच उप-जिला स्तर पर मध्यवर्ती पंचायतें।
- इसमें ग्राम सभा (ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले पैंजीकृत मतदाताओं की आम सभा) का भी प्रावधान है, जो ग्रामवासियों को स्थानीय शासन में सीधे भागीदारी के लिए एक मंच है।
- भारत के संविधान ने इन पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है और इनमें महिलाओं एवं भारतीय समाज के सीमांत वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है।

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान

- पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 12 वर्षों पंचवर्षीय योजनावधि यानी 2012-2013 से 2015-16 तक राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) चलाया।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

ताकि बुनियादी सेवाएँ वितरित करने के लिए समाभिरूप कार्रवाई की जा सके और विकास के लक्ष्य हासिल किए जा सकें।

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जीपीडीपी के पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए सभी संबद्ध पक्षों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुविधाएँ जुटाने और उनके संवर्धन के व्यापक प्रयास किए जाएंगे।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

- 14 वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के अनुसार संविधान के भाग-9 के अंतर्गत देश में गठित ग्राम पंचायतों को 2,00,292.20 करोड़ रुपये का अनुदान वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए हस्तांतरित किया गया।
- इसका अर्थ है, 26 राज्यों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष 488 रुपये की सहायता प्रदान की गई, ताकि नियमित अंतरालों पर इन संस्थानों के लिए संसाधनों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

पेयजल और स्वच्छता

- पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की स्थापना 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, जिसे बाद में 2010 में पेयजल और स्वच्छता विभाग का नाम दिया गया।
- ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के रूप में एक पृथक मंत्रालय अधिसूचित किया।
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है, जो भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और देश में स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), के लिए समग्र नीति, आयोजना, वित्त पोषण और समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन का शुभांरभ 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के पीछे यह धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शौचालयों, ठोस और तरल कचरे के निपटान की प्रणालियों और ग्राम स्वच्छता सहित स्वच्छता सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ।
- यह कार्यक्रम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 2019 तक, अर्थात् महात्मा गाँधी की 150 वर्षों जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत को वास्तविकता बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है।
- इस मिशन का लक्ष्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच का विस्तार करना है।

- ➲ यह 2014 में 39% थी, जिसे अक्टूबर 2019 तक बढ़ा कर शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
- ➲ कार्ययोजना में 5 वर्षों में भारत को खुले में शौच जाने से पूरी तरह मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- ➲ प्रारंभ में स्वच्छ भारत के हिस्से के रूप में देश के सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी गई।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- ➲ ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उपाय सर्वप्रथम 1954 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू किए गए थे। सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के रूप में एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया।
- ➲ इसका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और गरिमा प्रदान करना था।
- ➲ इसका लक्ष्य एमएनआईजीएस के साथ समाभिरूपता के जरिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करके निर्मल गाँवों का विकास करना था।
- ➲ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:
 - ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वस्थता को प्रोत्साहित करना और खुले में शौच जाने की कुप्रवृत्ति को समाप्त करना;
 - 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वस्थ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना;
 - पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती और समुचित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- ➲ मंत्रालय स्वच्छता क्षेत्र में मात्रात्मक सुधार लाने के लिए शौचालयों के निर्माण के जरिए गाँवों को खुले में शौच जाने से मुक्त करने पर जोर दे रहा है।
- ➲ खुले में शौच जाने से मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के बुनियादी साधन के रूप में मुख्य रूप से व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

स्वच्छता पखवाड़ा

- ➲ स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल 2016 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य एक पखवाड़े के दौरान सरकारी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में सफाई संबंधी मुद्दों और स्वच्छता की पद्धतियों पर गहन ध्यान केंद्रित करना है।

नमामि गंगे

- ➲ नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय की एक पहल है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे इस

कार्यक्रम में गंगा नदी के किनारे बसे गाँवों को खुले में शौच जाने से मुक्त करने और ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन में उपाय लागू करने पर बल दिया जा रहा है।

- ➲ उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में करीब 52 जिलों में गंगा किनारे स्थित कुल 4,470 गाँवों को राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा खुले में शौच जाने से मुक्त कराया गया है।

स्वच्छता कार्ययोजना

- ➲ स्वच्छता कार्ययोजना अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें स्वच्छता के लिए अंतर- मंत्रालयी गतिविधियां संचालित की जाती है। यह कार्यक्रम स्वच्छता को प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस उपाय है।

प्रतिष्ठित स्थलों की स्वच्छता

- ➲ मंत्रालय ने देशभर में 100 स्थानों को स्वच्छ बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बहु-हितभागी कार्यक्रम शुरू किया है।
- ➲ यह स्थान धरोहर, धार्मिक और आमजन या सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से 'प्रतिष्ठित' स्थल है।
- ➲ इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन प्रतिष्ठित स्थलों की स्वच्छता स्थितियों में सुधार लाना है ताकि उन्हें स्वच्छता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया जा सके।
- ➲ यह कार्यक्रम शहरी विकास, पर्यटन और सांस्कृति मंत्रालयों के साथ भागीदारी के जरिए चलाया जा रहा है, जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

- ➲ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को समुचित मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
- ➲ एनआरडीडब्ल्यूपी भारत निर्माण का एक घटक है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- ➲ इस कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति क्षेत्र में महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान करने और पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिली है।
- ➲ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और इसे संविधान की 11 वीं अनुसूची में ऐसे विषयों में भी रखा गया है, जो राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

निष्ठलिखित कथनों पर विस्तार कीजिए-

- सर्विधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों को बोरोजगारी, वृद्धावस्था बीमारी तथा निशक्तता में सहायता दे तथा अपनी विकास एवं आर्थिक क्षमता के आधार पर उनकी मदद करे।
 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को राज्यों द्वारा बनाया एवं लागू किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

कर-

4. स्वच्छ भारत अभियान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत के स्वप्न को एक वास्तविक स्फूर्ति प्रदान करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है।
 2. योजना के अंतर्गत भारत को अगले 10 वर्षों में खुले में शौच से मुक्त बनाना है।
 3. सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो खुले में शौच से मुक्त हो गया है।

कृट—

5. अमृत मिशन के विषय में इन कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. शहरों/कस्बों में बुनियादी अवसरंचना में सुधार लाने के उद्देश्य से अटल मिशन (अमृत) प्रारंभ किया गया है।
 2. योजना का क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है
 3. शहरी विकास हालाँकि राज्य सूची का विषय है परंतु केंद्र इसमें समन्वय तथा निगरानी का कार्य करता है।

कृट-

6. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) यह शहरी विकास मंत्रालय की योजना है।
 - (b) इस योजना को भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप बनाया गया है।
 - (c) इसका उद्देश्य भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना है।
 - (d) इनमें से कोई नहीं।

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

Answer Key:-

1. (d)
6.(d)

2. (a)
7.(a)

- A1

- 4.(a)

- 5.(d)

अध्याय 25.

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सरकारी विभागों से जोड़ने वाली नोडल एजेंसी की तरह काम करता है।
- यह विभाग विभिन्न संस्थाओं एवं क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के जरिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने में बाहर से सबसे अधिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग प्रदान करता है।
- रणनीतिक महत्व वाले इस काम से हमारे देश के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यों का परिणाम बेहतर होता है तथा देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को बदलने में भी मदद मिलती है।

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग

- ⦿ देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता तथा सामर्थ्य बढ़ाने के प्रयास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई योजनाएँ चलाई है। ताकि भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय को वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके।
- ⦿ विभाग ने जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनमें से कुछ हैं:
 - विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर होड़ करने योग्य अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी जानकारी की संख्या बढ़ाना,
 - वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की वैश्विक रैंकिंग बेहतर करने के लिए आरएंडडी संस्थानों को प्रोत्साहन देना तथा ढांचागत सुविधाएँ तैयार करना,
 - विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय साझेदारी की प्रणाली लागू करने में सहयोग करना, राष्ट्रीय अभियानों के जरिए प्रौद्योगिकी लागू करना,
 - राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करने के लिए संस्थानों और उद्योग की क्षमता विकसित करना,
 - समाज के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र के लिए नीति बनाना।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति

- ⦿ 2013 में लाई गई नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया गया है।
- ⦿ एसटीआई नीति का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर होड़ करने की क्षमता हासिल करने और विज्ञान को देश के विकास के एजेंडा से जोड़ना है।
- ⦿ नीति का मुख्य लक्ष्य है साइंस, रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया (सृष्टि)।
- ⦿ विज्ञान, अनुसंधान तथा नवाचार प्रणालियों का एकीकरण करने और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में पाँच या छह शीर्ष शक्तियों में पहुँचाने की इच्छा नई एसटीआई नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ गठित कर दिया है।

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान

- ⦿ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में बहुत मदद मिली है।
- ⦿ बोर्ड के बहुआयामी कार्यक्रमों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न हितधारकों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित की है।
- ⦿ वैज्ञानिकों के सेवाकाल के विभिन्न चरणों में प्रतिभा पलायन रोकने के लिए बोर्ड ने कई नए कार्यक्रम आंशक किए हैं, जैसे

अनुसंधान जल्द आरंभ करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना करने में युवा अध्यापकों की सहायता हेतु अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड्स (ईसीआरए)।

जलवायु परिवर्तन

- ⦿ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के अंतर्गत आरंभ किए गए राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन (एनएमएसएचई) तथा जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के राष्ट्रीय मिशन (एमएमएसकेसीसी) का क्रियान्वयन यही विभाग कर रहा है।
- ⦿ इन राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत छह प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।
- ⦿ नवाचार के माहौल को बिना किसी व्यवधान के बढ़ावा देने के इरादे से नेशनल इनीशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (निधि) योजना आरंभ की गई है।
- ⦿ नवाचार को बाजार की मूल्य शृंखला से जोड़ने वाली प्रमुख कड़ियों को देश भर में विभिन्न बिंदुओं (प्रत्येक बिंदु में 3 पड़ोसी जिलों का क्लस्टर होगा) पर सहायता प्रदान की जाएगी और मजबूत किया जाएगा ताकि नवाचार, उद्यमशीलता एवं विकास में सहयोग के जरिए राष्ट्र निर्माण का अभियान पूरा हो सके।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

- ⦿ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी और यह देश का सर्वेक्षण करने तथा मानचित्र तैयार करने वाला राष्ट्रीय संगठन है।
- ⦿ राष्ट्र की प्रमुख मानचित्रण एजेंसी के रूप में इसे जो भूमिका दी गई है, उसके अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि देश के भू-भाग का सर्वेक्षण कर उसके सटीक मानचित्र बनाए जाएं ताकि तीव्र एवं एकीकृत विकास के लिए आधार मानचित्र तैयार हो सकें।
- ⦿ भारत की बाहरी सीमा तय करना, देश में प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में उन्हें दिखाना तथा राज्यों के बीच सीमाओं के सीमांकन पर सलाह देना भी विभाग की ही जिम्मेदारी है।
- ⦿ द्विपक्षीय संधियों के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्रण, सर्वेक्षण संबंधी शिक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सर्वेक्षण संबंधी अन्य कई प्रौद्योगिकियों के मामले में नाइजीरिया, अफगानिस्तान, केन्या, इराक, नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, भूटान, मारीशस आदि देशों को भी सहायता प्रदान करता है।
- ⦿ सुयंक्त राष्ट्र के निर्देश के कारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थान संबंधी आंकड़ों का बुनियादी ढांचा तैयार करने की क्षमता हासिल करने में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों की भी मदद करता है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

- ⦿ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 1942 में स्थापित की गई स्वायत्तशासी संस्था है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अत्याधुनिक आरएंडडी जानकारी के लिए विख्यात है।
- ⦿ पूरे देश में पैठ रखने वाले सीएसआईआर के पास 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों तथा 5 इकाइयों का गतिशील नेटवर्क है।
- ⦿ रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन, औषधि, जीनोम अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी, यंत्रीकरण, पर्यावरण अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तमाम विषय इसके दायरे में आते हैं।
- ⦿ पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य, आवास, ऊर्जा, चमड़ा, कृषि एवं गैर कृषि जैसे सामाजिक प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

परमाणु ऊर्जा

- ⦿ परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की स्थापना 1954 में हुई थी और यह परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्रों तथा मूलभूत अनुसंधान में विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग में लगा है।
- ⦿ उनमें से कुछ हैं:
 - (अ) स्वदेशी तथा अन्य आजमाई हुई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना और उससे जुड़े ईधन चक्र की सुविधाओं वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एवं थोरियम रिएक्टर विकसित करना;
 - (आ) रेडियोआइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण एवं संचालन करना तथा चिकित्सा, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना;
 - (इ) एक्सीलरेटर, लेजर जैसी उत्तर प्रौद्योगिकियों का विकास करना तथा उद्योगों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना;
 - (ई) परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित अग्रणी वैज्ञानिक क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान में सहायता करना, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क करना, डीएई के कार्यक्रमों पर प्रभाव डालने वाली आरएंडडी परियोजनाओं में मदद करना तथा अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; तथा
 - (उ) राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करना। संगठनों के एकीकृत

समूह के रूप में कार्य करने वाला विभाग पाँच अनुसंधान केंद्रों, तीन औद्योगिक संगठनों, पाँच सार्वजनिक उपक्रमों और तीन सेवा संगठनों से मिलकर बना है।

भारी जल बोर्ड

- ⦿ भारी जल बोर्ड ने सभी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए किफायत के साथ भारी जल का उत्पादन कर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले चरण में सफल योगदान किया है।
- ⦿ जिससे विभाग को सस्ती परमाणु ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिली। बोर्ड देश में भारी जल की मांग स्वयं ही पूरी करने में सक्षम है और डीएई ने परमाणु ऊर्जा के जिस कार्यक्रम की परिकल्पना की है।
- ⦿ उसके अनुरूप भविष्य में बनने वाले प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों तथा एडवांस्ट हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए भारी जल उपलब्ध कराने के लिए भी वह तैयार है।

खनिज अन्वेषण एवं खनन

- ⦿ परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) का जोर यूरेनियम, थोरियम तथा दुर्लभ धातुओं के संवर्द्धन पर है।
- ⦿ इसके लिए उसने एकीकृत, बहुपक्षीय पद्धति एवं कर्मचारियों के समझदारी भरे उपयोग द्वारा अन्वेषण की गतिविधियां जारी रखीं।
- ⦿ परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा झारखंड में 15,755 टन से भी अधिक यूरेनियम ऑक्साइड (U_3O_8) का अतिरिक्त भंडार तैयार हो गया।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

- ⦿ परमाणु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) सोडियम से ठंडे होने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तथा उनसे जुड़ी ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियां तैयार कर रहा है।
- ⦿ ब्रीडर रिएक्टर जितने ईंधन की खपत करते हैं, उससे ज्यादा ईंधन का उत्पादन करते हैं।
- ⦿ आईजीसीएआर के फास्ट रिएक्टर कार्यक्रम को रिएक्टर अभियांत्रिकी, धातु कर्म, सामग्री विज्ञान, यंत्रीकरण, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में उसके अनुसंधान तथा विकास प्रयासों से बल मिलता है।
- ⦿ कलपक्कम पर 25 वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ने भी फास्ट रिएक्टरों से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता की है।

थोरियम आधारित रिएक्टर

- ⦿ विश्व की ऊर्जा संबंधी मांग के बड़े हिस्से को पूरा करने के

लिए क्लोज्ड प्यूल साइकल बाली परमाणु ऊर्जा ही एकमात्र टिकाऊ विकल्प है।

- ⦿ दुनिया में यूरेनियम से अधिक थोरियम भंडार हैं।
- ⦿ इसीलिए थोरियम को 'भविष्य का ईंधन' माना जाता है।
- ⦿ भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण का उद्देश्य वाणिज्यिक स्तर पर बिजली उत्पादन के लिए थोरियम को बतौर ईंधन प्रयोग करना है।
- ⦿ थोरियम के ईंधन चक्र में थोरियम-232 को विखंडनीय आइसोटोप यूरियम-233 में बदल दिया जाता है, जो परमाणु ईंधन है।

कलपक्कम मिनी (कामिनी) रिएक्टर

- ⦿ अंतरिक्ष विभाग के लिए विभिन्न पाइरो उपकरणों की न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी हेतु कामिनी रिएक्टर का सफल परिचालन किया गया।
- ⦿ पीएफबीआर के न्यूट्रॉन प्रवाह को नापने के लिए आवश्यक उच्च तापमान वाले विखंडन चैंबरों का सफल परीक्षण किया गया।

अनुसंधान रिएक्टर

- ⦿ ध्रुव ने उच्च सुरक्षा स्तर तथा उपलब्धता कारक पर 100 मेगावाट थर्मल की ऊर्जा पर परिचालन किया।
- ⦿ देश भर के कई अनुसंधानकर्ताओं ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यूजीसी-डीएई गठबंधन की न्यूट्रॉन बीम सुविधा का प्रयोग किया।

उन्नत प्रौद्योगिकियां

- ⦿ डीएई के अनुसंधान केंद्र एक्सीलरेटर, लेजर, उन्नत सामग्री, रोबोटिक्स, सुपरकंप्यूटर, यंत्रीकरण एवं अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास में लगे रहते हैं।
- ⦿ बार्क, आरआरकेट, वीईसीसी और ब्रिट विकिरण प्रौद्योगिकियों के विकास में लगे हैं।
- ⦿ साथ ही वे फसल की बेहतर किस्मों, फसल सुरक्षा की तकनीकों, कटाई के बाद के लिए विकिरण आधारित तकनीकों, केंसर जैसे रोगों के रेडियो-निदान तथा रेडियोधर्मी उपचार के लिए तकनीकों, सुरक्षित पेयजल, बेहतर पर्यावरण तथा औद्योगिक वृद्धि हेतु तकनीकों में उनके उपयोग तलाशने में भी जुटे हैं।

रोबोटिक्स

- ⦿ न्यूरोसर्जरी करने के लिए बार्क में रोबोट पर आधारित फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें फ्रेम आधारित प्रणाली के बराबर सटीकता है और मरीजों के लिए आराम का स्तर भी उतना ही है।
- ⦿ बहद सटीक क्षमता वाले रोबोट को प्रयोग कर यह फ्रेमरहित स्टीरियोटैक्सी का स्वचालित बना देता है।

क्रायोजेनिक्स

- ⦿ वीईसीसी में सुपरकंडकिटग इलेक्ट्रॉन और हेवी आयन लाइनैक्स के लिए तरल हीलियम एवं तरल नाइट्रोजन हेतु क्रायोजेन वितरण लाइन, हीलियम के लिए वातावरण के नीचे निर्वात की परत वाली लाइन, हीलियम बफर टैंकों एवं कंप्रेसरों के बीच गर्म हीलियम की लाइन वाली क्रायोजेनिक प्रणाली तथा 500 वाट का हीलियम लिक्विफायर लगाए जा रहे हैं।

रेडियोआइसोटोप एवं विकिरण प्रौद्योगिकी तथा उनके प्रयोग

- ⦿ स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान में विभिन्न रेडियोआइसोटोप के विकास तथा प्रयोगों में परमाणु ऊर्जा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है।
- ⦿ डीई के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारत आइसोटोप प्रौद्योगिकी के अग्रणी देशों में शामिल है।
- ⦿ रेडियोआइसोटोप ट्रॉम्बे के ध्रुव अनुसंधान रिकर्टर में, एक्सीलरेटर कोलकाता तथा एनपीसीआईएल के विभिन्न परमाणु बिजली संयन्त्रों में बनाए जाते हैं।
- ⦿ चिकित्सा, औद्योगिक एवं अनुसंधान प्रयोग के लिए बार्क द्वारा विभिन्न प्रकार के आइसोटोप तैयार किए गए एवं उपलब्ध कराए गए।
- ⦿ विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) ने चिकित्सा एवं औद्योगिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप उत्पाद एवं विकिरण प्रौद्योगिकी उपकरणों का निर्माण किया तथा आपूर्ति की।

होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान

- ⦿ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) के दस वर्ष पूरे हो गए।
- ⦿ एचबीएनआई ने अपने आठ शिक्षा बोर्डों में विभिन्न पाठ्यक्रमों-रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामरिक अध्ययन तथा स्नातक अध्ययन-के जरिए अपने शैक्षिक कार्यक्रम जारी रखे।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

- ⦿ देश में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ आरंभ हुईं। उसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के निकट थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर भी कार्य आरंभ हो गया।
- ⦿ अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

की स्थापना की गई।

- ⦿ 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई तथा अंतरिक्ष विभाग स्थापित हुआ और 1972 में ही इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया।
- ⦿ अंतरिक्ष आयोग देश के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां बनाता है तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्रियान्वयन पर नजर रखता है।
- ⦿ मार्च, 2016 से जून, 2017 के बीच भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने कई उपलब्धियां हासिल कीं।
- ⦿ प्रक्षेपण यानों के बारह अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिनमें सात पीएसएलवी, दो जीएसएलवी-एमके 2 और एक जीएसएलवी-एमके 3 शामिल हैं, जिनका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष क्रोंद्र (शार), श्रीहरिकोटा से किया गया।
- ⦿ इसके अलावा इसरो के दस उपग्रह, छात्रों द्वारा बनाए गए चार उपग्रह तथा 152 विदेशी उपग्रह भी इन मिशनों द्वारा प्रक्षेपित किए गए।
- ⦿ भारत के संचार उपग्रह जीसैट-18 और जीसैट-17 भी फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए।
- ⦿ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) ने एक ही अभियान में 104 उपग्रह छोड़ने की अनूठी उपलब्धि हासिल की और एक ही अभियान के दौरान दो अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता भी दिखाई।
- ⦿ इसके अलावा जियोसिस्कॉनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-मार्क 2 (जीएसएलवी-एमके 2) के रूप में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज ले जा रहे जीएसएलवी का लगातार तीसरा सफल प्रक्षेपण हुआ।
- ⦿ मंगलयान ने मंगल ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में दो वर्ष की वाँछित अवधि सफलतापूर्वक पूरी की। साथ ही भारत की अनेक तंगदैर्घ्यों वाली वेधशाला एस्ट्रोसैट ने कक्षा में अपना एक वर्ष पूरा किया।
- ⦿ 2017 में इसरो ने जीएसएलवी-एफ 09 का प्रक्षेपण भी सफलतापूर्वक किया, जिसने दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) को सफलतापूर्वक भूसमकालिक अंतरक्षण कक्षा (जीटीओं) में डाला।
- ⦿ यह दक्षेस देशों के लिए भारत का उपहार था। उस वर्ष ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने दो सफल प्रक्षेपण किए-
 1. एक ही बारे में रिकॉर्ड 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने की अनूठी उपलब्धि प्राप्त की और
 2. 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए।

- ➲ जून, 2017 में फ्रेंच गुयाना से संचार उपग्रह जीसैट-17 छोड़ा गया। लेकिन अपनी 41 वीं उड़ान में पीएसएलवी भारत के आठवें नेविगेशन उपग्रह को निर्धारित कक्षा में नहीं रख पाया और सफल नहीं रहा।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग

- ➲ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक अनूठी विशेषता उसके उपयोग केंद्रित प्रयास और देश को उनसे मिलने वाले लाभ हैं।
- ➲ दूर-शिक्षा (टेली-एजुकेशन) तथा दूर-चिकित्सा (टेली-मेडिसिन) के साथ संचार के विभिन्न क्षेत्रों में इनसैट/जीसैट उपग्रहों द्वारा की जा रही समाज सेवा जारी है।
- ➲ देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के सुस्थापित बहुआयामी क्रियान्वयन ढांचे के जरिए देश में राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर चलाई जा रही दूर-संवेदी अनुप्रयोग परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
- ➲ भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह समूह ने कृषि फसलों के भंडार, कृषि अकाल के आकलन, दावानल पर नजर रखने, भूजल संभावना के मानचित्रों के बेहतर उपयोग तथा अन्य प्रशासन संबंधी प्रयोगों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद की।
- ➲ इसरो का आपदा प्रबंधन सहायता (डीएमएस) कार्यक्रम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्थान आधारित जानकारी एवं सूचना तथा संचार के साधन उपलब्ध करा रहा है।
- ➲ राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र में स्थापित निर्णय सहायता केंद्र (डीएमएस-डीएससी) बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में लगा हुआ है।

अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रह अनुसंधान

- ➲ दो ग्रहों के बीच चलाया जा रहा भारत का पहला अंतरिक्ष यान अभियान मंगलयान मंगल के चारों ओर अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूरे कर चुका है और नियमित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा है।
- ➲ अंतरिक्ष यान के स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं। अंतरिक्ष यान से मिली जानकारी का वैज्ञानिक विश्लेषण उपग्रह के विभिन्न आयामों पर किया जा रहा है।
- ➲ वर्ष के दौरान अंतरिक्षयान पर कक्षा में दिशा परिवर्तन भी किया गया, जिससे 2021 तक दीर्घकालिक ग्रहण का खतरा खत्म हो गया।
- ➲ भारत की पहली विविध तंरगदैर्ध्य वाली वेधशाला ने कक्षा में दो वर्ष पूरे कर लिए।
- ➲ उपग्रह से अब 'वेधशाला' की तरह काम लिया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- ➲ अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों का अटूट अंग रहा है और इसरो ने विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों एवं अंतरिक्ष से संबंधित निकायों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को महत्व देना जारी रखा है।
- ➲ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख उद्देश्य नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी चुनौतियों का सामना करना, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय खाका परिभाषित करना, अंतरिक्ष नीतियों को बेहतर बनाना तथा देशों के साथ संबंध स्थापित करना एवं मौजूदा संबंधों को मजबूत बनाना है।
- ➲ इसरो ने फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका, वियतनाम, अफगानिस्तान एवं रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों और अमरीकी भूर्भारीय सर्वेक्षण के साथ सहयोग के समझौते किए।

अंतरिक्ष वाणिज्य

- ➲ अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन वैश्विक बाजार में भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग कर रही है।
- ➲ एंट्रिक्स विदेशी ग्राहकों समेत अन्य एजेंसियों के साथ विशिष्ट वाणिज्यिक कागजों के जरिए अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है।
- ➲ एंट्रिक्स के साथ वाणिज्यिक करार के तहत अभी तक पीएसएलवी 1999 से 2018 के बीच अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के 237 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुका है।

पृथ्वी विज्ञान

- ➲ पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी तंत्र के विभिन्न घटकों जैसे वायुमंडल, जलमंडल, हिममंडल, थलमंडल और जीवमंडल तथा उनके बीच के संबंधों से संबंधित है।
- ➲ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम, जलवायु, समुद्र, तटवर्ती स्थल, जलमंडलीय एवं भूसंवेदी सेवाएं प्रदान करने के लिए भू विज्ञान से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी करता है।
- ➲ सेवाओं में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी तथा चेतावनी शामिल हैं।

वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान

- ➲ 12 किलोमीटर के क्षैतिज रिजॉल्यूशन पर मौसम संबंधी कारगर भविष्यवाणी उपलब्ध कराने के लिए उच्च रिजॉल्यूशन वाला वैश्विक निर्धारण योग्य मौसम पूर्वानुमान मॉडल तैयार किया गया।
- ➲ इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए उच्च रिजॉल्यूशन वाले वैसे ही मॉडल इस्तेमाल करने

की क्षमता हासिल कर तो, जैसी अमेरिका में है।

- ➲ भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से सांख्यिकी मॉडलों में मिली जानकारी को ग्रहण करने के लिए जानकारी के संग्रह में बहुत सुधार किया गया है।

समुद्र सेवाएं, प्रौद्योगिकी एवं पर्यवेक्षण

संभावित मत्स्य क्षेत्र (पीएफजेड) के परामर्श

- ➲ भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र 2.75 लाख मछुआरों को रोजाना पीएफजेड के बारे में परामर्श जारी करता है, जिससे उन्हें समुद्र में अधिक मछलियों वाले क्षेत्र पहचानने में मदद मिलती है।

समुद्र की स्थिति की भविष्यवाणी (ओएसएफ)

- ➲ मछुआरों, जहाजगानी उद्योग, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग, नौसेना, तटरक्षक बल तथा अन्य पक्षों को समुद्र की स्थिति (लहरों, प्रवाह, समुद्र की सतह के तापमान आदि) के बारे में मुहैया कराए जाने वाले पूर्वानुमानों में बहुत सुधार आया है।
- ➲ तेल रिसाव के परामर्श मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि तेल रिसाव की स्थिति में पर्यावरण-संवेदी क्षेत्रों, मछली मारने की संभावना वाले क्षेत्रों और मछली का शिकार नहीं करने वाले क्षेत्रों की जानकारी दी जा सके।
- ➲ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा रियोजेवल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के प्रक्षेपण के दिन से पहले और उस दिन भी समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान उपलब्ध कराए गए थे।

सुनामी चेतावनी प्रणाली

- ➲ मंत्रालय द्वारा हैदराबाद स्थित भारतीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र (इनकॉइस) में स्थापित भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को हिंद महासागर के देशों को चेतावनी देने के मामले में यूनेस्को द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है।
- ➲ इसमें हिंद महासागर के लिए दूसरे स्तर की सुनामी परामर्श सेवाएँ भी शामिल हैं।
- ➲ भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली के पास भूकंप आने के 10 मिनट के भीतर ही चेतावनी जारी करने की क्षमता है।
- ➲ भारतीय सुनामी शीघ्र चेतावनी केंद्र ने हिंद महासागर के भीतर तथा आसपास सुनामी भूकंप पर नजर रखी तथा सुनामी की आशंका का खतरा होने पर समुचित संदेश जारी किए।

ध्रुवीय एवं क्रायोस्फियर रिसर्च (पेसर)

- ➲ राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान (एनसीएओआर), गोवा ने हिमालय में काफी ऊँचाई पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसे हिमांश कहा गया।
- ➲ यह 13,500 फुट (4,000 मीटर से अधिक) से ऊपर स्थित है।
- ➲ इस केंद्र में ऑटोमैटिक मौसम केंद्र, वाटर लेवल रिकॉर्डर, स्ट्रीम डिल, स्नो/आइस कोर, ग्राउंड पेनीट्रिटिंग रेडार, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्नो फॉर्क, फ्लो ट्रैकर, थर्मिस्टर स्ट्रिंग, रेडियोमीटर आदि जैसे उपकरण हैं।

भूकंप विज्ञान एवं भू-विज्ञान अनुसंधान (सेज)

- ➲ 82 वेधशालाओं वाला राष्ट्रीय भूसंवेदी नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है।
- ➲ भूकंप संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी जानकारी राज्यों तथा केंद्र सरकार की उन सभी संबंधित एजेंसियों को दे दी गई, जो क्षेत्र में राहत एवं बचाव के काम से जुड़ी थीं।
- ➲ 2016 में कोयना में आरंभ की गई वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग का उद्देश्य गहराई में बोरहोल वेधशाला स्थापित करना है, जिससे भूकंप के स्थान के आसपास इंट्राप्लेट, सक्रिय फॉल्ट जोन में मौजूद चट्टानों के भौतिक गुणों, छिद्र में तरल के दबाव, जलीय मानदंडों, तापमान तथा अन्य मानदंडों को भूकंप से पहले, उसके दौरान एवं उसके बाद सीधे मापा जा सके।

स्वायत्तंशासी संस्थान

- ➲ जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं संबद्धन की कल्पना करने के कारण जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि एवं संबंधित विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान करने के लिए 16 स्वायत्तंशासी संस्थान स्थापित किए हैं।
- ➲ इनमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के साथ विषय आधारित अनुसंधान होता है।
- ➲ स्वायत्तंशासी संस्थानों के प्रयासों के कारण 80 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं और उनमें से कई का तकनीकी के हस्तांतरण द्वारा व्यावसायीकरण भी कर लिया गया है।
- ➲ विभाग के स्वायत्तंशासी संस्थानों ने कई अनुसंधान किए हैं, जिनमें बौद्धिक संपदा के अधिकार अथवा पेटेंट भी शामिल हैं।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसका कार्य देश का सर्वेक्षण करना व मानचित्र तैयार करना है।
2. भारत की बाहरी सीमा तय करना व राज्यों के मध्य सीमाओं के सीमांकन पर परामर्श देना भी विभाग की ही जिम्मेदारी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 व 2 दोनों | (d) न तो 1 न ही 2 |

2. निम्नलिखित में से कौन सा/से सुमेलित है/हैं?

1. गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना - उत्तर प्रदेश
2. कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना - तमिलनाडु
3. काकरापार परमाणु बिजली परियोजना - गुजरात

कूट-

- | | |
|-----------|--------------|
| (a) 1 व 2 | (b) 2 व 3 |
| (c) 1 व 3 | (d) 1, 2 व 3 |

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु उर्जा आधारित रिएक्टर है।
2. भारत का एकमात्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नरौरा परमाणु उर्जा केंद्र पर स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 व 2 दोनों | (d) न तो 1 न ही 2 |

4. निम्नलिखित में से कौन सी खान/खाने घूरेनियत अधर्स्क के लिए प्रसिद्ध है/हैं?

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. जादूगुड़ा | 2. तुरुमडीह |
| 3. बागजाता | 4. मोहुलडीह |

कूट-

- | | |
|--------------|----------------|
| (a) 1 व 2 | (b) 1, 2 व 3 |
| (c) 2, 3 व 4 | (d) 1, 2 3 व 4 |

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र सोडियम से ढंडे होने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों तथा उससे जुड़ी ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है।
2. ब्रीडर रिएक्टर जितने ईंधन की खपत करते हैं उससे ज्यादा ईंधन का उत्पादन करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 व 2 दोनों | (d) न तो 1 न ही 2 |

6. निम्नलिखित में से किस राज्य में थोरियम पाया जाता है?

- | |
|-------------------|
| (a) तमिलनाडु |
| (b) केरल |
| (c) आंध्र प्रदेश |
| (d) तिरुवनन्तपुरम |

7. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है/हैं?

1. चूँकि थोरियम का प्रसंस्करण यूरेनियम की तुलना में आसान है अतः इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है।
2. थोरियम के ईंधन चक्र में थोरियम- 232 को यूरेनियम- 233 में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे उसके विखण्डन की प्रक्रिया आसान हो जाए।
3. केरल की मोनोजाइट रेत में थोरियम के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं।

कूट-

- | | |
|--------------|-----------|
| (a) केवल 1 | (b) 1 व 3 |
| (c) 1, 2 व 3 | (d) 2 व 3 |

8. निम्नलिखित में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?

1. राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र - हैदराबाद
2. राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान - बंगलुरु
3. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान - भुवनेश्वर

कूट-

- | | |
|------------|-----------------------|
| (a) 1 व 2 | (b) 1 व 3 |
| (c) केवल 3 | (d) इनमें से कोई नहीं |

9. क्रायोजेनिक ईंजन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. क्रायोजेनिक ईंजन का प्रयोग भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में किया जाता है।
2. इस तरह के राकेट में अत्यधिक ठंडी एवं द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
3. इन इंजनों में ईंधन को - 243°C के निम्न ताप पर रखा जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|------------|--------------|
| (a) 1 व 2 | (b) 2 व 3 |
| (c) केवल 3 | (d) 1, 2 व 3 |

Answer Key:-

1. (c)
6. (b)

2. (b)
7. (c)

3.(a)
8.(d)

4.(d)
9.(d)

5.(c)

अध्याय

26.

परिवहन

- देश के सतत आर्थिक विकास में परिवहन की समन्विता और सुचारू संपर्क प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटवर्ती नौ-वहन, हवाई परिवहन शामिल है। कुछ वर्षों में इस प्रणाली की क्षमता और नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय की है।

रेलवे

- भारत में रेलवे, यात्री परिवहन और माल ट्रूलाई का एक प्रमुख साधन है। यह देश के सुदूर कोने-कोने से लोगों को मिलाती है और कारोबार, पर्यटन, तीर्थयात्रा, तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का माध्यम है।
- भारतीय रेल पिछले 166 से अधिक वर्षों के दौरान एक बड़ी समावेशी ताकत बन गई है। इसने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है। इसने उद्योग और कृषि क्षेत्र के विकास को तेज करने में मदद की है।
- पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। केवल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने से शुरू हुई इसकी यात्रा का दायरा अब 67,368 किलोमीटर तक पहुँच गया है।
- इसमें 7,349 स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क है।
- भारतीय रेलवे के बेड़े में मार्च 2017 तक 39 भाषा चालित 6,023 डीजल चालित और 5,399 विद्युत चालित इंजन थे।
- कुल मार्ग के लगभग 35.32%, परिचालन मार्ग के 47.09% और कुल पटरी मार्ग के 48.26% का विद्युतीकरण किया जा चुका है। समूचा नेटवर्क 17 मंडलों में विभाजित है। इसके प्रभाग आधारभूत प्रचालन इकाइयां हैं।
- 17 मंडल और उनके मुख्यालय के नाम अगले पृष्ठ पर दिए जा रहे हैं।
- रेलवे नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवहन के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है ताकि अनुमानित यातायात के अनुरूप क्षमता निर्माण किया जा सके और अर्थव्यवस्था की विकास-जरूरतों को पूरा किया जा सके।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

- रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 13 प्राधिकरण आते हैं। ये हैं;
 - राइट्स लिमिटेड,
 - इकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
 - भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड,
 - कट्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
 - कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड,
 - मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड,
 - इंडियन रेलवे केटरिंग एंड ट्रॉज़िम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
 - रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
 - रेल विकास निगम लिमिटेड,
 - डेविकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
 - भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड,
 - बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और
 - ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड।

रेलवे वित्त

- भारत सरकार के समग्र वित्तीय आंकड़ों का हिस्सा होने के बावजूद, 1924 की पृथक्करण परिपाटी के कारण वर्ष 1924-25 से रेल बजट संसद में अलग से पेश किया जाता रहा है।
- रेलवे की अपनी 16 अनुदान मार्गे हैं। इन पर संसद में अलग से चर्चा कर पारित किया जाता है।

माल परिवहन

- ⦿ कृषि और उद्योगों में तेज गति से हुई प्रगति के कारण उच्चतर स्तर के रेल परिवहन की मांग बढ़ी है। विशेषकर कोयला, लौह तथा इस्पात, अयस्क, पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ी है। रेलवे की राजस्व वाली माल ढुलाई 1950-51 के 73.2 लाख टन से 2016-17 में बढ़कर 1106.15 मिलियन टन हो गई।
- ⦿ इसी अवधि के दौरान भारतीय रेलवे ने 1110.95 मिलियन टन की माल ढुलाई की।
- ⦿ इसमें से 1106.15 मिलियन टन से राजस्व प्राप्त हुआ और 4.80 मिलियन टन गैर राजस्व अर्जन वाली ढुलाई थी।

यात्री कारोबार

- ⦿ वर्ष 2016-17 में यात्री परिवहन से 44,280.46 करोड़ 26 लाख रुपये की आय हुई।
- ⦿ यह वर्ष 2015-16 की आय से 1997.70 करोड़ रुपये (4.51%) अधिक है। कुल आय में उपनगरीय यातायात का योगदान 5.81% है।
- ⦿ द्वितीय तथा स्लीपर श्रेणी मेल/एक्सप्रेस यात्री परिवहन से प्राप्त आय कुल यात्री आय का 50.20% थी।

सड़कें

- ⦿ देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह विकास की गति, संरचना और तरीकों को प्रभावित करता है।
- ⦿ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा रखरखाव करता है और मोटर वाहन अधिनियम 1988;
- ⦿ केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989;
- ⦿ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का संचालन और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008;
- ⦿ सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, ऑटोमोटिव मानकों आदि से संबंधी नीतियां बनाता है।
- ⦿ इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 1,29,709 कि.मी. है।
- ⦿ राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी मंत्रालय पर है।
- ⦿ यह सलेम से कोच्चि तक प्रमुख बंदरगाहों को देश के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। एनएचडीपी के तहत शेष कार्य अब मंत्रालय के नए कार्यक्रम-भारतमाला में शामिल कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव

- ⦿ सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रही है।
- ⦿ वर्ष 2000 से चलाई जा रही यह परियोजना देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
- ⦿ इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड कर रहे हैं।

भारतमाला परियोजना

- ⦿ मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत सागरमाला के समाकलन से सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने, छोटे बंदरगाहों के लिए सड़क संपर्क सहित तटवर्ती सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारे की क्षमता से सुधार, आर्थिक गलियारे के विकास, अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है।
- ⦿ भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 26,000 कि.मी. लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है।
- ⦿ इससे गोल्डन क्यूएड्सिलेटरल और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों के साथ सड़क परिवहन से अधिकतम माल की ढुलाई की जा सकेगी।
- ⦿ लगभग 8,000 कि.मी. के अंदर गलियारे और लगभग 7,500 कि.मी. फीडर मार्गों की पहचान की गई है ताकि आर्थिक गलियारों, गोल्डन क्यूएड्सिलेटरल और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों को कार्य क्षमता में सुधार किया जा सके।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- ⦿ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की गई थी।
- ⦿ इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रबंधन और इनसे संबंधित या आकस्मिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास निगम

- ⦿ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास निगम (एनएचआईडीसीएल), पूर्णतः मंत्रालय के स्वामित्व वाली कंपनी है।
- ⦿ पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ लगे देश के सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन और उन्हें चौड़ा करने का कार्य केवल निगम का ही है।

भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी

- ⦿ भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी (आईएएचई), मंत्रालय

- के प्रशासनिक नियंत्रण में पैंजीकृत समिति है। इसकी स्थापना 1983 में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से की गई थी।
- इसका उद्देश्य देश के राजमार्ग इंजीनियरों की भर्ती के स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण की लंबे समय से महसूस की जा रही मांग को पूरा करना है।

सड़क सुरक्षा

- सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनाई है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम-से-कम किया जा सके।
 - इस नीति के तहत जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है,
 - सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस बनाया जाता,
 - दुर्घटना की आशका वाली जगहों की पहचान तथा परिशोधन किया जाता है,
 - दुर्घटना आंकड़ा संग्रहण में सुधार तथा आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है,
 - राजमार्ग इंजीनियरों तथा पेशेवरों को सड़क इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है,
 - वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाता है,
 - सुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया जाता है और सुरक्षा कानूनों को लागू किया जाता है।
- सड़क सुरक्षा के बारे में मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है-
 - प्रचार उपाय तथा जागरूकता अभियान,
 - ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना,
 - असांगठित क्षेत्र में ड्राइवरों के लिए पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण,
 - मानव संसाधन विकास,
 - राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना,
 - निरीक्षण और प्रमाण केंद्रों की स्थापना।
 - सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण जाँच उपकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन।

राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना

- राजमार्गों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए इन पर पौधरोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव नीति 2016 में बनाई गई।
- यह जहाजरानी से संबंधित नियम, विनियम वाला एक अग्रणी निकाय है।
- इस नीति का उद्देश्य समुदाय, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यावरण हितैषी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना है।

- नीति के तहत शुरूआत में 1500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधे लगाए गए। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

जहाजरानी

- जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजन कर 2009 में जहाजरानी मंत्रालय का गठन किया गया।
- देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से नौ-वहन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है।
- यह विकास की गति, संरचना और प्रतिमानों को प्रभावित करता है। जहाजरानी मंत्रालय में पोत परिवहन, बंदरगाह, जहाज निर्माण तथा मरम्मत और अंतर्रेशीय जल परिवहन शामिल है।
- इस पर इनसे संबंधित नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी है।
- समुद्री परिवहन देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है।
- जल परिवहन के विकास की गति, संरचना और तरीके इससे निर्धारित होते हैं। इसे इन विषयों पर नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने और लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

समुद्री विकास

- भारत की लगभग 7,517 किमी. लंबी समुद्री रेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।
- भारत में 13 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं।
- भारत के जहाजरानी उद्योग ने पिछले कई वर्षों में अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- देश का 95% व्यापार इसी के माध्यम से होता है। यह व्यापार के कुल मूल्य का 68% है। इस स्थिति के महेनजर जहाजरानी, समुद्री संसाधन, जहाज डिजाइन तथा निर्माण, बंदरगाह, पोतायन, मानव संसाधन विकास से संबंधित मुद्दों, वित्त, सहायकों और नई प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है।

सागरमाला कार्यक्रम

- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों और जहाज चलने लायक 14,500 कि.मी. समुद्री किनारे के उपयोग के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। इससे देश में बंदरगाह से संबद्ध विकास हो सकेगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम ढांचागत निवेश के साथ घरेलू व्यापार और निर्यात-आयात के लिए माल ढुलाई की लागत कम करना है।

- ➲ इनमें शामिल हैं-घरेलू कार्गो परिवहन की लागत कम करना, टट के निकट भावी औद्योगिक क्षमताओं का पता लगाकर बड़ी मात्रा में वस्तुओं की ढुलाई की लागत कम करना; बंदरगाह के निकट अलग विनिर्माण समूहों इत्यादि का विकास।

जहाजरानी उद्योग

- ➲ जहाजरानी उद्योग सबसे अधिक वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कारोबार के माहौल में कार्य करता है यह अन्य अधिकतर उद्योगों की तुलना में बहुत ज्यादा उदार है, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़ा है।
- ➲ जहाजरानी उद्योग विशेषकर निर्यात-आयात व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से 68% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है।

प्रमुख बंदरगाह

- ➲ उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप से समुद्रवर्ती क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं। अर्थिक विकास में बंदरगाहों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- ➲ भारत की लगभग 7,517 किमी. लंबी तटीय रेखा के निकट 13 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं।
- ➲ बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची में आते हैं। प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर शेष संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और समवर्ती सूची में हैं।
- ➲ भारत के सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल परिवहन यातायात में से 57% बड़े और 43% छोटे बंदरगाहों के जरिए होता है।

कोलकाता बंदरगाह

- ➲ कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नद तटीय प्रमुख बंदरगाह है।
- ➲ इसकी स्थापना लगभग 138 वर्ष पहले हुई थी।
- ➲ इसके बृहद भीतरी प्रदेश में समूचा पूर्वी भारत आता है इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश/असम, पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य और दो पड़ोसी देश-नेपाल और भूटान शामिल हैं।
- ➲ इसमें दो गोदी प्रणालियां-हुगली नदी के पश्चिम किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है।

पारादीप बंदरगाह

- ➲ पारादीप बंदरगाह देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। भारत सरकार ने 1996 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार से अपने हाथ में ले लिया।

- ➲ भारत सरकार ने 1966 में पारादीप बंदरगाह न्यास को देश का 9 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया और इसे स्वंत्र भारत में गठित पूर्वी टट पर पहला प्रमुख बंदरगाह बना दिया।

न्यू मंगलोर बंदरगाह

- ➲ न्यू मंगलोर बंदरगाह को 1974 में 9वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया।
- ➲ 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। यह एकल बिंदु लंगर है। इसकी कुल क्षमता 87.63 एमटीपीए है।

कोच्चि बंदरगाह

- ➲ कोच्चि के इस आधुनिक बंदरगाह का विकास 1920-40 के दौरान सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों से किया गया था।
- ➲ 1930-31 तक इसे पोतों के लिए 30 फुट तक औपचारिक रूप से खोला गया था।
- ➲ इसे 1936 में प्रमुख बंदरगाह का दर्जा दिया गया। प्रमुख बंदरगाह न्यास कानून 1963 के तहत 1964 में इसका प्रशासन न्यासी बोर्ड के हाथों में था।
- ➲ कोच्चि बंदरगाह भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर स्थित है और पूर्व-पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंता की स्थिति में है।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह

- ➲ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण 1980 के दशक के मध्य में किया गया था।
- ➲ इसे 1989 में चालू किया गया था।
- ➲ इसने विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर वाले बंदरगाह का दर्जा हासिल कर लंबी विकास यात्रा तय की है।
- ➲ निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसी नई पहल के जरिए इसने भारत में बंदरगाह विकास का नमूना पेश किया है।
- ➲ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सभी मौसमों में काम कर सकता है। इसमें 12 बंदरगाह हैं। इसकी कुल क्षमता 89.37 एमटीपीए है।

मुंबई बंदरगाह

- ➲ मुंबई बंदरगाह पूर्णतः एकीकृत बहुउद्देशीय बंदरगाह है जिसमें कंटेनर, सूखा बल्क, तरल बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो है।
- ➲ इसमें व्यापक गीली और सूखी गोदी सुविधाएँ हैं। जिनसे यहाँ के जहाजों की सामान्य जरूरतें पूरी होती हैं। इसमें 33 बंदरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 65.33 एमटीपीए है।

चेन्नई बंदरगाह

- ➲ चेन्नई बंदरगाह हर मौसम में कार्य करने वाला कृत्रिम बंदरगाह है।
- ➲ इसमें एक आंतरिक और एक बाहरी बंदरगाह है। इसके अलावा

एक गोली गोदी तथा एक नौका घाटी है जहाँ 24 घटें नौवहन सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

- ⦿ इसमें 24 बंदरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 93.44 एमटीपीए है।
- ⦿ इसकी स्थापना 1875 में की गई थी।

मोरमुगाओ बंदरगाह

- ⦿ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह एक दशक से भी अधिक पुराना है।
- ⦿ आधुनिक बुनियादी सुविधाओं वाले इस बंदरगाह को कई प्रकार की कार्गो गतिविधियों में दक्षता हासिल है।
- ⦿ यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो ब्रेकवाटर के बाहरी छोर से बनाया गया था और घाट के समानांतर चलता है। सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे वाले इस बंदरगाह में काम करने के लिए प्रेरक माहौल है।

दीनदयाल बंदरगाह (कांडला)

- ⦿ दीनदयाल बंदरगाह (पूर्व नाम कांडला बंदरगाह) की स्थापना 1950 में केंद्र सरकार की परियोजना के रूप में की गई थी।
- ⦿ केंद्र सरकार ने एक बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए कांडला को अपने अधिकार में लिया था।

वी.ओ. चिंदबरनार बंदरगाह (तूतिकोरिन)

- ⦿ वी.ओ. चिंदबरनार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से भारत के दक्षिण-पूर्व तट पर पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग के निकट 8°45' अक्षांश उत्तर और देशांतर रेखांश 78°13' पूर्व पर स्थित है।

विशाखापट्टनम बंदरगाह

- ⦿ विशाखापट्टनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे 1933 में वाणिज्यिक नौवहन के लिए खोला गया।

कामराज बंदरगाह लिमिटेड (एन्नौर):

- ⦿ कामराज बंदरगाह लिमिटेड, जहाजरानी मंत्रालय के तहत संचालित 12वां प्रमुख बंदरगाह है।
- ⦿ इसकी स्थापना 2001 में मुख्य रूप से कोयला बंदरगाह के रूप में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की थर्मल कोल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन

- ⦿ भारत सबसे लंबे जहाजरानी और अंतर्राष्ट्रीय जल नेटवर्क वाले देशों में शामिल है।
- ⦿ राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

जल मार्ग विकास परियोजना

- ⦿ जल मार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण करता है।
- ⦿ इसका उद्देश्य गंगा-भगीरथी = हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी भाग पर राष्ट्रीय जल मार्ग की क्षमता बढ़ाना है।
- ⦿ यह कार्य विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया जा रहा है।

तटीय जहाजरानी

- ⦿ तटीय जहाजरानी से ईंधन की बचत होती है। यह पर्यावरण हितैषी है और सड़कों पर वाहनों की भीड़-भाड़ कम करने में मददगार है।

क्रूज नौवहन

- ⦿ दुनियाभर में 'क्रूज पर्यटन' का तेजी से विकास हो रहा है। इस प्रकार के आवास पर्यटन से काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।
- ⦿ उचित बुनियादी ढांचे और नीतियों से अनुकूल माहौल बनाकर इसे आय का साधन बनाया जा सकता है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

- ⦿ भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय के केंपस चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम में हैं।
- ⦿ 7 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त समुद्री प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों का भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में विलय कर दिया गया है।

अंडमान लक्ष्मीप हार्बर वर्क्स

- ⦿ जहाजरानी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय अंडमान, लक्ष्मीप हार्बर वर्क्स की स्थापना 1965 में अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्ष्मीप द्वीपसमूह की सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।
- ⦿ इसे इन द्वीप समूहों में बंदरगाह और पत्तन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नागर विमानन

- ⦿ नागर विमानन मंत्रालय पर देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी है।

- ➲ इस पर विमान अधिनियम, 1934; विमान नियम, 1937 और नागर विमानन क्षेत्र संबंधी अन्य कानूनों के लागू करने का उत्तरदायित्व भी है।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति

- ➲ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जून 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति अधिसूचित की गई।
- ➲ इसका उद्देश्य ऐसा पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना है। जिससे नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा मिले।
- ➲ इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सकेगा।

क्षेत्रीय संपर्क योजना

- ➲ क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान को राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में शामिल किया गया है। इसके दो उद्देश्य-संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और विमान यात्रा को सस्ता बनाना है।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

- ➲ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का गठन प्रारंभ में डीजीसीए की एक इकाई के रूप में 1978 में किया गया था।
- ➲ इस पर नागर विमानन सुरक्षा मामलों में समन्वय, निगरानी, निरीक्षण और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व है।
- ➲ 1987 में इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया। ब्यूरो, देश में नागर विमानन सुरक्षा नियामक की भूमिका निभाता है।
- ➲ इसे उड़ानों में टोड़-फोड़ निरोधक और पूर्व आरोहण सुरक्षा के लिए मानक तय करने और इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए वह नियमित निरीक्षण और सुरक्षा जाँच करता है।

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण

- ➲ भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 1995 में की गई थी।
- ➲ यह मिनी रत्न श्रेणी-I का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो देशभर में भवन उन्नयन और हवाईअड्डों के आधारभूत ढांचे का प्रबंधन और रखरखाव करता है।

एयर इंडिया

- ➲ एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का विलय कर एक कंपनी-भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी बनाई गई थी।

- ➲ इस विलय के बाद अस्तित्व में आई नई कंपनी को एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है।
- ➲ इसके विलय की तिथि 1 अप्रैल, 2007 है। इसका शुभंकर महाराजा को ही बनाए रखा गया।

पवन हंस लिमिटेड

- ➲ पवन हंस लिमिटेड को अक्टूबर 1985 में कंपनी अधिनियम के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में (हेलिकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से) निगमित किया गया था।
- ➲ इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- ➲ इसके अलावा पर्वतीय तथा दुर्गम इलाकों में सेवाएँ उपलब्ध कराना और चार्टर विमान उपलब्ध कराना है ताकि यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
- ➲ पवन हंस का पैंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में और कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

- ➲ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्रांड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली (उत्तर प्रदेश) के फुर्सतगंज में की गई थी।

भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण

- ➲ भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है।
- ➲ इसकी स्थापना 2009 में भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण कानून, 2008 के तहत की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

- ➲ राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
- ➲ इसकी स्थापना राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कानून, 2013 के अंतर्गत की गई है।
- ➲ यह उत्तर प्रदेश में रायबरेली के फुर्सतगंज में है। यह देश में विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तथा शोध का एक अग्रणी संस्थान है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित रेलवे मंडलों व अनेक मुख्यालयों के संबंध के कौन सा/से समेलित है/हैं-
- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| 1. उत्तर मध्य रेलवे | - | गोरखपुर |
| 2. पश्चिम मध्य रेलवे | - | जबलपुर |
| 3. उत्तर रेलवे | - | नई दिल्ली |
| 4. दक्षिण रेलवे | - | चेन्नई |
- कूट-
- (a) 1, 2 व 3
(b) 2, 3 व 4
(c) 1, 2 व 4
(d) 3 व 4
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
4. सेतु भारतम कार्यक्रम है-
- (a) सभी बारहमासी नदियों पर आवश्यकतानुसार कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए पुलों का निर्माण करना।
(b) एक निश्चित वर्ष तक सभी रेलवे क्रासिंग से राष्ट्रीय राजमार्गों को मुक्त करना
(c) हम्बनटोटा से कछरीवू द्वीप तक ब्रिज कनेक्टिविटी प्रदान करने की महत्वाकांच्छी परियोजना
(d) इनमें से कोई नहीं
5. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
1. भारत में वर्तमान में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं।
2. विशाखापत्नम बंदरगाह भारत का एक मात्र पत्न है जो कि तीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन हासिल कर चुका है।
- कूट-
- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
6. गगन परियोजना है-
- (a) जी.पी.एस संकेतों को अधिक सटीक और निर्बाध बनाने के लिए भू-संवर्धित नौवाहन प्रणाली।
(b) रूस की मदद से उनव श्रेणी के हेलीकाप्टरों के निर्माण की परियोजना।
(c) भारत सरकार की पूर्वोत्तर राज्यों को उड़ान आधारित कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना।
(d) एक युद्धक विमान निर्माण का प्रोटोटाइप जिसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है।

Answer Key:-

1. (b)

2. (d)

3.(a)

4.(b)

5.(c)

6.(a)

अध्याय

27.

जल संसाधन

- देश भर में या उसके किसी भी क्षेत्र में सालाना तौर पर जल उपलब्धता ज्यादातर विज्ञान और भूगर्भीय कारकों पर निर्भर करती है।
- समेकित जल संसाधन प्रबंधन के राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में वर्षा के माध्यम से प्रतिवर्ष 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल प्राप्त होता है। वाष्णव के उपरांत 1869 बीसीएम जल प्राकृतिक तौर पर बचता है।
- भूगर्भीय और अन्य कारकों से, प्रतिवर्ष इस्तेमाल किए जा सकने वाले जल की मात्रा 1,137 बीसीएम रह जाती है जिसमें 690 बीसीएम सतह का और 447 बीसीएम पुनः इस्तेमाल किया जा सकने वाला भू-जल होता है।
- वर्ष 2001 और 2011 में प्रतिव्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता क्रमशः 1,820 क्यूबिक मीटर्स और 1,545 क्यूबिक मीटर्स आंकी गई थी जिसके 2025 और 2050 वर्षों में घटकर क्रमशः 1,340 और 1,140 क्यूबिक मीटर्स तक रह जाएगी।
- वार्षिक तौर पर प्रतिव्यक्ति 1,700 क्यूबिक मीटर्स से कम जल उपलब्धता उसकी कमी वाली स्थिति मानी जाती है, जबकि सालाना प्रतिव्यक्ति 1,000 क्यूबिक मीटर्स से कम जल उपलब्धता को जलाभाव की स्थिति माना जाता है।

राष्ट्रीय जल नीति

- ⌚ राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी। इस नीति के तहत देश में जल स्रोतों के संरक्षण, विकास एवं उनके रखरखाव के लिए कई सिफारिशें दी गई थीं।
- ⌚ इसमें मुख्य जोर राष्ट्रीय जल संरचना कानून पर है; अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए व्यापक योजना; विभिन्न कार्यों के लिए पानी के उचित इस्तेमाल के लिए मानदंड स्थापित करना; प्रत्येक राज्य द्वारा जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना और जल के पुनः इस्तेमाल और री-साइकिल करने को प्रोत्साहन देना है।

राष्ट्रीय जल मिशन

- ⌚ जलवायु परिवर्तन और संबंधित विषयों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) की तैयारी की है, जिसके अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशनों के जरिए जलवायु परिवर्तन के असर से उपजी चुनौतियों को सामना करने हेतु तैयारियां की जाएंगी। इनमें से एक राष्ट्रीय जल मिशन है।
- ⌚ राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य है 'जल संरक्षण, अपव्यय से बचाना और समेकित जल स्रोत विकास और प्रबंधन के माध्यम

से राज्यों के अंदर और बाहर जल की बराबर आपूर्ति करना'।

- ⌚ मिशन के पाँच निर्धारित लक्ष्य हैं:
 1. जन क्षेत्रों में व्यापक जल डाटा बेस तैयार करना और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन;
 2. जल संरक्षण, वृद्धि और बचाव के लिए नागरिकों और राज्य की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना;
 3. अति-दोहित क्षेत्रों सहित अन्य असुरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना;
 4. जल इस्तेमाल में मितव्ययिता में 20 प्रतिशत सुधार और
 5. जलाशय स्तर के जल स्रोतों के प्रबंधन को प्रोत्साहन।
- ⌚ इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहभागियों के सक्रिय सहयोग के साथ स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन के आधार पर विभिन्न नीतियां अपनाई गई हैं।

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन

- ⌚ गंगा घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ केवल भारत में ही 400 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इससे भारत की 28 प्रतिशत जलापूर्ति होती है और इसके दायरे में भारत का 26 प्रतिशत भू-क्षेत्र के साथ 43 प्रतिशत जनसंख्या आती है।

- ➲ गंगा का प्रमुख प्रवाह पाँच राज्यों से होकर निकलता है, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल होते हुए, 2,525 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। गंगा घाटी में इसकी सभी उपधाराओं की गिनती भी होती है जो देश के 11 राज्यों में एक मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं।
- ➲ गंगा घाटी पूरी तरह 'जलीय सभ्यता' है, जहाँ नदी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण और उसकी विध्वंसक क्षमता पर रोक लगाना स्थायी एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से जरूरी है।
- ➲ इसके अलावा, नदी में घड़ियाल, कछुए, गंगा डॉल्फिन और सुनहरी महसीर आदि जीव भी इसमें पाए जाते हैं।
- ➲ धार्मिक/आध्यात्मिक अवसरों पर लाखों लोग गंगा किनारे जुटते हैं और वहाँ पूजा-अर्चना तथा स्नान करते हैं, इसलिए उनके लिए स्वच्छ गंगा का बड़ा महत्व है।
- ➲ वर्ष 2013 में 120 मिलियन लोग प्रयागराज कुंभ में पहुँचे थे, जो अब तक एक स्थान पर जुटा दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह रहा।
- ➲ हालाँकि, इसके अमलीकरण में कई सीमाएँ भी रहीं-
 - (1) अपर्याप्त निवेश,
 - (2) स्थापित क्षमता का अधूरा इस्तेमाल,
 - (3) स्थानीय निकायों का अल्प स्वामित्व,
 - (4) दीर्घकालिक विलंब और कमज़ोर संप्रेषण- जिस कारण जनसंपर्क असफल रहा।
- ➲ 2015 में 'नमामि गंगे' नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
- ➲ 2016 में, गंगा नदी (पुनर्नवीकरण, रक्षक और रखरखाव) प्राधिकरण आदेश 2016, एनजीआरबीए को नमामि गंगे के तौर पर एक प्राधिकरण में भी बदला गया है।
- ➲ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को भी एक प्राधिकरण के रूप में बदला गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

- ➲ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरूआत देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता देने के लक्ष्य से 1996-97 में की गई थी।
- ➲ इसका लक्ष्य यह भी था कि जिन राज्यों के पास ऐसी योजनाओं के लिए उचित स्रोत नहीं हैं या जहाँ यह पूर्ण होने वाले हैं, उन्हें भी तुंरत सहायता पहुँचाई जा सके।
- ➲ इसमें प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी गई जो पांचवीं योजना से पहले या उसके दौरान शुरू की गई हों, और उन्हें भी जो कबीलायी या अकाल पीड़ित इलाकों के हित में काम

कर रही हों।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- ➲ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरूआत 2015-16 से की गई। इसका लक्ष्य सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना, खेत जल के इस्तेमाल में मितव्यता बरतना, स्थायी जल संरक्षण अभ्यासों को अपनाना आदि रहा है।
- ➲ इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश अभिसरण (जिला स्तर पर और यदि आवश्यक हुआ तो जल उपयोग योजनाओं की उप-जिला स्तर पर तैयारी);
- ➲ खेत में जलापूर्ति को बढ़ावा और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विकास;
- ➲ खेत में मौजूद जल के इस्तेमाल में सुधार जिससे वह व्यर्थ न जाए और उसकी अवधि तथा प्रसार दोनों की उपलब्धता बढ़े;
- ➲ जलभूत का पुनःभरण और जल संरक्षण से जुड़े स्थायी उपायों का आरंभ;
- ➲ किसानों और जमीनी स्तर पर कार्यकारियों के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल एकत्रीकरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और
- ➲ सूक्ष्म सिंचाई में निजी निवेश को बढ़ावा देना है।
- ➲ केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम की शुरूआत 1974-75 में किसानों के खलिहानों तक सिंचाई जल को सुचारू तरीके से पहुँचाने के लिए विकसित किया गया था।
- ➲ इसका लक्ष्य किसानों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रति यूनिट भूमि और जल से उपजने वाली जोत के उत्पादन और उत्पादन क्षमता के लिए जल के इस्तेमाल में बढ़ावा देना है।
- ➲ सीएडी अंश के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को वृहत तौर पर 'संरचनात्मक' और 'गैर-संरचनात्मक' हस्तक्षेप के तौर पर श्रेणीगत किया गया, जो इस प्रकार है: 'संरचनात्मक' और 'गैर-संरचनात्मक' हस्तक्षेप के तौर पर श्रेणीगत किया गया, जो इस प्रकार है: संरचनात्मक हस्तक्षेप: सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइन एवं कार्यान्वयन:

 - ऑन-फार्म डेवलपमेंट (ओएफडी) कार्य:
 - खेत, मध्यवर्ती एवं संपर्क नालों का निर्माण;
 - व्यवस्थागत कमियों का निवारण; और
 - जलप्लावित क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति।

- ➲ गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेप: इसमें सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधियों संचालित होती हैं;

- पँजीकृत जल उपभोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को एक बार कार्यात्मक अनुदान;
- पँजीकृत डब्ल्यूयूए को एक बार अवंसरचना अनुदान;
- जल उपभोग में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूलन विधियां और साथ ही, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्थायी सिंचाई सहभागिता परिवेश विकास।
- सिंचाई में जल उपभोग में मितव्यविता बरतने के लिए राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जाता है ताकि वह फील्ड चैनलों के विकल्प के तौर पर लघु-सिंचाई में स्प्रिंक्लर/ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से जुड़ी व्यवस्था की शुरूआत करें।
- प्रत्येक परियोजना के कम-से-कम 10 प्रतिशत सीसीए को लघु-सिंचाई के दायरे में लाया जाता है।
- लघु-सिंचाई अवंसरचना में जल वहन और खेत कार्यों के लिए सम्पर्क, हाई-डेन्सिटी पॉलीथीन और उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।

फरक्का बैराज परियोजना

- फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में है। यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा मंत्रालय के अधीनस्थ है। फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण 1961 में स्थापित किया गया था।
- इसके पास फरक्का बैराज परियोजना कॉम्प्लेक्स को बनाने एवं उसके बाद उसे चलाने और रखरखाव के अधिकार हैं।
- इस परियोजना में फरक्का बैराज, जंगीपुर बैराज, फीडर केनाल, नेविगेशन लॉक एवं संबंधित ढांचे आते हैं।
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा से उचित मात्रा में जल भागीरथी-हुगली नदी समूह में छोड़ना है, जिसके लिए 38.38 कि.मी. लंबी फीडर केनाल के जरिए कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण और देखभाल की जाती है।
- इसके लिए भागीरथी-हुगली नदियों की व्यवस्था और नौ-परिवहन में सुधार किया जाता है।

भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सहयोग

- भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सहयोग (जेआरसी) 1972 से कार्यरत है।
- इसका मुख्य कार्य संयुक्त नदी व्यवस्था से एक समान लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए संपर्क साधे रखना है।
- इसके लिए भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने 1996 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे ताकि जल की कमी वाले मौसम में फरक्का के माध्यम से गंगा जल साझा किया जा सके।
- संधि के अनुसार, फरक्का (नदी पर स्थापित अंतिम बांध) से जल बांटा जाता है। संधि की अवधि 30 वर्षों की है। जल

आंवटन पर दोनों ओर से जेआरसी की संयुक्त समिति के सदस्य नजर रखते हैं।

भारत-नेपाल जल संसाधन सहयोग

- नेपाल से भारत आने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ पर रोक लगाना अक्सर चिंता का विषय होता है और इससे संबंधित विषयों पर भारत-नेपाल द्विपक्षीय प्रणाली विमर्श करती है।
- जिसमें हैं; (1) जल संसाधन के लिए मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), (2) जल संसाधन पर संयुक्त आयोग (जेसीडब्ल्यूआर), और (3) संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी), (4) बाढ़ प्रबंधन में जल प्लावन पर संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम), (5) कोसी गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी)।
- भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार से इन नदियों पर बांध बनाए जाने पर जोर दे रही है जिससे दोनों देशों को आपसी लाभ पहुँच सकता है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड

राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

- छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटी आरआई) केंद्रीय भूजल बोर्ड की प्रशिक्षण इकाई है।
- यह केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्र एवं राज्य सरकारों के अन्य संगठनों, अकादमिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों की प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करता है।
- जलभर प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई त्रिस्तरीय (राष्ट्रीय, राज्यीय एवं ब्लॉक स्तर) प्रशिक्षण कार्यक्रम को अमल में आ रहा है।

केंद्रीय जल आयोग

- केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार का कोई पदेन अधिकारी होता है।
- आयोग के कार्य मुख्यतः तीन खंडों में बंटे हैं, जो हैं, डिजाइन एवं शोध खंड (डी एंड आर), जल प्रबंधन एवं परियोजना खंड (डब्ल्यूपी एंड पी) और नदी प्रबंधन खंड (आरएम)।
- प्रत्येक खंड में कई इकाइयां/संगठन आते हैं और वह उन्हें प्रदान किए गए कार्यों एवं कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं।
- जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और राज्य सरकार के विभागों के साथ कुशल तालमेल के लिए सीडब्ल्यूसी ने 13 स्थानीय कार्यालय स्थापित किए हैं।
- ये कार्यालय बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर,

- दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना शिलांग, सिलिगुड़ी एवं गाँधी नगर में हैं।
- ⦿ केंद्रीय एवं राज्य के कार्यरत अभियांत्रिकों एवं गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रशिक्षण के लिए सीडब्ल्यूसी के प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में स्थित है।

बाढ़ का पूर्वानुमान

- ⦿ देश में प्रमुख बांधों/बैराजों से जुड़े 221 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र हैं, जिनमें से 166 समस्त पूर्वानुमान एवं 55 अंतर्वाह पूर्वानुमान केंद्र हैं। ये देश के 19 प्रमुख नदी केंद्रों और 72 नदी उप-घाटियों का अध्ययन करते हैं।
- ⦿ ये 20 राज्यों में कार्यरत हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश, दादर और नागर हवेली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हैं।
- ⦿ केंद्रीय जल आयोग प्रतिवर्ष बाढ़ के मौसम में औसतन 6,000 पूर्वानुमान घोषित करता है। नदी प्रदेश को, बाढ़ पूर्वानुमान स्थान और बेस स्टेशन को देखते हुए यह पूर्वानुमान 12 से 48 घंटे पहले घोषित कर दिए जाते हैं।
- ⦿ मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान कार्य प्रणाली को माइक-11 और एसिया इंडेशन मॉडलिंग जैसे वर्षा-अतिरिक्त बहाव गणितीय मॉडल की मदद से आधुनिक रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे

- ⦿ राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) एक प्रशिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत खड़कवासला, पुणे में की गई थी।
- ⦿ एनडब्ल्यूए का मुख्य लक्ष्य जल संसाधन योजना, विकास, प्रबंधन एवं सांगठनिक सुधार क्षेत्र के विभिन्न पक्षों से जुड़ा प्रशिक्षण देने का है।
- ⦿ संस्थान का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर नई उभरती तकनीकों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाए।
- ⦿ एनडब्ल्यूए जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी और गैर-तकनीकी पक्षों से जुड़े सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- ⦿ 1988 में स्थापना के बाद से डब्ल्यूए ने जल संसाधन क्षेत्र में सभी कर्मियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण में अद्वितीय योगदान दिया है।
- ⦿ इसमें राष्ट्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा अधिकारों के लिए केडर

प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य संगठनों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम; अध्यापकों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई), मीडियाकर्मियों, युवा प्रतिनिधियों आदि सभी सहभागियों के लिए भी कार्यक्रम संचालित करता है।

केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

- ⦿ नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) भू-तकनीकी अभियांत्रिकी एवं सिविल इंजीनियरी के क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला जाँच और मूल तथा प्रायोगिक कार्य करने वाला अग्रणी संस्थान है।
- ⦿ यह कार्य विशेषकर नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण एवं बांधों की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
- ⦿ अनुसंधानशाला मुख्यतः भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार ने उपक्रमों के सलाहकार के तौर पर काम करता है।
- ⦿ अनुसंधानशाला में बहतरीन सुविधाएँ और उच्च योग्यता वाले अधिकारी हैं और इसने भू-तकनीकी अभियांत्रिकी और निर्माण सामग्री वर्णन के क्षेत्र में देश में विशिष्ट क्षमताएँ हासिल की हैं।
- ⦿ अनुसंधानशाला मौजूदा जलीय ढांचों और विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के सुरक्षा आकलन से जुड़ी है जिनमें पड़ोसी देशों भूतान और नेपाल की परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

- ⦿ गंगा घाटी में बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझने के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीबी) की स्थापना की गई थी।
- ⦿ इसके कार्य हैं: व्यापक नीतियां बनाना और विभिन्न योजनाओं पर प्राथमिकता के अनुसार निर्णय लेना; गंगा घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजना के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करना और योजनाओं को पारित करना।
- ⦿ गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आने वाला विभाग है जिसका मुख्यालय पटना में है।
- ⦿ इसकी स्थापना भी 1972 में गंगा घाटी राज्यों में बाढ़ से जूझने के लिए एक सचिवालय एवं कार्यकारी शाखा के तौर पर हुई थी।
- ⦿ गंगा घाटी के 11 राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हैं।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

- ➲ सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) की स्थापना भारत सरकार ने सिंतबर 1980 में नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (एनडब्ल्यूडीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार की थी।
- ➲ एसएससीएसी के कार्यों में: बांध एवं बिजलीघर परियोजनाओं का आकलन और इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनुमोदित करना;
- ➲ तकनीकी बारीकियों एवं डिजाइन से जुड़े सभी प्रस्तावों का आकलन और उनकी सिफारिश;
- ➲ परित्र प्रोग्राम के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए वित्त से जुड़ी जरूरतों का आकलन;
- ➲ जिन कार्यों के अधिकार परियोजना अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों, उन अनुबंधों और खर्चों से जुड़ी सिफारिशों और आकलन का कार्य।

तुंगभद्रा बोर्ड

- ➲ तुंगभद्रा बोर्ड की शुरूआत 1953 में हुई थी। बोर्ड में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- ➲ नियत कार्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड राज्य सरकार के अधिकारों का पालन करता है। अपने कार्य व्यापार को पूरा करने के लिए बोर्ड अपने नियम निर्धारित करता है।
- ➲ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सरकारों निर्धारित अनुपात में वित्तीय सहयोग देती है और इसके निश्चित पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की आपूर्ति भी करता है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

- ➲ ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक स्वायत्त वैधानिक इकाई है जिसकी शुरूआत 1982 में हुई थी।
- ➲ ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी दोनों आते हैं। इसके अतिरिक्त, समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम एवं ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाला पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

- ➲ राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रायद्वीपीय घटकों के भीतरी संबंधों की व्यावहारिकता के अध्ययन के लिए की गई थी।
- ➲ एनडब्ल्यूडीए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- ➲ एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में समय-समय पर बदलाव लाया गया है और इसके मौजूदा कार्य हैं:

 1. संभावित जलकुंड क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण और शृंखला

को प्रस्ताविक प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास के घटकों से जोड़ना जिससे जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिदृश्य के अवयव तैयार हो सकें;

2. प्रायद्वीपीय नदी एवं हिमायली नदी क्षेत्रों में मौजूद अधिकांश जल का विस्तृत अध्ययन करना ताकि उसे निकट भविष्य में घाटियों/राज्यों की उचित जरूरतें पूरी करने के लिए वहाँ स्थानांतरित किया जा सके;
3. अपने या निर्धारित एजेंसी/संगठन/लोक विभाग अथवा कंपनी के आधार परियोजनाओं की जिम्मेदारी/निर्माण मरम्मत/नवीकरण/पुनर्वास/अमल में लाना तथा नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड

- ➲ नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (एनडब्ल्यूडीटी) की स्थापना 1969 में नर्मदा से जुड़े जल विवाद पर निर्णय देने के लिए की गई थी।
- ➲ ट्रिब्यूनल ने अपने निर्देश एवं निर्णयों को अमल में लाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है।
- ➲ इसी तरह, केंद्र सरकार ने नर्मदा जल योजना को नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी (एनसीए) के साथ संलग्न किया है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

- ➲ राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) की स्थापना 1978 में मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के तौर पर हुई थी।
- ➲ यह जलविज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में सभी विषयों में अनुसंधान का बुनियादी, व्यावहारिक और कूटनीतिक दायित्व, सहयोग, प्रोत्साहन और संयोजन करता है।
- ➲ संस्थान का मुख्यालय उत्तराखण्ड के रुड़की में है। देश के भिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय अनुसंधान के लिए, संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। ये केंद्र बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा और भोपाल में हैं।
- ➲ बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए दो केंद्र गुवाहाटी और पटना में हैं।

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- ➲ नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1957 में देश का आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसरंचना निर्माण के लिए एक अग्रणी संस्था के तौर पर की गई थी।
- ➲ थर्मल एवं हाइड्रो परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं, औद्योगिक ढांचों, इमारतों, मकानों, मार्गों, पुलों और अवसरंचना परियोजनाओं जैसे सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए एनपीसीसी आईएसओ 9001-2008 के गुणवत्ता मानकों की शर्तों का पालन करता है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

- 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

 - जलवायु परिवर्तन और संबंधित मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा आठ मिशनों को समेकित करके जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) का निर्माण किया है।
 - राष्ट्रीय जल मिशन NAPCC के आठ मिशनों में से एक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

 - केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2 दोनों
 - न तो 1 न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 - वर्ष 1985 में भारत सरकार ने जल संसाधन की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था।
 - राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय जल मंत्री होता है।
 - राष्ट्रीय जल बोर्ड

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

 - 1 व 2
 - 2 व 3
 - केवल 3
 - 1, 2 व 3

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है/हैं

 - मानसून पर कृषि की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया है।
 - योजना में जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की विभिन्न जल संरक्षण, संचयन एवं भूमिजल संवर्धन तथा जल वितरण कार्यों को समेकित किया गया है।

4. कूट-

 - केवल 1
 - केवल 2
 - 1 व 2 दोनों
 - न तो 1 न ही 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 - भारतीय संविधान के अनुसार जल राज्य सूची का विषय है।
 - केंद्रीय जल आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी संगठन के रूप में किया गया था।
 - वर्ष 1945 से यह आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

 - केवल 1
 - 1 व 2
 - 1 व 3
 - 1, 2 व 3

5. राष्ट्रीय जल नीति 2012 के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन-सा/से है/हैं-

 - यह नीति राष्ट्रीय जल ढांचागत कानून को प्रभावी बनाने हेतु अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी बेसिनों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में सुधार की की आवश्यकता पर जोर देती है।
 - नीति के अनुसार नदी प्रवाह का एक हिस्सा परिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के के लिए अलग रखा जाना चाहिए।
 - नीति केंद्र राज्य व जिला स्तर पर जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की संस्तुति करती है।

कूट-

 - 1 व 2
 - 1 व 3
 - 2 व 3
 - 1, 2 व 3

Answer Key:-

1. (c)

2. (c)

3.(c)

4.(d)

5.(d)

अध्याय 28.

कल्याण

- सन् 1985-86 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय को दो भागों में बांटकर महिला एवं बाल विकास और कल्याण विभाग बना दिया गया। साथ ही तत्कालीन कल्याण मंत्रालय का गठन करने के लिए अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, आदिवासी विकास प्रभाग और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय से तथा वक्फ प्रभाग को विधि मंत्रालय से हटा दिया गया।
- इसके अलावा मंत्रालय का नाम बदलकर मई 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया।
- अक्टूबर 1999 में एक पृथक आदिवासी मामलों का मंत्रालय बनाने के लिए आदिवासी विकास प्रभाग को हटा दिया गया।
- जनवरी 2007 में वक्फ इकाई के साथ अल्पसंख्यक प्रभाग को मंत्रालय से हटा कर एक अलग मंत्रालय बना दिया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दो विभागों में बांट दिया गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने का विभाग।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

- अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इनमें से एक विशेष रूप से इसे रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं:
 1. छुआछूत और
 2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार, इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए:
 - (i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
 - (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 महत्वपूर्ण है।

नागरिक अधिकारों का संरक्षण

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का पालन करते हुए, छुआछूत (अपराध) कानून 1955 बनाया गया।
- इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और वर्ष 1976 में इसे नया नाम 'नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 1955' दिया गया।
- इस कानून के अंतर्गत नियमों, यानी 'नागरिक अधिकार संरक्षण नियमों, 1977' को 1977 में अधिसूचित किया गया।
- यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ और इसमें छुआछूत के लिए सजा की व्यवस्था की गई। सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों ने इसे लागू किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून 1989 (अत्याचारों की रोकथाम कानून) को 1990 में लागू किया गया।
- इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधों को रोकना था।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- राष्ट्रीय अजा. और राष्ट्रीय अजजा. आयोग की स्थापना 1990 में संविधान के अनुच्छेद 383 के अंतर्गत की गई थी उसे 89वें संविधान (संशोधन) कानून 2003 के बाद दो भागों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया।
- एनसीएससी के कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 (5) में इस प्रकार बताये गए हैं:-
 - (क) संविधान के अंतर्गत अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदत्त सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की जांच और निगरानी करना और ऐसी सुरक्षा का मूल्यांकन;

- (ख) अनुसूचित जातियों को अधिकारों और संरक्षण से वंचित करने के संबंध में कुछ विशेष शिकायतों की जांच करना।
- (ग) अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह तथा केन्द्र और किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (घ) इन संरक्षणों की कार्यप्रणाली की जानकारी हर वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, और किसी अन्य समय पर जब आयोग उचित समझे,;
- (इ) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन संरक्षणों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में रिपोर्ट, सिफारिशें तैयार करना और
- (च) संरक्षण, कल्याण, विकास और अनुसूचित जातियों की तरक्की के बारे में अन्य कार्यों को करने के लिए जैसा कि राष्ट्रपति की आज्ञा हो, विनिर्दिष्ट नियमों द्वारा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

- इस योजना में संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले वास्तविक, मासिक रखरखाव भत्ते, वीजा शुल्क और बीमा प्रीमियम आदि वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ते का शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था है।
- योजना के अंतर्गत एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो बच्चे इसका लाभ लेने के पात्र हैं। उसी माता-पिता/अभिभावक के दूसरे बच्चे के बारे में तभी विचार किया जाएगा। यदि उस वर्ष के लिए निर्धारित स्थान अभी भी उपलब्ध है।
- छात्रवृत्ति लेने वाले की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष कुल 100 छात्रवृत्तियां (अधिकतम) दी जाती हैं।
- चयन का वर्ष 2014-15 से लागू किया गया है और 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

- इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को एम.फिल., पीएच.डी और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में बराबर इनके अनुसंधान डिग्री के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

- योजना को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रमुख एजेंसी है।
- अनुसूचित जाति के छात्रों को करीब 2,000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) दी जाती है। फेलोशिप की संख्या 2010 में 1,333 थी जिसे बढ़ाकर 2011 में 2,000 कर दिया गया।

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता

- अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) के इक्विटी शेयर में हिस्सेदार बनने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 49.51 के अनुपात (केंद्र/राज्य) में 1979 में शुरू की गई।
- इस समय एससीडीसी 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है।
- एससीडीसी का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजना के लिए प्रेरित करना, ऋण सहायता के लिए योजनाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए प्रायोजित करना, कम ब्याज दर और सब्सिडी पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि भुगतान देनदारी को कम किया जा सके और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को साथ जोड़ा जा सके।
- निगम ऋण प्रदान करने और मार्जिन मनी ऋण के रूप में निवेश तथा लक्षित समूह को सब्सिडी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना कंपनी कानून 2013 (पूर्व में कंपनी कानून, 1956 के अनुच्छेद 25) के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत फरवरी 1989 में की गई थी।
- एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीबी रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपये प्रतिवर्ष और शहरी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपये) से नीचे रह रहे लक्षित समूह के युवकों को उनके आर्थिक विकास के लिए कौशल और उद्यम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है।

दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

- इस विभाग को 08.12.2014 को दिव्यांग जन को अधिकार संपन्न बनाने के विभाग के रूप में नया नाम दिया गया।
- यह विभाग दिव्यांगता से जुड़े मामलों के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग

दिव्यांग थे। (जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है) दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी में से करीब 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं।

- इनमें नेत्रहीन, बहरे, स्पीच और लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, मंद बुद्धि, बहु-दिव्यांगता और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना के जरिए अन्य बातों के अलावा अपने सभी नागरिकों को: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी, आस्था, विश्वास और आराधना; ओहदे और अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है।
- संविधान का भाग-III सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है (और कुछ मामलों में गैर-नागरिकों को भी)।
- इनमें शामिल है-
 - समानता का अधिकार;
 - स्वतंत्रता का अधिकार;
 - सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार;
 - धर्मिक आजादी का अधिकार;
 - सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार;
 - संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
- ये सभी अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं हालांकि ऐसे व्यक्तियों का संविधान के इस हिस्से में कोई विशेष जिक्र नहीं है।
- संविधान के भाग-IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। गैर-न्यायिक होने के बावजूद, इन्हें देश के शासन में मौलिक सिद्धांत घोषित किया गया है।
- ये सिद्धांत राज्य नीति के लिए अनिवार्य हैं। वास्तव में इनकी प्रकृति निर्देश देने संबंधी है जो भविष्य में विधानमंडलों और कार्यकारिणी शक्ति को उनके मार्गदर्शन के लिए जारी किए जाएंगे।
- अनुच्छेद, 41 काम करने का अधिकार, कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है।
- राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे के भीतर, काम करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के लिए और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता और अनुपयुक्त मांग के अन्य मामलों में प्रभावी प्रावधान बनाने होंगे।
- इसके अलावा अनुच्छेद 243-जी की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की 12वीं अनुसूची जो आर्थिक विकास

और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में क्रमशः पंचायतों और नगर निगमों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ी है, उसमें समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के बीच दिव्यांगों के कल्याण और हितों की रक्षा शामिल है।

- इस अनुसूची के संबद्ध निष्कर्षों को नीचे दोबारा तैयार किया गया है।
 - अनुच्छेद 243-जी की 11वीं अनुसूची;
 - दिव्यांग और मंदबुद्धि के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण (प्रविष्ट संख्या 26);
 - अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की 12 वीं अनुसूची और
 - दिव्यांगों और मंदबुद्धि सहित समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा (प्रविष्ट संख्या 9)।
- विभाग दिव्यांगता और कल्याण तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के विभिन्न पहलुओं से जुड़े निम्नलिखित कानूनों को देखता है:-
- भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, 1992;
- दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995; और
- ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-दिव्यांगता कानून, 1999

दिव्यांग व्यक्ति

- दिव्यांग व्यक्तियों के अनुच्छेद 2 (टी) कानून 1995 में 40 प्रतिशत तक की किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करने के रूप में परिभाषित किया गया है।

दिव्यांगता:	
नेत्रहीनता,	कम दिखाई देना,
उपचारित कुष्ठ रोग,	सुनने में परेशानी,
लोको-मोटर दिव्यांगता,	मानसिक बीमारी,
मंद बुद्धि,	ऑटिज्म,
सैरीब्रल पाल्सी।	

- अनुच्छेद 2 (झ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून, 1995 को ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-दिव्यांगता कानून, 1999 के अनुच्छेद 2 (झ) के साथ पढ़ा जाए।

मानसिक स्वास्थ्य कानून

- दिव्यांगत (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995 के अंतर्गत मानसिक बीमारी को एक प्रकार की दिव्यांगता के रूप में मान्यता दी गई।

- ➲ मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज और देखभाल मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987 से संचालित है। यह कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लागू किया है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून

- ➲ एक विस्तृत कानून, जिसे दिव्यांगता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून नाम दिया गया, उसे 1995 में बनाया गया और इसे फरवरी 1996 में लागू किया गया।
- ➲ यह कानून रोकथाम और पुनर्वास को बढ़ावा देने के पहलुओं जैसे- शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाधा मुक्त माहौल तैयार करने, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और बेरोजगारी भत्ता जैसे सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय केंद्र और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र द्वारा निपटाया जाता है।
- ➲ ऑटिज्म, सैरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय और बहु-दिव्यांगता: राष्ट्रीय न्याय ऑटिज्म, सैरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-दिव्यांगता कानून, 1999 के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है।

राष्ट्रीय संस्थाएं

- ❑ राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान, देहरादून,
- ❑ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकल हैंडीकॉप एंड, कोलकाता,
- ❑ अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई,
- ❑ मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद,
- ❑ राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक,
- ❑ शारीरिक विकलांगता स्थान, नई दिल्ली,
- ❑ विविध विकलांगता वाले लोगों के शक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई।

जनजातीय मामले

- ➲ सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को विभाजित करने के बाद 1999 में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया।
- ➲ जिसका उद्देश्य भारतीय समाज के सबसे उपेक्षित, अनुसूचित जनजातियों (अजजा.) के समन्वित सामाजिक-आर्थिक विकास के बारे में एक समन्वित और नियोजित तरीके से अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना है।
- ➲ मंत्रालय के गठन से पूर्व आदिवासी मामलों का प्रबंधन अलग-अलग समय पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाता था।

- ➲ सम्पूर्ण नीति, योजना और अनुसूचित अजजा. के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रमों का यह शोर्ष मंत्रालय है।
- ➲ इस मंत्रालय ने उन क्रियाकलापों को हाथ में लिया है जो भारत सरकार के नियमों, 1961 के अंतर्गत आर्वाटि (कार्य का आवंटन) विषयों का पालन करते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

- ➲ अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत समूहों में रहती हैं इसलिए विकास गतिविधियों के लिए क्षेत्रवार दृष्टिकोण सरलता से अपनाया जा सकता है और उनके हितों की रक्षा के लिए नियमक प्रावधान भी अपनाए जा सकते हैं।
- ➲ भूमि हस्तांतरण और अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- ➲ संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची अनुसूचित इलाकों को ऐसे इलाकों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राज्य के राज्याल के साथ विचार-विमर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित इलाकों के रूप में घोषित किया जा सकता है।
- ➲ संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के अंतर्गत छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के उन इलाकों से है जिन्हें जनजातीय इलाकों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे इलाकों के लिए जिला परिषदें अथवा क्षेत्रीय परिषदें प्रदान की गई हैं।
- ➲ इन परिषदों को व्यापक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- ➲ पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र; किसी भी इलाके को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित इलाके के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड हैं; किसी भी इलाके को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित इलाके के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड हैं:
 - (क) जनजातीय आबादी की प्रचुरता,
 - (ख) इलाके की सघनता और उपयुक्त आकार,
 - (ग) एक व्यवहार्य प्रशासनिक संस्था जैसे- जिला, ब्लॉक अथवा तालुक और
 - (घ) पड़ोसी इलाकों की तुलना में उस इलाके में आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्रों के लाभ

- | |
|---|
| ❑ जनजातीय लोगों से भूमि के हस्तांतरण पर रोक अथवा प्रतिबंध; |
| ❑ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने के व्यवसाय को नियंत्रित करना। |

- ऐसा कोई नियम बनाने में, राज्यपाल, संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है जो उस क्षेत्र के संबंध में लागू होता है।

अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया

- अनुच्छेद 366 (25) के अंतर्गत भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐसी जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजातीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसाकि संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत माना गया।
- अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
- अनुच्छेद 342 (1) के मामले में किसी भी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश, और जहां यह राज्य है, के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श करने के बाद जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा उसके कुछ हिस्से को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं।
- यह जनजातीय अथवा उसके कुछ हिस्से को सांविधानिक दर्जा देता है जिसमें संविधान में इन समुदायों को इनके संबद्ध राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सुरक्षा प्रदान की गई है।
- अतः अनुच्छेद 342(1) के मामले में के बल ऐसे समुदाय जिन्हें एक प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से घोषित किया गया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
- सूची में भविष्य में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद के कानून (अनुच्छेद 342 (2)) के जरिए किया जाएगा।

जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करना/हटाना

- अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए आमतौर से अपनाए जाने वाले मापदंड हैं:
 - (क) प्रारंभिक लक्षणों के संकेत;
 - (ख) विशेष संस्कृत;
 - (ग) समुदाय के साथ संपर्क बनाने में संकोच;
 - (घ) भौगोलिक रूप से अलग-थलग यानी पिछड़ापन।
- इसमें 1931 की जनगणना, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर समिति), 1955,
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियों के संशोधन समिति सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 और

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों के बारे में संसद की संयुक्त समिति (संशोधन) विधेयक, 1967 और (चंदा समिति), 1969 की परिभाषाओं को ध्यान में रखा गया है।

अनुसूचित जनजाति के दर्जे का पता लगाना

- वह व्यक्ति और उसके माता पिता उस समुदाय से संबंध रखते हैं जिसका उसने दावा किया है;
- समुदाय को संबद्ध राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया है;
- वह व्यक्ति उस राज्य और राज्य के भीतर किसी इलाके से संबंध रखता है जिसमें समुदाय को अनुसूचित किया गया है;
- वह किसी भी धर्म का हो सकता है;
- उसे या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि को इस संबंध में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए;
- जो व्यक्ति इस मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थायी रूप से दूर था, उदाहरण के लिए वह आजीविका कमाने अथवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ था उसे भी अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यदि उसकी जनजाति को उसके गृह राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में उस आदेश में निर्दिष्ट किया गया है;
- लेकिन उसे उसके अस्थायी निवास स्थान के संबंध में ऐसा नहीं माना जा सकता, चाहे उस राज्य के संबंध में उसकी जनजाति का नाम राष्ट्रपति के किसी भी आदेश में अनुसूचित किया गया हो जहां वह अस्थाई रूप से बस गया है;
- राष्ट्रपति के संबद्ध आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद जन्मे व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए उनका रहने का स्थान राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय उनके माता-पिता का स्थायी निवास होना चाहिए जिसके अंतर्गत वे उस जनजाति से तालुक रखने का दावा कर सकते हैं।
- यह लक्ष्यद्वारा के अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता जिनके लिए यह जरूरी है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के लिए उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में ही जन्म लिया हो।

- ➲ निर्देशक सिद्धांत यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है लेकिन उसने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है।
- ➲ इसी प्रकार से जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा चाहे उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक नहीं रखता है।
- ➲ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकार से निर्धारित फार्म में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र मिल सकता है:
- ➲ जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त (अपर) जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर / उपयुक्त/अतिरिक्त (अपर) उपायुक्त/उप कलेक्टर/वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के वैतानिक मजिस्ट्रेट से कम रैंक का नहीं) (II) चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट; (III) राजस्व अधिकारी जिसका रैंक तहसीलदार से कम न हो; (IV) इलाके का सब डिवीजनल अधिकार जहां उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्य तौर पर रहता है; (V) प्रशासक/विकास अधिकारी (लक्ष्यद्वीप) का प्रशासक/सचिव।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना संविधान (नवासीवां संशोधन) कानून, 2003 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और नए अनुच्छेद 338ए को शामिल करके 19 फरवरी, 2004 को की गई।
- आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय के बिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार में सचिव का दर्जा दिया गया।
- आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों को प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और सुरक्षा के कामकाज का मूल्यांकन करना है; और अनुसूचित जातियों की सुरक्षा और उन्हें अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम

- ➲ अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान देने और उनके आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए, तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित वित्त विकास निगम को दो

- भागों में बांट दिया गया।
- ➲ जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) की स्थापना की गई।
- ➲ एनएसटीएफडीसी को कम्पनी कानून के अनुच्छेद 25 (कंपनी जो लाभ कमाने के लिए नहीं है) के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया।
- ➲ एनएसटीएफडीसी के लिए अधिदेश प्राप्त करने के लिए (स्वरोजगार उद्यम/गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए) अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से दोगुनी है।
- ➲ एनएसटीएफडीसी लक्षित समूह के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन

- ➲ बहुराज्य सहकारी समिति कानून, 1984 (एमएससीएस कानून, 1984) के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संगठन के रूप में 1987 में ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
- ➲ बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (एमएससीएस कानून, 2002) बनने के बाद ट्राइफेड को इसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत मान लिया गया और यह कानून की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में भी सूचीबद्ध है।
- ➲ ट्राइफेड की नियमावली में बहुराज्यीय सहकारी समिति के नियमों में नए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के साथ गठित 2002 के अनुरूप अप्रैल 2003 में संशोधन किया गया।
- ➲ इस संशोधित आदेश के अनुसार ट्राइफेड ने जनजातियों से लघु वनोत्पाद (एमएफपी) और अतिरिक्त कृषि उत्पादों (एसएपी) की बड़ी मात्रा में खरीद बंद कर दी है।
- ➲ ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।

वनबंधु कल्याण योजना

- ➲ केंद्र सरकार ने परिणाम आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनजातीय आबादी के संपूर्ण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए वनबंधु कल्याण योजना (वीके वाई) शुरू की।
- ➲ वीके वाई को एक रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए आवश्यकता अनुरूप और परिणाम आधारित माहौल तैयार करना है।

○इसे मंत्रालयों की योजनाओं के समावेश के जरिए हासिल किया जा सकेगा जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और शिक्षा कार्य विधि में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाएगी

○चूंकि अलग-अलग राज्यों की जरूरतें भी अलग-अलग हैं, प्रस्तावित नई योजना में प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को लघीलापन प्रदान करने की उम्मीद है।

अनुसूचित
जनजाति
की शिक्षा हेतु
प्रमुख योजनाएँ

○इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पर्याप्त शैक्षणिक ढांचा और छात्रवृत्ति के जरिए उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

○जनजातीय मामलों का मंत्रालय अपनी शिक्षा योजना को नया रूप दे रहा है।

○प्रस्तावित प्रमुख योजना में निम्नलिखित योजनाओं को मिला दिया गया है :

- आश्रम स्कूलों की स्थापना और उन्हें बढ़ाना।
- छात्रावासों की स्थापना और उनकी वृद्धि।
- जनजातीय इलाकों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति।
- मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।

विदेशी छात्रवृत्ति

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संशोधित राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है।
- योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर, पीएच.डी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कार्यक्रम के लिए चुने गए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किए हैं।
- अध्ययन के क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए, छात्रवृत्तियों की संख्या वर्तमान में 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है।
- योजना को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए, कुल 20 छात्रवृत्तियों में से 3 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए और 30 प्रतिशत लड़कियों के लिए रखी गई हैं।
- योजना में अब कुछ और विस्तृत आधार वाले क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विषयों के समूह बनाकर अध्ययन के क्षेत्र को पुनः संगठित किया गया है।
- इससे अनुसूचित जनजाति के अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा क्योंकि इनकी संख्या 35 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है।

अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण

- दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- इस रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार के पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया।
- उच्चतम न्यायालय ने 1992 में अनेक रिट याचिकाओं का निपटारा किया, जो आमतौर से इंदिरा साहनी मामले के रूप में मशहूर है।
- इस फैसले में, न्यायालय ने क्रीमीलेयर को छोड़कर नागरिक पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा।
- भारत सरकार ने, 1993 में केंद्र सरकार के प्रशासनिक पदों और सेवाओं के 27 प्रतिशत रिक्त पदों को अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के जरिए भरा।
- इस कानून के अंतर्गत, ओबीसी छात्र केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2008-09 से तीन वर्षों की अवधि तक चरणबद्ध रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण के हकदार हैं।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन किया गया था।

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

- ⌚ इस योजना में, व्यय 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच बटं जाता है।
- ⌚ इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के बच्चों को मैट्रिक पूर्व तक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है।

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति

- ⌚ योजना का उद्देश्य मैट्रिक के बाद/सेकेंडरी के बाद के स्तरों पर अध्ययन कर रहे ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पीएच.डी डिग्री के स्तर तक लाना है।
- ⌚ ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन के लिए उस राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रशासन के जरिए दी जाती हैं जिससे आवरणकर्ता ताल्लुक रखता है।
- ⌚ यह योजना सीमित धनराशि योजना है। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों को बजट की उपलब्धता के अनुसार उनकी प्रतिबद्ध देनदारी से अधिक 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

ओबीसी लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावास

- ⌚ अन्य पिछड़ा वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना में 2017-18 से संशोधन किया गया।
- ⌚ इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे सेकेंडरी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- (i) विभिन्न क्षेत्रों में छात्रावास में प्रति सीट पर खर्च विभिन्न इलाकों में इस प्रकार हैः-
 - (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र-3.50 लाख रुपये प्रति सीट,
 - (ख) हिमालयी क्षेत्र-3.25 लाख रुपये प्रति सीट,
 - (ग) देश के शेष हिस्से-3 लाख रुपये प्रति सीट (अथवा) संबद्ध राज्य सरकार के लिए दरों की अनुसूची के अनुसार जो भी कम हो),
- (ii) लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की लागत 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य आपस में बांटेंगे;
- (iii) लड़कियों के छात्रावासों के मामले में राज्य सरकारों को 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाएगी और 10 प्रतिशत लागत राज्य सरकारें वहन करेंगी;
- (iv) संघ शासित प्रदेशों के मामले में केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत होगी और पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह 90 प्रतिशत है;

- (v) लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है और शेष 10 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है और शेष 10 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा;
- (vi) छात्रावास का निर्माण कार्य काम मिलने के 18 महीने के भीतर अथवा केंद्रीय सहायता की पहली किश्त जारी होने के दो वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, जो भी पहले हो।
- (vii) किसी भी मामले में समय 2 वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जाएगा। परियोजना में देरी के कारण यदि लागत बढ़ती है तो उसे राज्य/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।
- (viii) एकीकृत छात्रावास का प्रस्ताव जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक संख्या में सीटें आरक्षित हैं उस परियोजना के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए,
- (ix) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत चुने गए आदर्श गांवों में अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जा सकता है बशर्ते, भूमि उपलब्ध हो और चुना गया गांव वर्तमान शैक्षणिक संस्थान के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित हो।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

- ⌚ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को लाभ नहीं कमाने वाली कम्पनी के रूप में 1992 में शामिल किया गया।
- ⌚ जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा इन वर्गों के गरीब तबके को कौशल विकास और स्व-रोजगार उद्यम में सहायता करना है।
- ⌚ यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है।
- ⌚ निगम लक्षित समूह जैसे पिछड़े वर्गों के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के ऋण देता है।
- ⌚ पिछड़े वर्गों के सदस्य जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय से दोगुने से कम (यानी ग्रामीण इलाकों में 98,000 रुपये और शहरी इलाकों में 1,20,000 रुपये) है वह एनबीसीएफडीसी योजना के अंतर्गत एससीए के जरिए ऋण ले सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा

- ⌚ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के प्रति वचनबद्ध है।

बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति

- बुजुर्गों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) की घोषणा जनवरी 1999 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है।
- इस नीति का उद्देश्य वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, आश्रय और वृद्ध व्यक्तियों को अन्य जरूरतें उपलब्ध कराना, विकास में इक्विटी शेयर, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संरक्षण, तथा उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना है।
- व्यक्ति को खुद की और अपने जीवन साथी की वृद्धावस्था की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना;
- परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना;
- परिवार द्वारा प्रदान की गई देखभाल में वृद्धि के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को सक्षम बनाना और इनका समर्थन करना;
- कमज़ोर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल और संरक्षण;
- बुजुर्गों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना;
- वृद्धों के लिए सेवा और संरक्षण देने वाले लोगों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना; तथा
- वृद्धों में ऐसी जागरूकता पैदा करना जिससे वे उपयोगी और स्वतंत्र जीवन का मजा ले सकें।

बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद

- वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय परिषद ने बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 1999 में बुजुर्गों की राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) का गठन किया।
- एनसीओपी बुजुर्गों के कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की संकलना और उनके कार्यान्वयन में सरकार को सलाह देने और समन्वय करने वाली सर्वोच्च संस्था है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ

- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ कानून, 1985 अन्य बातों के अलावा मादक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया।
- इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को मादक पदार्थों और मद्यपान की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए खर्च के 90 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और

- सिक्किम में 95 प्रतिशत) तक की अनुदान सहायता दी जाती है।
- इस कानून के अनुच्छेद 71 (नशेड़ियों और नशीले पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की आपूर्ति की पहचान, उपचार आदि केंद्र स्थापित करने के सरकार के अधिकार) में व्यवस्था है।
- सरकार अपने विवेक से कई केंद्र स्थापित कर सकती है जिनके लिए वह समझती हो कि ऐसे केंद्र नशेड़ियों की पहचान करने, उनके उपचार, शिक्षा, इलाज के बाद देखभाल, पुनर्वास, दोबारा सामाजिक एकीकरण और अन्य कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं।
- अगर किसी संबद्ध सरकार द्वारा सरकार और अन्य के साथ पंजीकृत नशेड़ियों और अन्य के लिए किसी भी मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थों के बारे में स्थिति इस तरीके से बताई गई है जहां इनकी आपूर्ति चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है।
- फलस्वरूप विभाग स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलइज्म एंड सब्स्टांस (ड्रग्स) एव्यूज योजना के अंतर्गत नशेड़ियों के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) को सहायता प्रदान कर रहा है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नीति

- वित्त मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सहित सभी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श करके स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नीति (एनडीपीएस), लाया जिसका उद्देश्य:
- (क) मादक और मनःप्रभावी पदार्थों के प्रति भारत की नीति की व्याख्या करना;
- (ख) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों तथा राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ आदि के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करना;
- (ग) समग्र रूप में मादक पदार्थों से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराना है।

अल्पसंख्यक

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को किया गया था।
- इसका उद्देश्य 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों के कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करना है, जो भारत की आबादी का 19 प्रतिशत से अधिक हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम

- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी।

- ➲ इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - (क) शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी,
 - (ख) मौजूदा और नई योजनाओं के जरिए आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना,
 - (ग) ढांचागत विकास से जुड़ी योजनाओं में उचित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार लाना,
 - (घ) सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण करना।
- ➲ नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपेक्षित वर्गों को लाभ मिले।
- ➲ इन योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक भी पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का कुछ हिस्सा केंद्रित करने पर विचार किया गया है।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

- ➲ मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है:
 - (i) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति,
 - (ii) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति,
 - (iii) योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति।
- ➲ छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता सुधारने के लिए 2017-18 के दौरान छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का एक नया और संशोधित संस्करण शुरू किया गया।
- ➲ इस मंत्रालय की उपरोक्त तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल पर हैं।
 - मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना
 - मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना
 - योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति योजना

नई उड़ान

- ➲ इस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही प्रारंभिक परीक्षा को पास कर रहे हैं ताकि उन्हें संघ और राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त के लिए प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके।

पढ़ो परदेस में

- ➲ इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के योग्य छात्रों को ब्याज सम्बिंदी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें और उनके नियोजन की संभावना बढ़ सके।
- ➲ योजना के अंतर्गत ब्याज सम्बिंदी योग्य छात्रों को के बल एक बार उपलब्ध होगी चाहे स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अथवा पीएच.डी. स्तर के लिए छात्र को स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी. स्तर पर विदेश में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में दाखिल मिला हो।

नई रोशनी

- ➲ मंत्रालय ने नई रोशनी नाम से एक विशिष्ट योजना लागू की है।
- ➲ यह योजना सभी स्तरों पर सरकारी व्यवस्थाओं, बैंकों और मध्यस्थों के साथ बातचीत के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास, उन्हें अधिकार संपन्न बनाने और उनमें विश्वास कायम करने के उद्देश्य से लागू की गई।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

- 1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, 1992 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया।
- पहले संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी।
- एनसीएम 1992 के कानून में 1995 में संशोधन किया गया और आयोग में उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया।
- 1995 में संशोधन के साथ आयोग में सदस्य संख्या 7 (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित) कर दी गई।
- अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रावधान है कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

- तेरह राज्य सरकारों आंश्व प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक आयोग स्थापित किये।
- वहाँ दो राज्यों मणिपुर व उत्तरखण्ड ने गैर-संवैधानिक आयोगों का गठन किया।

भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (सीएलएम)

- ⦿ भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (सीएलएम) का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के प्रावधान में के मुताबिक जुलाई 1957 में स्थापित किया गया था जो राज्य पुर्णगठन आयोग (एसआरसी) की सिफारिशों के फलस्वरूप संविधान (7वां संशोधन) कानून, 1956 के कारण अस्तित्व में आया।
- ⦿ अनुच्छेद 350 बी में व्यवस्था है कि सीएलएम भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी मामलों की जांच कर सकता है और ऐसे अंतराल में इन मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे सकता है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण

- ⦿ भारत के संविधान के अंतर्गत धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और उनकी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने और उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंध करने के उनके अधिकार को मान्यता देता है।
- ⦿ अनुच्छेद 347 किसी राज्य अथवा किसी हिस्से की बहुत अधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का प्रावधान करता है।
- ⦿ अनुच्छेद 350 केंद्र/राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में केंद्र अथवा राज्य के किसी प्राधिकार की शिकायतों के निपटारे के लिए अभिवेदन देने का अधिकार प्रदान करता है।
- ⦿ अनुच्छेद 350ए में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से ताल्लुक रखने वालों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मात्र भाषा में देने की व्यवस्था है।
- ⦿ अनुच्छेद 350बी भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नियुक्त विशेष अधिकारी प्रदान करता है जो संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए।

केंद्रीय वक्फ परिषद

- ⦿ वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए धार्मिक, पवित्र अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल अथवा अचल परिसंपत्तियों का स्थायी समर्पण है।
- ⦿ वर्तमान परिषद का 2005 में पुर्णगठन किया गया। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

दरगाह ख्वाजा साहब कानून

- ⦿ इस कानून के अंतर्गत दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आरए) की दरगाह और उसके धर्मार्थ दान के समुचित प्रबंध के लिए प्रावधान किये जाते हैं।

- ⦿ इस केंद्रीय कानून के अंतर्गत, दरगाह का प्रबंध, उसके धर्मार्थ दान का नियंत्रण और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दरगाह समिति के रूप में जानी जाने वाली प्रतिनिधि समिति के पास है।
- ⦿ इस दरगाह का संचालन दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- ⦿ महिलाओं और बच्चों का विकास सर्वाधिक महत्व रखता है और इसी से संपूर्ण विकास की गति निर्धारित होती है।
- ⦿ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006 से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया।
- ⦿ इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के मामले में सरकारी कार्यों की खामियों को दूर करने, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और बच्चों पर केंद्रित कानून, नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों को एक तरफ ले जाने के लिए बढ़ावा देना है।
- ⦿ मंत्रालय का प्रमुख उत्तरदायित्व महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सरोकारों से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना तथा उनके जीवित रहने, सुरक्षा, विकास एवं भागीदारी को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है।

महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून

- ◻ अनैतिक व्यापार कानून, 1956 (1986 में संशोधित),
- ◻ महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986 (1986 का 60),
- ◻ दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 में संशोधित),
- ◻ सती प्रथा (निरोधक) कानून, 1987 (1988 का 3),
- ◻ बाल विवाह निषेध कानून, 2006 (जनवरी, 2007 में अधिसूचित),
- ◻ घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून, 2005,
- ◻ राष्ट्रीय महिला आयोग कानून, 1990,
- ◻ शिशु दुर्गंध विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और विवरण पर नियंत्रण) कानून, 1992 (1992 का 41),
- ◻ बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005,
- ◻ किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) कानून, 2000,
- ◻ बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पीओसीएसओ) कानून और पीओसीएसओ नियम 2012 तथा
- ◻ कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) 2010

मोबाइल फोन पर पैनिक बटन

- ⦿ परेशानी में पड़ी महिला को मदद करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मोबाइल फोनों पर पैनिक बटन लगाने का काम किया।
- ⦿ अधिनियम के अंतर्गत सभी नये फीचर वाले फोनों में पैनिक बटन की सुविधा होगी जो न्यूमोरिक 5 अथवा 9 से काम करेगा और सभी स्मार्ट फोन ऑन-ऑफ बटन को तीन बार दबाने पर कनफिगर हो जाएंगे।
- ⦿ सभी नये मोबाइल फोनों में सेटलाइट आधारित ओपीएस के जरिए स्थान की पहचान करने की सुविधा होनी चाहिए।
- ⦿ गृह मंत्रालय के सहयोग से निर्भया कोष के अंतर्गत एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) भी स्थापित किया गया है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए सभी आपात नंबरों को 112 से जोड़ देगा।
- ⦿ यह पैनिक बटन से भेजे गए परेशानी के सिग्नल का जवाब देगा।

एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल करना

- ⦿ एसिड हमले का शिकार किसी व्यक्ति के स्थायी नुकसान अथवा उसके बदसूरत होने तथा लगातार इलाज को ध्यान में रखते हुए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आग्रह किया कि नुकसान अथवा बदसूरत होने को विशिष्ट दिव्यांगता की सूची में डाला जाए।
- ⦿ हाल ही में बनाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 में एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल किया गया है।
- ⦿ एसिड हमले का शिकार व्यक्ति अब दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ ले सकता है।

एनआरआई विवाह विवाद

- ⦿ प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप विदेशों में होने वाले विवाहों के कारण, महिला चाहे भारत में रहती हो अथवा विदेश में, वह परित्याग किए जाने, घरेलू हिंसा, एकतरफा तलाक और बच्चों की रक्षा आदि जैसे मुद्दों का सामना कर रही है।
- ⦿ चूंकि ये मुद्दे अंतर-देशीय न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे मामलों से जुड़ी महिलाओं को दूसरे पक्ष के विदेश में रहने से जुड़ी प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना के अभाव के कारण कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- ⦿ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एनआर विवाह विवाद में शामिल महिलाओं के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार की है।

- ⦿ ये एसओपी महिला द्वारा की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया की धीरे-धीरे सही जानकारी देगा ताकि उसे तेजी से न्याय मिल सके।
- ⦿ ये अदालत और देशभर के पुलिस अधिकारियों के लिए भी प्रभावी संदर्भ पुस्तिका का काम करेंगे जो ऐसे विवादों की जांच कर रहे हैं अथवा अदालतों में महिलाओं के हितों को रख रहे हैं।

लिंग संबंधी बजट बनाने की पहल

- ⦿ लिंग संबंधी बजट बनाना (जेंडर बजटिंग पहल) लिंग को मुख्यधारा में लाने का एक शक्तिशाली औजार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ जितने पुरुषों तक पहुंचते हैं उतने महिलाओं तक भी पहुंचे।
- ⦿ यह कोई लेखा विधि प्रयोग नहीं है बल्कि बजट तैयार करते समय, उसके आवंटन, कार्यान्वयन, प्रभाव/परिणाम आकलन, समीक्षा और लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न कदमों पर लिंग दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
- ⦿ देश में लिंग संबंधी बजट बनाने को संस्थागत बनाने के लिए 2007 में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग सेल्स (जीबीसी5) स्थापित करने का आदेश दिया गया।
- ⦿ महिला और बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग के लिए प्रमुख एजेंसी है जिसने इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आगे ले जाने के लिए अनेक पहल की हैं।
- ⦿ अब तक 57 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने जीबीसी की स्थापना कर ली है। उम्मीद है कि यह जेंडर बजटिंग पहलों के साथ समन्वय के लिए अंतः और अंतर मंत्रालय स्तर पर केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेंगे।
- ⦿ 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जेंडर बजटिंग नोडल केंद्र निर्दिष्ट कर दिए हैं।

पंचायतों में महिला पंचों का प्रशिक्षण

- ⦿ हालांकि ग्राम पंचायतों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण के अभाव में और पति के लगातार शासन/हस्तक्षेप के कारण ये पांच गांव की बेहतरी के लिए वास्तविक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती हैं।
- ⦿ इन महिलाओं को जमीनी स्तर पर शक्तिशाली बनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2 लाख महिला पंचों को प्रशिक्षित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम की पहल की है।
- ⦿ ग्रामीण विकास मंत्रालय की भागीदारी से मई 2016 से इनका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है।
- ⦿ इस पहल के देश में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में सामने आने की उम्मीद है क्योंकि प्रशिक्षित और अधिकारसंपन्न महिला सरपंच सच्चे मायनों में राजनैतिक बदलाव

लाने में सक्षम होगी।

- ⦿ यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से लागू की जा रही है। अनेक राज्यों में अब 50 प्रतिशत से अधिक पंचायतों में महिला प्रमुख हैं। जबकि कानून द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

मातृत्व अवकाश की अवधि में विस्तार

- ⦿ कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर सात महीने करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्य कर रहा था ताकि शिशु को जन्म के बाद छह महीने तक स्तनपान कराया जा सके और इसके बाद पूरक भोजन दिया जाए ताकि कुपोषण के मामले कम हो सकें।
- ⦿ श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पर विचार किया और कानून में उचित संशोधन किया जो इस प्रकार है:
 - (i) मातृत्व लाभ कानून 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश वर्तमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह,
 - (ii) शिशु को गोद लेने वाली और सरोगेट मां के लिए मातृत्व लाभ में बढ़ातरी,
 - (iii) कार्यालय/फैक्ट्री परिसर में क्रेच की सुविधा स्थापित करना। यह कानून अब मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 कहलाता है।
- ⦿ इस विधेयक को राज्य सभा और लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अब इसे मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 के नाम से जाना जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कानून लागू करना

- ⦿ कार्यस्थल पर महिलाओं की हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- ⦿ इस संबंध में राज्य सरकारें/केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को परामर्श और निर्गानी रूपरेखा जारी की जा चुकी है ताकि यौन उत्पीड़न कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, शिकायत पर तेजी से जांच हो सके और शिकायकर्ता का भविष्य में उत्पीड़न रोका जा सके।

महिला ई-हाट

- ⦿ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला ई-हाट की मार्च 2016 में शुरूआत की, जो महिला उद्यमियों/एसएचओ/एनओओ के लिए सीधे ऑनलाइन डिजीटल मार्केटिंग का एक मंच है।
- ⦿ यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि यह महिला उद्यमिता

और वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है।

राष्ट्रीय महिला नीति- 2016

- ⦿ राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा अंतिम रूप लेने की अवस्था में है।
- ⦿ इस नीति में 15 वर्ष बाद संशोधन किया गया है और उम्मीद है कि यह अगले 15-20 वर्ष महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगी।
- ⦿ यह नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय लेने, हिंसा, एक उदार माहौल तैयार करने आदि जैसे विस्तृत मुद्दों को सम्मिलित करेगी।

किशोर न्याय

- ⦿ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (जेजे मॉडल नियम, 2016) को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया, अतः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (जेजे मॉडल नियम, 2007) को 1.09.2016 को रद्द कर दिया गया।
- ⦿ जेजे मॉडल नियम, 2016 इस तर्क पर आधारित है कि बच्चों की विकास की जरूरतों के लिए सराहनीय है और बच्चे का सर्वश्रेष्ठ हित शुरूआती चिंता है। बोर्ड में बच्चों के अनुकूल कार्यप्रणाली शामिल की गई है।
- ⦿ जेजे मॉडल नियम, 2016 में पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत के लिए बच्चों के अनुकूल विस्तृत प्रक्रियाएं दी गई हैं।

विस्तृत दत्तक ग्रहण सुधार

- ⦿ सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 को अधिसूचित कर दिया और इस कानून का अध्याय अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने तथा साथ ही रिश्तेदार द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करता है।
- ⦿ इस कानून में बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की गई है। इसके अनुसार रिश्तेदारों के गोद लेने सहित सभी दत्तक ग्रहण की जानकारी देश में देनी पड़ेगी।
- ⦿ साथ ही कानून के अंतर्गत सभी दत्तक ग्रहण केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे।
- ⦿ इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का पुनर्गठन कर उसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नाम दिया गया है।

दत्तक ग्रहण सुधार नियम

- भारत में कहीं भी बच्चे को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और दिशानिर्देश प्रणाली (के रिंग्स) कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया अपनाने के लिए कारा का एकमात्र सरकारी पोर्टल है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2015 की धारा 80 और 81 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी जो गैर-कानूनी तरीके से गोद लेने के कार्य में शामिल है उसे दंडित किया जाएगा।
- किसी बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से गोद लेकर, आप गैर-इरादतन बच्चों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं।
- गोद लेना एक सामाजिक-कानूनी प्रक्रिया है और इसमें दलालों/बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि वे बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से गोद लेने के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं।
- दत्तक ग्रहण नियमों में देश में और दूसरे देश में क्यूएएस (अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित) बच्चों को गोद लेने का प्रावधान है।
- देश के भीतर और विदेश में रिश्तेदार द्वारा गोद लेने के संबंध में प्रक्रिया नियमों में परिभाषित की गई है।
- सौतेले बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था की गई है।
- नियमों में 32 अनुसूचियां संलग्न हैं। इनमें अदालत में दायर किए जाने वाला आदर्श दत्तक ग्रहण आवेदन भी शामिल है और इससे अदालत का आदेश प्राप्त करने में होने वाली देरी भी समाप्त हो सके गी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

- राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष), किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है।
- यह कार्य तीन वर्ष की अवधि में एक नियत समय के भीतर बच्चों (0-3 वर्ष) में अल्प-पोषण को कम करना; बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया को कम करना; महिलाओं और किशोर लड़कियों (15-49 वर्ष) में एनीमिया की व्यापकता कम करना और जन्म के समय कम वजन के मामले घटाना।

आंगनबाड़ी सेवा

- समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना जिसे अब आंगनबाड़ी सेवा योजना के नाम से जाना जाता है, की शुरूआत 1975 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना;
- मृत्युदर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की घटनाओं को कम करना;
- बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति का प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन;
- मां की क्षमता बढ़ाना ताकि वह उपयुक्त पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान दे सकें।
- इस योजना के लाभार्थियों में छह वर्ष से एक उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताएं शामिल हैं। यह योजना खुद चुनी जा सकती है और बिना किसी शर्त के सभी लाभार्थियों के लिए खुली है।

पूरक पोषण

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए), 2013 में शामिल प्रावधानों का पालन करते हुए, मंत्रालय ने पूरक पोषण (समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत) नियम, 2017 में अधिसूचित किया।
- ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशु के जन्म के बाद स्तनपान करने वाली माता को 6 महीने के लिए और 6 महीने से 6 वर्ष (कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों सहित) की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को इस कानून में अनुसूचित पोषण मानकों के अनुसार एवं वर्ष में 300 दिन कानून के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए अधिकार के अनुसार पूरक पोषण मिल सकें।
- खाद्यान्न और भोजन की पात्रता मात्रा की आपूर्ति नहीं होने पर पात्र व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकार से उतने समय और तरीके से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केंद्र सरकार ने दिया हुआ है।

आईसीडीएस प्रणाली

- महिला और बाल विकास मंत्रालय अंतराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अमल में ला रहा है जो देश के 8 राज्यों के 162 अत्यधिक बोझ वाले जिलों की सहायता कर रहा है जहां निम्नलिखित परियोजना विकास उद्देश्यों के साथ 368 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं:

- (i) समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) नीतिगत ढांचे, प्रणाली और क्षमताओं को मजबूत बनाने, सामुदायिक कार्य को आगे बढ़ाने, तीन वर्ष की आयु के भीतर आने वाले बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना;
- (ii) बेहतर पोषण नतीजों के लिए सम्मिलित कार्यों को मजबूत करना।

किशोर लड़कियों के लिए योजना

- किशोर लड़कियों के लिए योजना (एसएजी) 2010-11 में शुरू की गई और यह देशभर के 205 चुने हुए जिलों में काम कर रही है।
- इसका उद्देश्य प्रार्थिक आधार पर 11-18 वर्ष की किशोर लड़कियों का चौतरफा विकास करना है।
- यह योजना राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के जरिए लागू की जा रही है जिसका व्यय केंद्र और राज्य के बीच (कारून के साथ) 50:50 के अनुपात में पोषण के लिए है और शेष घटकों के लिए यह अनुपात 60:40 है।
- इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं- पोषण प्रदान करने वाले और पोषण नहीं प्रदान करने वाले।
- पोषण प्रदान करने वाले घटक में, स्कूल से निकली किशोर लड़कियां (11-16 वर्ष) जो एडब्ल्यूसी जा रही हैं और सभी लड़कियां (14-18 वर्ष) को घर ले जाने के लिए राशन/गर्म पके हुए भोजन के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।
- प्रत्येक किशोर लड़की को एक वर्ष में 300 दिन रोजाना 600 के लोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रीएन्ड्स (जो आहार संबंधी अनुशासित अंश का करीब एक तिहाई है) प्रदान किए जाते हैं।
- पोषण गर्भवती और स्तनपान करने वाली माता (पी और एल) के लिए नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- पोषण प्रदान करने वाले घटक का उद्देश्य किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण अवस्था में सुधार लाना है जबकि पोषण नहीं प्रदान करने वाला घटक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करता है।
- इस योजना का एक और उद्देश्य स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को मुख्यधारा में लाकर स्कूल व्यवस्था में शामिल करना है।

खाद्य और पोषण बोर्ड की प्रमुख पहलें

- महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी) 4 खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है ये हैं:
 - फरीदाबाद में के न्द्रीय प्रयोगशाला और मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में 3 क्षेत्रीय जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जहां खाद्य सुरक्षा के लिए भोजन और पूरक पोषण का विश्लेषण किया जाएगा और आईसीडीएस योजना में पूरक पोषण के पोषण और भोजन संबंधी नियम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों में, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को गंभीरता से लेते हुए भोजन में अतिरिक्त सामग्री के जरिए इस समस्या को दूर करने के लिए पहल की।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनपीएसी) 2016 राष्ट्रीय बाल नीति में अभिन्न अंग के रूप में शामिल सिद्धांतों पर आधारित है।
- कार्ययोजना के चार प्रमुख क्षेत्र हैं; जीवित रहना, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा और विकास; संरक्षण; और भागीदारी।

लाभार्थी को सीधे हस्तांतरण

- भारत सरकार ने लाभार्थी को सीधे हस्तांतरण (डीबीटी) को अपनाया और सेवाएं देने, व्यक्तियों और समूहों को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ अथवा सब्सिडी देने के लिए लाभार्थियों की पहचान के रूप में आधार का इस्तेमाल किया जहां भारत की जमा राशि खर्च होती है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित करने के लिए, मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है।
- यह पोर्टल स्थानीय सरकार निदेशक कोड (एलजीडी) से भी जुड़ा हुआ है जो स्थान को भी रिकॉर्ड करता है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

- 1 यह योजना देश के सभी जिलों में लागू हैं।

2 इस योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी 75:25 है।

3 इसका उद्देश्य 11-16 साल की किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना है।

4 इस योजना का आँगनवाड़ी केंद्रों द्वारा लागू किया जाता है।
उपरोक्त में से गलत कथन/कथनों को छाँटिये।

(a) केवल 1, 2 (b) केवल 1, 2, 3
(c) 3 व 4 (d) उपरोक्त सभी

रानी गेइडलन्यू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1 ये मूलतः नागालैण्ड की रहने वाली थी।

2 इनको रानी की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी।

3 इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था।

4 इनके नाम पर 'स्त्री शक्ति पुरस्कार' भी दिया जाता है।
उपरोक्त में से गलत कथन/ कथनों को छाँटिये।

(a) केवल 3 (b) केवल 1, 2, 3
(c) केवल 2, 3 (d) उपरोक्त सभी

राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1 इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1996 के तहत किया गया।

2 यह एक संवैधानिक निकाय है।

3 इसे वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त में से क्या सही हैं/ सही हैं।

(a) केवल 1 (b) केवल 2, 3
(c) केवल 2 (d) कोई नहीं

1993 के हेग कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।

(a) वृद्ध जनों की सामाजिक सुरक्षोपाय से।

(b) अन्तर्देशीय दत्तक संबंधी प्रावधानों से,

(c) महिला सशक्तिकरण सुरक्षोपायों से

(d) मानव देवत्यापाय को गेकर्ने के उपाय तलाशने से

Answer Key:

- Answer Keys**

1. (b)	2. (d)	3.(b)	4.(d)	5.(c)	6.(d)
7. (d)	8. (b)				

अध्याय 29.

युवा मामले और खेल

- देश की आबादी में युवा सबसे ऊर्जावान और सक्रिय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। यहाँ लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है।
- देश की आबादी का 27.5 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग का है। अनुमान है कि 2020 तक भारत की आबादी की औसत आयु केवल 28 वर्ष होगी।
- जनसंख्या का यह हिस्सा अपार अवसर प्रदान करता है इस जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति में वृद्धि करते रहने की क्षमता होना जरूरी है।
- साथ ही युवाओं के पास उचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा अन्य योग्यताएँ व क्षमताएँ भी होनी चाहिए ताकि वे अर्थव्यवस्था में लाभकारी ढंग से योगदान कर सकें। भारत सरकार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से युवाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर बड़ी मात्रा में निवेश करती है।

राष्ट्रीय युवा नीति

- राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 को फरवरी 2014 में लागू किया गया था। इसे राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर लाया गया था।
- 2014 की नीति को सभी संबद्ध पक्षों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था। इस नीति में 15 से 29 वर्ष के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम

नेहरू युवा केंद्र संगठन

- नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनबाईकेएस) की स्थापना 1972 में की गई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है। लगभग 87 लाख युवा, 3.04 लाख युवा क्लबों/महिला मंडलों के माध्यम से इस संस्थान ने नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से 623 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व को निखारना, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगाना है।

- संस्थान साक्षरता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, स्वच्छता, साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्व-रोजगार, उद्यमशीलता विकास, नगर विषयक शिक्षा, आपदा राहत और पुनर्वास जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- नेहरू युवा केंद्रों से जुड़े युवा न केवल सामाजिक रूप से जागरूक और अभिप्रेरित होते हैं बल्कि स्वैच्छिक प्रयासों से सामाजिक विकास कार्यों के प्रति समर्पित भी होते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

- राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) 1969 में शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वैच्छिक समाज सेवा के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना है।
- इस योजना का लक्ष्य ‘सेवा के माध्यम से शिक्षा’ है।
- योजना का सिद्धांत महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है।
- इसका आदर्श वाक्य ‘मैं’ नहीं, बल्कि ‘आप’ है। इसके स्वयं सेवक, अपने से अधिक, समुदाय को समझना जिसमें स्वयंसेवी काम करते हैं और उस समुदाय के संबंध में स्वयं को समझना;

- ⦿ समुदाय की जरूरतों तथा समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना;
- ⦿ अपने में सामाजिक तथा नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना;
- ⦿ व्यक्तियों और समुदाय की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए अपनी जानकारी का इस्तेमाल करना;
- ⦿ समुदाय को भागीदार बनाने का कौशल हासिल करना और राष्ट्रीय अखंडता तथा सामाजिक सद्भावना पर अमल करना।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

- ⦿ राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), पेरंबंदूर, तमिलनाडु, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
- ⦿ इसकी स्थापना समिति पंजीकरण कानून, 1975 के तहत 1993 में की कई थी।
- ⦿ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2008 में इसे 'डे-नोवो' श्रेणी के अंतर्गत विश्वविद्यालय के समकक्ष का दर्जा दिया।
- ⦿ यह संस्थान एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कई प्रकार के कार्य करता है।
- ⦿ यह देशभर में विस्तार और पहुँच पहल के अलावा स्नातकोत्तर स्तर के शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है, युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अनुसंधान करता है और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के कार्यक्रम चलाता है।

खेल

- ⦿ मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में खेलों को हमेशा एक अभिन्न अंग के रूप में देखा गया है।
- ⦿ मनोरंजन और शारीरिक फिटनेस का माध्यम होने के अलावा, खेल ने समुदाय के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जुड़ाव की भावना पैदा करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है।
- ⦿ खेलों में प्राप्त उपलब्धियां हमेशा राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का स्रोत रही हैं।
- ⦿ आधुनिक खेलों के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक आधारभूत ढांचा, उपकरण और उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग ने खेलों के परिदृश्य को बदल दिया है।
- ⦿ उन्नत आधारभूत ढांचा, उपकरण और वैज्ञानिक सहायता के लिए बढ़ती मांगों के अनुरूप, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और वैज्ञानिक व उपकरणों के सहयोग द्वारा प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के जरिए खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय खेल नीति- 2001

- ▢ खेलों का व्यापक विस्तार और विशिष्टता हासिल करना
- ▢ आधारभूत ढांचे का उन्नयन और विकास,
- ▢ राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन तथा सहयोग,
- ▢ खेलों में वैज्ञानिक और कोचिंग समर्थन को सुट्ट करना,
- ▢ खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन,
- ▢ महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी,
- ▢ खेलों के प्रचार-प्रसार में कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी और बड़े पैमाने पर जनता में खेलों के प्रति जागरूकता व रुचि पैदा करना।

भारतीय खेल प्राधिकरण

- ⦿ 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) की स्थापना मुख्य रूप से 1982 में हुए (एशियाड) एएसआईएडी के दौरान दिल्ली में निर्मित खेलों के बुनियादी ढांचे के प्रभावी ढंग से रख-रखाव और उसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- ⦿ अब यह देश में खेलों का व्यापक रूप से विस्तार करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली एक नोडल एजेंसी है।
- ⦿ 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सोसाइटी (सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (एसएनआईपीईएस) का एसएआई के साथ विलय कर दिया गया।
- ⦿ 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पर्याप्त लागत पर नवीनीकरण किए गए अपने पाँच स्टेडियम का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2011 में 'आओ और खेलों योजना' शुरू की।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान

- ⦿ आरंभ में इस संस्थान की स्थापना एक कॉलेज के रूप में 1957 को हुई थी। यह भारत की आजादी की पहली लड़ाई का शताब्दी वर्ष था।
- ⦿ यह विश्वविद्यालय गवालियर में स्थित है, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।
- ⦿ संस्थान द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेलों में दिए जाने वाले योगदान को एक पहचान देने के लिए इसे 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी

(समकक्ष विश्वविद्यालय) में उन्नयन किया गया।

- ➲ लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) को भारत सरकार ने पूरी वित्तीय सहायता मिलती है।
- ➲ संस्थान निम्नलिखित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है:
 1. शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीई), (4 वर्षीय डिग्री कोर्स),
 2. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर की डिग्री (एमपीई), (2 साल का कोर्स),
 3. शारीरिक शिक्षा में एम फिल शिक्षा (1 वर्षीय पाठ्यक्रम) और
 4. शारीरिक शिक्षा में पीएचडी।
- ➲ इनके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा निम्नलिखित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं:

साहसिक खेल,	विशेष खेल,
युवा कार्यक्रम,	सूचना प्रौद्योगिकी,
खेल कोचिंग,	योग और वैकल्पिक उपचार,
खेल प्रबंधन और	खेल पत्रकारिता।

खेलों इंडिया

- ➲ इस योजना का उद्देश्य गाँव और ब्लॉक/पंचायत स्तरों पर विकास के द्वारा आधारभूत खेल संरचनाओं को निर्मित करना और वार्षिक खेल प्रतिस्पर्धा के संचालन के माध्यम से खेल के मैदानों के रखरखाव और खेल में बढ़े पैमाने पर भाग लेने के लिए प्रेरित करना था।
- ➲ यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है।
- ➲ नवीकृत खेलों इंडिया के बारह घटक हैं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के दो लक्ष्यों को हासिल करना है।
- ➲ ये लक्ष्य हैं—खेलों का आधार व्यापक बनाना और खेलों में श्रेष्ठता हासिल करना।
- ➲ इससे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और इससे वे लाभ भी मिल सकेंगे जो खेल प्रदान करता है अर्थात्, बच्चों और युवाओं का विकास, सामुदायिक विकास, लड़के-लड़की में समानता, स्वस्थ राष्ट्र, राष्ट्रीय गौरव और खेल विकास संबंधी आर्थिक अवसरों में बढ़ोत्तरी।

खेलों में उत्कृष्टता का प्रचार

- राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना
- खेलों में मानव संसाधन विकास की योजना
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष
- खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन संबंधी योजनाएँ

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

- 1991-92 में खिलाड़ियों के स्तर को बढ़ाने और उन्हें समाज में सम्मान और एक पहचान दिलवाने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरूआत की गई थी।
- इस योजना के तहत, जिस वर्ष पुरस्कार दिया जाना है, उससे पहले चार साल की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

अर्जुन पुरस्कार

- अर्जुन पुरस्कार की शुरूआत 1961 में की गई थी।
- इस पुरस्कार को पाने के लिए न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करना जरूरी है, अर्थात् जिस साल पुरस्कार की सिफारिश की गई हो, उस वर्ष भी उसका प्रदर्शन विशिष्ट होना चाहिए।

ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

- यह पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।
- जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान किया है और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे खेलों को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं।
- इस पुरस्कार में विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र, समारोह की पोशाक और पाँच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। 2018 के लिए यह पुरस्कार चार खिलाड़ियों को दिया गया था।

द्रोणाचार्य पुरस्कार

- इस पुरस्कार की शुरूआत 1985 में उन प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय नतीजे हासिल करने में सक्षम बनाया है।

मौलाना अब्दुल कलाम आजादी ट्रॉफी

- यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू हुई थी। अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (माका) ट्रॉफी प्रदान की जाती है।
- यह ट्रॉफी एक रोलिंग ट्रॉफी है जो पिछले विजेता से नए विजेता के पास जाती है।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

- ⦿ खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास में किए गए योगदान की सहायता करने के उद्देश्य से, सरकार ने 2009 से 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' नामक एक नए पुरस्कार की शुरूआत की है।
- ⦿ इसमें चार श्रेणियाँ हैं: उभरती/युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन, कॉर्सपेरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में इस तहत एक प्रशंसा-पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

- ⦿ यह योजना 1986 में बेहद शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के खेल को एक करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
- ⦿ इसके तहत, एक साल के दौरान आयोजित मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को निम्न दरों के आधार पर विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं।
- ⦿ प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।
- ⦿ प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, उसके प्रशिक्षक को उसकी 50 फीसदी राशि पुरस्कार में दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हों तो पुरस्कार राशि को समान रूप से बांटा जाता है।

शानदार प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को पेंशन

- ⦿ यह योजना 1994 में शुरू की गई थी।
- ⦿ इस योजना के अनुसार, वे खिलाड़ी, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों और पैरा-एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पाते हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और सक्रिय खेल करियर से रिटायर हो चुके हैं, वे जीवनभर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष

- ⦿ वर्ष 2017 से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष

कर दिया गया था।

- ⦿ इस कोष की स्थापना 1982 में की गई थी, ताकि वर्षों पहले देश को गौरव दिलाने वाले उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके जो इस समय गरीबी का जीवन जी रहे हैं।
- ⦿ यह सहायता उन्हें दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी सभी स्रोतों से 2,00,000 से कम होती है।

एंटी-डोपिंग गतिविधियों के लिए सहायता की योजना

- ◻ डोपिंग का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति/वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) के मेडिकल कमीशन द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ या तरीके का खिलाड़ियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किया गया इस्तेमाल।
- ◻ स्वर्ण और प्रतिष्ठा की चाह में, दुनियाभर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जीत हासिल करने के प्रयास में अपना प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं।
- ◻ भारत भी इस परेशानी से अछूता नहीं है। ग्लोबल (वैश्विक) एंटी डोपिंग समुदाय के सहयोग से डोपिंग की जाँच करने के लिए एक ठोस प्रयास शुरू करने के लिए तत्काल आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहल द्वारा स्थापित फांउडेशन बोर्ड ऑफ वाडा का सदस्य बन गया है।

नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी

- ⦿ 2009 में स्थापित राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (एनएडीए-नाडा), देश में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार एक राष्ट्रीय संगठन है।
- ⦿ नाडा के एंटी डोपिंग नियमों का पालन वाडा के डोपिंग रोधी मानकों के अनुरूप किया जाता है।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला

- ⦿ राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक स्वायत्त निकाय है।
- ⦿ एनडीटीएल दुनिया में 33 बड़े मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक है और एशिया में सातवें नंबर पर आती है।
- ⦿ इसमें सामान्य और अनुसंधान दोनों तरह कि क्रियाकलापों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं।

